त्रयोदश माला, खंड 3, अंक 12

मंगलवार, 14 दिसम्बर, 1999
23 अग्रहायण, 1921 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 60
Date 22/9/2000

दूसरा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 3 में अंक 11 से 19 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

शारदा प्रसाद
वरिष्ठ सम्पादक

जे०एस० वत्स
सम्पादक

बलराम सूरी
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

प्रणव कुमार
सहायक सम्पादक

अरूणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 3, दूसरा सत्र, 1999/1921 (शक)]

अंक 12, मंगलवार, 14 दिसम्बर, 1999/23 अग्रहायण, 1921 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	221 से 224 और 226	1-29
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	225 और 227 से 240	29-64
अतारांकित प्रश्न संख्या	2147 से 2376	65-300
सभा पटल पर रखे गए पत्र		300-313
पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण विधेयक		313-314
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
प्रियदर्शिनी भट्टू का मामला		
श्रीमती वसुन्धरा राजे		315
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक)	हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में रानीताल और नैना देवी के बीच रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुरेश चन्देल	228
(दो)	उत्तर प्रदेश में अयोध्या और श्रावस्ती के बीच की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री ब्रज भूषण शरण सिंह	228
(तीन)	जबलपुर-पाटन-ललितपुर-झांसी के बीच नई बड़ी रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता	
	श्री राम नरेश त्रिपाठी	228
(चार)	केरल में निलम्बूर और नन्जनगुड के बीच रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता	
	श्री के० मुरलीधरन	229
(पांच)	केन्द्रीय सड़क निधि को शासित करने वाले संशोधित संकल्प के अनुसार कर्नाटक सरकार को धनराशि दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री ए० वेंकटेश नायक	330
(छह)	केरल में खादी बुनकरों की हालत सुधारने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री टी० गोविन्दन	330
(सात)	आन्ध्र प्रदेश में मद्दीमाडुगु में कृष्णा नदी पर पुल बनाए जाने की आवश्यकता	
	डा० एम० जगन्नाथ	331

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

(आठ) देश में नवोदय विद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को आरक्षण का लाभ दिए जाने की आवश्यकता

श्री धर्म राज सिंह पटेल 331

(नौ) सरकारी नौकरियों में भर्ती संबंधी विज्ञापन क्षेत्रीय भाषाओं और स्थानीय समाचार पत्रों में दिया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश रामराव जाधव 332

(दस) मध्य रेलवे के चित्रकूटधाम करवी रेलवे स्टेशन पर एक नये प्लेटफार्म और उपरि पुल के निर्माण की आवश्यकता

श्री राम सजीवन 332

(ग्यारह) केरल में पर्यटन के विकास के लिए विशेष धनराशि मंजूर किए जाने की आवश्यता

श्री पी०सी० थॉमस 333

नियम 193 के अधीन चर्चा

राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला और देश के विभिन्न भागों विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद में वृद्धि

श्री विलास मुत्तेमवार 339

वैध विष्णुदत्त शर्मा 344

श्री समर चौधरी 346

श्री रवि प्रकाश वर्मा 348

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी 352

श्री राजेश पायलट 354

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी 359

श्री प्रभुनाथ सिंह 362

श्री राशिद अलवी 365

श्री अली मोहम्मद नायक 365

श्री टी०एम० सेल्वागनपति 379

श्रीमती कृष्णाबोस 382

श्री के०ए० सांगतम 383

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह 387

श्री हन्नान मोल्लाह 389

श्री रामदास आठवले 391

श्री मोहन रावले 392

श्री भान सिंह भौरा 395

विषय	कॉलम
श्री जोवाकिम बखला	396
श्री अधीर चौधरी	397
श्री ब्रह्मानन्द मंडल	400
कुंवर अखिलेश सिंह	402
श्री हरीभाऊ शंकर महाले	404
श्री विजय हान्दिक	404
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के एजेंडा के बारे में	
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	394
कार्य मंत्रणा समिति	
तीसरा प्रतिवेदन	400

लोक सभा

मंगलवार, 14 दिसम्बर, 1999/23 अग्रहायण 1921 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

छोटे और मझोले शहरों का समेकित विकास करने संबंधी योजना

+
221. डा० रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री निखिल कुमार चौधरी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान छोटे और मझौले शहरों के समेकित विकास संबंधी योजना के अन्तर्गत विकास हेतु किन-किन शहरों को शामिल किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई और अब तक इसमें कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या विगत में ऐसे शहरों में किए गए विकास कार्यों का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त योजना के अन्तर्गत विकास हेतु राज्यवार किन-किन शहरों की पहचान की गई है?

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) नगरों का राज्यवार और वर्षवार विवरण अनुलग्नक-I, II तथा III में है।

(ख) केन्द्रीय सहायता का राज्यवार नियतन और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रगति का विवरण अनुलग्नक-IV में है।

(ग) और (घ) स्कीम की नियतकालिक समीक्षा की जाती है। अतीत में इस प्रकार की समीक्षा में निम्नलिखित एजेंसियाँ शामिल थी :—

(i) आई०डी०एस०एम०टी० स्कीम कार्यान्वयन पर केन्द्रीय दल।

(ii) सोसायटी फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, (एस०डी०एस०) नई दिल्ली।

(iii) सेंटर फॉर सिम्बायोसिस ऑफ टेक्नॉलोजी, एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट (एस०टी०ई०एम०), बंगलूर।

(iv) राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (एन०आई०यू०ए०), नई दिल्ली।

(v) मंत्रालय, जिसने राज्य सरकारों के परामर्श से स्कीम की समीक्षा हाल ही में शुरू की है।

इसके अलावा नगर और ग्राम नियोजन संगठन (टी०सी०पी०ओ०) भी प्रत्येक वर्ष आई०डी०एस०एम०टी० स्टेटस रिपोर्ट राज्यवार तैयार करता है। जिसमें स्कीम के तहत हुई प्रगति का उल्लेख होता है।

(ङ) कस्बों का चयन और प्राथमिकता निर्धारण का कार्य राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। नौंवी योजना, अर्थात् 1997-99 के पहले दो वर्षों के दौरान चयनित और स्कीम में शामिल कस्बों की सूची अनुलग्नक-II और III में है।

अनुलग्नक-I

1996-97 के दौरान आई०डी०एस०एम०टी० के तहत शामिल कस्बों की सूची

आंध्र प्रदेश

1. तुनी
2. तिरुपति
3. नेल्लौर
4. गदवाल
5. भोंगीर
6. कुप्पम
7. एलूरू
8. बोब्बलि

असम

9. गोलपाड़ा
10. रंगिया

बिहार

11. गया
12. सुपौल
13. शिओहार
14. फोरबसगंज
15. लोहरदगा

गुजरात

16. बारदोली
17. जामनगर
18. भावनगर
19. द्वारका

हिमाचल प्रदेश

20. ऊँना

जम्मू व कश्मीर

21. जम्मू

कर्नाटक

22. कडूर
23. हालेनरसिपुर-I
24. चिनचोली
25. मुद्देविहल
26. हरपन्नहल्ली
27. चेन्नागिरी
28. रोन
29. हसन

केरल

30. नेडूमंगड
31. पथनामथिट्टा

मध्य प्रदेश

32. शिओहारा
33. अमरफत्तन
34. उमरिया
35. कसारवाड़
36. मैयाहार
37. चम्पा
38. जंजगीर

महाराष्ट्र

39. अमरावती
40. शहादा
41. नवपुर
42. कुरंडवाड़
43. संगोला
44. घाटनजी

मणिपुर

45. मोरेह

मिजोरम

46. आईजोल

नागालैंड

47. फेक

उड़ीसा

48. नीलगिरी
49. अत्थामलिक

पंजाब

50. मुखेरिया

राजस्थान

51. उदयपुर
52. बीकानेर

तमिलनाडु

53. पल्लीपलयम
54. हरूर
55. वल्लाजपेट
56. पल्लीकोडा
57. अंधियूर

त्रिपुरा

58. कुमारघाट

उत्तर प्रदेश

59. विलसी
60. मगहर
61. वंशी
62. फाफूंद
63. पल्लीयाकलॉन
64. मलिहाबाद
65. सहारनपुर
66. फैजाबाद
67. मानकपुर
68. तरहालगंज
69. टूंडला
70. अयोध्या

पश्चिम बंगाल

71. मेखलीगंज
72. सैंथिया
73. दिनहाटा
74. बदुरिया
75. हल्दीवाड़ी
76. धूलियन

अनुलग्नक–II

1997–98 के दौरान आई०डी०एस०एम०टी० के तहत शामिल कस्बों की सूची

आंध्र प्रदेश

1. मछलीपट्टनम

अरूणाचल प्रदेश

2. तेजू

असम

3. बारपेटा

गुजरात

4. अम्बाजी
5. मांडवी

हरियाणा

6. यमुना नगर
7. यहोवा

हिमाचल प्रदेश

8. रामपुर

कर्नाटक

9. शिमोगा

पंजाब

10. आनंदपुर साहिब
11. फतेहगढ़ साहिब
12. पट्टी

राजस्थान

13. सेलम्बर
14. देशंनोक

सिक्किम

15. सिंगतम

त्रिपुरा

16. सोनामुरा

अनुलग्नक–III

1998–99 के दौरान आई०डी०एस०एम०टी० के तहत शामिल कस्बों की सूची

आंध्र प्रदेश

1. करीम नगर
2. मछेरला

असम

3. गारीगांव

बिहार

4. मधेरपुरा
5. रक्सौल

गुजरात

6. दाकोर

हिमाचल प्रदेश

7. धर्मशाला

कर्नाटक

8. होसकोटे
9. गुदलूपेट

केरल

10. मूवट्टुपुजहा

मध्य प्रदेश

11. बालोड़
12. आस्था

महाराष्ट्र

13. गंगाखेड़
14. सिल्लोड़

उड़ीसा

15. पट्टागंडई

पंजाब

16. मुक्तसर

तमिलनाडु

17. सुरमपट्टी
18. ओड्डनछत्तीरम

त्रिपुरा

19. कमालपुर

उत्तर प्रदेश

20. कुशीनगर
21. उझानी
22. ननूआता
23. नवाबगंज

पश्चिम बंगाल

24. जोयनगर
25. दुबराजपुर

अनुलग्नक-IV

आई०डी०एस०एम०टी० के तहत 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान जारी केन्द्रीय सहायता तथा सूचित खर्च

(लाख रुपए में)

क्र०सं०	राज्य	1996-97		1997-98		1998-99	
		जारी के० सहा०	खर्च	जारी के० सहा०	खर्च	जारी के० सहा०	खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	490.18	453.06	164.62	1037.24	942.87	1379.14
2.	अरुणाचल प्रदेश	11.00	0.00	8.00	115.00	4.00	0.00
3.	असम	60.00	64.38	51.86	62.91	15.00	1.90
4.	बिहार	75.00	29.31	0.00	194.07	20.00	239.24
5.	गोआ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	176.97	392.52	362.55	528.67	167.95	828.17
7.	हरियाणा	10.00	42.48	22.00	0.00	128.00	106.62
8.	हिमाचल प्रदेश	15.00	26.70	15.00	137.01	26.00	153.30
9.	जम्मू व कश्मीर	73.50	193.54	19.00	87.44	70.00	162.51
10.	कर्नाटक	334.45	31.80	163.89	432.50	246.01	687.51
11.	केरल	44.75	310.66	232.41	167.54	110.63	244.24
12.	मध्य प्रदेश	116.35	148.02	207.91	105.11	416.42	353.28
13.	महाराष्ट्र	206.01	1086.09	556.23	1073.61	446.84	1708.42
14.	मणीपुर	49.50	78.18	20.00	19.61	10.50	14.00
15.	मेघालय	11.00	24.13	19.60	0.00	0.00	39.30
16.	मिजोरम	16.00	36.98	21.00	73.00	34.40	279.72
17.	नागालैंड	13.00	0.00	9.00	45.30	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	25.00	343.51	18.00	126.91	124.31	91.13
19.	पंजाब	50.00	75.84	39.00	44.52	53.00	86.91
20.	राजस्थान	130.00	323.88	162.90	391.23	187.31	419.90
21.	सिक्किम	6.00	0.00	12.00	0.00	0.00	69.75
22.	तमिलनाडु	45.90	208.65	119.10	310.22	172.73	367.59
23.	त्रिपुरा	39.00	0.00	17.00	63.79	16.00	57.01
24.	उत्तर प्रदेश	398.00	240.28	116.00	776.75	101.00	335.75
25.	पश्चिम बंगाल	195.40	264.21	116.50	336.21	191.97	336.59
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	दमन व दियू	0.00	0.00	10.00	0.00	8.00	0.00
29.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	पॉंडीचेरी	0.00	13.71	0.00	0.01	0.00	0.00
	योग	2592.01	4389.96	2601.50	6167.29	3535.00	7962.41

के०सहा० — केन्द्रीय सहायता

[हिन्दी]

डा० रामकृष्ण कुसमरिया : अध्यक्ष महोदय, छोटे और मझौले शहरों का समेकित विकास करने सम्बन्धी योजना केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई है। मैं इस प्रश्न के माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि छोटे और मझौले शहरों का किस प्रकार से चयन करके इनके विकास की योजना बनाई जाती है ? लोक सभा में जितने भी विराजमान सदस्यगण हैं, मेरे खयाल से किसी भी सदस्य को यह मालूम नहीं पड़ता कि किस शहर का चयन किया गया है और कैसी योजना चल रही है। इसलिए मेरा मंत्री जी से यह पूछना है कि शहरों के विकास और योजना के चयन के लिए क्या सांसदों की भागीदारी भी रखी जाएगी ?

[अनुवाद]

श्री जगमोहन : महोदय, यह योजना 1979-80 से चलाई जा रही है और उसके अन्तर्गत कुल 946 नगरों को शामिल किया गया है। यह भारत के कुल नगरों की संख्या का केवल 21 प्रतिशत है। अतः, सावधानीपूर्वक चयन किया जाना चाहिए। योजना में मानदण्ड निर्धारित हैं। यदि नगर जिला है तो उसे वरीयता दी जानी है। कुल जनसंख्या पांच लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह : हिन्दी में सवाल पूछा है तो हिन्दी में ही जवाब दें।

अध्यक्ष महोदय : हिन्दी में ट्रांसलेशन हो रही है।

श्री जगमोहन : मैं हिन्दी में जवाब दे देता हूं। उसमें यह है कि शहर की आबादी पांच लाख से ज्यादा न हो, प्रिफरेंस डिस्ट्रिक्ट टाउन हो, मंडी टाउन हो, पिलग्रिमीज टाउन हो, ग्रोथ सेंटर का पोटेंशियल हो और उसमें कोई और फेसिलिटी का पोटेंशियल हो, उसको प्राथमिकता दी जाती है। इसमें ये प्रिंसिपल्स तय हैं। इनके मुताबिक एक स्टेट कमेटी होती है जो अपनी अर्बन स्ट्रेटजी के मुताबिक उन टाउन्स की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाती है। उसके बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग आर्गेनाइजेशन को देती है। वह उस प्रोजेक्ट का इवेल्यूएशन करती है और अपने कमेंट्स के साथ वापस स्टेट को दे देती है। स्टेट उसमें इंस्टिट्यूशनल फाइनेंस लेती है और फाइनेंस क्रिएट करने के बाद टाउन को देती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस को लेकर जो बाकी अमाउंट होता है उसका 60 प्रतिशत केन्द्र सरकार और 40 प्रतिशत राज्य सरकार रिलीज करती है। जो सलेक्शन होता है उसमें सर्टन प्रिंसिपल्स आर प्रिस्क्राइब हैं। उसमें मोडल बॉडी बनी हुई है। अगर कोई संसद सदस्य किसी टाउन के बारे सुझाव देंगे तो मैं इसकी जांच कर रही समिति से इसपर अवश्य विचार करने को कहूंगा।

[हिन्दी]

डॉ० रामकृष्ण कुसमरिया : महोदय, इस योजना में जो शहर लिए गए हैं, उनके विकास के लिए राशि बहुत कम दी गई है। मेरे संसदीय क्षेत्र में तेंदूखेड़ा, पथरिया, हटा, हिन्दोरिया, अजयगढ़, देवेन्द्रनगर, अमानगंज, पवई, बकस्वाह, धुवारा, सटई, छोटे-मझोले क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों के विकास की अभी तक कोई योजना नहीं है। मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि वे इन शहरों को चयनित करके विकास में सहयोग प्रदान करें।

श्री जगमोहन : अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है, लेकिन उनको समझना चाहिए कि हमारे देश में 4,600 टाउन्स हैं। यह स्कीम चलने के बाद बीस सालों में करीब 946 के लगभग टाउन्स कवर हुए हैं। इसका मतलब है कि स्माल एंड मीडियम साइज टाउन्स नहीं हो सकते हैं। शहरों का सिलैक्शन करना पड़ता है। मध्य प्रदेश में 16 परसेंट टाउन्स कवर किए जा चुके हैं और बिहार में भी 16 परसेंट कवर हो चुके हैं। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं, सदन को समझना चाहिए कि अर्बन इंडिया की समस्या एक्यूट हो रही है और स्माल टाउन्स की समस्या भी बहुत खराब है तथा प्लान इलोकेशन भी बहुत थोड़ा रहता है। इस प्लान एलोकेशन पर चलेंगे, तो 140 साल सारे टाउन्स को कवर करने के लिए लगेंगे। इससे अन्दाजा लगा लीजिए कि कितना एलोकेशन है और कितनी बड़ी समस्या है। इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार के पास अर्बन रेवेन्यु सिटीज से 90 प्रतिशत आता है और सरकार का ग्रास-डोमैस्टिक-नेशनल-प्रोडक्ट 60 परसेंट शहर प्रोड्युस करते हैं, जो जी०डी०पी० का 0.6 परसेंट है तथा डिमान्ड और सप्लाई में प्रतिवर्ष 20 हजार करोड़ का अन्तर है। आप इससे मैग्निचूड लगाइए।

[अनुवाद]

सभा को इस विषय पर आधे घण्टे की चर्चा करनी चाहिए, जिससे कि इस समस्या का महत्व और गहनता सदस्यों को पता चल सके। आज भी नगरीय जनसंख्या के केवल 23 प्रतिशत को ही सफाई-सुविधाएं मिलती हैं और 28 प्रतिशत ठोस अपशिष्ट ही नष्ट हो पाता है।

[हिन्दी]

इसके अलावा 58 परसेंट पोटेबल वाटर सप्लाई है। समस्या बड़ी है और रिसोर्सेज बहुत थोड़े हैं। मैं चाहूंगा कि सदन इस पर विचार करे।

[अनुवाद]

पहली पंचवर्षीय योजना में कुल परिव्यय में से आठ प्रतिशत शहरी विकास क्षेत्र को दिया गया था। अब यह केवल दो प्रतिशत या तीन प्रतिशत है। यह आवण्टन कम होता जा रहा है जबकि समस्या बढ़ती जा रही है। इस योजना का आधारभूत प्रयोजन सभी नगरों का संतुलित और सौजन्यपूर्ण विकास करना था; न केवल बड़े या मझौले नगरों या छोटे नगरों को, अपितु समस्त जनसंख्या के वास्ते इस विकास को करना था।

श्री एन० जनार्दन रेड्डी : मैं माननीय मंत्री जी से इस योजना का ब्यौरा जानना चाहूंगा। किन क्षेत्रों में वह छोटे नगरों की सहायता करने जा रहे हैं ? क्या वह प्रत्येक संसद-सदस्य के निर्वाचन-क्षेत्र में कम से कम एक नगर को इस योजना में शामिल करने पर विचार करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : हां, यह बहुत अच्छा सुझाव है।

श्री जगमोहन : धनराशि की उपलब्धता हो तो मुझे बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है। मैं, मैंने जो कुछ कहा और माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया, उसे मैं राज्य सरकार को भेजूंगा। मैं पूरा-पूरा प्रयास करूंगा।

श्री एन० जनार्दन रेड्डी : वह अपने और मेरे बीच में राज्य सरकार को क्यों ला रहे हैं ? हम इसे सीधे हल कर सकते हैं।

श्री जगमोहन : यह राज्यों से संबंधित मामला है।

प्रो० ए०के० प्रेमाजम : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। कालीकट शहर को 1996-97 में आई०डी०एम०टी० योजना में शामिल किया गया था। पर सदन के समक्ष इस दिए गए संलग्नक में, इसका उल्लेख नहीं है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या अभी तक आई०डी०एस०एम०टी० योजना का कोई मूल्यांकन किया गया है।

श्री जगमोहन : चार या पांच समितियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर मूल्यांकन किया गया है। यह पाया गया है कि यह योजना पर्याप्त नहीं है। वित्त पूरी तरह अपर्याप्त है। जैसा मैंने पहले कहा है, वित्त इस सीमा तक अपर्याप्त है कि सभी नगरों के लिए इस योजना को पूरा करने में 140 वर्ष लगेंगे।

दूसरी बात यह है कि यह योजना हमारी नगरीय जनसंख्या, हमारे उन नगरों जिनकी जनसंख्या पांच लाख से चालीस लाख के बीच है, के एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्से को शामिल नहीं करती। बड़े शहरों के लिए योजना बनी है। छोटे और मझौले आकार के नगरों के लिए भी योजना है। परन्तु लगभग 45 नगरों में हमारी 21 प्रतिशत जनसंख्या को योजना में नहीं लिया गया है। इसी मुख्य कमी की बात की गई है।

एक अन्य बात यह है कि धनराशि, जैसा मैंने कहा, बहुत ही अपर्याप्त है। यहां तक कि यदि आप तीन लाख जनसंख्या वाले एक नगर की बात करें और केवल आधारभूत सुविधाएं जैसे पानी, मलनाली और सड़क ही उपलब्ध कराएं तो न्यूनतम खर्च 50 करोड़ रु० प्रति नगर बैठता है और नौवीं पंचवर्षीय योजना, अर्थात् चालू योजना में भी, पूरे भारत के लिए केवल 40 या 45 करोड़ रु० ही आवंटित किया गया है। जबकि केवल एक ही नगर में, तीन लाख लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए, 50 करोड़ रु० की आवश्यकता होगी। इसीलिए, ये कमियां, अपर्याप्त धनराशि, योजना का सीमित स्वरूप और अनुपात की संगतता जरा कठोर दिखाई देते हैं। हम इसे नरम करने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले ही मध्य जनवरी में राज्यों के मंत्रियों की एक बैठक बुलाई है और हम निश्चय ही इन सभी बातें पर विचार करेंगे।

एक और महत्वपूर्ण कारक जिसकी बात की गई है। जिससे हम पूरी तरह परिचित हैं, वह है संस्थानिक वित्त जुटाने की स्थानिक निकायों की सीमित क्षमता। यह क्षमता अभी नहीं है। यदि संस्थाएं धन देना चाहती भी हैं, तो धन जुटाने की उनकी क्षमता नहीं है। अतएव, जो सुधार कार्यक्रम मैं चाहता हूं उनमें से एक यह है कि स्थानिक निकायों में इस क्षमता को सृजित करने का है, उनके आंतरिक प्रशासन, लेखा-प्रणाली और भू-प्रणाली को सुधारने का है। जिसमें उनके पास पर्याप्त धन या कुछ संसाधन जुट सके जिन्हें गिरवी, रखकर वे संस्थानिक वित्त से पैसा प्राप्त कर सकें। कुछ राज्य बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश बढ़िया कार्य कर रहा है। गुजरात अच्छा कर रहा है। कर्नाटक अच्छा कर रहा है, तमिलनाडु बढ़िया कर रहा है। लेकिन कुछ अन्य राज्य संस्थानिक वित्त जुटाने में सफल नहीं हो सके क्योंकि उन्होंने अपने स्थानीय निकायों को समुचित रूप से लैस नहीं किया था। उनमें से कुछ में तो उनके स्थानीय निकायों के चुनाव भी नहीं हुए हैं।

श्री अर्जुन सेठी : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकारों द्वारा केंद्रीय स्तर पर किए गए व्यय की समीक्षा करने की क्या प्रणाली है ? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसका अन्तर पहले ही दिया जा चुका है।

श्री अर्जुन सेठी : राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय स्तर पर किए गए व्यय की समीक्षा करने की रीति बताएं ताकि जो भी अग्रिम धनराशि राज्यों को दी जाती है, राज्य उसका समय पर उपयोग कर सकें।

श्री जगमोहन : जैसाकि मैं पहले कह चुका हूं, पूर्व-लेखा परीक्षा की प्रक्रिया मौजूद है और यह काम समीक्षा मूल्यांकन समिति करती है। स्थायी संसदीय समिति ने भी इसकी जांच की है। राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा करने के लिए टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग आर्गेनाइजेशन है। राशि जो तीन चरणों में जारी की जाती है 33 प्रतिशत है। यदि राज्य योजना का कार्यान्वयन नहीं करता तो अगली किस्त जारी नहीं की जाती। इसलिए, राज्य सरकार पर योजना के कार्यान्वयन के लिए दबाव बना रहता है। अब तक, हम यह सुनिश्चित कर सके हैं कि योजना में कोई कमी न आए। यदि कहीं कमी पाई जाती है तो हम इसे अगले वर्ष तक बढ़ाने की अनुमति देकर इसका कार्यान्वयन कराते हैं।

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदय, मेरा भी यही प्रश्न है परन्तु मैं इसे दूसरी तरह से पूछना चाहता हूं।

हम बहुत से नगरों को इस आई०डी०एस०एम०टी०, योजना के अन्तर्गत लाने पर विचार करते रहे हैं।

केंद्र से निधियां जारी की जा रही हैं और इतनी ही निधियां राज्य सरकारें लगाएंगी। हमारा तो यह अनुभव रहा है कि अधिकांश नगरों में जहां योजनाएं विचाराधीन हैं या शुरू की गई हैं, वे समय पर पूरी नहीं होतीं। अधिकांश मामलों में विलम्ब के कारण लागत बढ़ जाती है। केंद्र सरकार भी दूसरी किस्त जारी करने के लिए केवल उपयोगिता प्रमाणपत्र की मांग करती रही है। इस प्रकार, हम इस बात पर जोर नहीं दे रहे कि योजना किसी विशेष समयावधि में ही पूरी की जाए। आई०डी०एस०एम०टी० के तहत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने हेतु निरन्तर समीक्षा के लिए क्या कोई तंत्र विकसित किया जा सकता है, जिससे और अधिक नगरों और क्षेत्रों को इस योजना के तहत लाया जा सके।

पांच लाख से कम आबादी का विशेष मापदण्ड होने के कारण पिछले 20 वर्षों में चार हजार छह सौ नगरों में से केवल 946 नगरों में यह योजना लागू की जा सकी है और इस दर से सभी शहरों को योजना में शामिल करने में 100 वर्ष और लगेंगे। तो क्या यह सम्माननीय सदन नगरों पर व्यय के तेजी से बढ़ते दबाव के मद्देनजर और अधिक आबंटन और समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करने संबंधी संकल्प पारित कर सकता है ?

श्री जगमोहन : महोदय, मैं कह चुका हूं कि समस्या की गंभीरता को देखते हुए सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, हम इस मामले पर आधे घंटे की बहस चाहते हैं।

श्री जगमोहन : महोदय, इस विषय पर आधे घंटे की बहस स्वागतयोग्य होगी। जहां तक माननीय सदस्य के दूसरे मुद्दे का सवाल है, कार्य प्रगति की निगरानी के लिए कंट्री एण्ड टाउन प्लानिंग आर्गेनाइजेशन है।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले पर आधे घंटे की चर्चा की जाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय खेल

*222. **डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह :** क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रदर्शन अन्य देशों की तुलना में उच्च स्तर का नहीं रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है; और

(ग) भारत के खेलों के स्तर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं या उठाने का प्रस्ताव है ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) यद्यपि कतिपय खेल विधाओं में भारत का खेलों में प्रदर्शन उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय स्तरों तक नहीं पहुंचा है, फिर भी, वर्ष 1998 में हुए पिछले राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों तथा 1999 में हुए दक्षिण एशियाई परिसंघ खेलों में इस दिशा में महत्वपूर्ण सुधार हुआ था। देश ने एशियाई खेल, 1998 में हाकी (पुरुष) में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। अभी हाल ही में, टेनिस में, श्री लिएण्डर पेस और श्री महेश भूपति ने विम्बलडन टेनिस चैंपियनशिप और फ्रेंच ओपन टेनिस चैंपियनशिप में दो ग्रैण्ड स्लैम जीते थे।

(ख) प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं के पश्चात्, भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है ताकि विभिन्न खेल विधाओं के संबंध में आगे उपयुक्त कदम उठाये जा सकें।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन में सुधार लाने की दृष्टि से, निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :—

(1) सरकार की नीति और ओलंपिक चार्टर के अनुसार, सरकार द्वारा, संबंधित खेल विधाओं के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघ, मुख्यत: इन खेल-विधाओं के संवर्धन के लिए उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रीय खेल परिसंघों ने भारतीय खेल प्राधिकरण के परामर्श से, अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए दीर्घकालीन विकास योजनाएं (एल०टी०डी०पी०) तैयार की हैं। राष्ट्रीय खेल परिसंघों को, राष्ट्रीय टीमों में शामिल खिलाड़ियों के लिए, भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से, भारतीय और विदेशी प्रशिक्षकों की मदद से, प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने तथा अपेक्षित उपस्कर और वैज्ञानिक समर्थन की व्यवस्था करने में मदद की जा रही है।

(2) परिसंघों को राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिपें आयोजित करने और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में सहभागिता के लिए खिलाड़ियों को भेजने में भी सहायता दी जाती है।

(3) होनहार खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और कौशल-उन्नयन के लिए (5.00 लाख रुपये तक प्रति वर्ष) की सहायता का पैकेज दिया जा रहा है। विशेषज्ञताप्राप्त प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सहायक कार्मिकों जैसे, प्रशिक्षकों और खेल वैज्ञानिकों को भी सहायता दी जा रही है।

(4) सिंथेटिक परतें बिछाने सहित खेल अवस्थापना के सृजन में सहायता प्रदान की जा रही है।

(5) खिलाड़ियों को और अधिक प्रेरित करने की दृष्टि से, पुरस्कार और प्रोत्साहन प्रदान किये जाते हैं; पुरस्कारों की राशि काफी बढ़ा दी गई है।

(6) खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने तथा खिलाड़ियों के लिए रोजगार संबंधी उपायों पर विचार करने/बैंकों से ऋणों के प्रावधान के संबंध में विभागों (युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के अलावा अन्य) से आग्रह किया जा रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न खेल से संबंधित है। अत: अन्य लोगों के स्थान पर केवल खिलाड़ी ही अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष जी, हिंदुस्तान 100 करोड़ की आबादी का देश है और हमारे देश में पहले से ही खेलों का महत्व रहा है और हम उच्च शिखर पर रहे हैं। हमारा पुराण कहता है कि भगवान कृष्ण गेंद से खेला करते थे और उनके बड़े भाई बलराम भी मलयुद्ध के प्रवर्तक थे। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय खेल जगत में उच्चतम शिखर पर जाने से हम क्यों पिछड़ जाते हैं और हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय जगत में पुरस्कार पाने में असफल क्यों रह जाते हैं ? कबड्डी में हम पहले नवम्बर पर रहते थे, हम क्रिकेट की बात नहीं पूछ रहे हैं।

श्री अनन्त कुमार : मान्यवर अध्यक्ष जी, पिछले एक साल से हमने अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं।

1994 के एशियाई खेल में हमने केवल 23 पदक जीते थे लेकिन गत वर्ष हमें 35 पदक प्राप्त हुए तथा हाकी की टीम ने 32 वर्षों के अंतराल के पश्चात् स्वर्णपदक जीता। मैं माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त किये गये इस विचार से सहमत हूं कि हमें अपने स्तर में सुधार करना चाहिए। इसीलिए हम राष्ट्रीय खेल नीति पर अमल कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करें और इस संबंध में मैं माननीय सदस्यगण द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत करता हूं।

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने खेल नीति की भी चर्चा की। खेल में कम से कम स्थान और खेल की सामग्री इन दोनों चीजों का होना आवश्यक है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वह खेल नीति में क्या सुधार करना चाहती है, क्या सरकार केवल शहरों और बड़ी-बड़ी जगहों पर ही स्टेडियम और खेल के प्रशिक्षण की सुविधा रहने देना चाहती है। जबकि हमारे देश में असली प्रतिभा गांवों, पंचायतों और ब्लाक स्तरों पर है। मैं जानना चाहता हूं कि वहां खेल की सामग्री, स्थान और प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार की क्या नीति है, ताकि हमारे गांवों के लोग अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके दुनिया में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकें। यही मेरा प्रश्न है।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार : गत वर्ष हमने ग्रामीण स्तर पर विभिन्न छात्रवृत्तियों के लिए 0.24 करोड़ रुपये दिए थे; अखिल भारतीय स्तर पर हमारे खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति दी गई है तथा राज्य स्तर पर लगभग 3400 फेलोशिप दिए गए हैं। इस वर्ष ग्रामीण खेलकूद कार्यक्रमों को चलाए जाने हेतु 0.21 करोड़ रुपए की धनराशि को बढ़ाकर 1.25 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

खेलों के विकास हेतु गैर सरकारी क्षेत्र से धन जुटाए जाने की व्यवस्था ही एकमात्र तरीका है। इसके लिए गत वर्ष भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेलकूद विकास निधि के रूप में नया प्रस्ताव लाया गया और उसमें भारत सरकार द्वारा 2 करोड़ रुपए की समग्र निधि दी गई है।

ओलम्पिक खेलों में 29 प्रकार के विभिन्न खेल स्पर्धा आयोजित की जाती हैं। हम एक आई०सी०सी०आई०, ए०एस०एस०ओ०सी० चेम तथा सी०आई०आई० जैसे विभिन्न व्यापारिक संगठनों से संपर्क कर रहे हैं ताकि सभी लोकप्रिय खेलों हेतु खेलकूद एकादमी स्थापित करने हेतु गैर सरकारी क्षेत्र से धनराशि प्राप्त हो सके और खिलाड़ियों को वांछित प्रोत्साहन दिया जा सके।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि विश्व भर में कतिपय खेलों में मैडल प्राप्त करने हेतु इनके प्रति पेशावर तरीका अपनाया जा रहा है ऐसे मामले में हमें पेशेवर प्रशिक्षकों की आवश्यकता है जिनका वेतन कम से कम 10,000 डालर प्रतिमाह होनी चाहिए।

महोदय, भारत सरकार द्वारा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने हेतु ऐसे सक्षम प्रशिक्षकों के लिए संसाधन जुटाना असंभव है। फुटबाल के लिए मैंने विचार-विमर्श करने का प्रयास किया है। अब मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यदि प्रशिक्षण तथा खेल संबंधी परियोजनाओं को प्रायोजित करने के लिए कंपनिया, आगे आये तो क्या उस स्थिति में सरकार इन्हें पूर्ण कर की छूट प्रदान किए जाने पर विचार करेगी। अन्यथा संसाधनों को जुटाना कठिन है।

पिछले 100 से अधिक वर्षों में पहली बार हमने पेशेवर खिलाड़ी, के रूप में एक फुटबाल खिलाड़ी बाइचुंग भूटिया को इंग्लैण्ड भेजा है। अन्य दो अभी जा रहे हैं। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमारे पास सक्षम विदेशी पेशेवर प्रशिक्षक नहीं हैं जो मासिक वेतन के तौर पर 10,000 डालर से कम नहीं लेते। यदि सरकार इस पर ध्यान दे तो इन खेल परिसंघों के लिए अच्छी खासी आय का अर्जन करके पेशेवर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। क्या, मंत्री जी इस पर विचार करेंगे ?

श्री अनंत कुमार : मैं अपने प्रिय सहयोगी श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी को उनके खेल-प्रेम के लिए बधाई देता हूं। हाल ही में वे प्रधानमंत्री जी को भी एक फुटबाल प्रतियोगिता आरम्भ कराने हेतु फुट-बाल पर किक लगाने के लिए ले गए थे। राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना का विचार खेल अकादमियों की स्थापना, विकासात्मक अनुसंधान, खेल विज्ञान में विकास और खेलों के लिए विभिन्न अत्याधुनिक उपस्कर और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए निजी वित्तपोषण को आकृष्ट करने हेतु आया है। निजी पार्टियों से इस प्रकार के संसाधन जुटाने के लिए मैंने आयकर में 100 प्रतिशत छूट और करों में विभिन्न छूटों के मामले को उठाया है। हम इस पर सक्रियता से विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान मूल विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं पिछली बार जब ओलम्पिक खेल विश्व के पैमाने पर हो रहे थे तो उस समय भी 1996 की लोक सभा का सत्र यहां चल रहा था।

अध्यक्ष महोदय, हम लोगों की पूरे विश्व के सामने जो प्रतिष्ठा बनी, पिछले वर्ष ओलम्पिक खेलों में हमने केवलमात्र एक ब्रौंज मैडल लिया, जिससे हमारी प्रतिष्ठा पूरी तरह से गिरी। अगले वर्ष सिडनी में ओलम्पिक गेम्स होने प्रस्तावित हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह

जानना चाहता हूं कि हमारे खिलाड़ी और हमारी सरकार अगले वर्ष के ओलम्पिक खेलों में भाग लेने के लिए किस प्रकार से तैयार कर रही है और वहां हम सफलता प्राप्त करें इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार : महोदय, सिडनी ओलम्पिक भारतीय खिलाड़ियों के दल के लिए भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हमने मुक्केबाजी, निशानेबाजी, भारोत्तोलन और विशेषकर एथलेटिक्स में – महिलाओं की 4×400 मीटर रिले, पुरूषों की 4×400 रिले, 800 मीटर और 1500 मीटर की दौड़; शाटपुट, चक्का फेंक आदि जैसी विभिन्न स्पर्धाओं में अपने खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के 12 प्रशिक्षकों और 50 भारतीय प्रशिक्षकों की सेवाएं पहले ही प्राप्त कर ली हैं। ये प्रशिक्षक पटियाला और बंगलौर में मार्च, 1999 से विभिन्न शिविरों में काम कर रहे हैं।

यही नहीं, मैंने निर्णय किया है कि टीमों द्वारा पूर्व-योग्यता प्राप्त कर लेने के बाद मैं सिडनी ओलम्पिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से एक-एक करके बात करूंगा ताकि असल समस्या को समझ सकूं। मैं पूरी सभा को इस बात पर विश्वास में लेना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में खेलकूद का विकास खेल विज्ञान के रूप में किया जा रहा है जबकि हमें इसके बारे में अभी बहुत कुछ करना है। हमें अधिक से अधिक महिलाओं को खेलों की ओर लाने, विकलांग खिलाड़ियों पर विशेष ध्यान देने और ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों पर विशेष जोर देने के लिए एक व्यापक आधार वाली राष्ट्रीय खेल नीति की आवश्यकता है। इसके बाद हमें अपने खेल उपस्करों और बुनियादी ढाँचे का उन्नयन और आधुनिकीकरण करना होगा। हमें खेलकूद में अनुसंधान की आवश्यकता है। तभी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठता प्राप्त कर सकते हैं। हम प्रयासरत हैं, इस दिशा में पहला कदम उठाया जा चुका है।

डा० (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला खिलाड़ियों, विशेषकर महिला तैराकों के बारे में भेदभाव के आरोप हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय खेलों में नहीं भेजा जाता। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या यह सही है।

पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी लोक नायक बन गए हैं और बहुत सम्पन्न भी हैं। सरकार महिला क्रिकेट की उपेक्षा क्यों कर रही है ?

श्री अनंत कुमार : सरकार ने किसी की उपेक्षा नहीं की है। सरकार ने पुरुष और महिला दोनों को समान प्रोत्साहन दिया है। यह प्रश्न जनता के समक्ष रखा जाना चाहिए। यदि माननीय सदस्य महिला खिलाड़ियों के साथ अन्याय के किसी मामले की सूचना दें तो मैं उसकी जांच करवाऊँगा।

डा० (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा : महिला क्रिकेट के बारे में क्या कहेंगे ? *(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु : महोदय, माननीय मंत्री जी ने काफी कुछ कहा है। पता नहीं वे क्या-क्या कार्रवाई करेंगे। यहां प्रतिभा तो उपलब्ध है लेकिन हमारे युवाओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने की समस्या है। मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि क्या वे सांसदों की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की धनराशि में से 50-50 प्रतिशत के आधार पर उनके अपने चुनाव क्षेत्रों में एक बहुद्देशीय खेल परिसर की स्थापना हेतु विचार करेंगे ?

श्री अनंत कुमार : महोदय, यह अच्छा सुझाव है। अगर हमें 50 प्रतिशत धनराशि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से और कुछ सहायता राज्य सरकार से मिल जाए तो बेहतर होगा *(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु : कम से कम वे इस पर सहमत तो हों। संसद सदस्य दलगत बातों से ऊपर उठकर 50 प्रतिशत 'एम०पी० लाड' धनराशि का योगदान करने को तैयार हैं। क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है।

श्री अनंत कुमार : जब मुझे यह सुझाव दिया जाएगा तो मैं इस पर विचार करूंगा।

[हिन्दी]

श्री उत्तमराव ढिकले : अध्यक्ष महोदय, ऐसा कहा जाता है कि जितने ज्यादा खेल मैदान, उतने ही कम अस्पताल। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि हमारे गांवों में ही नहीं, बड़े शहरों में भी मैदान नहीं हैं, इसलिए सरकार के सामने छोटे शहर हों या बड़े, कुछ मैदान रखने की, जमीन के रिजर्वेशन की कुछ योजना है या नहीं, यह मेरा पहला सवाल है ? दूसरा, जो बच्चे यूनिवर्सिटी में खेलते हैं, देश स्तर तक खेलते हैं और परदेश में खेलते हैं, उनके लिए रिक्रूटमेंट में कुछ आरक्षण होगा या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार : महोदय, क्या वे अपने प्रश्न का दूसरा भाग दोहरा सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है ?

[हिन्दी]

श्री उत्तमराव ढिकले : हमारे देश में बहुत से बच्चे खेलते हैं, यूनिवर्सिटी में खेलते हैं, देश स्तर पर खेलते हैं, कई बच्चे विदेश में भी खेलने के लिए जाते हैं, पर रिक्रूटमेंट के वक्त नौकरी लगते वक्त यह स्पोर्ट्समेन है, इसको प्रधानता, प्रायरटी देनी चाहिए, स्टाफ रिजर्वेशन में ऐसा कोई प्रोवीजन है क्या ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे खेल कोटा के अंतर्गत आरक्षण के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री अनंत कुमार : पहले प्रश्न के बारे में बात यह है कि संबंधित भूमि राज्य सरकार और अन्य विभिन्न निकायों की है। इसलिए अगर आवश्यकतानुसार भूमि उपलब्ध कराई जाए तो केन्द्र सरकार खेल विभाग के माध्यम से वहां स्टेडियमों के निर्माण पर विचार कर सकती है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सभी राज्य सरकारें निजी बिल्डरों को अतिक्रमण हेतु बढ़ावा दे रही हैं अत: पूरा मामला ही समाप्त हो जाता है। आपको कोई कानून लाना चाहिए। प्रमोटर और बिल्डर ही सारा अतिक्रमण कर रहे हैं।

श्री अनंत कुमार : दूसरे, रोजगार में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के बारे में जो भी हम कर सकते हैं, करेंगे।

सरदार बूटा सिंह : महोदय, पिछले 40 वर्षों के दौरान ओलम्पिक खेलों में भारत को एक भी पदक हासिल नहीं हुआ। मुझे खुशी है कि ओलम्पिक आंदोलन के नेता श्री ढींडसा यहां मौजूद हैं और श्री अनंत कुमार भी मूलत: एक खिलाड़ी हैं।

ओलम्पिक खेलों में हम आज कहीं नहीं हैं। राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों और दक्षेस खेलों में हम करीब-करीब सबसे निचले स्तर पर हैं। भारत ने इनमें जो पदक प्राप्त किए हैं, वे नगण्य हैं। मुझे पड़ोसी देशों के बारे में बतलाने की आवश्यकता नहीं है। वे हमसे काफी आगे निकल गए हैं। हम हॉकी, एशियाई कुश्ती और कबड्डी जैसे देशी मूल के खेलों में भी आज कहीं नहीं हैं।

श्री राजीव गांधी के समय में एक राष्ट्रीय खेल नीति थी, जिसका जोरदार ढंग से पालन किया जाता था और इसका लाभ हमें हमने नौवें एशियाई खेलों के रूप में देखने को मिला। दुर्भाग्य से मैं नहीं जानता विभाग को कितने भागों में बांट दिया गया है। माननीय मंत्री जी यहां मौजूद हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन सुधारने के लिए वास्तव में क्या नीतियां बनाई गई हैं। हमारे यहां केवल चार फीडर्स हैं — रेलवे, डाक और तार, रक्षा और विश्वविद्यालय। जैसाकि डा० रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा है खिलाड़ी गांवों में रहते हैं। आदिवासी हैं जो जन्मजात खिलाड़ी हैं। उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कृपया एक सही राष्ट्रीय खेल नीति लाएं, और यदि आप के पास ऐसी कोई नीति है तो सदन को विश्वास में लें। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि अगले ओलम्पिक और एशियाई खेलों में अधिकाधिक पदक लेने के लिए उनकी क्या योजनाएं हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, यहां क्रिकेट है। लेकिन हमने क्रिकेट का भी भविष्य देखा है। केवल इसी खेल की फेडरेशन ऐसी है जो सुचारू कार्य कर रही है।

लेकिन भारत सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि ओलम्पिक और राष्ट्रमंडल खेलों के स्तर पर भारतीय खिलाड़ियों को लाने के लिए उनकी क्या योजना है।

श्री अनंत कुमार : महोदय, ओलम्पिक खेलों के सम्बंध में मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि हमें इसके लिए बहुत कुछ करने और हमें अपनी पदक तालिका में वृद्धि करने की आवश्यकता है।

लेकिन जहां तक विभिन्न अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का सम्बंध है। 1988 के गत एशियाई खेलों में हमने अपनी पदक तालिका 23 से बढ़कर 35 तक की है। यह काफी सुधार है।

सरदार बूटा सिंह : हम चैम्पियन थे।

श्री अनंत कुमार : दक्षिण-एशियाई संघ खेलों में जो एस०ए०एफ० खेल होते हैं। हम 197 पदक हासिल कर सर्वश्रेष्ठ रहे।

श्री शरद पवार : क्या आप इससे खुश हैं।

श्री अनंत कुमार : श्री शरद पवार जी हम इससे खुश नहीं हैं; हममें से कोई भी इससे खुश नहीं है। लेकिन कम से कम मैं माननीय सदस्य की भावनाओं को सही करना चाहता हूं कि इससे पूर्व हुई एस०ए०एफ० खेलों में अनेक पदक प्राप्त किए थे जबकि अब उसी खेल में, हम अपनी पदक तालिका में प्रथम स्थान पर हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, माननीय सदस्य ये पूछ रहे हैं कि क्या खेलों में सुधार करने के लिए कोई खेल नीति है अथवा नहीं।

श्री अनंत कुमार : महोदय, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं लेकिन मैं सही कर रहा हूं ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : समय भी बहुत कम है।

श्री अनंत कुमार : 1993 में 139 पदकों से हम 1999 में एस०ए०एफ० खेलों में 197 पदकों पर आ गए हैं। क्या यह संतोषजनक नहीं है। हम संतुष्ट नहीं हैं और उससे कोई भी संतुष्ट नहीं है। नई खेल नीति आने वाली है। खेल नीति की मुख्य विशेषताएं खेलों को व्यापक प्रसार और अनुसंधान और विकास सुविधाओं के माध्यम से खेल विज्ञान में उत्कृष्टता हासिल करना है। न केवल यही, इन सब चीजों को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम खेल अकादमियों की निजी-सार्वजनिक भागीदारी सहित स्थापना करने, उन पर कर छूट देना है।

कुपोषण के शिकार लोग

\+

223. श्री शंकर सिंह वाघेला :
श्री अजित सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कुपोषण की शिकार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) देश में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) से (ग) एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) राष्ट्रीय पोषण मॉनीटरिंग ब्यूरो द्वारा किए गए सर्वेक्षण, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण और इण्डिया न्यूट्रीशन प्रोफाइल, 1998 द्वारा किए गए सर्वेक्षण से यह स्पष्ट है कि देश में कुपोषण/अल्पपोषण की समस्या काफी व्याप्त है। अल्पपोषण के सर्वाधिक असुरक्षित वर्ग में स्कूल जाने के पूर्व की आयु वाले बच्चे हैं।

इण्डिया न्यूट्रीशन प्रोफाइल, 1998 के अनुसार स्कूल जाने के पहले की आयु वाले बच्चों और वयस्कों में कुपोषण की व्यापकता निम्नलिखित है—

स्कूल जाने के पहले की आयु वाले बच्चों में कुपोषण — 49.2 प्र०श०

वयस्कों में ऊर्जा की चिरकालिक कमी—

पुरुष	—	28.6 प्र०श०
महिला	—	36.3 प्र०श०

(ग) भारत सरकार ने वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पोषण नीति को अपनाया जिसमें कुपोषण की समस्या को नियंत्रित करने और लोगों के पोषण में सुधार लाने के लिए बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण की वकालत की गई। राष्ट्रीय पोषण नीति में अल्पावधिक/प्रत्यक्ष उपाय और दीर्घावधिक/अप्रत्यक्ष उपाय शामिल हैं। पोषण पर एक राष्ट्रीय कार्ययोजना तैयार की गई जो पोषण नीति में परिकल्पित उपायों को कार्यरूप देने में एक ढांचे के रूप में काम करेगी। राष्ट्रीय पोषण नीति में पोषण-संवर्द्धन हेतु सरकार के 14 विभागों/मंत्रालयों की भूमिका का पता लगाया गया।

लोगों की पोषणिक स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए विभिन्न उपाय निम्नलिखित हैं—

- बढ़ा हुआ कृषि उत्पादन,
- आय उत्पन्न करने वाली योजनाओं के माध्यम से लोगों की क्रयशक्ति में सुधार लाना,
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राजसहायता प्राप्त कीमत पर आवश्यक खाद्य सामग्री की उपलब्धता,
- जागरूकता बढ़ाने और स्तनपान को बढ़ावा देने सहित पोषण के तरीकों में वांछित परिवर्तन लाने के लिए पोषण संबंधी शिक्षा अनुपूरक आहार कार्यक्रम जैसे (I) एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई०सी०डी०एस०) योजना (II) विशेष पोषण कार्यक्रम (एस०एन०पी०), (III) बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम (बी०एन०पी०), (IV) गेहूं आधारित/अनुपूरक पोषण कार्यक्रम (V) दोपहर के भोजन का कार्यक्रम इत्यादि।

विशिष्ट पोषक अल्पता विकारों को रोकने के लिए कार्यक्रम जैसे कि प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, विटामिन "ए" अल्पता के कारण दृष्टिहीनता और आयरन की कमी के कारण होने वाली पोषणिक रक्ताल्पता को रोकने के लिए रोग निरोधन (प्रोफाइलेक्सिस) कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं और सुक्ष्म पोषकों की कमी के कारण होने वाले कुपोषण के नियंत्रण के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं भी चल रही हैं।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला : अध्यक्ष महोदय, यह कोई टेक्नीकल प्रश्न नहीं है, मानवता का सवाल है। मंत्री जी ने 1998 के आंकड़े दिए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार पिछले तीन साल के आंकड़े दे। हमारे यहां बच्चों का 50 प्रतिशत और एडल्ट की क्रोनिक एनर्जी डेफिसिट 66 प्रतिशत है। दुनिया में युनाइटेड नेशन्स ह्यूमन डवलपमेंट इनडैक्स में भी हिन्दुस्तान का नम्बर जीवन की जरूरी चीजों में आखिरी है। सोशल सर्विस में भी और जीवन रेखा के नीचे जाने वालों में भी आखिरी नम्बर है। इस चीज पर देश को शर्म आनी चाहिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मुझे इसे सही करने दें, यह पूरी जिम्मेदारी है। निश्चय ही, सरकार को इस पर ध्यान देना है; लेकिन यह राष्ट्र की पूरी जिम्मेदारी है।

[हिन्दी]

सबकी जिम्मेदारी है। सरकार की इसमें विशेष जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके हाथ में सब कुछ है। आपने जो आंकड़े दिए हैं, हम चाहते हैं कि पिछले तीन साल के आंकड़ों के बारे में बताएं. जिसमें यह पता चले कि मरने वाले लोगों का कितना प्रतिशत है ? शहरी और ग्रामीण का ब्रेक-अप क्या है ?

[अनुवाद]

श्री एन०टी० षणमुगम : महोदय, यद्यपि स्कूलपूर्व बच्चों में ज्यादा कुपोषण बना हुआ है, पिछले दो दशकों से भी ज्यादा समय से अत्यधिक कुपोषण के स्तर में तेजी से गिरावट आई है; वर्ष 1975-79 में यह 15 प्रतिशत था और 1994 में यह 5.4 प्रतिशत था।

श्री शंकर सिंह वाघेला : मैं केवल पिछले तीन वर्षों की जानकारी चाहूंगा। मैं भूत में नहीं जाना चाहता।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें पूरा करने दें।

श्री एन०टी० षणमुगम : फ्लोरिड के रूप में कुपोषण (प्रोटीम ऊर्जा कुपोषण) काफी कम हो गया है और अब शायद ही दिखता है।

इसी तरह, वयस्कों में, ऊर्जा की क्रोनिक कमी (सी०ई०डी०) में वर्ष 1975-79 में 51.8 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 1994 में 47 प्रतिशत रह गयी है।

इसी तरह, विटामिन 'ए' की कमी से होने वाला अंधापन जो वर्ष 1975 में 2 प्रतिशत था, वह वर्ष 1998-99 में घटकर 0.04 प्रतिशत रह गया।

श्री शंकर सिंह वाघेला : मैं केवल पिछले तीन वर्षों का आंकड़ा जानना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि वे इन सबका विवरण दें। ये आंकड़े किसी काम के नहीं हैं। वे पिछले 20 वर्षों के बारे में बता रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पिछले तीन वर्षों का ही आंकड़ा जानना चाहते हैं। क्या आपके पास आंकड़े हैं ? यदि नहीं, तो आप माननीय सदस्य को बाद में आंकड़े उपलब्ध करा सकते हैं।

श्री एन०टी० षणमुगम : महोदय, मैं माननीय सदस्य को आंकड़े उपलब्ध करा दूंगा।

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया : महोदय, इस विषय पर आधे घन्टे की चर्चा करिए, क्योंकि देश के करोड़ों लोगों का सवाल है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सदन में आप कितने हाफ-एन-आवर डिसकस करेंगे। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह वाघेला (कपड़वंज) : महोदय, यह टैक्नीकल बात नहीं है। डिटेल में जाना चाहिए।

[अनुवाद]

महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में जनसंख्या के पोषण स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों का उल्लेख किया है। इनमें पहला उपाय कृषि उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। क्या यह उनके विभाग के नियंत्रण में है ? दूसरा उपाय है — आय-उपार्जन योजनाओं द्वारा लोगों की क्रयशक्ति को बढ़ाना। क्या यह उनके विभाग के अधीन है ? तीसरी बात कम मूल्य पर आवश्यक खाद्य सामग्री की उपलब्धता।

[हिन्दी]

सरकार चीनी ले रही है। गेहूं मंगा रही है और चावल नहीं दे रही है। इनकी उपलब्धता के लिए आप क्या करेंगे। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

तो महोदय, अगला उपाय है :—

स्तनपान को बढ़ावा देने सहित जागरूकता बढ़ाने और बच्चों को भोजन देने में अपेक्षित बदलाव लाने के संबंध में पोषण संबंधी शिक्षा प्रदान करना। महोदय, यह तो मजाक है।

[हिन्दी]

यह सवाल आपका नहीं है। आप क्या सिखाने वाले हैं। दुनिया भर में यह होता रहता है। इसके अलावा जितने भी सप्लीमेंट्री फिडिंग प्रोग्राम आपके हैं,

[अनुवाद]

ठीक यही मामला आई०सी०डी०एस०, एस०एन०पी०, आदि के साथ है *(व्यवधान)* क्या यह सब उनके विभाग के अंतर्गत आता है कि वे इन सबका जवाब दे रहे हैं ? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना पूरक प्रश्न पूछें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी सीट पर बैठें। मैं आपका संरक्षण कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वाघेलाजी, आपका पूरक प्रश्न क्या है ?

श्री शंकर सिंह वाघेला : महोदय, मैं अपने दूसरे पूरक प्रश्न में माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या ये सब उनके मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में हैं। क्या वे इन सब उपायों को लागू करने जा रहे हैं जिनका उल्लेख उन्होंने अपने उत्तर में किया है ?

श्री एन०टी० षणमुगम : महोदय, राष्ट्रीय पोषण नीति, 1993 को अपनाकर और पोषण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में पोषण संबंधी राष्ट्रीय कार्ययोजना, 1995 बनायी गयी है। कार्ययोजना सरकारी एजेंसियों, राज्य सरकार की इकाइयों, गैर सरकारी संगठनों आदि के बीच व्यवस्थित सहयोग को स्पष्ट करता है ··· *(व्यवधान)*

श्री शंकर सिंह वाघेला : महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। यदि मंत्री महोदय उत्तर देने के लिए तैयार हैं, यदि उन्होंने इस संबंध में कोई गृहकार्य नहीं किया है तो उन्हें अपना उत्तर मुझे भेजने दें ··· *(व्यवधान)*

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनंत कुमार): महोदय, यह उचित नहीं है, ··· *(व्यवधान)*

श्री एन०टी० षणमुगम : महोदय, मैं माननीय सदस्य के प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं ··· *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दें। यह अच्छा नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। मंत्री उत्तर दे रहे हैं।

श्री एन०टी० षणमुगम : महोदय, पोषण योजना कई मंत्रालयों से अंतर्संबंधित है जिनमें कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय, नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय शामिल हैं। यह प्रश्न चौदह मंत्रालयों से संबंधित है ··· *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को आवास का आबंटन

***224. डा० बलिराम** : क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनायी है जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के कर्मचारी सेवानिवृत्त होने पर एकमुश्त राशि जमा करके आवास प्राप्त कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उक्त योजना के कब तक तैयार हो जाने की संभावना है; और

(ग) यदि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है तो इसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन के जरिए सेवारत तथा किसी स्कीम की घोषणा की तारीख से पहले पांच वर्ष के भीतर सेवानिवृत हुए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए स्ववित्त पोषण स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। इस समय सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कोई नई स्कीम विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्रीमती रेणूका चौधरी : महोदय, सरकार संसद में एक प्रश्न रखे जाने पर दो लाख रुपये खर्च कर रही है ... *(व्यवधान)* और माननीय मंत्री जी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार होकर नहीं आये हैं *(व्यवधान)* आप अनुपूरक की भी अनुमति नहीं दे रहे हैं। हमें किनारे कर दिया गया है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैडम, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा० बलिराम, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपील करता हूं कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्रश्नकाल वह समय है जब हम आपकी सम्माननीय अध्यक्षपीठ से यह उम्मीद करते हैं कि वह प्रश्नकर्ता को सुरक्षित रखे। मैंने अक्सर यह देखा है कि माननीय अध्यक्ष जी मंत्रियों पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। इस संबंध में हमें आपकी सुरक्षा की आवश्यकता है। यह संतोषजनक उत्तर नहीं दे रहे हैं। अत: आप इनसे कहिए कि ये तैयार होकर आयें और सदस्य को सूचित करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं निश्चित रूप से ऐसा ही करूंगा। डा० बलिराम।

श्री माधवराव सिंधिया : अधिकांश मंत्री पूरी तैयारी से नहीं आ रहे हैं। उन्हें तैयार होकर ही सदन में आना चाहिए ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डा० बलिराम।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० बलिराम : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने "क" और "ख" का उत्तर नहीं में दिया है। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, आप उनके प्रश्न के बारे में सदस्य को सूचित करने हेतु उन्हें अनुदेश ही दे सकते हैं ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह इसके बारे में सदस्य को सूचित कर देंगे।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : आप मंत्री जी को क्यों नहीं बताते ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी, आप कृपया सदस्य से प्रश्न ले लें और बाद में उन्हें सूचित करें। आप सदस्य को बाद में उत्तर भेज सकते हैं। डा० बलिराम।

श्री एन०टी० षणमुगम : मैं सूचना दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप सूचना बाद में दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती रेणूका चौधरी : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह अनुरोध करना चाहती हूं कि एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए संसद करदाताओं के धन का लगभग दो लाख रुपये खर्च करती है।

अध्यक्ष महोदय : मैडम, मैंने श्री बंसल का नाम पुकारा है।

श्रीमती रेणूका चौधरी : मैं आपसे केवल यही कहना चाहती हूं। क्या आप कृपया यह प्रश्न कल उठवा सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही मंत्री जी से तैयार होकर आने का निदेश दिया है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्रीमती रेणूका चौधरी : इस सदन के सदस्य के रूप में मुझे यह विशेषाधिकार है। महोदय, आपको मेरे विशेषाधिकार की रक्षा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही मंत्री जी को निदेश दे दिया है।

श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या आप उन्हें यह प्रश्न कल सभा पटल पर रखने की अनुमति दे रहे हैं ? ... *(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह : महोदय, हम जानना चाहते हैं कि आपका निर्देश क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : वह माननीय सदस्य को उत्तर भेज देंगे।

सरदार बूटा सिंह : आप प्रश्न स्थगित कर सकते हैं। आप प्रश्न स्थगित क्यों नहीं करते। कृपया प्रश्न स्थगित करें। महोदय, सदस्यों द्वारा रखे गए प्रश्न सदन की सम्पत्ति हैं। इसलिए कृपया प्रश्न स्थगित करें। नियमों में यह प्रावधान है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही मंत्री जी को निर्देश दिया है कि उन्हें अगली बार उत्तरों के साथ तैयार होकर आना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही मंत्री जी को उत्तरों के साथ तैयार होकर आने का निर्देश दिया है।

(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : महोदय, आप प्रश्न स्थगित कीजिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम प्रश्न स्थगित कर देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझिए तो सही, मैंने पहले ही मंत्री जी को उत्तरों के साथ तैयार होकर आने का निर्देश दिया है।

(व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : महोदय, मेरा विनम्र अनुरोध है। सदस्य के रूप में मेरे पास मात्र एक अधिकार प्रश्न पूछना है।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ ने पहले ही मंत्री को निर्देश दे दिया है और आप पुन: वही बात पूछ रहे हो।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : यदि हम प्रश्न नहीं पूछ सकते तो आप हमें हमारे अधिकार से वंचित कर रहे हैं।

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, नियमों में ऐसी व्यवस्था है। आप उस प्रावधान को लागू क्यों नहीं करते ताकि वह बेहतर तैयारी करके आएं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही मंत्री जी को निर्देश दे दिया है

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मैं कहना चाहता हूं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठिए

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह भी पहली बार मंत्री बने हैं। कृपया उनकी कठिनाई भी समझिए।

[हिन्दी]

डॉ० बलिराम : महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें इन्होंने ''क'' और ''ख'' का उत्तर नहीं में दिया है। मंत्री जी ने ''ग'' का उत्तर दिया है कि शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन के जरिए सेवारत तथा किसी स्कीम की घोषणा की तारीख से पहले पांच वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त हुए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए स्ववित्त पोषण स्कीमें कार्यान्वित कर रहे हैं। जब पांच साल के भीतर सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए यह आवास की योजना बना रहे हैं तो जो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए यह योजना क्यों नहीं बना रहे हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : ऐसा लगता है कि आपने उत्तर ठीक से पढ़ा नहीं, यह सबके सर्विंग के लिए भी है और जो पांच साल के अंदर रिटायर होते हैं वे भी एप्लाई कर सकते हैं।

उसमें दोनों के लिए है। जो इस समय सर्विस कर रहे हैं उनके लिए भी है। आपने सिर्फ रिटायर्ड एम्प्लाइज के लिए पूछा था, इसलिए आपको ऐसा जवाब दिया था, लेकिन यह जो सर्विस कर रहे हैं उनके लिए भी है।

डॉ० बलिराम : पांच वर्ष के भीतर जो सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, उनके लिए आपकी स्कीम है लेकिन जो पांच साल बाद रिटायर हो रहे हैं उनके लिए आपकी योजना क्यों नहीं है ?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : आप समझ नहीं रहे हैं। जब स्कीम शुरू होती है तो उसके अंदर जिनको रिटायर्ड हुए पांच साल हो गये हैं वे एप्लाई नहीं कर सकते हैं और जो पांच वर्ष के भीतर हैं वे भी एप्लाई कर सकते हैं। इसमें उनके लिए भी कोई बंदिश नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री पवन कुमार बंसल का नाम पुकारा है।

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, सेवानिवृत्त अथवा कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास संबंधी वर्तमान योजनाएं अत्यधिक अपर्याप्त हैं। एक बार यह सोच थी कि जहां तक सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास योजनाओं का संबंध है कर्मचारी भविष्य निधि के सदृश कुछ शुरू किया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी ऐसी योजना पर विचार किया गया है जिसमें किसी आवास निर्माण निधि के लिए कार्यरत कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा बराबर का अंशदान सुनिश्चित करने के लिए कि जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो और वह सरकारी मकान छोड़े जैसाकि आज की स्थिति है, तो वह निश्चित रूप से अपने छोटे से मकान में जा सके।

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : जैसा मैंने बताया, जो यह स्कीम बनी है वह रिटायर्ड एम्प्लाइज और सर्विंग एम्प्लाइज दोनों के लिए है। सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। वह उनको बिना लाभ-हानि के आधार पर मकान बनाकर देती है। अभी और कोई स्कीम नहीं है, अगर आपके पास हो तो हम कंसीडर कर सकते हैं।

वैद्य विष्णु दत्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना यह है कि जम्मू-कश्मीर राज्य में जो आई०ए०एस० और आई०पी०एस० अफसर रिटायर होते हैं, जिनका सारा जीवन वहां नौकरी करने में लग जाता है और सारा जीवन नौकरी में बिता देने के बाद अगर वे वहां सैटल

होना चाहें तो किसी भी माध्यम से उन्हें वहां सैटल होने की इजाजत नहीं मिलती है। वे अफसर रिटायर होने के बाद वहां सैटल हो सकें क्या इसके लिए सरकार कोई प्रबंध करेगी ?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : स्पीकर साहब ऑनरेबल मैम्बर ने शायद यह पढ़ा नहीं होगा। यह स्कीम उन्हीं के लिए है जो रिटायर होते हैं। पांच साल के अंदर अगर कहीं पर कोई डिमांड आती है तो उस पर स्कीम बनती है और वे उसमें एप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद स्कीम बनाकर मकान बनाये जाते हैं।

वैद्य विष्णु दत्त शर्मा : लेकिन जम्मू-कश्मीर में यह इजाजत नहीं है, इसलिए मैं यह पूछ रहा हूं कि वहां उन्हें कोई सहूलियत नहीं है कि वे वहां मकान बनाकर रह सकें।

[अनुवाद]

उर्वरक नीति की समीक्षा

226. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक क्षेत्र से चरणबद्ध तरीके से नियंत्रण समाप्त करने के लिए पहल करने और राजसहायता को नियंत्रित करने की दृष्टि से सरकार उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति की समीक्षा कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

आर्थिक उदारीकरण तथा सुधार की नीति के अनुसार, यूरिया को छोड़कर अन्य सभी किस्म के उर्वरकों को मूल्य, संचलन तथा वितरण नियंत्रण से पहले ही मुक्त कर दिया गया है। सरकार सभी तीनों किस्म के उर्वरकों अर्थात् नाइट्रोजन, फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों में एक ओर इनकी वित्तीय क्षमता तथा दूसरी ओर किसानों को उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने को ध्यान में रखते हुए एक नियंत्रण मुक्त व्यवस्था की ओर बढ़ने का इरादा रखती है। उर्वरक क्षेत्र के लिए एक दीर्घावधि नीति बनाकर सरकार के इरादे को एक ठोस कार्यवाही में बदलने का प्रस्ताव है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस समय प्रक्रियाधीन उच्चाधिकार प्राप्त उर्वरक नीति पुनरीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार के निर्णय शामिल हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, मंत्री जी ने अपने लिखित उत्तर में कहा है कि :

"उर्वरक क्षेत्र के लिए एक दीर्घावधि नीति बनाकर सरकार के इरादे को एक ठोस कार्य योजना में बदलने का प्रस्ताव है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस समय प्रक्रियाधीन उच्चाधिकार प्राप्त उर्वरक नीति पुनरीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार का निर्णय शामिल है।"

महोदय, क्या मैं आपके माध्यम से जान सकती हूं कि इस उच्च शक्ति प्राप्त उर्वरक नीति समीक्षा समिति की सिफारिशें क्या-क्या हैं ?

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, भारत सरकार ने डा० हनुमन्त राव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। इसमें और भी कई सदस्य थे। इसका काम बदलते हालातों में उर्वरक उद्योग को कैसे सशक्त बनाया जाए इसकी संभावना का पता लगाना था। इस समिति ने अनेक सिफारिशें दी थी। सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि जहां तक संभव हो सके सभी उर्वरक संयंत्रों में नैफ्था के स्थान पर तरल प्राकृतिक गैस (एल०एन०जी०) का उपयोग फीडस्टाक के रूप में किया जाना चाहिए। समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि एक नियामक निर्दिष्ट मूल्य होना चाहिए जिसके आधार पर उर्वरक संयत्रों को राज-सहायता दी जानी चाहिए। समिति की एक सिफारिश यह भी थी कि अंतत: सभी उर्वरक संयंत्रों को नैफ्था आधारित उत्पादन से हट कर एल०एन०जी० आधारित उत्पादन की ओर मुड़ना चाहिए। डा० हनुमन्त राव समिति द्वारा की गई ये मुख्य सिफारिशें हैं। ये सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं क्योंकि इनसे संबंधित अन्य कई मुद्दे हैं। इससे संबंधित प्राथमिक मुद्दा, यूरिया उर्वरक के उत्पादन में फीडस्टाक के रूप में प्राकृतिक गैस की आवश्यकता की मात्रा तथा प्राकृतिक गैस की उपलब्धता है। आवश्यकता के अनुरूप फीडस्टाक की उपलब्धता शायद न हो। अत: दीर्घकालीन उर्वरक नीति बनाए जाने से पहले फीडस्टाक नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, मंत्री जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि इसमें लंबा समय लगेगा। इस बीच यदि सरकार समस्त राजसहायता बंद कर देगी तो किसानों का क्या होगा ? क्या वो उर्वरक खरीदने की स्थिति में होंगे ? गरीब किसानों को कम कीमत पर उर्वरक देने हेतु सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है ?

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, सरकार ने ऐसा कभी नहीं कहा कि वर्तमान नीति के स्थान पर दीर्घकालीन नीति लागू करने के पूर्व हम उर्वरक क्षेत्र को उपलब्ध समस्त राजसहायता वापस ले लेंगे। सरकार ने ऐसी घोषणा कभी नहीं की। तथापि, समस्त उर्वरक क्षेत्र को युक्तियुक्त बनाए जाने की आवश्यकता है। एन०पी०के० पहले से ही विद्यमान है। एन०पी०के० का आदर्श अनुपात 4:2:1 है। चूंकि हमने पोटासयुक्त और फास्फेटयुक्त उर्वरकों को हमने विनियंत्रित कर दिया तथा कुछ प्रतिबंध हटा लिए ... *(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु : वो प्रश्न से ध्यान हटा रहे हैं। उत्तर पूरा होना चाहिए। वो गोल-मोल उत्तर दे रहे हैं ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। वो उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सुरेश प्रभु : मैं प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे उत्तर दे रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री सुरेश प्रभु : उर्वरक क्षेत्र को उपलब्ध समस्त राजसहायता को वापस लेने का कोई विचार नहीं है। तथापि, समस्त उर्वरक क्षेत्र को युक्तियुक्त बनाने की आवश्यकता है। प्रारंभ में चूंकि किसानों को संरक्षण दिया जाना है इसलिए सरकार इस पर पहले से ही विचार कर रही है।

जहां तक नई उर्वरक नीति का संबंध है, हम सभी पहलुओं पर विचार करेंगे और इसमें विशेष ध्यान किसानों के हितों को सदैव संरक्षण देना का होगा *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब समय पूरा हो गया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

अनधिकृत निर्माण

***225. श्री चन्द्रेश पटेल :**
श्री नरेश पुगलिया :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बड़ी संख्या में अनधिकृत निर्माण हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के बिल्डर माफिया और पुलिस के साथ साठगांठ होने से ऐसे अनधिकृत निर्माण को बढ़ावा मिला है; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार भ्रष्ट कर्मचारियों और भवन निर्माताओं के विरुद्ध सरकार का क्या ठोस कदम उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों (1.1.1997 से 30.11.1999) के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के सतर्कता विभाग को 572 शिकायतें मिली हैं। अधिकतर शिकायतें दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अतिक्रमण, अनधिकृत निर्माण आदि के बारे में है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर जब कभी अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण आदि की शिकायत मिलती है तब अतिक्रमणों/अनधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए और साथ ही, दोषी अधिकारियों के खिलाफ समुचित कार्रवाई की जाती है।

केबल ऑपरेटर

***227. श्री थावरचन्द गेहलोत** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत राज्यवार कितने केबल आपरेटरों का पंजीकरण किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार को इन केबल ऑपरेटरों से कुल कितनी आय हुई;

(ग) क्या सरकार को केबल नेटवर्क पर केवल वयस्कों के देखने योग्य फिल्में दिखाये जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केबल ऑपरेटरों के विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा (ज) के अंतर्गत प्रधान डाकघरों के प्रधान पोस्टमास्टरों को अपने-अपने क्षेत्रों में केबल नेटवर्क पंजीयक प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। डाक विभाग ने सूचित किया है कि उन्होंने सभी पोस्टमास्टरों से अपेक्षित सूचना भिजवाने के लिए पत्र लिखा है।

(ख) केन्द्र सरकार ने सभी केबल आपरेटरों के पंजीकरण की वार्षिक नवीकरण सहित प्रति वर्ष आरंभिक पंजीकरण शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया है। डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए जरूरत पड़ने पर 250/-रुपये का शुल्क भी लगाया जाता है।

(ग) और (घ) हाल ही में एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि जालंधर में एक केबल नेटवर्क देर रात्रि को अश्लील फिल्में दिखा रहा है। दूसरी शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि पुणे में एक केबल नेटवर्क विदेशी उपग्रह चैनल 'टी०वी०-6' का वितरण कर रहा है जिस पर केन्द्र सरकार द्वारा रोक लगायी गयी थी। अधिनियम की धारा 18 व 19 के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा प्राधिकृत/विनिर्दिष्ट अधिकारी केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए संबंधित केबल ऑपरेटरों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है, इस मामले को संबंधित राज्य सरकार के साथ उठाया गया है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य संबंधी देखभाल

***228. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वास्थ्य देखभाल का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों और स्वयंसेवी ग्रुपों की भागदारी बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी एजेंसियों द्वारा स्वैच्छिक संगठनों और स्वयंसेवी ग्रुपों के प्रयासों के साथ पूरा तालमेल रखा जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 के अनुसार सरकार की नीति देश भर में स्वास्थ्य क्षेत्र में सक्रिय स्वैच्छिक संगठनों की

सेवाओं का उपयोग करना और उनका समर्थन प्राप्त करना तथा उनके द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का पूरा-पूरा उपयोग करना और उन्हें बढ़ाने में सहायता प्रदान करने के लिए संगठित प्रयास करना है। विशेषतौर से उन स्वैच्छिक संगठनों जो ग्रामीण और शहरी मलिन बस्तियों की जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं, उनके नये स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहित करना और उनके लिए सहायता देना भी सरकार की नीति है। इसका उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों और सरकार के बीच एक वास्तविक साझेदारी को बढ़ावा देना है और उन क्षेत्रों जहां सरकार की मौजूदगी पारम्परिक रूप से कमजोर रही है में गैर सरकारी संगठनों की सुदृढ़ भागीदारी को भी प्रोत्साहित करना है।

(ख) उन योजनाओं जिनके अन्तर्गत सरकार स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी कार्यकलापों में स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों की सहायता कर रहा है, का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. चिकित्सा सेवाएं सुधारने की योजना।

2. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष स्वास्थ्य योजना।

3. प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत गैर सरकारी संगठन योजनाएं।

   (क) मातृ गैर सरकारी संगठन योजना

   (ख) नूतन योजना

   (ग) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य पर यू०एन०एफ०पी०ए० परियोजनाएं

   (घ) यू०एन०एफ०पी०ए० सहायता प्राप्त लिंग विषयक परियोजनाएं

4. संचारी और गैर संचारी रोगों (एच०आई०बी०) एक्वायरड इम्यून डेफिसिएंसी सिन्ड्रोम क्षयरोग, कुष्ट, मलेरिया, दृष्टिहीनता, पोलियो और कैंसर के निवारण और नियंत्रण के लिए विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) में इंगित योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से सहायतानुदान/वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों के कार्यकलाप सरकारी अभिकर के कार्यकलाप के साथ सुसमन्वित हैं।

इंडियन पेट्रो-केमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड

*229. श्री किरीट सोमैया :
श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन पेट्रो-केमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड से सरकारी इक्विटी का विनिवेश करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त निर्णय विनिवेश आयोग की सिफारिशों का उल्लंघन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ङ) क्या सरकार के इस विनिवेश निर्णय से कुछ व्यावसायिक घरानों को फायदा होने तथा इससे पेट्रो-रसायन क्षेत्र में एकाधिकार कायम हो जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) से (च) विनिवेश आयोग की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने भूमंडलीय प्रतिस्पर्धात्मिक नीलामियों के माध्यम से किसी कुशल खरीदार के पक्ष में प्रबन्ध-अन्तरण सहित, 25 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश करने का निर्णय लिया है।

विनिवेश आयोग ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी सिफारिश की थी कि बोली लगाने वालों को पूर्व अर्हता प्रदान करते समय यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखा जाना चाहिए कि रणनीतिक बिक्री के फलस्वरूप किसी एकल क्रेता द्वारा विपणन वर्चस्व न कायम हो जाए। विनिवेश आयोग एक परामर्शदात्री निकाय है और इसकी सिफारिशों पर अंतिम निर्णय करना सरकार का अधिकार है।

आई०पी०सी०एल० में विनिवेश की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है।

परिवार नियोजन केन्द्र

*230. श्रीमती शीला गौतम :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजनावधि के दौरान नये परिवार नियोजन केन्द्रों की स्थापना हेतु राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) अब तक राज्य-वार क्या लक्ष्य प्राप्त हुए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान परिवार नियोजन हेतु राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) परिवार नियोजन सेवाएं देश भर में उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों, जिला तथा उपजिला स्तर पर प्रसवोत्तर केन्द्रों, शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों और शहरी स्वास्थ्य चौकियों के नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। केन्द्रीय सरकार राज्यों को चुनिंदा क्षेत्रों के लिए बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत नए परिवार नियोजन केन्द्र खोलना राज्यों द्वारा प्राथमिकता देकर किए जाने वाले कार्यकलापों में से एक है। विश्व बैंक की सहायता से वर्ष 1993 से भारत जनसंख्या परियोजना (आई०पी०पी०-VIII) के अन्तर्गत चुनिंदा शहरों में मलिन क्षेत्रों में शहरी स्वास्थ्य चौकियां/शहरी स्वास्थ्य केन्द्र खोले जा रहे हैं।

(ख) और (ग) बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत योजना आयोग द्वारा किया गया राज्यवार आबंटन का ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है। गत तीन वर्षों के दौरान उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है भारत जनसंख्या परियोजना-VIII के अंतर्गत शहरी स्वास्थ्य चौकियों/शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों के लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा विवरण-III के रूप में संलग्न है। निःशुल्क आपूर्ति के अंतर्गत परिवार नियोजन सामग्री (गर्भनिरोधक) के लिए आबंटित की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा विवरण-IV के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य के लिए परिव्यय

(लाख रुपए)

क्र०सं०	राज्य	9वीं योजना अनन्तिम परिव्यय स्वास्थ्य	1996-97 संशोधित अनुमान		1997-98 संशोधित अनुमान		1998-99 परिव्यय	
			स्वास्थ्य	एमएनपी/ बीएमएस	स्वास्थ्य	एमएनपी/ बीएमएस	स्वास्थ्य	एमएनपी/ बीएमएस
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	63052.00	3575.00	600.00	18291.00	2923.60	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	33502.00	2487.00	881.00	3009.00	1021.00	3520.00	1072.00
3.	असम	33410.00	5779.00	2673.00	6237.00	3120.00	—	—
4.	बिहार	83200.00	7382.00	उ०न०	5373.00	5039.00	12177.00	7518.00
5.	गोवा	8122.00	1048.00	157.00	1022.00	187.80	772.00	101.93
6.	गुजरात	83225.00	4000.00	1000.00	23093.00	12177.00	23550.00	12132.31
7.	हरियाणा	35134.00	3898.22	1761.12	5985.00	1423.00	5946.00	2700.00
8.	हिमाचल प्रदेश	31765.00	4764.00	1713.25	7954.00	2639.10	8965.70	3341.34
9.	जम्मू और कश्मीर	उ०न०	5510.35	3105.00	6446.00	6460.00	11385.57	6334.86
10.	कर्नाटक	410000.00	11041.00	उ०न०	17246.00	12713.00	19544.30	11783.00
11.	केरल	30940.00	6126.00	426.00	5096.00	833.00	6200.00	775.00
12.	मध्य प्रदेश	56787.00	10816.07	5498.62	8200.00	5604.00	—	—
13.	महाराष्ट्र	91823.00	24237.00	9480.00	17391.00	9882.00	22993.00	7142.00
14.	मणीपुर	3600.00	633.00	269.00	520.00	271.65	809.35	600.00
15.	मेघालय	14000.00	1731.00	1346.00	1898.00	1306.50	2430.00	2000.00
16.	मिजोरम	11201.00	1877.00	780.00	1651.00	1651.00	1816.00	1760.00
17.	नागालैंड	10631.00	2449.00	1003.00	1930.00	1017.00	—	—
18.	उड़ीसा	41605.75	4439.55	1961.20	5516.00	1902.89	—	—
19.	पंजाब	51159.00	5267.00	1575.00	9587.00	3432.00	16352.00	2579.60
20.	राजस्थान	77060.00	14979.00	9585.00	12462.00	7005.03	15289.00	8830.00
21.	सिक्किम	8000.00	1100.00	206.30	759.00	267.13	814.00	275.05
22.	तमिलनाडु	78052.00	12293.37	3163.37	11238.00	2440.86	1,1650.93	3388.14
23.	त्रिपुरा	8559.00	1060.00	549.00	1371.00	619.00	1407.92	659.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	उत्तर प्रदेश	118500.00	13718.00	10066.00	11511.00	12759.00	40401.00	3103.00
25.	पश्चिम बंगाल	97863.00	5182.00	1725.00	10100.00	1500.00	19286.00	6378.00
	छोटे राज्य	1186191.65	160392.56	59523.86	192906.00	98263.60	225309.77	82475.45
26.	अं० व नि० द्वीपसमूह	7741.00	1367.00	455.00	1800.00	671.00	—	—
27.	चंडीगढ़	12065.00	2402.50	268.40	3617.00	353.00	3548.30	222.50
28.	दादरा व नगर हवेली	314.00	153.80	77.65	215.23	207.50	252.70	91.45
29.	दमन एवं दीव	887.00	112.00	68.70	133.00	97.00	173.00	153.80
30.	दिल्ली	110140.00	12307.50	100.00	15240.30	1800.00	19700.00	—
31.	लक्षद्वीप	817.46	175.18	87.15	233.83	131.77	388.91	71.00
32	पांडिचेरी	10000.00	1345.31	181.67	1680.00	240.52	2370.00	303.87
	संघ राज्य क्षेत्र	147164.16	17863.29	1738.57	22919.60	3520.79	26432.91	842.67
	कुल	1333356.11	178255.85	60762.43	215825.60	101784.39	251742.68	83318.07

कार्यदाल द्वारा प्रस्तुत

स्रोत 1. राज्य योजना प्रभाग, योजना आयोग
2. वार्षिक योजना, दस्तावेज, राज्य सरकार बजट अनुमान स्तर

विवरण-II

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उप-केन्द्र						प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र						सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र					
		1996-97.		1997-98		1998-99		1996-97		1997-98		1998-99		1996-97		1997-98		1998-99	
		लक्ष्य*	उप-लब्धियां	लक्ष्य*	उप-लब्धियां	लक्ष्य	उप-लब्धियां $	लक्ष्य	उप-लब्धियां	लक्ष्य*	उप-लब्धियां $	लक्ष्य	उप-लब्धियां $	लक्ष्य*	उप-लब्धियां	लक्ष्य**	उप-लब्धियां	लक्ष्य	उप-लब्धियां $
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आन्ध्र प्रदेश		509 **		—	—		60	—		—	93		40	25		—	55	
2.	अरुणाचल प्रदेश		—		—	—		5	—		—	—		1	—		—	—	
3.	असम		—		22	—		50	—		—	27		12	—		—	19	
4.	बिहार		—		—	257		150	—		—	107		40	—		—	128	
5.	गोवा		—		—	—		1	—		1	1		1	—		—	—	
6.	गुजरात		—		—	—		5	3		—	17		5	—		3	18	
7.	हरियाणा		—		—	46		—	—		1	4		4	—		1	10	
8.	हिमाचल प्रदेश		19		113	—		15	11		62	—		1	—		13	—	
9.	जम्मू व कश्मीर		—		—	—		18	—		2	—		2	—		—	1	
10.	कर्नाटक		100 **		—	—		50	30		—	—		10	8		—	7	
11.	केरल		—		—	—		25	—		4	—		6	4		—	25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12.	मध्य प्रदेश		—		—	46		—	—		—	52		—	—		—	77	
13.	महाराष्ट्र		—		—	202		53	—		4	15		19	5		6	34	
14.	मणिपुर		—		—	—		2	—		—	—		1	—		—	—	
15.	मेघालय		—		—	22		1	2		4	—		1	—		3	2	
16.	मिजोरम		63**		—	—		—	—		—	—		1	—		—	—	
17.	नागालैंड		—		—	20		2	—		—	5		1	—		—	2	
18.	उड़ीसा		—		—	112		—	—		250*	—		—	—		—	27	
19.	पंजाब		—		—	—		20	—		—	—		10	—		—	4	
20.	राजस्थान		700		250	—		55	20		30	—		10	5		—	13	
21.	सिक्किम		—		—	—		—	—		—	—		1	—		—	1	
22.	तमिलनाडु		—		—	11		75	—		—	—		10	—		—	59	
23.	त्रिपुरा		1		—	545		3	2		3	10		1	—		—	3	
24.	उत्तर प्रदेश		—		—	621		—	—		47*	—		27	—		48	155	
25.	पश्चिम बंगाल		—		—	—		2	—		—	43		—	—		—	86	
26.	अं० व नि० द्वीपसमूह		—		1	1		—	—		—	—		—	—		—	—	
27.	चंडीगढ़		—		1	2		5	—		—	1		—	—		—	—	
28.	दादरा व नगर हवेली		—		2	—		—	—		—	6		—	—		—	1	
29.	दमन एवं दीव		—		—	37		—	—		—	—		—	—		—	—	
30.	दिल्ली		—		—	—		—	—		—	6		—	—		—	2	
31.	लक्षद्वीप		—		—	—		—	—		—	—		1	—		—	—	
32.	पांडिचेरी		1		—	—		4	17		—	—		1	—		—	—	
	योग		1393		389	1924		601			409	381		206	47		74	209	

* निधियों की कमी के कारण योजना आयोग द्वारा कोई लक्ष्य सृजित नहीं किए गए।

** स्थापना वर्ष उपलब्ध नहीं

$ अनुपलब्ध

विवरण-III

भारत जनसंख्या परियोजना-VIII के अन्तर्गत स्थापित शहरी स्वास्थ्य पोस्ट/शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	शहर	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	कर्नाटक	बंगलौर	81	47
2.	पं० बंगाल	कलकत्ता	109*	109
3.	दिल्ली	दिल्ली	144**	129
4.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	62	62

* स्वाथ्य प्रशासनिक यूनिटें। इनका संचालन 2 अंशकालिक चिकित्सा अधिकारियों और 2 द्वितीयक स्तरीय पर्यवेयक्षकों द्वारा किया जाता है।

** इसमें दिल्ली में ए०एन०एम० द्वारा संचालित 125 स्वास्थ्य पोस्ट और 19 स्वास्थ्य केन्द्र शामिल हैं जिनमें 2 डाक्टर, 2 एल०एच० वी०/पी०एच०एन० और 3 ए०एन०एम० हैं। बंगलौर और दिल्ली में शहरी परिवार केन्द्रों का संचालन एक डाक्टर। एल०एच०वी०/पी०एच०एन० और 3 ए०एन०एम० द्वारा किया जाता है।

विवरण

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायतानुदान

क्र०सं०	राज्य	1994-95			1995-96		
		नगद	सामग्री	योग	नगद	सामग्री	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	8761.02	2301.35	11062.37	11097.58	2021.09	13118.67
2.	अरुणाचल प्रदेश	133.29	45.64	178.93	139.85	110.69	250.54
3.	असम	2258.44	1229.94	3488.38	2815.74	896.14	3711.88
4.	बिहार	8360.75	2589.23	10949.98	8923.03	2977.17	11900.20
5.	गोवा	104.65	62.02	166.67	133.91	35.31	169.22
6.	गुजरात	5963.51	1562.28	7525.79	3653.60	1882.41	5536.01
7.	हरियाणा	1609.62	931.49	2541.11	2308.63	776.55	3085.18
8.	हिमाचल प्रदेश	1858.43	316.31	2174.74	1703.27	260.50	1963.77
9.	जम्मू व कश्मीर	2789.13	238.06	3027.19	1192.60	306.82	1499.42
10.	कर्नाटक	7915.49	1392.31	9307.80	6036.45	1521.36	7557.81
11.	केरल	5692.35	824.69	6517.04	2595.61	870.21	3465.82
12.	मध्य प्रदेश	6178.79	4206.37	10385.16	5887.69	4238.43	10126.12
13.	महाराष्ट्र	7240.26	2754.01	9994.27	9681.23	3036.70	12717.93
14.	मणिपुर	487.90	70.06	557.96	635.08	118.93	754.01
15.	मेघालय	286.28	57.49	343.77	266.73	88.83	355.56
16.	मिजोरम	166.60	27.48	194.08	189.65	52.24	241.89
17.	नागालैंड	377.04	23.63	400.67	262.19	74.68	336.87
18.	उड़ीसा	4623.45	1688.95	6312.40	4140.80	1224.97	5365.77
19.	पंजाब	2287.20	1473.73	3760.93	1862.57	1127.15	2989.72
20.	राजस्थान	8444.14	2547.76	10991.90	7199.77	2213.36	9413.13
21.	सिक्किम	206.90	15.15	222.05	417.86	34.09	451.95
22.	तमिलनाडु	8123.54	1604.60	9728.14	9557.57	1977.06	11534.63
23.	त्रिपुरा	693.77	78.59	772.36	622.94	98.32	721.26
24.	उत्तर प्रदेश	16562.29	7221.23	23783.52	15173.71	5945.75	21119.46
25.	पश्चिम बंगाल	4910.10	1537.41	6447.51	6253.18	1936.60	8189.78
	योग (राज्य)	106034.94	34799.78	140834.72	102751.24	33825.36	136576.80

–IV

(नगद एवं सामग्री) बकाया राशि सहित

(लाख रुपये में)

1996-97			1997-87			1998-99		
नगद	सामग्री	योग	नगद	सामग्री	योग	नगद	सामग्री	योग
9	10	11	12	13	14	15	16	17
14781.23	2398.43	17179.66	8838.71	2387.25	11225.96	11652.79	2961.41	14614.20
146.82	33.86	180.68	147.73	89.65	237.38	144.06	75.75	1321.41
2233.69	824.06	3057.75	3284.70	1165.61	4450.31	3260.45	1177.35	7285.73
5506.62	2851.93	8358.55	9894.51	2727.31	12621.82	8792.62	4025.28	10900.75
141.81	53.24	195.05	168.13	38.70	206.83	184.83	58.94	1091.49
3408.15	1957.01	5365.16	9446.00	1877.12	11323.12	10503.85	2108.13	10903.42
1439.48	859.66	2299.14	3521.84	722.46	4244.30	2746.01	906.66	3201.78
1613.92	294.88	1908.80	1123.72	307.30	1431.02	1973.97	399.57	4085.92
863.14	268.35	1131.49	1873.62	264.16	2137.78	1600.73	455.77	2914.24
7599.98	1784.70	9384.68	5185.49	1275.84	6461.33	7681.02	2111.95	12268.48
2456.74	735.58	3192.32	2981.46	973.70	3955.16	4190.43	1313.51	8062.63
5689.22	4066.67	9755.89	6765.52	3227.78	9993.30	8566.08	4587.46	8674.88
8383.02	3351.69	11734.71	8289.64	2388.04	10677.68	11164.04	3872.20	11304.82
418.72	56.61	475.33	452.95	132.90	585.85	622.26	108.80	712.57
300.07	87.40	387.47	300.91	96.13	397.04	328.75	140.78	2102.48
197.57	45.85	243.42	221.36	74.68	296.04	239.11	68.77	1364.62
211.63	47.62	259.25	209.05	59.19	268.24	247.96	90.31	2936.51
2960.23	1149.21	4109.53	4821.63	1337.46	6159.09	4710.89	1773.73	4752.57
1958.20	776.12	2734.32	2451.93	1117.79	3569.72	2558.65	1125.51	5141.04
7094.65	3084.52	10179.17	7299.73	2176.96	9476.69	8492.29	2688.55	8686.27
237.71	22.25	259.96	218.87	46.00	264.87	307.72	41.68	9081.28
6636.80	2077.61	8714.41	10835.89	1924.08	12759.97	9197.30	2582.39	12370.25
998.50	100.96	1099.46	411.50	161.28	572.78	1781.61	193.98	1857.36
11436.91	7721.73	19158.64	19276.48	5797.10	25073.58	42482.52	8773.56	42541.46
7046.22	1909.68	8955.90	5201.99	2505.16	7707.15	11122.85	3172.95	11191.62
93761.13	36559.62	130320.75	113223.06	32873.65	146097.01	154552.79	44814.99	199367.78

1	2	3	4	5	6	7	8
	विधान सभा वाले संघ क्षेत्र						
1.	पांडिचेरी	73.50	19.38	92.88	100.14	39.18	139.32
2.	दिल्ली	1053.00	539.11	1592.11	1562.00	410.55	1972.55
	विधान सभा रहित संघ क्षेत्रों के लिए परिव्यय						
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	69.27	14.61	83.88	77.84	22.28	100.12
2.	दादरा व नगर हवेली	23.58	15.14	38.72	25.77	7.03	32.80
3.	चंडीगढ़	141.49	21.37	162.86	117.35	33.21	150.56
4.	लक्षद्वीप	10.56	3.72	14.28	11.50	6.18	17.68
5	दमण व दीव	21.61	3.62	25.23	28.66	5.70	34.36
	योग (संघ क्षेत्र)	1393.01	616.95	2009.96	1923.26	524.13	2447.39

कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल

*231. **डॉ० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कामकाजी महिलाओं के लिए राज्य-वार कितने होस्टलों का निर्माण किया गया;

(घ) इन होस्टलों में महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इन होस्टलों के निर्माण के लिए कितनी अनुदान राशि दी गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा विधिवत् संस्तुत आवेदन-पत्रों के आधार पर विभिन्न संगठनों को कामकाजी महिला होस्टलों की स्वीकृति प्रदान की जाती है। ये सिफारिशें प्रस्तावित स्थानों पर होस्टलों की आवश्यकता के मूल्यांकन पर आधारित होती हैं।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) इन होस्टलों में कामकाजी महिलाओं को आवास उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा, स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार होस्टल चलाने वाले संगठनों द्वारा बच्चों के लिए दिवस देखभाल केन्द्र, रसोईघर, पेयजल, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल आदि जैसी अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जा सकती हैं।

(ङ) उक्त अवधि के दौरान, इन होस्टलों के लिए 13.05 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गयी है।

विवरण

1996-97 से 1998-99 तक की अवधि में स्वीकृत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार होस्टलों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	होस्टलों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	6
गुजरात	1
हरियाणा	2
कर्नाटक	19
केरल	8
मध्य प्रदेश	1
महाराष्ट्र	8
मणिपुर	1
उड़ीसा	3
पंजाब	1
राजस्थान	1
तमिलनाडु	6
उत्तर प्रदेश	2
पश्चिम बंगाल	2
दिल्ली	1
पांडिचेरी	1
योग :	63

9	10	11	12	13	14	15	16	17
93.61	33.66	127.27	138.53	35.49	174.02	137.85	54.55	192.40
1475.25	388.14	1863.39	719.82	435.59	1155.41	1012.95	473.35	1485.94
90.20	16.12	106.32	100.34	22.06	122.40	104.60	19.00	123.60
29.47	6.02	35.49	34.41	5.55	39.96	59.31	9.98	69.29
93.50	26.12	119.62	96.25	17.08	113.33	131.33	57.72	189.05
11.75	2.77	14.52	13.25	5.91	19.16	30.05	5.01	35.06
32.55	6.25	38.80	32.25	12.15	44.40	43.50	8.55	52.05
1826.33	479.08	2305.41	1134.85	533.83	1668.68	1519.23	628.16	2147.39

[हिन्दी]

शिक्षा हेतु धनराशि का नियतन

*232. **श्री अजय सिंह चौटाला :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सकल घरेलू उत्पाद में से शिक्षा हेतु कितने प्रतिशत धनराशि का नियतन किया जा रहा है;

(ख) वर्ष 1999-2000 हेतु किए गए कुल नियतन में से राज्यवार कितना व्यय हुआ;

(ग) देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या अभी भी निरक्षर है;

(घ) चालू वर्ष और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा हेतु अलग-अलग कितनी धनराशि नियत किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) देश को कब तक पूर्ण रूप से साक्षर बनाये जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) आर्थिक सर्वेक्षण 1997-98 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3.62 प्रतिशत शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है।

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान इस विभाग द्वारा नवम्बर, 1999 तक 4216.23 करोड़ रु० व्यय किए गए। चालू वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गई राज्य-वार राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के सर्वेक्षण 1997 के 53वें दौर के अनुसार, दिसम्बर, 1997 में देश की 38 प्रतिशत जनसंख्या निरक्षर थी।

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए अनुमोदित परिव्यय 24988.38 करोड़ रु० और चालू वित्त वर्ष में 4700 करोड़ रु० है।

(ङ) अनुमान है कि वर्ष 2005 तक देश की साक्षरता 75 प्रतिशत पार कर जाएगी।

विवरण

1999-2000 के दौरान (30.11.99 (तक) राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निधियां

(रु० लाख में)

क्रम सं०	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	रुपए
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	36325.52
2.	अरुणाचल प्रदेश	78.84
3.	असम	4872.25
4.	बिहार	3623.05
5.	गोवा	49.51
6.	गुजरात	2674.92
7.	हरियाणा	2644.08
8.	हिमाचल प्रदेश	2059.03
9.	जम्मू और कश्मीर	32.88
10.	कर्नाटक	15337.57

1	2	3
11.	केरल	3840.48
12.	मध्य प्रदेश	12706.44
13.	महाराष्ट्र	3909.67
14.	मणिपुर	312.81
15.	मेघालय	6.45
16.	मिजोरम	262.86
17.	नागालैंड	171.38
18.	उड़ीसा	2064.85
19.	पंजाब	1398.44
20.	राजस्थान	7645.34
21.	सिक्किम	115.38
22.	तमिलनाडु	5514.47
23.	त्रिपुरा	158.92
24.	उत्तर प्रदेश	14455.06
25.	पश्चिम बंगाल	1298.84
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8.31
27.	चंडीगढ़	8.55
28.	दादरा और नगर हवेली	19.12
29.	दमन और दीव	9.47
30.	दिल्ली	295.76
31.	लक्षद्वीप	0.03
32	पांडिचेरी	82.55

[अनुवाद]

विज्ञापनों/धारावाहिकों से प्राप्त राजस्व

***233. श्रीमती मिनाती सेन :**
डा० वी० सरोजा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष दूरदर्शन द्वारा टेलीविजन पर विज्ञापनों और धारावाहिकों के प्रसारण से अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(ख) दूरदर्शन का राजस्व बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) टेलीविजन नेटवर्क पर विज्ञापनों और धारावाहिकों के लिए कार्यक्रम संबंधी संहिता लागू करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) पिछले तीन वर्ष के दौरान दूरदर्शन द्वारा अर्जित वाणिज्यिक राजस्व निम्नानुसार है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (करोड़ रु० में)
1996-97	572.72
1997-98	490.15
1998-99	399.32

तथापि, चालू वर्ष के दौरान, घटते राजस्व संबंधी प्रवृत्ति में बदलाव आया है और चालू वर्ष में राजस्व अर्जन लगभग 500 करोड़ रु० होने की संभावना है।

(ख) प्रसार भारती ने बताया है कि वाणिज्यिक राजस्व को बढ़ाने के लिए किए गए कुछ मुख्य उपायों में—उच्च गुणवत्ता वाले कार्यक्रम प्रसारित करना; वाणिज्यिक दर सूची को तर्कसंगत बनाना; अवकाश दिवसों एवं शनिवार को फीचर फिल्मों का प्रसारण शुरू करना; क्षेत्रीय कार्यक्रमों की गुणवत्ता, विषयवस्तु और उनके प्रसारण में सुधार करना; पैकेजिंग तथा प्रस्तुतीकरण को आकर्षक बनाना और उपग्रह पद्धति में डिजीटल प्रसारण की व्यवस्था करना शामिल है।

(ग) और (घ) दूरदर्शन कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए अपने सभी कार्यक्रमों (समाचार एवं सामयिक कार्यक्रमों को छोड़कर) का पूर्वदर्शन करता है। देश के अंदर से ही अपलिंक करने वाले निजी चैनलों द्वारा भी प्रसार भारती द्वारा अपनाई गई कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं का पालन करना होता है। देश के बाहर से अपलिंक किए जाने वाले विदेशी उपग्रह चैनलों के प्रच्छन्न कार्यक्रमों के केबल नेटवर्क के माध्यम से प्रसारण के मामले में केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम/विज्ञापन संहिता का पालन किया जाना होता है।

प्राथमिक शिक्षा हेतु धनराशि

***234. श्री रामशेठ ठाकुर :**
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई है और प्रत्येक कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक क्या उपलब्धि रही है;

(ख) क्या विश्व बैंक, यूनेस्को और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियां देश में प्राथमिक शिक्षा का विकास करने के लिए सरकार की सहायता कर रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो ये एजेन्सियां कब से ऐसी सहायता दे रही हैं और प्रत्येक राज्य द्वारा उपयोग की गई धनराशि का योजना-वार ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) आठवीं योजना तथा नौवीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान संपूर्ण साक्षरता की योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को प्रदान की गई निधियों के विषय में स्थिति संलग्न विवरण-I तथा उपलब्धियों के बारे में स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

इस समय विश्व बैंक, यूरोपीय कमीशन (ई०सी०), डी०एफ० आई०डी०, (यूनाइटेड किंगडम) यूनिसेफ तथा नीदरलैंड सरकार जैसी विभिन्न बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियां जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से देश में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के क्षेत्र में सहायता प्रदान कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, स्वीडिश इण्टरनेशनल डेवलपमेंट अथारिटी (सीडा) राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में लोक जुम्बिश और शिक्षाकर्मी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सहायता प्रदान करती रही है। स्वीडिश इण्टरनेशनल डेवलपमेंट अथारिटी (सीडा) द्वारा वित्तपोषण से हाथ खींच लेने के पश्चात्, इन दोनों परियोजनाओं के लिए अब डी०एफ०आई०डी० (यूनाइटेड किंगडम) से सहायता प्राप्त करने का प्रस्ताव है। यू०एन० डी०पी०, यूनिसेफ, यूनेस्को, यू०एन०एफ०पी०ए० तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन नामक संयुक्त राष्ट्र की पांच संस्थाओं के सहयोग से आठ राज्यों में एक समुदाय आधारित प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम भी आरंभ किया गया है।

अब तक विभिन्न योजनाओं के लिए अनुबंधित कुल विदेशी सहायता राशि निम्नवत् है :

(करोड़ रु०)

क्रम सं०	योजना	विदेशी सहायता अनुबंधित राशि	अवधि
1.	डी०पी०ई०पी०	4884.00	1994-95 से लागू
2.	शिक्षा कर्मी	175.21	1.7.1987 से लागू
3.	लोक जुम्बिश	77.00	1.6.1992 से लागू
4.	भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र का संयुक्त कार्यक्रम	80.00	1998-99 से लागू

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सितम्बर, 1999 तक प्रत्येक राज्य द्वारा उपयोग की गई राशि संलग्न विवरण-III में दर्शायी गई है।

विवरण-I

साक्षरता योजनाओं के अन्तर्गत राज्यों को जारी की गई निधियां

(रु० करोड़ में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आठवीं योजना	नौवीं योजना (प्रथम 2 वर्ष)
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	60.22	10.37
अरुणाचल प्रदेश	1.55	0.04
असम	19.51	2.82
बिहार	60.79	7.94
गोवा	0.41	0.05
गुजरात	33.45	2.18
हरियाणा	10.83	1.33
हिमाचल प्रदेश	4.80	1.77
जम्मू और कश्मीर	4.58	1.68
कर्नाटक	40.94	3.88
केरल	7.46	0.64
मध्य प्रदेश	60.92	10.96
महाराष्ट्र	49.03	12.14
मणिपुर	1.47	0.43
मेघालय	3.03	0.33
मिजोरम	0.24	0.84
नागालैंड	1.87	0.60
उड़ीसा	29.22	4.04
पंजाब	8.13	2.54
राजस्थान	60.18	11.80
सिक्किम	0.28	—
तमिलनाडु	55.00	6.74
त्रिपुरा	2.36	0.88
उत्तर प्रदेश	90.89	12.66
पश्चिम बंगाल	44.35	24.40
चंडीगढ़	1.44	0.78
दिल्ली	7.70	2.06
पांडिचेरी	—	0.18
दमन और दीव	0.03	—
अंडमान और निकोबार	0.48	0.06
दादरा और नगर हवेली	0.02	—
लक्षद्वीप	0.17	0.03
कुल	661.35	124.17

टिप्पणी : नौवीं योजना के प्रथम दो वर्षों तक की स्थिति दर्शायी गई है। अलग-अलग राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर आबंटन किए गए हैं और स्वीकृत प्रस्तावों के आधार पर निधियाँ जारी की गई हैं।

विवरण-II

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	साक्षरता योजनाओं की उपलब्धियां				
	स्वीकृत परियोजनाएं			सहायता प्राप्त स्वयंसेवी संस्थाएं	साक्षरता दर में वृद्धि (1991-97)
	सं०सा० अ०	उ०सा० अ०	सतत् शिक्षा		
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	23	23	16	3	9.9
अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	18.4
असम	22	9	–	3	22.1
बिहार	42	13	1	32	10.5
गोवा	2	–	–	–	10.5
गुजरात	19	19	8	5	6.7
हरियाणा	17	6	1	1	9.2
हिमाचल प्रदेश	12	12	1	1	13.1
जम्मू और कश्मीर	5	–	–	4	26.3
कर्नाटक	20	19	–	3	2.0
केरल	14	14	14	2	3.2
मध्य प्रदेश	46	35	2	10	11.8
महाराष्ट्र	34	25	9	10	9.1
मणिपुर	1	–	–	3	16.1
मेघालय	6	–	–	1	27.9
मिजोरम	–	–	3	–	12.7
नागालैंड	–	–	–	–	22.4
उड़ीसा	26	12	–	11	1.9
पंजाब	14	3	1	3	8.5
राजस्थान	31	31	2	5	16.5
सिक्किम	–	–	–	–	22.1
तमिलनाडु	24	22	9	18	7.3
त्रिपुरा	4	4	–	1	12.6
उत्तर प्रदेश	68	32	1	55	14.4
पश्चिम बंगाल	19	15	7	7	14.3
चंडीगढ़	1	1	1	–	5.2
दिल्ली	1	–	–	20	9.7
पांडिचेरी	4	4	4	–	15.3
दमन और दीव	1	1	–	–	14.8
अं० और नि०	–	–	–	–	24.0
दादरा और नगर हवेली	1	–	–	–	8.3
लक्षद्वीप	–	–	–	–	14.2
कुल	457	300	80	198	9.8 (भारत)

विवरण-III

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य द्वारा उपयोग की गई विदेशी सहायता राशि से संबंधित स्थिति

(रु० करोड़ में)

योजना का नाम	राज्य के नाम	सितम्बर, 1999 तक उपयोग की गई राशि
1	2	3
(i) डी०पी०ई०पी०	1. असम	80.72
	2. हरियाणा	71.65
	3. कर्नाटक	185.04
	4. केरल	79.15
	5. महाराष्ट्र	115.28
	6. तमिलनाडु	85.20
	7. हिमाचल प्रदेश	36.49
	8. उड़ीसा	33.36
	9. मध्य प्रदेश	441.03
	10. उत्तर प्रदेश	128.94
	11. गुजरात	33.96
	12. बिहार	57.03
	13. आन्ध्र प्रदेश	245.00
	14. पश्चिम बंगाल	30.00
	कुल : डी०पी०ई०पी०	
(ii) शिक्षाकर्मी योजना	राजस्थान	55.21
(iii) लोक जुम्बिश परियोजना	राजस्थान	75.00

1	2	3
(iv) भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र की संयुक्त परियोजना	1. आन्ध्र प्रदेश	0.37
	2. बिहार	0.46
	3. कर्नाटक	1.04
	4. मध्य प्रदेश	0.48
	5. महाराष्ट्र	0.84
	6. उड़ीसा	0.63
	7. राजस्थान	0.12
	8. उत्तर प्रदेश	0.31
	योग (भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र का संयुक्त कार्यक्रम)	4.25

[हिन्दी]

प्राथमिक शिक्षा

*235. **श्री नवल किशोर राय :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में लगभग दस करोड़ बच्चों को प्राथमिक शिक्षा हेतु स्कूलों में दाखिल नहीं कराया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इन बच्चों का प्राथमिक विद्यालयों में दाखिला न कराये जाने के कारणों का पता लगाने के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, नहीं। विभिन्न एजेंसियों द्वारा हाल ही में किए गए अधिकांश सर्वेक्षणों के अनुसार लगभग 69 प्रतिशत प्राथमिक स्कूल के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। चूंकि 6-11 वर्ष की आयु वर्ग में बच्चों की अनुमानित संख्या लगभग 122 मिलियन (1996) है, जिसमें 38 मिलियन से कम बच्चे स्कूल शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हैं। सैकिया समिति (1997) के अनुसार प्राथमिक स्तर पर स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने से वंचित बच्चों की संख्या 30 मिलियन थी।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण ने वर्ष 1995-96 के 52वें दौर में नामांकन न होने के जो प्रमुख कारण बताए जाते हैं (i) अभिभावकों का बच्चों की शिक्षा में रूचि न लेना, (ii) बच्चों की अध्ययन में रुचि न होना तथा (iii) वित्तीय मजबूरियां।

कुछ अन्य अध्ययनों ने अभिभावकों को शिक्षा के प्रति अधिक से अधिक संप्रेरित किए जाने का उल्लेख करते समय स्कूल की प्राइवेटलागतों तथा स्कूल की असंतोषजनक सुविधाओं को भी निशाना बनाया जिसकी वजह से नामांकन नहीं हुआ।

(ङ) प्राथमिक शिक्षा के स्कूलों में सभी बच्चों को प्रवेश देने के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारें अनेक कदम उठा रही हैं जिनमें स्कूलों की उपलब्धता में वृद्धि करना, स्कूल की मूलभूत सुविधाओं में सुधार करना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों तथा बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, यूनिफार्म तथा उपस्थिति छात्रवृत्ति जैसे प्रोत्साहन देना तथा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को कार्यान्वित करना, स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह गए बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा के केन्द्र खोलकर स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करना और स्थानीय समुदाय को शामिल करना है।

हिन्दी भाषा का संवर्धन

*236. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1999-2000 के दौरान गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी का संवर्धन करने के कार्य में लगी संस्थाओं को कितनी धनराशि दी गई;

(ख) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान उक्त राशि बढ़ाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) भारत सरकार, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली और केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा के माध्यम से हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी की प्रोन्नति के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। पिछले वर्षों के दौरान इन संस्थाओं के लिए निम्नलिखित वित्तीय आवंटन किए गए :—

क्रम सं०	वर्ष	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय	केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल	कुल आवंटन (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5
1.	1994-95	2.28	2.55	4.83
2.	1995-96	5.52	3.23	8.75
3.	1996-97	5.19	3.57	8.76

1	2	3	4	5
4.	1997-98	7.71	4.47	12.18
5.	1998-99	8.61	5.00	13.61
6.	1999-2000	8.14	4.95	13.09

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यकों के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम

***237. श्री बाजूबन रियान : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15-सूत्री कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) मई, 1983 में तैयार किया गया अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री का 15-सूत्री कार्यक्रम एक सतत् कार्यक्रम है तथा इसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा केन्द्र सरकार से संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा आवधिक रिपोर्टों के आधार पर इसे मानीटर किया जाता है।

इस कार्यक्रम में निहित सूत्रों का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम

(1) साम्प्रदायिक दंगे

1. जिन क्षेत्रों का साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील और उपद्रव वाले क्षेत्रों के रूप में पता लगाया है, वहां ऐसे जिला तथा पुलिस अधिकारियों को तैनात किया जाए जो अत्यधिक कार्यकुशल, निष्पक्ष तथा धर्मनिरपेक्ष है। ऐसे क्षेत्रों में तथा अन्यत्र साम्प्रदायिक तनाव रोकना मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक के प्रमुख कर्तव्यों में से एक कर्तव्य होना चाहिए। उनकी पदोन्नति का निर्धारण करने में इस संबंध में उनका कार्यनिष्पादन ही एक महत्वपूर्ण घटक होना चाहिए।

2. इस संबंध में जिला तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए अच्छे कार्य के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए।

3. उन सभी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए जो साम्प्रदायिक तनाव को भड़काएं अथवा हिंसा करने में शामिल हों।

4. साम्प्रदायिक अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों अथवा विशेष रूप से निर्धारित न्यायालयों की स्थापना की जाए ताकि अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाई जा सके।

5. साम्प्रदायिक दंगों के शिकार व्यक्तियों को तत्काल राहत दी जाए और उनके पुनर्वास के लिए फौरन तथा पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए।

6. ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में विश्वास कायम करने, साम्प्रदायिक सद्भाव और शान्ति बनाए रखने में आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा भी सहायता दी जानी चाहिए।

7. यह दुर्भाग्य की बात है कि कभी-कभी प्रेस के कुछ लोग भी जानबूझकर ऐसी रिपोर्ट तथा सामग्री का प्रकाशन करते हैं जो झूठी, आपत्तिजनक और उत्तेजनापूर्ण होती है जिससे साम्प्रदायिक तनाव भड़क सकता है। ऐसी सामग्री के प्रकाशन से बचने का तरीका ढूंढने से सम्पादक, मुद्रक, प्रकाशक तथा अन्य संबंधित अपना सहयोग देंगे।

(2) राज्य और केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती

8. राज्य सरकारों को सलाह दी जाए कि पुलिस कर्मचारियों की भर्ती में अल्पसंख्यकों पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस उद्देश्य के लिए चयन समितियों के गठन में प्रतिनिधित्वपूर्ण होना चाहिए।

9. केन्द्रीय पुलिस बलों में कार्मिकों की भर्ती में ऐसी ही कार्रवाई केन्द्रीय सरकार द्वारा की जानी चाहिए।

10. रेलवे, राष्ट्रीयकृत बैंक और सार्वजनिक बैंक के उद्यम बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। इन मामलों में भी संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पसंख्यक समुदायों की भर्ती करने पर विशेष ध्यान दें।

11. अनेक क्षेत्रों में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती की जाती है। प्राय: अल्पसंख्यक समूह ऐसी परीक्षाओं में बराबरी के आधार पर शिक्षण प्रणाली का लाभ उठाने में असमर्थ रहे हैं। इन कठिनाइयों को दूर करने में उनकी सहायता करने के लिए इन परीक्षाओं में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने के लिए इन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों में कोचिंग कक्षाएं शुरू करने को प्रोत्साहित करने के उपाय किए जाने चाहिए।

12. उन उल्पसंख्यकों द्वारा, जो आज पिछड़े हुए हैं, तकनीकी कौशल प्राप्त कर लेने से देश के विकास में भी सहायता मिलेगी। इन समुदायों के व्यक्तियों को पर्याप्त संख्या में ऐसी संस्थाओं में दाखिला देने में प्रोत्साहन देने के लिए, सरकार और निजी एजेंसियों द्वारा अल्पसंख्यक बहुत क्षेत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई०टी०आई०) और पोलिटेक्निक खोलने के प्रबंध किए जाने चाहिए।

(3) **अन्य उपाय**

13. यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए कि अल्पसंख्यकों को, 20-सूत्री कार्यक्रम में शामिल करते हुए विभिन्न विकास कार्यक्रमों से होने वाले लाभों से पर्याप्त लाभ मिले। ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए गठित की गई विभिन्न समितियों में उन समुदायों के सदस्यों को सक्रिय रूप से सम्मिलित करना चाहिए।

14. उपर्युक्त सामान्य मुद्दों के अलावा ऐसी विभिन्न स्थानीय समस्याएं हैं, जो अल्पसंख्यकों को अनावश्यक रूप से क्षुब्ध करती है। उदाहरण के लिए वक्फ सम्पत्तियों और कब्रिस्तानों के अतिक्रमण से कुछ स्थानों पर विरोध और शिकायतें पैदा हुई हैं। ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए शीघ्रतापूर्वक और संतोषजनक ढंग से समुचित उपाय किए जाने चाहिए।

15. अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर लगातार ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि आशंकाओं को दूर दिया जा सके और वास्तविक शिकायतों का निवारण किया जा सके। इस कार्य को आसान बनाने के लिए गृह मंत्रालय में एक विशेष प्रकोष्ठ अल्पसंख्यकों से संबंधित मामलों से निपटाने के लिए खोला जाएगा।

विशेष संघटक योजना

*238. **श्री राम नायडू दग्गुबाटि : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्यों में विशेष संघटक योजना के अंतर्गत आबंटित धनराशि का पूरी तरह उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए नियत धनराशि के पूरी तरह उपयोग के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) विशेष संघटक योजना राज्य योजना का एक भाग होती है और इसलिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी वार्षिक योजना से इसके लिए प्रावधान करते हैं। तथापि, केन्द्र सरकार विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में एक योगज प्रदान करती है।

(ग) विशेष संघटक योजना के अंतर्गत सावधिक रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ व्यय की समीक्षा और मानीटरिंग की जाती है तथा उन्हें विशेष संघटक योजना के अंतर्गत अनुकूलतम रूप से उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

बालिका भ्रूण हत्या

*239. **श्री जी० पुट्टस्वामी गौड़ा :**
श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालिका भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रसव-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 को सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन राज्यों में यह अधिनियम कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है;

(ग) देश में विशेष रूप से कर्नाटक में प्रतिवर्ष कितने बालिका भ्रूणों को गर्भपात द्वारा समाप्त कर दिया गया; और

(घ) सरकार ने देश में भेदभावपूर्ण लिंग परीक्षण और बालिका भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) और (ख) प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम 1 जनवरी, 1996 से जम्मू और कश्मीर को छोड़कर, जहां पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है, सम्पूर्ण देश में लागू किए गए हैं। अधिनियम के अनुसार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए समुचित प्राधिकारियों की नियुक्ति कर ली है।

(ग) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार भ्रूणहत्या की राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार घटनाएं विवरण के रूप में सलंग्न हैं। कर्नाटक से 1998 और 1999 में भ्रूणहत्या की किसी घटना की सूचना नहीं है।

(घ) अधिनियम के अन्तर्गत प्रसवपूर्व निदान तकनीकों का प्रयोग और आनुवंशिकी सलाह देने का कार्य केवल अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत आनुवंशिकी क्लिनिकों, आनुवंशिकी प्रयोगशालाओं और आनुवंशिकी सलाहकेन्द्रों द्वारा ही किया जा सकता है। ऐसे तकनीकों के प्रयोग की अनुमति किसी प्रकार की अपसामान्यताओं का पता लगाने और अधिनियम में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करने पर ही है। भ्रूण के लिंग के बारे में बतलाना मना है। इस कानून का उल्लंघन करने पर दंड देने की व्यवस्था है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस अधिनियम के उपलब्धों के बारे में लोगों और सेवा प्रदायकों को जागरूक बनाने के लिए कारगर विज्ञापन अभियान तेज करने और अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन की जानकारी देने वाले या उल्लंघन होने पर शिकायतें दर्ज करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा गैर-सरकारी संगठनों को संरक्षण प्रदान करने की सलाह दी गई है।

अधिनियम के उपबंधों के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए राज्य/जिला स्तर पर कार्यशालाएं/संगोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं। स्वैच्छिक संगठनों को भी अधिनियम के उपबन्धों के बारे में जागरुकता पैदा करने वाली परियोजनाएं चलाने के कार्य में शामिल किया जा रहा है।

विवरण

1998 और 1999 के दौरान भ्रूण हत्या की घटना दर

क्रम सं०	राज्य/संघ क्षेत्र	भ्रूण हत्या		अभ्युक्तियां (माह तक के आंकड़े)
		1998	1999	
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	1	जून
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	सितम्बर
3.	असम	0	0	जुलाई
4.	बिहार	2	0	अनुपलब्ध
5.	गोवा	0	0	अक्तूबर
6.	गुजरात	1	6	अगस्त
7.	हरियाणा	12	7	अक्तूबर
8.	हिमाचल प्रदेश	1	1	सितम्बर
9.	जम्मू और कश्मीर	1	0	जुलाई
10.	कर्नाटक	0	0	सितम्बर
11.	केरल	0	0	सितम्बर
12.	मध्य प्रदेश	12	12	सितम्बर
13.	महाराष्ट्र	25	6	जुलाई
14.	मणिपुर	0	0	सितम्बर
15.	मेघालय	0	0	जुलाई
16.	मिजोरम	0	0	सितम्बर
17.	नागालैंड	0	0	सितम्बर
18.	उड़ीसा	0	0	मई
19.	पंजाब	2	3	सितम्बर
20.	राजस्थान	4	2	जुलाई
21.	सिक्किम	0	0	अगस्त
22.	तमिलनाडु	0	0	सितम्बर
23.	त्रिपुरा	0	0	अगस्त
24.	उत्तर प्रदेश	0	0	अगस्त
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	अगस्त
	योग (राज्य)	60	38	
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	अक्तूबर
27.	चंडीगढ़	0	0	जून
28.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	अगस्त
29.	दमन एवं दीव	0	0	अक्तूबर
30.	दिल्ली	2	0	अक्तूबर
31.	लक्षद्वीप	0	0	अक्तूबर
32	पांडिचेरी	0	0	अक्तूबर
	योग (संघ क्षेत्र)	2	0	
	योग (अखिल भारत)	62	38	

स्रोत : मासिक अपराधिक आंकड़े

टिप्पणी : 1. आंकड़े अनन्तिम हैं।

2. अरुणाचल प्रदेश के अगस्त माह के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

3. हरियाणा के जून मास के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

बाल स्वास्थ्य केन्द्र

*240. **श्री अशोक प्रधान :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में, विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में, कार्यरत बाल स्वास्थ्य केन्द्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) इन केन्द्रों द्वारा बच्चों को नई बीमारियों से बचाने के लिए क्या निवारक कदम उठाये गए हैं;

(ग) क्या इन सभी केन्द्रों और औषधालयों में औषधियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार राज्यों में ऐसे और नए केन्द्र खोलने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) बाल स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम से कोई स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोले गए हैं। तथापि, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, जिनमें बाल स्वास्थ्य सेवाएं भी शामिल हैं, उपकेन्द्रों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों में कार्य कर रहे ऐसे केन्द्रों की संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत इन केन्द्रों के माध्यम वैक्सीन से रोके जा सकने वाले छह रोगों के प्रति-रक्षण तीव्र श्वसनी संक्रमण और अतिसार रोग के उपचार संबंधी सेवाएं अनिवार्य नवजात शिशु परिचर्या और पोषणिक रक्ताल्पता और विटामिन ए की कमी की रोकथाम संबंधी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

(ग) और (घ) उपकेन्द्रों को औषधियां वर्ष में दो बार औषध किट-ए और बी के रूप में दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों को औषधियों के लिए प्रति उप केन्द्र 2000/-रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों द्वारा भी औषधियां प्रदान की जाती हैं।

(ङ) और (च) बाल स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य क्षेत्र-योजना में प्रदान की गई निधियों के उपयोग से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नई प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या यूनिटें (उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) खोलना राज्य सरकारों का दायित्व है। नौवीं योजना के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित उप केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ क्षेत्र	1996-97 के दौरान कार्य कर रहे विभिन्न केन्द्रों की संख्या			वर्ष 1997-98 के दौरान कार्य कर रहे विभिन्न केन्द्रों की संख्या		
		उपकेन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	उपकेन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	10568	1335	207	10568	1335	207
2.	अरुणाचल प्रदेश	223	47	9	245	47	9
3.	असम	5280	619	105	5280	619	105
4.	बिहार	14799	2209	148	14799	2209	148
5.	गोवा	172	17	5	272	18	5
6.	गुजरात	7274	960	185	7274	960	188
7.	हरियाणा	2299	399	63	2299	400	64
8.	हिमाचल प्रदेश	1980	260	42	2093	322	55
9.	जम्मू व कश्मीर	1700	355	45	1700	337	45
10.	कर्नाटक	8143	1601	242	8143	1601	242
11.	केरल	5094	956	80	5094	960	80
12.	मध्य प्रदेश	11938	1814	198	11038	1814	198
13.	महाराष्ट्र	9725	1695	300	9725	1699	306
14.	मणिपुर	420	69	16	420	69	16
15.	मेघालय	377	81	10	377	85	13
16.	मिजोरम	324	38	6	324	38	6
17.	नागालैंड	244	33	5	244	33	5
18.	उड़ीसा	5927	1102	157	5927	1352	157
19.	पंजाब	2852	484	105	2852	484	105
20.	राजस्थान	9400	1616	261	9650	1646	261

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	सिक्किम	147	24	2	147	24	2
22.	तमिलनाडु	8681	1436	72	8681	1436	72
23.	त्रिपुरा	537	55	11	537	58	11
24.	उत्तर प्रदेश	20153	3761	262	20153	3808	310
25.	पश्चिम बंगाल	7873	1556	89	7873	1556	89
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	96	17	4	97	17	4
27.	चंडीगढ़	12	—	1	13	—	1
28.	दादरा एवं नगर हवेली	34	6	—	36	6	—
29.	दमन व दीव	21	3	1	21	3	1
30.	दिल्ली	42	8	—	42	8	—
31.	लक्षद्वीप	14	4	3	14	4	3
32	पांडिचेरी	80	43	4	80	43	4
	योग	136429	22583	2638	136818	22991	2712

विवरण-II

नौवीं योजना के दौरान उपकेन्द्रों को खोलने के लक्ष्य

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपकेन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	372	220
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
3.	असम	—	107	76
4.	बिहार	1026	428	511
5.	गोवा	—	5	1
6.	गुजरात	—	68	71
7.	हरियाणा	183	16	39
8.	हिमाचल प्रदेश	—	1	—
9.	जम्मू व कश्मीर	—	—	4
10.	कर्नाटक	—	—	26
11.	केरल	—	—	100
12.	मध्य प्रदेश	184	206	307
13.	महाराष्ट्र	808	61	135
14.	मणिपुर	—	—	—
15.	मेघालय	87	—	6
16.	मिजोरम	—	—	—
17.	नागालैंड	81	21	9
18.	उड़ीसा	447	—	108
19.	पंजाब	6	—	14
20.	राजस्थान	—	—	51
21.	सिक्किम	—	—	2
22.	तमिलनाडु	—	—	237
23.	त्रिपुरा	42	40	13
24.	उत्तर प्रदेश	2184	—	621
25.	पश्चिम बंगाल	2483	170	342
26.	अं० एवं नि० द्वीपसमूह	—	—	—
27.	चंडीगढ़	1	2	—
28.	दादरा एवं नगर हवेली	6	1	2
29.	दमन एवं दीव	—	—	—
30.	दिल्ली	148	24	8
31.	लक्षद्वीप	—	—	—
32.	पांडिचेरी	—	—	—
	योग	7686	1521	2903

तूफान द्वारा उद्योगों को नुकसान

2147. **श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में आए तूफान की वजह से पारादीप उर्वरक उद्योगों को कितना नुकसान और क्षति हुई है;

(ख) इन क्षतिग्रस्त उद्योगों को पुन: उसी स्थिति में लाने, उनका पुन: निर्माण करने और चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इन उद्योगों को कब तक चालू करने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) पारादीप फास्फेट्स लि० (पी०पी०एल०) को बड़ा भारी नुकसान हुआ जैसा कि मौके पर आंकलन किया गया है। संयंत्रों को परीक्षण के तौर पर चालू करने तथा प्रारम्भ करने के उपरान्त नुकसान की सही मात्रा आंकलित की जानी है।

(ख) और (ग) डाई-अमोनियम फास्फेट (डी०ए०पी०) और सल्फयूरिक एसिड संयंत्रों के प्रचालन पुन: आरम्भ हो गये हैं। फास्फोरिक एसिड संयंत्र में सामान्य उत्पादन मार्च, 2000 के अंत तक आरम्भ हो जाएगा।

मैटिरियल साइंस में नवीनतम विकास

2148. **श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "मैटिरियल साइंस में नवीनतम विकास" पर हाल ही में कोई कार्यशाला आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो भारत और विदेशों से कितने व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया; और

(ग) इस कार्यशाला के आयोजन के क्या परिणाम निकले ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) से (ग) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई०आई०टी०) दिल्ली और भारतीय विज्ञान संस्थान (आई०आई०एस०सी०), बंगलौर द्वारा क्रमश: 10-12 नवम्बर, 1999 और 23-27 अगस्त, 1999 के दौरान मैटिरियल साइंस में नवीनतम विकास पर कार्यशाला आयोजित की गई थी। भारत से 142 व्यक्तियों तथा इटली से 8 व्यक्तियों ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई०आई०टी०), दिल्ली द्वारा आयोजित कार्यशाला में भाग लिया जबकि भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर द्वारा आयोजित कार्यशाला में भारत से 135 व्यक्तियों तथा विदेश से 164 व्यक्तियों ने भाग लिया। मैटिरियल साइंस में नवीनतम प्रौन्नति और विकास पर चर्चा की गई थी और सहयोग के लिए नए क्षेत्रों का अभि-निर्धारण किया गया था।

असम विश्वविद्यालय का परिसर

2149. **डा० जयन्त रंगपी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करबी अंगलांग में दीफू में असम विश्वविद्यालय में सिल्चर का एक सम्बद्ध परिसर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ग) इस परिसर की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) से (ग) असम विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केन्द्रीय सरकार से पूर्ण वित्तीय स्वीकृति मिलने पर परिसर स्थापित करने का अधिकार है।

[हिन्दी]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की शाखा की स्थापना

2150. **श्री अशोक प्रधान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नोएडा/ग्रेटर नोएडा अथवा दिल्ली में किसी अन्य स्थान पर "अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान" (एम्स) की शाखा खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, इस संस्थान ने हाल ही में दिल्ली मिड टाऊन रोटरी ट्रस्ट जो एक पंजीकृत सोसाइटी है, से त्रिलोकपुरी/कल्याणपुरी में स्थित मिड-टाऊन रोटरी आई/डैंटल क्लिनिक-कम-अस्पताल का कार्यभार अपने हाथ में लिया है। इस संस्थान ने एकान्तर दिवसों में दन्त-चिकित्सा और नेत्र क्लिनिक शुरू किए हैं। संस्थान आने वाले कुछ समय में अपने कैंसर खोज कार्यक्रम के लिए सामुदायिक मेडीसिन विभाग और रोटरी कैंसर अस्पताल के माध्यम से विस्तार कार्यक्रम चलाने की योजना रखता है।

परिवार कल्याण/टीकाकरण कार्यक्रम

2151. **श्री सुरेश चन्देल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से राज्यों में परिवार कल्याण/टीकाकरण कार्यक्रम ठीक प्रकार से क्रियान्वित नहीं किए जा रहे; और

(ख) इन राज्यों में इन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) और (ख) परिवार कल्याण और टीकाकरण कार्यक्रम, दोनों ही देश भर में कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इनके कार्यनिष्पादन के स्तरों में सुधार करने के लिए इन कार्यक्रमों की बारीकी

से मॉनीटरिंग की जा रही है। देश में नियमित (रूटीन) टीकाकरण कार्यक्रम में सुधार के लिए सरकार कदम उठा रही है।

[अनुवाद]

शहरी विकास योजना

2152. **श्री सुनील खां :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहरी विकास और शहरी रोजगार के लिए कोई विस्तृत योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1999 से 2000 के दौरान पश्चिम बंगाल को कितनी निधियों का आवंटन किया गया; और

(ग) शहरी लोगों के रोजगार हेतु क्या योजना तैयार की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां। यह मंत्रालय शहरी विकास के लिए विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं चला रहा है यथा छोटे एवं मझोले कस्बों के समन्वित विकास की स्कीम मेगा शहरों में अवस्थापना विकास स्कीम, त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम तथा कम लागत की सफाई योजना (जो हडको के माध्यम से चलाई जा रही है) इसके अतिरिक्त, शहरी रोजगार व गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना भी (एस०जे०एस०आर०वाई०) चलाई जा रही है।

(ख) उपर्युक्त योजनाओं के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल को 1999-2000 के दौरान अब तक उपलब्ध कराई गई सहायता इस प्रकार है :—

(i) आई०डी०एस०एम०टी० के तहत प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता

क्र० सं०	कस्बा	प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता (लाख रुपए)
1.	झालदा	3.00
2.	माल	6.90
3.	डायमंड हार्बर	6.00
4.	स्नोमुखी	5.53
5.	वर्दवान	73.00
6.	तूफानगंज	16.00
7.	दिनहारा	16.50
8.	हल्दीबाड़ी	16.00
	योग :	142.93

(ii) मेगा शहरों में अवस्थापना विकास की योजना के अन्तर्गत कलकत्ता को 9.00 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है।

(iii) 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों के लिए लागू केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 4.13 करोड़ रु० की लागत से चार (4) जल आपूर्ति योजनाएं अनुमोदित की गई हैं। अनुमोदित योजनाओं के लिए केन्द्रीय अंश के रूप में 2.07 करोड़ रु० प्रदान किए गए हैं।

(iv) केन्द्र प्रवर्तित कम लागत की सफाई योजना के अन्तर्गत 51.91 करोड़ रु० के ऋण तथा 54.82 करोड़ रुपए की सब्सिडी से 13 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें से ऋण के रूप में 9.61 करोड़ रुपए तथा सब्सिडी के रूप में 29.58 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं।

(v) एस०जे०एस०आर०वाई० योजना के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष के दौरान शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम तथा शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के लिए क्रमशः 4.68 करोड़ रुपए तथा 3.13 करोड़ रुपए नियत किए गए हैं।

(ग) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा शहरी रोजगार के लिए एस०जे०एस०आर०वाई० योजना तैयार की गई है।

कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों में उन्नयन

2153. **श्री ए० वेंकटेश नायक :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक राज्यवार कितने कम शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति वाले (दूरदर्शन) ट्रांसमीटरों में उन्नत किया गया है;

(ख) क्या सरकार का कुछ और कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों को विशेषतः कर्नाटक में उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों में बदलने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों में उन्नत किए गए अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) स्थलवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों में उन्नत किए गए अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों की राज्यवार सूची

क्रम सं०	राज्य	उ०श० ट्रां० में उन्नत किए गए अ०श०ट्रां० की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	7

1	2	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	3
4.	बिहार	1
5.	गुजरात	3
6.	हिमाचल प्रदेश	1
7.	जम्मू एवं कश्मीर	3
8.	कर्नाटक	2
9.	केरल	3
10.	मध्य प्रदेश	5
11.	महाराष्ट्र	1
12.	मणिपुर	1
13.	मेघालय	2
14.	मिजोरम	2
15.	नागालैंड	1
16.	उड़ीसा	2
17.	पंजाब	2
18.	राजस्थान	4
19.	सिक्किम	1
20.	तमिलनाडु	1
21.	त्रिपुरा	1
22.	उत्तर प्रदेश	3
	कुल :	50

विवरण-II

मौजूदा अ०श०ट्रां०/अ०अ०श०ट्रां० के स्थान पर स्थापित किए जा रहे उ०श०ट्रां० के स्थल

राज्य	स्थल
1	2
आन्ध्र प्रदेश	वारंगल
असम	गुवाहाटी (डी०डी०2) सिल्चर (डी०डी०2)
बिहार	जमशेदपुर पटना (डी०डी०2)
गोवा	पणजी (डी०डी०2)
गुजरात	वड़ोदरा सूरत
हिमाचल प्रदेश	शिमला (डी०डी०2)
जम्मू और कश्मीर	कथुआ जम्मू (डी०डी०2)
कर्नाटक	हासन मंगलौर मैसूर रायचूर
केरल	कन्नानौर कोचीन (डी०डी०2) त्रिवेन्द्रम (डी०डी०2)
मध्य प्रदेश	गुना शहडौल अम्बिकापुर भोपाल (डी०डी०2)
महाराष्ट्र	चन्द्रापुर जलगांव रत्नागिरि नागपुर (डी०डी०2)
मणिपुर	चुराचांदपुर (अ०अ०श०ट्रां० के बदले)
मेघालय	तुरा (डी०डी०2)
उड़ीसा	बेरहामपुर सम्बलपुर (डी०डी०2)
राजस्थान	अजमेर जयपुर (डी०डी०2)
तमिलनाडु	कुम्बा-कोणम
त्रिपुरा	अगरतला (डी०डी०2)
उत्तर प्रदेश	बांदा लखीमपुर लखनऊ (डी०डी०2)
पश्चिम बंगाल	बालूरघाट कृष्णानगर खड़गपुर शान्तिनिकेतन मुर्शिदाबाद (डी०डी०2)
पांडिचेरी	पांडिचेरी

[हिन्दी]

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

2154. श्री राजो सिंह :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और अन्य राज्यों में शुरू किये गए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के उद्देश्य के अनुरूप अच्छे परिणाम नहीं रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मिशन को सफल बनाने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) से (ग) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों से बिहार सहित संपूर्ण देश में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के 53वें दौर के निष्कर्षों से यह सिद्ध हो चुका है कि वर्ष 1997 में भारत की साक्षरता दर 62 प्रतिशत हो गई जबकि वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 52.21 प्रतिशत थी। इससे यह ज्ञात होता है कि वर्ष 1991 तथा 1997 के सात ही वर्षों में 10 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई और यह वृद्धि पिछले दशकों की 8.5 प्रतिशत की औसत दशकीय वृद्धि की तुलना में बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त, सर्वेक्षण के निष्कर्षों से यह भी संकेत मिलता है कि देश में कुल निरक्षर व्यक्तियों की संख्या घट रही है।

[अनुवाद]

बी०सी०जी० के टीके

2155. श्री जी०एस० बसवराज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बी०सी०जी० के टीके बच्चों को अत्यधिक खतरनाक प्रकार के क्षयरोग से सुरक्षा प्रदान करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् और चिकित्सकों ने इस संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत में किए गए अध्ययन से पता चलता है कि बी०सी०जी० टीका बच्चों में पाए जाने वाले क्षय रोग के ट्यूबरकुलर मेनिनजाइटिस और मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस जैसे अधिक गंभीर रूपों से लगभग 75 प्रतिशत तक सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा गठित विशेषज्ञ दल ने मत व्यक्त किया है कि व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत केवल नवजातों और शिशुओं को वर्तमान में दिया जा रहा बी०सी०जी० टीका आगे भी दिया जाता रहना चाहिए।

भवनों के निर्माण हेतु अनुदान

2156. श्री टी० गोविन्दन : क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भवनों के निर्माण/कार्यालय उपकरण हेतु अनुदान के लिए आवेदन करने वाले संगठनों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे अनुदान प्राप्त संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे अनुदान मंजूर करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो संगठन-वार इसके क्या कारण हैं ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच० चाओबा सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

संखिया के प्रदूषण से होने वाली बीमारियां

2157. श्री रामदास आठवले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र के आदिवासी, अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों और अन्य राज्यों में संखिया के प्रदूषण से होने वाली बीमारियों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विदेशी सहायता से ऐसी बीमारियों के उन्मूलन हेतु कोई ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र और अन्य राज्यों को इस कार्य के लिए प्रतिवर्ष कितनी सहायता उपलब्ध कराई;

(ङ) क्या महाराष्ट्र और अन्य राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से इस कार्य हेतु और अधिक राशि आबंटन का अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उच्च व्यावसायिक शिक्षा हेतु अत्यधिक शुल्क

2158. श्री बसुदेव आचार्य : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न शिक्षण संस्थाएं उच्च व्यावसायिक शिक्षा हेतु छात्रों से आवेदन पत्रों के लिए अत्यधिक शुल्क और प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए अत्यधिक राशि के बैंक ड्राफ्ट वसूल कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) असफल उम्मीदवारों को ड्राफ्ट राशि न लौटाए जाने के पीछे क्या तर्क हैं;

(घ) क्या ये संस्थान उम्मीदवारों से प्राप्त ड्राफ्टों का लेखा तैयार करते हैं और इनकी लेखा परीक्षा कराते हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में और असफल छात्रों/उम्मीदवारों को बैंक ड्राफ्ट लौटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) से (ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् विनियम, 1994 (शुल्क के लिए मानदंड और दिशानिर्देश तथा व्यावसायिक कालेजों में प्रवेश के लिए दिशानिर्देश) जारी किए हैं। यदि कोई व्यावसायिक कालेज इन विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करती है तो परिषद्, कालेज की मान्यता समाप्त कर सकती है। परिषद् के अनुसार इस प्रकार के उल्लंघन की उनको कोई जानकारी नहीं है।

खेल चैनल

2159. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर दर्शकों को खेल चैनल सीधे उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) से (ग) दूरदर्शन का खेल चैनल इसके उपग्रह चैनल पर पहले से ही उपलब्ध है जिसे किसी भी दर्शक द्वारा उपयुक्त डिश एन्टीना या केबल नेटवर्क के माध्यम से सीधे देखा जा सकता है।

पिछड़े वर्ग के छात्रों को वित्तीय सहायता

2160. श्री जी०एम० बनातवाला : क्या मानव संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े वर्ग के उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थियों को दी जा रही आर्थिक सहायता के लिए केरल को कोई अनुदान दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब से यह अनुदान दिया जा रहा है;

(ग) क्या केरल सरकार ने अनुदान का उपयोग किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) से (ङ) केन्द्रीय सरकार स्वयं पिछड़े वर्ग के छात्रों को उच्चतर शिक्षा जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने सम्बन्धी कोई योजना नहीं चलाती है। किन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए विशेष उपाय हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को शामिल करने के लिए इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का इरादा छूट देने का भी है।

मीडिया का विकास

2161. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में वर्ष 1998-99 और चालू वर्ष के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के विकास और मजबूती के लिए नीति संबंधी क्या निर्णय लिये गये हैं;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान किया गया निवेश और तत्संबंधी प्रभाव क्या है;

(ग) सरकार द्वारा चालू वर्ष और अगले वर्ष के लिए निर्धारित प्राथमिकताओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1998-99 के दौरान नीति संबंधी निर्णयों को लागू करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) और (घ) सरकार ने 80 प्रतिशत भारतीय इक्विटी तथा भारतीय प्रबंध नियंत्रण वाले भारतीय प्रसारकों को 1998 में विदेश संचार निगम लिमिटेड के माध्यम से भारतीय भूमि से अपलिंकिंग की अनुमति दी थी। इस सुविधा को 1999 में उनके अपने उपग्रह भू-केन्द्र के माध्यम से प्रसारण हेतु भी लागू किया गया है।

1999 में 100 प्रतिशत भारतीय स्वामित्व वाली निजी कम्पनियों के लिए 40 केन्द्रों में एफ०एम० रेडियो प्रसारण की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है और लाइसेंस आबंटन के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं।

(ख) आठवीं योजना के दौरान आकाशवाणी ने 655.57 करोड़ रुपये का निवेश किया जबकि दूरदर्शन ने 1264.34 करोड़ रुपये का निवेश किया। इस अवधि के दौरान देश में रेडियो कवरेज 89.7 प्रतिशत से बढ़कर 97.1 प्रतिशत जनसंख्या तक बढ़ा। दूरदर्शन का कवरेज 81.1 प्रतिशत से 86.9 प्रतिशत जनसंख्या तक बढ़ा।

इसी अवधि के दौरान पत्र सूचना कार्यालय ने 4.39 करोड़ रुपये का निवेश किया। योजना अवधि के दौरान किए गए आधुनिकीकरण तथा विस्तार कार्यों से समाचारों के प्रसार में सुधार करने में सहायता मिली।

(ग) प्राथमिकताओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

1. सीमावर्ती क्षेत्रों सहित कवर न किए गए क्षेत्रों में आकाशवाणी कवरेज का विस्तार करना;
2. आकाशवाणी की विदेश सेवा का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण करना;
3. आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए ट्रांसमीटर प्रतिष्ठापनों का उन्नयन करना;
4. नेटवर्क में प्रौद्योगिकियों का आधुनिकीकरण; और
5. कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं का उन्नयन।

[हिन्दी]

मदरसों की संख्या में वृद्धि

2162. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान और गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में मदरसों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ऐसे कितने मदरसे खोले गये ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

प्राथमिक विद्यालय और शिक्षक

2163. **श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए देश में कितने प्राथमिक विद्यालयों और शिक्षकों की आवश्यकता है; और

(ख) आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) और (ख) प्राथमिक विद्यालयों तथा अध्यापकों की आवश्यकता राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिमानकों तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्धारित की जाती है। इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

[अनुवाद]

उड़ीसा को समेकित जनजातीय विकास परियोजना

2164. **श्री अनादि साहू : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान समेकित जनजातीय विकास परियोजनाओं के अंतर्गत उड़ीसा में जनजातीय विकास के लिये कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने इस प्रयोजनार्थ आबंटित राशि का प्रयोग किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस योजना के अंतर्गत जनजातीय विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय सीधे आई०टी०डी०पी० को निधियां निर्मुक्त नहीं करता है। तथापि, मंत्रालय द्वारा उड़ीसा राज्य सरकार को निर्मुक्त निधियां राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक आई०टी०डी०पी० को आबंटित की जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बाल मजदूरी और अनाथ बच्चे

2165. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बाल मजदूरी और अनाथ बच्चों की बढ़ती संख्या से संबंधित समस्याओं पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस बैठक को कब तक बुलाए जाने की संभावना है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) बाल श्रम तथा निराश्रित बच्चों में वृद्धि से संबंधित समस्याओं पर विचार-विमर्श के लिए निकटतम भविष्य में कोई बैठक बुलाने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि विभिन्न मंचों पर बाल श्रम तथा निराश्रित बच्चों से संबंधित समस्याओं पर बराबर बातचीत की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अपशिष्ट प्रबंधन के मानदंडों का उल्लंघन

2166. **श्री सी०पी० राधाकृष्णन :**
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली में अपशिष्ट प्रबंधन के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए अस्पतालों के विरुद्ध कारवाई की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो अस्पतालों और नर्सिंग होमों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार ने जुलाई 1998 में जैब-चिकित्सीय अपशिष्टों के प्रबन्धन के लिए जैब-चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं संभाल) नियम अधिसूचित किए हैं। इन नियमों के अनुसार भारत में सभी अस्पतालों/नर्सिंग होम को 31 दिसम्बर, 2002 तक चरणबद्ध ढंग से अपेक्षित उपचार विधि के अनुसार अपने-अपने जैब-चिकित्सीय अपशिष्ट का निपटान (ट्रीट) करना है।

[हिन्दी]

नेहरू युवा केन्द्र

2167. **श्री महेश्वर सिंह : क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा संचालित नेहरू युवा केन्द्रों के कार्यक्रम क्या हैं;

(ख) क्या इसके कार्यक्रमों में स्थानीय संसद सदस्यों को आमंत्रित किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच० चाओबा सिंह) : (क) नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एन०वाई०के०एस०) सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक संस्था है जो नेहरू युवा केन्द्रों का संचालन करती है। केन्द्रों के कार्यक्रम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) प्रत्येक जिला नेहरू युवा केन्द्र को युवा कार्यक्रमों संबंधी जिला सलाहकार समिति (डी०ए०सी०वाई०पी०) से मार्गदर्शन प्राप्त होता है जो कार्रवाई योजनाओं को तैयार करने के संबंध में केन्द्र को सहायता प्रदान करती है। नेहरू युवा केन्द्र संगठन ने युवा कार्यक्रमों संबंधी जिला सलाहकार समिति के अध्यक्षों को सलाह दी है कि वे अपने कार्य में स्थानीय सांसदों/विधायकों को उपयुक्त रूप से संबद्ध रखें।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

नेहरू युवा केन्द्रों के कार्यक्रम

1. युवाओं में राष्ट्रीय एकता, अखण्डता तथा धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का संवर्धन एवं विकास करना।

2. युवाओं को ऐसे कार्यक्रमों में सम्बद्ध करना जिनसे युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामुदायिक गायन, सांस्कृतिक गतिविधियों, कार्य शिविरों/खेल संबंधी गतिविधियों, स्वयं-सहायता कार्यक्रमों, शारीरिक एवं प्रौढ़ शिक्षा, चरित्र-निर्माण और सहकारिता आंदोलन के आयोजन में सुविधा मिलेगी।

3. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०) स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण (ट्रायसेम), स्व-रोजगार, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा आदि जैसे सरकार के विभिन्न विभागों/एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों तथा युवाओं के बीच संपर्क के रूप में कार्य करना।

4. ग्रामीण युवाओं में जागरूकता उत्पन्न करना तथा विभिन्न ग्रामीण विकास संबंधी कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए उनको आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना।

5. कार्यकर्ताओं के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करना ताकि उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विभागों/एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों/स्कीमों से परिचित करवाया जा सके।

6. अपने उद्देश्यों का आगे विस्तार करने के लिए राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों तथा भारत में तथा विदेशों में स्थित अन्य संगठनों के साथ सहयोग करना।

7. युवा क्षेत्र तथा सम्बद्ध मामलों में सेमिनारों, सम्मेलनों का आयोजन करना, प्रायोजित करना और वित्त पोषण करना।

8. युवाओं से संबंधित पत्रिकाओं और साहित्य के प्रकाशन को आरंभ करना तथा प्रोत्साहित करना।

9. इन उद्देश्यों के कार्यान्वयन में पुरस्कारों, इनामों तथा छात्रवृत्तियों को स्थापित करना, उनकी पेशकश करना तथा उनको प्रदान करना।

10. दान, अनुदान तथा उपहार स्वीकार करना और एकत्र करना एवं किसी बन्दोबस्ती सम्पत्ति अथवा न्यास का प्रबंध हाथ में लेना तथा इन उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ दान, अनुदान एवं उपहार देना।

11. अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सामान्यतः समय-समय पर पाए जाने वाले यथावश्यक ऐसे सभी अभ्युपाय करना।

[अनुवाद]

परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रोत्साहन

2168. **डा० एस० जगत रक्षकन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का परिवार कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए नए प्रोत्साहन शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) से (ग) एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सरकार के विचाराधीन है। इस नीति में परिवार कल्याण कार्यक्रम को तेज करने के लिए प्रोत्साहनात्मक और प्रेरणात्मक उपायों सहित सभी पहलुओं पर कार्रवाई करने पर ध्यान दिया जाएगा।

यूनानी दवाओं की खरीददारी में अनियमितताएं

2169. श्री भीम दाहाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1994 के दौरान प्लेग हेतु यूनानी दवाओं की खरीददारी के संबंध में भ्रष्टाचार/अनियमितताओं के बारे में शिकायतें मिली थीं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार को केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद के निदेशक के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि निदेशक ने प्लेग की 40 लाख रुपए की कीमत की औषधें खरीद ली और यह कि उनके अपने आर्थिक लाभों के लिए निर्धारित सरकारी खरीद प्रक्रिया का पालन किए बगैर और वैज्ञानिक सलाहकार समिति या इस उद्देश्य के लिए गठित किसी समिति की अनुशंसा के बिना औषधें खरीदी गई। इस शिकायत की जांच-पड़ताल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा एक जांच अधिकारी नियुक्त करके कार्रवाई गई है। जांच पड़ताल के निष्कर्षों के अनुसार यह पाया गया है कि केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मंत्रालय की ओर से प्लेग की औषधों की खरीद अनुमोदित उन फर्मों को क्रयादेश (आर्डर) देकर की जो प्लेग औषधों का निर्माण करती हैं। जांच-पड़ताल से यह भी उजागर हुआ है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 1994 में प्लेग महामारी के दौरान यूनानी दवाई की खरीद के लिए 1,80,375/-रु० का भुगतन किया था और यह भी कि लगाए गए आरोप रिकार्ड में दर्ज तथ्यों से सिद्ध नहीं हुए।

भूमि का आवंटन

2170. श्री रामसागर रावत : क्या शहरी विकास मंत्री भूमि के आवंटन के बारे में 18 दिसम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3748 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस संबंध में जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कब तक पूरी हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री के 20-सूत्री कार्यक्रम के तहत कमजोर वर्गों को क्रय-विक्रय की रजिस्ट्री करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नाइट्रोजनिक उर्वरकों का उत्पादन

2171. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान नाइट्रोजनिक उर्वरक का उत्पादन लक्ष्य से नीचे गिर गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसकी वास्तविक कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (ग) जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है, चालू वर्ष (अप्रैल-नवम्बर 1999) के दौरान उर्वरक पोषकों के उत्पादन में गत वर्ष की अनुरूपी अवधि में हुए उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है तथा अवधि हेतु निर्धारित लक्ष्य को बढ़ा दिया गया था।

उर्वरक पोषक	अप्रैल-नवम्बर 1999		अप्रैल-नवम्बर 1998	लक्ष्य की प्राप्ति का प्रतिशत	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
	लक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक		
नाइट्रोजन	71.76	72.69	68.46	101.30	6.18
फास्फेट	21.84	22.09	20.29	101.14	8.87

मांग और आपूर्ति के किसी अन्तर को आयातों द्वारा पूरा किया जाएगा।

[हिन्दी]

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

2172. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में दिवंगत कर्मचारियों के डिविजनवार कितने परिजनों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति दी गई;

(ग) प्रत्येक डिविजन में कितने व्यक्ति नियुक्ति हेतु प्रतीक्षारत हैं; और

(घ) इन्हें कब तक नियुक्ति दे दी जाएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) केन्द्र सरकार में अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के मानदंड कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 9.10.99 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14014/6/94-स्था०(घ) द्वारा निर्धारित किए गए हैं।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना जोन-वार रखी जाती है अत: के०लो०नि०वि० के प्रत्येक मण्डल के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है। पिछले 3 वर्षों के दौरान अनुकम्पा आधार पर की गई नियुक्तियों

तथा इस प्रकार की नियुक्ति के लिए प्रतीक्षा सूची में शामिल व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(घ) कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि प्रत्येक वर्ष सीधी भर्ती के अंतर्गत आनेवाली कुल रिक्तियों में से केवल नियुक्ति अनुकम्पा आधार पर की जाती है।

विवरण-I

कार्यालय	1996	1997	1998
1	2	3	4
मु०ई० बाहरी दिल्ली जोन	शून्य	1	2
मु०ई० (उ०अं०) I	1	2	3
मु०ई० (उ०अं०) II	शून्य	शून्य	शून्य
मु०ई० (उ०अं०) III	शून्य	शून्य	शून्य
मु०ई० (ई०) उ०अं०	शून्य	शून्य	5
मु०ई० (प०अं०) I और मु०ई० (प०अं०)	1	16	5
मु०ई० (प०अं०) II	शून्य	1	शून्य
मु०ई० (मं०अं०)	शून्य	1	2
मु०ई० (पू०अं०) I	9	1	4
मु०ई० (पू०अं०) II	शून्य	शून्य	शून्य
मु०ई० (ई), पू०अं०	शून्य	शून्य	शून्य
मु०ई० (उपू०अं०)	5	2	3
मु०ई० (द०अं०) I	2	5	शून्य
मु०ई० (द०अं०) II	4	शून्य	शून्य
मु०ई० (द०अं०) III	1	शून्य	3
मु०ई० (ई) (द०अं०)	4	3	शून्य
मु०ई० (न०दि०अं०) I	शून्य	शून्य	3
मु०ई० (न०दि०अं०) II	शून्य	शून्य	3
मु०ई० (न०दि०अं०) III	शून्य	शून्य	शून्य
मु०ई० (न०दि०अं०) IV	शून्य	1	1
अ०ई० (सम०)(सिविल) न०दिल्ली	26	7	26
अ०ई० (सम०)(पूर्वी क्षेत्र) न०दिल्ली	5	13	8
अ०ई० (सम०)(पूर्वी क्षेत्र)	24	8	7
1	2	3	4
अ०ई० (सम०)(प० क्षेत्र)	1	16	3
अ०ई० (सम०)(द० क्षेत्र)	11	8	3

ओ०डी०जेड०	बाहरी दिल्ली जोन
एन०जेड०	उत्तरी जोन
डब्ल्यू०जेड०	पश्चिमी जोन
सी०जेड०	मध्य जोन
ई०जेड०	पूर्वी जोन
एस०जेड०	दक्षिणी जोन
एन०ई०जेड०	उत्तर पूर्वी जोन
एन०डी०जेड०	नई दिल्ली जोन
एन०डी०	नई दिल्ली
ई०आर०	पूर्वी क्षेत्र
डब्ल्यू०आर०	पश्चिमी क्षेत्र
एस०आर०	दक्षिणी क्षेत्र

विवरण-II

कार्यालय	व्यक्तियों की संख्या
1	2
मु०ई० (बा०दि०अं०)	10
मु०ई० (उ०अं०) I	6
मु०ई० (उ०अं०) II	16
मु०ई० (उ०अं०) III	5
मु०ई० (पू०) (उ०अं०)	20
मु०ई० (प०अं०) I और मु०ई० (पू०)(प०अं०)	49
मु०ई० (प०अं०) II	11
मु०ई० (के०अं०)	10
मु०ई० (पू०अं०) I	35
मु०ई० (पू०अं०) II	1
मु०ई० (पू०) पू०अं०	शून्य
मु०ई० (उ०पू०अं०)	7
मु०ई० (द०अं०) I	27
मु०ई० (द०अं०) II	8
मु०ई० (द०अं०) III	5
मु०ई० (पू०), द०अं०	24
मु०ई० (न०दि०अं०) I	38
मु०ई० (न०दि०अं०) II	40
मु०ई० (न०दि०अं०) III	शून्य

1	2
मु०ई० (न०दि०अं०) IV	1
अ०ई० (के०), (सिविल), न०दि०	194
अ०ई० (के०), (इले०), न०दि०	174
अ०ई० (सम), (पू०अं०)	67
अ०ई० (सम), (प०अं०)	49
अ०ई० (सम), (द० क्षेत्र)	41

ओ०डी०जेड०	बाहरी दिल्ली जोन
एन०जेड०	उत्तरी जोन
डब्ल्यू०जेड०	पश्चिमी जोन
सी०जेड०	केन्द्रीय जोन
ई०जेड०	पूर्वी जोन
एस०जेड०	दक्षिणी जोन
एन०ई०जेड०	उत्तर पूर्वी जोन
एन०डी०जेड०	नई दिल्ली जोन
एन०डी०	नई दिल्ली
ई०आर०	पूर्वी क्षेत्र
डब्ल्यू०आर०	पश्चिमी क्षेत्र
एस०आर०	दक्षिणी क्षेत्र

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षकों की रिक्तियां

2173. **श्री होलखोमांग हौकिप :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मणिपुर में केन्द्रीय विद्यालय में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं और उनमें कितने पद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों हेतु आरक्षित हैं;

(ख) रिक्तियों को विलंब से भरने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) मणिपुर में केन्द्रीय विद्यालयों में अध्यापकों के कुल 63 रिक्त पद हैं। क्षेत्र आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) और (ग) रिक्तियों को भरने के लिए स्नातकोत्तर अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक, प्राथमिक अध्यापक और विविध अध्यापकों के पद भरने हेतु भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण होने वाली है। तब तक के लिए स्कूलों को संविदा आधार पर अध्यापकों को नियुक्त करने के लिए कहा गया है।

युवा उत्सव

2174. **श्री एस० अजय कुमार :** क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार केरल में युवा उत्सव आयोजित करने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को कितनी सहायता प्रदान कराई गई;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रस्तावित उत्सव को केरल से अन्यत्र आयोजित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच० चाओबा सिंह) : (क) से (घ) छठा राष्ट्रीय युवा उत्सव, जनवरी, 2000 में अहमदाबाद (गुजरात) में आयोजित किया जा रहा है। राज्य सरकार (जिसे यथा निर्धारित वित्तीय सहायता दी जाएगी) को उत्सव का सफल आयोजन करने हेतु उपयुक्त व्यवस्था करने की सलाह दी गई है।

उच्च विद्युत क्षमता वाले ट्रांसमीटर/कम विद्युत क्षमता वाले ट्रांसमीटर/बहुत कम विद्युत क्षमता वाले ट्रांसमीटर

2175. **श्री अकबर अली खांदोकर :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में राज्यवार कितने उच्च विद्युत क्षमता वाले ट्रांसमीटर/कम विद्युत क्षमता वाले ट्रांसमीटर/बहुत कम विद्युत क्षमता वाले ट्रांसमीटर लगाए गए; और

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में लगाए जाने वाले प्रस्तावित उच्च विद्युत क्षमता वाले ट्रांसमीटरों/कम विद्युत क्षमता वाले ट्रांसमीटरों, बहुत कम विद्युत क्षमता वाले ट्रांसमीटरों का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) नौवीं योजना अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में 42.47 करोड़ रुपये की अनुमानित पूंजीगत लागत पर निम्नलिखित उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (उ०श०ट्रा०) तथा अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (अ०श०ट्रा०) लगाए जाने की संभावना है :—

(i) बालूरघाट, कृष्णानगर, खड़गपुर, शांतिनिकेतन, आसनसोल (डी०डी० 2) और मुर्शिदाबाद (डी०डी० 2) में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर।

(ii) बलरामपुर, कूच बिहार गढ़बेटा तथा झाल्दा में अल्प शक्ति ट्रांसमीटर।

विवरण

पिछले तीन वर्षों 1.12.96 से 30.11.99 के दौरान चालू किए गए दूरदर्शन ट्रांसमीटर

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	डी०डी०-1 ट्रांसमीटर					डी०डी०-2 ट्रांसमीटर			
		उ०श० ट्रा०	अ०श० ट्रा०	अ०अ०श० ट्रा०	ट्रांस०	कुल	उ०श० ट्रा०	अ०श० ट्रा०	अ०अ०श० ट्रा०	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	असम	—	1	—	—	1	—	2	—	2
2.	आन्ध्र प्रदेश	2	15	1	—	18	1	—	—	1
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	1	22	—	23	—	—	—	0
4.	बिहार	—	9	2	—	11	—	—	—	0
5.	गोवा	—	—	—	—	0	—	1	—	1
6.	गुजरात	1	21	1	—	23	—	—	—	0
7.	हरियाणा	—	2	—	—	2	—	—	—	0
8.	हिमाचल प्रदेश	—	3	12	—	15	—	—	—	0
9.	जम्मू एवं कश्मीर	—	4	5	—	9	1	—	—	1
10.	केरल	—	3	—	—	3	—	1	—	1
11.	कर्नाटक	1	8	2	—	11	1	—	—	1
12.	मध्य प्रदेश	—	9	5	—	14	1	—	—	1
13.	मेघालय	—	—	—	—	0	—	—	—	0
14.	महाराष्ट्र	—	12	5	—	17	—	1	—	1
15.	मणिपुर	—	—	3	—	3	—	—	—	0
16.	मिजोरम	—	—	1	—	1	—	1	—	1
17.	नागालैण्ड	1	—	3	—	4	—	—	—	0
18.	उड़ीसा	1	9	6	—	16	—	—	—	0
19.	पंजाब	1	1	—	—	2	—	—	—	0
20.	राजस्थान	3	11	5	—	19	—	—	—	0
21.	सिक्किम	—	—	2	—	2	—	—	—	0
22.	तमिलनाडु	—	6	—	—	6	—	—	—	0
23.	त्रिपुरा	—	2	1	—	3	—	1	—	1
24.	उत्तर प्रदेश	—	15	10	—	25	—	2	1	3
25.	पश्चिम बंगाल	—	4	1	—	5	—	1	—	1
26.	दिल्ली	—	—	—	—	0	—	—	—	0
27.	अंडमान एवं निकोबार	—	—	1	—	1	—	1	—	1
28.	दमन एवं दीव	—	1	—	—	1	—	—	—	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	पांडिचेरी	—	—	—	—	0	—	1	—	1
30.	लक्षद्वीप समूह	—	—	—	—	0	—	—	—	0
31.	चण्डीगढ़	—	—	—	—	0	-	—	—	0
32.	दादर एवं नगर हवेली	—	1	—	—	1	—	—	—	0
	कुल	10	138	88	0	236	4	12	1	17

कुल ट्रांसमीटर 253

[हिन्दी]

शिक्षा प्रणाली में सुधार

2176. **श्री मोहन रावले :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाठ्यक्रम और पुस्तकों में बार-बार परिवर्तन के कारण स्कूली विद्यार्थियों के बस्तों का भार बढ़ा है, लेकिन उनकी योग्यता में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या शहरी क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम के प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय शिक्षा का उद्देश्य विफल हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) से (घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के गठन के बाद पाठ्यक्रम और पाठ्य-पुस्तकों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा संशोधित किया गया है। एन०सी०ई०आर०टी० द्वारा प्रकाशित 5वें और 6वें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण की रिपोर्टों के अनुसार अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने वाले स्कूलों की संख्या में वृद्धि हुई है। एन०सी०ई०आर०टी० द्वारा पाठ्यक्रम समीक्षा की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्कूली बच्चों के शैक्षिक बोझ को कम करने के संबंध में यशपाल समिति द्वारा की गई सिफारिशों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

[अनुवाद]

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड

2177. **श्री सी० श्रीनिवासन :** क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के क्रियाकलापों को नियंत्रित करने के लिए क्या तंत्र है;

(ख) क्या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अपने कृत्यों का समुचित निर्वहन कर रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार क्रिकेट खेल में सुधार करने की दृष्टि से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के निर्णयों के विरुद्ध व्यवस्था देने के लिए विधि में संशोधन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०एच० चाओबा सिंह) : (क) से (ग) भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी०सी०सी०आई०) एक स्वायत्त निकाय है, जो देश में क्रिकेट के संवर्धन संबंधी कार्य देखता है। यह बोर्ड ऐसे संवर्धन के लिए मुख्यतया जिम्मेदार है। जब कभी क्रिकेट से संबंधित कोई मामला सरकार को भेजा जाता है अथवा सरकार की जानकारी में लाया जाता है, तो उसे उपयुक्त कार्रवाई हेतु बोर्ड के साथ उठाया जाता है।

(घ) और (ङ) चूंकि खेल विषय संविधान की "राज्य सूची" में आता है, इसलिए इस समय भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड/राष्ट्रीय खेल परिसंघों की कार्यपद्धति को नियंत्रित करने के लिए कोई नियम नहीं है। खेलों को संविधान की "समवर्ती सूची" में लाने संबंधी प्रस्ताव पर ध्यान दिया जा रहा है।

एफ०एम० प्रसारण में गैर-सरकारी क्षेत्रों का प्रवेश

2178. **श्री विलास मुत्तेमवार :**
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में एफ०एम० रेडियो के निजीकरण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई आचार संहिता तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एफ०एम० प्रसारण का निजीकरण करने से हमारी संरक्षा और सुरक्षा पर कोई प्रभाव पड़ेगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) और (ख) संलग्न विवरण में दिए अनुसार सरकार ने 40 शहरों में 108 एफ०एम० रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए 100 प्रतिशत भरतीय स्वामित्व कम्पनियों को अनुमति देने का निर्णय किया है।

(ग) और (घ) निजी ऑपरेटर द्वारा आकशवाणी द्वारा यथा अनुपालित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता का अनुपालन करना अपेक्षित है और वे संगीत, मनोरंजन, शिक्षा और सूचना आदि पर कार्यक्रम प्रसारित करेंगे। समाचार और समसामयिक कार्यक्रमों को निजी ऑपरेटरों के क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

केन्द्रों की संख्या एवं निजी एजेंसियों के जरिए एफ०एम० प्रसारण करने के लिए प्रत्येक केन्द्र में चैनलों की संख्या

क्रम सं०	केन्द्र	चैनलों की संख्या
1	2	3
1.	कलकत्ता	11
2.	चेन्नई	11
3.	दिल्ली	11
4.	मुम्बई	10
5.	अहमदाबाद	3
6.	बंगलौर	5
7.	हैदराबाद	3
8.	इन्दौर	4
9.	लखनऊ	3
10.	पुणे	6
11.	विशाखापत्तनम्	7
12.	आगरा	1
13.	इलाहाबाद	1
14.	औरंगाबाद	1
15.	भोपाल	2
16.	भुवनेश्वर	1
17.	चण्डीगढ़	1
18.	कोचीन	1
19.	कोयम्बटूर	1
20.	कटक	1
21.	गुवाहाटी	2
22.	जबलपुर	1
23.	जयपुर	1
24.	जालंधर	1
25.	जामनगर	1
26.	कानपुर	1
27.	लुधियाना	1
28.	मदुराई	1
29.	मैसूर	1
30.	नागपुर	1
31.	पणजी	2
32.	पटना	2
33.	रायपुर	1
34.	राजकोट	1
35.	शिलांग	1
36.	श्रीनगर	2
37.	त्रिची	1
38.	तिरुनेलवेली	1
39.	त्रिवेन्द्रम	1
40.	वाराणसी	1
	कुल :	108

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा/अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्यापक

2179. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापकों और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्यापकों के कार्यों के अन्तर का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापकों, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के गैर-अध्यापन से जुड़े अन्य कर्मचारियों, जनरल ड्यूटी के चिकित्सा अधिकारियों और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्यापकों को दिए जाने वाले वेतन में कितना अंतर है; और

(ग) इन अध्यापकों के भर्ती मानदंड, पदोन्नति-अवसर, व्यावसायिक उत्तरदायित्व और मूल्यांकन मानदंड क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के शिक्षण उपसंवर्ग के अधिकारियों की कार्यकरण अपेक्षाएं, स्नातक और स्नातकोत्तरों के छात्रों को पढ़ाना है। तथापि, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कार्यरत अध्यापकों से यह भी अपेक्षा है कि वे नियुक्ति और पदोन्नति दोनों के लिए अनुसंधान कार्य करें और अनुसंधान पत्र प्रकाशित करें। इसके अतिरिक्त, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को यह भी आदेश है कि वह शेष भारत में लागू करने के लिए शिक्षण मानक निर्धारित करे और शिक्षण तौर तरीकों का विकास करें।

(ख) और (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के शिक्षण संकाय के प्रवेश स्तर पर वेतनमान इस प्रकार हैं

के स्वा०सेवा		अ०भा०आयु० संस्थान
शिक्षण, गैर-शिक्षण और जन स्वास्थ्य उप संवर्ग	10,000 — 15,200 रुपए	11,625 — 15,200 रुपए (दिल्ली उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश के अनुसार वर्तमान वेतनमान 12,750 — 16,500 रुपए है)
जी०डी०एम०ओ० उप संवर्ग	8,000 — 13,500 रुपए	

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के शिक्षण उपसंवर्ग के अधिकारियों के भर्ती मानदंड, पदोन्नति अवसर, व्यावसायिक दायित्व और मूल्यांकन मानदंड नीचे दिए गए हैं :

ब्यौरे	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा शिक्षण उप संवर्ग	अ०भा०आयु० संस्थान शिक्षण संकाय
भर्ती मानदंड	संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	चयन समिति द्वारा सीधी भर्ती से।
पदोन्नति अवसर	प्रोफेसर के स्तर तक समयबद्ध प्रोन्नति। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक स्तर तक और प्रोन्निति रिक्तियों के आधार पर मेरिट-सह-वरिष्ठता के आधार पर।	प्रोन्नति मेरिट आधार पर जिसमें उम्मीदवारों को एक बाह्य चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार देना होता है। अपर प्रोफेसर स्तर तक प्रोन्नति के अवसर उपलब्ध हैं।
व्यावसायिक दायित्व	शिक्षण, शिक्षण कार्यक्रम के अंग के रूप में रोगी परिचर्या सहित	शिक्षण, शिक्षण कार्यक्रम, अनुसंधान और चिकित्सा शिक्षा की नई विधियों में अनुभव के रूप में रोगी परिचर्या सहित।
मूल्यांकन मानदंड	वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट	वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट और अनुसंधान पत्रों का प्रकाशन।

जनजातियों के लिए कल्याण योजनाएं

2180. **श्री पी०एस० गढ़वी** : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है;

(ख) देश में कितने जनजातीय क्षेत्र अभी तक पिछड़े हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में जनजातियों के कल्याण के लिए कोई नीति/योजनाएं तैयार की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले दो वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के लिए आवंटित की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को जनजाति कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विशेषज्ञों से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 6.78 लाख थी।

(ख) उन आदिवासी क्षेत्रों की संख्या के बारे में सूचना नहीं रखी जाती है, जो अभी पिछड़े हैं। तथापि, विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक तथा

आर्थिक संकेतकों के संदर्भ में, अन्य क्षेत्रों की तुलना में सभी आदिवासी क्षेत्र पिछड़े हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। आदिवासी उपयोजना नीति को अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास तथा आदिवासियों को शोषण से सुरक्षा के दो उद्देश्यों के साथ पांचवीं पंचवर्षीय योजना से अपनाया गया है।

(ङ) मंत्रालय राज्यवार निधियां आबंटित नहीं करता है। तथापि, राज्यों को उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर निधियां निर्मुक्त की जाती हैं।

(च) और (छ) जी, हां। योजना आयोग ने देश में अनुसूचित जनजातियों के विकास और कल्याण के लिए छठी पंचवर्षीय योजना से 4 कार्य दलों का गठन किया था। इन कार्य दलों ने आदिवासी विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञ शामिल किए हैं। उन कार्य दलों की सिफारिशों में नीति तथा देश में अनुसूचित जाति जनसंख्या तथा अन्य जनसंख्या के बीच खाई को पाटने के लिए अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास हेतु राज्य और केन्द्र सरकारों की योजनाएं दोनों शामिल हैं।

समुद्री खनिजों को निकालना

2181. **श्री श्रीपाद येसो नाईक** : क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समुद्र से खनिज निकालने हेतु प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम में गैर-सरकारी क्षेत्र को भागीदार बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आनुवंशिक रूप से परिष्कृत बीज

2182. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल** :
श्री शंकर सिंह वाघेला :
श्री सी०पी० राधाकृष्णन :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र में आनुवंशिक रूप से परिष्कृत बीजों के उपयोग पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन बीजों के व्यावसायिक उपयोग का अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन बीजों के आयात के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) से (ग) जी, हां। आनुवंशिक रूप से परिष्कृत बीजों से लाभ और विशेष रूप से स्वास्थ्य एवं पर्यावरण से संबंधित जोखिमों के बारे में पूरे विश्व में और भारत में भी अध्ययन किए गए हैं। व्यापारिक उपयोग सुरक्षा पहलुओं एवं नियामक निकायों के आवश्यक अनुमोदन पर निर्भर करता है। आनुवंशिक रूप से परिष्कृत बीजों के भारत में व्यापारिक उपयोग के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत स्वीकृति की आवश्यकता होती है। यह स्वीकृति पर्यावरणीय मामलों, मानव तथा पशु स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर दी जाती है।

(घ) व्यावसायिक उपयोग के लिए आनुवंशिक रूप से परिष्कृत बीजों के आयात का सवाल तभी उठेगा जबकि ऐसे क्रियाकलापों के लिए सरकार को आवेदन प्राप्त होंगे। इस समय कतिपय राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों और कंपनियों को बायोटेक्नोलॉजी विभाग की आनुवंशिक परिचालन समीक्षा समिति (आर०सी०जी०एम०) की सिफारिशों के आधार पर बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा केवल अनुसंधान प्रयोग के लिए नियंत्रित वातावरण में बहुत थोड़ी मात्रा में आनुवंशिक रूप से परिष्कृत बीजों के आयात के लिए अधिकृत किया गया है।

[अनुवाद]

उपभोक्ता वस्तुओं के नकली ब्रांड

2183. **श्री पी०डी० एलानगोवन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाजार में अचानक आई नकली उपमज्य वस्तुओं की भरमार को रोकने के लिये कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) और (ख) भारतीय मानक ब्यूरो (बी०आई०एस०) प्रमाणीकरण मार्क स्कीम के अन्तर्गत प्रभावित उत्पादों (उपभोज्यों सहित) के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने आई०एस०आई० मार्क वाले नकली/अप्रामाणिक उत्पादों, जिसमें उपभोज्य शामिल हैं, को बाजार में आने से रोकने के लिए एक तंत्र स्थापित किया है।

भारतीय मानक ब्यूरो, बाजार में अपनी निगरानी के माध्यम से आई०एस०आई० मार्क वाले घटिया और/या नकली उत्पादों के निर्माण या आपूर्ति के बारे में विशिष्ट शिकायत प्राप्त करने पर दस्तावेजी और भौतिक साक्ष्य एकत्र करने की दृष्टि से देश-भर में स्थित विभिन्न कार्यालयों की सहायता से विस्तृत जांच-पड़ताल करती है। जहां कहीं आवश्यक होता है उस सामग्री का जब्त करने के लिए खोज एवं जब्त की कार्रवाई भी की जाती है। अभी तक इस प्रकार एकत्र किए गए साक्ष्य के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 और

उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो के विधिक और प्रवर्तन विभागों के माध्यम से विधिक कार्रवाई शुरू की जाती है। इस अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाए गए किसी भी व्यक्ति को 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है या एक वर्ष तक का कारावास हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, जैसी कि इस अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत व्यवस्था की गई है।

उपभोक्ता दोषयुक्त सामग्री के विरुद्ध उपयुक्त उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत दर्ज करके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का भी सहारा ले सकते हैं।

समुद्र में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों पर अनुसंधान

2184. **श्री सी०पी० राधाकृष्णन :** क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री क्षेत्र में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों के बारे में कोई अनुसंधान चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) महासागर विकास विभाग, समुद्री औषधियों पर एक बहु-संस्थागत राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य समुद्री जीवों से औषधियों और रसायनों का विकास करना है। इस परियोजना के अंतर्गत समुद्री जीवों की 800 से भी अधिक प्रजातियों तथा अब तक परखे गए 2000 से भी अधिक नमूनों में से छः समुद्री जीवों का पता लगा है, जिनमें मधुमेह-रोधी/अतिसार-रोधी, हायपर-लिपिडेमिकरोधी; चिंता-रोधी; ऑक्सीकर-रोधी/हाइपोलिपिडेमिक; जीवाणु-रोधी/फंगल-रोधी और डिंभक नाशी तत्वों के रूप में प्रजननक्षम क्रिया देखी गई है। इनमें से मधुमेह-रोधी/अतिसार-रोधी और कॉलेस्टरल रोधी तत्वों से औषधि निर्माण के लिए निदान पूर्व परीक्षण शुरू किए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड में विनिवेश

2185. **श्री के० मुरलीधरन :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड में विनिवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कंपनी के कर्मचारियों के साथ प्रस्तावित विनिवेश पर कोई विचार-विमर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (घ) विनिवेश आयोग ने अपनी सिफारिशों में यह निष्कर्ष निकाला है कि भारतीय कृषिरसायन बाजार पूरी तरह प्रतिस्पर्धात्मक है और एच०आई०एल० के सरकारी स्वामित्व और नियंत्रण में बने रहने से कोई लोक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। आयोग ने एच०आई०एल० को एक अ-महत्वपूर्ण कंपनी के रूप में भी वर्गीकृत किया है। आयोग ने सिफारिश की है कि सरकार को एच०आई०एल० के प्रबंध नियंत्रण सहित न्यूनतम 51 प्रतिशत इक्विटी किसी सक्षम खरीदार को देने की पेशकश करनी चाहिए ताकि नई प्रौद्योगिकी तथा अतिरिक्त निवेश करके इसे उत्पाद रेंजों का विविधीकरण किया जा सके। इस विषय में अभी कंपनी के कर्मचारियों के साथ कोई बातचीत नहीं की गई है।

खाद्य अपमिश्रण

2186. **श्री कृष्णमराजू :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार इस बात से अवगत है कि विभिन्न खाद्य उत्पादों में विषैली भारी धातुओं जैसे आर्सेनीक, कैडमियम और सीसे द्वारा खाद्य अपमिश्रण पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा विभिन्न खाद्य उत्पादों में पाए गए अपमिश्रण के प्रकारों सहित खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या उपभोक्ता मामले, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, कृषि एवं पर्यावरण और वन मंत्रालयों ने चूककर्ता उद्योगों के विरुद्ध अभियान शुरू करने हेतु सहयोग करना स्वीकार कर लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) और (ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम/नियमों को कार्यान्वित कर रही राज्य सरकारों से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। खाद्य उत्पादकों में भारी धातुओं की उपस्थिति का पता लगाने के लिए वर्ष 1996-97 में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा कुछ प्रयोगशालाओं की सहायता से किए गए सर्वेक्षण से पता चला कि खाद्य के अधिकांश नमूनों में विषैले धातु रहते हैं लेकिन ये निर्धारित सह्य सीमा के अन्दर हैं।

(ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 में भिन्न-भिन्न खाद्य सामग्री में इन भारी धातुओं की अधिकतम सीमाएं निर्धारित की गई हैं और इन उपबंधों का उल्लंघन खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

(घ) और (ङ) अभी तक किसी संयुक्त अभियान पर विचार नहीं किया गया है। तथापि विभिन्न कारकों, जिसमें भारी धातु शामिल हैं, से होने वाले प्रदूषण/संदूषण को रोकने के लिए संबंधित भिन्न-भिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित किए जाने वाले भिन्न-भिन्न कानूनों में उपबंध हैं और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा इनका कार्यान्वयन किया जा रहा है।

दूरदर्शन/आकाशवाणी नेटवर्क का विस्तार/उन्नयन

2187. श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री रामदास आठवले :
श्री राजो सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में कौन-कौन से जिले विशेषकर आदिवासी और पिछड़े जिले ऐसे हैं जहां अभी भी दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र नहीं है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों से आज की तारीख तक सरकार को राज्यों से दूरदर्शन ट्रांसमीटर/आकाशवाणी स्टेशनों की स्थापना, विस्तार और उन्नयन के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार, वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्यवार अभी तक कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ङ) राज्यवार शेष प्रस्तावों के लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(च) लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) आकाशवाणी और दूरदर्शन की नेटवर्क योजना लक्ष्य वाले क्षेत्र को कवर करने की दृष्टि से तैयार की जाती है न कि प्रत्येक और हरेक जिले में दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना करने की दृष्टि से। इसलिए, एक आकाशवाणी/दूरदर्शन ट्रांसमीटर द्वारा एक अथवा अधिक जिलों को कवर किया जा सकता है। जनजाति एवं पिछड़े जिलों सहित देश के सभी जिलों को या तो स्थानीय ट्रांसमीटर अथवा समीप के ट्रांसमीटर द्वारा पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से आकाशवाणी/दूरदर्शन की सेवा द्वारा कवर किया जाता है।

(ख) से (च) राज्य सरकारों सहित विभिन्न मंचों से आकाशवाणी/दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की स्थापना के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं और इन पर तकनीकी सम्भावना और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन देश की नेटवर्क योजना को विकसित करते समय विधिवत रूप से विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

निस्सहाय लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन

2188. श्री रामानन्द सिंह : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में अशिक्षित निस्सहाय लोगों को गत छह माह से सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) मध्य प्रदेश के सतना और रीवा जिलों में ऐसे निस्सहाय लोगों को 1999-2000 के दौरान किए गए भुगतान का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन लोगों को एक माह की पेंशन देते समय छह माह के लिए तैयार नामावली पर अंगूठे का निशान लगाने के लिए विवश किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार को जारी किए जाने वाले अनुदेशों/दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सूचना निम्नलिखित है :—

(रुपए लाख में)

जिला	कुल लाभार्थी	निर्मुक्त राशि	लाभार्थी (65 वर्ष से ऊपर)	निर्मुक्त राशि
सतना	36843	167.86	15059	80.45
रीवा	3120.7	309.10	12071	55.51

* (राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन से व्यय भारत सरकार द्वारा निर्मुक्ति तक सीमित है, शेष आवश्यकता राज्य सरकार की योजना से पूरी की जाती है)।

(घ) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है क्योंकि भुगतान बैंक/डाकघर खाते के द्वारा किया जाता है और नकद भुगतान ग्राम-सभा अथवा ग्राम पंचायतों की पूर्ण बैठक में किया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कामगार बच्चों का राष्ट्रीय फेडरेशन

2189. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री सुशील कुमार शिन्दे :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में 14 नवम्बर, 1999 को 'बाल दिवस' के रूप में 'कामगार बच्चों का राष्ट्रीय फेडरेशन', का प्रवर्तन करके मनाया गया;

(ख) यदि हां, तो इस फेडरेशन का संविधान और उद्देश्य क्या है; और

(ग) देश के विभिन्न क्षेत्रों में कामगार बच्चों की संख्या कितनी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि 14 नवम्बर, 1999 को 'बाल दिवस' के अवसर पर नई दिल्ली में 'कामगार बच्चों का राष्ट्रीय फेडरेशन' का शुभारम्भ किया गया।

(ग) 1991 की जनगणना के अनुसार, देश में कामगार बच्चों की संख्या 112.8 करोड़ है। बाल श्रमिकों की उद्योग-वार संख्या का हिसाब नहीं रखा जाता।

मलेरिया और क्षयरोग के लिए उन्मूलन कार्यक्रम

2190. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :
श्री दिन्शा पटेल :
श्री के० येरन्नायडू :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तपेदिक और मलेरिया जैसे रोगों पर औषधियां लगातार निष्प्रभावी सिद्ध हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इन बीमारियों के लिए नई और प्रभावी औषधियों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के वांछित परिणाम निकले हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) मलेरिया का उन्मूलन करने के लिए प्रायोजित किए जाने वाला वैकल्पिक कार्यक्रम क्या है; और

(च) नौवीं योजना के दौरान इसके क्रियान्वयन हेतु तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) और (ख) क्षय रोग अनुसंधान केन्द्र, चेन्नई द्वारा एकत्र आंकड़ों से पता चलता है कि क्षय रोग के बहु-औषध प्रतिरोध स्ट्रेन वाले नए रोगियों का अनुपात धीरे-धीरे बढ़ा है और इस समय यह ऐसे सभी रोगियों में 2-4 प्रतिशत है। औषध प्रतिरोधन क्षय रोग में वृद्धि को रोकने का एकमात्र कारगर उपाय उपचार विधान का रोगियों द्वारा पालन करने की स्थिति में सुधार लाना है। यह कार्य अब संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से किया जाना है जिसे चरणवार ढंग से लागू किया जा रहा हैं।

जहां तक मलेरिया का सम्बन्ध है, असम में 1973 में पी० फाल्सीपेरम मलेरिया में क्लोरोक्विन प्रतिरोधन का पहली बार पता चलने के बाद से राष्ट्रीय मलेरियारोधी कार्यक्रम निदेशालय देश भर में 13 पी० फाल्सीपेरम मानीटरिंग टीमों के माध्यम से पी० फाल्सीपेरम में आम-तौर पर इस्तेमाल होने वाली औषद क्लोरोक्विन और अन्य मलेरिया-रोधी औषधों की ग्राह्यता की मानीटरिंग कर रहा है। यद्यपि 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जिलों में 292 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से क्लोरोक्विन प्रतिरोधन की सूचना मिली है, फिर भी प्रतिरोधन की डिग्री और स्तर निम्न है और अधिकांश क्षेत्रों में क्लोरोक्विन अभी भी पहली बार दी जाने वाली औषध के रूप में उपयोगी है। तथापि, जिन क्षेत्रों में क्लोरोक्विन प्रतिरोधन क्षमता की उच्च डिग्री का पता चला है, वहां पर वैकल्पिक और मलेरिया अर्थात् सल्फा पाइरेनिथागिन मिश्रण इस्तेमाल किया जा रहा है।

(ग) से (च) वर्ष 1958 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बाद से मलेरिया की घटनाओं में 1965 में सबसे अधिक कमी आई जब वर्ष भर में 0.1 मिलियन रोगी थे। उसके बाद प्रशासनिक, संभारतंत्र, वित्तीय और तकनीकी क्षेत्रों की विभिन्न कठिनाइयों के कारण मलेरिया की घटनाएं बढ़ गई और वर्ष 1976 में 6.47 मिलियन के स्तर तक पहुंच गई।

इस समस्या पर काबू पाने के लिए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम द्वारा 1977 में संशोधित कार्ययोजना आरम्भ की गई (अब मार्च, 99 से इसका नाम राष्ट्रीय मलेरिया-रोधी कार्यक्रम)। (इसका उद्देश्य मलेरिया के कारण होने वाली मौतों को रोकना, रूग्णता में कमी लाना और अब तक प्राप्त उपलब्धियों को बनाए रखना है। संशोधित कार्य योजना आरंभ होने के बाद वर्ष 1984 में वार्षिक मलेरिया रोगियों की संख्या घटकर 2.18 मिलियन हो गई थी। तब से यह संख्या 2 से 3 मिलियन रोगियों के बीच सीमित है।

कार्यक्रम को समय-समय पर विभिन्न साधन मुहैया कराए जा रहे हैं। मलेरियारोधी औषधों में पी० फाल्सीपेरम प्रतिरोधन को मानीटर करने और वैकल्पिक औषधों का सुझाव देने के लिए राष्ट्रीय मलेरिया-रोधी कार्यक्रम की तेरह पी० फाल्सीपेरम मानीटरिंग टीमें स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित हैं। विभिन्न कीटनाशकों में रोगाणु-ग्राह्यता की मानीटरिंग करने के लिए राज्यों में बहत्तर कीट विज्ञानी अंचल कार्य कर रहे हैं। उच्च स्थानिकमारी वाले सात उत्तर पूर्वी राज्यों को दिसम्बर, 94 से शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है। सात राज्यों, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उड़ीसा के सौ हार्डकोर और आदिवासी बहुल जिलों को विश्व बैंक सहायता से बृहत् मलेरिया नियंत्रण परियोजना के अंतर्गत लाया गया है और यह कार्य 30.9.97 से चल रहा है। बृहत् मलेरिया नियंत्रण परियोजना में मलेरियारोधी कार्यकलापों को तेज करने के लिए अतिरिक्त साधनों का प्रस्ताव है। प्रबन्ध सूचना प्रणाली, सूचना शिक्षा और संचार तथा कार्यक्रम क्षमता निर्माण जैसे घटकों को बृहत् मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश में सुदृढ़ किया जा रहा है।

तीसरी सहस्राब्दी

2191. श्री मोइनुल हसन : क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की तीसरी सहस्राब्दी के आगमन को मनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले में राजनैतिक दलों, सांस्कृतिक समूहों और विशिष्ट व्यक्तियों की राय जानने के लिए उनके साथ बातचीत करने का है ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच० चाओबा सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल विभाग द्वारा विभिन्न युवा संगठनों/समूहों के परामर्श एवं सहयोग से दिसम्बर, 1999-जनवरी, 2000 तक की अवधि के दौरान एक माह की अवधि तक चलने वाले कार्यक्रम (वन्दे मातरम्) का आयोजन करने हेतु कदम उठाए गए हैं। इस कार्यक्रम में अन्य बातों

के साथ-साथ, ब्लाक स्तर से लेकर ऊपर के स्तरों तक देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय एकता, नागरिकता की गुणवत्ता, समुदाय सेवा तथा जागरूकता अभियानों से संबंधित गतिविधियों में युवाओं को सम्बद्ध करना एवं 31 दिसम्बर, 1999/1 जनवरी, 2000 को शपथ दिलाना शामिल है।

जनजातीय उप-योजना

2192. **डा० एस० वेणुगोपाल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत वर्ष 1997-98 से खर्च की प्रतिशतता में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु निर्धारित धनराशि के पूर्ण उपयोग के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि से अनुसूचित जनजातियों के विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और मानीटरिंग के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आदिवासी विकास के प्रभारी सचिव की आवधिक बैठकों में भी कार्यान्वयन एजेंसियों को समय पर निधियां निर्मुक्त करने और निर्मुक्त की गई राशि का उपयोग प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रोफार्मा में भेजने के लिए जोर दिया जाता है।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य सुविधायें

2193. **श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य लोगों को स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के मामले में पीछे हैं; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य रक्षा सुविधाओं को त्वरण प्रदान करने के लिये क्या योजनायें बनाई जा रही हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) और (ख) अनेक बड़े उत्तर भारतीय राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे और सेवा प्रदाय प्रणालियों में भी अन्तर हैं। केन्द्र सरकार बुनियादी न्यूनतम कार्यक्रम में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के प्रावधान के माध्यम से स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी सुविधाओं में सुधार करने में ऐसे राज्यों की सहायता कर रही है। स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी सुविधाओं को (i) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (ii) भारत जनसंख्या परियोजनाओं (iii) राज्य स्वास्थ्य प्रणाली परियोजनाओं (iv) क्षेत्र परियोजना और (v) अनेक अन्य विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं जैसी कई विशेष परियोजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से पहले ही सुदृढ़ किया जा रहा है।

[अनुवाद]

विश्वव्यापी विलय का प्रभाव

2194. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्पाद पेटेंट्स न किये जाने की दशा में भारतीय भेषज उद्योग पर पड़ने वाले विश्वव्यापी विलय के प्रभाव का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और सन् 2000 तक अनुमानतः कितने उत्पादों का पेटेंट किया जा रहा है; और

(ग) भेषज उत्पादों और अनुसंधान तथा विकास निर्माण की कम लागत सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) जबकि रसायन और पेट्रो रसायन विभाग द्वारा भारतीय औषध उद्योग पर पड़ने वाले विश्वव्यापी विलय के प्रभावों पर कोई अध्ययन नहीं किया गया है, यह उल्लेखनीय है कि अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार के विलयों का उद्देश्य भारी संख्या में चिकित्सीय वर्गों पर नियंत्रण प्राप्त करना, बिक्री मात्रा तथा लाभ बढ़ाना और अनुसंधान तथा विकास में सक्रियता लाना है। भारत ने ट्रिप्स समझौते के अन्तर्गत उपलब्ध 10 वर्षों के संक्रमण काल के विकल्प को चुना है और इसलिए औषध सेक्टर में उत्पाद पेटेंट्स 1 जनवरी, 2005 से ही लागू हो पाएगा।

(ग) औषध नीति तथा औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश का उद्देश्य मूल्य पर नियंत्रण रखना है, औषध क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए सरकार द्वारा ऐसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता, आयकर तथा आयात शुल्क लाभ तथा मूल्य नियंत्रण से छूट आदि के माध्यम से प्रोत्साहन देकर सहायता दी जा रही है। आसन्न उत्पाद पेटेंट तंत्र से भी अनुसंधान तथा विकास को प्रोत्साहन मिला है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सेवाओं में मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुरूप आरक्षण

2195. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सेवाओं में मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिये जा रहे 27 प्रतिशत आरक्षण में से सबसे अति पिछड़ों को 17 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं। इंदिरा साहनी तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप अन्य पिछड़े वर्गों को भारत सरकार के अधीन सिविल पदों तथा सेवाओं

में 27% आरक्षण प्रदान किया जाता है, बशर्तें सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों ("क्रीमी लेयर") को शामिल नहीं किया जाए।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

क्षय रोग से पीड़ित रोगियों के लिए नए कार्यक्रम

2196. श्री टी०एस० सेल्वागनपति : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्षय रोगियों के लाभ हेतु एक नया कार्यक्रम आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निजी अस्पतालों से आर०एन०टी०सी०पी० के अंतर्गत प्रत्यक्ष प्रेषित उपचार अल्प कोर्स को लागू करने के लिए सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर निजी अस्पतालों की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने एक संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया है। इसका उद्देश्य कम से कम 85 प्रतिशत नये स्पूटम पॉजिटिव रोगियों को ठीक करना और कम से कम 75 प्रतिशत अनुमानित रोगियों का पता लगाने के लिए रोगी का पता लगाने संबंधी कार्यकलाप बढ़ाना है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्मीयर माइक्रोस्कोपों द्वारा अच्छे किस्म का रोग निदान, औषधों की अबाध आपूर्ति, व्यवस्थित मानीटरिंग, मूल्यांकन और पर्यवेक्षण और सबसे अधिक उपचार की सीधी निगरानी सुनिश्चित की जाती है। विश्व बैंक की सहायता से देश के 102 जिलों में संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इस समय संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 130 मिलियन से अधिक आबादी को कवर किया जा रहा है। आशा है कि वर्ष 2002 तक 271 मिलियन आबादी को कवर किया जायेगा।

(ग) जी, हां। विभिन्न स्तरों पर गैर-सरकारी संगठनों, निजी अस्पतालों और निजी व्यवसायियों को शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम में निजी चिकित्सा व्यवसायियों को सुग्राहित करने के लिए कार्यशालाएं भी नियामित रूप से आयोजित की जा रही हैं।

(घ) परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। दिल्ली चिकित्सा संघ, आन्ध्र प्रदेश और गुजरात के कुछ गैर-सरकारी संगठन और मुम्बई तथा चेन्नई के निजी चिकित्सा व्यवसायी संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में सहायता कर रहे हैं।

[हिन्दी]

उत्खनित स्थल

2197. डा० विजय कुमार मल्होत्रा : क्या **संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा कितने स्थलों की खुदाई की गई है;

(ख) उन स्थलों से प्राप्त सिक्कों और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) ये वस्तुएं किस सर्वाधिक प्राचीन युग से संबंधित हैं; और

(घ) वर्ष 1999-2000 के दौरान खुदाई किए जाने वाले प्रस्तावित स्थलों का ब्यौरा क्या है ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच० चाओबा सिंह) : (क) से (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 में संचालित उत्खननों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(घ) वर्ष 1999-2000 के लिए प्रस्तावित उत्खनन का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों — 1996-97, 1997-98, 1998-99 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उत्खनित स्थानों का स्थलवार ब्यौरा

स्थल का नाम	सिक्के तथा अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं
1	2
आन्ध्र प्रदेश	
1. जुज्जुरू, जिला कृष्णा	साडा काल के लीड सिक्के, प्रथम शताब्दी ई० से तीसरी शताब्दी ई० तक की अवधि के सतवाहन कालीन लाइमस्टोन वाले स्तूप के अवशेष, रैलिंग्स तथा अन्य खोद कर बनाए गई वास्तु कलात्मक वस्तुएं।
बिहार	
1. कल्हुआ, जिला मुजफ्फरपुर	पहले ही से ख्यातिप्राप्त स्थल से वृहद ईंट का एक स्तूप तथा सिंह, शीर्ष युक्त एक मौर्य कालीन स्तम्भ प्राप्त हुए हैं। उत्खनन में मौर्य काल पूर्व अवधि से तीसरी-चौथी शताब्दी

1	2
	ई० की अवधि का एक टैंक तथा एक मठ के अतिरिक्त बड़ी संख्या में मनौती के स्तूप, विभिन्न वस्तुएं तथा मृद्भाण्ड प्राप्त हुए।
2. सीतागढ़ हिल, हजारीबाग	पूर्व ऐतिहासिक अवधि के अवशेष जो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं।
3. केसरिया, जिला चम्पारन	एक वृहद स्तूप में रखे गए चिकनी सतह निरूपण वाले चूना तथा ईंट शैली के साथ मिट्टी मिलाकर बनाई गयी बुद्ध तथा अन्य देवताओं की आदमकद प्रतिमाएं जिनका अवधिकाल ईसा अवधि की पूर्व शताब्दियाँ।
गोवा	
1. सैंट अगेस्टाईन चर्च, जिला उत्तरी गोवा	पुर्तगाली सिक्के, इटली की काचन टाईलें, समाधि, लेख सहित कब्रें जो पत्थर की सिल पर उत्कीर्ण किए गए हैं, उन महत्वपूर्ण खोजों में से हैं जो 16वीं शताब्दी की चर्च के अवशेषों से प्राप्त हुई हैं।
गुजरात	
1. धोलावीरा, जिला कच्छ	स्टैम्प सीलें और उनकी छाप, भार, दस बड़े आकार के चिन्हों से मिलकर बना अद्वितीय उत्कीर्ण लेख, खंडित उत्कीर्ण लेख वाली एक पत्थर की पट्टी, बिना सिर वाली पत्थर की एक मूर्ति, नेवले की मूर्तियां, पुरुष तथा महिला आकृतियां, सोने, चांदी, तांबे, अर्द्ध-मूल्यवान पत्थरों, मिट्टी, चीनी मिट्टी आदि से बने आभूषणों के टुकड़े उन महत्वपूर्ण हड़प्पा कालीन सभ्यता की वस्तुओं में से हैं जिनका समय 3000 ई०पू० से 1500 ई०पू० है।
हरियाणा	
1. राखी गढ़ी, जिला हिसार	स्टैम्प सीलें जिसमें मेसो पोटेमियम प्रकार का एक बेलनाकार, भार, मनुष्य का शिरोभाग, स्वर्ण पट्टी, तांबे का शीशा उन महत्वपूर्ण खोजों में से हैं जो हड़प्पा शहर के अवशेषों से प्राप्त हुई हैं इनकी अवधि 2500 से 2000 ई०पू० है।
कर्नाटक	
1. हम्पी, जिला बेलारी	तांबे के सिक्के, नेल पिन्स, लोहे में गिट्टक, मनका, अर्द्ध बहुमूल्य पत्थर, चूना मिट्टी का कृष्णदेवा आर्य का सिर, वीर हरिहर का महल तथा साथ में टैंकस, जल धाराएं, रक्षात्मक दीवार जो 1500-1500 ई० के प्रमुख विजय नगर राजा की अवधि की हैं।
2. कंगनहल्ली, जिला गुलबर्गा	प्रथम शताब्दी ई०पू० से तीसरी शताब्दी ई० की अवधि के सीसा तथा पोतिन के सिक्के। बुद्ध, बौद्ध देवताओं की चूना पत्थर की मूर्तियां, बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाने वाले खोद कर बनाए गए पट्ट जिनका समय दूसरी शताब्दी ई०पू० से दूसरी व तीसरी शताब्दी ई० है।
केरल	
1. बेकल किला, जिला कासरगोड़े	सिक्कों के सांचे, तांबे की वस्तुएं तथा टीपू सुल्तान के समय की विभिन्न वस्तुएं।
मध्य प्रदेश	
1. चिचाली, जिला प० निमार	टेराकोटा की छोटी मूर्तियां, हाथीदांत के कंघे, तांबे की वस्तुएं, प्रकवच की चूड़ियां, घरेलू सामान तथा कृषि संबंधी उपकरण। इसके साथ-साथ इतिहास पूर्व के चीनी मिट्टी के बर्तन जिसकी अवधि दूसरी सहस्राब्दि ई०पू० है।
2. उभेरिया, जिला बेतुल	पहली सहस्राब्दि ई०पू० के महापाषाण शवाधान।
3. घटवारिया, जिला प० निमार	टेराकोटा मानक, चूड़ियां, टुकड़े, जोर्व संस्कृति के लोहे के टुकड़े, अवधि दूसरी सहस्राब्दि ई०पू०।
4. सांची, जिला रायसेन	मठ के अवशेष, पूजनीय उत्कीर्ण लेखों के टुकड़े, मूर्तियों के टुकड़े, छेनी अंकित सिक्के (आंशिक) उत्कीर्ण लेख, सब की अवधि दूसरी-पहली शताब्दी ई०पू० (सुंग काल)।

1	2
5. सतधारा, जिला रायसेन	मौर्य अवधि का एक वृहद ईंट का स्तूप प्राप्त हुआ, बाद में इसे बड़ा किया गया तथा इस पर पत्थर का मुलम्मा चढ़ाया गया, अवधि दूसरी तथा पहली शताब्दी ई०पू० काल।
6. बीजामंडल माउन्ड, खुजराहो, जिला छत्तरपुर	चंदेल का एक वृहद मंदिर के अवशेष जिसे सुन्दर शिल्पकला तथा चिन्ह समूह के साथ अलंकृत किया गया है।
महाराष्ट्र	
1. मनसर, जिला नागपुर	मठ के अवशेष, ईट के मंदिर का परिसर, टेराकोटा तथा चूना पत्थर के टुकड़े, वाकाटक काल (चौथी-पांचवीं शताब्दी ई०) की पुरावस्तुएं।
2. पैठन, जिला औरंगाबाद	सात वाहन से मध्य युग तक प्राप्त अनुक्रम।
उड़ीसा	
1. खलकपटना, जिला पुरी	मध्ययुगीन बन्दरगाह स्थल। बुद्ध तथा बौधिसत्व के सिर, एक लघु गणेश, देवताओं के अर्धचित्र, अंकित टेराकोटा।
2. उदयगिरि, जिला जाजपुर	मुद्रांकण, अंकित पत्थर, टेराकोटा तथा लौह वस्तुएं अवधि 9वीं से 12वीं शताब्दी ई०।
राजस्थान	
1. लघुरा, जिला भीलवाड़ा	गुप्ता तथा कुषाण अवधि की वस्तुएं, अवधि पहली से पांचवीं शताब्दी ई०।
जम्मू और कश्मीर	
1. कांसीपुर, जिला बारामूला	तीसरी सहस्राब्दि ई०पू०, कुषाण अवधि चौथी शताब्दी ई० के नियोलिथिक समय की वस्तुएं तथा मिट्टी के बर्तन।
2. जाफर चौंक, जिला जम्मू	कुषाण समय के पश्चात् लगभग चौथी से छठी शताब्दी ई० तथा कुषाणराज अवधि लगभग 7वीं-10वीं प्रथम शताब्दी ई०पू० तथा ईसा काल की प्रथम तीन शताब्दियों की वस्तुएं एवं अवशेष।
3. गुरू बाबा का टिब्बा	प्रथम सहस्राब्दि ई०पू० की वस्तुएं तथा मिट्टी के बर्तन, तांबे तथा चांदी के सिक्के, सकिस्त के गोलाकार जो मानव पशु तथा पुरुष-आकृतियों में खोदी गई हैं तथा कुशान अवधि की अन्य विभिन्न वस्तुएं जिनकी अवधि ईसा काल की पहली शताब्दियां हैं।
त्रिपुरा	
1. ठकुरानी टीला, जिला पश्चिम, पिल्लक, दक्षिण त्रिपुरा	योनिपीठ मे शिवलिंग ईंट के चकोर मंदिर में लघु शिवलिंग।
उत्तर प्रदेश	
1. बीसोकर, जिला गाजियाबाद	ब्राहाण देवताओं तथा चिन्ह समूहों के साथ खोदी गई सुन्दर वास्तुकलात्मक सभासद प्राप्त किए गए जिसके साथ एक लघु बावड़ी भी पाई गई जो 10वीं शताब्दी ई० की है।
2. श्रावस्ती (महेह) जिला बहराईच	कुशान काल के (प्रथम से तृतीय शताब्दी ई०) के तांबे के सिक्के, काफी संख्या में मुद्रा और मुहर जिनपर ब्रह्मी लिपि में उत्कीर्ण लेख हैं, टेराकोटा पशु तथा मानव की आकृतियां, मानक, मुहरा, टेरीकोटा चक्र, तथा लगभग छठी से प्रथम शताब्दी ई०पू०, चौथी-पांचवीं शताब्दी ई० की इतिहास पूर्व अन्य वस्तुएं।
3. भीटा, जिला इलाहाबाद	कुछ तांबे के सिक्के (अधिक विकृत), पशु एवं मानव टेराकोटा तांबा, हड्डी, लौह एवं पत्थर की वस्तुएं अर्द्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके, सुरमा छड़े। इस स्थल से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व 2 शता० ई०पू० तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
4. सिसवनिया, जिला बस्ती	आरंभिक एवं उत्तर प्रथम सहस्राब्दि ईसा पूर्व एवं कुषाण काल (1-3 शताब्दी ईसवीं) की वस्तुएं एवं अवशेष।

1	2
5. संकिसा, जिला फरूखाबाद	एक तांबा सिक्का, अवशेष एवं चित्रित धूसर मृदभांड की वस्तुएं (9वीं शताब्दी ई०पू० से 6वीं शता०ई०पू०) उत्तरी काले ओपदार मृदभांड (6वीं० शता० ई०पू० से 3 शता० ई०पू०), शुंग (2 शता० ई०पू० से 1 शता० ई०पू०) एवं कुषाण (1 शता० ई० से 3 शता० ई०) काल।
पश्चिम बंगाल	
1. राजपाट एवं खालसा, जिला पश्चिम बंगाल	एक मध्यकालीन किला स्थल।

विवरण-II

1999-2000 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तावित उत्खनन किए जाने वाले ब्यौरे

क्र० सं०	स्थल का नाम
1	2
1.	धौलावीरा, जिला कच्छ, गुजरात
2.	चिचाली स्थित नव पाषाण कालीन/ताम्रपाषाण कालीन स्थल, जिला पचिम निमार, मध्य प्रदेश
3.	ढ़लेवान, जिला मौंसा, पंजाब
4.	गुलिस्तानपुर, जिला गौतमबुद्ध नगर, उ०प्र०
5.	महेश, जिला श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश
6.	पुराना जेल परिसर, बाँकीपुर, जिला पटना, बिहार
7.	उदयगिरि 2, जिला जाजपुर, उड़ीसा
8.	चन्द्रकेतुगढ़ एवं आसपास का क्षेत्र, गौजा हादीपुर, जिला उत्तरी परगना, पश्चिम बंगाल
9.	रहटकोट स्थित, ताम्रपाषाण कालीन स्थल, जिला पश्चिम निमार, मध्य प्रदेश
10.	राखीगढ़ी, जिला हिसार, हरियाणा
11.	फतेहपुर सीकरी, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश
12.	हिंगोना सिम, जिला जलगांव, महाराष्ट्र
13.	सनाती, जिला गुलबर्गा, कर्नाटक
14.	हम्पी, जिला बेलारी, कर्नाटक
15.	श्रीरंगपत्तन स्थित प्राचीन महल स्थल (लाल महल) जिला मध्य प्रदेश
16.	साँची, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश
17.	सतधारा, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश
18.	खजुराहो के आस-पास स्थित टीले
19.	बारहाट, जिला रीवा, मध्य प्रदेश
20.	खालसा गोसानीमारी गांव स्थित राजपाट नाम से प्रसिद्ध टीला, जिला कूच बिहार, पश्चिम बंगाल
21.	शोर मंदिर परिसर, मामल्लपुरम्, जिला कांचीपुरम्, तमिलनाडु
22.	शालीमार बाग, गांव हैदरपुर, उत्तर-पश्चिम जिला दिल्ली
23.	मीरजन किला, जिला उत्तर कनारा
24.	ओजेना, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान
25.	चादा, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश
26.	ओरजहार, तहसील भिंगा, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश
27.	केसरिया स्थित स्तूप टीला, जिला पूर्व चंपारन, बिहार
28.	अम्बारन, जिला बारामूला, जम्मू एवं कश्मीर
29.	कनिसपुर, जिला बारामूला, जम्मू एवं कश्मीर
30.	बेकल किला के भीतर स्थित रिहायसी स्थल, गांव-पल्लिबकेरे, जिला केसरगोड, केरल
31.	पैठन, जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र
32.	संत अगस्ताइन परिसर, पुराना गोआ, गोआ स्टेट
33.	चंदोरे, जिला उत्तर गोआ

[अनुवाद]

शिक्षा संबंधी चैनल

2198. श्री राजैया मल्याला : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अशिक्षित, नव-शिक्षित और उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के बीच के अंतर को दूर करने के लिए विशेष शैक्षिक चैनल आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस चैनल के वित्तपोषण का स्रोत क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) जी, हां। एक शैक्षिक चैनल शुरू करने का प्रस्ताव है। यह चैनल सभी स्तरों अर्थात् प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा और मुक्त एवं दूरवर्ती शिक्षा के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा तथा यह समाज के विभिन्न वर्गों के बीच साक्षरता से संबंधित अंतरों को पाटने में सहायता करेगा। चैनल के वित्त-पोषण सहित इसके विभिन्न पहलुओं से संबंधित रूपात्मकताओं को अभी तैयार किया जा रहा है इसलिए फिलहाल इस बारे में कोई ब्यौरा नहीं दिया जा सकता है।

मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना की वापसी

2199. **डा० मन्दा जगन्नाथ :** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना की वापसी की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके आन्दोलन के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश के जिन आदिवासी संगठनों ने विश्व बैंक से यह परियोजना आदिवासियों के हित के प्रति नुकसानदायक होने के कारण मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना (विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त एक परियोजना) को रोक देने और मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना चरण-2 के लिए वित्त पोषण हेतु विचार नहीं करने के लिए कहा है। राज्य सरकार द्वारा इन आदिवासी संगठनों के विवाद को सही नहीं माना गया है।

रुग्ण इकाइयां

2200. **श्री जे०एस० बराड़ :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत रुग्ण उर्वरक इकाइयों के संबंध में कोई नई नीति अपनाने पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति की घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है;

(ग) इन इकाइयों को पुन: चालू करने के लिए कितनी धनराशि निवेश किए जाने की संभावना है;

(घ) देश में वर्तमान में कितने रुग्ण उर्वरक संयंत्र हैं; और

(ङ) अब तक इन संयंत्रों में कुल कितनी धनराशि निवेश की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अंतर्गत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के साथ दर्ज सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उर्वरक उपक्रमों का पुनर्वास चल रहे नीतिगत ढांचे के भीतर शुरू किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बजटीय बाधाओं और वित्तीय संस्थाओं से कोष की उपलब्धता के अंतर्गत एककवार तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर रुग्ण इकाइयों के पुनरुद्धार/पुनर्वास को ध्यान में रखा जाता है।

(ग) और (घ) उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उर्वरक उपक्रम, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० और फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया के संयंत्र क्रमश: बरौनी (बिहार), दुर्गापुर और हल्दिया (पं० बंगाल), नामरूप (असम) और रामागुण्डम (आन्ध्र प्रदेश), तलचर (उड़ीसा) और गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में स्थित हैं। एच०एफ०सी० और एफ०सी०आई० की उपरोक्त इकाइयों में से सरकार ने 350 करोड़ रुपए के अनुमानित नए निदेश पर एच०एफ०सी० की नामरूप इकाई के पुनरुद्धार का अनुमोदन कर दिया है। प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि० सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा उर्वरक उपक्रम, मूलत: एक डिजाइन एवं इंजीनियरिंग परामर्शी संगठन है। इसकी पुनरुद्धार योजना का जुलाई, 1997 में अनुमोदन कर दिया गया था और यह कार्यान्वयनाधीन है।

(ङ) 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार एच०एफ०सी० और एफ०सी०आई० में क्रमश: 1210.09 करोड़ रुपए तथा 1089.79 करोड़ रुपए का कुल निवेश किया गया है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन का कार्यकरण

2201. **योगी आदित्यनाथ :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में स्थानवार कितने दूरदर्शन केन्द्र किराए के भवनों में चल रहे हैं; और

(ख) कब तक स्टूडियो तथा भवनों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वर्तमान में भवन निर्माण की कोई योजना नहीं है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में किराए के भवनों पर कार्यरत दूरदर्शन केन्द्रों का स्थानवार ब्यौरा

स्टूडियो-1

गोरखपुर

अल्प शक्ति ट्रा०-52

अकबरपुर	गंजडुडवारा	महरोनी
अमरोहा	गौरीगंज	मऊ रामपुर
अथदामा	गोण्डा	मुरादाबाद

औरैया	हरदोई	मुहम्मदबाद
बहराइच	हरिद्वार	नैनीडाण्डा
बलिया	जगदीशपुर	नानापारा
बलरामपुर	झांसी	नौगढ़
बांदा	कासगंज	उरई
चम्पावत	काशीपुर	पिथौरागढ़
छिबरामऊ	कोटद्वार	पूरनपुर
देवरिया	लखीमपुर	रायबरेली
एटा	लालगंज (प्रतापगढ़)	रोसरा
इटावा	लालगंज (रायबरेली)	राठ
फैजाबाद	ललितपुर	रूदौली
फरूखाबाद	महोबा	सम्भल
सिकन्दरपुर	सीतापुर	शाहजहांपुर
सुल्तानपुर	टनकपुर	तिरवा
मैनपुरी		

अति अल्प शक्ति ट्रा०-14

देवप्रयाग	मनकापुर
गज्जा	नन्दप्रयाग
घन्डवाल	पोखरी
गोपश्वेर	प्रतापनगर
जोशीमठ	साहिया
कर्णप्रयाग	थराली
मानिकापुर	ठाकुरद्वारा (डी०डी०-2)

[अनुवाद]

महाराष्ट्र को हुडको द्वारा सहायता

2202. श्री अनंत गंगाराम गीते : क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्षों के दौरान हुडको से वित्तीय सहायता हेतु महाराष्ट्र सरकार द्वारा कितनी योजनायें अनुशंसित/अग्रसारित की गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान हुडको द्वारा कितनी योजनाओं को स्वीकृति दी गयी अथवा प्रत्येक योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई अथवा किये जाने का विचार है ?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) हुडको से वित्तीय सहायता के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा संस्तुत/भेजी गई स्कीमों की वर्ष-वार संख्या के ब्यौरे इस प्रकार है :–

वर्ष	स्कीमों की संख्या
1996-97	20
1997-98	56
1998-99	38

(ख) ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

वर्ष	मंजूर स्कीमों की संख्या	स्वीकृत ऋण (करोड़ रु० में)
1996-97	21	104.75
1997-98	58	229.24
1998-99	38	1010.29

वृद्धाश्रम

2203. श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वृद्धाश्रमों और अनाथालयों की राज्यवार संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) इनमें रह रहे वृद्धों और अनाथ बच्चों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में और अधिक वृद्धाश्रम और अनाथालय खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) देश भर में वृद्धावस्था गृहों तथा दिवा देखभाल केन्द्रों में रखे वृद्ध नागरिकों की संख्या भी अनुबंध में दी गई है। जहां तक अनाथालयों में रखे गए अनाथों की संख्या का संबंध है, सूचना शीघ्र उपलब्ध नहीं है क्योंकि वह योजना, जिसके अंतर्गत अनाथालयों को अनुदान प्रदान किया गया था, 1992 में राज्य सरकारों को अंतरित कर दी गई है।

(ग) और (घ) इस क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों को सहायता वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित समेकित कार्यक्रम की योजना के अंतर्गत वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धावस्था गृहों और दिवा देखभाल केन्द्रों की स्थापना के लिए तथा "पंचायती राज संगठनों/स्वैच्छिक गृहों/स्वावलम्बी समूहों को वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धावस्था गृहों/बहु सेवा केन्द्रों को सहायता" की योजना के अंतर्गत वृद्धावस्था गृहों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान प्रदान की जाती है।

सहायता अनुदान नए वृद्धावस्था गृहों और नए दिवा देखभाल केन्द्रों के लिए प्रत्येक वर्ष निधियों की उपलब्धता तथा राज्य सरकार की सिफारिश के साथ पूर्ण प्रस्तावों की शर्त पर प्रदान किया जाता है।

विवरण

वृद्धावस्था गृह/दिवा देखभाल केन्द्र

क्रम सं०	राज्य का नाम	अनाथालयों की संख्या	वृद्धावस्था गृहों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	दिवा देखभाल केंद्रों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	174	71	1775	46	2300
2.	असम	24	1	25	3	150
3.	बिहार	7	1	25	—	—
4.	दिल्ली	30	—	—	3	150
5.	गोवा	11	—	—	—	—
6.	गुजरात	12	1	25	—	—
7.	हरियाणा	11	3	75	9	450
8.	हिमाचल प्रदेश	16	—	—	1	50
9.	जम्मू एंड कश्मीर	31	1	25	—	—
10.	कर्नाटक	115	8	200	—	—
11.	केरल	420	1	25	1	50
12.	मध्य प्रदेश	15	2	50	—	—
13.	महाराष्ट्र	18	1	25	6	300
14.	मणिपुर	7	14	350	26	1300
15.	मेघालय	63	—	—	—	—
16.	मिजोरम	13	—	—	—	—
17.	नागालैंड	9	—	—	—	—
18.	उड़ीसा	88	29	725	69	3450
19.	पंजाब	2	3	75	4	200
20.	राजस्थान	5	—	—	1	50
21.	सिक्किम	5	—	—	—	—
22.	तमिलनाडु	176	19	475	22	1100
23.	त्रिपुरा	22	2	50	5	250
24.	उत्तर प्रदेश	117	16	400	32	1600
25.	पश्चिम बंगाल	92	28	700	34	1700
26.	अरुणाचल प्रदेश	11	—	—	—	—
27.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5	—	—	—	—
28.	चंडीगढ़	0	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
29.	दादर और नगर हवेली	0	–	–	–	–
30.	दमन और द्वीव	0	–	–	–	–
31.	लक्षद्वीप	0	–	–	–	–
32.	पांडिचेरी	26	2	50	–	–
	कुल	1515	203	5075	262	13100

प्रसार भारती में भर्तियां

2204. **श्री सुशील कुमार शिन्दे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रसार भारती में संचालकों और समाचार-वाचकों की भर्ती पूर्वोत्तर राज्यों से करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर प्रसार भारती की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) प्रसार भारती में संचालक का कोई पद नहीं है। आकाशवाणी, संगत भर्ती नियमों के अनुरूप आकाशवाणी केन्द्रों की आवश्यकता अनुसार समाचार वाचकों-सह-अनुवादकों की भर्ती करता है। दूरदर्शन, केवल समय समय पर नैमित्तिक आधार पर समाचार वाचन हेतु पैनल तैयार करता है जिसमें उत्तर पूर्व क्षेत्र सहित देश के सभी भागों के लोग भाग ले सकते हैं।

दिल्ली में वाणिज्यिक परिसर

2205. **श्री शीश राम सिंह रवि : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कितनी दुकानों का निर्माण किया गया;

(ख) उनमें से कितनी दुकानों की अभी नीलामी/आवंटन किया जाना है;

(ग) रिहायशी परिसरों के उन मालिकों, जो उनका वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए दुरूपयोग कर रहे हैं, के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को मामूली कीमत पर इन दुकानों को आवंटित करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मित दुकानों की संख्या निम्नलिखित अनुसार है :–

वर्ष	दुकानों की संख्या
1996-97	443
1997-98	291
1998-99	302
योग	1036

(ख) 562

(ग) रिहायशी परिसरों का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए दुरुपयोग की जानकारी जब कभी दिल्ली विकास प्राधिकरण को मिलती है तो पट्टा/उपपट्टा विलेख तथा भवन-उप नियमों की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। तथापि, सभी निर्मित दुकानों का 25% का अलग कोटा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए है। आवेदन आमंत्रित करने के पश्चात् तथा कंप्यूटर ड्रा के आधार पर उन्हें आरक्षित कीमत वार्षिक आधार पर आबंटन किया जाता है।

महिला साक्षरता

2206. **श्री एच०जी० रामुलू : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महिला साक्षरता को बढ़ाने हेतु स्नातक स्तर तक लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए बजट में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कर्नाटक और अन्य राज्यों को अब तक राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) और (ख) इस समय "शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने की राष्ट्रीय कार्यनीति" की एक नई योजना निर्धारित की जा रही है। वर्ष 1999-2000 के लिए इस योजना का आवंटन 160 करोड़ रु० है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई०आई०टी०) के केन्द्र

2207. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न हिस्सों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई०आई०टी०) के केन्द्रों की स्थापना के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) ऐसे कितने केन्द्र हैं; और

(ग) देश में सन् 2001 तक राज्यवार ऐसे कितने केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) से (ग) राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में समय-समय पर संशोधित प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 के अंतर्गत मुम्बई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, चेन्नई और गोवाहाटी में अभी तक छ: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए हैं। फिलहाल, देश के अन्य भागों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

उच्च वर्गों के लिए आरक्षण

2208. **श्री राम नगीना मिश्र : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्च वर्गों से संबंधित उन गरीबों को आरक्षण देने का है जो भीख मांगकर गुजारा कर रहे हैं और अपने बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने में भी असमर्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) इंदिरा साहनी तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उन अन्य व्यक्तियों को पदों में संवैधानिक रूप से आरक्षण को अवैध ठहराया है जो आरक्षण की वर्तमान योजनाओं में से किसी के अंतर्गत नहीं आते हैं।

आयुर्वेदिक अनुसंधान केन्द्र का बंद होना

2209. **श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र स्थित आयुर्वेदिक अनुसंधान केन्द्र को बंद कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० टी० षणमुगम) : (क) और (ख) कोई यूनिट बन्द नहीं किया गया है। तथापि, कार्यकलापों को युक्ति संगत बनाने तथा अनुसंधान कार्यों में सुधार लाने के लिए कुछ यूनिटों का विलय किया गया है।

[अनुवाद]

होटलों से ग्राउण्ड रैंट की वसूली

2210. **श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के सितारा होटलों से "ग्राउण्ड रैंट" के रूप में काफी अधिक धनराशि वसूल की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी होटलवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा होटलों से ग्राउण्ड रैंट की वसूली करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इन होटलों के पट्टे को रद्द करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी, नहीं। कुछ होटल स्थलों के पट्टेदारों/आबंटियों को बकाया भूमि किराया सरकार को देना है, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) भूमि किराए सहित सरकारी देय राशि अदा करने के लिए आंबटियों/पट्टेदारों को मांग पत्र भेज दिए गए हैं। उन सभी मामलों में, जहां चूक पाई जाती है, वहां पट्टे/आवंटन की शर्तों के अनुसार सरकारी देय राशि की वसूली के लिए कार्रवाई की जाती है। वरिष्ठ स्तर पर भी मामलों के निपटान के लिए बैठकें आयोजित की गई हैं।

विवरण

दिल्ली में स्टार होटलों पर भूमि किराया के कारण बकाया देय राशि

आबंटी/पट्टेदार	14.1.2000 तक बकाया भूमि किराया (लाख रु० में)
भूमि तथा विकास कार्यालय की परिसंपत्तियां	
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (भारत होटल के बारे में)	653.01
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (ताज मानसिंह के बारे में)	109.57
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (ले-मैरिडिन के बारे मे)	364.62
भारतीय पर्यटन विकास निगम (अशोका होटल के बारे में)	16.69
दिल्ली विकास प्राधिकरण (ताज पैलेस के बारे में)	367.15
दिल्ली विकास प्राधिकरण की परिसंपत्तियां	
नेहरू प्लेस होटल	5.00

[हिन्दी]

मुरादाबाद में विश्वविद्यालय

2211. **श्री चन्द्र विजय सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल में कोई विश्वविद्यालय नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या मुरादाबाद में छात्रावास सुविधा सहित विश्वविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो यह कब तक खोला जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार मुरादाबाद डिवीजन में कोई विश्वविद्यालय नहीं है। मुरादाबाद डिवीजन के कालेज महात्मा ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय बरेली से सम्बद्ध है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। मुरादाबाद में विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह निर्धारित करती है कि संस्थाओं में चहुंमुखी सुधार लाने के वास्ते निकट भविष्य में वर्तमान संस्थाओं में उपलब्ध सुविधाओं के समेकन और विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कार्य योजना भी यह निर्देश देती है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों और कालेजों को योजनागत निधियां प्रदान करने की गिरती प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता, संसाधनों के अत्यंत अभाव और उत्तर-पूर्व क्षेत्र में स्थापित नए केन्द्रीय, विश्वविद्यालयों में पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार को और केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने में संयम बरतना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के पक्ष में नहीं है। किन्तु इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा पहले ही की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा किया जाएगा।

केन्द्रीय विद्यालयों में अनियमितताएं

2212. श्री राधा मोहन सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1998 के दौरान केन्द्रीय विद्यालय संगठन में लगातार बढ़ रही अनियमितताओं की जांच करने के लिए गठित रस्तोगी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) संगठन में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के प्राधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए जुलाई, 1998 में डा० कृष्ण गोपाल रस्तोगी की अध्यक्षता में गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा वह सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

ओलंपिक खेल

2213. श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् 2000 में अलास्का में आयोजित किए जा रहे ओलंपिक खेलों का कार्यक्रम क्या है;

(ख) क्या सरकार पिछले ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन से अवगत है; और

(ग) यदि हां, तो अगले ओलंपिक खेलों में भारतीय दल के प्रदर्शन में सुधार लाने की क्या योजना है ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच० चाओबा सिंह) : (क) आगामी ओलंपिक खेल-सिडनी, आस्ट्रेलिया में 15 सितंबर से 1 अक्तूबर, 2000 तक आयोजित किए जाने हैं।

(ख) अटलांटा, संयुक्त राज्य अमरीका में 1996 में आयोजित पिछले ओलंपिक खेलों में, तीरंदाजी, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, हाकी, जूडो, निशानेबाजी टेबल-टेनिस, टेनिस और भारोत्तोलन की खेल विधाओं में भाग लेने के लिए टीमें भेजी गई थीं। भारत ने 42 वर्षों के अंतराल के बाद इन खेलों में, व्यक्तिगत प्रतियोगिता में, टेनिस में, एक कांस्य पदक प्राप्त किया था।

(ग) पदक जीतने की संभावना और मानदण्डों के अनुसार, पात्रता के आधार पर भारत के इस समय ओलंपिक्स खेल, 2000 में एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, हाकी (पुरुष एवं महिला), निशानेबाजी, टेनिस और भारोत्तोलन (महिला) में भाग लेने की आशा है।

संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों के परामर्श से, ओलंपिक खेल, 2000 के लिए संभावित खिलाड़ियों को भारतीय और विदेशी प्रशिक्षकों की सहायता से, भारतीय खेल प्राधिकारण द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविरों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए अपेक्षित उपस्कर, वैज्ञानिक समर्थन तथा अन्य सहायता प्रदान की जा रही है।

ओलंपिक खेल, 2000 में भाग लेने के लिए भारतीय दल की तैयारियों पर राष्ट्र, स्तरीय तथा खेल विधा-वार निगरानी समिति द्वारा निगरानी रखी जा रही है। आशा है कि इन उपायों के परिणामस्वरूप आगामी ओलंपिक खेलों में प्रदर्शन में सुधार होगा।

कल्याणकारी परियोजनाएं

2214. श्री लक्ष्मण सेठ :
श्री रामशकल :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित व्यक्तियों के उत्थान के लिए तैयार और लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं का राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के नाम तथा वर्ष 1999-2000 के लिए प्रत्येक योजनाओं के बारे मे आबंटित राशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। योजनाएं सभी राज्यों के लिए समान हैं। विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आबंटन नहीं किया जाता है। तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सीमा तक उनको धनराशि निर्मुक्त की जाती है।

विवरण

अनुसूचित जाति विकास

(रु० करोड़ में)

क्रम सं०	योजना का नाम	1999-2000 के लिए आबंटित राशि
1.	विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	437.00
2.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	135.00
3.	सिविल अधिकार संरक्षण तथा अत्याचार	25.00
4.	अनुसूचित जाति के लड़के और लड़कियों के लिए होस्टल	20.00
5.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	30.00
6.	अनुसूचित जाति विकास निगम	20.00
7.	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास एवं विकास निगम	20.00
8.	पुस्तक बैंक	2.50
9.	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति एवं पुनर्वास	70.00
10.	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	7.50
11.	कोचिंग एवं सम्बद्ध	4.00
12.	अनुसूचित जातियों के अखिल भारतीय स्वरूप की समर्थन परियोजना (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण)	1.00
13.	विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम	5.00
14.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की योग्यता का उन्नयन	1.50
15.	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति	1.72
16.	अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	30.00

अनुसूचित जनजाति विकास

(रु० करोड़ में)

क्रम सं०	योजना का नाम	1999-2000 के लिए आबंटित राशि
1.	आदिवासी उप योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	400.00
2.	अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	100.00
3.	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए होस्टल	12.00
4.	अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए होस्टल	12.00
5.	आदिवासी उप योजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल	15.00
6.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायतानुदान	30.00
7.	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	1.00
8.	ट्राइफेड में निवेश	0.25
9.	ट्राइफेड को मूल्य समर्थन	5.00
10.	राज्य टी०डी०सी०सी० को सहायतानुदान	15.00
11.	कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर	9.00
12.	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	9.75
13.	ग्रामीण अन्न बैंक योजना	4.00
14.	आदिम जनजाति समूहों का विकास	10.00

पिछड़ा वर्ग कल्याण

(रु० करोड़ में)

क्रम सं०	योजना का नाम	1999-2000 के लिए आबंटित राशि
1.	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	8.00
2.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	5.50
3.	होस्टल निर्माण	3.00
4.	अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	2.50
5.	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग	2.50

मेडिकल/फार्मेसी कालेज

2215. चौधरी तेजवीर सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी स्वामित्व वाले मान्यता प्राप्त मेडिकल और फार्मेसी कालेजों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इन कालेजों में की गई अनियमितताओं के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) इन शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) मान्यता प्राप्त प्राइवेट मेडिकल कालेजों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है। डी० फार्मा और बी० फार्मा पाठ्यक्रम की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यताप्राप्त प्राइवेट फार्मेसी कालेजों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ख) और (ग) प्राइवेट मेडिकल/फार्मेसी कालेजों के विरुद्ध चिकित्सा/फार्मेसी शिक्षा में अनियमितताओं के आरोपों की शिकायतों की जांच क्रमशः भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद/भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा अपने-अपने निर्धारित नियमों और विनियमों के अन्तर्गत की जाती हैं। भारतीय फार्मेसी परिषद ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राइवेट फार्मेसी कालेजों में अनियमितताओं के बारे में 10 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इस समय भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के पास ऐसी कोई शिकायत लम्बित नहीं है।

विवरण-I

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त निजी चिकित्सा कालेजों की संख्या

क्र०सं०	राज्य	संस्थाओं की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	1
2.	गुजरात	1
3.	कर्नाटक	15
4.	महाराष्ट्र	16
5.	मणिपुर	1
6.	पंजाब	2
7.	तमिलनाडु	4
	योग	40

विवरण-II

भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा मान्यता-प्राप्त निजी भेषज संस्थाओं (डिप्लोमा) की संख्या

क्र०सं०	राज्य	संस्थाएं
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	5
2.	बिहार	5
3.	चंडीगढ़	1
4.	दिल्ली	6
5.	गुजरात	8
6.	हरियाणा	6
7.	कर्नाटक	81
8.	केरल	15
9.	मध्य प्रदेश	5
10.	महाराष्ट्र	58
11.	उड़ीसा	17
12.	पंजाब	13
13.	राजस्थान	9
14.	सिक्किम	1
15.	तमिलनाडु	36
16.	उत्तर प्रदेश	2
	योग:	268

भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त निजी फार्मेसी संस्थाओं (डिग्री) की संख्या

क्र०सं०	राज्य	संस्थाएं
1.	आन्ध्र प्रदेश	3
2	बिहार	5
3.	गुजरात	5
4.	कर्नाटक	35
5.	मध्य प्रदेश	1
6.	महाराष्ट्र	18
7.	उड़ीसा	5
8.	राजस्थान	3
9.	तमिलनाडु	17
10.	उत्तर प्रदेश	1
11.	दिल्ली	1
	योग:	94

[हिन्दी]

नई उर्वरक नीति

2216. **डा० सुशील कुमार इन्दौरा :**
श्री किशन सिंह सांगवान :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक नई उर्वरक नीति की घोषणा करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उर्वरक का उत्पादन करने वाले उद्योगों आदि के प्रतिनिधियों से कोई सुझाव आमंत्रित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार को प्राप्त सुझावों का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही हुई है; और

(घ) सरकार द्वारा नई उर्वरक नीति में किन-किन सुझावों पर प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (घ) आर्थिक उदारीकरण तथा सुधारों की नीति के अनुसार यूरिया को छोड़कर अन्य सभी किस्म के उर्वरकों को मूल्य, संचलन तथा वितरण नियंत्रण से पहले ही मुक्त कर दिया गया है। सरकार सभी तीनों किस्म के उर्वरकों अर्थात् नाइट्रोजन, फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों में एक ओर इनकी वित्तीय क्षमता तथा दूसरी ओर किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने को ध्यान में रखते हुए एक नियंत्रणमुक्त व्यवस्था की ओर बढ़ने का इरादा रखती है। उर्वरक क्षेत्र के लिए एक दीर्घावधि नीति बनाकर सरकार के इरादे को एक ठोस कार्यवाही में बदलने का प्रस्ताव है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस समय प्रक्रियाधीन उच्चाधिकार प्राप्त उर्वरक नीति पुनरीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार के निर्णय शामिल हैं। उच्चाधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर भारतीय उर्वरक संघ के माध्यम से उर्वरक निर्माता उद्योगों से सुझाव प्राप्त हुए थे। उर्वरक उद्योग के सुझावों को उस हद तक दीर्घकालीन उर्वरक नीति में शामिल कर लिया जाएगा जहां तक वे चरणबद्ध ढंग से उर्वरक क्षेत्र को नियंत्रणमुक्त के उद्देश्य तथा सरकार की आर्थिक आवश्यकता दोहरे मानदण्डों एवं उचित मूल्य पर किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने के अनुरूप है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में दूरदर्शन/आकाशवाणी की आय

2217. **श्री भर्तुहरि महताब :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा विज्ञापनों के माध्यम से गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आज तक अर्जित आय का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन केन्द्रों के रख-रखाव और नवीकरण पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) उड़ीसा में कितने केन्द्रों का निर्माण कार्य तत्काल अपेक्षित है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) कटक, जैपोर, सम्बलपुर, कियोंझार, बारीपाड़ा, बेरहामपुर, बोलांगिर, भवानी पटना, राऊरकेला में स्थित आकाशवाणी केन्द्र, विविध भारती सेवा, कटक और भुवनेश्वर स्थित दूरदर्शन केन्द्र उड़ीसा में राजस्व अर्जित करने वाले केन्द्र हैं। पिछले तीन वर्षों में और नवम्बर, 1999 तक इन केन्द्रों द्वारा अर्जित किया गया सकल वाणिज्यिक राजस्व निम्न प्रकार से है :—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	आकाशवाणी	दूरदर्शन
1996-97	1.04	2.48
1997-98	1.18	2.68
1998-99	0.91	2.70
1999-2000 (नवम्बर, 1999 तक)	0.36	1.66

(ख) कथित अवधि के दौरान इन केन्द्रों के रख-रखाव और मरम्मत पर खर्च की गई कुल राशि नीचे दी गई है :—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	आकाशवाणी	दूरदर्शन
1996-97	44.05	16.35
1997-98	51.69	14.91
1998-99	67.20	17.82
1999-2000	28.35 (नवम्बर, 1999 तक)	6.56 (अक्तूबर, 1999 तक)

(ग) और (घ) इन में से किसी भी केन्द्र पर तत्काल कोई प्रमुख कार्य किया जाना अपेक्षित नहीं है।

मधुमेह का उन्मूलन

2218. **श्री चन्द्र भूषण सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट से यह पता चला है कि 2025 तक 300 मिलियन मधुमेह रोगियों का लगभग पांचवां हिस्सा भारतीय होंगे;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस रोग पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकारों को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जैव रसायन प्रयोगशाला और गुणवत्ता आश्वासन को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 1999-2000 के दौरान एक प्रायोगिक परियोजना आरम्भ की गई है। पांच राज्यों नामत: महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल और गुजरात को प्रति राज्य 600 लाख रुपए मुहैया कराए गए हैं।

जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण कार्यकलाप शुरू किए गए हैं।

कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या

2219. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1999 की स्थिति के अनुसार सी०जी० एच०एस० आयुर्वेदिक औषधालय, आर०के० पुरम, सेक्टर-12, नई दिल्ली में चिकित्सा और अर्ध-चिकित्सा कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या कितनी थी;

(ख) उक्त औषधालय में वास्तविक रूप से कितने चिकित्सा और पराचिकित्सा कर्मचारियों को तैनात किया गया;

(ग) कितने पद रिक्त पड़े हैं; और

(घ) इन पदों को कब तक भर लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) चिकित्सा और अर्ध-चिकित्सा कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या इस प्रकार है :—

(i)	चिकित्सा अधिकारी	5
(ii)	फार्मेसिस्ट	2
(iii)	फार्मेसिस्ट-कम-स्टोरकीपर	1
(iv)	अवर श्रेणी लिपिक	1
(v)	महिला परिचर	1
(vi)	उपचर्या परिचर	1
(vii)	सफाईवाला	1
(viii)	चौकीदार	1

(ख) उक्त औषधालय में तैनात किए गए चिकित्सा और अर्धचिकित्सा कर्मचारियों की वास्तविक संख्या इस प्रकार है :—

(i)	चिकित्सा अधिकारी	3
(ii)	फार्मेसिस्ट	1
(iii)	अवर श्रेणी लिपिक	1
(iv)	महिला परिचर	1
(v)	उपचर्या परिचर	1
(vi)	सफाईवाला	1
(vii)	चौकीदार	1
(viii)	फार्मेसिस्ट-कम-स्टोरकीपर	1

(ग) और (घ) फार्मेसिस्ट का केवल एक पद रिक्त है जिसके भरने के लिए पहले ही कार्यवाई शुरू कर दी गई है।

निजी औषधालयों को वरीयता

2220. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 नवम्बर, 1999 को "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" म व्हाई की डनाट ट्रस्ट आवर हास्पिटल" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) दिल्ली में सरकारी अस्पतालों की छवि को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

इस समाचार में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में अनियमितताओं, स्वयं मूल्यांकन के बिना तकनीकी कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों को रिकार्ड करने, उपर्युक्त विज्ञान के बिना रिक्तियों को भरने तथा उपकरणों का उपयुक्त रूप से रख-रखाव करने में कमी होने का उल्लेख है।

इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक का अनुमोदन प्राप्त है। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों का चयन पात्रता संबंधी मानदण्डों के अनुसार किया जाता है। वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का प्रपत्र संशोधित कर दिया गया है और अब तकनीकी कर्मचारियों से अपना स्वयंमूल्यांकन भरना अपेक्षित है। विभागीय प्रोन्नति समितियों की सिफारिशों पर प्रोन्नति वाले पद भरे जाते हैं और सीधी भर्ती से भरे जाने वाली रिक्तियों के लिए पद नियमानुसार नियमित रूप से विज्ञापित किए जाते हैं। उपकरणों की मरम्मत एक अनवरत प्रक्रिया है और निर्धारित की गई क्रियाविधि के अनुसार इनकी मरम्मत की जा रही है।

रक्त की भण्डारण क्षमता

2221. श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेडक्रास रक्त बैंक की भण्डारण क्षमता कितनी है;

(ख) क्या मशीनें, जिनका कि आयात किया गया था, अनुपयुक्त पड़ी हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन मशीनों का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) रेडक्रास ब्लड बैंक में रक्त की भण्डारण क्षमता होल ब्लड के लिए 600 यूनिट और ब्लड कम्पोनेंट के लिए 400 यूनिट हैं।

(ख) से (घ) जी, नहीं।

शिशु मृत्यु दर

2222. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान, विशेष रूप से थार रेगिस्तान, बाड़मेर, जैसलमेर एवं जालौर जिलों में देश के अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में शिशु मृत्यु दर का प्रतिशत कितना है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में बढ़ती हुई शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) और (ख) वर्ष 1998 के लिए नमूना पंजीयन प्रणाली के अनुमानों के अनुसार राजस्थान में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्मों पर 83 है जबकि राष्ट्रीय औसत दर प्रति हजार जीवित जन्मों पर 72 है। 1991 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर भारत के महारजिस्ट्रार के अनुसार थार रेगिस्तान के जिलों, नामत: बाड़मेर में 99, जैसलमेर में 99 और जालौर में 91 शिशु मृत्यु दर होने के अनुमान हैं। शिशु मृत्यु दर का प्रमुख कारण समय-पूर्व (प्रीमैच्योर) जन्म होना, अतिसार रोग, तीव्र श्वसनी संक्रमण, वैक्सीनों द्वारा रोके जा सकने वाले रोग और अपर्याप्त मातृ एवं नवजात शिशु परिचर्या का होना है।

(ग) 1998 में विभिन्न राज्यों और राजस्थान में शिशु मृत्यु दर को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) शिशु एवं बाल मृत्यु दरों में कमी लाने के लिए प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत वैक्सीनों द्वारा रोके जा सकने वाले छह रोगों के प्रतिरक्षण, तीव्र श्वसनी संक्रमणों और अतिसार रोगों के उपचार, पोषणिक रक्ताल्पता और विटामिन ए की कमी को दूर करने के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

विवरण

शिशु मृत्यु दरों को दर्शाने वाला विवरण

(प्रति हजार जीवित जन्म)

क्र०सं०	राज्य का नाम	शिशु मृत्यु दर
1	2	3
प्रमुख राज्य		
1.	आंध्र प्रदेश	66
2.	असम	78
3.	बिहार	67
4.	गुजरात	64
5.	हरियाणा	69
6.	कर्नाटक	58
7.	केरल	16
8.	मध्य प्रदेश	97
9.	महाराष्ट्र	49
10.	उड़ीसा	98
11.	पंजाब	54
12.	राजस्थान	83
13.	तमिलनाडु	53
14.	उत्तर प्रदेश	85
15.	पश्चिम बंगाल	53
छोटे-छोटे राज्य		
16.	अरुणाचल प्रदेश	47
17.	दिल्ली	33
18.	गोवा	26
19.	हिमाचल प्रदेश	68
20.	जम्मू व कश्मीर	45
21.	मणिपुर	21
22.	मेघालय	53
23.	मिजोरम	25
24.	नागालैंड	अनुपलब्ध
25.	सिक्किम	51
26.	त्रिपुरा	47
संघ/राज्य क्षेत्र		
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	28
2.	चंडीगढ़	28
3.	दादरा व नगर हवेली	63
4.	दमन एवं दीव	54
5.	लक्षद्वीप	37
6.	पांडिचेरी	26

स्रोत : (भारत के महापंजीयक-नमूना पंजीयन पद्धति अनुमान, 1998)

टी०वी० चैनल आरंभ किया जाना

2223. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल से एक टी०वी० चैनल आरंभ करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) जी, हां। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना स्वयं का

टी०वी० चैनल शुरू करने का एक प्रस्ताव किया था जिसे सहमति नहीं दी जा सकी क्योंकि यह वर्तमान नीति के अन्तर्गत नहीं आता।

"आपरेशन ब्लैकबोर्ड" के लिए आवंटन

2224. श्रीमती रानी नरह :
श्री राजो सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "आपरेशन ब्लैकबोर्ड" और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत गत दो वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति कर ली गई है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त कार्यक्रमों के लिए कितना आवंटन किया गया;

(घ) इस अवधि के दौरान राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितना आवंटन अप्रयुक्त पड़ा रहा;

(ङ) क्या 'आपरेशन ब्लैकबोर्ड' कार्यक्रम को रोक दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) और (ख) आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना वर्ष 1987-88 में आरंभ की गई थी जिसका उद्देश्य देश के सभी प्राथमिक स्कूलों (30 सितम्बर, 1986 तक मौजूद) में मुख्यत: दो कक्षाओं, दो शिक्षकों तथा अध्ययन तथा अध्यापन सामग्री की व्यवस्था करके अनिवार्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अन्तर्गत सभी लक्षित 5.23 लाख प्राथमिक स्कूलों को पठन-पाठन सामग्री स्वीकृत कर दी गई है और एकल शिक्षक प्राथमिक स्कूलों को दो शिक्षक स्कूल बनाने के लिए 1.49 लाख शिक्षकों के पद स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 1993-94 के दौरान 100 से अधिक नामांकन वाले प्राथमिक स्कूलों को तृतीय शिक्षक/तृतीय कक्षा उपलब्ध कराने और उच्च प्राथमिक स्कूलों को सम्मिलित करने तथा अतिरिक्त शिक्षक एवं पठन-पाठन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए यह योजना विस्तारित की गई है। कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। फिर भी, 100 से अधिक नामांकन वाले प्राथमिक स्कूलों को तृतीय शिक्षकों के 79295 पद स्वीकृत किए गए हैं और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 73951 अतिरिक्त शिक्षकों के पद स्वीकृत किए गए हैं जबकि 127069 उच्च प्राथमिक स्कूलों को पठन-पाठन सामग्री स्वीकृत की गई है। आपरेशन ब्लैकबोर्ड के अन्तर्गत निर्मित अतिरिक्त कक्षाओं की संख्या 182381 है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य 15-35 वर्ष की आयु वर्ग में 100 मिलियन प्रौढ़ निरक्षर व्यक्तियों को चरणबद्ध रूप से कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरूआत से अब तक 794.509 लाख शिक्षार्थी साक्षर बना दिए गए हैं। कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

(ग) और (घ) आपरेशन ब्लैकबोर्ड के अन्तर्गत राज्यवार निधियां आवंटित नहीं की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर अनुदान जारी किया जाता है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत निधियां राज्यों को जारी नहीं की जाती हैं बल्कि जिला साक्षरता समितियों द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों के आधार पर सीधे उन्हें ही निधियां दी जाती हैं। वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान बजट आवंटन तथा व्यय निम्नवत है :

	वर्ष	बजट आवंटन (करोड़ रु०)	व्यय
आपरेशन ब्लैकबोर्ड	97-98	304.00	276.01
	98-99	304.00	227.82
कुल		608.00	503.83
राष्ट्रीय साक्षरता मिशन	97-98	127.00	79.74
	98-99	93.97	72.23
कुल		220.97	151.97

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु धनराशि

2225. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ करने हेतु मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) मध्य प्रदेश के विदिशा जिले को व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ करने हेतु उपलब्ध कराई गयी धन-राशि का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। 2000-2001 में कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिये आवंटन इस प्रयोजनार्थ योजना आयोग द्वारा प्रदान की गई योजनागत निधियों पर निर्भर करेगा।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार, 1996-97 के दौरान विज्ञापन कार्य बिक्री संवर्धन तथा बिक्री प्रबंधन में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिये एस०एस०एल० जैन स्नातकोत्तर कालेज, विदिशा का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया था और 3.00 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई थी। परन्तु कालेज ने 1996-97 के दौरान आयोग से किसी प्रकार के अनुदान का दावा नहीं किया और अन्तत: यहां तक कि उसने 1997-98 से उपर्युक्त पाठ्यक्रम शुरू करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त की। इसके परिणामस्वरूप अब इस संबंध में आयोग द्वारा प्रदान किया गया अनुमोदन वापस ले लिया गया है।

विवरण

(रुपये लाख में)

क्रम सं०	राज्य	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	मध्य प्रदेश	97	72	132	60
2.	राजस्थान	42	48	39	12
3.	गोवा	—	24	9	12
4.	महाराष्ट्र	384	183	213	186
5.	गुजरात	150	63	42	12
6.	आन्ध्र प्रदेश	123	114	291	635
7.	तमिलनाडु	135	111	183	150
8.	कर्नाटक	153	132	198	51
9.	केरल	54	48	189	48
10.	उड़ीसा	132	60	96	81
11.	पश्चिम बंगाल	135	111	78	66
12.	बिहार	111	84	63	117
13.	हरियाणा	66	60	81	99
14.	उत्तर प्रदेश	108	159	135	118
15.	दिल्ली	—	—	3	—
16.	पंजाब	88	135	135	99
17.	जम्मू व कश्मीर	66	15	39	—
18.	हिमाचल प्रदेश	30	9	18	—
19.	असम	81	87	36	63
20.	मणिपुर	24	15	93	78
21.	अरुणाचल प्रदेश	3	—	—	—
22.	मिजोरम	3	—	—	—
23.	पांडिचेरी	9	—	—	—
24.	त्रिपुरा	6	—	—	—
25.	नागालैण्ड	—	—	—	9

अनधिकृत निर्माण

2226. श्री भेरूलाल मीणा :
श्री नेपाल चन्द्र दास :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी०डी०ए०) को पिछले एक वर्ष के दौरान अब तक संसद सदस्यों से, वसन्त कुंज तथा दक्षिणी दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में डी०डी०ए० के आवंटियों द्वारा अनधिकृत निर्माण की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) कितनी शिकायतें अभी तक कार्यवाही हेतु लंबित हैं और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) चूंकि डी०डी०ए० फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण बढ़ रहा था इसलिए ऐसे अनधिकृत निर्माण कार्यों से निपटने के लिए जून 1999 में डी०डी०ए० के योजना विभाग में आवास प्रवर्तन (इनफोर्समेन्ट) के लिए एक विशिष्ट विंग का गठन किया गया है।

1.1.1999 से 30.11.1999 की अवधि के दौरान वसंत कुंज और दक्षिण दिल्ली में अन्य क्षेत्रों में डी०डी०ए० फ्लैटों के आबंटियों द्वारा किए जा रहे अनधिकृत निर्माण कार्यों के बारे में उपाध्यक्ष, डी०डी०ए०/आवास प्रवर्तन (इनफोर्समेन्ट) विंग, डी०डी०ए० को संसद सदस्यों से तीन शिकायतें मिली थी।

(ख) इन तीन शिकायतों में से दो शिकायतें "डिनोटिफाइड एरिया" से संबंधित थी जिनके लिए दिल्ली नगर निगम के संबंधित उप आयुक्तों को अगली आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। शेष एक शिकायत के लिए जो दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आती है। सील तथा ध्वस्त करने ("सीलिंग-कम डिमोलिशन") के आदेश 18.11.1999 को जारी कर दिए गए हैं।

(ग) शून्य।

[हिन्दी]

कृषि भूमि पर काम्पलेक्स

2227. श्री मानसिंह पटेल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कृषि भूमि पर फार्म हाउस बने हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या मानदंड तय किये हैं;

(ग) इन मानदंडों का उल्लंघन करने वाले फार्म हाउसों का स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) दिल्ली में कृषि भूमि पर बनाए गए अन्य काम्पलेक्सों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) दिल्ली मास्टर प्लान के तहत फार्म हाउसों को ग्रामीण उपयोग जोन में अवस्थित किया जा सकता है फार्म हाउसों के लिए निर्धारित विकास मानदंड इस प्रकार है :

(i) फार्म हाउसों का न्यूनतम आकार 0.8 है०

(ii) अधिकतम भूमि दायरा — 5%

(iii) अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात — 5 (अधिकतम 500 वर्ग मीटर। चाहे फार्म का आकार कितना ही हो।

(iv) मंजिलों की संख्या — दो

(v) अधिकतम ऊंचाई — 8 मीटर

बेसमेंट सहित सभी निर्माण, फर्शी क्षेत्र अनुपात में लिए जाएंगे।

भूस्वामियों को कुल क्षेत्रफल पर फर्शी क्षेत्र अनुपात का लाभ देते हुए ले आऊट प्लान के तहत, सरकुलेशन नेटवर्क तथा अवस्थापना जरूरतों के लिए भूमि निःशुल्क सौंप दी जाएगी।

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर भारत सरकार की दिनांक 1.8.90 की राजपत्रित अधिसूचना के तहत अनुमत्य फर्शी क्षेत्र अनुपात से अधिक अतिरिक्त फर्शी क्षेत्र अनुपात पर शुल्क और/या विकास प्रभार लिया जाएगा।

(ग) दिल्ली नगर निगम द्वारा किए गए सर्वेक्षण के तहत 869 फार्म हाउसों के मामले में अनुमत्य सीमा से अधिक निर्माण पाया गया।

(घ) दिल्ली नगर निगम ने ऐसा कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया।

(ङ) इस प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित मामलों जैसे मामलों में दिल्ली नगर निगम ने भवन उप नियमों/दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत कार्रवाई करता है।

डी०डी०ए० के फ्लैटों में मूलभूत सुविधाएं

2228. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्थानवार मूलभूत सुविधाओं के अभाव में खाली पड़े फ्लैटों की संख्या कितनी है;

(ख) इन फ्लैटों में मूलभूत सुविधायें न देने के क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप डी०डी०ए० को कितनी वित्तीय हानि हुई है; और

(घ) सरकार द्वारा इन फ्लैटों में कब तक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 11,367 फ्लैट्स बिजली की कमी के कारण खाली पड़े हुए हैं। दिल्ली विद्युत बोर्ड (डी०वी०बी०) को नगर स्तरीय विकास पर बिजली मुहैया करानी होती है। दिल्ली विद्युत बोर्ड को बिजली की आवश्यकता से अवगत करा दिया गया और डी०डी०ए० पुरजोर तरीके से डी०वी०बी० के साथ इस बात को उठा रहा है।

बिजली की कमी के कारण खाली पड़े फ्लैटों तथा फ्लैटों के विद्युतीकरण के लिए डी०वी०बी० द्वारा बताई गई तारीखों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जल आपूर्ति और सीवरेज सेवाओं के अभाव में डी०डी०ए० ने ट्यूबवैल के जरिये जल आपूर्ति और सीवरेज निपटान के लिए आक्सीडेशन पाण्ड के अन्तरिम व्यवस्था की है।

(ग) मांग पत्र जारी करते समय प्रचलित लागत पर फ्लैटों का आबंटन किया गया है।

(घ) उपर्युक्त "क" तथा "ख" के उत्तर को देखते हुए कोई समय-सीमा निश्चित करना संभव नहीं है।

विवरण

क्रम सं०	स्कीम का नाम	एस०एफ० एस०	एम०आई० जी०	एल०आई० जी०	जनता	फ्लैटों की कुल सं०	सेवाएं उपलब्ध न होने का ब्यौरा	डी०वी०बी० द्वारा दी गई ता०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	रोहिणी सेक्टर-22 पाकेट-15	—	—	192	—	192	बिजली उपलब्ध नहीं	12/98
2.	रोहिणी सेक्टर-22 पाकेट-12	—	—	176	—	176	वही	1/99
3.	रोहिणी सेक्टर-22 पाकेट-16	—	—	136	—	136	वही	1/99
4.	रोहिणी सेक्टर-22 पाकेट-16ए	—	—	136	—	136	वही	1/99
5.	रोहिणी सेक्टर-22 पाकेट-17	—	—	136	—	136	वही	1/99
6.	रोहिणी सेक्टर-22 पाकेट-15	—	—	176	—	176	वही	1/99
7.	रोहिणी सैक्टर-24 पाकेट-1	—	—	176	—	176	वही	8/99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	रोहिणी सेक्टर-24 पाकेट-10	—	—	176	—	176	बिजली उपलब्ध नहीं	8/99
9.	रोहिणी सेक्टर-24 पाकेट-13	—	—	176	—	176	वही	8/99
10.	रोहिणी सेक्टर-24 पाकेट-25	—	—	176	—	176	वही	8/99
11.	रोहिणी सेक्टर-24 पाकेट-26	—	—	292	—	292	वही	8/99
12.	रोहिणी सेक्टर-25 पाकेट-8-9	—	—	250	—	250	वही	8/99
13.	रोहिणी सेक्टर-25 पाकेट-1	—	—	282	—	282	वही	8/99
14.	शेख सराय	104	—	—	—	104	वही	9/99
15.	द्वारका फेज-1, नसीरपुर पाकेट-9	—	—	68	174	242	वही	12/99
16.	द्वारका फेज-1, सैक्टर-11	—	144	—	—	144	वही	12/99
17.	द्वारका फेज-1, नसीरपुर पाकेट-6	—	184	—	—	184	वही	12/99
18.	द्वारका फेज-2, सैक्टर-13	—	628	—	—	628	वही	8/99
19.	द्वारका फेज-2, सैक्टर-14	—	360	—	—	360	वही	9/99
20.	द्वारका फेज-2, सैक्टर-17	—	292	—	—	292	वही	8/99
21.	द्वारका फेज-1, सैक्टर-12	151	182	—	—	333	वही	12/99
22.	द्वारका फेज-2, सैक्टर-13	352	126	224	—	702	वही	12/99
23.	द्वारका फेज-2, सैक्टर-22	672	—	—	—	672	वही	12/2000
24.	शालीमार बाग पाकेट ए ब्लाक डी	200	—	—	—	200	वही	तारीख नहीं दी गई है
25.	नरेला सेक्टर बी 4 पाकेट-3	—	—	—	512	512	वही	वही
26.	मयूर विहार पाकेट-4	—	20	20	—	40	वही	7/99
27.	नरेला सेक्टर बी 4 पाकेट-9	—	—	—	280	280	वही	तारीख नहीं दी गई है
28.	द्वारका फेज-2 सेक्टर-14 पाकेट बी	—	—	864	—	864	वही	9/99
29.	द्वारका फेज-1 नसीरपुर पाकेट-6	—	—	—	272	272	वही	तारीख नहीं दी गई है
30.	द्वारका फेज-2 सेक्टर-14 पाकेट ए	—	—	976	—	976	वही	वही
31.	द्वारका फेज-2 सेक्टर-19 पाकेट-1	—	288	—	—	288	वही	3/2000
32.	द्वारका फेज-1 नसीरपुर पाकेट-13	—	—	496	—	496	वही	तारीख नहीं दी गई है
33.	रोहिणी फेज-2 सेक्टर-18 ब्लाक सी एवं डी	—	770	—	—	770	वही	वही
34.	रोहिणी फेज-2 सेक्टर-17 ब्लाक सी	—	—	416	—	416	वही	वही
35.	रोहिणी फेज-1 सेक्टर 2 पाकेट ए	—	—	112	—	112	वही	वही
	कुल योग					11,367		

[अनुवाद]

मूल्यवान वस्तुएं

2229. श्रीमती कांति सिंह : क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, भारत छोड़ते समय अंग्रेजों द्वारा साथ ले जाई गई मूल्यवान वस्तुओं की कोई सूची तैयार की है;

(ख) क्या इन मूल्यवान वस्तुओं में से कुछ को ब्रिटेन में नीलामी के लिए रखा गया है;

(ग) क्या सरकार ने इन वस्तुओं को ब्रिटेन से वापस लेने के लिए इस मुद्दे पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच० चाओबा सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976

2230. डा० मदन प्रसाद जायसवाल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के सुधार और सरलीकरण हेतु एक व्यापक विधेयक लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे सभा में कब तक पुरःस्थापित कर दिया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) जी, नहीं। नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 का अध्यादेश के जरिये निरसन किया गया और उसे नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। यह अधिनियम 22-3-1999 से लागू हुआ। प्रारम्भ में यह हरियाणा, पंजाब राज्यों और सभी संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू हुआ। बाद में इसे उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक राज्यों ने भी स्वीकार कर लिया।

[अनुवाद]

उड़ीसा ड्रग्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड

2231. श्री उत्तम राव ढिकले : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य के संपूर्ण इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड का अधिग्रहण करके अमेरिका आधारित प्रयोगशालाओं द्वारा उड़ीसा ड्रग्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड को अपने कब्जे में लिए जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) उड़ीसा ड्रग्स एंड कैमिकल्स लि० के बारे में यू०ए०एस० लैब्स, यू०एस०ए० द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव के आधार पर पुनर्वास कार्यक्रम का प्रारूप बी०आई०एफ०आर० द्वारा 4.11.1999 को परिचालित किया गया है। ओ०डी०सी०एल० के भविष्य का निर्णय बी०आई०एफ०आर० की कार्यवाहियों तथा निर्णय के अनुसार किया जाएगा।

महाराष्ट्र में नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय

2232. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में विशेषकर अहमदनगर जिले में चल रहे नवोदय और केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की अपेक्षित संख्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) से (ग) महाराष्ट्र तथा अहमदनगर में चलाए जा रहे नवोदय और केन्द्रीय विद्यालयों में रिक्त पदों के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न है। ये रिक्तियां अधिकाशतः सेवानिवृत्ति, पदोन्नति इत्यादि की वजह से हैं।

विवरण

30.9.99 की स्थिति के अनुसार जवाहर नवोदय विद्यालय अहमद नगर के अतिरिक्त महाराष्ट्र में संचालित 27 नवोदय विद्यालयों के कर्मचारियों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

पद का नाम	संस्वीकृत	वर्तमान स्थिति	रिक्त
पी०जी०टी०	140	127	13
टी०जी०टी०	213	200	13
विविध श्रेणी	141	138	03
कुल	494	465	29

30.9.99 की स्थिति के अनुसार जिला अहमदनगर (महाराष्ट्र) में ज०न०वि० में शिक्षकों की संख्या

पद का नाम	संस्वीकृत	वर्तमान स्थिति	रिक्त
पी०जी०टी०	01	01	–
टी०जी०टी०	07	06	01
विविध श्रेणी	05	05	–
कुल	13	12	01

महाराष्ट्र में कार्यरत केन्द्रीय विद्यालयों की स्टाफ स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

पद का नाम	संस्वीकृत	तैनात	रिक्त
पी०जी०टी०	397	377	20
टी०जी०टी०	779	730	49
हैडमास्टर	37	23	14
प्राथमिक शिक्षक	947	930	17
एस०यू०पी०डब्ल्यू०	82	67	15
पी०ई०टी०	88	76	12
ड्राईंग शिक्षक	45	44	01
संगीत शिक्षक	54	53	01
योगा शिक्षक	19	18	01
गृह विज्ञान ग्रेड I	02	02	—
गृह विज्ञान ग्रेड II	03	03	—
कुल योग	2453	2323	130

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, अहमदनगर (महाराष्ट्र) में शिक्षकों की संख्या

पद का नाम	संस्वीकृत	तैनात	रिक्त
पी०जी०टी०	14	14	—
टी०जी०टी०	33	30	03
हैडमास्टर	02	—	02
प्राथमिक शिक्षक	44	44	—
एस०यू०पी०डब्ल्यू०	04	01	03
पी०ई०टी०	04	04	—
ड्राईंग शिक्षक	02	02	—
संगीत शिक्षक	03	03	—
योगा शिक्षक	—	—	—
कुल योग	106	98	08

[हिन्दी]

बी०सी०जी० टीकाकरण

2233. **डा० चरण दास महंत :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिशुओं के लिए बी०सी०जी० टीकाकरण आवश्यक है और क्या एक बार में एक शीशी से 20 बच्चों को टीका लगाया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे टीके लगने से वंचित रह जाते हैं क्योंकि अस्पतालों में एक समय पर बीस बच्चे प्रायः उपलब्ध नहीं होते;

(ग) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह टीका खुले बाजार में उपलब्ध नहीं है क्योंकि इसका निर्माण सरकारी संस्थानों द्वारा किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) से (ग) बाल्यावस्था के गंभीर रूपों के क्षय रोग की रोकथाम के लिए बी०सी०जी० वैक्सीन शिशुओं के लिए अनिवार्य है। बी०सी०जी० वैक्सीन के प्रत्येक एम्पयूल/वायल में 20 खुराकें होती हैं। व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत इस आशय के अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि रोगप्रतिरक्षण सत्र के दौरान एक ही बच्चा क्यों न हो, वह बच्चा वैक्सीन के बिना नहीं रहना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा प्रदान की जाती है।

(घ) और (ङ) बी०सी०जी० वैक्सीन प्रयोगशाला, गिन्डी द्वारा निर्मित बी०सी०जी० वैक्सीन की आपूर्ति मुख्यतः राष्ट्रीय रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम को की जाती है। इस वैक्सीन की आपूर्ति सीधे अस्पतालों, संस्थाओं और नुस्खे पर निजी क्षेत्र के चिकित्सा व्यवसायियों को भी की जाती है। इसके अलावा खुले बाजार में आयातित बी०सी० वैक्सीन उपलब्ध है।

नवोदय विद्यालयों में दाखिले

2234. **श्री धर्म राज सिंह पटेल :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने नवोदय विद्यालयों में आरक्षित श्रेणियों के छात्रों के दाखिले के लिए क्या प्रक्रिया तैयार की है;

(ख) क्या सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के दाखिले हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) नवोदय विद्यालयों में कक्षा 6 स्तर पर प्रवेश, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित चयन परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु सीटों का आरक्षण संबंधित जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात से प्रदान किया जाता है बशर्ते कि किसी भी जिले में इस प्रकार का आरक्षण राष्ट्रीय औसत से कम नहीं होगा (अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5%) परंतु दोनों श्रेणियों के लिए एक साथ अधिकतम 50% लिया जा सकता है। ये आरक्षण अन्तर-परिवर्तनीय

हैं तथा खुली योग्यता के अंतर्गत चयन किए गए उम्मीदवार इन श्रेणियों के उम्मीदवारों के अलावा है। पात्रता मानदंडों में थोड़ी छूट दी गई है ताकि अनु० जाति/अनु० जनजाति उम्मीदवारों की अपेक्षित प्रतिशतता को शामिल किया जा सके।

(ख) से (घ) नवोदय विद्यालय समिति अपने स्वयं के नियमों और उपनियमों द्वारा प्रशासित एक स्वायत्त संगठन है। नवोदय विद्यालयों में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के दाखिले के लिए आरक्षण प्रदान करने के संबंध में सरकार ने कोई पक्का इरादा नहीं किया है।

[अनुवाद]

दवाओं की कमी

2235. **कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरी सं० 73 (गुड़गांव) में दवाओं की कमी है और वहां डिस्प्रिन जैसी आवश्यक दवाएं भी उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) औषधालयों में पर्याप्त मात्रा में दवाओं की आपूर्ति करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) से (ग) गुड़गांव के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय सं० 73 में अधिकतर आवश्यक दवाइयां उपलब्ध हैं। तथापि, किसी दवाई के उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में व्यक्तिगत रूप से बताए गए नुसखे के आधार पर उसे प्राधिकृत केमिस्ट से प्राप्त किया जाता है और लाभभोगी को प्रदान किया जाता है।

[हिन्दी]

उर्वरकों का उत्पादन

2236. **श्री हरिभाऊ शंकर महाले :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु नए संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान उत्पादन की तुलना में उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ग) दिनांक 24 जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति विषयक संकल्प के अनुसार उर्वरक संयंत्रों की स्थापना/विस्तार हेतु सामान्यत: किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। पर्यावरणीय निकासी की शर्त के अध्यधीन उद्यमी देशों में कहीं भी उर्वरक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों को उनके द्वारा प्रदत्त शक्तियों से अधिक पूंजी व्यय करने से पहले सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना पड़ता है। उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों से संबंधित ऐसे प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं जो निर्धारित प्रक्रिया के तहत निवेश अनुमोदन हेतु सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। संलग्न विवरण-II में दिए गए ब्यौरे के अनुसार इस समय देश में 4 बड़ी उर्वरक परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। इन परियोजनाओं के शुरू हो जाने पर नाइट्रोजन के 110.71 लाख टन प्रति वर्ष तथा फास्फेट्स के 36.48 लाख टन प्रति वर्ष की वर्तमान संस्थापित क्षमता की तुलना में नाइट्रोजन के 5.58 लाख टन प्रति वर्ष और फास्फेट पोषकों के 9.31 लाख टन प्रति वर्ष की अतिरिक्त क्षमता का सृजन होगा जिससे क्रमश: 5% और 25.5% के उत्पादन में वृद्धि होगी।

विवरण-I

निवेश अनुमोदन हेतु सार्वजनिक/सहकारी एककों द्वारा सरकार के समक्ष प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव

क्रम सं०	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ सहकारी समितियों के नाम	स्थान	अनुमानित पूंजी लागत (रु० करोड़)	परिकल्पिक उत्पादन	
				उत्पाद	क्षमता (लाख मी० टन प्रतिवर्ष)
1	2	3	4	5	6
1.	कृषक भारती कोआपरेटिव लि० (कृभको) अमोनिया-यूरिया विस्तार परियोजना की तीसरी स्ट्रीम	हजीरा, गुजरात	1318	यूरिया	7.68
2.	कृभको (एफ०सी०आई० के मौजूदा स्थल पर नया अमोनिया-यूरिया संयंत्र	गोरखपुर उत्तर प्रदेश	1536	यूरिया	7.68
3.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि० (इफको) (ग्रासरूट)	नेल्लोर आन्ध्र प्रदेश	1736	यूरिया	7.68

1	2	3	4	5	6
4.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स (आर०सी०एफ०) (अमोनिया-यूरिया विस्तार परियोजना)	थाल महाराष्ट्र	1332	यूरिया	7.68

10.4.99 को इन प्रस्तावों को "सिद्धांत रूप से "सी०सी०ई०ए० का अनुमोदन दिया जा चुका है बशर्ते कि सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पी०आई०बी०) इन का निवेश मूल्यांकन कर दें। इन परियोजनाओं का निवेश मूल्यांकन पी०आई०बी० ने 9.7.99 को हुई अपनी बैठक में कर दिया है।

विवरण-II

देश में सार्वजनिक/सहकारी/निजी क्षेत्र में कार्यान्वयनाधीन बड़ी उर्वरक परियोजनाएं

क्रम सं०	परियोजना का नाम स्थान और कम्पनी/ सहकारी समिति	अनुमानित पूंजी लागत (रु० करोड़ में)	परिकल्पित अतिरिक्त उत्पादन		शून्य तारीख	आरम्भण की निर्धारित तारीख	स्तर
			उत्पाद	क्षमता (लाख मी० टन प्रतिवर्ष)			
1.	ओसवाल कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० (नई) पारादीप, उड़ीसा	1832.00	डी०ए०पी० एन०पी०के० एन०पी०	15.00 3.20 1.00	सितम्बर 97	सितम्बर 99	परियोजना में विलम्ब हुआ है और उसे 1999-2000 के अंत से पहले चालू हो जाने की संभावना है।
2.	गोदावरी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि० (जी०एफ० सी०एल०) काकीनाडा, आन्ध्र प्रदेश	99.13	डी०ए०पी०	2.8	5.1.98	13.12.2001	—
3.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० (एच०एफ०सी०) की नामरूप संयंत्र का पुनरुद्धार नामरूप, आसाम	350.00	यू I	3.28	2.11.98	1.5.2001	—
4.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० (एन०एफ०एल०) यूरिया संयंत्र विस्तार परियोजना) नांगल, पंजाब	135.13	यूरिया	1.48	11.5.99	11.5.2001	—

कुल अनुमानित पूंजी लागत : 2416.26 करोड़ रुपए
योग यूरिया : 04.76 लाख मी० टन प्रति वर्ष
एन०पी०के० : 03.20 लाख मी० टन प्रति वर्ष
डी०ए०पी० : 17.80 लाख मी० टन प्रति वर्ष
एन०पी० : 01.00 लाख मी० टन प्रति वर्ष

पोलियो ड्राप्स

2237. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पल्स पोलियो अभियान के दौरान देश में राज्यवार कितने बच्चों को पोलियो ड्राप्स दिए गए;

(ख) इस पर प्रति वर्ष कितना खर्च हुआ क्योंकि यह केन्द्र सरकार और विभिन्न राज्यों द्वारा शुरू किया गया था;

(ग) इस अभियान में शामिल विदेशी संगठनों, सरकारों और संस्थाओं की संख्या कितनी है और अब तक इनके द्वारा क्या-क्या सहायता प्रदान की गई; और

(घ) इस अभियान के बारे में जनता, प्रेस और विभिन्न संगठनों की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) पल्स पोलियो रोग प्रतिरक्षण के राज्यवार आंकड़े विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ख) वर्ष-वार व्यय इस प्रकार है :—

1995-96	101.5 करोड़
1996-97	187.0 करोड़
1997-98	210.7 करोड़
1998-99	234.0 करोड़
1999-2000	542.0 करोड़

(ग) इस अभियान में कुल 10 संगठन, विदेशी सरकारें और संस्थाएं लगी हुई हैं। इन संगठनों/सरकारों से नकद और सामग्री के रूप में कुल 1054.44 करोड़ रुपए सहायता मिली है।

(घ) कुल मिलाकर जनता, प्रेस और विभिन्न संस्थाओं से अनुकूल सहायता मिल रही है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य	9 दिसम्बर 1995×	20 जनवरी, 1996×	7 दिसम्बर 1996	18 जनवरी, 1997	7 दिसम्बर, 1997	18 जनवरी, 1998	6 दिसम्बर, 1998	17 जनवरी, 1999	24 अक्तूबर, 1999 अनन्तिम	21 नवम्बर, 1999 अनन्तिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अं०नि० द्वीपसमूह	24608	26255	39662	38477	38684	39536	38639	39111	40095	40128
2.	आंध्र प्रदेश	6289751	6863834	9784476	10201204	10553581	11157648	10293118	10363877	9848606	10446207
3.	अरुणाचल प्रदेश	108544	117578	149962	152434	171347	175905	176279	168976	191835	177249
4.	असम	2437243	2437527	3019594	3413866	3734965	3816601	3912519	3925391	4221984	4267636
5.	बिहार	10653700	12023000	13815000	14094000	14841267	15841430	15784238	15923332	19301316	18269368
6.	चण्डीगढ़	55333	69150	94197	104728	121800	136178	105900	104865	104773	110063
7.	दादरा व नगर हवेली	17570	18021	24458	25560	26554	27857	28635	30621	29250	29289
8.	दमण एवं दीव	9157	9893	13844	14783	14663	14971	15925	16624	16492	17230
9.	दिल्ली	1231442	1316803	1867656	1933584	1729431	1868074	2220969	2193805	1943749	0
10.	गोवा	71870	76722	119203	122235	120991	124710	124346	126819	119941	122799
11.	गुजरात	3581844	3867413	5282942	5554243	5017198	5909662	5860542	6103638	6160034	5900755
12.	हरियाणा	1813089	1973708	2839843	2995574	2823828	3070839	3081786	3178583	3185589	3335029
13.	हिमाचल प्रदेश	378891	405599	629019	652381	570732	655990	1233448	655837	669587	674656
14.	जम्मू व कश्मीर	876303	799610	1308106	1350750	1387746	1416124	1426551	1458023	1499222	1536400
15.	कर्नाटक	3600019	4203739	6074905	6238337	6491785	6608502	6635441	6749733	6382044	7093748
16.	केरल	1952339	1873690	2590785	2734626	2777697	2863746	2851005	3034492	2856848	2868981
17.	लक्षद्वीप	9373	4948	6820	7036	6643	6843	6493	6688	6572	0
18.	मध्य प्रदेश	7381495	7663443	10115820	10150061	10652891	11442475	11865302	11959372	12136544	12348675
19.	महाराष्ट्र	7088610	7280426	9003438	9226543	10705091	11081193	10964562	10288914	8686384	8783592
20.	मणिपुर	206905	216459	283018	322277	324912	304375	307159	309634	223888	323692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	मेघालय	205567	215815	299198	315371	347668	352005	376878	384556	429890	421462
22.	मिजोरम	69986	70119	103321	101312	104774	105800	153809	105991	110928	60811
23.	नागालैंड	91838	98498	183266	187036	147751	187887	186641	202506	227333	232755
24.	उड़ीसा	2868964	3091888	4333436	4368145	4483449	4732639	4555924	4667076	4015517	2468659
25.	पांडिचेरी	89626	99530	57847	110188	120380	119783	118270	117736	95349	102089
26.	पंजाब	2078002	2253107	2897451	3029618	3067340	3104505	3167954	3217079	3374277	405067
27.	राजस्थान	5201918	5263657	6988390	7357466	7910195	8555289	7976481	8568864	9636232	9850831
28.	सिक्किम	51013	50177	71718	69187	73916	73274	74941	74270	72630	74685
29.	तमिलनाडु	6128176	6498057	6366220	6584876	6652004	6849826	6929110	7129260	6888523	7040429
30.	त्रिपुरा	238614	242739	306731	340605	630772	350632	340516	337316	386684	387972
31.	उत्तर प्रदेश	17455955	18907833	22968293	27391083	25106978	26848140	26645469	28319655	29782249	30763206
32.	पश्चिम बंगाल	5545936	5543308	8176981	8232207	8852293	8543142	8474456	8651224	8829634	9008168
	योग	87813681	93582546	119815600	127419793	129609326	136385581	135933306	138413868	141473999	137161631

× : 9 दिसम्बर, 1995 और 20 जनवरी, 1996 को आयोजित दौरों के दौरान।

[अनुवाद]

लंबित परियोजनाएं

2238. श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में विशेषकर महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश में स्थापित तथा कार्य कर रहे टी०वी० ट्रांसमीटरों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या कुछ परियोजनाएं वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति के अभाव में लंबित पड़ी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) लंबित परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) वर्तमान में, महाराष्ट्र में 87 ट्रांसमीटर तथा कर्नाटक में 50 ट्रान्समीटरों सहित देश में भिन्न-भिन्न क्षमताओं के 1058 टी०वी० ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं। इनका राज्य-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) वित्तीय तथा तकनीकी संस्वीकृति के अभाव में कोई अनुमोदित परियोजना नहीं रोकी गई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

दूरदर्शन ट्रान्समीटर (1.12.1999 की स्थिति के अनुसार)

क्र० सं०	राज्य/संघशा० क्षेत्र	टी०वी० ट्रांसमीटर (प्राथमिक चैनल)					टी०वी० ट्रांसमीटर (प्राथमिक चैनलों के अलावा)			
		उ०श० ट्रा०	अ०श० ट्रा०	अ०अ० ट्रा०	ट्रा०	कुल	उ०श० ट्रा०	अ०श० ट्रा०	अ०अ० ट्रा०	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	असम	3	19	1	1	24	0	3	0	3
2.	आन्ध्र प्रदेश	8	61	6	1	76	1	0	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	3	39	0	43	0	1	0	1
4.	बिहार	5	44	2	1	52	0	1	0	1
5.	गोवा	1	0	0	0	1	0	1	0	1
6.	गुजरात	4	59	3	0	66	1	1	0	2
7.	हरियाणा	0	9	0	0	9	0	1	0	1
8.	हिमाचल प्रदेश	2	8	29	2	41	0	1	0	1
9.	जम्मू एवं कश्मीर	4	7	31	1	43	1	3**	0	4
10.	केरल	3	18	2	0	23	0	4	0	4
11.	कर्नाटक	4	42	3	0	49	1	0	0	1
12.	मध्य प्रदेश	6	69	10	0	85	1	1	0	2
13.	मेघालय	2	2	2	0	6	0	2	0	2
14.	महाराष्ट्र	5	69	9	1	84	1	2	0	3
15.	मणिपुर	1	1	6	0	8	0	1	0	1
16.	मिजोरम	2	0	2	0	4	0	2	0	2
17.	नागालैण्ड	2	2	6	1	11	0	1	0	1
18.	उड़ीसा	4	58	9	1	72	1	4	2	7
19.	पंजाब	4	5	0	1	10	0	1	0	1
20.	राजस्थान	5	57	15	2	79	0	2	0	2
21.	सिक्किम	1	0	5	0	6	0	1	0	1
22.	तमिलनाडु	3	36	3	2	44	1	0	0	1
23.	त्रिपुरा	1	2	1	1	5	0	2	0	2
24.	उत्तर प्रदेश	9	63	26	3	101	0	5	1	6
25.	पश्चिम बंगाल	4	19	3	0	26	1	1	0	2
26.	दिल्ली	1	0	0	0	1	1	2*	0	3
27.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	2	10	0	12	0	1	0	1
28.	दमन एवं द्वीप	0	2	0	0	2	0	0	0	0
29.	पांडिचेरी	0	2	2	0	4	0	1	0	1
30.	लक्ष्यद्वीप द्वीप समूह	0	1	8	0	9	0	0	1	1
31.	चण्डीगढ़	0	1	0	0	1	0	1	0	1
32.	दादरा एवं नगर हवेली	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	कुल	85	662	233	18	998	10	46	4	60

कुल ट्रांसमीटर 1058

* संसदीय कवेरज के लिए अ०श०ट्रा० (2 सं०)

** कश्मीर चैनल हेतु एक अ०श०ट्रा० सहित शेष 57 ट्रांसमीटर मैट्रो चैनल (डी०डी०-2) सेवा हेतु हैं।

[हिन्दी]

बिहार में राष्ट्रीय खेल

2239. श्री राजो सिंह : क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार बिहार में राष्ट्रीय खेल आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1998-99 के दौरान इसके लिए किन-किन जिलों में प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच० चाओबा सिंह) : (क) भारतीय ओलम्पिक संघ (आई०ओ०ए०) राज्य ओलम्पिक संघ के परामर्श से राष्ट्रीय खेलों के आयोजन संबंधी निर्णय लेता है। भारतीय ओलम्पिक संघ ने सूचित किया है कि उसे बिहार ओलम्पिक संघ से बिहार में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करने हेतु अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

केरल में दूरदर्शन/आकाशवाणी के विकास संबंधी कार्यक्रम

2240. श्री टी० गोविन्दन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000 के दौरान केरल दूरदर्शन/आकाशवाणी के विकास हेतु बनाये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का दूरदर्शन/आकाशवाणी के विकास संबंधी कार्यक्रमों में पिछड़े जिलों पर विचार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) हालांकि आकाशवाणी का कालीकट में एक 10 कि०वा० एफ०एम० ट्रांसमीटर चालू करने का प्रस्ताव किया है, तथापि, वर्ष 2000-2001 के दौरान केरल में दूरदर्शन की निम्नलिखित परियोजनाओं के पूरा होने की आशा हैं :–

1.	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	त्रिवेन्द्रम (डी०डी०-2) कोचीन (डी०डी०-2)
2.	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	कोट्टाराकारा मंजेरी पाला
3.	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	इराटुपेट्टा मुंडाकायम

(ख) और (ग) टी०वी०/आकाशवाणी परियोजनाओं के स्थानों पर चयन करते समय पिछड़े और जनजातीय जिलों पर विशेष रूप से विचार किया जाता है। नौवीं योजना के दौरान जनजातीय उप योजना जिलों में एक आकाशवाणी परियोजना और 7 दूरदर्शन परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को निःशुल्क कोचिंग

2241. श्री रामदास आठवले : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान अब तक भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग/ट्यूटोरियल कक्षाएं आरम्भ करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनमें से कितने प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य-वार कितनी-कितनी धनराशि जारी की गई है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) आई०ए०एस० परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को परीक्षापूर्व कोचिंग प्रदान करने के लिए सम्बद्ध योजना के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) विगत तीन वर्षों (1996-97 तथा 1998-99) के दौरान निर्मुक्त राशि को दर्शानेवाला प्राप्त/स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

प्राप्त/स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या तथा राज्य सरकार को निर्मुक्त राशि को दर्शानेवाला विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	1996-97			1997-98			1998-99		
		प्राप्त प्रस्तावों की सं०	स्वीकृत प्रस्तावों की सं०	योजना के तहत निर्मुक्त राशि (रु० लाख में)	प्राप्त प्रस्तावों की सं०	स्वीकृत प्रस्तावों की सं०	योजना के तहत निर्मुक्त राशि (रु० लाख में)	प्राप्त प्रस्तावों की सं०	स्वीकृत प्रस्तावों की सं०	योजना के तहत निर्मुक्त राशि (रु० लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	2	46.17	2	2	28.70	2	2	49.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	गुजरात	1	1	8.48	1	1	17.76	1	1	43.18
3.	हरियाणा	शून्य	शून्य	निर्मुक्त नहीं	1	शून्य	निर्मुक्त नहीं	1	1	निर्मुक्त नहीं
4.	जम्मू व कश्मीर	शून्य	शून्य	निर्मुक्त नहीं	शून्य	शून्य	निर्मुक्त नहीं	1	शून्य	निर्मुक्त नहीं
5.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	निर्मुक्त नहीं	शून्य	शून्य	निर्मुक्त नहीं	1	शून्य	निर्मुक्त नहीं
6.	महाराष्ट्र	1	1	3.58	1	1	3.40	2	1	2.27
7.	मध्य प्रदेश	2	2	5.47	4	2	47.80	4	4	86.97
8.	मेघालय	शून्य	शून्य	निर्मुक्त नहीं	शून्य	शून्य	निर्मुक्त नहीं	1	शून्य	निर्मुक्त नहीं
9.	उड़ीसा	शून्य	शून्य	निर्मुक्त नहीं	शून्य	शून्य	निर्मुक्त नहीं	1	1	0.88
10.	पंजाब	3	3	17.78	3	3	22.53	3	3	17.52
11.	राजस्थान	1	1	31.58	1	1	17.76	1	1	43.18
12.	तमिलनाडु	1	1	3.69	1	1	1.98	1	शून्य	निर्मुक्त नहीं
13.	उत्तर प्रदेश	3	3	24.14	5	3	17.93	3	3	14.55
14.	दिल्ली	1	1	17.36	2	1	1.42	4	1	3.39

•यह इस योजना के तहत राज्य सरकार को निर्मुक्त कुल राशि (वर्षवार) है।

[अनुवाद]

कीटनाशकों और रसायनों का उपयोग

2242. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब्जियों, फसलों एवं अन्य खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों और रसायनों के उपयोग के कारण अनेक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इन कीटनाशकों, रसायनों तथा मिश्रित व खाद्य पदार्थों के उपयोग के कारण राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी मौतें पंजीकृत की गई;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोई जानपदिक रोग विज्ञान संबंधी अध्ययन नहीं किया है जिससे इस बात का पता चला हो कि सब्जियों और अन्य खाद्य वस्तुओं में उपयोग किए जाने वाले कीटनाशक और रसायन बहुत सारे रोगों को उत्पन्न कर रहे हैं। विभिन्न खाद्य वस्तुओं में कीटनाशक अवशिष्टों के स्तर का अनुमान लगाने के लिए समय-समय पर चलाए गए सीमित अध्ययनों के अनुसार चावल, अनाजों, फलों और सब्जियों जैसे खाद्य उत्पादों सहित नमूने के तौर पर ली गई अधिकतर खाद्य वस्तुओं में कीटनाशक अवशिष्ट अधिकतम निर्धारित सह्य सीमाओं के भीतर पाए गए। कीटनाशकों के उपयोग के फलस्वरूप मर गए और प्रभावित व्यक्तियों की संख्या के बारे में उपलब्ध सूचना को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ङ) कृषि मंत्रालय कीटनाशक, अधिनियम, 1968 के अंतर्गत मानवों अथवा पशुओं, के लिए इनके खतरे को रोकने की दृष्टि से कीटनाशकों के आयात, निर्माण, बिक्री, परिवहन, वितरण और उपयोग को विनियमित करता है। इसके साथ-साथ यह मंत्रालय बड़े पैमाने पर समेकित कृमि नियंत्रण (आई०पी०एम०) के लिए परामर्श देने के अतिरिक्त किसानों को शिक्षा और प्रशिक्षण भी प्रदान करता है जिसमें कृषि नियंत्रण नामत: सांस्कृतिक, यांत्रिक और जैव नियंत्रण संबंधी विधियां और कीटनाशकों के केवल विवेकपूर्ण उपयोग की वैकल्पिक विधियां सम्मिलित हैं।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत विभिन्न खाद्य पदार्थों में 71 कीटनाशकों के लिए कीटनाशक अवशिष्टों के बारे में अधिकतम सह्य सीमाएं खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के नियम 65 के अंतर्गत निर्धारित की गई हैं।

विवरण

पिछले 3 वर्षों के दौरान कीटनाशकों के विष के कारण हुई मौतों की संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	अंडमान एवं निकोबार	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5
2.	आन्ध्र प्रदेश	62	शून्य	शून्य
3.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	एनआर	शून्य
4.	असम	शून्य	शून्य	शून्य
5.	बिहार	शून्य	एनआर	शून्य
6.	चंडीगढ़	एनआर	शून्य	शून्य
7.	दादरा एवं नगर हवेली	एनआर	एनआर	एनआर
8.	दमण एवं दीव	शून्य	एनआर	एनआर
9.	दिल्ली	शून्य	एनआर	एनआर
10.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य
11.	गुजरात	शून्य	शून्य	शून्य
12.	हरियाणा	शून्य	2	शून्य
13.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	एनआर
14.	जम्मू एवं कश्मीर	शून्य	एनआर	शून्य
15.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	5
16.	केरल	299	225	257
17.	लक्षद्वीप	शून्य	एनआर	एनआर
18.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
19.	महाराष्ट्र	200	444	373
20.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य
21.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
22.	मिज़ोरम	शून्य	शून्य	शून्य
23.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य
24.	उड़ीसा	शून्य	शून्य	शून्य
25.	पांडिचेरी	60	45	26
26.	पंजाब	178	73	76
27.	राजस्थान	93	418	406
28.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य
29.	तमिलनाडु	78	76	40
30.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य
31.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	42
32.	प० बंगाल	एनआर	एनआर	एनआर

टिप्पणी : इन आंकड़ों का संकलन जोनल सम्मेलनों में राज्य/संघ क्षेत्रों द्वारा अथवा भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, पादप संरक्षण, फरीदाबाद को भेजी गई सूचना के आधार पर किया गया है।

एनआर : सूचित नहीं किए गए।

उर्दू कार्यक्रम

2243. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना दूरदर्शन केन्द्र की नेशनल नेटवर्क पर उर्दू कार्यक्रम की प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या इस कार्यक्रम के लिए दिया गया समय अपर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इसके कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा दूरदर्शन केन्द्र पर उर्दू कार्यक्रमों के लिए और समय देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) दूरदर्शन के कार्यक्रम सम्बन्धी मामले प्रसार भारती के क्षेत्राधिकार में आते हैं। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन राष्ट्रीय नेटवर्क पर दो भाषाओं अर्थात् हिन्दी तथा अंग्रेजी में अपने कार्यक्रम प्रसारित करता है। तथापि, मोहर्रम तथा ईद-उल-जूहा जैसे विशेष अवसरों को चिन्हित करने के लिए कार्यक्रमों को उर्दू में प्रसारित किया जाता है।

दूरदर्शन केन्द्र, पटना प्रतिदिन 90 मिनट का कार्यक्रम प्रसारित करता है जिसमें प्रतिदिन 10 मिनट के उर्दू समाचार एवं महीने में एक बार 30 मिनट का नियमित उर्दू कार्यक्रम शामिल होता है।

राष्ट्रीय संस्कृति कोष

2244. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या संस्कृति युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति कोष बनाया है और राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण और रख-रखाव के लिए औद्योगिक घरानों और सरकारी क्षेत्र की इकाइयों से सहायता प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना के तहत औद्योगिक घरानों और सरकारी क्षेत्र की इकाइयों द्वारा संरक्षण हेतु पहले से ही अपनाए गए कौन-कौन से राष्ट्रीय स्मारक हैं ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच० चाओबा सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने राष्ट्रीय संस्कृति कोष को भारत में कलाओं और संस्कृति के लिए वित्तपोषण के विद्यमान स्रोतों और पैटर्नों से भिन्न एक वित्तपोषक तन्त्र के रूप में तथा राष्ट्रीय स्मारकों के परिरक्षण और अनुरक्षण के मामले में साझीदारों के रूप में सरकार की सहायता करने के लिए संस्थाओं और व्यष्टियों को समर्थ बनाने के लिए नवम्बर, 1996 में अधिसूचित किया। ओबेराय होटल समूह ने दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे पर प्रकाश-व्यवस्था करने का कार्य शुरू किया है। पूणे के उद्योगपतियों के एक समूह और पी०एम०सी० ने शनिवारवाड़ा के वातावरण को मनोहारी बनाने का कार्य भी शुरू किया है। इसके अलावा, ऐसे ही प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के कुछेक उपक्रमों के साथ समझौता ज्ञापन सम्पन्न करने सम्बंधी प्रक्रिया जारी है।

गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी

2245. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र में चल रही ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है और क्या 1998-1999 और चालू वर्ष के दौरान योजना-वार इनके कार्यनिष्पादन की समीक्षा की जा रही है;

(ग) इन योजनाओं में गैर-सरकारी संगठनों की प्रभावी और व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु इनका प्रचार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदर्भ क्षेत्र में इन योजनाओं में उपयोग में लाई गई निधियों का योजना-वार ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

होमियोपैथिक भेषजिकी में डिप्लोमा कोर्स

2246. डा० वी० सरोजा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी (आई०एस० एम०एच०) विभाग ने केन्द्र सरकार को, देश में होमियोपैथिक भेषजिकी विज्ञान के वैज्ञानिक विस्तार तथा विकास हेतु होमियोपैथी भेषजकारों के वास्ते होमियोपैथी भेषजिकी में निर्धारित डिप्लोमा कोर्स शुरू करने के लिए कोई योजना/कार्यक्रम प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इन योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) स्वतंत्रता के पश्चात् देश में होमियोपैथिक भेषजकारों के लिए होमियोपैथिक भेषजिकी शिक्षा के विस्तार और विकास पर समुचित ध्यान न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) से (ग) इस विभाग ने होमियोपैथी के फार्मेसिस्टों के लिए एक संगठित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्राथमिकता दी है। इस प्रयोजन के लिए गठित की गई एक विशेषज्ञ समिति ने एक कानून बनाकर विनियामक तन्त्र, नामतः भारतीय होमियोपैथी फार्मेसी परिषद के गठन की संस्तुति की। होमियोपैथी फार्मेसी परिषद की स्थापना के प्रस्ताव के लिए संबंधित विभागों का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु कदम उठाए गए हैं।

(घ) संसद में एक नया विधेयक लाने और उसे पारित करवाने की प्रक्रिया में समय लगता है और सरकार का तेजी से कार्रवाई करके इस मामले को एक दिशा देने का प्रयास रहा है।

आंध्र प्रदेश में ब्लड बैंक

2247. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय सरकार से उचित पंजीकरण और प्रमाणपत्र प्राप्त बैंकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश के सभी ब्लड बैंकों के उन्नयन हेतु कोई वित्तीय सहायता दी गई;

(ग) यदि हां, तो वे कौन सी योजनाएं हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस कार्य हेतु प्रदान की गई वित्तीय सहायता और योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आंध्र प्रदेश में ब्लड बैंकों के कार्यकलाप पर निगरानी रखने और उन्हें लाइसेंस देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) कुल 125 रक्त बैंक लाइसेंसशुदा हैं (42 सरकारी रक्त बैंक, 3 धर्मार्थ (चेरिटेबल) रक्त बैंक और 80 निजी रक्त बैंक) ये सभी रक्त बैंक भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन रक्त बैंकों के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक सभी उपस्कर जुटा रहा है। रक्त बैंकों के रख-रखाव और कार्यकरण के लिए भारत सरकार प्रयोग में आने वाली सामग्री जैसे रक्त थैलियां, डिस्पोजेबल सिरिंजें और सुईयां, दस्ताने ऐन्टिसेप्टिक, घोल, ऐन्टि सेरा, एच०आई०वी०, एच०बी०एस०, ए०जी०, बी०डी०आर०एल० इत्यादि के परीक्षण किट्स के प्रापण के लिए भारत सरकार द्वारा बजट उपलब्ध कराया जाता है। गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता निम्नलिखित है :—

1997-98	1,50,00,000/-रु०
1998-99	3,50,00,000/-रु०
1999-2000	1,57,75,000/-रु०

(घ) रक्त की सुरक्षित आपूर्ति के लिए रक्त बैंकों की मॉनिटरिंग करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं :—

1. औषध निरीक्षक और जिला नोडल अधिकारियों को जिला स्तर पर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नियत है, द्वारा रक्त बैंकों का नियमित निरीक्षण।

2. उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार व्यावसायिक रक्तदान पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और स्वैच्छिक एवं रक्त के बदले रक्त लेने के लिए किए गए रक्तदान ही स्वीकार किए जाते हैं।

आंगनवाड़ी कर्मचारी

2248. श्री एस० अजय कुमार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंगनवाड़ी कर्मचारियों का पारितोषिक बढ़ाने की अनवरत मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों की कार्य दशा की जांच करने के लिए एक समिति गठित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) ये मांगें मानदेय में वृद्धि करने, कार्य की परिस्थितियों को बेहतर बनाने, आदि से सम्बन्धित हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव स्तर के प्रतिनिधि और कुछ राज्य सरकारों के समेकित बाल विकास सेवा के प्रभारी सचिव इस समिति के सदस्य हैं।

आकाशवाणी गंगटोक का समाचार कवरेज

2249. **श्री भीम दाहाल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आकाशवाणी गंगटोक के प्रसारण समय के समाचार कवरेज में सुधार लाने के लिए सिक्किम से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) जी, हां। सिक्किम सरकार से आकाशवाणी, गंगटोक की समाचार कवरेज में सुधार लाने और प्रसारण समय बढ़ाने के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ था।

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि इस समय सम्पूर्ण सिक्किम राज्य को आकाशवाणी, गंगटोक से प्रसारित राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों में पूर्णरूप से कवर किया जाता है। सभी स्थानीय कार्यक्रमों को पर्याप्त कवरेज प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं। वर्तमान में आकाशवाणी, गंगटोक रविवार जिस दिन 9 घंटे कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, को छोड़कर प्रतिदिन 8.30 घन्टे कार्यक्रमों को प्रसारित करता है और विभिन्न बाध्यताओं के कारण प्रसारण समय को वर्तमान स्तर से बढ़ाना सम्भव नहीं पाया गया है। तथापि, प्रसार भारती श्रोताओं की रुचि बनाए रखने के उद्देश्य से अपने कार्यक्रमों/समाचार कवरेज में गुणात्मक सुधार लाने के लिए सतत् रूप से प्रयासरत रहता है।

मलेरिया का फिर से फैलना

2250. **श्री अकबर अली खांडोकर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी भागों में मलेरिया भयावह रूप से फिर से फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मलेरिया का दुबारा फैलने का मुख्य कारण मलेरिया की आशंका वाले ग्रामीण क्षेत्रों में कीटनाशकों का छिड़काव न किया जाना है;

(घ) यदि हां, तो कीटनाशक उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम द्वारा नये प्रभावी कीटनाशकों के उपयोग पर विचार किये जाने का संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) और (ख) जी, नहीं। पश्चिम बंगाल सहित देश के कुछ भागों में हाल के वर्षों में इस रोग के संकेंद्रित प्रकोपों का सामना किया गया है। राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुरूप पिछले तीन वर्षों की अवधि में पश्चिम बंगाल में मलेरिया की जानपदिक रोग विज्ञानी स्थिति नीचे दी गई है :—

वर्ष	रोगियों की संख्या	मौतें
1996	87686	56
1997	156209	77
1998	132088	77

(ग) से (घ) मलेरिया के प्रकोपों के लिए प्राकृतिक विपत्तिओं जैसे जल जमाव पैदा करने वाली भारी वर्षा, परिचालनात्मक कमियों के साथ बाढ़ आदि को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। राष्ट्रीय मलेरिया-रोधी कार्यक्रम के तहत कीटनाशी नीति, मलेरिया रोगवाहकों के नियंत्रण हेतु अपनाई गई हैं। रोगवाहक प्रतिरोध क्षमता के कारण मौजूदा कीटनाशियों के अप्रभावी हो जाने पर किसी विशेष क्षेत्र में डी०डी०टी० जैसे परम्परागत कीटनाशियों के बदले नए कीटनाशियों के प्रयोग को अपनाया जाता है।

[हिन्दी]

विज्ञान शिक्षा

2251. **श्री मोहन रावले** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और छात्रों में विज्ञान के प्रति जागरूकता के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना ''विद्यालयों में विज्ञानशिक्षा में सुधार'' 1987-88 में शुरू की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इस दिशा में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्यों और स्वैच्छिक संगठनों को वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) और (ख) विज्ञान शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने और वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना ''स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार'' 1987-88 से शुरू की गई है जिसकी परिकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में की गई। इस योजना में इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों तथा गैर सरकारी संगठनों के संसाधन तथा एजेंसी का उपयोग किया जाता है। तद्नुसार, अपर प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान किट प्रदान करने, विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना/स्तरोन्नयन, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्कूलों में पुस्तकालय संबंधी सुविधाएं प्रदान करने तथा विज्ञान तथा गणित शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को शत-प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारी परियोजना शुरू करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता भी प्रदान की जाती है।

1996-97 से 1998-99 की अवधि के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को विभिन्न घटकों के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है :—

घटक		स्कूलों की संख्या
—	विज्ञान किटें	7824
—	विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना	717
—	विज्ञान प्रयोगशालाओं का स्तरोन्नयन	2669
—	पुस्तकालय पुस्तकें	2451

(ग) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों तथा स्वैच्छिक संगठनों को आवंटित निधियों की राज्यवार तथा वर्षवार स्थिति संलग्न विवरण-I तथा II में दी गई है।

विवरण-I

''स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार'' नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित निधियाँ

(लाख रुपए में)

क्र० सं०	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	प्रदान की गई राशि 1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5
1.	गोवा	—	—	9.08
2.	हिमाचल प्रदेश	77.03	24.78	152.64
3.	कर्नाटक	1004.88	—	—
4.	केरल	—	175.22	—
5.	मिजोरम	13.98	—	—
6.	उड़ीसा	281.00	—	—
7.	पाण्डिचेरी	—	1.20	2.04
8.	पंजाब	69.60	—	—
9.	उत्तर प्रदेश	—	—	252.00

विवरण-II

''स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार'' नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को आवंटित निधियां

(रुपए लाखों में)

क्र० सं०	स्वैच्छिक संगठनों का नाम	प्रदान की गयी धनराशि 1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5
	असम			
1.	असम विज्ञान सोसायटी, गुवाहाटी	2.70	5.64	4.78
2.	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट	—	—	2.36
	गुजरात			
3.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी को ग्रामीण विकास हेतु लोक-प्रिय बनाने के वास्ते केन्द्र, अहमदाबाद	1.09	1.04	2.39
4.	लोक भारती समुदाय विकास केन्द्र, भावनगर	1.21	2.45	0.99
5.	ग्रामीण विकास विस्तार केन्द्र गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	1.48	3.01	—
6.	सहज, बड़ौदरा	—	—	1.83
7.	विक्रम ए० साराभाई समुदाय विज्ञान केन्द्र, अहमदाबाद	30.70	29.28	32.20
	कर्नाटक			
8.	बेलगाम विज्ञान शिक्षा एसो-सियेशन, बेलगाम	—	3.28	—
9.	भारतीय विज्ञान अकादमी, बंगलौर	—	10.90	11.46
10.	जयन्ती ग्राम महिला और बाल कल्याण एसोसियेशन, बंगलौर	0.36	—	—

1	2	3	4	5
11.	कर्नाटक राज्य विज्ञान परिषद, बंगलौर	—	1.13	0.65
12.	मैसूर विज्ञान सोसायटी, मैसूर	—	0.56	0.56
13.	तुमकुर विज्ञान केन्द्र, तुमकुर	—	—	2.42
	मध्य प्रदेश			
14.	एकलव्य, भोपाल	10.63	5.00	4.63
	महाराष्ट्र			
15.	भारतीय भौतिकी अध्यापक संघ, मुम्बई	—	9.21	—
	नागालैण्ड			
16.	आदिवासीय कल्याण विकास संघ, नागालैण्ड	—	—	4.50
	उड़ीसा			
17.	ग्रामीण परिवेश जागृति केन्द्र, माणक्यपुर, उड़ीसा	—	—	1.14
	तमिलनाडु			
18.	जवाहरलाल नेहरू शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, मद्रास	0.52	0.52	—
19.	तमिलाडु विज्ञान फोरम, मद्रास	2.35	—	—
20.	तमिलनाडु राज्य विज्ञान व प्रौद्योगिकी परिषद, चेन्नई	—	—	7.50
	पश्चिम बंगाल			
21.	जगदीश बोस राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज, कलकत्ता	15.42	14.50	15.34
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली			
22.	केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, नई दिल्ली	1.05	—	2.00
23.	दिल्ली पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली	—	6.00	—
24.	एन०सी०एस०टी०सी० नेटवर्क, नई दिल्ली	7.75	—	—

[अनुवाद]

घटिया किस्म के उर्वरक

2252. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां घटिया किस्म के उर्वरकों का उत्पादन कर रही हैं जिसके परिणामस्वरूप किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में उर्वरकों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए कोई अभिकरण गठित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में किसानों के लिए अच्छी किस्म के उर्वरकों का उत्पादन/उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (घ) भारत सरकार के उर्वरक विभाग को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा घटिया किस्म के उर्वरकों के निर्माण की कोई भी गम्भीर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

उर्वरकों की बिक्री, निर्माण आदि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के उपबंधों के तहत विनियमित किया जाता है। विभिन्न उर्वरकों के विनिर्देशन एफ०सी०ओ०, 1985 की अनुसूची-I में निर्धारित किए गए हैं। आदेश (आर्डर) के अनुसार निर्धारित मानदण्डों के प्रतिकूल उर्वरकों की बिक्री और निर्माण वर्जित है।

गुणवत्ता निरीक्षण एक सतत प्रक्रिया है। देश में उर्वरकों की गुणवत्ता परीक्षण हेतु भारत सरकार की फरीदाबाद स्थित केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान और अन्य तीन बम्बई, कल्याणी और चेन्नई स्थित क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं सहित 64 उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं हैं। राज्य सरकारें प्रवर्तन एजेंसियां हैं तथा इन्हें उर्वरक गुणवत्ता के उल्लंघन, यदि कोई हो, के साथ एफ०सी०ओ०, 1985 के उपबन्धों के अनुसार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त रूप से अधिकार प्रदत्त किए गए हैं।

खेलों को बढ़ावा

2253. श्री सी० श्रीनिवासन : क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने खेल कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच० चाओबा सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा खेलों के संवर्धन के लिए आबंटित धनराशि निम्नानुसार है :–

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	योजनागत	योजनेत्तर
1996-97	55.50	17.26
1997-98	75.66	10.35
1998-99	100.66	9.72

जहां तक राज्य-वार आबंटन का संबंध है, अलग-अलग राज्यों को अनुदान आबंटित नहीं किये जाते हैं। सरकार राज्य/संघ शासित सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों/अपेक्षाओं के आधार पर अनुदान जारी करती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान 11964 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया गया है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

प्रशिक्षणार्थियों की राज्यवार संख्या

क्र०सं०	राज्य	प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या		
		1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	मध्य प्रदेश	134	121	226
2.	उत्तर प्रदेश	228	262	321
3.	गुजरात	150	177	137
4.	महाराष्ट्र	318	331	351
5.	गोवा	35	76	78
6.	राजस्थान	66	82	123
7.	कर्नाटक	316	345	481
8.	केरल	180	251	364
9.	आंध्र प्रदेश	105	154	258
10.	बिहार	343	338	344
11.	पश्चिम बंगाल	123	263	400
12.	उड़ीसा	100	132	190
13.	त्रिपुरा	25	56	36
14.	सिक्किम	19	12	51
15.	अरुणाचल प्रदेश	33	33	22
16.	असम	43	24	19
17.	मणिपुर	137	165	198
18.	मेघालय	137	148	166
19.	चण्डीगढ़ (संघ शासित)	127	133	175
20.	पंजाब	80	139	83
21.	हरियाणा	177	194	220
22.	दिल्ली	65	59	163
23.	अंडमान व निकोबार	71	66	169
24.	मिजोरम	18	35	45
25.	तमिलनाडु	59	79	143
26.	नागालैण्ड	30	42	25
27.	पाण्डिचेरी	43	48	55
28.	हिमाचल प्रदेश	21	68	106
	कुल :	3183	3833	4948

युवाओं का विकास

2254. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में युवाओं के विकास हेतु चलाई जा रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा आज की तिथि तक ऐसी योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) युवाओं के चहुंमुखी विकास के लिए सहस्त्राब्दी में शुरू किए जाने हेतु प्रस्तावित नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच० चाओबा सिंह) : (क) राष्ट्रीय सेवा योजना जो एन०एस०एस० के नाम से विख्यात है, गांधी जी की जन्म शताब्दी वर्ष 1969 में शुरू की गई थी जिसमें समुदाय सेवा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करने की ओर प्राथमिक ध्यान दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत, स्वयंसेवकों द्वारा दो प्रकार के कार्यक्रम अर्थात् ''नियमित कार्यकलाप'' और ''विशेष शिविर कार्यक्रम'' आयोजित किए जाते हैं। विद्यार्थियों से लगातार 2 वर्षों की अवधि के लिए स्वयंसेवक के रूप में कार्य करने तथा इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में कम से कम 120 घण्टे तक सेवा करनी अपेक्षित है। एन०एस०एस० कार्यक्रम पर होने वाला व्यय केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा 7:5 के अनुपात में वहन किया जाता है परन्तु जम्मू व कश्मीर तथा विधान सभा विहीन संघ शासित क्षेत्रों में सम्पूर्ण व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। नियमित कार्यकलापों एवं विशेष शिविर कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता का वर्तमान स्तर क्रमशः 120/- रु० तथा 200/- रु० प्रति स्वयंसेवक प्रतिवर्ष है।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना पर पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यय की गई राशि निम्नानुसार है :—

1997-98	1998-99	1999-2000 (10.12.1999 तक)
1771.34 लाख रु०	2773.03 लाख रु०	311.15 लाख रु०

(ग) इस समय, सहस्त्राब्दी में कोई भी केन्द्रीय प्रायोजित योजना आरंभ करने का प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यकों से संबंधित शिक्षण संस्थायें

2255. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में राज्य-वार अल्पसंख्यक शिक्षा और संस्कृति के नाम पर कितनी संस्थायें चल रही हैं;

(ख) प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से उन्हें कितनी वित्तीय सहायता मिलती है; और

(ग) इस संस्थाओं में कितने विदेशी अध्ययन कर रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) राज्य सरकारें अल्पसंख्यक संचालित शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करती हैं। मान्यता प्रदान किए गए अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं का ब्यौरा राष्ट्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता।

(ख) गृह मंत्रालय विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के तहत पूर्वानुमति प्राप्त पंजीकृत स्वयंसेवी संघों द्वारा विदेशी अंशदान की प्राप्ति और उपयोग को विनियमित करता है। अल्पसंख्यक शिक्षा और संस्कृति के नाम पर चल रही संस्थाओं समेत स्वयंसेवी संघों द्वारा विदेशी अंशदान की प्राप्ति का ब्यौरा "स्वयं-सेवी संघों द्वारा विदेशी अंशदान की प्राप्ति" पर वार्षिक रिपोर्ट नामक गृह मंत्रालय के प्रकाशन में दिया गया है जो संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं (1997-98 तक)।

(ग) राष्ट्रीय स्तर पर यह सूचना नहीं रखी जाती।

[अनुवाद]

उड़ीसा में चक्रवात से दूरदर्शन/आकाशवाणी संपत्ति को क्षति

2256. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में हाल में आए चक्रवात के कारण दूरदर्शन और आकाशवाणी की संपत्ति को कितनी क्षति और हानि हुई हैं;

(ख) इस हानि की पूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(ग) राज्य में दूरदर्शन/आकाशवाणी के कब से काम करने लगने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) उड़ीसा में हाल में आए चक्रवात के कारण आकाशवाणी और दूरदर्शन को क्रमश: 14 करोड़ रुपए एवं 1 करोड़ रुपए के मूल्य की सम्पत्ति की हानि एवं क्षति हुई थी।

(ख) और (ग) कटक स्थित 100 कि०वा० मी०वे० आकाशवाणी ट्रांसमीटर को अत्यधिक क्षतिग्रस्त हुआ था और जिसके स्थान पर पूर्णतया एक नया ट्रांसमीटर स्थापित किया जाना है, के मामले को छोड़कर आकाशवाणी और दूरदर्शन की सभी सेवाएं सामान्य रूप से पुन: शुरू कर दी गयी हैं। इस बीच में इस केन्द्र के कार्यक्रम अब 10 कि०वा० शक्ति के आपाती चल ट्रान्समीटर से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दूरदर्शन धारावाहिक/वृत्तचित्र

2257. डा० रामकृष्ण कुसमरिया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष निजी निर्माताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये दूरदर्शन धारावाहिकों और वृत्तचित्रों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इनमें से अब तक स्वीकृत किये गये तथा दूरदर्शन पर प्रसारित किये गये धारावाहिकों और वृत्तचित्रों की संख्या कितनी है; और

(ग) शेष धारावाहिकों/वृत्तचित्रों के कब तक स्वीकृत किये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) से (ग) निदेशालय तथा दूरदर्शन के विभिन्न केन्द्रों द्वारा कमीशन्ड एवं प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत टी०वी० धारावाहिकों तथा वृत्तचित्रों के लिए प्रस्तावों को प्राप्त करना एक सतत प्रक्रिया है। ऐसे प्रस्तावों की प्राप्ति तथा विभिन्न केन्द्रों द्वारा उनके प्रसारण सम्बन्धी ब्यौरे केन्द्रीय तौर पर संकलित रूप में नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

गंभीर रोगियों का उपचार

2258. डा० बलिराम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में लाए गए गंभीर रोगियों को भर्ती नहीं किया जाता है बल्कि छोटी-मोटी दवाइयां बताकर उन्हें बहिरंग रोगी विभाग को भेज दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या चिकित्सकों की इस लापरवाही के कारण उक्त अस्पताल की विश्वसनीयता कम हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) से (घ) डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल की कैजुअल्टी में रुग्ण अवस्था में आने वाले सभी रोगियों की तत्काल कैजुअल्टी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच की जाती है और जिन रोगियों के लिए विशेषज्ञ देखभाल की जरूरत होती है उन्हें आपातकालीन विभाग में संबंधित विशिष्टता में रेफर कर दिया जाता है। जिन रोगियों को दाखिल करना जरूरी होता है उन्हें आपातकालीन विभाग में दाखिल किया जाता है और गैर-आपाती/गैर-गंभीर रोगियों के लिए उपचार

निर्धारित किया जाता है और तत्काल उपचार देने के बाद उन्हें बाद में बहिरंग रोगी विभाग में दिखाने की सलाह दी जाती है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन और संचालक मंडल

2259. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन और इसके संचालक मंडल के संविधान को संचालित करने का प्रावधान क्या है;

(ख) वर्तमान में इन दोनों निकायों के गठन में व्यक्तियों/अधिकारियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्मचारी एसोसिएशन को अभ्यावेदन देने के संचालक मंडल के निर्णय को टाल दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारण और औचित्य क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन नियमावली के नियम 3 और 19 क्रमश: केन्द्रीय विद्यालय संगठन और इसके शासी बोर्ड के गठन के संबंध में हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन नियमावली के नियम 3(ख) और 19(9) में पहले ये प्रावधान थे जिनके अन्तर्गत सरकार नियम 3 और नियम 19 में सूचीबद्ध सदस्यों के अतिरिक्त शासी बोर्ड और संगठन के सदस्य के रूप में किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती थी। इन प्रावधानों के अन्तर्गत पहले कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों को इन निकायों में नियुक्त किया गया। उक्त प्रावधान अब समाप्त/संशोधित कर दिए गए हैं। तथापि शिक्षक संघों को ''शिक्षक विदों'' की श्रेणी के अंतर्गत इन निकायों में एक नामांकन करने का प्रस्ताव मिला है।

विवरण

केन्द्रीय विद्यालय संगठन और इसके शासी बोर्ड का गठन

संगम ज्ञापन की नियम सं० और केन्द्रीय विद्यालय संगठन की नियमावली	नियमों का प्रावधान	वर्तमान नियुक्ति/नामांकन और पता
1	2	3
3(क)(I)* और 19(1)	मंत्री या राज्यमंत्री या उप मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय	डा० मुरली मनोहर जोशी, माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार और अध्यक्ष केन्द्रीय विद्यालय संगठन
3(क)(II)* और 19(2)	भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से उल्लेखित मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक अधिकारी उपाध्यक्ष होगा।	श्री के०एस० शर्मा, अपर सचिव, शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली उपाध्यक्ष, केन्द्रीय विद्यालय संगठन
3(क)(III)* और 19(3)	वित्त सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या उसके प्रतिनिधि	श्री संजय नारायण संयुक्त सचिव, वित्त सलाहकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय और वित्त सलाहकार, केन्द्रीय विद्यालय संगठन
3(क)(IV)* और 19(5)	मुख्य कल्याण अधिकारी कार्मिक विभाग	श्री एस० गोपाल निदेशक और मुख्य कल्याण अधिकारी कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, कमरा सं० 384, लोकनायक भवन, नई दिल्ली
3(क)(V)* और 19(4)	रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि	श्री ए०पी० शर्मा, संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय, सी-II ब्लाक हटमेंट, डलहोजी रोड नई दिल्ली

1	2	3
3(क)(VI)* और 19(12)	शिक्षा निदेशक, आर्मी हैडक्वार्टर	मेजर जनरल पी०एस० त्यागी, अपर महानिदेशक (आर्मी) शिक्षा कोर्पस एम०टी० डिवीजन, जी०एस० शाखा आर्मी हैडक्वार्टर, नई दिल्ली
3(क)(VII)* और 19(13)	शिक्षा निदेशक, नवल हैडक्वार्टर	कमांडर आर०पी० परूथी, नवल शिक्षा निदेशक नवल हैडक्वार्टर, वेस्ट ब्लाक 5 विंग 2, आर०के० पुरम
3(क)(IX)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रतिनिधि उस मंत्रालय द्वारा नामित किया जाए	श्री आर०के० मुखी भट्टाचार्य, निदेशक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
3(क)(X)	शहरी विकास मंत्रालय का प्रतिनिधि उस मंत्रालय द्वारा नामित किया जाए	श्री एस०पी०एस० परिहार, उप-निदेशक (यू०डी०) शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
3(क)(XI)* और 19(11)	अध्यक्ष केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	प्रो० वी०पी० खण्डेलवाल, अध्यक्ष, सी०बी०एस०ई० प्रीत बिहार, नई दिल्ली
3(क)(XII)* और 19(6)	निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद	श्री जे०एस० राजपूत, निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, श्री अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली
3(क)(XIII)* और 19(8)	शिक्षा सचिव, राज्य सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नामित किया जाए	श्री एस०जी० मनकड, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, गुजरात सरकार
3(क)(XIV)	-वही-	श्री येशी टी० सेरिंग, आयुक्त और सचिव, मेघालय सरकार शिक्षा विभाग, अपर सचिवालय, कमरा नं० 215, शिलांग
3(क)(XV)* और 19(7)	लोक निर्देश निदेशक या राज्य सरकार के स्कूल/माध्यमिक शिक्षा निदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नामित किया जाए	माध्यमिक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश सरकार
3(क)(XVI)	-वही-	शिक्षा निदेशक, तमिलनाडु सरकार
3(क)(XVII)	चार अन्य शिक्षाविद मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नामित किये जाएं जिसमें से एक महिला, एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति से हो	श्री सुरेश्वर शर्मा, कुलपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय सरस्वती विहार, जबलपुर
3(क)(XVIII)	-वही-	डा० एस०के० कुशवाहा प्रधानाचार्य कालेज आफ एजूकेशन, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र

1	2	3
3(क)(XIX) 19(9)*	चार अन्य शिक्षाविद मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नामित किये जाएं जिसमें से एक महिला, एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति से हो	श्रीमती मंजु भारत राम 1/10, शान्ति निकेतन, नई दिल्ली-110001
3(क)(XX) 19(9)*	-वही-	डा० दिवाकर मिंज, ग्राम आई०टी०के०आई० भिंडानी, पिसका नगरी, जिला-रांची
3(क)(XXI) 19(10)	संसद के तीन सदस्य (दो लोक सभा से और एक राज्य सभा से)	रिक्त
3(क)(XXII)	-वही-	रिक्त
3(क)(XXIII)	-वही-	श्री राम नाथ कोविंद, सांसद (राज्य सभा)
3(क)(XIV) और 19(15)	आयुक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन	श्री एच०एन० केलरे, आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली
3(क)(XXV) और 19(16)	संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), केन्द्रीय विद्यालय संगठन और संगठन का पदेन सचिव	श्री डी०के० श्रीवास्तव, संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली

नोट - ये शासी बोर्ड के सभी सदस्य हैं।

खेलों पर खर्च की गई धनराशि

2260. श्री पी०सी० थामस : क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा क्रिकेट, हाकी, बास्केटबाल, फुटबाल और वालीबाल जैसे खेलों पर कितनी धनराशि खर्च की गई है और गत तीन वर्षों के दौरान अलग-अलग प्रत्येक वर्ष खेल-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या सरकार ने अन्य खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो क्या रस्सा खिंचाई और अन्य भारतीय खेलों पर उचित ध्यान दिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच० चाओबा सिंह) : (क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान क्रिकेट, हाकी, बास्केटबाल, फुटबाल तथा वालीबाल पर व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां। सरकार की नीति के अनुसार सम्बद्ध खेल विधाओं के लिए मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघ उन खेल विधाओं के संवर्धन हेतु मुख्यत: उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रीय खेल परिसंघ, भारतीय खेल प्राधिकरण (एस०ए०आई०) के परामर्श से, अन्य बातों के साथ-साथ, संबंधित खेल विधाओं के संवर्धन के संबंध में विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए, दीर्घकालीन विकास योजनाएं (एल०टी०डी०पी०) तैयार करते हैं।

(ग) और (घ) रस्साकशी और अन्य भारतीय खेलों पर उचित रूप से ध्यान दिया जा रहा है और मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत स्वीकार्य सहायता दी जा रही है।

पदक जीतने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, खेल विधाओं को प्राथमिकता दी गई है और सरकार द्वारा श्रेणीबद्ध सहायता उपलब्ध कराई जा रही है जिसमें निम्नलिखित शामिल है:—

सभी श्रेणी की खेल विधाओं के लिए

राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिपें आयोजित करने के लिए सहायता।

"प्राथमिकता प्राप्त" और "सामान्य" श्रेणी की खेल विधाओं के लिए

राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप आयोजित करने, भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करने, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेने/विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त करने, प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने, राष्ट्रीय और विदेशी प्रशिक्षकों की सेवाएं लेने और खेल उपस्कर प्राप्त करने, आदि के लिए सहायता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

खेल विद्या	1996-97 के दौरान व्यय की गई धनराशि	1997-98 के दौरान व्यय की गई धनराशि	1998-99 के दौरान व्यय की गई धनराशि
क्रिकेट (पुरुष)	शून्य	शून्य	शून्य
क्रिकेट (महिला)	शून्य	शून्य	4,10,967 रुपये
हाकी (पुरुष)	23,15,087 रुपये	62,64,181 रुपये	28,23,668 रुपये
हाकी (महिला)	23,92,560 रुपये	22,23,911 रुपये	36,08,461 रुपये
बास्केटबाल	4,86,000 रुपये	7,33,880 रुपये	12,69,769 रुपये
फुटबाल	23,07,503 रुपये	22,52,562 रुपये	9,88,713 रुपये
वॉलीबाल	20,99,561 रुपये	19,52,742 रुपये	24,02,204 रुपये

आयुर्वेदिक औषधालय

2261. **श्री रामानन्द सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के राज्यवार कितने आयुर्वेदिक औषधालय चल रहे हैं;

(ख) वर्ष 1997 और 1998 के दौरान अलग-अलग कितने आयुर्वेदिक और ऐलोपैथिक चिकित्सालय खोले गये;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्तमान वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के कुछ और चिकित्सालय खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) संसाधनों के अभाव के कारण 1997 और 1998 के दौरान कोई नया आयुर्वेदिक औषधालय और एलोपैथिक औषधालय खोलना सम्भव नहीं हुआ है।

(ग) इस समय केन्द्र सरकार के पास केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) ऊपर बताई गई स्थिति के अनुसार प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य का नाम	औषधालयों/यूनिटों की संख्या
1	2
दिल्ली	13
उत्तर प्रदेश	04
गुजरात	01
कर्नाटक	02
पश्चिम बंगाल	01
तमिलनाडु	01
आंध्र प्रदेश	02
राजस्थान	01
महाराष्ट्र	05
बिहार	01

[हिन्दी]

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का दर्जा

2262. **श्री थावरचन्द गेहलोत :**
श्री पुन्नू लाल मोहले :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश में राज्य के डा० हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय और गुरू घासीदास विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो अन्य विश्वविद्यालयों के राज्य-वार नाम क्या हैं जिनके लिए ऐसे प्रस्ताव अन्य राज्यों से प्राप्त हुए हैं; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है और इन प्रस्तावों को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील) : (क) केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से डॉ० हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय और इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) इस सम्बन्ध में अन्य राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा निम्नप्रकार है :—

विश्वविद्यालय	राज्य
इलाहाबाद विश्वविद्यालय	उत्तर प्रदेश
अरुणाचल विश्वविद्यालय	अरुणाचल प्रदेश
महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय	हरियाणा

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह निर्धारित करती है कि संस्थाओं में चहुंमुखी सुधार लाने की आवश्यकता के विचार से विद्यमान संस्थाओं में उपलब्ध सुविधाओं के समेकलन और विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कार्ययोजना भी यह निर्देश देती है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों और कालेजों को योजनागत निधियां प्रदान करने की गिरती प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता, संसाधनों के अत्यंत अभाव और उत्तर-पूर्व क्षेत्र में स्थापित नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार को और केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने में संयम बरतना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार विद्यमान राज्य विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करने के पक्ष में नहीं है।

[अनुवाद]

डी०टी०एच० प्रसारण नीति

2263. श्री किरीट सोमैया :
श्री अनंत गंगाराम गीते :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डी०टी०एच० प्रसारण आरंभ किये जाने के संबंध में नीति के लिए सुझाव देने हेतु मंत्री स्तरीय समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख को यह समिति गठित की गई थी और इसके सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) उक्त सीमित द्वारा दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह समिति कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) से (घ) डायरेक्ट-टू-होम प्रसारण से सम्बन्धित विषयों पर विचार करने और सिफारिश करने के लिए, गृह, वित्त, संचार, रक्षा तथा सूचना और प्रसारण मंत्रियों को शामिल करके दिनांक 22 जनवरी, 1999 को मंत्रियों के एक दल का गठन किया गया था। तथापि, दल द्वारा अपनी औपचारिक रिपोर्ट से पहले ही 13वीं लोक सभा के चुनावों की अनुसूची घोषित कर दी गयी थी और 12वीं लोक सभा को भंग कर दिया गया था। यह मामला नई सरकार पर छोड़ दिया गया था। जिसे पहले दल द्वारा छोड़ गए कार्य को पूरा करने के लिए मंत्रियों के नए दल के गठन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।

[हिन्दी]

दंत महाविद्यालय

2264. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दंत चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता मिले बगैर कितने दंत चिकित्सा महाविद्यालय चल रहे हैं; और

(ख) ऐसे महाविद्यालयों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) और (ख) बयालीस दंत चिकित्सा कालेजों को अनुमोदित किए जाने के बावजूद अब तक मान्यता नहीं मिली है। इन 42 कालेजों में से 10 को दंत चिकित्सा (संशोधन) अधिनियम, 1993 से पहले भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् की और शेष को संशोधन के बाद केन्द्र सरकार की मान्यता मिल चुकी है।

संबंधित दंत चिकित्सा कालेजों की बी०डी०एस० डिग्री को मान्यता देने की प्रक्रिया डिग्री पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद और भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् की सिफारिश प्राप्त होने पर ही शुरू की जा सकती है। चूंकि बी०डी०एस० पाठ्यक्रम चलाने वाले इन दंत चिकित्सा कालेजों को भारतीय दंत चिकित्सा परिषद्/केन्द्र सरकार द्वारा पहले ही अनुमोदन मिल चुका है, इसलिए ऐसे कालेजों के खिलाफ मान्यता के प्रयोजन के लिए इस समय कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरक संयंत्रों में घाटे

2265. श्री नवल किशोर राय :
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ उर्वरक संयंत्र लगातार घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन संयंत्रों के नाम क्या-क्या हैं और उन संस्थाओं में से उन संयंत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें पिछले तीन वर्षों के दौरान घाटे के कारण उत्पादन बिल्कुल रूक गया है;

(ग) क्या इन संस्थाओं में श्रमिक कर्मचारी अभी तक अप्रयुक्त पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन संस्थाओं द्वारा उन्हें प्रतिवर्ष कितनी धनराशि दी जा रही है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० और फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० के संयंत्र लगातार घाटा उठाते रहे हैं।

(ख) एच०एफ०सी० की दुर्गापुर इकाई का उत्पादन प्रचालन जून, 1997 से आस्थगित कर दिया गया है जो मुख्य टाप रिफारमर में आग

दुर्घटना तथा प्रचालन की उच्च लागत के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। एच०एफ०सी० के बरौनी संयंत्र, एफ०सी०आई० की रामागुण्डम और तलचर इकाइयों के प्रचालन, उत्पादन पर अत्यधिक उच्च लागत आने के कारण क्रमशः जनवरी, 1999 और अप्रैल, 1999 से आस्थगित कर दिये गये हैं। पाइराइटस, फास्फेटस एण्ड केमिकल्स लि० (पी०पी०सी०एल०) की अमझोर-देहरादून और सलादीपुरा इकाइयों में प्रचालन महंगी उत्पादन प्रक्रिया, जिससे उत्पादन पर उच्च लागत आती है, के कारण 1999-2000 के दौरान आस्थगित कर दिया गया है।

(ग) से (ङ) उपरोक्त भाग (क) और (ख) के अंतर में उल्लिखित संयंत्रों का कार्यबल का कम उपयोग रहता है क्योंकि उनमें से कुछ का रिकार्ड मशीन आवर्तन तथा संरक्षण/अनुरक्षण कार्यलाप के प्रयोजनार्थ आंशिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। उपरोक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की केवल इन इकाइयों के कर्मचारियों को वार्षिक रूप से किए गए भुगतान के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

एच०एफ०सी०	33.41 करोड़ रुपये
एफ०सी०आई०	29.63 करोड़ रुपये
पी०पी०सी०एल०	25.00 करोड़ रुपये

[अनुवाद]

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान

2266. श्री राम नायडू दग्गुबाटि : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद को विश्व-विद्यालय का दर्जा प्रदान करने के बारे में आंध्र प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) इस मामले को कब तक अंतिम रूप दे दिए जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) से (ग) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद को सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने से संबंधित आन्ध्र प्रदेश सरकार का अनुरोध प्राप्त हुआ था। निदेशक, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद को निर्धारित आरूप में प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है।

आंगनवाड़ी

2267. श्री जी० पुट्टस्वामी गौड़ा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक में हसन में आंगनवाड़ियों की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) 519 अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्र स्थापित करने का एक प्रस्ताव है।

(ग) जी, नहीं। धनाभाव के कारण अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत नहीं किए जा सके।

(घ) कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

महिला समृद्धि योजना

2268. श्री अशोक प्रधान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला समृद्धि योजना कार्यक्रम के तहत ग्रामीण महिलाओं को धन की बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक उक्त कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश, विशेषतः गाजियाबाद और बुलंदशहर जिलों में ग्रामीण महिलाओं ने डाकघरों में कितने खाते खोले हैं और इनमें कितनी राशि जमा की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) देश के ग्रामीण महिलाओं में बचत की आदत डालने के लिए 1993 में महिला समृद्धि योजना शुरू की गयी थी। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा इस स्कीम के मूल्यांकन तथा इन्दिरा महिला योजना के त्वरित मूल्यांकन के पश्चात्, योजना आयोग ने महिला एवं बाल विकास विभाग को इन दोनों स्कीमों को मिला देने की सलाह दी। 1 अप्रैल, 1997 से इस स्कीम में नये खाते नहीं खोले जा रहे हैं।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

उत्तर प्रदेश राज्य और गाजियाबाद तथा बुलन्दशहर जिलों में खोले गए महिला समृद्धि योजना खातों की संख्या तथा जमा राशि दर्शाने वाला विवरण

	वर्ष 1996-97	वर्ष 1997-98	वर्ष 1998-99
	1	2	3
उत्तर प्रदेश में खोले गए खातों की संख्या	2109941	–	–

	1	2	3
गाजियाबाद में खोले गए खातों की संख्या	15549	—	—
बुलन्दशहर में खोले गए खातों की संख्या	40233	—	—
उत्तर प्रदेश में जमा राशि	19,20,33,338/-रु०	—	—
गाजियाबाद में जमा राशि	11,94,509/-रु०	—	—
बुलन्दशहर में जमा राशि	33,97,248/-रु०	—	—

[अनुवाद]

किशोर न्याय प्रणाली

2269. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री सुशील शिन्दे :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के निराशाजनक कार्यान्वयन और किशोर न्याय प्रणाली को मानवीय बनाने की आवश्यकता विषय पर अप्रैल, 99 में नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या न्याय प्रणाली के कार्यकरण की समीक्षा का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अधिनियम में संशोधन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के कार्यान्वयन की कमियों और इस विषय पर काफी पहले आयोजित किए गए राष्ट्रीय सेमिनार, किशोर न्याय तंत्र को सदय बनाने की जरूरत से अवगत रही है। देश में इस अधिनियम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने तथा प्रदान की जा रही सेवाओं में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से मंत्रालय की किशोर सामाजिक कुसमंजन निवारण और नियंत्रण की योजना की समीक्षा की गई थी तथा इसका नाम किशोर न्याय कार्यक्रम के रूप में कर दिया गया है।

(ग) से (ङ) सरकार सम्पूर्ण किशोर न्याय तंत्र को सदय बनाने के उद्देश्य से किशोर न्याय अधिनियम, 1986 में संशोधन करने का पहले ही विचार कर रही है।

गंदी बस्तियों के विकास संबंधी योजना

2270. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :
श्री प्रियरंजन दासमुंशी :
श्री राजीव प्रताप रूडी :
डा० वी० सरोजा :

क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गन्दी वस्तियों के विकास के लिए कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना को किन-किन राज्यों के शहरों में क्रियान्वित किया जा रहा है;

(घ) राज्यों द्वारा इस संबंध में क्या विकासात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि और प्राप्त लक्ष्यों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) जी, हां।

(ख) शहरी राज्यों के विकास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने के लिए अगस्त, 1996 में राष्ट्रीय स्लम सुधार कार्यक्रम नामक स्कीम शुरू की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत, हर वर्ष धन का नियतन योजना आयोग करता है तथा उस धन की राज्यों को अदायगी वित्त मंत्रालय करता है। शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय को, केन्द्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम की निगरानी करने के लिए नोडल मंत्रालय बनाया गया है। स्कीम के तहत जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का उपयोग, जल आपूर्ति, बरसाती नालों, सामुदायिक मूल सुविधाओं, सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामाजिक सुविधाएं जैसे स्कूल पूर्व शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, जच्चा व बच्चा स्वास्थ्य व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि भौतिक सुख-सुविधाएं मुहैया कराने के लिए किया जा सकता है। इसमें आश्रय सुधार के लिए भी प्रावधान है।

(ग) और (घ) यह स्कीम, सभी राज्यों तथा संघ राज्यों पर लागू है। राज्यों द्वारा यह स्कीम शहरी स्लम आबादी वाले शहरों में उनकी जरूरतों तथा प्राथमिकताओं का निर्धारण करके चलायी जा रही है।

(ङ) वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि हेतु योजना आयोग (वित्तीय लब्धि) द्वारा नियत तथा केन्द्र सरकार द्वारा जारी (वित्तीय लब्धि) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के राज्यवार ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

1996-97 से 1998-99 तक के दौरान राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम सकीम के तहत वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियां

(लाख रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य (नियत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता)	उपलब्धि (केन्द्र से जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता)
1	2	3
आंध्र प्रदेश		
1996-97	2297.00	2297.00
1997-98	2945.00	2205.00
1998-99	3250.00	2842.00
अरुणाचल प्रदेश		
1996-97	11.00	11.00
1997-98	100.00	88.00
1998-99	100.00	88.00
असम		
1996-97	222.00	222.00
1997-98	284.00	207.00
1998-99	284.00	253.00
बिहार		
1996-97	1891.00	1891.00
1997-98	2425.00	1818.00
1998-99	2425.00	2425.00
गोवा		
1996-97	44.00	44.00
1997-98	100.00	88.00
1998-99	100.00	12.00
गुजरात		
1996-97	1427.00	1427.00
1997-98	1830.00	1368.00
1998-99	1830.00	2292.00
हरियाणा		
1996-97	365.00	365.00
1997-98	469.00	429.00
1998-99	514.00	514.00
हिमाचल प्रदेश		
1996-97	50.00	50.00
1997-98	100.00	88.00
1998-99	100.00	168.00
जम्मू व कश्मीर		
1996-97	326.00	326.00
1997-98	418.00	374.00
1998-99	659.00	590.00
कर्नाटक		
1996-97	1264.00	1264.00
1997-98	1621.00	1485.00
1998-99	1787.00	2112.32
केरल		
1996-97	727.00	1264.00
1997-98	932.00	1485.00
1998-99	932.00	2112.32
मध्य प्रदेश		
1996-97	1480.00	727.00
1997-98	1898.00	847.00
1998-99	1898.00	929.00
महाराष्ट्र		
1996-97	3567.00	1480.00
1997-98	4573.00	1738.00
1998-99	5331.00	2192.00
मणिपुर		
1996-97	45.00	3567.00
1997-98	100.00	4191.00
1998-99	100.00	5713.00
मेघालय		
1996-97	40.00	45.00
1997-98	100.00	88.00
1998-99	100.00	100.00
मिजोरम		
1996-97	34.00	40.00
1997-98	100.00	88.00
1998-99	100.00	88.00

नागालैंड		
1996-97	24.00	24.00
1997-98	10.00	88.00
1998-99	100.00	88.00
उड़ीसा		
1996-97	450.00	450.00
1997-98	577.00	528.00
1998-99	620.00	560.00
पंजाब		
1996-97	705.00	705.00
1997-98	904.00	825.00
1998-99	904.00	904.00
राजस्थान		
1996-97	1049.00	1049.00
1997-98	1345.00	1232.00
1998-99	1345.00	1349.12
सिक्किम		
1996-97	3.00	3.00
1997-98	100.00	88.00
1998-99	100.00	92.00
तमिलनाडु		
1996-97	1905.00	1905.00
1997-98	2442.00	2233.00
1998-99	2465.00	2674.00
त्रिपुरा		
1996-97	39.00	39.00
1997-98	100.00	88.00
1998-99	100.00	90.00
उत्तर प्रदेश		
1996-97	3128.00	3128.00
1997-98	4011.00	3674.00
1998-99	4011.00	3674.00
पश्चिम बंगाल		
1996-97	2469.00	2469.00
1997-98	3166.00	2893.00
1998-99	3426.00	3101.00
संघ शासित प्रदेश		
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह		
1996-97	8.00	8.00
1997-98	100.00	100.00
1998-99	100.00	100.00
चंडीगढ़		
1996-97	62.00	62.00
1997-98	100.00	100.00
1998-99	100.00	100.00
दादर व नगर हवेली		
1996-97	1.00	1.00
1997-98	100.00	100.00
1998-99	100.00	100.00
दमण व द्वीव		
1996-97	5.00	5.00
1997-98	100.00	100.00
1998-99	100.00	100.00
लक्षद्वीप		
1996-97	3.00	3.00
1997-98	100.00	100.00
1998-99	100.00	100.00
पांडिचेरी		
1996-97	66.00	66.00
1997-98	100.00	100.00
1998-99	100.00	100.00
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली		
1996-97	1294.00	1294.00
1997-98	1660.00	1660.00
1998-99	1819.00	1819.00
कुल योग:		
1996-97	**25001.00**	25001.00
1997-98	**33000.00**	29099.00
1998-99	**35000.00**	35357.44

स्मारकों का सरक्षण

2271. **श्री रामदास आठवले : क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में गत तीन वर्षों के दौरान अनुदान देने के लिए किन-किन पुराने स्मारकों का चयन किया गया; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक इन स्मारकों पर कितनी धनराशि परियोजनावार खर्च की गई ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच० चाओबा सिंह) : (क) संदर्भित योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में पुराने असंरक्षित स्मारकों के संरक्षण के लिए सरकार को कोई अनुदान अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों के लिए प्रबन्ध व्यवस्था

2272. **प्रो० उमारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों के लिए उचित प्रबंध व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु सभी स्तरों पर क्षमता विकसित नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उड़ीसा में आए चक्रवात के बाद हाल ही में स्वास्थ्य व्यवस्था के विफल होने से कोई सबक मिला है; और

(घ) यदि हां, तो स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों हेतु आपातकालीन प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) कृषि मंत्रालय प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न होने वाली संकटपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए नोडल मंत्रालय है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय संकट प्रबंधन समूह के सदस्यों में से एक सदस्य है।

स्वास्थ्य राज्य का विषय है और अपदा प्रबंधन राज्य प्राधिकारियों की जिम्मेदारी है। भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आपदाओं के स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी प्रभावों से निपटने में राज्यों को तकनीकी सहायता और कार्मिक शक्ति मुहैया कराता है।

स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों से निपटने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :—

(i) सूखे और बाढ़ से उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों से निपटने की दृष्टि से आकस्मिकता योजनाएं मानसूनपूर्व अवधि में सभी राज्यों को परिचालित कर दी जाती हैं ताकि वे उच्चतम स्तरीय तैयारी के लिए अपने को सज्जित कर सकें तथा अपनी उत्तरकारिता क्षमता में सुधार कर सकें।

(ii) करनाल, मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद, कलकत्ता और गुवाहाटी स्थित केन्द्र सरकार के चिकित्सा सामग्री भंडारों को संभार सहायता, अनिवार्य औषधियां तथा अन्य चिकित्सीय सप्लाइयां मुहैया कराने हेतु तैयार रखा जाता है।

(iii) केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली को वैक्सीनों की सप्लाई करने के लिए चौकस रखा जाता है।

(iv) आपदा प्रभावित राज्यों में राहत संबंधी प्रयत्नों का जायजा लेने एवं उपयुक्त उपायों की अनुशंसा करने के लिए संकटकालीन स्थितियों की अवधि में केन्द्र सरकार के कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत संकट प्रबंधन समूह की बैठक होती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उड़ीसा सरकार ने अभूतपूर्व महाचक्रवात से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सभी चिकित्सीय राहत कार्यकलाप केन्द्र सरकार तथा अन्य एजेंसियों की सहायता से आरम्भ कर दिए हैं। स्थिति को सम्भालने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए :—

(i) ब्लीचिंग पाऊडर, हैलोजन और क्लोरिन की गोलियां पर्याप्त मात्रा में समस्त गांवों और परिवारों में बांटी गई हैं ताकि पीने के पानी के स्रोतों को विसंक्रमित किया जा सके। कुओं को विसंक्रमित करने के पहले और दूसरे दौरे पूरे हो गए हैं। 80 प्रतिशत व्याप्ति वाले तीसरे और चौथे दौरे प्रगति पर हैं।

(ii) सभी उपकेन्द्रों, पंचायतों, ए०डब्ल्यू०डब्ल्यू केन्द्रों और ग्रामीण स्तरीय स्वयं सेवकों को सुलभता से उपयोग करने के लिए ओ०आर०एम० के पैकेट काफी मात्रा में उपलबध कराए गए हैं।

(iii) अतिसार रोधी दवाइयां, मलेरिया रोगी औषधियां और दवाइयां काफी मात्रा में प्रभावित क्षेत्रों के समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों में मुहैया कराई गई हैं।

(iv) इन्ट्रावेनस फ्लुड तथा सेट भी सभी जिला अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उपलब्ध कराए गए हैं।

(v) अतिसारीय रोगों और मामूली विकारों के निवारक पहलुओं पर विस्तृत सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियां सभी प्रभावित गांवों में चलाई गई हैं।

(vi) राज्य सरकार ने अतिरिक्त 749 डाक्टर, 469 पराचिकित्सक 103 चल-दल, तूफान प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किए।

(vii) उड़ीसा में चिकित्सा राहत कार्यकलापों में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को सहायता प्रदान करने के लिए दिल्ली में 21 डाक्टरों का एक दल भेजा गया। भुवनेश्वर स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यूनिटों और निसेड (एन०आई०सी०ई०डी०) कलकत्ता की सेवाएं स्वास्थ्य

विभाग के नियंत्रण में लगाई गई है और उसका उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकलापों में किया जा रहा है। 4 कोटविज्ञानियों और जानपदिक रोग विज्ञानियों का एक दल एन०ए०एम०पी० और एन०आई०सी०डी० से 3.11.99 को भुवनेश्वर पहुंचा और स्थिति का जायजा लिया। उसने किसी प्रकार की महामारी के प्रकोप के निवारण/नियंत्रण के लिए अपेक्षित जन स्वास्थ्य उपायों के बारे में राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों को सलाह दी। जन स्वास्थ्य के 4 वरिष्ठ विशेषज्ञों के एक उच्चस्तरीय दल ने जन स्वास्थ्य कार्य-कलापों की समीक्षा करने तथा इसमें राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों की सहायता करने के लिए 8 से 13 नवम्बर, 99 तक प्रभावित जिलों का दौरा किया।

(viii) भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन्ट्रावेनस फ्लुडों, मुखीय पुनर्जलपूर्णता लवण, एंटीबायोटिक, हैलोजन की गोलियों, अतिसारीय, बाल चिकित्सीय औषधियों, सर्प विषरोधी सीरम आदि समेत लगभग 600 मैट्रिक टन की मात्रा में चिकित्सा राहत सामग्रियां तुरंत भेजीं। 2 लाख लीटर फिनायल तथा 350 मैट्रिक टन ब्लीचिंग पाऊडर भी मुहैया कराया गया। मलेरिया रोधी कार्यकलापों के लिए पर्याप्त मात्रा में डी०डी०टी०, मलेथियन और रोगहरक प्रयोजन हेतु औषधियां सप्लाई की गई हैं।

(ix) पर्याप्त निवारक और रोगहरक उपायों के कारण किसी महामारी के रूप में रोगों के फैलने की रिपोर्ट नहीं थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान शैक्षिक रूप से पिछड़ा राज्य

2273. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान शैक्षिक रूप से देश का अत्यन्त पिछड़ा राज्य है;

(ख) यदि हां, तो चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थिति में सुधार हेतु क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) राज्य को शिक्षा के मामले में अन्य राज्यों के समान कब तक लाये जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) 1991 की जनगणना के अनुसार, राजस्थान में साक्षरता दर 38.5% थी जो देश में न्यूनतम में से एक है।

(ख) इसके पश्चात् राज्य के सभी जिलों को संपूर्ण साक्षरता अभियान के तहत शामिल किया गया है। बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं यथा शिक्षा कर्मी और लोक जुंबिश का विस्तार किया गया है तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया हैं। शिक्षा प्राप्ति के अवसरों में वृद्धि के लिए बालिका शिक्षा प्रतिष्ठान, सरस्वती शालाओं और राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं की स्थापना समेत अनेक कदम राज्य सरकार द्वारा उठाए गए हैं।

(ग) एन०एस०एस०ओ० सर्वेक्षण 1997 के 53वें चक्र के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर में 1991 से 1997 के बीच 16.5% वृद्धि हुई है। यह वृद्धि अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय विकलांग न्यास

2274. श्री टी०एम० सेल्वागनपति : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय विकलांग न्यास गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा विकलांग/मंदबुद्धि वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु विशेष रूप से क्रियान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि विकलांग व्यक्तियों के कल्याण में कार्यरत अधिकतर गैर-सरकारी संगठनों (एन०जी०ओ०) को सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं हो रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) इस न्यास के लक्ष्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों/मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्यान्वित योजनाओं के नाम इस प्रकार हैं :—

(1) विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने की योजना।

(2) विकलांग व्यक्तियों को सहायक यंत्रों उपकरणों की खरीद, फिटिंग के लिए सहायता की योजना।

(घ) जी, नहीं। उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा यथा अनुमोदित गैर सरकारी संगठनों के आवेदनों पर निर्धारित मानदंडों/दिशा निर्देशों के अनुसार विचार किया जाता है तथा प्रस्ताव के गुणावगुण के आधार पर अनुदान मंजूर किया जाता है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

न्यास के लक्ष्य

इस न्यास के लक्ष्य निम्नलिखित हैं :—

(क) विकलांग व्यक्तियों को यथा संभव स्वतंत्र रूप से और पूर्ण रूप से उस समुदाय के अंतर्गत तथा निकट रहने के लिए समर्थ तथा अधिकार सम्पन्न बनाना जिससे वे संबंधित हैं;

(ख) विकलांग व्यक्तियों को अपने स्वयं के परिवारों के अंतर्गत रहने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए सुविधाआं को मजबूत करना;

(ग) विकलांग व्यक्तियों के परिवार में संकट की अवधि के दौरान आवश्यकता आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजीकृत संगठन को समर्थन प्रदान करना;

(घ) उन विकलांग व्यक्तियों की समस्याओं से निपटना, जिनका पारिवारिक आधार नहीं है;

(ङ) विकलांग व्यक्तियों के माता-पिता या अभिभावकों की मृत्यु की स्थिति में उनके देखभाल और संरक्षण के लिए उपायों को प्रोत्साहन देना;

(च) उन विकलांग व्यक्तियों के अभिभावकों तथा न्यासियों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया तैयार करना जिन्हें इस प्रकार के संरक्षण की आवश्यकता है;

(छ) विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी को साकार करने को सुसाध्य करना; तथा

(ज) कोई अन्य कार्य करना जो उपर्युक्त लक्ष्यों के अनुरूप हों।

[हिन्दी]

कैंसर एवं एड्स के मरीज

2275. **डा० विजय कुमार मल्होत्रा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कैंसर एवं एड्स से कितने व्यक्ति पीड़ित हैं;

(ख) क्या सरकार ने कैंसर एवं एड्स के आयुर्वेदीय उपचार हेतु कोई वैज्ञानिक प्रयोग किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस सरकार का विचार आयुर्वेदीय उपचार करने हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान और अनुप्रयोग करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) भारत में कैंसर की घटनाओं की जानकारी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अधीन कार्यरत जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों के माध्यम से उपलब्ध होती हैं। रजिस्ट्रियों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में 1998 में आठ लाख व्यक्तियों में कैंसर विकसित हुआ। 30 नवम्बर, 1999 तक की सूचना के अनुसार देश में एड्स के रोगियों की कुल संख्या 9395 है।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध परिषद् कैंसर के आयुर्वेदिक उपचार पर अध्ययन कर रही है। देहरादून स्थित वी०सी०पी० कैंसर अनुसंधान फाउंडेशन ने मैटेलिक विरचनाओं के जरिए ए०एम०पी०एल० (एक्यूट प्रोमाइक्लोसाइटिक ल्युकेमिया) के उपचार का अध्ययन करने के लिए बाहरी (एक्स्ट्रामुरल) अनुसंधान परियोजना शुरू की। यह परिषद् आधुनिक उपचार पद्धति के साथ सम्मिलित सहयोगी उपचार के रूप में पूर्वाकरियामा उपचार के माध्यम से कैंसर के उपचार पर भी अध्ययन कर रही है जिससे उपचार किए गए समूहों में जीवन अवधि की दीर्घता का पता चला। थम्बरम, चेन्नई स्थित इंस्टि्टयूट आफ थोरेसिक मेडिसिन ने भी एच०आई०वी०/एड्स रोगियों के उपचार के लिए सिद्ध औषधों/औषध योगों पर प्रारंभिक अध्ययन शुरू किए हैं।

[अनुवाद]

विश्व बैंक सहायता

2276. **श्री के० मुरलीधरन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से राज्य स्वास्थ्य परियोजना के अंतर्गत विश्व बैंक से सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिनकी स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार ने विश्व बैंक सहायता स्वीकृत की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) जी, हां।

(ख) केरल सरकार ने 423.65 करोड़ रुपए की कुल लागत से एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है। प्रस्तावित परियोजना का सामान्य उद्देश्य जन सामान्य के स्वास्थ्य और राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में भुगतान करने के व्यक्तिगत सामर्थ्य का ख्याल किए बिना सभी के लिए सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं के माध्यम से प्रभावी प्रथम रेफरल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।

केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट का तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया गया है और उनकी टिप्पणियों को केरल सरकार को अग्रेषित किया गया है ताकि वह इन टिप्पणियों के आलोक में परियोजना रिपोर्ट की समीक्षा कर सके।

(ग) द्वितीयक स्वास्थ्य पद्धति में सुधार उन्नयन करने के उद्देश्य वाली विश्व बैंक की सहायता प्राप्त राज्य स्वास्थ्य पद्धति विकास परियोजना नीचे प्रस्तुत ब्यौरे के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में कार्यान्वयनाधीन है :—

राज्य का नाम	परियोजना अवधि	परियोजना परिव्यय
		(करोड़ रुपयों में)
आन्ध्र प्रदेश	1.3.95 से 6½ वर्षों के लिए	608.00
पश्चिम बंगाल	27.6.96 से 5½ वर्षों के लिए	698.00
कर्नाटक	27.6.96 से 5½ वर्षों के लिए	546.00
पंजाब	27.6.96 से 5½ वर्षों के लिए	425.00
उड़ीसा	सितंबर 98 से 5 वर्षों के लिए	415.57
महाराष्ट्र	14.2.99 से 5½ वर्षों के लिए	727.00

दवाइयों की कीमतें

2277. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दवाओं की सहज व कम कीमत पर उपलब्धता के दोहरे लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु फार्मास्युटिकल क्षेत्र के लिए एक दीर्घावधि योजना तैयार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या फार्मास्युटिकल उद्योग दवाओं की कीमतें कम करने पर राजी हो गया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ग) दवाओं को उचित कीमत पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से औषध नीति, 1994 की घोषणा की गई थी। औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है। सरकार उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्षों से औषध कीमत नियंत्रण आदेशों का प्राख्यापन करती रही है।

[हिन्दी]

बिहार में जनजातियों के लिए राशि का आबंटन

2278. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के लिए बिहार के जनजातीय जिलों के विकास के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ख) किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा तथा इनसे लाभान्वित जिलों के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही किसी योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को जिलेवार निधियों का आबंटन करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, पिछले 3 वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार ने बिहार सरकार को आदिवासी विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 5832.50 लाख रुपए निर्मुक्त किए। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शून्य।

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	योजना का नाम	निर्मुक्त राशि 1996-97	निर्मुक्त राशि 1997-98	निर्मुक्त राशि 1998-99
1.	विशेष केन्द्रीय सहायता	3364.00	—	—
2.	अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	725.25	641.75	483.50
3.	लड़कियों के होस्टल	—	—	75.00
4.	लड़कों के होस्टल	—	—	75.00
5.	आश्रम स्कूल	—	—	—
6.	शैक्षिक परिसर	04.84	20.65	05.13
7.	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	—	—	—
8.	अनुसंधान/प्रशिक्षण/जन-जाति अनुसंधान	—	00.53	53.40
9.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	30.72	38.00	85.73
10.	आदिवासी विकास सहकारी निगम	50.00	—	79.00
11.	पी०टी०जी०	—	—	100.00
	कुल	4174.81	700.93	956.76

परिवार नियोजन कार्यक्रम

2279. योगी आदित्यनाथ :
श्री होलखोमांग हौकिप :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में देश में विशेष-रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में चलाए गए परिवार नियोजन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान परिवार नियोजन के आपरेशन करते समय हुई मौतों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मौतों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) तीन विश्व बैंक सहायता प्राप्त प्रजनक बाल स्वास्थ्य उप-परियोजनाएं, जिन में से मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में एक-एक उपपरियोजना है; क्रमशः 17.31 करोड़ रुपये, 13.91 करोड़ रुपये और 11.97 करोड़ रुपये की लागत से अक्टूबर, 1997 से पांच वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वयनाधीन है। असम में 16.6.94 से सात वर्ष की अवधि के लिए 101.22 करोड़ रुपये की लागत से एक विश्व बैंक सहायता प्राप्त भारत जनसंख्या परियोजना (आई०पी०पी०-IX) कार्यान्वयनाधीन है।

(ख) भारत सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान वंध्यीकरण आपरेशन के कारण किसी मौत के होने की सूचना नहीं मिली है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली विश्वविद्यालय में वित्तीय संकट

2280. श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्री अधीर चौधरी :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 अक्तूबर, 1999 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "डी यू फेसेज रिसोर्स क्रंच यट अगेन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है दिल्ली विश्वविद्यालय गत कई वर्षों से वित्तीय संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वित्तीय संकट के कारण प्रभावित हुई विश्वविद्यालय की परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय की इस समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) शिक्षा हेतु केन्द्रीय क्षेत्र में निधियों का आबंटन अन्य क्षेत्रों की तरह पूरी आवश्यकता के पूर्णतः अनुरूप नहीं रहा है। यह उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में भी परिलक्षित होता है। इस तथ्य के बावजूद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पर्याप्त निधियां प्रदान करने के सभी प्रयास किए गए हैं जो इसके बदले में केन्द्रीय तथा राज्य विश्वविद्यालयों, सम विश्वविद्यालयों और दिल्ली के कालेजों को अनुदान उपलब्ध कराता है।

दिल्ली विश्वविद्यालय एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय होने के नाते, इसका वित्त पोषण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जाता है। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 96-97, 97-98 तथा 98-99 के दौरान विश्वविद्यालय को निम्नानुसार निधियां उपलब्ध कराई गई है :—

वर्ष	जारी की गई राशि (रु० लाख में)
96-97	4433.39
97-98	5318.10
98-99	9723.61

यह स्पष्ट बढ़ोतरी दर्शाता है। वर्ष 98-99 के आंकड़ों में पिछले वर्षों के संचित घाटे के रूप में 25.18 करोड़ रुपए और वेतन के बकाया के रूप में 8.83 करोड़ रुपए शामिल हैं। यदि इन एकमुश्त भुगतानों को छोड़ दिया जाए तो सामान्यतः प्रक्षेपित राशि 63.22 करोड़ रुपए होगी।

सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से न केवल विश्वविद्यालय के कमोबेश सभी अनुरक्षण खर्चों को पूरा कर रही है अपितु विश्वविद्यालय के शिक्षणेतर कर्मचारियों को उनकी वेतन संरचना में पर्याप्त वृद्धि के कारण भुगतान किए जा रहे सभी बकाया के लिए भी निधियां प्रदान कर रही है।

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 1999-20000 के लिए 94.40 करोड़ रुपए की आवश्यकता निर्धारित की गई। इसमें वेतन खर्चों के लिए 57 करोड़ रुपए, गैर-वेतन खर्चों के लिए 23.4 करोड़ रुपए और सेवानिवृत्ति लाभों के लिए 14 करोड़ रुपए शामिल हैं। क्योंकि विश्वविद्यालय के पास 16 करोड़ रुपए प्रारम्भिक शेष और 8 करोड़ रुपए अनुमानित आन्तरिक प्राप्तियां थीं इसलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उक्त वर्ष के लिए इसकी कुल वित्तीय अपेक्षाएं 70.40 करोड़ रुपए आंकी गई थी। इसके मुकाबले 57.61 करोड़ रुपए (81.83 प्रतिशत) की राशि दिल्ली विश्वविद्यालय को नवम्बर के प्रथम सप्ताह तक मुक्त की गई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय को इस तथ्य के बावजूद निधियां मुक्त की गई थी कि उन्होंने वर्ष 1996-97 और 1997-98 के वार्षिक लेखाओं को प्रस्तुत नहीं किया था जिन्हें संसद के समक्ष रखा जाना है और जिनको प्रस्तुत करने पर साधारणतया निधियां जारी की जाती हैं।

उपर्युक्त आंकड़ों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई वित्तीय संकट नहीं है।

यूरोडायनामिक प्रयोगशाला की स्थापना

2281. श्री एस०पी० रामुलू : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निमहंस बंगलौर में मूत्राशय संबंधी गड़बड़ियों के निदान और उपचार के लिए एक यूरोडायनामिक प्रयोगशाला की स्थापना का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलूर में एक यूरोडायनेमिक प्रयोगशाला स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में उपकरण प्राप्त कर लिए गए हैं और प्रयोगशाला स्थापना की प्रक्रिया में है। आवश्यक स्टाफ की भर्ती की जा रही है। क्रियाविधियों के मानकीकरण के बाद सुविधाओं का इस्तेमाल ब्लैडर की विकृतियों के निदान और उपचार के लिए किया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सेटेलाइट चैनल

2282. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय सेटेलाइट चैनल कार्य कर रहे हैं; और

(ख) सरकार द्वारा एम०टी०वी० तथा अन्य उन चैनलों पर प्रतिबंध लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं जो टी०वी० पर अश्लीलता प्रदर्शित करते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) दूरदर्शन उपग्रह चैनलों और अन्य भारतीय उपग्रह चैनलों/कम्पनियों जिनको देश से अपलिंक करने की अनुमति दी गयी है, का ब्यौरा विवरण-I के रूप में सलंग्न है। इसके अतिरिक्त, देश में कई अंतर्राष्ट्रीय (विदेशी) उपग्रह चैनलों का प्रसारण किया जा रहा है जिन्हें विदेश से प्रचालित किया जा रहा है और जो भारतीय प्राधिकारियों से अनुमति लेने के लिए बाध्य नहीं हैं। केबल नेटवर्कों पर व्यापक रूप से प्रसारित किए जाने वाले ऐसे प्रमुख चैनलों की एक सूची भी विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ख) सरकार ने लोकहित में दिनांक 20.10.99 को अश्लील तथा अभद्र विषय-वस्तु वाले कार्यक्रमों के प्रसारित करने वाले एक चैनल, टी०बी०-6 के प्रसारण पर रोक लगा दी है। यह महसूस किया जाता है कि "एम" टी०वी० चैनल की वर्तमान विषय-वस्तु के कारण इस पर रोक लगाना जरूरी नहीं है।

विवरण-I

क्र०सं०	भारतीय उपग्रह चैनलों/कम्पनियों के नाम
1	2
1.	डी०डी०-1 नेशनल
2.	डी०डी०-2 मैट्रो एन्टरटेनमेंट
3.	डी०डी०-स्पॉर्टस
4.	डी०डी०-न्यूज
5.	डी०डी० इंडिया इन्टरनेशनल
6.	डी०डी०-4 मलयालम (आर०एल०एस०सी०)
7.	डी०डी०-5 तमिल (आर०एल०एस०सी०)
8.	डी०डी०-6 उड़िया (आर०एल०एस०सी०)
9.	डी०डी०-7 बंगाली (आर०एल०एस०सी०)
10.	डी०डी०-8 तेलुगु (आर०एल०एस०सी०)
11.	डी०डी०-9 कन्नड़ (आर०एल०एस०सी०)
12.	डी०डी०-10 मराठी (आर०एल०एस०सी०)
13.	डी०डी०-11 गुजराती (आर०एल०एस०सी०)
14.	डी०डी०-12 कश्मीरी (आर०एल०एस०सी०)
15.	डी०डी०-13 असमिया और उत्तर पूर्व की भाषाएं (आर०एल० एस०सी०)
16.	टी०वी०-18 पंजाबी (आर०एल०एस०सी०)
17.	टी०वी० इन्टरनेशनल
18.	उदय टी०वी० प्राईवेट लि०
19.	जेमिनी टी०वी०
20.	सन टी०वी०
21.	एनाडु टी०वी०
22.	एशियानेट कम्यूनिकेशन्स लि०
23.	विजय टी०वी०
24.	जैन टी०वी०

विवरण-II

भारत में केबल टी०वी० नेटवर्क पर प्रसारित किए जाने वाले प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय (विदेशी) चैनलों की सूची।

1. स्टार प्लस
2. स्टार स्पोर्टस
3. स्टार न्यूज
4. चैनल-5
5. जी
6. जी सिनेमा
7. जी इण्डिया टी०वी०
8. स्टार मूवीज

9. सी०एन०बी०सी०-एबी०एन०

10. पी टी वी-2

11. नेशनल जियोग्राफिक्स

12. सोनी

13. होम

14. बी०बी०सी० वर्ल्ड

15. टी०एन०टी०/कार्टून नेटवर्क

16. डिस्कवरी

17. सी०एन०एन०

18. ई०एस०पी०एन०

19. एम०टी०वी०

20. म्यूजिक एसिया

रेबीज रोग के कारण होने वाली मौतें

2283. श्री नरेश पुगलीया :
प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रतिवर्ष रेबीज के कारण मरने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) देश में प्रतिवर्ष रेबीज-निरोधी सीरम की कितनी आवश्यकता है तथा कितनी मात्रा में सीरम का उत्पादन देश में किया जा रहा है;

(ग) इस संबंध में कम पड़ रही रेबीज निरोधी सीरम की मात्रा की पूर्ति किस तरह किए जाने का विचार है;

(घ) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत में प्रयोग किए जाने वाले स्नायु ऊतक टीके (नर्व टिस्सू वैक्सीन) को समाप्त कर दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान ने देश भर में रेबीज से लड़ने के लिए कोई प्रस्ताव तैयार किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे रोग की रोकथाम करने के लिए राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान रेबीज के कारण हुई मौतों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	मौतें
1996	281
1997	386
1998	365

(ख) और (ग) केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग 500 लाख मिलीलीटर रेबीज-रोधी वैक्सीन के उत्पादन की रेबीज-रोधी संस्थापित क्षमता विद्यमान है। किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से रेबीज रोधी वैक्सीन की कमी की रिपोर्ट नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह संस्तुति की है कि तंत्रिका उत्तक वैक्सीनों के प्रयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाए और उनके स्थान पर उत्तक संवर्ध वैक्सीनों का प्रयोग किया जाए। वैक्सीन बोर्ड ने यह संस्तुति की है कि विनिर्मित तंत्रिका उत्तक वैक्सीन के स्थान पर उत्तक संवर्ध वैक्सीन का चरणबद्ध तरीके से प्रयोग किया जाए।

(च) और (छ) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान ने ऐसा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

[हिन्दी]

अध्यापकों के तबादले

2284. श्री रामामोहन सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 अगस्त, 1999 के "नवभारत टाइम्स" में "चुनाव ड्यूटी के बावजूद शिक्षकों का सैकड़ों किलोमीटर दूर तबादला" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या इन विद्यालयों में स्थानांतरण के लिए निर्धारित मानदंडों का बहुत अधिक उल्लंघन हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) यह प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण की सिफारिश करने संबंधी विद्यालय की कार्यकारिणी समिति को दिए गए अधिकार तथा लोक सभा चुनाव की घोषणा के बाद शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के स्थानांतरण से संबंधित है।

(ग) और (घ) ये स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किए गए। निर्धारित मानदंडों में ऐसी कुछेक परिस्थितियों का ही जिक्र है जो कि

दृष्टांत स्वरूप हैं न कि संपूर्ण। प्रशासनिक आधार पर किसी भी कर्मचारी का कभी भी कहीं भी स्थानांतरण किया जा सकता है।

[अनुवाद]

भोपाल गैस पीड़ित

2285. **श्री लक्ष्मण सेठ :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनियन कार्बाइड लिमिटेड ने भोपाल गैस दुर्घटना के पीड़ितों के परिवार के सदस्यों को कोई मुआवजा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ग) सम्माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार, यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन ने भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना से संबंधित और उत्पन्न सभी दावों, अधिकारों तथा देयताओं के पूर्ण निपटारे हेतु मुआवजे के तौर पर भारत संघ को 470 मिलियन अमरीकी डालर की राशि का भुगतान किया।

खिलाड़ी

2286. **श्री अशोक ना० मोहोल :**
श्री हरीभाऊ शंकर महाले :

क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार युवावस्था में ही खिलाड़ियों का चयन करके उन्हें पश्चिमी देशों की तरह राज्य के खर्चे पर प्रशिक्षित करने का है जिससे कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर आने के काबिल बनें;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच० चाओबा सिंह) : (क) और (ख) खिलाड़ियों के शीघ्र चयन तथा प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एन०एस०टी०सी०), कुश्ती के संवर्धन के लिए अखाड़ों को अपनाना, सेना में बाल खेल कम्पनी (ए०बी०एस०सी०), विशेष क्षेत्र खेल, भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र तथा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति जैसी कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत, अल्पायु में ही प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन किया जाता है ताकि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए उनको आगे और प्रशिक्षित किया जा सके।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्राइवेट मेडिकल कालेज

2287. **चौधरी तेजबीर सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में मान्यता प्राप्त प्राइवेट मेडिकल कालेजों के नाम क्या हैं;

(ख) कितने कालेजों ने मान्यता हेतु आवेदन किया है;

(ग) ये आवेदन मेडिकल काउंसिल के पास कब से लम्बित हैं; और

(घ) इन्हें शीघ्र मान्यता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार राज्यवार प्राइवेट मेडिकल कालेजों के नाम संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) बिहार में चल रहे दो मेडिकल कालेजों नामतः माता गुजरी मैमोरियल मेडिकल कालेज, किशनगंज और कटिहार मेडिकल कालेज, कटिहार ने मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन किया था। बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय माधीपुर से सम्बद्ध इन मेडिकल कालेज के संबंध में सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

देश में मान्यताप्राप्त प्राइवेट मेडिकल कालेजों की सूची

क्र०सं०	कालेज/विश्वविद्यालय/राज्य का नाम
1	2
आंध्र प्रदेश	
	एन०टी०आर० यूनिवर्सिटी आफ हैल्थ साइंसिज, विजयवाड़ा
1.	डेक्कन कालेज आफ मेडिकल साइंसिज, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)।
गुजरात	
2.	*सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, वल्लभ विद्यानगर, गुजरात*
	प्रमुखस्वामी मेडिकल कालेज, करमसाड।
कर्नाटक	
	मणिपाल एकेडमी आफ हायर एजुकेशन
3.	कस्तुरबा मेडिकल कालेज, मणिपाल।
4.	कस्तुरबा मेडिकल कालेज, मंगलौर।
	बंगलौर यूनिवर्सिटी, बंगलौर।
5.	सेंट जानस मेडिकल कालेज, बंगलौर।
6.	एम०एस० रमैया मेडिकल कालेज, बंगलौर।

1	2
7.	डा० बी०आर० अम्बेडकर मेडिकल कालेज, बंगलौर।
8.	केम्पगोडा इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसिज, बंगलौर।
9.	सिद्धार्थ मेडिकल कालेज, तुमकुर।
10.	श्री देवराज यूनि० मेडिकल कालेज, तमका, कोलार।
	मैसूर यूनिवर्सिटी, मैसूर।
11.	जे०एस०एस० मेडिकल कालेज, मैसूर।
12.	अदिचुंक्यांगगिरी इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसिज, बेल्लूर।
	कुवेम्बु यूनिवर्सिटी, कर्नाटक
13.	जे०जे०एम० मेडिकल कालेज; देवेंनगेरे (कर्नाटक)
	कर्नाटक यूनिवर्सिटी, धारवाड़।
14.	जे०एन० मेडिकल कालेज, बेलगांव।
15.	बी०एल०डी०ई०एस० श्री बी०एम० पाटिल मेडिकल कालेज, अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र, बीजापुर।
16.	अल-अमीन मेडिकल कालेज, बीजापुर।
	गुलबर्गा यूनिवर्सिटी, गुलबर्गा
17.	एम०आर० मेडिकल कालेज, गुलबर्गा।
महाराष्ट्र	
	बम्बई यूनिवर्सिटी, बम्बई।
18.	पद्मश्री डा० डी०वाई० पाटिल मेडिकल कालेज, न्यू बम्बई।
19.	महात्मा गांधी मिशनस मेडिकल कालेज, न्यू बम्बई।
20.	के०जे० सोमैया मेडिकल कालेज और अनुसंधान केन्द्र, बम्बई।
21.	तेरना मेडिकल कालेज, नवी मुम्बई।
	पूना यूनिवर्सिटी, पूना।
22.	रूरल मेडिकल कालेज, लोनी।
23.	एन०डी०एम०वी०पी० समाजस मेडिकल कालेज, नासिक
	भारती विद्यापीठ सम विश्वविद्यालय, पुणे।
24.	भारती विद्यापीठ'स मेडिकल कालेज, पुणे। (पहले पुणे विश्वविद्यालय से संबद्ध)
	नार्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जलगांव।
25.	जवाहर मेडिकल फाउंडेशन'स ए०सी०पी०एम० मेडिकल कालेज, धुले। (पहले पुणे विश्वविद्यालय से संबद्ध)
	शिवाजी यूनिवर्सिटी, कोल्हापुर।
26.	कृष्णा इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसिज, कराड।

1	2
27.	डी०वाई० पाटिल एजुकेशन सोसाइटी'स डी०वाई० पाटिल मेडिकल कालेज, कोल्हापुर।
	डा० बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद।
28.	महात्मा गांधी मिशन'स मेडिकल कालेज, औरंगाबाद।
	स्वामी रामानंद तीरथ यूनिवर्सिटी, नांदेड़।
29.	महाराष्ट्रा इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसिज एंड रिसर्च, लातूर (पहले डा० बी०ए०ए०एम० विश्वविद्यालय, औरंगाबाद से संबद्ध)
	नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर।
30.	महात्मा गांधी इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसिज, सेवाग्राम, वर्धा।
31.	जे०एन० मेडिकल कालेज, स्वांगी, वर्धा।
32.	एन०के०पी० साल्वे इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसिज, नागपुर।
	अमरावती यूनिवर्सिटी, अमरावती।
33.	डा० पंजाबराव एलियास भाऊसाहेद देशमुख मेमोरियल मेडिकल कालेज, अमरावती।
मणिपुर	
34.	*मणिपुर यूनिवर्सिटी, मणिपुर।*
	रीजनल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसिज, इम्फाल।
पंजाब	
	पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़।
35.	क्रिश्चिन मेडिकल कालेज, लुधियाना।
36.	दयानंद मेडिकल कालेज, लुधियाना।
तमिलनाडु	
	डा० एम०जी०आर० मेडिकल यूनिवर्सिटी, मद्रास (तमिलनाडु)।
37.	क्रिश्चिन मेडिकल कालेज, वेल्लोर।
38.	पी०एस०जी० इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसिज, कोयम्बटूर।
	श्री रामचन्द्र सम विश्वविद्यालय, मद्रास।
39.	श्री रामचन्द्र मेडिकल कालेज एंड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पीरूर, चेन्नई। (पहले डा० एम०जी०आर० मेडिकल यूनिवर्सिटी, मद्रास से संबद्ध)
	अन्नामलाई युनिवर्सिटी, अन्नामलाईनगर।
40.	राजा मुथैया मेडिकल कालेज, अन्नामलाईनगर।

विवरण-II

1. *मातागुजरी मैमोरियल मेडिकल कालेज, किशनगंज :*

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अधीन 29.12.94 को प्रारम्भिक निरीक्षण

किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 25.3.96 के आदेश के तहत् राज्य सरकार और विश्वविद्यालय को निदेश दिया कि वे आवेदक संस्था को पांच सप्ताह की अवधि के भीतर अनंतिम संबद्धता प्रदान करें।

रजिस्ट्रार, श्री बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय माधीपुर ने दिनांक: 10.4.1996 की अधिसूचना के तहत् कालेज को अनंतिम संबद्धता प्रदान की है।

कालेज प्राधिकारियों ने मान्यता के लिए आवेदन किया और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने अपने दिनांक 18.10.97 के पत्र द्वारा उनसे अनुरोध किया कि वे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 11(2) के अधीन एम०बी०बी०एस० अंतिम वर्ष की परीक्षा के निरीक्षण के लिए औपचारिक रूप से अनुरोध करें। उनसे यह भी अनुरोध किया गया था कि वे परीक्षा की तारीखें सूचित करें। कालेज के मुख्य प्रशासक ने परिषद से अनुरोध किया है कि एम०बी०बी०एस० अंतिम वर्ष की परीक्षा नवम्बर/दिसम्बर, 1999 के महीने में आयोजित की जाएगी। तथापि, परिषद को संबद्धक विश्वविद्यालय के जरिए व्यावहारिक परीक्षा की तिथियों के बारे में सूचना अभी प्राप्त होनी है। कालेज की एम०बी०बी०एस० डिग्री की मान्यता के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 11(2) के अधीन बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय के अनुरोध की भी प्रतीक्षा की जा रही है।

2. *कटिहार मेडिकल कालेज, कटिहार*

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अधीन भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा शुरू में 27/28 जून, 1995 को निरीक्षण किया गया था, न्यायालय को निरीक्षण रिपोर्ट 17.7.99 को प्रस्तुत की गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 27.2.1996 के आदेश के तहत् यह निदेश दिया था कि आवेदक के संस्थान को संबद्धता प्रदान करने के लिए अब शीघ्र उपाय किए जाएं तथा और अधिक समय बरबाद किए बिना प्रत्यर्थी को आवश्यक आदेश जारी करने का निर्देश दिया जाए।

रजिस्ट्रार, बी०एन० मण्डल विश्वविद्यालय, माधीपुर ने दिनांक 2.4.1996 के आदेश के द्वारा एम०बी०बी०एस० में 1987-88 के सत्र से कालेज को संबद्धता प्रदान की है और विश्वविद्यालय स्तर पर एम०बी०बी०एस० को पिछली परीक्षाओं के परिणाम प्रकाशित करने की अनुमति दी। कालेज हर वर्ष 60 छात्रों को दाखिला दे रहा है।

एम०बी०बी०एस० डिग्री की मान्यता के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 11(2) के अधीन कालेज की सुविधाओं और परीक्षा के मानकों का एक निरीक्षण भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा अनुरोध प्राप्त करने पर परिषद की ओर से किया गया था और रिपोर्ट भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की कार्यकारी समिति के समक्ष दिनांक 4.11.1999 को हुई इसकी बैठक में रखी गई थी, निरीक्षण रिपोर्ट में बताई गई कमियों के कारण बी०एन० मण्डल विश्वविद्यालय, माधीपुर द्वारा इस कालेज के संबंध में प्रदत्त एम०बी०बी०एस० अर्हता को मान्यता के बारे में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा अनुशंसा नहीं की गई थी। परिषद को अब अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसे दिसम्बर, 1999 के दूसरे सप्ताह में किया जाने वाला निर्धारित निरीक्षण आयोजित करके सत्यापित किया जा रहा है, यह रिपोर्ट प्राप्त होते ही भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की कार्यकारी समिति के समक्ष इसके विचारार्थ रखी जाएगी।

उड़ीसा हेतु हडको का पैकेज

2288. श्री जी०एस० बसवराज :
श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील :
श्री त्रिलोचन कानूनगो :

क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हडको ने उड़ीसा में हाल ही में आए चक्रवाती तूफान के पीड़ितों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम के वित्त पोषण हेतु एक पैकेज तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रभावित क्षेत्रों/खण्डों/शहरों में रोजगार और गरीबी उन्मूलन के लिए चलाए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) और (ख) हडको ने उड़ीसा के तूफान प्रभावित क्षेत्रों के लिए आवास पैकेज हेतु 487.5 करोड़ रुपये की वित्तीय/ऋण सहायता की मंजूरी दी है। इस पैकेज में ये शामिल है :–

(I) उड़ीसा ग्रामीण आवास विकास निगम के जरिये 10% की ब्याज दर पर 75000 मकानों के पुनर्निर्माण हेतु ऋण सहायता के रूप में 187.50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता।

(II) 5 विशेष निर्मिति केन्द्र स्थापित करने के लिए 75 लाख रुपये की अनुदान सहायता। ये केन्द्र सुरक्षित मकानों के निर्माण के लिए विपदा प्रतिरोधी निर्माण तकनीक के बारे में प्रशिक्षण देंगे।

(III) चार अत्यधिक प्रभावित गांवों के आदर्श गांवों के रूप में विकास हेतु प्रति गांव 35 लाख रुपये की दर पर 1.40 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता।

(IV) सुरक्षित निर्माण की भवन निर्माण प्रौद्योगिकी के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए अंग्रेजी और उड़िया दोनों भाषाओं में पुस्तिकाएं और दिशा-निर्देश निकाले गए हैं। ये प्रौद्योगिकियां किफायती हैं और यह बताती हैं कि प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वाले मकानों का निर्माण कैसे किया जाएं।

(ग) और (घ) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय उड़ीसा सहित देश के सभी शहरों में केन्द्र प्रवर्तित स्कीम स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस०जे०एस०आर०वाई०) का कार्यान्वयन कर रहा है जिसमें स्वरोजगार उद्यम लगाने या मजदूरी रोजगार के प्रावधान के प्रोत्साहन के जरिये गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले शहरी बेरोजगारों

या अल्प रोजगारों को लाभकारी रोजगार मुहैया कराने की व्यवस्था है। स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के तहत शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (यू०एस० ई०पी०), शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यू०डब्ल्यू०ई०पी०) और सामुदायिक संरचना (सी०एस०) घटक के अधीन उड़ीसा को जारी की गई केन्द्रीय धनराशि का घटकवार और वर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित अनुसार है :–

(लाख रुपये में)

वर्ष	यू०एस० ई०पी०	यू०डब्ल्यू० ई०पी०	सी०एस०	कुल
1997-98	141.99	70.92	10.20	233.11
1998-99	188.64	112.60	59.20	360.44
कुल	330.63	183.52	69.40	583.55

ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में एम्पलायमेंट एशोरेन्स स्कीम (ई०ए०एस०) लागू है जिसके अधीन मजदूरी रोजगार की कमी वाली अवधि के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण गरीबों को शारीरिक श्रम के जरिये अतिरिक्त मजदूरी अवसर मुहैया कराने और टिकाऊ सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए भी धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। हाल ही के चक्रवाती तूफान के बाद इस स्कीम के तहत उड़ीसा के 14 जिलों को 3234.65 लाख रुपये दूसरी किस्त के अग्रिम रूप में जारी किए गए हैं। संचयी रूप से, उड़ीसा सरकार को चालू वर्ष के लिए ई०ए०एस० के अधीन 132.42 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

पाठ्य-पुस्तकों को पुनः लिखने का अभियान

2289. श्री जी०एम० बनातवाला : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 नवम्बर, 1999 के ''डेक्कन हेराल्ड'' में ''श्री सैफ्रन आईज: दी बी०जे०पी० लेड गवर्नमेंट मूव टू रिराइट टेक्स्ट बुक्स हैज रेज्ड मैनी आईब्रोज'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में किन तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है;

(ग) क्या सरकार ने उस समाचार में बताए गए मुद्दों की छानबीन की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) से (घ) सरकार ने पाठ्य-पुस्तकें दोबारा लिखने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है और ऐसा कोई समाचार सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है।

जनजातीय जनसंख्या

2290. श्री भर्तृहरि मेहताब : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि उड़ीसा में 90% जनजातियां गरीबी रेखा से नीचे रह रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जनजातियों का स्तर ऊंचा उठाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) और (ख) जी, नहीं। वर्ष 1993-94 में योजना आयोग द्वारा संचालित सर्वेक्षण के अनुसार गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले आदिवासियों की प्रतिशतता ग्रामीण क्षेत्र में 71.26% तथा शहरी क्षेत्र में 64.85% थी।

(ग) यह मंत्रालय उड़ीसा में आदिवासी के कल्याण और उत्थान के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। ये हैं,

1. अनुसूचित जातियों की लड़कियों के लिए छात्रावास
2. अनुसूचित जनजातियों के लिए लड़कों के छात्रावास
3. अनुसूचित जनजातियों के लिए आश्रम स्कूल
4. आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र
5. कम साक्षरता वाले पाकेटों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए शैक्षिक परिसर
6. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक सगठनों को सहायता अनुदान
7. आदिवासी अनुसंधान संस्थानों को अनुदान
8. आदिवासी उप योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता
9. अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान
10. आदिम आदिवासी समूहों के लिए योजनाओं के अंतर्गत अनुदान
11. राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगम योजना के अंतर्गत अनुदान
12. अन्न बैंक योजना के अंतर्गत अनुदान
13. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पुस्तक बैंक योजना
14. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना
15. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए योग्यता के उन्नयन की योजना

रोगों से पीड़ित व्यक्ति

2291. श्री कृष्णमराजू : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुष्ठ, पोलियों, कैंसर और तपेदिक से पीड़ित व्यक्तियों की कुल रोग-वार संख्या कितनी है;

(ख) इन रोगों के रोकथाम और इलाज के लिए राज्य-वार क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी हैं;

(ग) इन रोगों के इलाज के लिए आंध्र प्रदेश में स्थापित अस्पतालों की संख्या कितनी है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आंध्र प्रदेश को केन्द्र सरकार द्वारा कितनी सहायता दी गयी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०वी० षणमुगम) : (क) 1998-99 की अवधि में 12.49 लाख क्षयरोगी तथा 5.1 लाख कुष्ठ रोगी सूचित किए गए। पोलियो के 4320 रोगी सूचित किए गए जबकि भारत में 8 लाख व्यक्तियों में कैंसर होने का अनुमान है।

(ख) क्षयरोग, कुष्ठ, पोलियो तथा कैंसर जैसे रोगों के निवारण एवं उपचार हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सौंपे गए विविध रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के घटक संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) क्षयरोग एवं पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम आंध्र प्रदेश समेत समस्त देश में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के साथ समेकित हैं। इसीलिए इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए राज्यों की मौजूदा सुविधाओं में अनिवार्य सहायता मुहैया कराई जा रही है।

आंध्र प्रदेश में कुष्ठ के मामले में 53 अस्थायी अस्पतालीकरण वार्ड स्थापित किए गए हैं। फिर भी, कुष्ठ का उपचार जनता के सहयोग पर आधारित है और रोगियों का मासिक रूप से पर्यवेक्षण करते हुए घर-घर जाकर उपचार प्रदान किया जा रहा है।

कैंसर के मामले में, तृतीयक स्तर पर परिचर्या प्रदान करने के लिए ही कोबाल्ट थिरेपी यूनिट स्थापित करने के नाम से और सरकारी चिकित्सा कालेजों में अंकोलाजी स्कंधों का विकास करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। जिला स्तर पर शुरू में रोग का पता लगाने वाले कार्यकलापों के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। आंध्र प्रदेश की पांच संस्थाओं को पिछले 3 वर्षों की अवधि में ऐसी सहायता प्रदान की गई है।

(घ) आंध्र प्रदेश को संघ सरकार द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान दी गई वर्षवार वित्तीय सहायता का ब्यौरा देने वाला विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

विविध रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई सुविधाओं/घटकों का विवरण

क्षयरोग	कुष्ठ	पोलियो	कैंसर
1. स्पूटम निगेटिव रोगियों के लिए क्षयरोग रोधी औषधियों के प्रापण हेतु नगदी सहायता।	1. कुष्ठ की निःशुल्क सेवा प्रदान करके रोग का शीघ्र पता लगाने, एम०डी०टी० से उपचार करने, रोगियों का विकलांगताजनित अल्सर की परिचर्या करने, स्टाफ को प्रशिक्षित करने और जनता में जागरूकता ले आने एवं हाथ, पांव एवं नेत्रों की स्वयं परिचर्या करने हेतु मरीजों को जानकारी देने के लिए देश के सभी जिलों को कवर कर दिया गया है।	1. मुखीय पोलियो वैक्सीन की सप्लाई तथा कोल्ड चैन की अनिवार्य सहायता।	1. विशिष्टीकृत अनुसंधान एवं मरीजों के उपचार के लिए 15 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को मान्यता दी गई है एवं सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
2. स्पूटम पाजिटिव रोगियों के लिए औषधियों के नाम से वस्तुगत सहायता।	2. सभी जिला कुष्ठ सोसायटियों को पर्याप्त मात्रा में निधियां मुहैया करा दी गई हैं।	2. सामाजिक सहयोग की हिमाकत।	2. अस्पतालों में कोबार्ट थिरेपी यूनिटों की स्थापना करने हेतु सहायता।
3. संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत वाहनों एवं कार्यालयीन उपस्करों के प्रापण हेतु राज्यों/जिला क्षयरोग सोसायटियों को सहायता अनुदान दिया जाता है।	3. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पर्याप्त मात्रा में कुष्ठ रोधी औषधियां प्रदान की गई हैं।		3. सरकारी चिकित्सा कालेजों में अंकलाजी विंगों की स्थापना के लिए सहायता।
4. विभिन्न श्रेणियों के कार्मिकों के लिए संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सहायता भी दी जाती है।	4. कुछ गैर-सरकारी संगठनों के केंद्र भी निर्धारित किए गए हैं ताकि पुनर्संरचनात्मक सर्जरी सुविधा एवं जरूरतमंद मरीजों को माइक्रोसेल्युलर रबर चप्पलें प्रदान की जा सकें।		4. जिला स्तर पर शुरू में पता लगाने वाले कार्यकलापों हेतु सहायता।

विवरण-II

आन्ध्र प्रदेश को 4 रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए पिछले 3 वर्षों के दौरान दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा

(लाखों में)

वर्ष	क्षयरोग	कुष्ठ	पोलियो	कैंसर
1996-97	17.61	436.29	—	00.50
1997-98	172.01	308.83	945.92	2.05
1998-99	198.62	292.00	463.44	2.83
1999-2000			1519.69	

[हिन्दी]

चिकित्सा अनुसंधान संस्थान/चिकित्सालय का खोला जाना

2292. **श्री सुरेश चन्देल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिमाचल प्रदेश में स्नातकोत्तर संस्थान चंडीगढ़ या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की तरह कोई चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और चिकित्सालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) से (ग) किसी राज्य में स्नातकोत्तर संस्थान चंडीगढ़ अथवा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली जैसा आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान/अस्पताल खोलना अन्य बातों के साथ-साथ उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं, ऐसी संस्थाओं की मांग और सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों सहित विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है। इस समय केन्द्रीय सरकार के पास हिमाचल प्रदेश में ऐसा एक संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

[अनुवाद]

बच्चों को वर्दी देने के लिए धनराशि

2293. **श्री चन्द्र नाथ सिंह : क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को वर्दी देने के लिए राज्यों को धनराशि प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को जारी की गई धनराशि का राज्य/संघशासित क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि का राज्यों द्वारा पूर्णरूप से उपयोग किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो राज्य सरकारों के खिलाफ क्या कार्रवाई करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा वस्तुओं की खरीद

2294. **श्री अन्नासाहिब एम०के० पाटील : क्या शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारी गैर आई०एस०आई० ट्रेडमार्क वाले विद्युत और सामान्य उपकरण खरीद रहे हैं और उन्हें दिल्ली के सरकारी मकानों में लगवा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये जाने का विचार है कि के०लो०नि०वि० के अधिकारियों द्वारा सिर्फ आई०एस०आई० ट्रेडमार्क वाली वस्तुएं ही खरीदी जायें ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सरकारी क्वार्टरों में, केवल उन मामलों को छोड़कर, जहां आई०एस०आई० मार्क की फिटिंग नहीं होती, वहां सामान्यतः आई०एस०आई० मार्क की फिटिंग ही इस्तेमाल करता है। ऐसे मामलों में संबंधित भारतीय मानक ब्यौरों के अनुरूप फिटिंग का इस्तेमाल किया जाता है।

(ग) सिविल और विद्युत कार्यों के लिए, संबंधित मानकों में निर्देशों को पहले ही सम्मिलित कर लिया गया है।

शिशु बालिका कल्याण

2295. **श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में शिशु बालिका कल्याण हेतु कार्यक्रम को प्राथमिकता देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने देश में शिशु बालिका के विकास हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना को क्रियान्वित करने में विलम्ब के मुख्य कारण क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (ग) एक राष्ट्रीय बालिका कार्य योजना नवम्बर, 1992 से चलाई जा रही है। इसके अन्तर्गत (i) बालिका की जन्मोपरान्त-जीविता और सुरक्षा तथा सुरक्षित मातृत्व, (ii) बालिका का समग्र विकास,

और (iii) कठिन परिस्थितियों में रहने वाली और विशेष वर्गों से संबंधित कमजोर बालिकाओं को विशेष सुरक्षा, पर बल दिया जाता है। कार्य योजना का कार्यान्वयन अन्तर-मंत्रालयी प्रयास है। सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम आदि अपने बालिका विशिष्ट अथवा बालिकाओं से संबंधित कार्यक्रमों के माध्यम से कार्य योजना के बिन्दुओं को कार्यान्वित करने तथा कार्य योजना में निर्धारित उद्देश्यों/लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक अन्तर-मन्त्रालयी समन्वय समिति की नियमित अन्तराल पर बैठकें होती हैं।

11-18 वर्ष की आयु की किशोर बालिकाओं की स्व-विकास, पोषाहार, स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता, मनोरंजन और कौशल निर्माण संबंधी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए 1991-92 में आई०सी०डी०एस० के अन्तर्गत एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया।

बालिका के दर्जे में सुधार करने के उद्देश्य से 15 अगस्त, 1997 से चलाई गई बालिका समृद्धि योजना को चालू वित्तीय वर्ष में संशोधित किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में परिवार कल्याण कार्यक्रम

2296. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान को वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उन्नयन के लिए क्या मानदंड हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) 1998-99 के दौरान 84.92 करोड़ रुपए की राशि और 1999-2000 (नवम्बर 1999 तक) के दौरान 118.40 करोड़ रुपए की राशि परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राजस्थान सरकार को दी गई है।

(ख) कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का संचार सुविधाओं की मौजूदगी और समीप के अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से उनकी सुगम्यता पर निर्भर करते हुए 30 पलंगों वाले ग्रामीण अस्पतालों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रूप में दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने के लिए राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर जिलों में जनसंख्या परियोजना IX नामक एक परियोजना चलाई जा रही है ताकि ग्रामीण गरीबों की आवश्यकताएं पूरी की जा सकें।

विकलांगों के लिए आरक्षण

2297. **श्रीमती रानी नरह : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने सभी सरकारी शिक्षा संस्थाओं में विकलांगों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता को बढ़ाने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय विकलांग कल्याण निधि के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि का राज्य सरकारों ने उपयोग किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एंव पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, के उपबंध के अंतर्गत प्रत्येक उपयुक्त सरकार से प्रत्येक प्रतिष्ठान में रिक्तियों के कम से कम 3% को विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित करने की अपेक्षा की जाती है, जिसमें से (1) दृष्टिहीन या कमदृष्टि, (2) श्रवण विकलांग, तथा चलन संबंधी विकलांगता या प्रमस्तिष्क अंगघात से पीड़ित व्यक्तियों के लिए प्रत्येक के लिए एक प्रतिशत प्रत्येक विकलांगता के लिए पहचान किए गए पद में आरक्षित पद में आरक्षित करने की अपेक्षा की जाती है। इसी प्रकार, यह अधिनियम यह भी निर्धारित करता है कि सभी सरकारी शैक्षिक संस्थाएं तथा सरकार से सहायता प्राप्त कर रही संस्थाएं विकलांग व्यक्तियों के लिए कम से कम 3% सीटें आरक्षित करेंगी।

(ग) गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय विकलांग कल्याण निधि से राज्य सरकारों को कोई धनराशि/निधियां मंजूर नहीं की गई हैं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

2298. **श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की इकाइयों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का राज्य में ऐसी और इकाइयां स्थापित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) मध्य प्रदेश राज्य में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के मौजूदा एककों का स्थान-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। नौवीं योजना की शेष अवधि के दौरान सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्कीम के अनुमोदन के अधीन, देश के विभिन्न भागों में दस नए क्षेत्रीय प्रचार एकक स्थापित करने का विचार है। इनके ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

मध्य प्रदेश राज्य में मौजूदा क्षेत्रीय प्रचार एककों का स्थान-वार ब्यौरा

1. रायपुर
2. कंकेर
3. जबलपुर
4. सीधी
5. जगदलपुर
6. बिलासपुर
7. भोपाल
8. सागर
9. होशंगाबाद
10. झाबुआ
11. मन्दसौर
12. इन्दौर
13. दुर्ग
14. शहडोल
15. अम्बिकापुर
16. बालाघाट
17. रीवा
18. मण्डला
19. उज्जैन
20. ग्वालियर
21. छिंदवाड़ा
22. गुना
23. छतरपुर

विवरण-II

नौवीं योजना की शेष अवधि के दौरान स्थापित किए जाने हेतु परिकल्पित क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के क्षेत्रीय प्रचार एककों के राज्य-वार स्थान

क्र०सं०	राज्य	स्थान
1.	नागालैण्ड	वोखास
2.	अरुणाचल प्रदेश	रोइंग
3.	असम	कोकराझार
4.	उत्तर प्रदेश	हरिद्वार
5.	उड़ीसा	बोलांगीर
6.	तमिलनाडु	नीलगिरी
7.	महाराष्ट्र	धुले
8.	हरियाणा	कुरूक्षेत्र
9.	मध्य प्रदेश (प०)	खड़गोन
10.	मध्य प्रदेश (पू०)	रायगढ़

फ्लैटों को किराये पर देना

2299. श्री मानसिंह पटेल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक सामान्य और अन्य पूलों के अंतर्गत प्रत्येक टाइप के कितने बंगले, फ्लैट और क्वार्टर किराये पर दिए गए पाए गए;

(ख) सरकार ने उन्हें खाली कराने के लिये क्या कार्रवाई की है और अब तक उनमें से कितने घर खाली कराए गए हैं; और

(ग) सरकार ने उक्त आबंटियों और इस संबंध में उत्तरदायी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) सम्पदा निदेशालय के नियंत्रणाधीन सामान्य पूल में क्वार्टरों की आकस्मिक जांच के दौरान वर्ष 1997, 1998 तथा 1999 (30.11.99 तक) में आशंकित उपकिराएदारी पर पाए गए क्वार्टरों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जनवरी, 1997 से नवंबर, 1999 तक की अवधि के दौरान उप-किराएदारी पर पाए गए सभी मामलों में आबंटन नियमावली लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 330 क्वार्टरों का आबंटन रद्द किया गया तथा 205 क्वार्टरों को खाली कराया गया।

(ग) दोषी आबंटियों को भविष्य में आबंटन करने पर रोक लगाने के अतिरिक्त प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को परामर्श दिया गया है कि वे इस प्रकार के दोषी सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई आरम्भ करें।

विवरण

वर्ष 1997, 1998 तथा 1999 (30.11.99 तक) के दौरान आशंकित उप-किराएदारी पर पाए गए क्वार्टरों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	टाइप-I	टाइप-II	टाइप-III	टाइप-IV	टाइप-V	योग
1997	125	148	29	13	–	315
1998	48	68	30	3	1	150
1999 (30.11.99 तक)	109	90	70	10	–	279

[अनुवाद]

स्टेडियमों और मंदिरों की मरम्मत

2300. श्री अनादि साहू : क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में उड़ीसा में आए चक्रवात के कारण स्टेडियमों के टूटने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में खेल संबंधी आधारभूत संरचनाओं की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृत की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच० चाओबा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय "खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदान की योजना" के अंतर्गत, खेल अवस्थापना की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता का कोई प्रावधान नहीं है।

गुजरात में एफ०एम० रेडियो और दूरदर्शन के उच्च शक्ति ट्रांसमीटर

2301. **श्री पी०एस० गढ़वी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात के कच्छ में एफ०एम० रेडियो स्टेशन खोलने और दूरदर्शन के उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) हालांकि एफ०एम० रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है तथापि, दूरदर्शन को कच्छ जिले में टी०वी० कवरेज सुधारने के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ था।

(ख) जुलाई, 1999 में 300 मीटर टावर पर एक एंटीना सहित कच्छ जिले में भुज में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (10 कि०वा०) के चालू होने से इस जिले में टी०वी० कवरेज में काफी सुधार हुआ है। इस जिले में एक नया रेडियो/टी०वी० ट्रांसमीटर स्थापित करने की इस समय कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

आधारभूत ढांचे पर संगोष्ठी

2302. **श्रीमती कान्ति सिंह :**
श्री सुकदेव पासवान :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवसंरचना विकास वित्त निगम द्वारा आधारभूत ढांचा विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो इस संगोष्ठी में किन-किन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई;

(ग) क्या अवसंरचना विकास वित्त निगम ने आधारभूत ढांचे और निवेश के क्षेत्र में निजी भागीदारी हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में कार्यक्रम कब तक तैयार कर लिया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनिवार्य रूप से लाइसेंस देना

2303. **श्री उत्तम राव ढिकले :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय फार्मास्युटिकल कम्पनियों की रक्षा करने हेतु अनिवार्य रूप से लाइसेंस देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ग) पेटेंट संशोधन अधिनियम, मार्च, 1999, ट्रिप्स समझौते के अनुपालन में भेषज क्षेत्र में कुछ शर्तों के आधार पर "एकमात्र विपणन अधिकार" देने की अनुमति देता है। उत्पादों का अनिवार्य लाइसेंस देने के प्रावधान, जिसके लिए एकमात्र विपणन अधिकार दिए जाते हैं, भी उक्त अधिनियम में शामिल कर लिए गए हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण के पार्किंग स्थल

2304. **डा० मदन प्रसाद जायसवाल :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पार्किंग ठेकों की समापन तिथि के बाद ताजा कोटेशनें आमंत्रित की हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इससे दिल्ली विकास प्राधिकरण को कुल कितना नुकसान हुआ है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि मौजूदा संविदा के तहत आने वाले 14 पार्किंग स्थलों में से तीन मामलों में संविदा अवधि दिसम्बर, 1999 को समाप्त हो गई है। चूंकि पार्किंग स्थलों को चलाने की शर्तों और निबन्धनों की समीक्षा की आवश्यकता है इसलिए डी०डी०ए० ने उनकी संविदा को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है।

(घ) सरकार के कहने पर डी०डी०ए० द्वारा उपर्युक्त नीति की समीक्षा की जा रही है।

औषधियों पर प्रतिबंध

2305. **डा० चरणदास महंत :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी औषधियों पर प्रतिबंध लगाया गया;

(ख) क्या सस्ती औषधियों पर प्रतिबंध लगाए जाने के पश्चात् इसी श्रेणी के महंगी औषधियों का उत्पादन करने की अनुमति प्रदान की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस तरह की महंगी औषधियों के उत्पादन पर रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) सरकार ने अधिसूचनाओं के जरिए गत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित श्रेणियों के औषधों/औषध सम्मिश्रणों के विनिर्माण, वितरण तथा बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है :

(i) पेनिसिलीन समेत स्ट्रेप्टोमाइसिन की नियत खुराक सम्मिश्रण वाली पेरेन्टेरल उत्पाद;

(ii) स्त्री बन्ध्याकरण या गर्भ-निरोध के लिए किसी भी खुराक रूप में मेपाक्राइन हाइड्रोक्लोराइड (क्विनेराइन और इसके लवण);

(iii) फेनफ्ल्यूरामाइन और डाक्सीफेनफ्यूरामाइन; और

(iv) किसी भी अन्य औषध के साथ अनलजिन का नियत खुराक सम्मिश्रण।

(ख) उक्त अवधि में प्रतिबंध लगाने के बाद इन श्रेणियों के औषधों/औषध सम्मिश्रण के विनिर्माण के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सी०जी०एच०एस० औषधालय का निर्माण

2306. कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गुड़गांव में सी०जी०एच०एस० औषाधालय हेतु अपने भवन का निर्माण करने के लिए कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का इस मामले को हरियाणा सरकार के साथ उठाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) इस समय भारत सरकार के पास गुड़गांव में कोई भूमि नहीं है जिस पर एक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना भवन का निर्माण किया जा सके। तथापि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि वे गुड़गांव में केन्द्रीय क्षेत्र में एक भूखण्ड आबंटित करें ताकि वहां एक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय भवन का निर्माण किया जा सके।

मणिपुर में स्थित अस्पताल

2307. श्री होलखोमांग हौकिप : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द सरकार द्वारा मणिपुर में चलाए जा रहे अस्पतालों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन अस्पतालों में डाक्टरों के कितने पद रिक्त पड़े हैं और कब से रिक्त पड़े हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) से (ग) क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल उत्तरपूर्व परिषद के अधीन है। विभिन्न अतिविशिष्टताओं के सहायक प्रभारों के छह पद खाली हैं। ये पद 11 मई, 1999 को स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापित किए गए हैं।

विकलांगों के लिए संस्थान

2308. श्री टी० गोविन्दन : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विकलांगों के कल्याण राज्य-वार संस्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द सरकार का विचार देश में ऐसे और संस्थान खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा देश में विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए अनेक संस्थानों और संगठनों की स्थापना की गई है। राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित है :–

1. उत्तर प्रदेश :

(1) राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून

(2) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम लि०, कानपुर

(3) जिला पुनर्वास केन्द्र, सीतापुर

(4) जिला पुनर्वास केन्द्र, जगदीशपुर

(5) क्षेत्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

2. आन्ध्र प्रदेश

(1) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद

(2) जिला पुनर्वास केन्द्र, विजयवाड़ा

3. महाराष्ट्र

(1) अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुंबई

(2) जिला पुनर्वास केन्द्र, विरार

(3) क्षेत्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण केन्द्र, मुम्बई

4. पश्चिम बंगाल

(1) राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कलकत्ता

(2) जिला पुनर्वास केन्द्र, पश्चिम बंगाल

5. उड़ीसा

(1) राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक

(2) जिला पुनर्वास केन्द्र, भुवनेश्वर

(3) क्षेत्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण केन्द्र, कटक

6. दिल्ली

(1) विकलांग जन संस्थान, नई दिल्ली

(2) भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली

7. कर्नाटक

(1) जिला पुनर्वास केन्द्र, मैसूर

8. तमिलनाडु

(1) जिला पुनर्वास केन्द्र, चेंगलपट्टू

(2) क्षेत्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण केन्द्र, चेन्नई

9. राजस्थान

(1) जिला पुनर्वास केन्द्र, कोटा

10. मध्य प्रदेश

(1) जिला पुनर्वास केन्द्र, बिलासपुर

11. हरियाणा

(1) राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम, गुडगांव

(2) जिला पुनर्वास केन्द्र, भिवानी

(ख) और (ग) जी, नहीं।

पुरातात्विक महत्व के स्थान

2309. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी : क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्मारकों की सूची में पुरातात्विक महत्व के कितने स्थान हैं;

(ख) इन स्थानों के रख-रखाव के लिए सरकार ने कितनी धनराशि उपलब्ध कराई है;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय स्मारकों की सूची में विशेषकर हैदराबाद में कुछ और स्थानों को राष्ट्रीय स्मारकों की सूची में शामिल करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इनके रख-रखाव के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०एच० चाओबा सिंह) : (क) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश में 136 स्मारकों/स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित किया गया है।

(ख) चालू वर्ष (1999-2000) के लिए योजना के अंतर्गत 63 लाख रुपए तथा गैर-योजना के अंतर्गत 30 लाख रुपए आबंटित किए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीका

2310. श्री ए० ब्रह्मैया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सार्वभौमिक टीकाकारण कार्यक्रम (यू०आई०पी०) के तहत बच्चों को दिए जा रहे टीकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान उक्त कार्यक्रम के तहत कितने बच्चों को टीका लगाया गया;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए कोई गहन अभियान चलाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस अभियान को और तेज करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षण्मुगम) : (क) व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अधीन निम्नलिखित वैक्सीनें इस्तेमाल की जाती हैं :—

प्रसव के दौरान टेटनस की रोकथाम के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए टेटनस टाक्साइड। नवजात शिशुओं और बच्चों को डिफ्थीरिया

पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, खसरा और शैशव क्षयरोग की रोकथाम करने हेतु डी०पी०टी०, और डी०टी०, ओ०पी०वी०, खसरा और बी०सी०जी०।

(ख) 1998-99 के दौरान प्रत्येक वैक्सीन से कवर किए गए बच्चों की संख्या नीचे दी गई है :—

(I)	डी०पी०टी०-3	2,33,04,923
(II)	ओ०पी०वी०-3	2,36,81,936
(III)	खसरा	2,19,25,292
(IV)	बी०सी०जी०	2,43,60,165
(V)	डी०टी०	89,46,761

(ग) और (घ) आन्ध्र प्रदेश में जन्मभूमि कार्यक्रम के अधीन आऊटरीच सेवाओं में वृद्धि करके प्रतिरक्षण कार्यक्रम को तेज किया गया है। इसे भविष्य में जारी रखने का प्रस्ताव है।

सिक्किम में अपलिंकिंग सुविधाएं

2311. श्री भीम दाहाल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गंगटोक में डी०डी०-2 मेट्रो ट्रांसमीटर स्थापित करने और ट्रांसपोंडरों के माध्यम से राज्य के नामची, मनगन और मीजिंग स्थानों पर अपलिंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए सिक्किम से अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गंगटोक में डी०डी०-2 मेट्रो सेवा के लिए अल्प शक्ति ट्रांसमीटर पहले से ही प्रचलन में है। गंगटोक में इस समय कार्यान्वयनाधीन स्टूडियो केन्द्र के चालू होने के पश्चात् ही दूरदर्शन का अपलिंकिंग सुविधा स्थापित करने का विचार है।

विश्व विरासत स्थल

2312. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भारत के कुछ प्राचीन स्मारकों और भवनों को "विश्व विरासत स्थल" के रूप में मान्यता दिलाने के लिए यूनेस्को से बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस संदर्भ में कोई सुझाव देने से पहले आंध्र प्रदेश सरकार से परामर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०एच० चाओबा सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्वदाय स्थल के रूप में निम्नलिखित ग्यारह केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों एवं स्थलों को नामित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है :— (1) विष्णुपुर स्थित मंदिर, पश्चिम बंगाल। (2) अल्ची मठ, लेह, लद्दाख। (3) गोलकुंडा किला, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। (4) हड़प्पाकालीन स्थल, धोलाबीरा, कच्छ-गुजरात। (5) मत्तनचेरी महल, अरनाकुलम-केरल। (6) शेरशाह सूरी का मकबरा, सासाराम बिहार। (7) भीमबेटका स्थित प्रागैतिहासिक शैलाश्रम एवं चित्रित गुफाएं, मध्य प्रदेश। (8) किला परिसर, मौंडु—मध्य प्रदेश। (9) प्राचीन बौद्ध स्थल, सारनाथ, वाराणसी—उत्तर प्रदेश। (10) हेमिज गुम्फा, लद्दाख। (11) रानी-की-वाव, पाटन-गुजरात।

(ग) और (घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आंध्र प्रदेश सरकार से परामर्श नहीं किया है क्योंकि प्रस्ताव केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों एवं स्थलों के लिए किया गया है।

प्रशिक्षित वैज्ञानिक

2313. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश छोड़कर चले गए प्रशिक्षित वैज्ञानिकों की संख्या कितनी है;

(ख) इन वैज्ञानिकों के बाहर जाने की वजह से देश को कितना नुकसान हुआ; और

(ग) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान हमारे देश के प्रशिक्षित वैज्ञानिकों का बाहर जाना रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) और (ख) कुछ भारतीय वैज्ञानिक दूसरे देशों को चले गए हैं। परन्तु संख्यात्मक आंकड़े निर्धारित कर पाना संभव नहीं है।

(ग) देश छोड़कर जाने की घटना को कम करने तथा विदेशों में बसे हुए वैज्ञानिकों एवं प्रौद्योगिकीविदों को भारत वापस लाने हेतु आकर्षित करने के लिए समय-समय पर कई कदम उठाए गए हैं। हाल में शुरू किए गए कुछ कार्यक्रम इस प्रकार हैं :

- विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों में उत्कृष्ट/उन्नत अध्ययन के और अधिक केन्द्रों की स्थापना।
- उद्यमवृत्तिक विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण।
- एसोसिएटशिप/अध्येतावृत्तियों/पाठ्यक्रमों के माध्यम से मानव शक्ति विकास प्रशिक्षण/पुनर्प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- वैज्ञानिक पूल योजना के तहत वैज्ञानिकों एवं टैक्नोक्रेट्स के अस्थाई स्थानन हेतु प्रावधान।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अग्रणी तथा उभरते हुए क्षेत्रों में सहयोग देने के लिए अल्पावधि तकनीकी समनुदेशन हेतु

विदेशों में बसे भारतीय मूल के विशिष्ट पुरुषों एवं महिलाओं को आमंत्रित करना।

- इस देश में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए अनिवासी भारतीयों की सहायता हेतु विशेष प्रयास।
- विदेशों से व्यावसायिक वापसी के लिए उपस्कर के आयात हेतु सुविधाओं का प्रावधान।
- युवा वैज्ञानिकों के लिए आर एंड डी परियोजनाएं।
- अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा संस्थानों के दौरे के लिए ब्यॉयसकास्ट अध्येतावृत्तियां।
- स्वर्णजयंती अध्येतावृत्तियां।
- आर एंड डी को कैरियर के रूप में अपनाने के लिए प्रतिभावान युवा वैज्ञानिकों को आकर्षित तथा अभिप्रेरित करने के लिए संपर्क कार्यक्रम।
- विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वैज्ञानिकों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट का डिजाइन

2314. **श्री मोहन रावले :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मेट्रो परियोजना का डिजाइन बनाने और निर्माण करने हेतु कुछ विदेशी कम्पनियों को आमंत्रित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ये कम्पनियां कौन-कौन सी हैं और इन्हें आमंत्रित करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में विदेशी कंपनियों के साथ किन नियम और शर्तों पर समझौता किया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली (इंटरनेशनल कम्पिटिटिव बिडिंग) प्रक्रिया के अनुसरण में, ओ०ई०सी०एफ० (जापान) ऋण से धन प्राप्त कार्यों के लिए प्रीक्वालीफाइड कम्पनियों/कान्सोर्शियमों से टेण्डर आंमत्रित किए गए हैं।

(ख) कम्पनियों के नाम संलग्न विवरण में हैं।

(ग) संलग्न विवरण के ब्यौरे के अनुसार केवल सामान्य परामर्श कार्य ही सौंपा गया है और शेष कार्यों के लिए टेण्डर अभी प्राप्त होने हैं।

निम्नलिखित राशियों के लिए सामान्य परामर्शी कार्य पी०सी०आई० के नेतृत्व के कांसोर्शियम को सौंपा गया है :—

विदेश मुद्रा में देय अधिकतम राशि, मूल्यवृद्धि को छोड़कर, (जापानी येन/अमरीकी डालर) है :—

(I) 2,471,753,000 जापानी येन (दो सौ सैंतालिस करोड़ सत्रह लाख तिरेपन हजार);

(ii) 96,21,974 अमरीकी डालर (छियानवे लाख इक्किस हजार नौ सौ चौहत्तर) भारतीय रुपयों में देय अधिकतम राशि;

(iii) 98,67,51,512 रुपये (अठानवे करोड़ सडसठ लाख इक्यावन हजार पांच सौ बारह)।

इसके अतिरिक्त सहमत मानदण्डों के अनुसार हुई वृद्धि की भी अदायगी की जाएगी।

सामान्य परामर्शदात्री सेवाओं की अवधि 14.9.98 से 31.3.2006 होगी।

विवरण

ओ०ई०सी०एफ० (जापान), जो इस परियोजना लागत धन के एक अंश की पूर्ति करेंगे, अपने द्वारा वित्त-पोषित कार्यों के लिए इंटरनेशनल कम्पिटिटिव बिडिंग प्रक्रिया अपनाने की अपेक्षा करते हैं। अपेक्षित तकनीकी क्षमता, बोली क्षमता, जनशक्ति संसाधन, संयंत्र मशीनरी और उपस्करों की उपलब्धता, वित्तीय सुदृढ़ता वाली ओ०ई०सी०एफ० द्वारा वित्त पोषित कार्यों के लिए प्रीक्वालिफाइड होती हैं और उनसे इन कार्यों के लिए डिजाइन तथा निर्माण आधार पर टेण्डर मांगे जाते हैं। नीचे सूचीबद्ध कार्यों जिनके लिए टेण्डर मांगे गए हैं, बावत कम्पनियां/कंसोर्शियम विदेशी हैं जिनमें अधिकतर भारतीय सदस्य हैं। जहां क्रम संख्या 2 से 6 के टेण्डर पैकेजों के लिए टेण्डर अभी प्राप्त होने हैं, वहीं क्रम संख्या 1 के लिए टेण्डर पी०सी०आई० के नेतृत्व वाले कंसोर्शियम को पहले ही दे दिया गया है जिनके साथ टेण्डर देने के स्तर पर ही पारसन्स ब्रिंकर हौफ इन्टरनेशनल शामिल हुए थे :—

क्र० सं०	कंट्रेक्ट पैकेज	कम्पनी/कंसॅटियम प्रीक्वालीफाइड और निविदा के लिए आमंत्रित
1	2	3
1.	दिल्ली एम०आर०टी०-एस० परियोजना के लिए जनरल कंसल्टैंसी सर्विसेज	I. पैसिफिक कंसल्टैंट्स इंटरनेशनल जापान रेलवे टैकिनकल सर्विस तोनिचि इंजीनियरिंग कंसल्टैंट जापान राइट्स इंडिया
		II. डी०ई० — कंसल्ट, जर्मनी सी०ई०एस० इंडिया ई०टी०सी० ट्रासंपोर्ट कंसल्टैंट्स, जर्मनी हैम्बर्ग कंसल्ट, जर्मनी
		III. सिसट्रा, फ्रान्स टाटा कंसल्टैंट्स इंजीनियर्स, इंडिया जापान ओवर-सीज कंसल्टैंटस टेकनिप, फ्रान्स
		IV. आई०सी०एफ० कैसर, यू०एस०ए०
		V. पारसन्स ब्रिंकर्स होफ, इंटरनेशनल
		VI. बेकटेल ओवरसीज कारपोरेशन, यू०एस०ए०

1	2	3
2.	मैट्रो कोरीडोर (विश्व-विद्यालय-आई०एस०बी०टी०) के लिए डिजाइन तथा सिविल निर्माण कार्य और वातायन तथा वातानुकुलन कांट्रेक्ट पैकेज एम०सी० 1ए	I. नेक्सौ, स्पैन गैमन, इंडिया
		II. सैमसन, कोरिया इरकान इंटरनेशनल, इंडिया
		III. हुंडियाई, कोरिया जे०पी०आई०एल०, इंडिया
		IV. फिलिप होल्जमैन एस०एस०जे०वी० इंडिया
		V. इम्प्रेगिलो, इटली एन०सी०सी०, स्वीडन इकानपिलिग, सिंगापुर
		VI. डुवीडैग, जर्मनी शीमिजू, जापान एल०एन०टी० लि० इंडिया
		VII. कुमागई गुमी, जापान स्कांसटाए, बी० स्वीडन एच०सी०सी० इंडिया इटोचु, जापान
3.	मैट्रो कोरीडोर (आई० एस०बी०टी० केन्द्रीय सचिवालय के लिए डिजाइन और सिविल निर्माण कार्य तथा वातायन तथा वातानुकुलन कांट्रेक्ट पैकेज एम०सी० 1 बी०	I. नेक्सौ, स्पैन गैमन, इंडिया
		II. सैमसन, कोरिया इरकान इंटरनेशनल, इंडिया
		III. फिलिप होल्ज मैन, जर्मनी एस०एस०जे०वी०, इंडिया
		IV. ईडी जुबलिन ए०जी०, जर्मनी
		V. काजिमा कारपोरेशन, जापान एफकोन्स, इंडिया मितसूबिशी, जापान मेरूबेनी, जापान
		VI. कोबायाशी, जापान मैककोनल डोवल, आस्टेलिया
		VII. इम्प्रैगिला, इटली सेली, इटली एन०सी०सी०, स्वीडन हरक्यूलिस, स्वीडन इकोन पिलिंग, सिंगापुर
		VIII. डुवीडैग, जर्मनी शिमीजू, जापान एल एण्ड टी लि० इंडिया
		IX. कुमागई गुमी, जापान स्कांसाका ए०बी० स्वीडन एच०सी०सी० इंडिया इटोचु, जापान
4.	मैट्रो तथा रेल कोरीडोर के लिए डिजाइन, निर्माण, रोलिंग स्टाक की आपूर्ति और कमिशनिंग, कांट्रेक्ट पैकेज आर०एस० 1	I. सीमैन्स ए०जी०, जर्मनी मेरूबेनी कारपोरेशन, जापान
		II. मितशूबिशी कारपोरेशन, जापान हयूडाई, कोरिया मिशूबिशी इलैक्ट० कारपोरेशन, जापान
		III. डेमियर क्रिसलर रेल (एडट्रांस) इग्लैण्ड, हिटैची लि०, जापान इटौचू कारपो०, जापान
		IV. एलस्ट्रोम ट्रांसपोर्ट इंडिया लि०, इंडिया एलसेटाम ट्रांसपोटेशन एस०ए०, फ्रान्स सुमितोमो कारपो०, जापान
		V. मितशुई एण्ड कम्प० जापान व इंडिया, निप्पो सरयो, जापान
		VI. देबू कारपो०, कोरिया देबू हैवी इंड०, कोरिया
		VII. बम्बार्डियर ट्रांसपो० कोंटी०, यूरोप बर्लिन भारत हैवी इलै० इंडिया लि०, मिशोइवई कारपो०, जापान
5.	मैट्रो रेल कोरीडोर, कंट्रेक्ट पैकेज एस०वाई०एस० 1 के लिए सिगनल/ट्रेन कंट्रोल और कम्युनिकेशन प्रणाली	I. सिमैन्स एजी, जर्मनी मारूबैनी कारपो० जापान
		II. एडरैंज, स्वीडन एडरैंज, इंडिया फयूजितशू लि०, जापान इटोचू का० जापान
		III. एल्सटॉम ट्रांसपोर्ट लि० इंडिया एल्सटॉम ट्रांसपोर्ट एस०ए० फ्रांस अल्काटेल पुर्तगाल एस०ए० सुमितोमो कारपो०, जापान

1	2	3
6.	मैट्रो कोरीडोर कंट्रेक्ट पैकेज एस०वाई०एस०-11 के लिए ट्रक्शन पावर डिस्टिब्यूशन और एस० सी०डी०ए० प्रणाली	I. बी०एच०ई०एल० इंडिया एल०जी० कंस्ट०, कोरिया सीकेडी, प्राह चैक निशोइवई, जापान
		II. सिमन्स एजी, जर्मनी सिमन्स लि० मारूबेनी, कारपो०, आपान
		III. इरकोन इंटरनेशनल इंडिया कोबरा, स्पेन इलियोप, स्पेन
		IV. मितशुई एण्ड कम्पनी, जापान मिडेनशा कारपो०, जापान निप्पो कारपो०, जापान
		V. एडट्रेंज, जर्मनी इटोकू कारपो०, जापान
		VI. एलस्टोम ट्रान्सपोर्ट, इंडिया एलस्टोम ट्रान्सपोर्ट, फ्रांस सुमितोमो कारपो०, जापान

[हिन्दी]

मिलावटी नमक

2315. श्री राम दास आठवले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न राज्यों में मिलावटी नमक की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने लोगों को गिरफ्तारी किया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है; और

(घ) सरकार द्वारा राज्यों को मिलावटी नमक की आपूर्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

इंडियन पेट्रो केमिकल कार्पोरेशन लिमिटेड

2316. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन पेट्रो केमिकल कार्पोरेशन लिमिटेड, नागोथाणे, महाराष्ट्र के उत्पाद और सह-उत्पाद क्या-क्या हैं;

(ख) क्या किसी गैर-सरकारी कम्पनी द्वारा भी इन्हीं उत्पादों और सह उत्पादों का उत्पादन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इंडियन पेट्रो केमिकल और गैर-सरकारी कंपनी के उत्पादों और सह उत्पादों के अलग-अलग मूल्य क्या हैं;

(घ) क्या इंडियन पेट्रो केमिकल लिमिटेड के ऐसे उत्पादों के मूल्य कम होने के कारण सरकार को घाटा हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) जिला रायगढ़ (महाराष्ट्र) में नागोथाणे में आई०पी०सी०एल० का 4 लाख टन प्रतिवर्ष क्षमता वाला कैंकर कामपलेक्स है। मध्यवर्ती उत्पाद इथाइलीन और प्रोपाइलीन हैं। विनिर्माण किए जाने वाले पालीमर्स निम्नलिखित हैं : लो डेनसिटी पोलीइथाइलीन (एल०डी०पी०ई०), लिनियर लो डेनसिटी पालीइथाइलीन (एल०एल०डी०पी०ई०), हाई डेनसिटी पोलीइथाइलीन (एच०डी०पी०ई०), पोलीप्रोपाइलीन (पी०पी०) और वायर तथा केबल यौगिक। रासायनिक उत्पाद-इथाइलीन आक्साइड (ई०ओ०) और ब्यूटेन-I हैं। यह मोनो इथाइलीन ग्लाइकॉल (एम०ई०जी०), फाइबर मध्यवर्ती का भी विनिर्माण करता है। नागोठाणे में प्रचालनों से होने वाले उत्पादों में पालीइथाइलीन ग्लाइकॉल (पी०ई०जी०), एसिटिलिन तथा तरल नाईट्रोजन शामिल हैं। विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान, नगण्य मात्रा में कुछ त्याज्य उत्पाद भी निकलते हैं। प्रमुख त्याज्य उत्पाद गार्बेज वेक्स, मशीन रिजेक्ट्स (श्वेत और श्याम), तैलीय पैलेट्स, पी०ई० इस्ट पॉली पाउडर और ब्लोन डाउन पाउडर हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रमुख उत्पादों की कीमतें (उत्पाद शुल्क समेत पूर्व ब्यौरे) 1.12.99 को इस प्रकार थी :

(रु०/एम०टी०

	आई०पी०सी०एल०	आर०आई०एल०	जी०ए०आई०एल०
एल०एल०डी०पी०ई०	51600—52600	51950—52950	51460—52080
एच०डी०पी०ई०	49100—53200	51340—55300	49910—51770
पी०पी०	44670—47170	44270—47370	उत्पादन नहीं हुआ।

	आई०पी०सी० एल०	आर०आई०एल०	आई०जी०एल०•
ई०ओ०	42500	45000	उपलब्ध नहीं।
एम०ई०जी०	37500	37500	38000

•इंडिया ग्लाइकोल लि०

(घ) और (ङ) पेट्रो रसायन उत्पादों पर कोई कीमत नियंत्रण नहीं है तथा विपणन शक्तियां ही कीमतें निर्धारित करती हैं।

जनजातीय महिलाओं का उत्थान

2317. डा० रामकृष्ण कुसमरिया : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों मे जनजातीय महिलाओं का उत्थान करने के लिए बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाएंगे ?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय दो विशेष योजनाओं को कार्यान्वित करता है अर्थात् जनजातीय महिलाओं के शैक्षिक विकास के लिए कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर तथा जनजातीय लड़कियों के लिए छात्रावासों का निर्माण इन योजनाओं के अतिरिक्त, इस मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से अनेक केन्द्रीय तथा केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं में से जैसे (1) आदिवासी उप योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता, (2) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रथम परंतुक के अंतर्गत अनुदान, (3) आदिवासी उप योजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल, (4) आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण, (5) ट्राइफेड में निवेश, (6) ट्राइफेड को समर्थन, (7) राज्य आदिवासी विकास निगमों को सहायता अनुदान, (8) ग्राम अन्न बैंकों की स्थापना, (9) आदिम आदिवासी समूहों का विकास, से भी जनजातीय महिलाएं अपने उत्थान के लिए लाभ प्राप्त करती हैं।

स्टेडियमों का निर्माण

2318. डा० बलिराम : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए जा रहे स्टेडियमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक स्टेडियम के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) इन स्टेडियमों का निर्माण कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उनके द्वारा इस समय किसी स्टेडियम का निर्माण नहीं किया जा रहा है। तथापि, नांगलोई के निकट महाराजा सूरजमल स्टेडियम, फेज-I का निर्माण कार्य पूरा किया गया। चालु वित्त वर्ष के दौरान स्टेडियम के लिए 5.00 लाख रुपए कुल राशि का नियतन किया है।

अल्पसंख्यक आयोग

2319. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यक आयोग का नए सिरे से गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन आधारों पर इनकी नियुक्ति की गई है; और

(ग) अल्पसंख्यक सूची में शामिल की गई जातियों का ब्यौरा क्या है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रलाय द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पुनर्गठन करने संबंधी प्रस्ताव को पहले ही आरम्भ कर दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के अनुसार, इस आयोग का एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिष्ठित योग्यता तथा सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से नामांकित पांच सदस्य होंगे। इस अधिनियम में यह व्यवस्था भी है कि अध्यक्ष सहित पांच सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों में से होंगे।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित अल्पसंख्यक समुदायों को अधिसूचित किया है :—

1. मुस्लिम
2. ईसाई
3. सिख
4. बौद्ध
5. पारसी

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय

2320. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने अपने विद्यालयों को छः श्रेणियों में बांट दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें विनियमित करने के लिए क्या अनुदेश जारी किए गए हैं; और

(ग) विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं और उनकी वास्तविक संख्या कितनी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने

अपने विद्यालयों को प्रत्येक कक्षा में सेक्शनों की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया है। यह एक सेक्शन स्कूल, दो सेक्शन स्कूल, तीन सेक्शन स्कूल इत्यादि के रूप में होते हैं।

(ग) कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए कर्मचारियों की संख्या और वास्तविक कर्मचारियों की संख्या को निर्धारित करने वाले मानदण्डों की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

केन्द्रीय विद्यालयों में स्टाफ की संख्या के निर्धारण के संबंध में मानदण्ड केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा I से X और XII तक स्टाफ की आवश्यकताएँ

पदों का नाम	1 सेक्शन			2 सेक्शन		
	कक्षा X	कक्षा XII		कक्षा X	कक्षा XII	
		विज्ञान	वाणिज्य		विज्ञान एवं वाणिज्य	वाणिज्य एवं मान०
1	2	3	4	5	6	7
प्रधानाचार्य	1	1	1	1	1	1
उप-प्रधानाचार्य	0	0	0	0	0	0
हैड मास्टर	0	0	0	1	1	1
स्नातकोत्तर अध्यापक						
हिन्दी	1	1	1	1	1	1
अंग्रेजी	1	1	1	1	1	1
गणित	1	1	1	1	1	1
भौतिकी	0	1	0	0	1	0
रसायन	0	1	0	0	1	0
जीव विज्ञान	0	1	0	0	1	0
इतिहास	0	0	0	0	0	1
भूगोल	0	0	0	0	0	1
अर्थशास्त्र	0	0	1	0	1	2
वाणिज्य	0	0	1	0	1	1
कंप्यूटर विज्ञान	0	1	1	0	1	1
संस्कृत	0	0	0	0	0	0
प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक						
हिन्दी	0	1	1	2	2	2
अंग्रेजी	1	1	1	2	3	3
गणित	1	1	1	2	3	2
संस्कृत	1	1	1	1	1	1

1	2	3	4	5	6	7
सामाजिक अध्ययन	1	1	1	2	2	2
जीव० विज्ञान	1	1	1	2	2	2
प्राईमरी अध्यापक	6	6	6	12	12	12
संगीत	1	1	1	1	1	1
पी०ई०टी०	1	1	1	1	1	1
कला शिक्षक	1	1	1	1	1	1
डब्ल्यू०ई०टी०		1	1	1	1	1
योगा	0	0	0	0	0	0
लायब्रेरियन	1	1	1	1	1	1
कार्यालय स्टाफ						
सुपरिंटेंडेंट हैड क्लर्क						
यू०डी०सी०	1	1	1	1	1	1
एल०डी०सी०	1	1	1	1	2	2
लैब अटेंडेंट	2	3	3	2	3	3
ग्रेड "डी"	6	6	6	7	7	7
योग :	29	36	35	44	54	53

नोट : ऊपर दर्शायी गयी स्टाफ संख्या मंजूरी के लिए अधिकतम है, वे संयुक्त विषय जिनमें छात्रों की संख्या कम है, उनको गणना में नहीं लिया गया है।

पदों का नाम	3 सेक्शन			4 सेक्शन		5 सेक्शन		6 सेक्शन	
	X	XII		X	XII	X	XII	XII	XII
		विज्ञान+ वाणिज्य+ मान०	2 विज्ञान+ वाणिज्य		विज्ञान (2)+ 1 मान० + 1 वाणिज्य		विज्ञान (2)+ वाणिज्य (2) 1 मान०	विज्ञान (2) वाणिज्य (2) मान० (2)	विज्ञान (3) वाणिज्य (2) मान०-1
1	8	9	10	11	12	13	14	15	16
प्रधानाचार्य	1	1	1	1	1	1	1	1	1
उप-प्रधानाचार्य	1	1	1	1	1	1	1	1	1
हैड मास्टर	1	1	1	1	1	1	1	1	1
स्नातकोत्तर अध्यापक									
हिन्दी	1	2	2	1	2	1	3	3	3
अंग्रेजी	1	2	2	1	2	1	3	4	4
गणित	1	2	2	1	2	1	2	2	2
भौतिकी	0	1	2	0	2	0	2	2	3

1	8	9	10	11	12	13	14	15	16
रसायन	0	1	2	0	2	0	2	2	3
जीव विज्ञान	0	1	2	0	2	0	2	2	2
इतिहास	0	1	0	0	1	0	2	2	1
भूगोल	0	1	0	0	1	0	1	2	1
अर्थशास्त्र	0	2	1	0	2	0	2	2	2
वाणिज्य	0	1	1	0	1	0	2	2	2
कंप्यूटर विज्ञान	0	1	1	0	1	0	1	1	1
संस्कृत	0	0	0	0	1	0	1	1	1
प्रशिक्षित ग्रेजुएट अध्यापक									
हिन्दी	3	4	4	5	5	6	6	8	8
अंग्रेजी	3	4	4	5	6	6	6	7	7
गणित	3	3	3	4	5	5	5	7	7
संस्कृत	2	2	2	2	2	2	2	3	3
सामाजिक अध्ययन	4	3	3	5	4	6	5	6	6
पी०सी०बी०	3	3	3	5	4	6	5	7	7
प्राईमरी अध्यापक	19	19	19	25	25	32	32	39	39
संगीत	1	1	1	1	1	1	1	1	1
पी०ई०टी०	2	2	2	2	2	2	2	2	2
कला शिक्षक	1	1	1	1	1	1	1	2	2
डब्ल्यू०ई०टी०	2	3	3	3	3	4	5	5	5
योगा	0	1	1	1	1	1	1	1	1
लायब्रेरियन	1	1	1	1	1	1	1	1	1
कार्यालय स्टाफ									
सुपरिंडेंटट	0	0	0	0	0	0	1	1	1
हैड क्लर्क	1	1	1	1	1	1	0	0	0
यू०डी०सी०	1	1	1	1	2	2	3	3	3
एल०डी०सी०	2	2	2	2	2	2	3	3	3
लैब एटेंडेंट/ सहायक	2	3	3	2	3	3	3	3	3
ग्रेड "डी"	8	8	8	9	9	10	10	11	11
योग	64	80	80	81	99	97	118	133	138

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में दिनांक 31.3.1998 तक श्रेणीवार संस्वीकृत पदों की संख्या और स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	पदों का नाम	संस्वीकृत पद	भरे हुए पद
1.	प्रधानाचार्य	798	745
2.	उप-प्रधानाचार्य	386	242
3.	मुख्याध्यापक	445	274
4.	स्नातकोत्तर शिक्षक	6646	5566
5.	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक	10692	9948
6.	प्राथमिक शिक्षक	11612	11329
7.	संगीत शिक्षक	887	844
8.	शारीरिक शिक्षा शिक्षक	1281	955
9.	ड्राइंग शिक्षक	701	595
10.	एस०यू०पी०डब्ल्यू शिक्षक	1294	1061
11.	योग शिक्षक	438	327
12.	लायब्रेरियन	850	776
13.	गैर-शिक्षक कर्मचारी	10039	8298
	कुल :	46069	40960

जनजातियों की संख्या

2321. **श्री पी०सी० थामस :** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में जनजातियों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष जनजातियों के विकास और कल्याण हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की गई ?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4
भारत		846,302,688 *	67,758,380 **
राज्य			
1.	आन्ध्र प्रदेश	66,508,008	4,199,481
2.	अरुणाचल प्रदेश	864,558	550,351
3.	असम	22,414,322	2,874,441
4.	बिहार	86,374,465	6,616,914
5.	गोवा	1,169,793	376
6.	गुजरात	41,309,582	6,161,775
7.	हरियाणा	16,463,648	—
8.	हिमाचल प्रदेश	5,170,877	218,349
9.	जम्मू व कश्मीर	7,718,700 *	एन०ए०
10.	कर्नाटक	44,977,201	1,915,691
11.	केरल	29,098,518	320,967
12.	मध्य प्रदेश	66,181,170	15,399,034
13.	महाराष्ट्र	78,937,187	7,318,281
14.	मणिपुर	1,837,149	632,173
15.	मेघालय	1,774,778	1,517,927
16.	मिजोरम	689,756	653,565
17.	नागालैंड	1,209,546	1,060,822
18.	उड़ीसा	31,659,736	7,032,214
19.	पंजाब	20,281,969	—
20.	राजस्थान	44,005,990	5,474,881
21.	सिक्किम	406,457	90,901
22.	तमिलनाडु	55,858,946	574,194
संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अं० नि० द्वीप समूह	280,661	26,770
2.	चंडीगढ़	642,015	—
3.	दादर और नगर हवेली	138,477	109,380
4.	दमन व दीव	101,586	11,724
5.	दिल्ली	9,420,644	—
6.	लक्ष्यद्वीप	51,707	48,163
7.	पांडिचेरी	807,785	—

* जम्मू व कश्मीर में 1991 में जनगणना नहीं की गई थी और फिर जम्मू और कश्मीर के लिए अनुमानित जनसंख्या दिखाई गई है।

** जम्मू और कश्मीर को छोड़कर जहां पर 1991 में जनगणना नहीं की गई थी।

1.1 यह दर्शाता है कि संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति जानकारी में नहीं आई हैं।

एन०ए० : से अभिप्राय उपलब्ध नहीं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय विकलांग एवं वित्तीय विकास निगम

2322. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकलांग एवं वित्तीय विकास निगम की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो निगम द्वारा अब तक राज्यवार कितने मामलों पर विचार किया गया और कितने मामले स्वीकृत किए गए हैं; और

(ग) निगम द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी निधियां जारी की गई ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अब तक 1391 परियोजनाओं/मामलों पर विचार किया गया है तथा अनुमोदित किया गया है और 595.58 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। राज्यवार ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

अनुमोदित मामलों की राज्यवार स्थिति तथा अब तक संवितरित ऋण की राशि

क्र० सं०	राज्य	लाभार्थी	मंजूर की गई राशि (रु० लाख में)	संवितरित राशि
1	आंध्र प्रदेश	167	132.82	132.82
2.	गुजरात	112	60.02	60.02
3.	हरियाणा	147	51.91	6.00
4.	केरल	221	42.94	—
5.	मध्य प्रदेश	472	183.93	178.28
6.	उड़ीसा	237	93.79	64.36
7.	गोवा	03	7.11	—
8.	जम्मू और कश्मीर	01	2.24	—
9.	पंजाब	07	4.45	—
10.	राजस्थान	17	11.24	8.39
11.	चंडीगढ़	01	0.50	—
12.	हिमाचल प्रदेश	06	4.63	—
	कुल	1391	595.58	449.87

[अनुवाद]

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

2323. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार राज्यों में विशेषतः कर्नाटक में, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को लागू करने हेतु कितनी निधि जारी की गई और कितनी खर्च हुई;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने इस निधि का उपयोग उक्त कार्यक्रम के लिए किया;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा मार्गनिदेश जारी करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) कर्नाटक सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जारी की गई निधियों के ब्यौरों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के भिन्न-भिन्न घटकों के अधीन निधियों के समुपयोजन के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

विवरण

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को रिलीज की गई निधियां

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996-97 रिलीज अनुदान	1997-98 रिलीज अनुदान	1998-99 रिलीज अनुदान
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	425.00	425.00	650.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	80.00	25.00	30.00
3.	असम	100.00	100.00	100.00
4.	बिहार	25.00	50.00	110.00
5.	गोवा	25.00	50.00	35.00
6.	गुजरात	300.00	250.00	230.00
7.	हरियाणा	130.00	75.00	160.00
8.	हिमाचल प्रदेश	115.00	225.00	115.00
9.	जम्मू और कश्मीर	25.00	25.00	25.00
10.	कर्नाटक	350.00	175.00	335.00
11.	केरल	225.00	100.00	65.00

1	2	3	4	5
12.	मध्य प्रदेश	425.00	150.00	315.00
13.	महाराष्ट्र	800.00	950.00	800.00
14.	मणिपुर	200.00	150.00	245.00
15.	मेघालय	35.00	25.00	30.00
16.	मिजोरम	150.00	100.00	100.00
17.	नागालैंड	190.00	155.00	227.00
18.	उड़ीसा	50.00	75.00	100.00
19.	पंजाब	225.00	75.00	150.00
20.	राजस्थान	375.00	225.00	100.00
21.	सिक्किम	50.00	50.00	50.00
22.	तमिलनाडु	1700.00	2000.00	800.00
23.	त्रिपुरा	50.00	50.00	20.00
24.	उत्तर प्रदेश	450.00	495.00	200.00
25.	पश्चिम बंगाल	600.00	100.00	350.00
26.	पांडिचेरी	400.00	0.00	40.00
27.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	7.00	31.09	20.00
28.	चंडीगढ़	45.91	28.00	60.00
29.	दादरा और नगर हवेली	46.93	16.00	0.00
30.	दमण और दीव	17.00	24.22	15.00
31.	दिल्ली	19.00	25.00	110.00
32.	लक्षद्वीप	16.71	15.42	0.00
33.	मुम्बई एम०सी०			350.00
34.	अहमदाबाद एम०सी०			5.00
	कुल	7752.55	6239.73	5942.00

प्राचीन स्मारकों का पुनरूद्धार

2324. श्री अशोक प्रधान : क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन प्राचीन स्मारकों, मंदिरों और मस्जिदों का ब्यौरा क्या है जिनका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान पुनरूद्धार करने का कार्य शुरू किया गया है;

(ख) इस संबंध में अब तक राज्यवार कितनी प्रगति हुई है और इन पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ग) इस कार्य को कब पूरा कर लिए जाने की संभावना है ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच० चाओबा सिंह) : (क) से (ग) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व के 3598 स्मारकों का संरक्षण किया है। इन स्मारकों का रखरखाव तथा संरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। यह इनकी वास्तविक अपेक्षाओं के अनुसार अमल में लायी जाती है, जो धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के संरचनात्मक संरक्षण पर किया गया राज्यवार व्यय संलग्न विवरण पर दिया गया है।

विवरण

केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के संरचनात्मक संरक्षण पर किये जाने वाला व्यय

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	58,38,700 रु०	83,93,000 रु०	84,98,038 रु०
2.	असम	26,52,137 रु०	31,82,729 रु०	32,78,037 रु०
3.	अरुणाचल प्रदेश	72,344 रु०	—	—
4.	बिहार	87,00,000 रु०	1,38,67,300 रु०	60,91,473 रु०
5.	दिल्ली	2,64,00,000 रु०	2,61,00,000 रु०	3,41,98,128 रु०
6.	दमन एवं दीव	2,58,51,600 रु०	23,70,132 रु०	15,91,791 रु०
7.	गोवा	23,02,918 रु०	32,91,000 रु०	24,56,771 रु०
8.	गुजरात	55,01,659 रु०	59,18,855 रु०	72,95,718 रु०

1	2	3	4	5
9.	हरियाणा	80,84,601 रु०	81,13,353 रु०	73,20,093 रु०
10.	हिमाचल प्रदेश	62,55,924 रु०	42,51,424 रु०	81,83,658 रु०
11.	जम्मू एवं कश्मीर	64,00,000 रु०	73,79,000 रु०	77,99,992 रु०
12.	कर्नाटक	1,00,00,000 रु०	1,67,44,275 रु०	1,71,12,209 रु०
13.	केरल	12,52,004 रु०	45,78,000 रु०	54,00,329 रु०
14.	मध्य प्रदेश	1,22,42,312 रु०	1,43,44,901 रु०	1,42,17,372 रु०
15.	महाराष्ट्र	57,00,000 रु०	81,47,000 रु०	1,53,01,025 रु०
16.	मेघालय	1,260 रु०	—	98,781 रु०
17.	नागालैण्ड	2,09,619 रु०	2,19,518 रु०	14,70,828 रु०
18.	उड़ीसा	93,84,269 रु०	37,51,680 रु०	50,78,001 रु०
19.	पांडिचेरी	3,10,031 रु०	2,58,464 रु०	5,68,633 रु०
20.	पंजाब	51,59,075 रु०	76,38,670 रु०	37,42,972 रु०
21.	राजस्थान	70,00,000 रु०	1,73,00,000 रु०	1,22,00,000 रु०
22.	सिक्किम	3,38,000 रु०	14,87,186 रु०	24,995 रु०
23.	तमिलनाडु	80,00,000 रु०	1,00,77,240 रु०	88,10,025 रु०
24.	त्रिपुरा	5,00,537 रु०	6,98,952 रु०	5,83,476 रु०
25.	उत्तर प्रदेश	1,70,18,058 रु०	2,83,57,890 रु०	3,17,09,672 रु०
26.	पश्चिम बंगाल	61,31,000 रु०	97,91,000 रु०	69,64,453 रु०

आवास परियोजनाओं के लिए भूमि

2325. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के निरसन के फलस्वरूप दिल्ली में आवास परियोजनाओं हेतु कितनी भूमि उपलब्ध होने की संभावना है;

(ख) अधिनियम को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में उक्त अधिनियम को लागू करने के फलस्वरूप कितनी भूमि मिलने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि अधिनियम के निरसन के बाद दिल्ली में आवास और अवस्थापना विकास के लिए लगभग 400 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध होगी।

(ख) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं और नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के निरसन के बाद ई०डब्ल्यू०एस० और एल०आई०जी० श्रेणियों के हितों की रक्षा के लिए उन्हें कहा गया है।

(ग) मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई में नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 के प्रवर्तन के फलस्वरूप कितनी भूमि उपलब्ध होगी इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है चूंकि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने अधिनियम के निरसन को स्वीकार नहीं किया है। केन्द्रीय अधिनियम तमिलनाडु पर लागू नहीं है और राज्य सरकार का अपना तमिलनाडु नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1978 है।

जनसंख्या विस्फोट

2326. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल ही में नोएडा में जनसंख्या विस्फोटक पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो वहां जिन बिन्दुओं पर चर्चा की गई उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राजनैतिक दलों ने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को गंभीरता से न लेने के आरोप लगाये हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस संबंध में ठोस कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) सरकार को किए गए विचार-विमर्श के ब्यौरे की जानकारी नहीं है और न ही परिवार कल्याण विभाग के किसी अधिकारी ने जनसंख्या विस्फोट पर नोएडा में हुए किसी विचार-विमर्श में भाग लिया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) जनसंख्या नियंत्रण सरकार का एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। इस संबंध में राष्ट्रीय प्रयास को अब निम्नलिखित कदम उठाकर पर्याप्त रूप से पुनर्गठित एवं सुदृढ़ किया जा चुका है :—

(I) प्रजनक एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी एक एकीकृत एवं समग्रता वादी कार्यक्रम अक्तूबर, 1997 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य एवं गर्भनिरोधन संबंधी मुद्दे शामिल हैं;

(II) छोटे परिवार से होने वाले लाभों के विषय में जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना शिक्षा तथा संचार कार्यक्रम;

(III) परिवार कल्याण संबंधी कतिपय आधारभूत ढांचे को बनाए रखने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता; और

(IV) परिवार कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों को सहायता।

लेप्रोस्कोपी की लागत

2327. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेप्रोस्कोपी की तकनीक और उपकरणों से यह साबित हो गया है कि इसकी लागत परम्परागत शल्य चिकित्सा के मुकाबले काफी कम की जा सकती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा लेप्रोस्कोपी की लागत को कम करने हेतु किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) लेप्रोस्कोपी सर्जरी की तकनीक और उपकरण परम्परागत ओपन सर्जरी के मुकाबले लागत-सार्थक साबित हुए हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में लैप्रोस्कोपी सर्जरी मुफ्त की जाती है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का तिकड़मपूर्ण कार्य

2328. श्री सुरेश रामराव जाधव :
श्री दानवे रावसाहेब पाटील :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 नवम्बर, 1999 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "तिहाड़-सी०पी०डब्ल्यू०डी० नेक्सस वर्क्स वैल फार बोथ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार में दिल्ली लोक निर्माण विभाग (न कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग) द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों तथा जेल प्राधिकारियों द्वारा दी जा रही अन्य सुविधाओं से संबंधित मामला प्रकाशित किया गया है।

(ग) चूंकि मामला दिल्ली सरकार से संबंधित है, इसलिए उनके सूचनार्थ अगली कार्रवाई के लिए इसे उनके ध्यान में लाया गया है।

[हिन्दी]

विशिष्ट अनुसंधान केन्द्र

2329. योगी आदित्यनाथ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में कैंसर के उपचार के लिए विशिष्ट अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, इस मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में विशिष्ट अनुसंधान और कैंसर के रोगियों के उपचार के लिए 15 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को मान्यता प्रदान की है।

[अनुवाद]

किशोर अपराध केन्द्र

2330. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किशोर अपराध सुधार केन्द्रों की संख्या कितनी है और वहां रखे गए लड़के एवं लड़कियों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन केन्द्रों में रखे गए बच्चे सरकार द्वारा प्रदान की जा रही आधारभूत सुविधाओं से वंचित हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन केन्द्रों से बच्चों के भाग जाने की घटनाएं प्रकाश में आई हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित किए गए कोई किशोर सुधार केन्द्र नहीं हैं। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में उपेक्षित और अपराधी बच्चों के लिए 613 संस्थाएं, अर्थात् प्रेक्षण गृह, किशोर गृह, विशेष गृह और उत्तरवर्ती देखभाल संस्थाएं हैं। इस समय 36528 संवासी हैं, जिनमें से 25958 लड़के हैं और 10570 लड़कियां हैं। अनुरक्षित संवासियों की वास्तविक संख्या अक्सर बदलती रहती है।

(ख) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डॉक्टरों और नर्सों का अनुपात

2331. श्री ए० वेंकटेश नायक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रोगियों के संबंध में डाक्टरों और नर्सों का वर्तमान अनुपात कितना है;

(ख) क्या वर्तमान अनुपात पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो देश में डाक्टरों और नर्सों का समानुपात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) और (ख) रोगियों के संबंध में चिकित्सकों और नर्सों के अनुपात संबंधी कोई आंकड़े नहीं रखे जाते। भारतीय चिकित्सा परिषद् के अनुसार एलोपैथिक चिकित्सकों के संबंध में चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात लगभग 1:1980 है। भारतीय चिकित्सा परिषद् और होम्योपैथी के चिकित्सकों को शामिल करने पर यह अनुपात और भी अच्छा होगा। चिकित्सकों और नर्सों का वर्तमान अनुपात 1:1.14 है।

(ग) "स्वास्थ्य" राज्य का विषय है। यह राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है कि वे अपनी आवश्यकता के अनुसार चिकित्सकों और नर्सों की संख्या बढ़ाने के लिए कदम उठायें।

वर्ष 1994 से आज तक विभिन्न राज्यों के लिए 26 अतिरिक्त नर्सिंग स्कूल स्वीकृत किए गए हैं। 9वीं योजना अवधि के दौरान 50 नर्सिंग स्कूल खोलने का प्रस्ताव है।

चिकित्सकों के मामले में 1/6/92 के बाद 18 नए मेडिकल कालेज स्थापित करने की अनुमति दी गई है। प्रति वर्ष लागत 17,000 चिकित्सा स्नातक पास होते हैं।

निर्माण उद्योग का दर्जा

2332. डा० वी० सरोजा : क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "निर्माण उद्योग" को उद्योग का दर्जा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (ग) निर्माण सैक्टर को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०आई०) से ऋण सुविधा का लाभ उठाने योग्य बनाने के लिए, उस सेक्टर को आई०डी०बी०आई० एक्ट के अंतर्गत "औद्योगिक उद्यम" घोषित करने बाबत प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

2333. श्री नरेश पुगलीया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय साक्षरता अभियान को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा कार्यान्वित किए गए कार्यक्रमों से संपूर्ण देश में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। यह सरकार की समग्र शिक्षा कार्यनीति में अतिमहत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक है। अत: प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रमों के विभिन्न घटकों के वित्तीय मानकों को सुदृढ़ करने, पुनर्गठित करने तथा इसमें उल्लेखनीय रूप से और अधिक संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में बी०ई०/बी०टैक०

2334. श्री भर्तृहरि महताब : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में खाद्य प्रौद्योगिकी में बी०ई०/बी० टेक० स्तर का कोई पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो भविष्य में इस पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है;

(घ) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में उपलब्ध वर्तमान बी०एस०सी० आनर्स (खाद्य प्रौद्योगिकी) पाठ्यक्रम को बी०ई०/बी०टेक० पाठ्यक्रम में परिवर्तित करने का भी प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) से (ङ) कालेज ऑफ एप्लाईड साइंस से वर्तमान बी० एस०सी० (आनर्स), खाद्य प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम को बी०ई०/बी०टेक० पाठ्यक्रम में परिवर्तित करने का एक प्रस्ताव दिल्ली विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है। यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

आंध्र प्रदेश में आकाशवाणी केन्द्र/ टी०वी० ट्रांसमीटर

2335. **श्री कृष्णमराजू** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश में आकाशवाणी केन्द्र और उच्च शक्ति/कम शक्ति/बहुत कम शक्ति के टी०वी० ट्रांसमीटर स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य में वर्तमान आकाशवाणी केन्द्रों/टी०वी० ट्रांसमीटरों का दर्जा बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

आंध्र प्रदेश में स्थापित किए जा रहे नए आकाशवाणी/ दूरदर्शन ट्रांसमीटरों का ब्यौरा

आकाशवाणी

क्र०सं०	स्थान	स्कीम
1	2	3
1.	काकीनाडा	10 कि०वा०एफ०एम० ट्रांसमीटर, बहुउद्देश्यीय स्टूडियो और स्टाफ क्वार्टर
2.	मछरेला	3 कि०वा०एफ०एम० ट्रांसमीटर, बहुउद्देश्यीय स्टूडियो और स्टाफ क्वार्टर सुविधा

1	2	3

दूरदर्शन

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर-3

राजमुन्दरी (स्थायी)

वारंगल

विजयवाड़ा (डी०डी०-2)

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर-18

पसार

टिक्कली

सिरपुर

देवरकोंडा

बोबिल्ली

पेड्डापल्ली

कान्डुकुर

विनुकोंडा

वेलदांडा

मदुगुला

पुलामानेर

वेमलवाडा

सिरसिल्ला

मचिलीपटनम

जाहिराबाद

उदयगिरी

मिरियालगुडा

पुन्गानुर

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर-3

कानिगिरी

दत्तालुर

माडीपारडु

विवरण-II

आकाशवाणी

क्र०सं०	स्थान	स्कीम
1	2	3
1.	हैदराबाद	मौजूदा 10 कि०वा०मी०वे० ट्रांसमीटर के स्थान पर 20 कि०वा०मी०वे० ट्रांसमीटर की स्थापना।

1	2	3
2.	विजयवाड़ा	1 कि०वा०मी०वे० ट्रांसमीटर के स्थान पर 10 कि०वा०मी०वे०
ट्रांसमीटर की		स्थापना।
		दूरदर्शन
1.	राजामुन्दरी	1 कि०वा० (अंतरिम स्थापना) का 10 कि०वा० (स्थायी स्थापना) में उन्नयन।
2.	वारंगल	मौजूदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटर का उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (10 कि०वा०) में उन्नयन।

[हिन्दी]

दूरदर्शन पर कार्यक्रम

2336. **श्री सुरेश चन्देल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश, विशेषकर पर्वतीय/रेगिस्तानी/दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरदर्शन के दर्शकों की संख्या निजी चैनलों के दर्शकों के मुकाबले धीरे-धीरे घट रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निजी चैनलों के साथ प्रतिस्पर्धा हेतु दूरदर्शन पर लोकप्रिय कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) जी, नहीं। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन को देखने वालों की संख्या के अनुसार देश के सभी भागों में दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन ने हाल ही में, अधिक से अधिक दर्शकों को आकर्षित करने के लिए काफी संख्या में नए धारावाहिकों तथा अन्य लोकप्रिय कार्यक्रमों को शुरू करके अपने कार्यक्रमों को नया रूप दिया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय संग्रहालय

2337. **श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील** : क्या **संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जनता में सांस्कृतिक शिक्षा के प्रसार के अपने लक्ष्य को पाने में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं;

(ग) क्या सरकार का संग्रहालयों के आधुनिकीकरण के संबंध में अध्ययन करने के लिए प्रमुख संग्रहालय-विज्ञानविदों की किसी विशेषज्ञ समिति को नियुक्त करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच० चाओबा सिंह) : (क) और (ख) सांस्कृतिक शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, और शिक्षा प्रदान करने में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जा सकते। संस्कृति विभाग के पास गुरूओं की सहायता के लिए स्कीमों के माध्यम से सांस्कृतिक प्रचार-प्रसार की स्कीमें हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पत्रकार कल्याण कोष

2338. **श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में 'पत्रकार कल्याण कोष' की स्थापना की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) राज्य में उक्त कोष को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या केन्द सरकार ने राज्य में उक्त कोष की स्थापना में सहायता देने की सहमति प्रकट की है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य को इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराई गई सहायता राशि का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) से (ग) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1985 मे पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना की गई थी।

(घ) और (ङ) इस संबंध में संघ सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं दी गई थी।

महिलाओं में एच०आई०वी०

2339. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों विशेषरूप से राजस्थान में उन महिलाओं की संख्या कितनी है जिनमें एच०आई०वी० पाजीटिव पाया गया है;

(ख) एच०आई०वी० के संक्रमित महिलाओं और गर्भवती महिलाओं का पृथक-पृथक अनुपात क्या है;

(ग) क्या गर्भवती महिलाओं में एच०आई०वी० पाजीटिव महिलाओं की प्रतिशत दर बढ़ी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा एच०आई०वी० मामलों की रोकथाम के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) 1998 में आयोजित राष्ट्रीय एच०आई०वी० प्रहरी सर्वेक्षण के अनुसार भारत में एच०आई०वी० पाजिटिव महिलाओं की अनुमानित संख्या 1.064 मिलियन है। एच०आई०वी० पाजिटिव महिलाओं की अनुमानित संख्या को राज्यवार दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। इस विवरण के मुताबिक राजस्थान में एच०आई०वी० से संक्रमित महिलाओं की अनुमानित संख्या 10.452 है।

(ख) एच०आई०वी० पाजिटिव महिलाओं तथा संक्रमित गर्भवती महिलाओं के अनुपात का अलग से पता लगाने हेतु इस कार्यक्रम में इस प्रकार का अध्ययन नहीं कराया गया है।

(ग) एच०आई०वी० प्रहरी निगरानी के आंकड़ों के अनुसार प्रसव पूर्व महिलाओं में एच०आई०वी० की व्याप्ता से देश के विविध राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में मिलीजुली घटनाएं देखी गई थीं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों की गर्भवती महिलाओं में एच०आई०वी० संक्रमण की वर्धमान प्रवृत्ति उनके यहां देखी गई थी। राजस्थान सहित शेष राज्यों में हाल के वर्षों में प्रसवपूर्व महिलाओं में एच०आई०वी० संक्रमण की प्रवृत्ति में बदलाव नहीं दिखा था।

(घ) यौन संचारित रोगों की उच्च व्याप्ता, आबादी के अधिक जोखिमपूर्ण समूह और आबादी के व्यापक प्रवसन आदि के कारण इस प्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी हुई है।

(ङ) भारत में एच०आई०वी०/एड्स के फैलाव का निवारण तथा नियंत्रण करने के उद्देश्य से केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित स्कीम के रूप में एक व्यापक कार्यक्रम इस समय देश भर में चलाया जा रहा है। मुख्य कार्यनीति में सम्मिलित हैं :—

- कार्यक्रम प्रबंधन क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण केन्द्र तथा राज्य स्तर पर।
- अधिक जोखिमपूर्ण व्यवहार करने वाले समूहों तथा आम जनता के बीच एच०आई०वी०/एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- यौन संचारित रोगों को नियंत्रित करना तथा कंडोम के इस्तेमाल को बढ़ावा देना।
- रक्त बैंकों की समुचित लाइसेंसिंग के द्वारा उक्त निरापदता तथा रक्त के विवेकपूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा देना तथा ऐच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहित करना।
- निगरानी तथा निदान कार्य की क्षमता को मजबूत करना; तथा
- एच०आई०वी०/एड्स रोगियों के नैदानिक प्रबंधन में प्रशिक्षण देना।

विवरण

तालिका 5. एच०आई०वी० से संक्रमित पुरुष: महिला का अनुमानित अनुपात, भारत, 1998

(आंकड़े हजारों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एच०आई०वी० संक्रमित पुरुष-संख्या	एच०आई०वी० संक्रमित महिला-संख्या	एच०आई०वी० संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या	पुरुष, महिला अनुपात
1	2	3	4	5	6
1.	महाराष्ट्र	430.481	316.568	747.049	0.735
2.	कर्नाटक	179.134	130.638	309.772	0.729
3.	आन्ध्र प्रदेश	329.220	237.858	567.078	0.722
4.	तमिलनाडु	177.883	130.111	307.994	0.731
5.	मणिपुर	2.347	1.732	4.079	0.738
6.	गोवा	5.406	4.034	9.440	0.746
7.	दिल्ली	13.735	5.677	19.412	0.413
8.	हिमाचल	2.247	1.071	3.318	0.476
9.	गुजरात	56.507	25.366	81.873	0.449
10.	पश्चिम बंगाल	80.698	36.382	117.081	0.451
11.	नागालैंड	2.372	0.892	3.264	0.376
12.	मिजोरम	1.131	0.513	1.644	0.454

1	2	3	4	5	6
13.	पांडिचेरी	2.319	1.112	3.431	0.479
14.	अंडमान और निकोबार	0.468	0.126	0.594	0.268
15.	अरुणाचल प्रदेश	0.805	0.215	1.020	0.267
16.	असम	22.666	6.487	29.153	0.286
17.	चंडीगढ़	3.394	0.891	4.286	0.263
18.	दमन और द्वीव	0.061	0.018	0.079	0.295
19.	हरियाणा	26.836	7.451	34.287	0.278
20.	केरल	126.583	42.757	169.340	0.338
21.	मध्य प्रदेश	106.837	30.976	137.814	0.290
22.	मेघालय	0.612	0.169	0.781	0.276
23.	उड़ीसा	33.489	10.286	44.775	0.298
24.	पंजाब	33.961	9.773	43.734	0.288
25.	राजस्थान	40.018	10.452	50.470	0.261
26.	सिक्किम	0.110	0.027	0.136	0.242
27.	त्रिपुरा	3.244	0.970	4.214	0.299
28.	उत्तर प्रदेश	85.419	23.212	108.631	0.272
29.	बिहार	88.436	25.575	114.012	0.289
30.	जम्मू और कश्मीर	11.255	3.334	14.589	0.296
31.	दादरा और नगर हवेली	0.121	0.036	0.157	0.299
32.	लक्षद्वीप	0.178	0.052	0.230	0.292
	कुल	1868.974	1064.762	2933.736	

यथोपरि कुल	2933.735
आई०वी०डी०यू० में एच०आई०वी०	36.061
सर्व योग	2969.796

स्वदेशी कलाकार

2340. श्रीमती रानी नरह : क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वदेशी कलाकारों को वित्तीय सहायता देने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच० चाओबा सिंह) : (क) और (ख) संस्कृति विभाग के अधिकतर कार्यकलापों का उद्देश्य देश में कला और संस्कृति को परिरक्षित और संवर्द्धित करना है। विभाग अनेक स्कीमें प्रचालित करता है जिनका उद्देश्य देश में सांस्कृतिक कार्यकलापों को जारी रखने के लिए व्यक्तियों और स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इनमें से कुछ स्कीमें इस प्रकार हैं :—

(I) प्रदर्शनकारी, साहित्यिक और रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में लब्धप्रतिष्ठित कलाकारों को वरिष्ठ/कनिष्ठ शिक्षावृत्ति;

(II) विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को अध्येता-वृत्तियां;

(III) साहित्य कला और जीवन के ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तियों और उनके आश्रितों को, जो अभावग्रस्त परिस्थितियों में हो सकते हैं, वित्तीय सहायता; और

(IV) विनिर्दिष्ट प्रदर्शनकारी कला परियोजनाओं के लिए व्यावसायिक समूहों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता।

ब्यौरे विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में दिये गये हैं।

मिनरल वाटर की बिक्री

2341. श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री मोहन रावले :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुले बाजार में बेचे जाने वाले मिनरल वाटर में सिर्फ नलों का पानी होता है और बोतलों की गुणवत्ता खराब अथवा घटिया होती है जो स्वास्थ्य के लिए खतरा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का ऐसे मिनरल वाटर के विपणन को रोकने हेतु क्या प्रभावी उपाय करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम/नियमावली, 1955 को कार्यान्वित करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से सिर्फ नलों के पानी वाले मिनरल वाटर के खुले बाजार में बेचे जाने की कोई सूचना नहीं मिली है। मिनरल वाटर को पैक करने संबंधी पैकिंग सामग्री तथा मिनरल वाटर, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली के अन्तर्गत इनके लिए बनाए गए विनिर्देशनों के अनुरूप होना चाहिए।

(ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे मिनिरल वाटर के नमूने नियमित रूप से प्राप्त करें और खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के अन्तर्गत बनाए गए विनिर्देशनों के अनुसार उनका विश्लेषण करें। मिनरल वाटर के विनिर्माण के लिए भारतीय मानक प्रमाणिकरण को अनिवार्य बनाने वाली एक प्रारूप अधिसूचना जारी की गई है।

छात्रों को प्रोत्साहन

2342. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस ने भारतीय छात्रों को प्रोत्साहन देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील) : (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय को वर्ष 1999-2000 के लिए सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत, फ्रांस से भारतीय छात्रों को प्रोत्साहन देने की कोई पेशकश प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट

2343. डा० चरणदास महंत : क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा अभी तक पुरातत्व सर्वेक्षण की कुल कितनी रिपोर्टें प्रकाशित की गई हैं;

(ख) पिछले दस वर्षों से उनमें से कितनी रिपोर्टें केवल अंग्रेजी में प्रकाशित हुई;

(ग) क्या ऐसी रिपोर्टों को भारतीय भाषाओं से प्रकाशित करने के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच० चाओबा सिंह) : (क) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अब तक 588 रिपोर्टें प्रकाशित की हैं।

(ख) पिछले 10 वर्षों में 24 रिपोर्टें अंग्रेजी में प्रकाशित की गई हैं।

(ग) और (घ) कार्य की अधिकता के कारण, इस संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित करना कठिन होगा।

बिहार में स्वयंसेवी/गैर-सरकारी संगठन

2344. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बिहार में कार्य कर रहे स्वयंसेवी संगठनों एवं गैर-सरकारी संगठनों को पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) क्या सरकार ने बिहार के ऐसे स्वयंसेवी संगठनों के कार्यों की समीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान अब तक बिहार में इस समय कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों और सरकारी संगठनों को प्रदान की गई वर्षवार राशि नीचे दी गई है :-

वर्ष	(रुपये लाख में)
1996-97	226.14
1997-98	272.45
1998-99	241.50
1999-अब तक	42.46
कुल :	782.55

(ख) और (ग) मंत्रालय प्रत्येक वर्ष समुचित प्राधिकारियों की निरीक्षण रिपोर्ट/सिफारिश के आधार पर संगठनों को सहायता अनुदान निर्मुक्त कर रहा है। मंत्रालय से सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए संगठनों से उपयोग प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा रिपोर्ट आदि जैसे विभिन्न दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए निधियां

2345. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश को वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए अलग-अलग कितनी धनराशि का आवंटन किया गया;

(ख) क्या सरकार ने परिवार कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय योजना के अंतर्गत राज्यों को निधियां जारी कर दी हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा राज्यों, विशेषरूप से आंध्र प्रदेश को देय निधियां जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश को परिवार कल्याण कार्यक्रम, जो एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीम है, के कार्यान्वयन के लिए निधियां जारी की जाती है। आंध्र प्रदेश को 1998-99 के दौरान 116.53 करोड़ रुपये की रकम जारी की गई थी और 1999-2000 के दौरान नवम्बर, 1999 तक 85.35 करोड़ रुपये की रकम जारी की गई है।

(घ) आंध्र प्रदेश को 1997-98 तक प्राप्त हुए अंकेक्षित आंकड़ों के आधार पर 59.24 करोड़ रुपये के बकाया का भुगतान किया जाएगा जो अतिरिक्त निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा क्योंकि राज्यों को बकाया के भुगतान के लिए समस्त बजटीय प्रावधान पहले ही खर्च कर दिया गया है।

हृदय रोगों में वृद्धि

2346. श्री टी० गोविन्दन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हृदय रोगों में तेजी से वृद्धि हुई है और देश में और अधिक लोगों के हृदय का आपरेशन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) चूंकि हृदय रोग एक अधिसूचनीय रोग नहीं है, इसलिए हृदय रोग से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी को दर्शाने के लिए समय के रूझानों के संबंध में कोई आंकड़े नहीं हैं। तथापि, अनुमानों से यह पता चलता है कि इस देश में की गई उपचारात्मक और शल्यक्रिया संबंधी क्रियाविधियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।

(ख) 1995-96 में पांच राज्यों में एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई थी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को संगठित क्षेत्र में हृदवाहिका रोगों से संबंधित कार्यकलाप चलाने के लिए 1998-99 में 48.94 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। इस कार्यक्रम के लिए 1999-2000 में 60.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

[हिन्दी]

नई उर्वरक इकाई

2347. डा० बलिराम : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में स्थापित उर्वरक संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश में कार्यरत और गैर-कार्यरत संयंत्रों की संख्या क्या है;

(ग) गैर कार्यरत संयंत्रों के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किस स्रोत से किया जा रहा है; और

(घ) सरकार द्वारा प्रत्येक संयंत्र को कार्यशील बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) उत्तर प्रदेश में प्रमुख उर्वरक संयंत्रों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

क्रम सं०	एकक का नाम	उत्पाद
1	2	3
I) सार्वजनिक क्षेत्र :		
1.	फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि०, गोरखपुर	यूरिया
II) सहकारी क्षेत्र :		
2.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि०, फूलपुर	यूरिया

1	2	3
	3. इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि०, फूलपुर-विस्तार	यूरिया
	4. इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि०, आंवला	यूरिया
	5. इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि०, आंवला-विस्तार	यूरिया
III) निजी क्षेत्र		
	6. इण्डो-गल्फ फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स कार्पोरेशन, जगदीशपुर	यूरिया
	7. डंकंस इंडस्ट्रीज लि०, कानपुर	यूरिया
	8. टाटा कैमिकल्स लि०, बबराला	यूरिया
	9. ओसवाल कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०, शाहजहांपुर	यूरिया

(ख) उत्तर प्रदेश में स्थापित उपरोक्त 9 प्रमुख उर्वरक संयंत्रों में से केवल फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि० (एफ०सी०आई०) का गोरखपुर संयंत्र 10.6.90 से संयंत्र दुर्घटना के कारण कार्यरत नहीं है।

(ग) सरकार एफ०सी०आई० को इसकी कार्यरत एककों की क्रियाशील पूंजीगत आवश्यकताओं तथा गोरखपुर एकक सहित इसके गैर-कार्यरत एककों के लिए स्थायी प्रभारों (वेतन/मजदूरी संरक्षण लागत) को पूरा करने के लिए बजटीय सहायता दे रही है।

(घ) एफ०सी०आई० के गोरखपुर एकक का पुनरुद्धार व्यवहार्य नही पाया गया है। तथापि प्रक्रिया चल रही है ताकि विद्यमान स्थल पर कृभको नेफथा पर आधारित नये उर्वरक संयंत्र की स्थापना कर सके।

[अनुवाद]

सांस्कृतिक संगठनों के लिए वित्तीय सहायता

2348. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के विकास के लिए वित्तीय सहायता हेतु मध्य प्रदेश सरकार से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें से कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस प्रयोजनार्थ किए गए आवंटन का ब्यौरा क्या है ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच० चाओबा सिंह) : (क) से (ग) मांगी गयी सूचना संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

2349. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और दिसम्बर, 1999 तक देश में स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या हरियाणा में वर्ष 2001 तक कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान दो केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं – महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र) और मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार की आम राय और अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करके इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध संसाधनों को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बिखेरने के बजाए पहले से स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालयों के समेकन और सुदृढ़ीकरण की है।

[अनुवाद]

साक्षरता दर

2350. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्रीमती रानी नरह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं, विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में साक्षरता दर अधिकांश राज्यों, खासतौर से पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत ही कम है; और

(ख) यदि हां, तो वे राज्य कौन से हैं जहां महिलाओं में साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से कम है तथा उसके कारण क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। फिर भी, अधिकांश पूर्वोत्तर राज्यों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जिन राज्यों में सामान्य महिलाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, उन्हें दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। विशेषकर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में महिला साक्षरता दर के कम होने के जो कारण हैं उनमें सामाजिक/आर्थिक बाधाएं, महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह, विषय भौगोलिक स्थिति, स्कूलों का निकटतम दूरी में उपलब्ध न होना,

निरक्षरता उन्मूलन खासकर महिलाओं में निरक्षरता उन्मूलन के मामले में सामाजिक/राजनीतिक प्रतिबद्धता की कमी आदि शामिल हैं।

विवरण

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार सामान्य तौर पर महिलाओं तथा विशेषकर अनुसचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता दर वाले राज्य

क्रम सं०	भारत, राज्य, संघ राज्य क्षेत्र	कुल जन संख्या	अनुसूचित जाति की जन संख्या	अनुसूचित जनजाति की जन संख्या
1.	भारत	39.29	23.76	18.19
	राज्य			
1.	आन्ध्र प्रदेश	32.72	20.92	8.68
2.	अरुणाचल प्रदेश	29.69	41.42	24.94
3.	असम	43.03	42.99	38.98
4.	बिहार	22.89	7.07	14.75
5.	गोवा	67.09	47.51	29.01
6.	गुजरात	48.64	45.54	24.20
7.	हरियाणा	40.47	24.15	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	52.13	41.02	31.18
9.	कर्नाटक	44.34	25.95	23.57
10.	मध्य प्रदेश	20.85	18.11	10.73
11.	महाराष्ट्र	52.32	41.59	24.03
12.	मेघालय	44.85	31.19	43.63
13.	उड़ीसा	34.68	20.74	10.21
14.	पंजाब	50.41	31.03	0.00
15.	राजस्थान	20.44	8.31	4.42
16.	तमिलनाडु	51.33	34.09	20.23
17.	त्रिपुरा	49.65	45.45	27.34
18.	उत्तर प्रदेश	25.31	10.69	19.86
19.	पश्चिम बंगाल	46.56	28.87	14.98
	संघ राज्य क्षेत्र			
1.	दादरा और नगर हवेली	26.98	66.61	15.94

जनजातीय महिलाओं के लिए शिक्षा केन्द्र

2351. **श्री अशोक प्रधान** : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में जनजातीय महिलाओं के लिए शिक्षा केन्द्र चला रहे स्वैच्छिक संगठनों के लिए अनुदान जारी किए जा रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) समय पर अनुदान उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सहायता अनुदान की राशि में वृद्धि करने और वर्ष में एक बार इसका भुगतान करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत अनुदान दो समान किश्तों में निर्मुक्त किए जाते हैं। अनुदान की पहली किश्त संगठन से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन, पूर्व वर्ष के लेखा परीक्षित/बिना लेखा परीक्षित लेखा विवरणों, अनुदान के वर्ष के लिए बजट अनुमानों जैसे दस्तावेजों के प्राप्त होने पर निर्मुक्त, की जाती है। अनुदान की दूसरी किश्त राज्य सरकार/आदिवासी अनुसंधान संस्थान/राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग किसी से निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन, संगठन की प्रबंध समिति की सूची, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि, पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट, गत वर्ष का परीक्षित लेखा विवरण, पिछले अनुदान का उपयोग प्रमाण पत्र, काम पर लगाए गए कर्मचारियों का ब्यौरा और लाभार्थियों का ब्यौरा प्राप्त होने पर निर्मुक्त की जाती है। ज्यों ही अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होते हैं, अनुदान निर्मुक्त कर दिया जाता है।

(घ) से (च) इस प्रकार का कोई अभिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, 1998 के दौरान योजनाएं संशोधित की गई हैं तथा वित्तीय सहायता की मात्रा में पर्याप्त रूप से वृद्धि कर दी गई है। इस योजना के मानदंडों में अनुदान की निर्मुक्ति वर्ष के दौरान दो समान किश्तों में करने की व्यवस्था है।

बच्चों में सिलिएक बीमारी

2352. **श्री मोहन रावले** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में गेहूं की एलर्जी से होने वाली सिलिएक बीमारी का पता लग गया है;

(ख) यदि हां, तो बच्चों पर पड़ने वाले इसके प्रभावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बीमारी के नियंत्रण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) से (ग) यद्यपि सिलिएक बीमारी बिरले ही होने वाली बीमारी है, पर बड़े अस्पतालों में बच्चों में इस बीमारी का नियमित निदान किया जाता है। इस बीमारी से प्रभावित बच्चों में चिरकालिक अतिसार और वृद्धि मन्दन होता है। सिलिएक बीमारी नैदानिक और उपचार सुविधाओं की व्यवस्था बड़े अस्पतालों में है।

बहुमंजिले आवासीय कंपलेक्स

2353. **श्रीमती श्यामा सिंह** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी०डी०ए०) ने राजधानी में बहुमंजिले आवासीय कंपलेक्स बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी भूमि कब्जे में ली गयी है; और

(ग) इस तरह के कंपलेक्सों के कब तक बनाये जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां। डी०डी०ए० ने भूमि का अधिकतम उपयोग करने के लिए दिल्ली में बहुमंजिले आवासीय परिसरों की योजना बनाई है।

(ख) रिहायशी प्रयोग सहित विभिन्न प्रयोजनों के लिए फिलहाल 1510 एकड़ खाली भूमि उपलब्ध है।

(ग) चूंकि बहुमंजिले आवासीय परिसरों का निर्माण योजना स्तर पर है अत: कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

दवाइयों का व्यापार

2354. **श्री शीश राम सिंह रवि** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दवाइयों का विभिन्न नामों, आकारों और रंगों में अलग-अलग दामों पर व्यापार हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने आम जनता के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) और (ख) औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसरण में राज्य औषध नियंत्रक/औषध महानियंत्रक भारत द्वारा दिए गए अनुमोदन के आधार पर देश में औषध फार्मूलेशनों के उत्पादन की अनुमति दी जाती है।

2. आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत औषध (मूल्य नियंत्रक) आदेश, 1995 को 6.1.1995 को प्रख्यापित किया गया। औषध मूल्यनियंत्रक आदेश, 1995 को पहली अनुसूची में सूचीबद्ध बल्क औषधें मूल्य नियंत्रक के अन्तर्गत आती हैं। इन थोक औषधों पर आधारित फार्मूलेशन भी मूल्य नियंत्रक के अन्तर्गत आते हैं। औषध मूल्य नियंत्रक आदेश, 1995 के पैरा 5 के अन्तर्गत व्यापक रूप से इस्तेमाल में आने वाले मूल्य नियंत्रित फार्मूलेशनों, के मूल्यों में एकरूपता प्राप्त करने के लिए सामान्य रूप से बाजार में विपणित मानक पैक साईज के लिए अधिकतम मूल्य निर्धारित होते हैं जो लघु स्तर के क्षेत्र में उत्पादित तथा ब्रांड या जेनरिक उत्पाद के रूप में विपणित फार्मूलेशनों सहित ऐसे सभी फामूलेशनों पर लागू होते हैं जिनमें ऐसी पैक साईज, जिसके लिए कोई उच्चतम मूल्य निर्धारित नहीं होता है, का मूल्य समय-समय पर अलग-अलग कम्पनियों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों, जो मूल्य नियंत्रण से बाहर होते हैं, के मामले में एक उत्पादक का मूल्य दूसरे उत्पादक के मूल्य से भिन्न हो सकता है क्योंकि वे ऐसे फार्मूलेशनों का मूल्य निर्धारित करने में स्वतंत्र होते हैं।

राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड

2355. **श्री सुरेश रामराव जाधव** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड (एन०एफ०एल०) के भटिण्डा और पानीपत स्थित संयंत्र अपनी आयु पूरी कर चुके हैं और अब केवल रुग्ण इकाइयों की अवस्था में हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन इकाइयों को पुनरुद्धार करने के लिए क्या कोई कार्य-योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इनका पुनद्धार कब तक किए जाने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (घ) नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० के भटिण्डा और पानीपत एकक 20 वर्ष पहले स्थापित किये गये थे। इतने वर्षों के पश्चात् भी दोनों संयंत्र लगभग 100% क्षमता उपयोगिता प्राप्त कर रहे हैं यद्यपि उच्च मरम्मत लागत, उच्च प्रचालन लागत और कम प्रतिधारण मूल्य की वजह से हानि उठानी पड़ती है क्योंकि इन संयंत्रों का पूरी तरह से ह्रास हो चुका है। इसलिए, एन०एफ०एल० ने पानीपत और भटिण्डा स्थित मौजूदा संयंत्रों के पुनरुद्धार/प्रतिस्थापन हेतु विख्यात प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं-व-इंजीनियरिंग ठेकेदारों से विश्वव्यापी आधार पर निविदायें आमंत्रित करने के लिए अधिकृत परामर्शदाता का मार्ग प्रशस्त करने हेतु कार्य योजना तैयार की है। इस प्रक्रिया की प्रतिक्रिया पर कार्यान्वियन की समयावधि निर्भर करेगी।

खेलों के लिए बजट

2356. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी** :
श्री अकबर अली खांदोकर :

क्या **संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युवा कार्यक्रमों और खेलों के विकास से संबंधित चालू योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान युवा कार्यक्रमों और खेलों के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा राज्यवार कितने प्रतिशत धनराशि का आबंटन किया गया;

(ग) सातवीं, आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान इस उद्देश्य के लिए पृथकतः कितने प्रतिशत धनराशि का आबंटन किया गया है और राज्यवार कितने प्रतिशत बजट परिव्यय है;

(घ) सातवीं, आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भारतीय खेल प्राधिकरण के बुनियादी ढाँचे की स्थापना व रखरखाव पर कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ङ) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खेल और युवा कार्यक्रमों को बढ़ावा देने हेतु कोई नये कार्यक्रम आरंभ किये गये हैं/आरंभ किये जाने हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) युवा कार्यक्रमों और खेलों के विकास से संबंधित निरंतर रूप से चलने वाली योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) सूचना संलग्न विवरण-II में निहित है।

(ङ) और (च) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, खेलों और युवा कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित नये कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं :-

(1) **राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी (एन०आर०सी०) योजना**

चालू वर्ष के दौरान "राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी (एन०आर०सी०)" नामक एक नयी योजना आरंभ की गई है जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वैच्छिक आधार पर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करना है।

यह योजना दो वर्षों के लिए प्रायोगिक आधार पर आरंभ की गई है; नेहरू युवा केन्द्र संगठन इस योजना को कार्यान्वित करने वाली एजेंसी है जिसमें अन्य मंत्रालयों/विभागों, आदि के सहयोग से विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी के स्वयंसेवकों को तैनात करने की परिकल्पना की गयी है।

(2) **राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एन०एस०डी०एफ०)**

खेलों के संवर्धन के लिए संसाधनों संबंधी बाध्यताओं की समस्या का सामना करने की दृष्टि से, राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एन०एस०डी०एफ०) की स्थापना की गई है ताकि विभिन्न स्रोतों जिनमें सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के उपक्रम, अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा अलग-अलग व्यक्ति शामिल हैं, से अंशदान आसानी से जुटाने में सहायता मिल सकें। इस निधि में किए जाने वाले अंशदान आयकर से शत-प्रतिशत छूट के पात्र हैं।

केन्द्र सरकार ने इस निधि में 2.00 करोड़ रुपये का आरंभिक अंशदान किया है तथा औद्योगिक घरानों/निगमित क्षेत्र को भी इसमें अंशदान करने के लिए कहा जा रहा है।

विवरण-I

युवा कार्यक्रम

1. राष्ट्रीय एकीकरण का विकास।
2. साहस का विकास।
3. स्काउटिंग और गाइडिंग।
4. राष्ट्रीय युवा पुरस्कार।
5. राष्ट्रीय सेवा योजना।
6. युवा क्षेत्र में पर्याप्त स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता।
7. युवाओं को प्रशिक्षण।
8. युवाओं के लिए प्रदर्शनी।
9. पिछड़ी जनजातियों के युवाओं में युवा कार्यकलापों के संवर्धन के लिए विशेष योजना।
10. युवा छात्रावास।
11. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान।
12. नेहरू युवा केन्द्र संगठन।
13. राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना।
14. युवा क्लब।
15. युवा विकास केन्द्र।
16. उत्कृष्ट युवा क्लबों को पुरस्कार।
17. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा शिष्टमण्डलों का आदान-प्रदान।
18. राष्ट्रमण्डल युवा कार्यक्रम।
19. संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवक योजना।
20. राष्ट्रीय युवा समारोह।

खेल

1. खेल अवस्थापनाओं के सृजन हेतु अनुदान।
2. ग्रामीण स्कूलों को खेल उपकरणों की खरीद और खेल मैदानों के विकास के लिए अनुदान।
3. विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलों के संवर्धन हेतु अनुदान।
4. सिंथेटिक खेल परत बिछाने हेतु अनुदान।
5. भारतीय खेल प्राधिकरण।
6. राष्ट्रीय खेल परिसंघ।

7. खेल संबंधी योजनाओं का मूल्यांकन।

8. खेल तथा शारीरिक शिक्षा टीमों/विशेषज्ञों का आदान-प्रदान।

9. अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा परिषद।

10. लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान।

11. पब्लिक/आवासीय/केन्द्रीय विद्यालयों में एन०सी०सी० की जूनियर डिवीजन ट्रुप्स को अनुदान।

12. खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष।

13. प्रतिभावान खिलाड़ियों को पेंशन।

14. खेल पुरस्कार।

15. होनहार खिलाड़ियों और सहायक कार्मिकों को सहायता।

16. खेल छात्रवृत्ति योजना।

17. ग्रामीण खेल कार्यक्रम।

18. खेल कार्यकलापों के विकास के लिए प्रोत्साहन।

विवरण-II

(रकम लाख रुपये में)

पंचवर्षीय योजना का नाम	निम्नलिखित पर खर्च की गई राशि			
	स्थापना		अवस्थापना का अनुरक्षण	
	योजनागत	योजनेत्तर	योजनागत	योजनेत्तर
सातवीं पंचवर्षीय योजना (1987-88 से 1991-92)	1417.57	4799.28	908.82	2316.23
आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-93 से (1996 97)	5896.84	7062.00	1135.54	3495.70
नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-98 से (1999-2000 31.10.99 तक)	7621.68	4775.90	1061.38	1536.39

रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण

2357. **श्री भीम दाहल : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी 1998 से अक्तूबर 1999 के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और सामान्य जातियों के कितने विकलांग व्यक्तियों का पंजीकरण सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न कार्यालयों में किया गया;

(ख) गत वर्षों के दौरान कितने विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया;

(ग) क्या विकलांगों के लिए आरक्षित कोटे को नियमित रूप से भरा जाता है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार इन राज्यों में आरक्षित कोटे को भरने हेतु क्या प्रयास कर रही है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बिहार में स्वास्थ्य उपकेन्द्र

2358. **डा० मदन प्रसाद जायसवाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बिहार में कितने स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोले गये;

(ख) वर्तमान वर्ष के दौरान कितने और ऐसे केन्द्र खोले जाने की स्वीकृति दी गई है;

(ग) क्या ऐसे केन्द्रों के लिये भवन उपलब्ध हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में कोई उपकेन्द्र नहीं खोले गए हैं।

(ख) 1999-2000 के दौरान बिहार में 257 नए उपकेन्द्र खोलने का लक्ष्य है।

(ग) 30.6.98 की स्थिति के अनुसार बिहार में चल रहे उपकेन्द्रों की कुल संख्या—14,759 ।

—	सरकारी भावनों में चल रहे उपकेन्द्र	—5,613
—	निर्माणाधीन भवन	—3,086
—	निर्माण किए जाने वाले भवन	—6,100

(घ) और (ङ) उपकेन्द्रों की स्थापना संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राज्य क्षेत्र के योजना बजट (बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम) में से की जाती है। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को बहुउद्देश्यीय कार्यकर्त्ता (महिला)/लेडी हैल्थ विजिटर के लिए वेतन, स्वैच्छिक कार्यकर्ता को मानदेय, भवनों के किराये, दवाओं (किट ए और किट बी तथा अतिरिक्त दवाओं के लिए प्रति वर्ष 2000 रुपये का अनुदान) और आकस्मिकताओं के रूप में आवर्ती अनुदान प्रदान करके उपकेन्द्र को चलाने और उनका रख- रखाव करने में सहायता करती है।

[अनुवाद]

भारत ओमान परियोजना

2359. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत-ओमान परियोजना के वित्त पोषण संबंधी कार्यविधियों पर चर्चा करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो उक्त परियोजना के कब तक शुरू किये जाने की संभावना है; और

(घ) ओमान द्वारा इस परियोजना को कितना हिस्सा दिया गया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) ओमान इंडिया फर्टिलाइजर कम्पनी एस०ए०ओ०सी० (ओ०एम०आई०एफ०सी०ओ०) नामक एक संयुक्त उद्यम कम्पनी का गठन किया गया था और सल्तनत आफ औमान में इसे फरवरी 1998 में पंजीकृत किया गया था। मुख्यत: अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया के मूल्यों में निरन्तर तथा अत्यधिक गिरावट के कारण, परियोजना को संशोधित और पुनर्गठित करना आवश्यक समझा गया था। तदनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना को वित्त पोषित करने से संबंधित रूपात्मकता पर चर्चा की जा रही है और आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

(ग) यह परियोजना शून्य तारीख से 35 महीनों के भीतर पूर्ण कर ली जाएगी जिसकी अभी घोषणा की जानी है।

(घ) संशोधित तथा पुनर्गठित परियोजना प्रस्ताव के साम्य में ओमानी स्पोंसर का हिस्सा 160.00 मिलियन अमरीकी डालर परिकल्पित है।

मधुमेह निरोधी औषधियों का उपयोग शुरू करना

2360. **श्री पी०डी० एलानगोवन :** क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान शुरू की गई राष्ट्रीय समुद्र औषधि परियोजना मधुमेह और डायरिया के उन्मूलन के लिए समुद्र-स्रोत औषधि विकसित करने में सफल हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक इसके बाजार में आ जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) समुद्र से औषधियां राष्ट्रीय परियोजना के अन्तर्गत, मधुमेह तथा डायरिया के इलाज में उपयोगी समुद्री स्रोत सम्पाक विकसित किया जा चुका है तथा निदान पूर्व अध्ययन किया जा रहा है। यदि निदान पूर्व अध्ययन सकारात्मक है, तो अतिसार-रोधी उत्पाद के वर्ष 2001 के अन्त तक लाइसेंस लेने हेतु तैयार होने की संभावना है। हालांकि मधुमेह-रोधी जड़ी-बूटी सम्पाक को व्यापक पैमाने पर मानव परीक्षणों से गुजरना पड़ेगा जिसमें अब से लगभग 3 वर्ष का समय लग सकता है।

हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड का निजीकरण

2361. **श्री जी०एम० बनातवाला :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विनिवेश आयोग ने केरल के हिन्दुस्तान कीटनाशक लिमिटेड का निजीकरण करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से उस प्रतिष्ठान के विनिवेश करने के प्रस्ताव को वापस लेने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए राज्य सरकार द्वारा बताए गए कारण क्या हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) विनिवेश आयोग ने अपनी सिफारिशों में यह निष्कर्ष निकाला है कि भारतीय कृषिरसायन बाजार पूरी तरह प्रतिस्पर्धात्मक है और एच०आई०एल० के सरकारी स्वामित्व और नियंत्रण में बने रहने से कोई लोक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। आयोग ने एच०आई०एल० को एक अ-महत्वपूर्ण कंपनी के रूप में भी वर्गीकृत किया है। आयोग ने सिफारिश की है कि सरकार को एच०आई०एल० के प्रबंध नियंत्रण सहित न्यूनतम 51 प्रतिशत इक्विटी किसी सक्षम खरीदार को देने की पेशकश करनी चाहिए ताकि नई प्रौद्योगिकी तथा अतिरिक्त निवेश करके इसके उत्पाद रेंजों का विविधीकरण किया जा सके।

(ग) से (ङ) केरल सरकार ने अभ्यावेदन किया है कि हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड ने मलेरिया-रोधी रसायनों तथा कृषि क्षेत्र के लिए पेस्टिसाइडों के विनिर्माता के रूप में उपयोगी सेवा दी है। यह विचार व्यक्त किया गया है कि इस कंपनी में से विनिवेश कर्मचारियों के हितों के विपरीत होगा और इससे स्वास्थ्य तथा कृषि के क्षेत्र में समस्याओं से निपटने के भारत के प्रयासों में अड़चन आ सकती है। एक उत्तर में केरल सरकार को सूचित किया जा चुका है कि यह जरूरी नहीं है कि विनिवेश का अर्थ-बन्द किया जाना ही है और इसलिए इसके कारण स्वत: बेरोजगारी पैदा नहीं होगी।

पूर्वोत्तर में गैस क्रैकर परियोजना

2362. **डा० जयंत गांधी :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर में गैस क्रैकर परियोजना का कार्य निर्धारित समय के अनुसार चल रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप लागत में कितनी वृद्धि हुई और परियोजना का कार्य कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ग) पूर्वोत्तर में गैस क्रैकर का कार्यान्वयन रिलायंस असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (आर०ए०पी०एल०), जो असम औद्योगिक विकास निगम (ए०आई०डी०सी०) तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर०आई०एल०) का संयुक्त उद्यम है, द्वारा किया जा रहा है। को प्रोमोटर, आर०आई०एल० ने यह सूचित किया है कि गैस आपूर्ति समझौते को अंतिम रूप देने तथा भूमि हस्तांतरण के 44 माह के अन्दर यह परियोजना आरंभ की जा सकती है। गैस आपूर्ति समझौते पर आए ए०पी०एल० तथा ओ०आई०एल०/ओ०एन०जी०सी० के बीच बातचीत चल रही है। जहां तक भूमि का संबंध है, असम के डिब्रूगढ़ जिले के टेंगाघाट में एक स्थान का पता लगाया गया है। फिर भी, सामरिक कारणों से उक्त स्थान पुन: निर्धारण करना पड़ सकता है। परियोजना की अनुमानित लागत 1997 में 3600 करोड़ रुपए थी। तथापि आर०ए०पी०एल० ने परियोजना के कार्यान्वयन में हुई देरी के कारण लागत में होने वाली वृद्धि का आकलन करने के लिए कोई विस्तृत गणना नहीं की है।

सी०जी०एच०एस० दवाखाने

2363. **श्री रामानन्द सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी० जी०एच०एस०) के कितने आयुर्वेदिक, यूनानी और एलोपैथिक के दवाखाने कार्य कर रहे हैं;

(ख) 30.6.1999 की स्थिति के अनुसार इन दवाखानों में चिकित्सकों की कितनी संख्या की संस्वीकृति दी गई थी साथ ही इनमें तैनात चिकित्सकों की वास्तविक संख्या कितनी है;

(ग) इन दवाखानों में चिकित्सकों की संख्या कम होने के क्या कारण हैं;

(घ) 1997 और 1998 के दौरान पृथकता कितने आयुर्वेदिक, यूनानी और एलोपैथिक सी०जी०एच०एस० दवाखाने खोले गए;

(ङ) क्या सरकार का चालू वर्ष के दौरान विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ और दवाखाने खोलने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) डाक्टरों की भरती संघ लोक सेवा आयोग के जरिए की जाती है और यह एक समय लेने वाली प्रक्रिया है।

(घ) वित्तीय कठिनाइयों के कारण वर्ष 1997 और 1998 के दौरान एक नया आयुर्वेदिक, यूनानी और एलोपैथिक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलना संभव नहीं हुआ है।

(ङ) वित्तीय कठिनाइयों के कारण ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(च) और (छ) उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते हैं।

विवरण

(क)

राज्य का नाम	औषधालयों/एककों की संख्या		
	आयुर्वेदिक	यूनानी	एलोपैथिक
दिल्ली	13	04	87
उत्तर प्रदेश	04	01	28
गुजरात	01	–	05
कर्नाटक	02	01	10
पश्चिम बंगाल	01	01	17
तमिलनाडु	01	–	14
आंध्र प्रदेश	02	02	14
राजस्थान	01	–	05
महाराष्ट्र	05	–	45
बिहार	01	–	06
मध्य प्रदेश	–	–	03
उड़ीसा	–	–	01
असम	–	–	03
केरल	–	–	03

(ख)	आयुर्वेदिक	यूनानी	एलोपैथिक
डाक्टरों की स्वीकृत संख्या	76	18	1667
तैनात किए गए डाक्टरों की वास्तविक संख्या	69	17	1534

कल्याणकारी योजनाएं

2364. **श्री अजय सिंह चौटाला :**
श्री सदाशिव दादोबा मंडलिक :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक राज्य में सामाजिक न्याय और अधिकारिता प्रदान करने के लिए चलाए जा रहे योजनाओं के नाम और संख्या क्या है;

(ख) सरकार ने इन योजनाओं को विशेषकर भिवानी से लागू करने के लिए राज्यवार-संघ राज्य क्षेत्रवार क्या कदम उठाए हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशेषकर भिवानी (हरियाणा) में इन योजनाओं से लाभान्वित

होने वाले लोगों की संख्या और खर्च की गई धनराशि कितनी है; और

(घ) इस कारण वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान खर्च की जाने वाली अनुमानित धनराशि क्या है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खेलों का विकास

2365. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों और महाविद्यालयों में खेल सुविधाओं को विकसित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इस योजना के दायरे में आने वाली संस्थानों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस दिशा में किसी नई योजना पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच० चाओबा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 1. ग्रामीण स्कूलों को अनुदान की योजना के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को, खेल उपस्करों की खरीद तथा खेल मैदानों के विकास के लिए 1.50 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है।

2. विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलों के संवर्धन हेतु अनुदान की योजना के अंतर्गत, खेल उपस्करों की खरीद, खेल मैदानों के विकास और इण्डोर स्टेडियम/तरणताल के निर्माण के लिए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थित कालेजों/विश्वविद्यालयों को कतिपय अधिकतम सीमाओं के अधीन, (10,000/- रु० से लेकर 25.00 लाख रुपये तक) की केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

3. खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदान की योजना के अन्तर्गत, ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय/राज्य/संघ शासित स्कूलों को अन्य बातों के साथ-साथ, खेल मैदानों के विकास, इण्डोर स्पोर्ट्स हाल और तरणताल के निर्माण के लिए 5.00 लाख रुपये तक की-सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

यूरिया आयात नीति

2366. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूरिया के आयात के संबंध में कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में यूरिया उत्पादन में शामिल आदान लागत का विश्लेषण किया है;

(ङ) क्या यूरिया की आदान लागत में वृद्धि का मुख्य कारण रुपए का अवमूल्यन है; और

(च) आदानों की आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक अनुबंध करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) यूरिया एकमात्र उर्वरक है जो सांविधिक मूल्य, संचलन और वितरण के नियंत्रणाधीन है। यूरिया के उत्पादन में सरकार की नीति अधिकतम आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना है। सरणीबद्ध यूरिया का आयात निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार नामित सरणीबद्ध एजेंसियों के माध्यम से आवश्यकता और स्वदेशी उपलब्धता के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए सरणीबद्ध रूप से किया जाता है।

(ग) जी, हां। देश में यूरिया उत्पादन के लिए द्रवीय पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से देश में उत्पादित यूरिया की प्रमुख परिवर्तनशील इन्पुट लागत संघटित होती है।

(घ) जी, नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) यूरिया के निर्माण हेतु इस्तेमाल इन्पुटों के मूल्यों में वृद्धि मुख्यत: गैस, नेफथा, ईंधन, तेल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों के नियंत्रणमुक्त होने और आयात सादृष्य मूल्यों के साथ उनके संबंध के कारण हुई। प्राकृतिक गैस की उपलब्धता में बाधाओं के कारण, सरकार अमोनिया के निर्माण और पुन: खरीद और यूरिया सहित उर्वरकों हेतु अन्य मध्यवर्तियों के लिए विदेश में संयुक्त उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित कर रही है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

2367. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी विदेशी सहायता से वित्तपोषित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ने सन् 2000 तक सभी के लिए शिक्षा के अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार इस कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए कार्य-निष्पादन के विश्लेषण का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील) : (क) और (ख) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एक सतत केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसे 4 अलग-अलग चरणों में चलाया जा रहा है। इसका प्रथम चरण 2001 में तथा चौथा चरण 2004 में समाप्त होगा। कार्यक्रम का प्रयास प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना है तथा अभी भी इसका कार्यान्वयन जारी है। विभिन्न राज्यों में सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

उड़ीसा में चक्रवात से प्रभावित विद्यालय

2368. श्री नरेश पुगलीया :
श्री त्रिलोचन कानूनगो :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में हाल ही में आए चक्रवात के कारण कितने विद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षण संस्थाएं तथा विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं; और

(ख) विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण हेतु किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों में वृद्धि

2369. श्री राजीव प्रताप रूडी :
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ महीनों से जीवन रक्षक दवाओं, एंटी-बायोटिक, मल्टी विटामिन्स और रोगाणुनाशी दवाओं की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कीमतों में बढ़ोत्तरी की जांच करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ग) सरकार डी०पी०सी०ओ०, 1995 के अधीन सूचीबद्ध औषधों तथा सूत्रयोगों के उचित मूल्य का निर्धारण उक्त आदेश के प्राविधानों के अनुसार करती है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सरकार देश में उन औषधों के मूल्यों में घटबढ़ का भी अनुवीक्षण करती है, जो उक्त सूची में शामिल नहीं हैं। पिछले कुछ महीनों में इन दवाओं में किसी अपसामान्य बढ़ोत्तरी की सूचना नहीं है।

औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1995, जिसे 6 जनवरी, 1995 से प्रख्यापित किया गया था, का आशय यह था कि कीमतों को तर्कसंगत स्तर तक रखा जाए।

गरीब बच्चों के लिए खेल सुविधाएँ

2370. श्री अशोक ना० मोहोल : क्या **संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गरीब बच्चों को खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(घ) अभी तक राज्यवार कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) महाराष्ट्र में किन-किन स्थानों पर खेल केन्द्र हैं ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच० चाओबा सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। इस योजना में समृद्ध और निर्धन के बीच कोई अंतर नहीं रखा गया है। तथापि, सरकार कई योजनाएं जैसे कि राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एन०एस०टी०सी०); सेना में बाल खेल कम्पनी (ए०बी०एस०सी०); भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र और विशेष क्षेत्र खेल (एस०ए०जी०) योजना कार्यान्वित कर रही है जिनके अंतर्गत भावी प्रतियोगिताओं में भाग लेने और आगे प्रशिक्षण एवं तैयारी के लिए, परीक्षण-श्रृंखला के माध्यम से प्रतिभाशाली बच्चों का चयन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) ये योजनाएं भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही हैं जिनके लिए सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है और राज्यों को सीधे ही धनराशि आबंटित नहीं करती।

(ङ) महाराष्ट्र में भारतीय खेल प्राधिकरण के निम्नलिखित खेल केन्द्र हैं :—

राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एन०एस०टी०सी०)

(1) मुक्तांगन इंग्लिश स्कूल, पुणे।

(2) भोसला मिलिट्री स्कूल, नासिक।

सेना में बाल खेल कम्पनी (ए०बी०एस०सी०)

(3) बी०ई०जी० एण्ड सेन्टर, किर्की।

(4) आरटली सेन्टर, नासिक।

(5) गार्डस रेजीमेन्टल सेन्टर, कैंपटी।

भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र (एस०टी०सी०)

(6) भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, कांडिवल्ली।

औषध नीति में संशोधन

2371. श्री चन्द्र भूषण सिंह :
श्री पी०एस० गढ़वी :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औषधियों पर सरकार का नियंत्रण हटाने के लिए औषध नीति में संशोधन करने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार सामग्री और तैयार उत्पाद दोनों का आयात मूल्य घटाने का है; और

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय औषधियां घरेलू बाजार में सस्ते मूल्य पर उपलब्ध होने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार कच्चे माल अथवा तैयार औषध उत्पादों के आयात मूल्य का नियंत्रण नहीं रखती है।

(ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 की अनुसूची में शामिल 74 प्रपुंज औषधों तथा उनके सूत्रयोगों का मूल्य निर्धारण राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। यह मूल्य निर्धारण नियंत्रण आदेश के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं

2372. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री सुनील खां :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्यवार "सन् 2000 तक सभी को स्वास्थ्य" योजना के अन्तर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित और प्राप्त किए गये; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को योजनावार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) सन् 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य नामक कोई योजना नहीं है। सभी के लिए स्वास्थ्य देश की स्वास्थ्य नीति का समग्र लक्ष्य है और खासकर गरीबों तथा सुविधाओं से वंचित लोगों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं में सुधार, स्वास्थ्य परिचर्या के प्रावधान से संबंधित लोगों के लिए एक सामूहिक लक्ष्य बना रहेगा। प्रत्येक राज्य सरकार अनेक प्रकार के उपायों के जरिए अपनी जनता के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या प्राप्त करना चाहती है। इन उपायों में अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचे का नवीकरण तथा आधुनिकीकरण और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा कार्मिक शक्ति का आवर्धन शामिल हैं।

(ख) 1996-97 से 1998-99 की अवधि में प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदत्त केन्द्रीय सहायता संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अधीन वर्ष (1996-97, 1997-98, 1998-99) के दौरान प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संवितरण को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	634.63	617	482.93
अरुणाचल प्रदेश	126.9	297.5	186.61
असम	1660.83	26.18	2170.42
बिहार	206.76	348.98	403.05
गोवा	3.46	5.18	7.72
गुजरात	471.75	726.77	611.11
हरियाणा	327.77	291.08	260.39
हिमाचल प्रदेश	118.33	90.84	51.47
जम्मू व कश्मीर	120.62	78.62	72.57
कर्नाटक	853.62	568.62	264.47
केरल	53.65	63.6	102.73
मध्य प्रदेश	769.35	1072.77	454.49
महाराष्ट्र	2405.71	1028.44	260.26
मणिपुर	303.28	273.91	377.34
मेघालय	222.93	196.96	231.55
मिजोरम	106.07	132	172.53
नागालैंड	122.45	212.62	183.34
उड़ीसा	248.15	233.43	385.14
पंजाब	282.79	183.26	290.67
राजस्थान	2025.35	1799.74	1994.15
सिक्किम	39.34	1.77	8.47
तमिलनाडु	150.39	204.88	240.72
त्रिपुरा	300.67	414.05	356.97
उत्तर प्रदेश	941.71	505.73	1121.92
पश्चिम बंगाल	772.7	125.71	330.9
संघ राज्य क्षेत्र			
अन्डमान व निकोबार द्वीप समूह	94.04	93.83	155.68
चंडीगढ़	46.33	48.53	44.3
दादरा व नगर हवेली	12.73	24.75	24.9
दमण व दीव	8.8	12.37	10.08
दिल्ली	117.88	66.04	37.21
लक्षद्वीप	2.1	3.48	5.24
पांडिचेरी	16.12	12.48	6.15
योग	13567.21	12353.94	11305.5

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम व्यय
(राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किया गया)

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	96-97	97-98	98-99
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	17.61	172.01	198.62
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.69	1.45	1.66
3.	असम	42.87	44.2	51.03
4.	बिहार	141.59	258.76	298.79
5.	गोवा	6.63	1.8	2.07
6.	गुजरात	11.74	86.23	99.58
7.	हरियाणा	0.12	44.86	51.8
8.	हिमाचल प्रदेश	5.11	7.84	9.06
9.	जम्मू व कश्मीर	0.19	21.15	24.42
10.	कर्नाटक	15.06	102.93	118.85
11.	केरल	118.02	38.48	44.43
12.	मध्य प्रदेश	152.17	174.33	201.3
13.	महाराष्ट्र	23.24	171.76	198.34
14.	मणिपुर	4.01	0.28	0.32
15.	मेघालय	10.64	4.88	5.63
16.	मिजोरम	6.16	1.97	2.28
17.	नागालैंड	3.21	1.57	1.81
18.	उड़ीसा	0.08	73.69	85.09
19.	पंजाब	18.78	54.41	62.83
20.	राजस्थान	13.03	107.62	124.27
21.	सिक्किम	2.85	1.08	1.24
22.	तमिलनाडु	13.61	138.22	159.61
23.	त्रिपुरा	3.01	7.57	8.75
24.	उत्तर प्रदेश	59.48	349.35	403.39
25.	पश्चिम बंगाल	86.17	133.56	154.22
26.	दिल्ली	15.28	56.69	2.77
27.	पांडिचेरी	2.15	3.31	1.82
28.	अन्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1.43	14.27	0.82
29.	चंडीगढ़	1.06	39.67	2.27
30.	दादरा व नगर हवेली		7.7	0.44
31.	दमण व दीव		5.51	0.32
32.	लक्षद्वीप		2.85	0.16
	एक्सरे रोल के लिए			82
	एच०एस०सी०सी० को भुगतान			35.55
	मुख्यालय में क्षयरोग कक्ष	47.66	47.5	118
	क्षय रोग सोसायटियों को सहायता अनुदान	539.82	1023.36	2602
	वस्तुगत अनुदान			2066
	कुल	1363.47	3200.86	7221.54

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जिला कुष्ठ सोसायटियों को दी गई नगद सहायता और किए गए भुगतानों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य	1996-97				1997-98				1998-99			
		नकद	वस्तुगत	जिला	कुल	नकद	वस्तुगत	जिला	कुल	नकद	वस्तुगत	जिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	200.00	236.29	129.94	566.23	207.83	101.00	331.24	640.07	189.10	48.50	102.00	339.60
2.	अरुणाचल प्रदेश	16.00	1.74	144.46	162.20	20.00	0.42	27.00	47.42	20.25	0.42	142.84	163.51
3.	असम	20.00	16.56	117.04	153.60	21.00	42.00	271.65	334.65	16.50	42.00	224.00	282.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	बिहार	112.00	262.90	58.62	433.52	119.93	371.45	335.28	826.66	200.70	511.45	293.00	1005.15
5.	गोवा	0.45	3.94	—	4.39	1.45	0.48	7.35	9.28	2.00	0.48	8.00	10.48
6.	गुजरात	16.00	45.11	19.24	80.35	19.00	242.16	177.27	438.43	19.15	127.16	101.00	247.31
7.	हरियाणा	6.80	1.85	14.56	23.21	8.00	0.80	14.57	23.37	5.00	0.08	15.00	20.08
8.	हिमाचल प्रदेश	6.80	—	33.49	40.29	8.00	6.76	10.00	24.76	10.50	6.76	91.27	108.53
9.	जम्मू व कश्मीर	4.45	2.21	10.50	17.16	84.83	12.89	5.00	102.72	46.00	12.89	95.00	153.89
10.	कर्नाटक	100.00	20.70	64.32	185.02	96.00	33.15	283.01	412.16	115.50	71.48	169.00	355.98
11.	केरल	76.00	35.55	96.20	207.75	77.50	10.00	121.74	209.24	94.40	10.00	137.00	241.40
12.	मध्य प्रदेश	135.00	157.54	233.94	526.48	138.00	318.33	511.77	968.10	138.30	150.00	458.83	747.13
13.	महाराष्ट्र	14.00	255.31	191.26	460.57	39.99	74.43	351.16	465.58	34.50	126.56	364.00	525.06
14.	मणिपुर	3.50	2.47	99.82	105.79	5.22	3.05	30.00	38.27	12.00	3.05	117.86	132.91
15.	मेघालय	8.00	2.65	17.50	28.15	9.00	2.59	10.00	21.59	3.50	2.59	66.22	72.31
16.	मिजोरम	16.00	0.24	30.62	46.86	19.00	0.34	42.00	61.34	30.00	0.34	45.43	75.77
17.	नागालैंड	7.00	3.49	39.24	49.73	8.00	1.20	120.49	129.69	7.50	1.20	41.00	49.70
18.	उड़ीसा	150.00	26.40	236.36	412.76	168.00	250.94	276.65	695.59	153.10	230.94	169.00	553.04
19.	पंजाब	21.00	3.49	17.68	42.17	30.00	3.96	7.00	40.96	30.00	3.96	101.00	134.96
20.	राजस्थान	29.00	50.98	35.00	114.98	30.00	22.00	5.00	57.00	60.00	22.00	425.51	507.51
21.	सिक्किम	20.00	0.24	14.00	34.24	21.00	1.00	27.40	49.40	22.00	1.00	42.00	65.00
22.	तमिलनाडु	114.00	404.98	130.74	649.72	117.00	136.56	0.00	253.56	125.00	64.43	160.00	349.43
23.	त्रिपुरा	19.00	3.99	13.62	36.61	20.00	1.50	—	21.50	24.00	1.50	50.35	75.85
24.	उत्तर प्रदेश	187.00	293.43	478.68	959.11	143.25	250.86	636.70	1030.81	182.00	303.36	426.00	911.36
25.	पश्चिम बंगाल	95.00	196.15	243.70	534.85	98.00	242.85	299.81	640.66	113.80	207.85	139.00	460.65
26.	अ० व नि० द्वीप समूह	6.50	0.33	10.00	16.83	6.50		0.00	6.50	6.50		—	6.50
27.	चंडीगढ़	0.50	0.63	—	1.13	0.50		—	0.50	1.00		5.00	6.00
28.	दादरा व नगर हवेली	0.50	0.96	—	1.46	0.50		5.96	6.46	1.00		—	1.00
29.	दमण व दीव	4.50	1.79	3.50	9.79	4.50		0.00	4.50	9.50		0.00	9.50
30.	दिल्ली	0.50	5.00	—	5.50	0.50		—	0.50	1.50		51.15	52.65
31.	लक्षद्वीप	2.00	0.14	—	2.14	2.00		—	2.00	2.00		9.53	11.53
32.	पांडिचेरी	2.50	1.00	16.16	19.66	3.50		12.95	16.45	1.85		0.00	1.85
	कुल	1394.00	2038.06	2500.19	5932.25	1528.00	2130.72	3921.00	7579.72	1678.15	1950.00	4049.99	7678.14

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन राज्यों को जारी की गई निधियां

(लाख रुपये में)

राज्य	1996-97			1997-98			1998-99			कुल
	नकद अनुदान	डीबीसीएस को सहायता अनुदान	कुल अनुदान	नकद अनुदान	डीबीसीएस को सहायता अनुदान	कुल अनुदान	नकद अनुदान	डीबीसीएस को सहायता अनुदान	कुल अनुदान	अनुदान (1996-99)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
विश्व बैंक परियोजना राज्य										
आंध्र प्रदेश	38.44	135.00	173.44	204.34	257.00	461.34	88.50	364.00	452.50	1,087.28
मध्य प्रदेश	105.07	301.00	706.07	138.40	455.00	593.40	568.67	408.00	976.67	2,276.14
महाराष्ट्र	117.80	123.00	240.80	99.27	313.00	412.27	87.00	362.00	449.00	1,102.07
उड़ीसा	67.18	111.00	178.18	312.20	204.00	516.20	331.08	220.00	551.08	1,245.46
राजस्थान	78.62	117.00	195.62	46.60	243.00	289.60	35.50	289.00	324.50	809.72
तमिलनाडु	106.54	108.00	214.54	444.47	219.00	663.47	551.00	316.00	867.00	1,745.01
उत्तर प्रदेश	725.97	285.00	1,010.97	138.28	564.00	702.28	207.25	599.50	806.75	2,520.00
उपयोग	1539.62	1,180.00	2,719.62	1,383.56	2,255.00	3,638.56	1,869.00	2,558.50	4,427.50	10,785.68
अन्य राज्य										
अरुणाचल प्रदेश	3.82	0.00	3.82	4.04	5.00	9.04	4.50	4.00	8.50	21.36
असम	1.82	6.00	7.82	4.54	85.50	90.04	49.65	57.50	107.15	205.01
बिहार	0.00	54.00	54.00	7.44	167.50	174.94	19.50	184.50	204.00	432.94
दिल्ली	0.00	0.00	0.00	1.25	11.50	12.75	11.20	13.50	24.70	37.45
गोवा	7.24	0.00	7.24	5.25	3.50	8.75	63.00	0.15	63.15	79.14
गुजरात	0.00	27.00	27.00	4.01	125.50	129.51	39.99	114.15	154.14	310.65
हरियाणा	3.71	3.00	6.71	2.97	54.50	57.47	37.50	63.50	101.00	165.18
हिमाचल प्रदेश	0.00	6.00	6.00	2.97	29.50	32.47	34.03	49.50	83.53	122.00
जम्मू व कश्मीर	40.97	0.00	40.97	20.66	19.00	39.66	52.50	39.50	92.00	172.63
कर्नाटक	76.58	81.00	157.58	11.78	159.00	170.78	62.01	196.00	258.01	586.37
केरल	8.10	9.00	17.10	6.84	54.50	61.34	16.07	75.50	91.57	170.01
मणिपुर	0.00	6.00	6.00	1.77	8.50	10.27	16.76	9.15	25.91	42.18
मेघालय	5.27	3.00	8.27	4.56	17.50	22.06	11.60	15.15	26.75	57.08
मिजोरम	11.30	9.00	20.30	1.54	5.00	6.54	16.60	9.15	25.75	52.59
नागालैंड	0.00	0.00	0.00	3.85	2.50	6.35	56.95	7.15	64.10	70.45
पंजाब	3.83	18.00	21.83	4.15	52.50	56.65	5.10	51.50	56.60	135.08
सिक्किम	11.46	0.00	11.46	7.92	0.00	7.92	26.30	12.00	38.30	57.68
त्रिपुरा	9.71	6.00	15.71	7.77	12.50	20.27	37.74	13.15	50.89	86.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पश्चिम बंगाल	0.00	12.00	12.00	3.25	54.00	57.25	6.20	135.50	141.70	210.95
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	1.30	0.00	1.30	4.00	3.00	7.00	3.80	4.00	7.80	16.10
चंडीगढ़	5.74	3.00	8.74	4.00	3.00	7.00	3.60	7.00	10.60	26.34
दादरा व नगर हवेली	2.00	0.00	2.00	4.00	3.00	7.00	3.70	3.00	6.70	15.70
दमन व दीव	1.50	0.00	1.50	4.00	0.00	4.00	3.70	4.00	7.70	13.20
लक्षद्वीप	1.50	0.00	1.50	7.04	0.00	7.04	17.70	0.00	17.70	26.24
पांडिचेरी	1.50	0.00	1.50	4.00	0.00	4.00	2.30	3.00	5.30	10.80
उपयोग	197.35	243.00	440.35	133.60	876.50	1010.10	602.00	1071.55	1673.55	3124.00
महायोग	1736.97	1423.00	3159.97	1517.16	3131.50	4648.66	2471.00	3630.05	6101.05	13909.98

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

निधियां जारी करना राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996-97 जारी किए गए अनुदान	1997-98 जारी किए गए अनुदान	1998-99 जारी किए गए अनुदान
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	425.00	425.00	650.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	80.00	25.00	30.00
3.	असम	100.00	100.00	100.00
4.	बिहार	25.00	50.00	110.00
5.	गोवा	25.00	50.00	35.00
6.	गुजरात	300.00	250.00	230.00
7.	हरियाणा	130.00	75.00	160.00
8.	हिमाचल प्रदेश	115.00	225.00	115.00
9.	जम्मू व कश्मीर	25.00	25.00	25.00
10.	कर्नाटक	350.00	175.00	335.00
11.	केरल	225.00	100.00	65.00
12.	मध्य प्रदेश	425.00	150.00	315.00
13.	महाराष्ट्र	900.00	950.00	800.00
14.	मणिपुर	200.00	150.00	245.00
15.	मेघालय	35.00	25.00	30.00
16.	मिजोरम	150.00	100.00	100.00
17.	नागालैंड	190.00	155.00	227.00
18.	उड़ीसा	50.00	75.00	100.00
19.	पंजाब	225.00	75.00	150.00
20.	राजस्थान	375.00	225.00	100.00
21.	सिक्किम	50.00	50.00	50.00
22.	तमिलनाडु	1700.00	2000.00	800.00
23.	त्रिपुरा	50.00	50.00	20.00
24.	उत्तर प्रदेश	450.00	495.00	200.00
25.	पश्चिम बंगाल	600.00	100.00	350.00
26.	पांडिचेरी	400.00	0.00	40.00
27.	अन्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	7.00	31.09	20.00
28.	चंडीगढ़	45.91	28.00	60.00
29.	दादरा व नगर हवेली	46.93	16.00	0.00
30.	दमण व दीव	17.00	24.22	15.00
31.	दिल्ली	19.00	25.00	110.00
32.	लक्षद्वीप	16.71	15.42	0.00
33.	मुम्बई नगर निगम			350.00
34.	अहमदाबाद नगर निगम			5.00
	कुल	7752.55	6239.73	5942.00

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन बकाया सहित सहायता अनुदान (नकद और वस्तुगत)

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य	1996-97			1997-98			1998-99		
		नकद	वस्तुगत	कुल	नकद	वस्तुगत	कुल	नकद	वस्तुगत	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	14781.23	2398.43	17179.66	8838.71	2387.25	11225.96	11652.79	2994.01	14646.80
2.	अरुणाचल प्रदेश	146.82	33.86	180.68	147.73	89.65	237.38	144.06	76.21	220.27
3.	असम	2233.69	824.06	3057.75	3284.70	1165.61	4450.31	3260.45	1190.77	4451.22
4.	बिहार	5506.62	2851.93	8358.55	9894.51	2727.31	12621.82	8792.62	4093.61	12886.23
5.	गोवा	141.81	53.24	195.05	168.13	38.70	206.83	184.83	59.36	244.19
6.	गुजरात	3408.15	1957.01	5365.16	9446.00	1877.12	11323.12	10503.85	2132.19	12636.04
7.	हरियाणा	1439.48	850.00	2299.14	3521.84	722.46	4244.30	2746.01	918.55	3664.56
8.	हिमाचल प्रदेश	1613.92	294.83	1908.80	1123.72	307.30	1431.02	1973.97	402.01	2375.98
9.	जम्मू व कश्मीर	863.14	268.35	1131.49	1873.62	264.16	2137.78	1600.73	460.50	2061.23
10.	कर्नाटक	7599.98	1784.70	9384.68	5185.49	1275.84	8461.33	7681.02	2133.24	9814.26
11.	केरल	2456.74	735.58	3192.32	2981.46	973.70	3955.16	4190.43	1323.95	5514.38
12.	मध्य प्रदेश	5689.22	4086.67	9755.80	6765.52	3227.78	9993.30	8566.08	4636.08	13202.16
13.	महाराष्ट्र	8383.02	3351.69	11734.71	8289.64	2388.04	10677.88	11164.04	3922.03	15086.07
14.	मणिपुर	418.72	56.61	475.33	452.95	132.90	585.85	622.26	109.88	732.14
15.	मेघालय	300.07	87.40	387.47	300.91	96.13	397.04	328.75	142.00	470.75
16.	मिजोरम	197.57	45.85	243.42	221.30	74.68	296.04	239.11	69.10	308.21
17.	नागालैंड	211.63	47.62	259.25	209.05	59.19	268.24	247.96	91.27	339.23
18.	उड़ीसा	2960.32	1149.21	4109.53	4821.63	1337.46	6159.09	4710.89	1794.84	6505.73
19.	पंजाब	1958.20	776.12	2734.32	2451.93	1117.79	3569.72	2558.65	1135.55	3694.20
20.	राजस्थान	7094.85	3084.52	10179.17	7209.73	2176.96	9476.69	8492.29	2725.34	11217.63
21.	सिक्किम	237.71	22.25	259.96	218.87	46.00	264.87	307.72	41.91	349.63
22.	तमिलनाडु	6636.80	2077.61	8714.41	10835.89	1924.08	12759.97	9197.30	2609.13	11806.43
23.	त्रिपुरा	998.50	100.96	1099.46	411.50	161.28	572.78	1781.61	195.18	1976.79
24.	उत्तर प्रदेश	11436.91	7721.73	19158.64	19276.48	5797.10	25073.58	42482.52	8901.54	51384.06
25.	पश्चिम बंगाल	7046.22	1909.69	8955.90	5201.99	2505.16	7707.15	11122.85	3206.74	14329.59
	कुल (राज्य)	93761.13	36559.62	130320.75	113223.36	32873.65	146097.01	154552.79	45364.99	199917.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	विधानमंडलों वाले संघ राज्य क्षेत्र									
1.	पांडिचेरी	93.61	33.66	127.27	138.53	35.49	174.02	137.85	54.55	192.40
2.	दिल्ली	1475.25	388.14	1863.19	719.82	435.59	1155.41	1012.59	473.35	1485.94
	बिना विधानमण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए परिव्यय									
1.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	90.20	16.12	106.32	100.34	22.06	122.40	104.60	19.00	123.60
2.	दादरा व नगर हवेली	29.47	6.02	35.49	34.41	5.55	39.96	59.31	9.98	69.29
3.	चंडीगढ़	93.50	26.12	119.62	96.25	17.08	113.33	131.33	57.72	189.05
4.	लक्षद्वीप	11.75	2.77	14.52	13.25	5.91	19.16	30.05	5.01	35.06
5.	दमण व दीव	32.55	6.20	38.80	32.25	12.15	44.40	43.50	8.55	52.05
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	1526.33	479.63	2309.41	1134.85	533.83	1668.68	1519.23	628.16	2147.39

[हिन्दी]

मूल्य नियंत्रण नियम की समीक्षा

2373. **श्री रामचन्द्र बैंदा** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी०ए०वी० स्वास्थ्य अनुसंधान सोसाइटी ने जीवन-रक्षक दवाओं के संदर्भ में मूल्य नियंत्रण नियम की समीक्षा का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता

2374. **श्रीमती आभा महतो** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजादी के पहले दक्षिण बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य की कुर्मी (महतो) जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कुर्मी जाति के लोगों को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जाएगा;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त तीन राज्यों में कुर्मी (महतो) जाति की राज्यवार संख्या कितनी है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं। जनजातियों और जनजातीय समुदायों का "अनुसूचित जनजातियों" के रूप में विनिर्दिष्टीकरण संविधान के लागू होने के बाद ही उत्पन्न हुआ।

(ख) से (घ) टोटमिस्टिक कुर्मी (कुर्मी नहीं) जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देने के मामले की जांच सरकार द्वारा दिनांक 15.06.1999 को अनुमोदित रूपरेखाओं के परिप्रेक्ष्य में की जा रही है। कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है क्योंकि समय-समय पर प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

(ङ) उपलब्ध नहीं है क्योंकि भारत के जनगणना आयुक्त द्वारा केवल सूचीबद्ध अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की गणना की जाती है।

[हिन्दी]

पुराने स्मारकों का निरीक्षण

2375. **डा० चरणदास महंत** : क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अन्तर्गत ऐतिहासिक स्थलों का विभिन्न योजनाओं के तहत किया गया है और इसकी निरीक्षण रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में कितने स्थानों का निरीक्षण किया गया; और

(ग) इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच० चाओबा सिंह) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश में 282 ऐसे संरक्षित स्मारक हैं जिनका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जो कि भारत सरकार का एक विभाग है, के संबंधित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है और सक्षम प्राधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती हैं।

स्मारकों के संरक्षण की स्थिति का मूल्यांकन किया गया है तथा यथाअपेक्षित आगे की कार्रवाई की कार्यान्वयन के लिए पहचान की गई जो धनराशि तथा संसाधनों की उपलब्धता के अधीन है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, मध्य प्रदेश में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों में 514 संरचनात्मक संरक्षण निर्माण कार्य शुरू किए गए थे।

खेलों को बढ़ावा

2376. श्री हरिभाऊ शंकर महाले : क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने और अच्छे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन से कार्यक्रम शुरू किये हैं ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच० चाओबा सिंह) : केन्द्र सरकार, खेलों के संवर्धन और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित कर रही है, जो निम्नलिखित हैं :

(1) युवा व्यवस्था से ही प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों की सहायता के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजना :—

(क) राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एन०एस०टी०सी०) योजना।

(ख) सेना में बाल खेल कम्पनी (ए०बी०एस०सी०) योजना।

(ग) विशेष क्षेत्र खेल (एस०ए०जी०) योजना।

(घ) भातीरय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र योजना।

(ङ) राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना।

(च) उत्कृष्टता केन्द्र।

(2) खेल छात्रवृत्तियां।

(3) प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खेल पुरस्कार।

(4) खेल अवस्थापना का सृजन और सिंथेटिक ट्रैक/कृत्रिम हॉकी परत बिछाना।

(5) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में खेल मैदानों का विकास और खेल उपस्कर की आपूर्ति।

(6) विश्वविद्यालयों एवं कालेजों को खेलकूद के संवर्धन हेतु सहायता।

(7) स्कूलों में खेलकूद का संवर्धन।

(8) ग्रामीण खेल कार्यक्रम।

(9) खिलाड़ियों को कल्याण कोष से सहायता।

(10) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता।

(11) होनहार खिलाड़ियों तथा सहायक कार्मिकों को सहायता।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : महोदय, मैं निर्मालिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) बंगाल कैमीकल्स एण्ड फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगाल कैमीकल्स एण्ड फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी० 747/99]

(ख) (एक) फर्टीलाइजर एण्ड कैमीकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 1997 98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) फर्टीलाइजर एण्ड कैमीकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी० 748/99]

(ग) (एक) पायराइट्स, फास्फेट्स एण्ड कैमीकल्स लिमिटेड, रोहतास के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पायराइट्स फास्फेट्स एण्ड कैमीकल्स लिमिटेड, रोहतास का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल०टी० 749/99]

(3) हिन्दुस्तान इंसैक्टिसाइड्स लिमिटेड और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1999-2000 के लिए हुए समझौता ज्ञापन को एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 750/99]

(4) (एक) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल०टी० 751/99]

(6) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फार्मास्यूटिकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च, एस०ए०एस० नगर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फार्मास्यूटिकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च, एस०ए०एस० नगर का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल०टी० 752/99]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :-

(1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फार दि मैन्टली हैंडीकैप्ड, सिकन्दराबाद के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फार दि मैन्टली हैंडीकैप्ड, सिकन्दराबाद के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल०टी० 753/99]

(3) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फार दि विजुअली हैंडीकैप्ड, देहरादून के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फार दि विजुअली हैंडीकैप्ड, देहरादून के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल०टी० 754/99]

(5) (एक) अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फार दि हियरिंग हैंडीकैप्ड, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फार दि हियरिंग हैंडीकैप्ड, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल०टी० 755/99]

(7) जुलाई, 1993 से जून, 1994 की अवधि के लिए भारत में भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त के चौंतीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी० 756/99]

(9) (एक) दि इंस्टीट्यूट फार द फिजिकल्ली हैंडीकैप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हि इंस्टीट्यूट फार दि फिजिकल्ली हैंडीकैप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 757/99]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) सेंट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 758/99]

(3) (एक) वालैंट्री हेल्थ सर्विसेज, मद्रास के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 759/99]

(दो) एड्स प्रिवेंशन एण्ड कन्ट्रोल प्रोजेक्ट—वालैंट्री हेल्थ सर्विसेज, चेन्नई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी० 760/99]

(तीन) यू०एस०ए०आई०डी० प्रोजेक्ट नं० 385-0525 (ए०पी०ए०सी० प्रोजेक्ट) के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 761/99]

(चार) वालैंट्री हेल्थ सर्विसेज, मद्रास तथा एड्स प्रेवेंशन एण्ड कंट्रोल प्रोजेक्ट—वालैंट्री हेल्थ सर्विसेस, चेन्नई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 762/99]

(5) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 29 की उपधारा (3) के अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विनियम, 1999 जो 26 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० नं० 14-3/69/99-स्था० में प्रकाशित हुए थे कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी० 763/99]

(6) (एक) आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 764/99]

(8) (एक) आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की

एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल०टी० 765/99]

(9) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेन्टल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेस, बैंगलोर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेन्टल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेस, बैंगलोर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 766/99]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(क) (एक) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल०टी० 767/99]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल०टी० 768/99]

(ग) (एक) पायराइट्स फासफेट्स एण्ड केमीकल्स लिमिटेड, रोहतास के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पायराइट्स फासफेट्स एण्ड केमीकल्स लिमिटेड, रोहतास का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल०टी० 769/99]

(घ) (एक) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल०टी० 770/99]

(ङ) (एक) राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल०टी० 771/99]

(च) (एक) पारादीप फासफेट्स लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पारादीप फासफेट्स लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल०टी० 772/99]

(छ) (एक) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल०टी० 773/99]

(ज) (एक) इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बड़ोदरा के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बड़ोदरा का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (ङ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 774/99]

(3) (एक) कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी० 775/99]

(4) (एक) इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी० 776/99]

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 777/99]

(3) (एक) विश्वेस्वरैया रीजनल कालेज आफ इंजीरियरिंग, नागपुर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विश्वेस्वरैया रीजनल कालेज आफ इंजीरियरिंग, नागपुर के वर्ष 1997-98 के वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 778/99]

(5) (एक) राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन, भोपाल के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन, भोपाल के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 779/99]

(7) (एक) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, सिल्चर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, सिल्चर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 780/99]

(9) (एक) क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 781/99]

(11) (एक) नेशनल काउंसिल फार प्रमोशन आफ उर्दू लैन्गुएज, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 और वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) नेशनल काउंसिल फार प्रमोशन आफ उर्दू लैन्गुएज, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 और वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 782/99]

(13) (एक) टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, चेन्नई के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, चेन्नई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल०टी० 783/99]

(15) (एक) टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, भोपाल के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, भोपाल के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल०टी० 784/99]

(17) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल०टी० 785/99]

(19) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 786/99]

(21) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल०टी० 787/99]

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सेना और आयुध कारखाने (रक्षा सेवाएं) के 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक—संघ सरकार (1999 का संख्यांक 7) का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल०टी० 788/99]

(दो) वायु सेना और नौसेना (रक्षा सेवाएं) के 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक—संघ सरकार (1999 का संख्यांक 8) का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 789/99]

(तीन) 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (प्रत्यक्ष करों) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक—संघ सरकार (1999 का संख्यांक 12) का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 790/99]

(2) रक्षा सेवाओं के वर्ष 1997-98 के लिए विनियोग लेखाओं (संघ सरकार) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल०टी० 791/99]

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) (एक) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल०टी० 792/99]

(3) (एक) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल०टी० 793/99]

(5) (एक) नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोआपरेशन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन (खण्ड 1 और खण्ड 2) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोआपरेशन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (खण्ड 1 और खण्ड 2) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल०टी० 794/99]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) इंडियन साइन्स कांग्रेस एसोसिएशन, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन साइन्स कांग्रेस एसोसिएशन, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल०टी० 795/99]

(3) (एक) बोस इंस्टीट्यूट, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोस इंस्टीट्यूट, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल०टी० 796/99]

(5) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल०टी० 797/99]

(6) (एक) टेक्नॉलोजी डेवेलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नॉलोजी डेवेलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल०टी० 798/99]

(8) (एक) नेशनल सेंटर फार सैल साइंस, पुणे के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फार सैल साइंस, पुणे के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल०टी० 799/99]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, मद संख्या 10 पर विचार किया जाएगा ...श्री नीतिश कुमार विधेयक पेश करेंगे।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : महोदय, कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा एक घोर निंदनीय वक्तव्य दिया गया था ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री माधवराव सिंधिया, अब भी दो अन्य मुद्दे बाकी हैं जिनपर चर्चा की जानी है। हम लोग पहले उन पर विचार कर लें। फिर 'शून्य काल' प्रारंभ करेंगे।

हां, अब श्री नीतीश कुमार विधेयक पेश करेंगे।

अपराह्न 12.02 बजे

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण विधेयक*

[अनुवाद]

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पौधा संवर्धकों और कृषकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए और पौधों की नयी किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली देने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना का तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर करार के भाग-2 के अनुच्छेद 27 के पैरा 3 के उपपैरा (ख) को प्रभावी करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पौधा संवर्धकों और कृषकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए और पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली देने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना का तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर करार के भाग दो के अनुच्छेद 27 के पैरा 3 के उपपैरा (ख) को प्रभावी करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, श्रीमती वसुंधरा राजे का वक्तव्य है।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : महोदय, मुख्य मंत्री से स्पष्टीकरण लेने के बाद ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया माननीय मंत्री जी को बोलने की अनुमति दी जाये।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : नहीं, महोदय। स्पष्टीकरण हमें अवश्य मिलना चाहिए। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के वक्तव्य के पश्चात् आप इसकी मांग कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया अपनी सीट पर बैठें। हम अनुपूरक कार्य पर चर्चा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : पत्रों को सभा पटल पर रखे जाने के बाद, हमें पहले बोलने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : यह तो पूरक कार्य है। यह पहले ही परिचालित किया जा चुका है। मंत्री जी को वक्तव्य देने दीजिए।

श्री माधवराव सिंधिया : नहीं, महोदय। यह परिचालित नहीं किया गया है ... *(व्यवधान)* यह उचित नहीं है ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पूरक कार्य सूची पहले ही वितरित की जा चुकी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को वक्तव्य देने दें।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड 2, दिनांक 14.12.99 में प्रकाशित।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह्न 12.04 बजे

[अनुवाद]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

प्रियदर्शिनी मट्टू का मामला

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गहरे दु:ख की बात है कि महज 25 वर्ष की एक युवती की हत्या हो।

कि यह बात उपर्युक्त दु:ख को और बढ़ा देती है कि वह युवती ऐसे समुदाय की हो जो पहले से ही ऐसा घोर कष्ट भोग रहा हो। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाएं। पूरक कार्य सूची पहले ही परिचालित हो चुकी है।

(व्यवधान)

श्रीमती वसुंधरा राजे : यह बात उपर्युक्त दु:ख को कहीं बहुत ज्यादा बढ़ा देती है कि कोई व्यक्ति कई महीनों से उसे इतना ज्यादा सता रहा हो कि इस बारे में एक मामला दर्ज कर लिया गया हो, और उसे एक रक्षक (गार्ड) मुहैया करवा दिया गया हो और उसके बावजूद उसकी हत्या कर देनी मुमकिन हो गई हो। ... *(व्यवधान)*

यह गहरी चिन्ता की बात है कि विद्वान न्यायाधीश, अभियोजन और अन्वेषण की गुणवत्ता की कड़ी निंदा करने को मजबूर हो गए हों। ... *(व्यवधान)*

इन सभी कारणों से, मैं इस सम्मान्य सदन में व्यक्त की गई भावनाओं की कद्र करते हुए उनमें पूरी तरह शरीक हूं। जब किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा दी जाती है, तो न्याय की हत्या हो जाती है। ठीक इसी तरह तब भी न्याय की हत्या हो जाती है जब कोई दोषी व्यक्ति कानून के शिकंजे से बच निकलता है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाएं। कृपया इस बात को समझा जाए कि यह केवल पूरक कार्य है और यह पहले ही परिचालित हो चुका है।

(व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे : अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को इस मामले में हुई घटनाओं के क्रम और सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों से अवगत करवाने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : श्री माधवराव सिंधिया, आप यह मामला बार-बार उठा रहे हैं। मुझे अफसोस है। कृपया यह समझने का प्रयास कीजिए कि सभा में पूरक कार्य आरम्भ हो चुका है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री माधवराव सिंधिया का भाषण कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्रीमती वसुन्धरा राजे : सुश्री प्रियदर्शिनी मट्टू, दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में लॉ सेंटर की छात्रा थी। यह बात रेकॉर्ड में दर्ज है कि 1995 के आरंभ से ही, उसी सेंटर का एक पूर्व छात्र, संतोष कुमार सिंह उसे लगातार तंग कर रहा था। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (किसी स्त्री की मर्यादा हनन) के तहत दिनांक 6.11.1995 को मौरिस नगर पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस ने उसे एक निजी सुरक्षा अधिकारी (पी०एस०ओ०) मुहैया करवा दिया था।

सुश्री प्रियदर्शिनी 23.01.1996 को अपराह्न में बसंत कुंज में अपने घर पर मृत पाई गई। उस समय, वह अपने घर पर अकेली थी। दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड-संहिता की धारा 302 (मानव-हत्या) के तहत उसी दिन एक मामला दर्ज कर लिया। शव-परीक्षा, 25.01.1996 को अपराह्न में, सफदरजंग अस्पताल में की गई। उसी दिन शाम को, यह मामला केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो को अन्तरित कर दिया गया।

केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो ने अपने छान-बीन से उजागर हुए तथ्यों के आधार पर, भारतीय दंड-संहिता की धारा 302 (हत्या) और 376 (बलात्कार) के तहत 11.04.1996 को संतोष कुमार सिंह के खिलाफ मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली के समक्ष एक आरोप-पत्र दायर कर दिया।

सदन यह बात नोट करे कि इस मामले में अन्वेषण का कार्य जनवरी और अप्रैल, 1996 के बीच पूरा किया गया। विशेषत:, सेल्युलर एंड मोलेक्युलर बॉयोलॉजी सेंटर, हैदराबाद से डी०एन०ए० नमूने के परीक्षण का अनुरोध जनवरी 31, 1996 को किया गया और इस परीक्षण का परिणाम, 20.03.1996 को प्राप्त हुआ।

अपर सत्र न्यायाधीश, दिल्ली ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप 17.07.1997 को निर्धारित किए। इन पर विचारण 11.08.1997 को शुरू हुआ। बहस 18.04.1998 को पूरी हो गई।

श्री एस०सी० मित्तल, अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत से मामला अंतरित कर दिए जाने पर इसे 22.04.1998 को श्री जी०पी० थरेजा को सुपुर्द कर दिया गया।

कुछ अदालती गवाहों और अभियोजन तथा बचाव-पक्ष की ओर से पेश की गई नई दलीलें सुनने के बाद श्री थरेजा ने 03.12.1999 को अपना निर्णय दे दिया। उन्होंने बलात्कार के अभियुक्त को छोड़ दिया और हत्या के आरोप के संबंध में उसे संदेह का लाभ दे दिया।

ऐसा करते समय विद्वान न्यायाधीश ने अन्वेषण की पर्याप्तता के बारे में भारी शंकाएं प्रकट कीं। यह अपने आप में ही सरकार के लिए गहरी चिंता की बात है कि एक अदालत ही ऐसी शंकाएं व्यक्त करने को बाध्य हो।

बाद में, प्रेस में छपी रिपोर्टों ने यह चिंता और बढ़ा दी है। तदनुसार, तीन कदम उठाए जा रहे हैं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मुझे केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के निदेशक ने सूचित किया है और ऐसा ही उन्होंने जनता के बीच भी कहा है कि उपर्युक्त निर्णय का सावधानी-पूर्वक अध्ययन करने और मामले के संबंध में नियुक्त किए गए विशेष वकील (कॉउन्सल) सहित विधि-अधिकारियों से परामर्श करने के पश्चात्, वह इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि अभियुक्त को छोड़ दिए जाने के विरुद्ध अपील करने के पर्याप्त आधार हैं। मैं समझती हूं कि तद्नुसार, उपर्युक्त निर्णय के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में शीघ्रातिशीघ्र एक अपील दायर कर दी जाएगी।

यही प्रक्रिया कानून द्वारा निर्धारित है। जैसा कि सदन को विदित ही है, एक ही आरोप के संबंध में किसी व्यक्ति पर दोबारा मुकदमा चलाए जाने पर संवैधानिक रोक है। दिए गए निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार अपीलीय न्यायालय को ही है। ऐसा करते समय, अदालत, घटना के पहलुओं की फिर से छान-बीन करने को भी कह सकती है।

दूसरे, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के निदेशक ने यह तय करने की दृष्टि से पहले से ही मामले की जांच शुरू कर दी है कि क्या छान-बीन में कुछ खामियाँ रह गई थीं, खास तौर से, क्या किसी व्यक्ति द्वारा अभियुक्त को बचाने का प्रयास किया गया था। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहती हूं कि अगर छान-बीन में कुछ खामियाँ रह गई होंगी तो ऐसी खामियों के जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इन दो कदमों का सरोकार इस मामले से है। ये अत्यंत आवश्यक हैं। ये कदम तुरंत उठाये जा रहे हैं, ...*(व्यवधान)* लेकिन स्वाभाविक रूप से सदन और सरकार की चिंता इस भयावह और दुःखद मौत से परे कहीं बहुत आगे तक जाती है। हमें यह सुनिश्चित करने के कदम उठाने होंगे कि भविष्य में हम में से किसी को भी और न्यायालयों को भी इस तरह की शंकाओं से ग्रस्त होने का कोई भी अवसर नहीं आए। ...*(व्यवधान)* तद्नुसार, सरकार ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक को यह सलाह दी है कि वह अपने संगठन की अन्वेषण और अभियोजन संबंधी क्षमताओं को सुदृढ़ करें।

अध्यक्ष महोदय, संक्षेप में,

माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंता में सरकार पूरी तरह शरीक है;

सुधारात्मक कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं;

उपर्युक्त मामले में निर्णय के विरुद्ध अपील शीघ्र ही दायर कर दी जाएगी। ...*(व्यवधान)*

मुझे यह दृढ़ विश्वास है कि हम सभी इस अपील पर, दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे और हम सभी को यह प्रतीक्षा करनी भी चाहिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री माधवराव सिंधिया, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ०प्र०) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के माहौल में हस्तक्षेप के लिए मुझे खेद है। परन्तु, यदि अध्यक्ष महोदय, अनुमति दें तो मैं यह कहना चाहता हूं कि संसद की कार्यवाही में पूरक कार्यसूची लाने की प्रक्रिया मौजूद है। एक विवाद रहित मामले को इस प्रकार क्यों उठाया गया ? इस शोर-शराबे के बीच मंत्री महोदय ने अपना वक्तव्य पढ़ा जिसे शायद ही कोई सुन पाया होगा।

माननीय सदस्य श्री वाघेला के प्रश्न पूछने के समय भी यही हुआ। उनका प्रश्न बहुत प्रासंगिक था। मैं आपके विवेक पर संदेह नहीं कर रहा हूं परन्तु मंत्री महोदय को उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहे बगैर आप अगले प्रश्न पर चले गए।

इस प्रकार हस्तक्षेप का मुझे दुख है लेकिन इस सब से इस संस्था को गरिमा और ख्याति नहीं मिलती क्योंकि इस यह कार्यवाही को लोग देश-विदेश में देख रहे हैं। ऐसे मुद्दे पर इस प्रकार का वक्तव्य देकर सरकार को क्या मिला ? अध्यक्ष महोदय, क्या इस प्रकार सदन में पूरक कार्यसूची को अंजाम नहीं देने के प्रति सावधानी बरतेंगे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : महोदय, क्या आपने श्री चन्द्रशेखर जी की बात नहीं सुनी ?

अध्यक्ष महोदय : पूरक कार्यसूची माननीय सदस्यों को दे दी गई थी। उसके बाद ही मैंने मंत्री जी को वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया था।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, क्या मैं एक प्रश्न कर सकता हूं ? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब सदन में 'शून्य काल' की कार्यवाही चलेगी।

श्री माधवराव सिंधिया : कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुछ आपत्तिजनक और विवादास्पद वक्तव्य दिए हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने नियमों के बारे में पूछा था। यदि आप लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों का निदेश सं० 2 देखेंगे तो यह पाएंगे कि यह 'याचिकाओं के प्रस्तुतीकरण' के है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : निदेश 2 में सदन में कार्यवाही की कोटियों की अग्रता संबंधी ब्यौरा दिया गया है। निदेश 2 के अनुसार 'याचिकाओं के प्रस्तुतीकरण' के बाद ही 'मंत्रियों के वक्तव्य' पर चर्चा शुरू होगी। कृपया इस पर ध्यान दें।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि कल उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कुछ आपत्तिजनक और विवादास्पद बयान दिए हैं। ...*(व्यवधान)* हम माननीय प्रधान मंत्री जी से उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से मिले स्पष्टीकरण के बारे में जानना चाहेंगे ...*(व्यवधान)* हम चाहते हैं कि माननीय प्रधान मंत्री जी इसे सभा में उपलब्ध कराएं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रो० ए०के० प्रेमाजम

(व्यवधान)

प्रो० ए०के० प्रेमाजम (बडागरा) : महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला इस महान सदन के सामने लाना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठें। मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वे कृपया अपनी-अपनी सीट पर बैठें। अब प्रो० ए०के० प्रेजाजम।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रो० प्रेमाजम का नाम पुकारा है। मैं इसके बाद श्री माधवराव सिंधिया को पुकारूंगा। उसके बाद फिर आपको पुकारूंगा। *(व्यवधान)*

प्रो० ए०के० प्रेमाजम : महोदय, मैं आपको बोलने का अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला इस सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं। कृपया समझिए कि हमने कल भी इस मुद्दे पर चर्चा की है। अब मैंने प्रो० प्रेमाजम को पुकारा है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

प्रो० ए०के० प्रेमाजम : महोदय, एक अत्यंत दु:खद दुर्घटना कल प्रात: घटित हुई है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रो० प्रेमाजम जो कह रहे हैं उसे छोड़कर कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

प्रो० ए०के० प्रेमाजम : महोदय, कल सुबह-सुबह भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, के कठोर और लापरवाह रवैये के कारण नागर विमानन मंत्रालय और निजी कंपनी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपनी सीट पर बैठेंगे ? श्री सोमनाथ चटर्जी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने भाजपा मित्रों को परेशान करने नहीं जा रहा हूं। ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं अपने भाजपा मित्रों के बारे में कुछ भी कहने नहीं जा रहा हूं। उन्हें बेफिक्र रहना चाहिए। हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, सत्तारूढ़ दल सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहा है। सत्तारूढ़ दल सदन को अपनी कार्यवाही जारी रखने नहीं दे रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मैं आपसे अपनी सीट पर बैठने की अपील कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा। कृपया अपनी सीट पर बैठें।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, महोदय, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मित्रों के बारे में कुछ भी कहने नहीं जा रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं अपने भाजपा मित्रों के बारे में कुछ भी कहने नहीं जा रहा हूं। जब से माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है, मैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के गैर-भाजपा घटकों के बारे में यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जब वे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को समर्थन दे रहे हैं तो उन्हें अपने आपको धर्मनिरपेक्ष क्यों कहना चाहिए ...*(व्यवधान)* मैं उनसे जानना चाहूंगा कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रो० प्रेमाजम बोलें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो० प्रेमाजम के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी नहीं जाना चाहिए।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी से अपील कर रहा हूं। कृपया अपनी सीट पर जाइए।

(व्यवधान)

प्रो० ए०के० प्रेमाजम : महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे बोलने की अनुमति दी जाए। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सदन को अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

अपराह्न 12.27 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.04 बजे

लोक सभा अपराह्न दो बजकर चार मिनट पर पुन: समवेत हुई।

[डा० लक्ष्मी नारायण *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : सभापति महोदय, हमने एक सवाल उठाया था।

सभापति महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामले ले रहे हैं।

श्री माधवराव सिंधिया : सभापति महोदय, यह इसके पहले जीरो ऑवर का मामला है। उस समय हमें वहां से संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसलिए जब तक हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा ... *(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : सभापति महोदय, जीरो ऑवर समाप्त हो गया है, जहां रोज इस प्रकार की बातें चल रही हैं। रोज एक ही प्रकार की बातें चल रही हैं। ... *(व्यवधान)* यहां रोज यही चल रहा है ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : पार्लियामेंट्री मिनिस्टर यहां है।

(व्यवधान)

श्री किरीट सोमैया : पार्लियामेंट्री मिनिस्टर का प्रश्न नहीं है ... *(व्यवधान)* ये किस रूल के तहत उठा रहे हैं ... *(व्यवधान)* यह जीरो ऑवर नहीं है ... *(व्यवधान)* हम विपक्ष से यह जानना चाहते हैं कि वे जांच करवाना चाहते हैं या नहीं ... *(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि मैं पता लगा रहा हूं, आप थोड़ा धैर्य रखिये। एक कमिटमैंट हाउस को आया है कि पता लगाकर हाउस को विश्वास में लेकर वस्तु-स्थिति को प्रकाश में लायेंगे ... *(व्यवधान)*

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, हम लोगों को भी बोलने का मौका दिया जाए ... *(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : जब तक प्रधान मंत्री जी इस कमिटमैंट को पूरा नहीं करते तब तक मैं सोचता हूं। कि हाउस को *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अध्यक्ष महोदय जब आसंदी पर थे तब शून्यकाल समाप्त हो चुका था। अब हम नियम 377 के अधीन मामले ले रहे हैं। उन्होंने स्वयं घोषणा की थी कि अब शून्यकाल समाप्त हो रहा है।

श्री माधवराव सिंधिया : नहीं सर, यह उनका हाउस को आश्वासन है, यह आश्वासन प्रधान मंत्री जी को पूरा करना चाहिए। नहीं तो पार्लियामेंट्री प्रक्रिया भंग हो रही है।

सभापति महोदय : अध्यक्ष महोदय ने जो एक व्यवस्था दी है उसके अनुसार मैं काम कर रहा हूं। अब हम नियम 377 के अधीन विषय लेंगे।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : सभापति महोदय, यह सदन की कार्यवाही का शब्दश: वृत्तान्त मेरे हाथ में है। इसमें उन्होंने कहा है—"मैं पता लगा रहा हूं। धैर्य रखिए।" इसका मतलब ही यह है कि वे पूरी जानकारी लेकर इस सदन में प्रस्तुत करेंगे। आज सदन में प्रधान मंत्री जी नहीं आए। यदि वे आज सदन में इस बारे में पूरी जानकारी प्रस्तुत नहीं करते, तो पूरे सदन का अपमान होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री जी सदन में आएं और हमें इसके बारे में जानकारी दें। यह हम सब की मांग है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सदन एडजर्न्ड होने के पहले काफी चर्चा हो चुकी थी और तब सदन स्थगित किया गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय ने इसके ऊपर अपनी व्यवस्था भी दी थी।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : यहां पर संसदीय कार्य मंत्री मौजूद थे। अध्यक्ष महोदय ने अपनी व्यवस्था दे दी है।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : सभापति महोदय, हमको पूरी जानकारी चाहिए। प्रधान मंत्री महोदय द्वारा फ्लोर आफ दि हाउस पर जो आश्वासन दिया गया है, उसके अनुसार उन्हें यहां आ कर आज जवाब देना चाहिए। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हम नियम 377 के अधीन विषय ले रहे हैं। यह शून्य-काल नहीं है।

(व्यवधान)

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : सभापति महोदय, इनकी सरकार क्या करती रही ? उस समय माधवराव जी कहां थे जब बाबरी मस्जिद गिराई जा रही थी ? ... *(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : सभापति जी, कल प्रधान मंत्री यहां आए। "अयोध्या" विषय के संबंध में उनको जो कहना था, वह उन्होंने स्पष्टरूप से कह दिया। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : विनय कटियार जी, आप बैठिए। मंत्री जी बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : सभापति महोदय, हम संसदीय कार्य मंत्री महोदय से केवल यह जानना चाहते हैं कि यह जानकारी देने के लिए प्रधान मंत्री जी यहां कब उपस्थित होने वाले हैं ? हम सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि वे किस समय और कब यहां आने वाले हैं और जो जानकारी देने के लिए उन्होंने कल कहा था, वह जानकारी कब देने वाले हैं ? हम संसदीय कार्य मंत्री जी को नहीं सुनना चाहते हैं। हम तो सिर्फ प्रधान मंत्री महोदय इस सदन में कब उपस्थित होने वाले हैं, यह जानना चाहते हैं ? ... *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : सभापति महोदय, पहले झा साहब को सुनिए। फिर हमें भी सुनिए। ... *(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : सभापति महोदय, प्रधान मंत्री जी ने जो कल यहां स्पष्टीकरण दिया था वह मैंने देखा है, उसमें प्रधान मंत्री ने यह कहीं नहीं कहा है कि "इस बारे में मैं फिर आकर सदन में बताऊंगा।" ... *(व्यवधान)*

वह काम-काज मैंने देखा है, उसमें प्रधान मंत्री ने "मैं यहां आकर फिर सदन में कुछ बताऊंगा" ऐसा आश्वासन नहीं दिया है, उनके आने का प्रश्न ही नहीं उठता। ... *(व्यवधान)*

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उन्होंने कहा है, वे पता लगाकर फिर बतायें। ... *(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : इसमें क्या लिखा है, यह हाउस के रिकार्ड में है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : संसदीय कार्य मंत्री ने स्थिति स्पष्ट कर दी है।

(व्यवधान)

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : उन्हें सदन को विश्वास में लेना चाहिए ... *(व्यवधान)*

श्री पी०एच० पांडियन (तिरूनेलवेली) : प्रधान मंत्री ने सदन में वचन दिया था। प्रधान मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री की राय जानने के बाद, वह सदन को जानकारी देंगे ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया : उसका क्या मतलब है। ... *(व्यवधान)* यह पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स है।

श्री किरीट सोमैया : अभी अपने माननीय विपक्ष के सदस्यों को सुना। ये हाउस का काम-काज चलने देना चाहते हैं या नहीं ? *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अपनी ओर से स्पष्टीकरण दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : ये कुछ परम्पराएं हैं, इस तरह से हाउस कैसे चलेगा ? ... *(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया : वास्तव में विपक्ष से इतना ही पूछना चाहिए कि वे सदन का काम-काज चलाने देना चाहते हैं या नहीं। आपके द्वारा बार-बार एक ही विषय को लेकर कोई न कोई इस प्रकार का विषय उठाया जाता है। ... *(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : उन्होंने कहा है कि मैं पता लगा रहा हूं, आप धैर्य रखें। ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : दूसरा कोई विषय उठाया नहीं जा रहा।

श्री किरीट सोमैया : विपक्ष के पास कोई बिन्दु नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। ... *(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : संसदीय कार्य मंत्री हमको बता दें कि प्रधान मंत्री जी सदन में कब आ रहे हैं। ... *(व्यवधान)* उनको जो कुछ कहना है, वे कहें। हम यह थोड़े ही कह रहे हैं कि एक ही बात कहें। हम तो जानकारी लेने के लिए कह रहे हैं। ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री जी यहीं हैं, वे आपकी बात सुन रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : माननीय सभापति महोदय, केवल प्रधान मंत्री जी यहां आकर अपने वक्तव्य को पूरा करें। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था कि कल तक हम पता लगाकर हाउस को बताएंगे। आज उसका क्या परिणाम आ रहा है, यह बताइये ? *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं तो सदन से अनुरोध कर रहा हूं कि 377 लिया जाये अथवा नहीं। 377 की कार्यवाही लेनी है, 377 के बारे में आप तय करिये। उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया। संसदीय कार्य मंत्री ने बहुत साफ-साफ अपना स्पष्टीकरण दिया है। अपनी बात साफ कही है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपनी बात समाप्त करिये।

श्री माधवराव सिंधिया : हमें संसदीय कार्य मंत्री बता दें कि प्रधान मंत्री कब यहां उपस्थित हो रहे हैं, जो जानकारी देने वाले थे, वह जानकारी हमको कब दी जायेगी, इसकी जानकारी दें, यह हम चाहते हैं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हम 377 पर चर्चा करना चाहते हैं। कृपया वह चर्चा करने दीजिए।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : प्रधान मंत्री जी ने जो बयान दिया था, हम केवल यह सुनना चाहते हैं कि उन्होंने क्या पता लगाया, क्या जानकारी हासिल की और वे हाउस को क्या बताना चाहते हैं। *(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : उन्होंने सदन में कहा है, यह रिकार्ड पर है।

सभापति महोदय : सदन में जो कुछ कहा है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने उसको दोहरा दिया है। संसदीय कार्य मंत्री ने वह कहा है, जो उन्होंने कहा है।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : वरना हमारे यहां बैठने का कोई मतलब नहीं है। *(व्यवधान)* हम तो प्रोसीडिंग्स कोट कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब यह चर्चा का विषय नहीं है। हमारे सामने चर्चा का विषय 377 है। अब कोई बात रिकार्ड पर नहीं जायेगी।

*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : काफी हो चुका है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : संसदीय कार्य मंत्री ने स्थिति साफ कर दी है, जो कुछ प्रधान मंत्री ने कहा है, उसका उन्होंने उल्लेख भी किया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : पहले आप व्यवस्था के अनुसार चलिये! मैंने 377 में नाम बुलाया है। मैं 377 के लोगों को बुलाना चाहता हूं। पहले आप व्यवस्था की बात करिये, हम 377 ले रहे हैं, 377 लेने दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : संसदीय कार्य मंत्री को जो कुछ कहना था, माननीय मंत्री महोदय ने वह बात कह दी है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह चर्चा का विषय नहीं है। हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : व्यवस्था के अनुसार चलिए। पहले नियम 377 के अधीन सूचनायें होने दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने व्यवस्था दी है, पहले 377 होगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कोई भी बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : पहले अध्यक्ष महोदय पीठासीन थे, उन्होंने बात सुनी और सुनकर शून्यकाल में समाप्ति की बात कही है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह जीरो-आवर नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अपने स्थान पर जाइए। आप व्यवस्था बनाये रखें। कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी ओर से बात कह दी गई थी और संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्टीकरण भी दे दिया है। जो कुछ माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था, उन्होंने साफ-साफ शब्दों में कहा है। उसका आप दूसरा अर्थ निकालते हैं, तो बात दूसरी है।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : चतुर्वेदी जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप व्यवस्था बनाइए। पहले 377 लेंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सदन की कार्यवाही आगे चले। सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सदन चलेगा, तो देश पर चर्चा होगी।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सदन में ठीक से चर्चा होगी, तो देश पर चर्चा होगी।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सदन की कार्यवाही ठीक से चलने दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : नियम 377 पर चर्चा प्रारम्भ करनी है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जब हाउस ठीक से चलेगा तभी बात होगी।

(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह (जालौर) : पहले प्रधानमंत्री जी स्पष्टीकरण दें, फिर हाउस चलेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : बूटा सिंह जी, यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कुछ कहना था, वह कह दिया।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप सभी लोग कृपया अपने-अपने स्थान पर चले जाइए।

(व्यवधान)

अपराह्न 2.22 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में रानीताल और नैना देवी के बीच रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि०प्र०) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के मेरे लोकसभा क्षेत्र हमीरपुर के जिला बिलासपुर की श्री नैना देवी जी, बाबा बालक नाथ जी, जिला कांगड़ा में बृजेश्वरी देवी (नगरकोट की माता) जी, ज्वालामुखी में ज्वाला माता जी, चिन्तपुरणी माता जी आदि ऐसे अनेक स्थल हैं जिनका पौराणिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व है और उनकी महत्ता एवं मान्यता हजारों वर्षों से चली आ रही है जिनको संपूर्ण भारत और विशेषकर उत्तर भारत के राज्य हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जनता पूजती है। फलस्वरूप वर्ष भर इन स्थानों पर मैले एवं भव्य आयोजन होते रहते हैं और लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शनार्थ आते हैं, किन्तु ये स्थान रेलवे से जुड़े न होने के कारण लाखों की संख्या में देशी और विदेशी श्रद्धालु एवं पर्यटक इसलिए दर्शनों से वंचित हो जाते हैं क्योंकि वे बस की यात्रा नहीं कर सकते हैं।

देश की आजादी के 50 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में रेलवे में मात्र कुछ किलोमीटर ऊना रेलवे लाइन की गणना यदि न की जाए, तो रेलवे का विकास शून्य है। इसलिए मेरा रेल मंत्री महोदय से आग्रह है कि उक्त स्थानों पर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए रानीताल से ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से शाहतलाई और शाहतलाई से श्री नैना देवी जी तक रेलवे लाइन, जो तीन अलग-अलग टुकड़ों में बनेगी, जिनकी लम्बाई क्रमश: 15, 50 एवं 20 किलो-मीटर है, इनको बनाएं ताकि उक्त स्थान देश एवं विदेश से जुड़ सकें और हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी रेल की प्रगति का लाभ मिल सके।

(दो) उत्तर प्रदेश में आयोध्या और श्रावस्ती के बीच की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री बृज भूषण शरण सिंह (गोण्डा) : महोदय, भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या व गौतम बुद्ध की तपोभूमि श्रावस्ती का सम्पर्क मार्ग पर्यटन की दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में परिवर्तित होना अत्यंत आवश्यक है।

सदन के माध्यम से जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट करते हुए अयोध्या से श्रावस्ती सम्पर्क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा प्रदान करने की मांग करता हूं और पर्यटन मंत्रालय से गोंडा में एक होटल निर्माण की भी मांग जनहित में करता हूं।

(तीन) जबलपुर-पाटन-ललितपुर-झांसी के बीच नई बड़ी रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

श्री राम नरेश त्रिपाठी (सिवनी) : सभापति जी, पांचवीं पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश ने 29 नई रेल लाइनों के निर्माण की सिफारिश

केन्द्र से की थी। जिसमें जबलपुर, पाटन, दमोह, टीकमगढ़, ललितपुर, झांसी (नया ब्रॉडगेज) रेल मार्ग शामिल है। यह रेल मार्ग जबलपुर से सीधा दिल्ली को जोड़ता है तथा दूरी भी काफी कम करता है। वर्तमान में जबलपुर झांसी दिल्ली जो रेलमार्ग जाता है उसमें जबलपुर से झांसी को जोड़ने वाले रेल मार्ग की दूरी ही लगभग 500 कि०मी० से अधिक है। ये मार्ग कटनी, दमोह, बीना पर से लम्बा चक्कर लगाता हुआ झांसी पहुंचता है। इसके स्थान पर यदि जबलपुर से पाटन, तेंदूखेड़ा, दमोह, वाटियागढ़, शाहगढ़, टीकमगढ़, झांसी रेलमार्ग निर्मित किया जाये, तब आधे समय तथा आधी दूरी की बचत होगी। साथ ही जबलपुर से दिल्ली के लिये सीधी ट्रेन भी चल सकेगी। जिसे बाद में गौंदिया तक भी बढ़ाकर महाराष्ट्र से जोड़ा जा सकता है। महोदय, जबलपुर शहर भारतवर्ष का केन्द्र बिंदू है। जबलपुर देश में सबसे बड़ा शैक्षणिक केन्द्र भी है। यहां पर सुरक्षा संबंधी अनेक कल कारखाने भी हैं। जबलपुर और दिल्ली का चोली दामन का साथ है। जबलपुर में पवित्र नर्मदा नदी भी बहती है जिसके किनारे विश्व प्रसिद्ध मार्बल रोक्स नाम की पहाड़ियां हैं जो दुनिया का सबसे सुन्दरतम चमत्कार है जिन्हें विदेशी पर्यटक देखना चाहते हैं। परन्तु रेलों की व्यवस्था ठीक न होने के कारण देख नहीं पाते। प्रस्तावित रेल मार्ग से दिल्ली से जबलपुर तो सीधा जुड़ेगा ही, साथ ही दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ जैसे रेलमार्ग विहीन जिले रेल मार्ग से जुड़ जायेंगे। रेल मंत्री से अनुरोध है कि इस प्रस्तावित रेल मार्ग का शीघ्र सर्वे कराकर कार्य कराने का कष्ट करें।

अपराह्न 2.26 बजे

इस समय, श्री कोडीकुनील सुरेश तथा सरदार बूटा सिंह आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नियम 377 के अन्तर्गत आज के लिए सूचीबद्ध शेष मामलों को सभा पटल पर रखे गये मामले माना जाय।

(व्यवधान)

(चार) केरल में निलम्बूर और नन्जनगुड के बीच रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

***श्री के० मुरलीधरन** (कालीकट) : महोदय, मैं केरल के उत्तरी भाग में रेल विकास से संबंधित मामला उठाना चाहूंगा। स्वतंत्रता के बाद से आज तक इस क्षेत्र में कोई भी नई रेल लाइन नहीं बिछाई गई है। नीलाम्बर रोड टर्मिनल को नन्जनगुड कस्बे से जोड़ने की मांग पर शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है। यह प्रस्तावित रेल सम्पर्क वायानाड होते हुए संभव है जिसके लिए नीलाम्बर को प्रस्तावित नन्जनगुड सुल्तान बथेरी-कलपेट्टा-विथिरी-पूजीथोडे-बडागरा लाइन से जोड़ने की आवश्यकता है। इस लाइन का सर्वेक्षण कार्य भी पूरा हो चुका है। इस लाइन को नीलाम्बर से जोड़ने का सर्वेक्षण कार्य अभी शुरू किया जाना है। नीलाम्बर-मन्जेरी-फीरोक लाइन का भी सर्वेक्षण हो चुका है। सिर्फ 50 कि०मी० लम्बी दूरी वाली नीलाम्बर से मुन्डारी होते हुए वायानाड लाइन का प्रस्तावित सम्पर्क कन्याकुमारी-त्रिवेन्द्रम-बंगलौर और कोंकण लाइन को जोड़ देगा। उस लाइन के बन जाने से आर्थिक विकास में बढ़ोत्तरी होगी तथा यह बंगलौर और कोचीन, दोनों औद्योगिक शहरों के बीच सबसे छोटी रेल लाइन होगी। वायानाड जिले का रेल सम्पर्क राज्य की राजधानी त्रिवेन्द्रम से जुड़ जाएगा। इस लाइन से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से सबरीमाला मन्दिर जाने वाले तीर्थयात्रियों को फायदा होगा और वे कम से कम समय में वहां पहुंच जाएंगे। इस लाइन से पर्यटक क्षमता अत्यधिक बढ़ जाएगी क्योंकि इससे बंगलौर-श्रीरंगपट्टनम-मैसूर-वायानाड-कोचीन-त्रिवेन्द्रम और कन्याकुमारी जुड़ जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह लाइन कोंकण रेल लाइन की एक कारगर बाई-पास लाइन का काम कर सकती है। मुझे पूरी आशा है कि रेल मंत्रालय देश के वृहत्तर हित में नीलाम्बर और नन्जनगुड के बीच इस महत्वपूर्ण रेल सम्पर्क की महत्ता पर अवश्यक ध्यान देगा क्योंकि इससे कश्मीर और कन्याकुमारी के बीच की दूरी भी कम हो सकती है।

*सभा पटल पर रखा गया।

(पांच) केन्द्रीय सड़क निधि को शासित करने वाले संशोधित संकल्प के अनुसार कर्नाटक सरकार को धनराशि दिए जाने की आवश्यकता

***श्री ए० वेंकटेश नायक** (रायचूर) : महोदय, 1998 में संसद द्वारा पारित केन्द्रीय सड़क कोष को शासित करने वाले संशोधित संकल्प के अनुसार 123 करोड़ रु० मूल्य के मूल पेट्रोल और डीजल के पांच प्रतिशत का उपयोग केन्द्रीय सड़क कोष में वृद्धि करने के लिए किया जाना चाहिए जबकि अभी तक स्वीकृत की गई योजनाएं केवल 13.45 करोड़ रुपए की ही हैं। अभी लगभग 110 करोड़ रुपए जारी नहीं किए गए हैं।

सीमित संसाधनों के कारण कर्नाटक राज्य सरकार के लिए राज्य राजामार्गों का विकास करना तथा राजामार्गों के ऊपर स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व बने अनेक पुराने और सकरे पुलों का पुनर्निर्माण करना संभव नहीं हो पाया है। इससे गत दो दशकों के दौरान बढ़ते हुए यातायात का त्वरित आवागमन बाधित हुआ है और इसकी परिणति बचाई जा सकने वाली दुर्घटनाओं में हुआ है।

उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए, मैं माननीय जल-भूतल परिवहन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह संसद द्वारा पारित केन्द्रीय सड़क कोष को शासित करने वलो संशोधित संकल्प को क्रियान्वित करने पर विचार करें तथा कर्नाटक राज्य सरकार को शीघ्र ही 110 करोड़ रुपए की शेष धनराशि जारी करें।

(छः) केरल में खादी बुनकरों की हालत सुधारने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

***श्री टी० गोविन्दन** (कासरगौड़) : मैं सरकार का ध्यान खादी बुनाई उद्योग द्वारा सामना किए जा रहे संकट की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद बेरोजगारी की गम्भीरता ने गांव के लाखों गरीब लोगों, विशेषकर महिलाओं को खादी बुनाई के क्षेत्र में जीविकोपार्जन करने के लिए बाध्य कर दिया है। हाल में, अनेक कारणों की वजह से उत्पादन लागत बढ़ गई है और साथ ही खादी उत्पादों की बिक्री भी प्रभावित हुई है।

*सभा पटल पर रखा गया।

[श्री टी० गोविन्दन]

आज खादी बुनकरों को केवल 15 रुपए से 25 रुपए तक दिहाड़ी मिलती है जो असल में हस्तकरघा क्षेत्र में दी जाने वाली दिहाड़ी के मुकाबले काफी कम है। इसके कारण, खादी बुनकारों को बाध्य होकर हस्तकरघा क्षेत्र में जाना पड़ता है। यह स्खलन उन लोगों से हो रहा है जिन्हें खादी बोर्ड के अंतर्गत दक्ष प्रशिक्षण प्राप्त है। उन्हें खादी क्षेत्र में लगाए रखने का एकमात्र रास्ता उनको उचित और पर्याप्त दिहाड़ी प्रदान करना है। लेकिन, यदि आप उनकी दिहाड़ी बढ़ाते हैं तो उससे उत्पादन लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और साथ ही, बिक्री भी कम नहीं होनी चाहिए। इसलिए ऐसे सन्निकट संकट के समाधान हेतु इस क्षेत्र में किसी तरह का कोई प्रोत्साहन लागू किया जाना चाहिए। साथ ही, वह अनुदान के रूप में होना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम का क्रियान्वयन संभव बनाने तथा कामगारों को प्रोत्साहन के रूप में उनकी दिहाड़ी में 10 प्रतिशत वृद्धि करने के लिए केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से प्रति एक वर्ष के लिए 18 लाख रुपए देने का अनुरोध किया है। मेरा अनुरोध है कि केरल राज्य को उक्त धनराशि मंजूर करने के लिए त्वरित गति से कार्यवाही की जाए।

(सात) आन्ध्र प्रदेश में महीमाडुगु में कृष्णा नदी पर पुल बनाए जाने की आवश्यकता

***डा० मन्दा जगन्नाथ** (नगर कुरनूल) : वर्तमान में, देवरकोंड, मल्लापाली, नागार्जुन सागर और मचरेला के रास्ते महबूब नगर और गुंटूर जिलों के बीच सड़क से सम्पर्क है। जहां तक दूरी का संबंध है, यह सड़क बहुत लम्बी है क्योंकि नागार्जुन सागर बांध के अलावा कृष्णा नदी पर कोई बांध नहीं है। यदि अचमपेटा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के महीमाडुगु में कृष्णा नदी के बांये छोर से माचेर्ला विधान सभा के दांये छोर तक सड़क पुल का निर्माण किया जाए तो महबूब नगर और गुंटूर जिलों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर से अधिक कम हो जाएगी। इससे लोगों का न केवल समय बचेगा अपितु हम उस बेशकीमत डीजल और पेट्रोल को भी बचा सकेंगे जिसका हम आयात करते हैं।

हम विदेशी मुद्रा भी बचा सकेंगे। समय के अलावा, वाहनों की टूट-फूट से भी बचा जा सकेगा। इस पुल का निर्माण करने से आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के बीच की दूरी भी कम हो जाएगी।

अत: मैं आपके माध्यम से जल भूतल परिवहन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि महीमाडुगु में कृष्णा नदी पर एक पुल का निर्माण जनहित में करने के लिए तत्काल सर्वेक्षण कार्य शुरू किया जाए।

(आठ) देश में नवोदय विद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को आरक्षण का लाभ दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

***श्री धर्म राज सिंह पटेल** (फूलपुर) : महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार भारत सरकार चरणबद्ध रीति से जवाहर नवोदय विद्यालय (ज०न०वि०) खोलती जा रही है जो पूर्णतया सहशिक्षा वाले आवासीय विद्यालय हैं। अब तक पूरे देश में 408 विद्यालय प्रत्येक जिले में एक लक्ष्य के अनुसार खुल चुके हैं। सत्र 1999-2000 में 50 विद्यालय और खोले जा रहे हैं। इन विद्यालयों का लक्ष्य मेधावी छात्रों को उचित शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना है जिसमें मात्र कक्षा छ: में प्रवेश के माध्यम से प्रवेश लिया जाता है। यही कक्षा छ: में प्रविष्ठ बच्चे कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में बैठते हैं।

संविधान के अनुसार प्रत्येक प्रवेश परीक्षा एवं चयन में आरक्षण की व्यवस्था है किन्तु इन नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यार्थियों तथा लड़कियों को तो आरक्षण की सुविधा प्रदान की जा रही है किन्तु किसी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए स्थानों के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि प्रत्येक नवोदय विद्यालयों में 80 छात्रों के कक्षा छ: में प्रवेश का नियम है। यदि केवल 408 नवोदय विद्यालयों में प्रत्येक वर्ष 32640 छात्र प्रवेश लेते हैं तो उनमें 27 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्ग के 8813 छात्रों के प्रवेश का संवैधानिक अधिकार का प्रत्येक वर्ष हनन हो रहा है। सबसे अधिक हानि उ०प्र० के पिछड़े वर्ग के छात्रों को है। 152 विद्यालयों के प्रति 1144 छात्र, दूसरे स्थान पर बिहार के पिछड़े वर्ग को 48 विद्यालयों के प्रति 1056 छात्र तथा तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग के छात्रों का 45 विद्यालयों के प्रति 990 छात्र प्रतिवर्ष इससे वंचित हो रहे हैं।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चों को पूरे देश के नवोदय विद्यालयों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करें।

(नौ) सरकारी नौकरियों में भर्ती संबंधी विज्ञापन क्षेत्रीय भाषाओं और स्थानीय समाचार पत्रों में दिया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

***श्री सुरेश रामराव जाधव** (परभनी) : कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 140242/96-प्र० (डी) दिनांक 18 मई, 1998 के पैरा 2 और 3 के अनुसार सभी सरकारी उपक्रम व सरकारी कार्यालय भर्ती हेतु अपने विज्ञापन केवल बड़े अंग्रेजी समाचार पत्रों तथा रोजगारी समाचार के द्वारा विज्ञापित करते हैं। जबकि दिनांक 14-4-1961 को सभा पटल पर रखे गए भर्ती नीति टिप्पण में स्पष्ट उल्लेख है कि भर्ती हेतु विज्ञापन स्थानीय भाषा में तथा क्षेत्रीय भाषा समाचार पत्रों में भी दिए जाएंगे। क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों में भर्ती हेतु विज्ञापन न दिए जाने के कारण स्थानीय समाचार पत्र पढ़ने वाले स्थानीय अभ्यार्थी आवेदन करने से वंचित हो जाते हैं। अत: इस सदन के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि भर्ती हेतु विज्ञापन क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों में भी विज्ञापित किए जाएं तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 18 मई, 1998 के कार्यालय ज्ञापन को संशोधित किया जाए।

(दस) मध्य रेलवे के चित्रकूटधाम करवी रेलवे स्टेशन पर एक नये प्लेटफार्म और ऊपरि पुल के निर्माण की आवश्यकता

***श्री राम सजीवन** (बांदा) : महोदय, मध्य रेलवे के झांसी डिवीजन के अन्तर्गत बांदा सैक्शन में चित्रकूट धाम करवी एक अति महत्वपूर्ण

*सभा पटल पर रखा गया।

*सभा पटल पर रखा गया।

रेलवे स्टेशन है। परन्तु इस स्टेशन पर दूसरे नम्बर का कोई प्लेटफार्म और रेल लाइन नहीं होने के कारण रेल यात्रियों को अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। दो ट्रेनों के एक साथ स्टेशन पर खड़े होने से यात्रियों को चढ़ने-उतरने में बड़ी कठिनाई होती है। अक्सर यात्रियों को चोट लगती है, घालय होते हैं और अंग भंग होते हैं। इससे बच्चे, बूढ़े और महिलाएं अक्सर दुर्घटनाओं की शिकार होती हैं। रेल पटरी पर कोई प्लेटफार्म और पैदल ऊपरगामी पुल नहीं होने के कारण लोगों को पटरी पार करके जाना पड़ता है जो कानूनन अपराध है। इसलिए इस मझोले स्तर के प्लेटफार्म और तीसरी रेल पटरी का निर्माण अति आवश्यक है। मध्य रेलवे के अधिकारीगण इसके महत्व को स्वीकार करते हुए विगत सात-आठ वर्षों से तीसरी रेल लाइन, उस पर नए प्लेटफार्म तथा एक ऊपरगामी पैदल पारपथ (पुल) के निर्माण हेतु स्वीकृति देने का प्रस्ताव भी भेज रहे हैं। परन्तु अभी तक सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। यह भी ज्ञात हुआ है कि तीसरी रेल लाइन डाले बिना और ऊपरगामी पुल के बिना ही दूसरी पटरी पर रेल पटरी स्तर का प्लेटफार्म बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है जिससे धन बरबाद होगा और जनता को कोई राहत नहीं मिलेगी।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि एक ऊपरगामी पुल सहित तीसरी रेल लाइन और नए प्लेटफार्म का निर्माण शीघ्र करा दिया जाए।

(ग्यारह) केरल में पर्यटन के विकास के लिए विशेष धनराशि मंजूर किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

***श्री पी०सी० थामस** (मुवत्तुपुजा) : पर्यटन उद्योग को प्रदूषण के बिना बढ़ाया जा सकता है। घनी आबादी वाले राज्यों, जिनमें पर्यटन के लिए पर्याप्त गुंजाइश है, में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष सहायता दी जाए। केरल एक बहुत ही सुंदर राज्य है जिसमें पर्यटन को बढ़ावा देने की काफी गुंजाइश है। केरल में अप्रवाही जल, पहाड़ी क्षेत्रों, झरनों, सदाबहार आकर्षक हरित स्थलों आदि का पर्याप्त भंडार है।

कोट्टयम जिले के पूर्वी क्षेत्रों में 'इलवाझहा पुंचीरा', एल्लीकलकल्लु, अच्चमपाड़ा, मेचल, वाधमोन और ऐसे कई स्थल हैं जिनमें पर्यटन की काफी गुंजाइश है। सरकार को इन क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए विशेष दल भेजने चाहिए। यदि सरकार विशेष पर्यटन विकास निधि का सृजन करके सड़क जैसी आधारभूत सुविधाएं विकसित करती है तो वहां अन्य विकास संबंधी कार्यों को भी शुरू किया जा सके। सरकार को इस संबंध में तत्काल सकारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सभा की कार्यवाही को चलाने का यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सभा की बैठक अपराह्न 4 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

---

*सभा पटल पर रखा गया।

अपराह्न 2.26 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 4 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 4.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 4.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए***]**

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह (जालौर) : सभापति महोदय, बी०जे०पी० के मुख्यमंत्री ने धर्म के नाम पर आतंक पैदा किया है। ... *(व्यवधान)* प्रधान मंत्री को सदन में बुलाया जाए। ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सदन की कार्रवाई शुरू करने दी जाए। इसके बाद आप बोलेंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अभी सदन की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कृपया बैठ जाएं। जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, उसके बाद जो बोलना होगा, बोलें। केवल एक माननीय सदस्य उठ कर बोलेंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया आसन ग्रहण करें। सदन की कार्रवाई अब शुरू की जाती है। अब सदन में नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू की जाती है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपका क्या कहना है ?

(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : हम केवल प्रधान मंत्री जी की बात सुनना चाहते हैं। वह पहले सदन में आकर बयान दें। इसके बाद ही सदन की कार्रवाई चलने दी जाएगी। ... *(व्यवधान)* प्रधान मंत्री ने कल आश्वासन दिया था। उनको यहां बुलाया जाए। ... *(व्यवधान)* वह एक वक्तव्य दें। बी०जे०पी० के मुख्यमंत्री और प्रधान मंत्री ने देश को गुमराह किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रधान मंत्री यहां आकर स्पष्टीकरण दें। इसके बाद ही सदन की कार्रवाई चलेगी। ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया आसन ग्रहण करें।

(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देश को गुमराह किया है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : एक साथ सभी माननीय सदस्य बोलेंगे तो कैसे हाउस चलेगा। कोई एक माननीय सदस्य यहां बोले।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : सभापति महोदय, यह एक गम्भीर बुनियादी मामला है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अभी माननीय सदस्य आसन ग्रहण करें। केवल एक माननीय सदस्य बोलें।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : सभापति महोदय, यह मामला बहुत ही बुनियादी और गम्भीर है। कल प्रधान मंत्री ने पूरे हाउस में एक कमिटमैंट दिया। पार्लियामैंटरी प्रोसिजर और परम्पराओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हमें नियम 193 चलाना है। कृपया आसन ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : ससे हमारी संसदीय प्रणाली को बहुत क्षति पहुंची है। अगर इस तरह से उनका उल्लंघन होगा तो पार्लियामैंटरी प्रोसिडिंग, कनवैंशन और प्रिंसिपल को क्षति पहुंचेगी। ... *(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह : सभापति महोदय, आज सदन की कार्रवाई में गतिरोध पैदा करने वाले प्रधान मंत्री हैं, हम नहीं हैं। ... *(व्यवधान)*

प्रधान मंत्री ने इसी सदन में कहा है कि तथ्यों की जांच करके सदन को बताएंगे। आज़ सुबह से प्रधान मंत्री सदन में नहीं आ रहे हैं। हमारी प्रार्थना है कि प्रधान मंत्री को बुलाएं और उनका बयान हो। *(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : प्रधान मंत्री कब आ रहे हैं, वह बताएं। ... *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : प्रधान मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया था *(व्यवधान)* प्रधान मंत्री ने कहा था कि पता करके सदन में आएंगे और हम लोगों को बताएंगे। ... *(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : संसदीय कार्य मंत्री हमको बता दें कि प्रधान मंत्री कब आ रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : सभापति जी, इनकी बात क्यों सुनी जा रही है? *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : हम चाहते हैं कि जो आश्वासन प्रधान मंत्री ने सदन को दिया है, उस बारे में आकर बताएं। ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है, आपने सवाल उठाया है। आप बैठ जाएं।

श्री बसुदेव आचार्य : मुख्य मंत्री ने जो बयान दिया था, हम उस बारे में जानना चाहते हैं। ... *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन के मुताबिक सदन उनसे जानकारी लेना चाहता है।

श्री बसुदेव आचार्य : प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया कि पता करेंगे और सदन को बताएंगे। हम चाहते हैं कि प्रधान मंत्री जी सदन में आकर बताएं कि उसकी क्या स्थिति है। कल जो आश्वासन हमें दिया, उसके बारे में क्या हुआ? यह बुनियादी सवाल है।

सभापति महोदय : आपने सवाल उठा दिया। अब आसन ग्रहण कीजिए।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : सभापति जी, प्रधान मंत्री जी ने जो कहा था उस बारे में आज सदन उठने से पहले यहां आकर वह सदन को अवगत कराएंगे। ... *(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : कब आने वाले हैं प्रधान मंत्री जी? हमें पूरी जानकारी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि वह पता लगाएंगे। ... *(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : आपने जो भी प्रश्न उठाए हैं, उसके संबंध में वह यहां आकर उत्तर देंगे।

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : हमें मालूम हो कि वज़ीरे आज़म कब आएंगे? ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन को बता दिया है कि सदन उठने से पहले आएंगे। अब बहस आगे बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : समय तो बताना चाहिए कि कब आ रहे हैं? तब हम यहां उपस्थित रहेंगे। ... *(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : जब चर्चा समाप्त करने का समय तय है, तब आ जाएंगे।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट (दौसा) : महोदय, इससे विषय की गम्भीरता और सरकार की जिम्मेदारी का पता चलता है। ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि कितने बजे सदन में प्रधान मंत्री जी आएंगे। हम उस समय सदन में उपस्थित रहेंगे। ... *(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : सभापति जी, आप चर्चा शुरू कराना चाहते हैं और गृह मंत्री यहां पर नहीं हैं। क्या चर्चा करें? 193 की चर्चा के लिए गृह मंत्री नहीं हैं और आप कहते हैं कि चर्चा शुरू कराएं। ... *(व्यवधान)*

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : सभापति जी, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और जम्मू कश्मीर से संबंधित मामला है। गृह मंत्री जी कहां हैं ?

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : इतने गंभीर विषय पर चर्चा होने जा रही है, पहले से नोटिस है और गृह मंत्री यहां नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव): महोदय, मैं यहां मौजूद हूं। गृह मंत्री भी आ रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सरकार के मंत्री यहां मौजूद हैं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : सभापति महोदय, गृह मंत्री जी यहां मौजूद नहीं हैं। यह सरकार इस देश की सुरक्षा के प्रति कितनी गंभीर है, यह इस सरकार की गंभीरता है।

सभापति महोदय : सरकार के मंत्री यहां मौजूद हैं ...

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : महोदय, यह सही नहीं है। गृह मंत्री को यहां मौजूद होना चाहिए।

श्री सीएच० विद्यासागर राव : महोदय, मैं यहां मौजूद हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब बहस शुरू की जाए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप शांत रहिए।

सरदार बूटा सिंह : सभापति महोदय, यह पार्लियामेंट की अवहेलना है। नियम 193 के चर्चा में गृह मंत्री जी क्यों मौजूद नहीं हैं ? यह आपकी ड्यूटी है कि मंत्री को यहां हाजिर करें। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपने ध्यान आकृष्ट किया, यहां कोई भी मंत्री रहेगा तो बहस शुरू हो सकती है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सीएच० विद्यासागर राव : महोदय, मैं यहां मौजूद हूं। ...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : बहुत हो चुका है। ऐसा कोई नियम नहीं है ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : प्रमोद महाजन जी को गृह मंत्री बना लो, हम बहस के लिए तैयार हैं, हम कार्य शुरू करने के लिए तैयार हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए। नियम और सदन की परम्परा के अधीन बहस नहीं रुकेगी। यहां राज्य मंत्री हैं और कई कबीना मंत्री भी हैं। आप शांत रहिये।

श्री बसुदेव आचार्य : गृह मंत्री के बिना चर्चा कैसे शुरू होगी ?

श्री माधवराव सिंधिया : आतंकवादियों के कारण, उनकी गोलियों के शिकार बने हजारों मासूम लोगों के बारे में चर्चा है ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपने सवाल उठा दिया है, अब आप आसन ग्रहण कीजिए। आपने हमारा ध्यान आकृष्ट करा दिया है, कृपया अब आप आसन ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : सदन को दो मिनट के लिए रोककर गृह मंत्री को बुलाया जाए।

सभापति महोदय : आपको खड़े रहने का हक नहीं है, आप आसन ग्रहण कीजिए ...*(व्यवधान)* आप सुनियेगा। आपने सवाल उठा दिया है। नियम 193 पर बहस हो रही है। आपने सवाल उठा दिया है, अब उस सवाल के संबंध में आप कुछ सुनेंगे या नहीं।

(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : वह मंत्री यहां मौजूद होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : महोदय, हम कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं। यह एक गम्भीर मामला है। मंत्री जी को यहां मौजूद होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप आसन ग्रहण कीजिए, आप खड़े कैसे रहेंगे। नियम 193 के अधीन बहस शुरू होनी है। श्री विलास मुत्तेमवार जी ने सूचना दी है। हमने उन्हें पुकारा है। कुछ माननीय सदस्य और नेतागण सवाल उठा रहे हैं कि गृह मंत्री अभी यहां नहीं हैं। आप जानते हैं कि सदन की प्रक्रिया कैसे चलती है। राज्य सभा में और यहां मंत्रीगण विराजमान रहते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : क्या वे राज्य सभा में हैं ?

श्री प्रमोद महाजन : मैं आपसे कह रहा हूं कि वे यहां आ रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : गृह विभाग के राज्य मंत्री यहां पर हैं और सरकार के कई कबीना मंत्री यहां मौजूद हैं। आपने ध्यान आकृष्ट किया है। गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री यहां हैं।

सरदार बूटा सिंह : अगर वे राज्य सभा में हैं तो ठीक है। लेकिन अगर वे राज्य सभा में नहीं हैं तो उन्हें यहां आना चाहिए। ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपने ध्यान आकृष्ट कराया है। यह सही है कि सम्बद्ध विभाग के मंत्री यहां रहते हैं। लेकिन अनेक अपरिहार्य कारणों के चलते ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके कारण बहस रोकने की परिपाटी नहीं है। इसलिए बहस रोकना उचित नहीं है।

श्री माधवराव सिंधिया : सभापति महोदय, हमारी भावनाओं की अवहेलना हो रही है, हमारा इतना ही कहना है। ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सदन अवगत हुआ, अब कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए।

श्री माधवराव सिंधिया : सरकार को अगर उन मासूम लोगों के साथ सहानुभूति प्रकट करनी है तो उन्हें यहां मौजूद रहना चाहिए। ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यहां से निपक्ष और वहां से विपक्ष।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : आपकी विरासत को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं।

नियम 193 के अधीन चर्चा

राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला और देश के विभिन्न भागों विशेषकर पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद में वृद्धि

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले और देश के विभिन्न भागों में विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के विरुद्ध अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने की अनुमति दी है *(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : गृह मंत्री जी आ गये हैं, उनका स्वागत है।

सरदार बूटा सिंह (जालौर) : देर आयद, दुरुस्त आयद।

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : इनके गृह मंत्री कभी यहां नहीं रहते थे।

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : आप तो उस समय हाउस में नहीं थे।

श्री विलास मुत्तेमवार : सभापति महोदय, यह अत्यन्त गंभीर मामला है और न केवल गंभीर मामला है बल्कि हम सब लोगों के लिए चिन्ता का विषय भी है और यदि उसे ज्वलन्त समस्या कहा जाए, तो गलत नहीं होगा। यह एक संयोग है कि आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं और अगर आज के अखबार हम सब लोगों ने उठाकर देखे हों, तो हैड लाइन्स में आया है "आतंकवादियों ने श्रीनगर में 8 सुरक्षाकर्मियों को मार डाला" और "पाकिस्तान की आतंकवाद को बढ़ावा देने संबंधी नीति" इस प्रकार पूरी तरह से यह साफ होता जा रहा है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है और यह इसलिए भी गंभीर हो जाता है कि हम फिर एक बार कारगिल जैसी परिस्थिति की तरफ जा रहे हैं। वास्तविकता तो यह होनी चाहिए थी कि आज सुबह गृह मंत्री जी इस संबंध में कोई वक्तव्य देते।

सभापति महोदय, जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, यह अत्यन्त गंभीर है। जैसा कि मैंने कहा, मेरी पार्टी के लिए यह और भी गंभीर है क्योंकि आतंकवाद की वजह से हमारी पार्टी के दो शीर्षस्थ नेता-इंदिरा जी और राजीव जी को हमने खो दिया। पार्टी का नुकसान हुआ, देश का नुकसान हुआ और इस तरह की घटनाएं पूरे देश में अलग-अलग फोरम्स में चलती आ रही हैं। इसलिए हमें इस गंभीर प्रश्न पर पार्टी लाइन से ऊपर उठकर देखने का काम करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की कोई बात सत्तारूढ़ दल की तरफ से नहीं आ रही है। यह बात भी सही है कि आजादी के बाद 50-52 वर्षों में युद्ध में उतने लोग नहीं मारे गए जितने आतंकवाद में मारे गए हैं। उससे ज्यादा लोग आतंकवाद की कार्रवाई के शिकार हुए हैं। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 वर्षों में जम्मू-कश्मीर तथा पंजाब में उग्रवादी हमलों में 25,267 लोग मारे गए हैं जबकि 1947 के बाद आज तक जितने भी युद्ध इस देश में हुए उनमें केवल 12,316 लोग मारे गए। इस संबंध में हम सरकार की प्रक्रिया अवश्य जानना चाहेंगे। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रधान मंत्री जी ने, विदेश मंत्री जी ने आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी, इस तरह के वक्तव्य दिए हैं और कहा है कि हम आतंकवाद से लड़ने के लिए वचनबद्ध हैं।

सभापति महोदय, जब हम आतंकवाद में बढ़ोत्तरी की बात करते हैं, तो यह पाया गया है कि यह जो बढ़ोत्तरी हो रही है उसमें विदेशी, अप्रवासी, जो हमारे देश में इल्लीगल ढंग से रह रहे हैं, वे भी हमारे देश में आतंकवाद के बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण हैं। हमारे देश में अवैधानिक ढंग से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कीनिया, सूडान, रूस और श्रीलंका आदि देशों के अप्रवासी में हैं और गलत ढंग से, गैर-कानूनी ढंग से रह रहे हैं और विभिन्न प्रकार की राष्ट्र-विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न हैं। दुर्भाग्य से सरकार ऐसे अप्रवासियों की पहचान करने में असमर्थ है।

उससे भी दुर्भाग्य की बात यह है कि जो लोग यहां रह रहे हैं, वे बिना झिझक के रह रहे हैं। उनके लिए भारत में रहना एक स्वर्ग जैसी बात हो गई है। उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए हमारे कानून कम पड़ते हैं क्योंकि हमारी अपनी मर्यादा है। इसलिए मैं सरकार से गंभीरतापूर्वक आग्रह करूंगा कि सरकार को इस दिशा में कारगर कदम उठाना चाहिए। सरकार ने माना है कि सीमा पार से हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने की कार्यवाही हो रही है। विशेषकर पाकिस्तान की अब यह नीति बन गई है। उन्होंने उग्रवादियों की भर्ती की, सैनिकों

को प्रशिक्षण दिया। उनको धन, अस्त्र-शस्त्र दिया तथा घुसपैठ में मदद की। सरकार ने यह भी माना है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी 'आई०एस०आई०' ने देश में उपद्रव और तनाव फैलाने के लिए नयी योजना बनाई है। अभी देश के विभिन्न राज्यों में जो भी आतंकवादी घटनायें हुई हैं, उसमें आई०एस०आई० का हाथ होने के कई सबूत मिले हैं। हाल ही में जो बम विस्फोट की घटनाएं हुई हैं, उसमें आई०एस०आई० का प्रत्यक्ष हाथ होने के सबूत मिले हैं। ऐसे कई मामले प्रकाश में आये हैं जिनमें पाकिस्तानी दूतावास से संबंधित, इंटैलीजैंस से जुड़े हुए लोगों का हाथ रहा है। उनकी नजरें हमेशा हमारे जो संस्थान हैं, प्रतिष्ठान हैं, उनका राज लेकर देश में आतंकवाद फैलाने की योजना रही है और सरकार उसको नियंत्रित करने में नाकामयाब रही है। भाड़े के सैनिकों की घुसपैठ के लिए देश में जो प्रस्तावित अंडर वर्ल्ड के लोग हैं, उनका उपयोग हो रहा है, माफिया का उपयोग हो रहा है।

सभापति जी, हाल ही में जाली नोट चलाने की घटनाएं हुई हैं। उसमें भी आई०एस०आई० का हाथ रहा है। सरकार की जानकारी में सारे तथ्य हैं फिर भी दुर्भाग्य से कार्रवाई नहीं हुई ताकि घुसपैठ रोकी जा सके और हम कब तक ऐसे आतंकवाद को बर्दाश्त करें, यह प्रश्न हमारे सबके सामने है।

सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक प्रश्न के उत्तर की तरफ दिलाना चाहूंगा जिसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तानी अप्रवासी गैरकानूनी ढंग से भारत में रह रहे हैं। यह एक गहरी समस्या बनती जा रही है। मंत्रालय द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार 21 जुलाई, 1999 तक 11,327 पाकिस्तानी नागरिक ऐसे थे, जिनकी भारत में रहने की मियाद पूरी हो जाने के बाद भी वे वापिस नहीं लौटे। इनमें से 8,700 ओवरस्टे कर रहे हैं और 2,627 का कुछ पता ही नहीं कि वे कहां गये। ऐसे पाकिस्तानी नागरिकों का राज्यवार ब्यौरा भी यहां मौजूद है। राजस्थान में 4,658 नागरिक ओवरस्टे और 75 लापता, मध्य प्रदेश में 869 ओवरस्टे और 221 लापता, जम्मू-कश्मीर जहां से पूरी जानकारी हासिल नहीं है, वहां 94 ओवरस्टे और 5 लापता, गुजरात में 621 ओवरस्टे और 20 लापता, केरल में 284 ओवरस्टे और 112 लापता, पंजाब में 137 ओवरस्टे, उत्तर प्रदेश में 670 ओवरस्टे और 400 लापता, पश्चिम बंगाल में 329 ओवरस्टे और 372 लापता, हरियाणा 611 ओवरस्टे और 1172 लापता और दिल्ली में 7 ओवरस्टे और 90 लापता हैं। ऐसे विदेशी नागरिक देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बद से बदतर कर रहे हैं। वे कई अवांछनीय गतिविधियों में संलग्न हैं। पाकिस्तानी गैरकानूनी अप्रवासियों के अतिरिक्त बंगलादेश, अफगानिस्तान, केन्या, मलेशिया, सूडान, रूस और श्रीलंका के भी अप्रवासी इस देश में ओवरस्टे कर रहे हैं। उनकी तरफ ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। सरकार का इस दिशा में सुरक्षा पर भी दिन-ब-दिन व्यय बढ़ता जा रहा है विशेषकर उन राज्यों पर जो आतंकवाद और उग्रवाद की जकड़ में हैं। कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे अधिक व्यय किया गया है। 1990 से 1999 के दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से निपटने के लिए 1334.78 करोड़ रुपये खर्च किए गए जिसमें से 152.16 करोड़ रुपये चुनाव पर खर्च हुए। इसी अवधि के दौरान 275.77 करोड़ रुपये आसाम के लिए खर्च हुए हैं। 1995 से 1999 के बीच आतंकवाद के लिए मणिपुर पर 23.17 करोड़ रुपये, नागालैंड पर 43.40 करोड़ रुपये, त्रिपुरा पर 56.8 करोड़ रुपये और हिमाचल पर 37 लाख रुपये खर्च किए गए। इतनी सारी रकम खर्च हो रही है और उसके बावजूद देश में उग्रवादी और आतंकवादी ताकतें बढ़ती जा रही हैं। आज 33 ऐसे उग्रवादी संगठन हैं जिनका पता चला है कि उन्होंने अलग-अलग ढंग से इस देश में आतंकवादी कार्यवाहियां शुरू की हैं। इनमें से कुछ हिजबुल मुजाहिदीन, हरकत-उल-अंसार, लश्कर-ए-तोएबा, अलबर्क, जे०के०एल०एफ०, बब्बर खालसा, दल खालसा, इंटरनैशनल खालिस्तान जिन्दा फोर्स, कामा गाटा मारू दल, नैशनल डैमोक्रैटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, एन०एस०जी०, एन०एस०सी०एन० ऑफ नागालैंड, मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, एल०टी०टी०ई० इत्यादि, इनमें से कई संगठनों का आई०एस०आई० से सम्पर्क है। सरकार ने इन संगठनों को बैन करने के लिए अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की है। कश्मीर घाटी में भाड़े के सैनिक, जो कारगिल युद्ध के दौरान घुसकर आए थे, आज भी खुले घूम रहे हैं। जो भी घटनाएं आज हो रही हैं, ये उन्हीं सैनिकों का प्रताप है। कारगिल युद्ध में हार का बदला लेने के लिए भी उग्रवादी संगठनों—हरकत-उल-अंसार और लश्कर-ए-तोएबा ने कश्मीर घाटी में गतिविधियां तेज कर दी हैं। वे अब पहले से ज्यादा प्रशिक्षित हैं। अत्याधुनिक अस्त्र-शस्त्र से लैस हैं और उनमें से कई संगठन उसमा बिन लादेन से सम्पर्क में हैं जो इन संगठनों को वित्तीय मदद दे रहा है। यह हम सब लोगों के लिए चिन्ता का विषय है। उसमा बिन लादेन ने तो भारत के खिलाफ जेहाद छेड़ दी है। अफगानिस्तान में प्रशिक्षित कैम्पों में तैयारी चल रही है। भारी मात्रा में अत्याधुनिक शस्त्रों, विस्फोटक पदार्थ जैसे आर०डी०एक्स० की देश में तस्करी हो रही है। विभिन्न शहरों में इसका भंडार है। दुर्भाग्य से, हम बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं। यही नहीं, हम सब लोगों की चिन्ता का विषय है कि इन उग्रवादियों और आतंकवादियों ने नेपाल के तस्करों, पाकिस्तान के ड्रग माफिया और हमारे देश के अंडर वर्ल्ड के साथ हाथ मिला लिया है। इन उग्रवादियों, माफिया का लक्ष्य न केवल जम्मू कश्मीर परन्तु आसाम, अरूणाचल, पूर्वोत्तर के सभी राज्य आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब भी हैं जहां साम्प्रदायिक ताकतों को भी इनसे बल मिल रहा है। पिछले वर्ष अमरीका की मिसाइलों ने अफगानिस्तान में बिन लादेन के अड्डों को तहस-नहस करने का काम किया था। क्या भारत सरकार भी इस तरह का कोई विचार कर रही है, यह हम मंत्री महोदय से जानना चाहेंगे ? हाल ही में गृह मंत्री जी ने लोक सभा में बताया था कि इस वर्ष 15 नवम्बर तक 945 उग्रवादी और 784 नागरिक मारे गए हैं, जबकि इस अवधि के दौरान 867 नागरिक और 999 उग्रवादी मारे गये हैं। इस वर्ष 295 सुरक्षाकर्मी मारे गये हैं। सरकार यह सब जानती है और फिर भी हाथ रखकर बैठी है। यह हमारी चिन्ता का विषय है। मैं गृह मंत्री और सरकार को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूरा सदन उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने के मामले में, उसे जड़ से उखाड़ने के मामले में, सीमा पार की घुसपैठ को रोकने के मामले में किसी भी प्रकार की कार्रवाई आप करेंगे तो उसमें पूरा सदन सहयोग करेगा, समर्थन करेगा। ऐसे मामलों में राजनैतिक मतभेदों को भुलाकर हमें सरकार का समर्थन करना चाहिए और वह करने की हमारी तैयारी है। हम सब जानते हैं कि कश्मीर में प्रॉक्सी युद्ध चल रहा है। आतंकवादियों ने पाकिस्तान में तख्ता पलटने के पश्चात् कश्मीर और आसपास के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं।

विदेशी मंत्री श्री जसवन्त सिंह जी ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के पश्चात् भारत के प्रति होस्टाइल नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी जारी

[श्री विलास मुत्तेमवार]

है। यह दुख की बात है कि उसके बावजूद भी सरकार मौन धारण करके बैठी है। पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मामले पर दुष्प्रचार बन्द होना चाहिए। यह सही है कि कारगिल युद्ध के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने हमारी भूमिका का, हमारे देश का समर्थन किया था, हमारे दृष्टिकोण को सराहा था और कश्मीर मुद्दे को तर्कपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए हमारी प्रशंसा की थी। आज कश्मीर और अन्य स्थानों पर आतंकवादी ग्रुप मानवाधिकारों की दुहाई दे रहे हैं। हुर्रियत कांफ्रेंस के नेता घाटी में तैनात सुरक्षा बलों पर ज्यादतियों का आरोप लगाते हैं। दूसरी ओर लाखों हिन्दू विस्थापित जो यातनाएं भुगत रहे हैं, उनके बारे में वे चिन्तित नहीं हैं। वे घर से बाहर हुए, बेघर हुए, बहुत मारे गये हैं और अपने ही देश में शरणार्थियों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके बारे में उन्हें कोई चिन्ता नहीं है। घाटी में तिरंगा फहराने की वे सजा पा रहे हैं। घाटी में नौकरशाही भी समस्या को सुलझने नहीं दे रही है। वह भी इन तत्वों से मिली हुई है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि ऐसे जो अधिकारी आईडेंटीफाई किये गये हैं, जो उग्रवादियों से मिले हुए हैं, वे दोषी पाये गये हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।

कारगिल युद्ध के बारे में जितना हम कम कहें, उतना अच्छा होगा। सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। यह बात सही है कि कारगिल युद्ध के दौरान छः महीने पहले, चार महीने पहले ब्रिगेडियर और सीमा पार तैनात सैनिकों ने कारगिल में जो होने जा रहा है, उसके बारे में सरकार को आगाह किया था, लेकिन सरकार ने उसपर ध्यान नहीं दिया। लिखित सूचनाएं भी भेजी गई थी, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया गया, परिणामस्वरूप कारगिल युद्ध हुआ। आज ऐसे अधिकारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, प्रतिशोध की भावना से उनकी तरफ देखा जा रहा है। इससे सेना का मनोबल गिरेगा। यह हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। कारगिल में जो हमारे जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, मैं इस वक्त उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। ऐसे सपूतों के बलिदान को हम बेकार न जाने दें, कश्मीर की जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए कारगर उपाय करें, यही उनके बलिदान का अर्थ है।

भारतीय विदेश नीति का नया मंत्र है, उग्रवाद के दानव को मिटाना। भारत अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का इस सम्बन्ध में आज नेतृत्व कर रहा है। हालांकि वाशिंगटन ने अफगानिस्तान की सोवियत यूनियन के विरुद्ध मुजाहिदीनों की मदद की थी, लेकिन भारत अब इस भूमिका को भुलाना चाहता है।

पाकिस्तान द्वारा हमारे देश में उग्रवाद को बढ़ावा देने के लिए उस पर प्रतिबन्ध लगाना चाहता है। भारत की नजर में अफगानिस्तान आज दुनिया में अन्तरराष्ट्रीय उग्रवाद का अड्डा बन गया है। दुनिया भर में आज उसके विरुद्ध आवाज उठ रही है।

भारत ने वर्ष 1994 में काम्प्रिहैंसिव कन्वेंशन आन इन्टरनेशनल टेररीज्म का ड्राफ्ट बना कर संयुक्त राष्ट्र संघ को पेश किया था। इसमें किसी भी राष्ट्र द्वारा प्रायोजित आतंकवाद पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रावधान है। मेरी जानकारी में सितम्बर, 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में अन्तरराष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए व्यापक कन्वेंशन पर बहस होने जा रही है। क्या सरकार इस मामले में सचेत है ? क्या सरकार अन्तरराष्ट्रीय समुदाय से अपने प्रस्तावित ड्राफ्ट कन्वेंशन पर सहमति करा पाएगी ? उन्होंने इस दिशा में क्या तैयारी की है, यह हम सरकार से जानना चाहेंगे ?

सभापति महोदय, आतंकवाद से निपटने के मामले में ला-कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में स्थायी कानून की आवश्यकता पर बल दिया था। पिछले कुछ वर्षों में देश की सुरक्षा की स्थिति बद से बदतर हुई है और अन्तरराष्ट्रीय उग्रवाद का यही मुख्य लक्ष्य रहा है। इन उग्रवादी ताकतों के पास प्रचुर धन उपलब्ध है, अत्याधुनिक हथियार, सम्पर्क साधन और संचार माध्यम है। यह संकट अत्यन्त गम्भीर है और हमें दृढ़ता से इसका सामना करना चाहिए। काश्मीर के साथ-साथ पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी आतंकवाद तेजी से पनप रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों के बारे में मेरा साथी विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन जहां हम आतंकवाद की बातें करते हैं, तो हमारे देश में 30 प्रतिशत राज्य ऐसे हैं, जहां आतंकवाद कोई-न-कोई रूप में अपने पैर फैला रहा है, जो पूरे देश को आगे बढ़ने में रुकावट पैदा कर रहा है, फिर वह चाहे काश्मीर का आतंकवाद हो, चाहे पंजाब का आतंकवाद हो, चाहे असम का आतंकवाद हो या आन्ध्र प्रदेश का नक्सलवाद हो या महाराष्ट्र का नक्सलवाद हो या मध्य प्रदेश का नक्सलवाद हो। भारत जैसा विकसित देश उन सब बातों को सामने रख कर आगे नहीं बढ़ सकता है। आज आतंकवाद से निपटने के लिए 64 हजार करोड़ रुपए खर्चा हुआ है, लेकिन हमारी प्राथमिकतायें दूसरी हैं। आज गांवों में सड़क बनाने की आवश्यकता है। आज बेरोजगार लोगों को काम देने की आवश्यकता है। आज गरीबों को मकान देने की आवश्यकता है। लेकिन इन विकास के कामों में लगने वाला पैसा इन सब चीजों की तरफ जा रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार कोई ऐसा कानून बनाए, जिससे इससे निपटा जा सके। इसके साथ ही कई मसले ऐसे हैं, जिनको सुलझाने के लिए उनसे बात की जा सकती है, जैसा कि पहले भी हुआ है। मैं जानना चाहता हूं, क्या इस संबंध में गृह मंत्रालय या सरकार द्वारा इस दिशा में कोई पहल हुई है और उसे निपटाने की बात हुई है ? इस सारे सवालों को लेकर सरकार कोई विस्तृत योजना बनाए, एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाए। अगर सरकार इस संबंध में कोई लेखा-जोखा रखना चाहती है, तो मैं सरकार का आभारी रहूंगा।

इन शब्दों के साथ, अपनी बात समाप्त करते हुए और आपका सम्मान करते हुए, क्योंकि आपने मुझे बोलने से रोका है, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

वैद्य विष्णु दत्त शर्मा (जम्मू) : सभापति महोदय, उग्रवाद एक राष्ट्रीय समस्या है। देश का हर प्रान्त, देश का हर कोना इससे ग्रस्त है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी मुझे पिछले वर्ष जाने का मौका मिला था, वहां भी हालत कम दुखदायी नहीं है। मैं जम्मू-कश्मीर प्रांत का रहने वाला हूं और भुक्त भोगी हूं, इसलिए वहां के बारे में मैं विशेष चर्चा करना चाहता हूं। इस उग्रवाद ने आज जन्म नहीं लिया, इसकी शुरूआत आज से 10-15 साल पहले हुई। वह बढ़ते-बढ़ते आज इस स्थिति में है कि हमारे प्रांत के, देश के हर कोने में लोग मारे गए। हजारों नौजवान शहीद हुए, हजारों मेरी बहनें विधवा हुईं। मेरे हजारों बुजुर्ग माता-पिता की लाठी हाथों से छिन गई। आज धरती का कोई कोना ऐसा नहीं है जो ऐसे बलिदान होने वाले लोगों के रक्त से रंजित न हो, ऐसी स्थिति में यह चिन्ता का विषय है। जहां तक जम्मू-कश्मीर का प्रश्न है, वहां भी कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां उग्रवादी आघात नहीं कर सकते। किन्तु एक बात पक्की है कि भारत सरकार ने भी

बड़ी दृढ़ता से उनका मुकाबला करना शुरू किया है। आज उन उग्रवादियों के मुकाबले के लिए बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जिन पर कारगर ढंग से अमल-दरामद किया जा रहा है। परिणाम के तौर पर उग्रवाद को बढ़ने से रोकने में अब सरकार सफल हुई है। पहले डोडा, भदरवा, राजौरी और पुंछ के इलाके में छावनियां नहीं थी और आज भदरवा में एक छावनी बनाई जा रही है, जिससे वहां के लोगों का मनोबल बढ़ा है। इसके अतिरिक्त गुरिल्ला वारफेयर है, वहां हमारी सुरक्षा सेनाएं युद्ध करती हैं। उनके मुकाबले में शायद वे इतनी सफल नहीं होती, अगर उनके मुकाबले के लिए स्थानीय लोग तैयार हों तो ज्यादा लाभ हो। परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार ने वहां के स्थानीय लोग को खड़ा करने के लिए, उग्रवादियों के मुकाबले के लिए गांव-गांव में जो भी देशभक्त थे और जो भी युद्ध कला के जानकार थे, ऐसे रिटायर्ड सैनिकों को भर्ती करके डिफेंस कमेटियों का भिन्न-भिन्न स्थानों पर निर्माण किया है। पहाड़ी इलाकों में बड़े-बड़े गांव होते हैं, वहां सारी आबादी बिखरी रहती है। वहां जब चाहे उग्रवादी किसी गांव से किसी भी घर पर हमला कर सकते थे, आज उनकी वैसी स्थिति नहीं है। इनमें कोई शक नहीं कि उग्रवादी आज भी जम्मू-कश्मीर में मौजूद हैं, लेकिन एक बात पक्की है कि जम्मू-कश्मीर में सरकार की, केन्द्र सरकार की मेहनत से और वहां के स्थानीय लोगों के प्रयास से सुधार हुआ है। उनके जुल्मोंसितम से तंग आकर जम्मू क्षेत्र के लोग और कश्मीर घाटी में रहने वाले लोगों ने भी बड़ी मात्रा में उनके खिलाफ अपनी जुबान खोलनी शुरू की है। यह बात पहले नहीं थी, अब पैदा हुई है। आज वहां यह स्थिति है कि बहुत से लोग समझ गए हैं। ऐसे उग्रवाद के खिलाफ लड़ने के लिए अगर कोई संस्था कारगर है तो वे हैं जिनके लोग इस उग्रवाद की भयंकर लड़ाई में कुर्बान हुए हैं, उस संस्था के साथ आज बड़ी मात्रा में जम्मू-कश्मीर में लोगों ने साथ देना प्रारम्भ किया है।

जैसा मेरे चुनाव में इस बार पुंछ में हुआ। पुंछ वह क्षेत्र है जिसमें मुस्लिम जनसंख्या हिंदुओं के मुकाबले बहुत ज्यादा है। हिंदुओं की संख्या वहां बहुत ही कम है। लेकिन वहां भी मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और वहां हमने करीब साढ़े पांच हजार से बढ़त हासिल की। पहले हमें श्रीनगर में चुनाव में सहयोग नहीं मिलता था, लेकिन इस बार हमें वहां भी चुनाव में खड़ा करने के लिए स्थानीय लोग बहुत संख्या में उपलब्ध हैं। एक घटना हुई कि जिसका हमने नोमिनेशन पेपर भरवाया, उसको उग्रवादियों ने मार दिया लेकिन इससे लोग घबराये नहीं बल्कि उसके स्थान पर दूसरे आदमी ने नोमिनेशन भर दिया। उसके बच्चों को उग्रवादियों ने अगुवा कर लिया तो उसी वक्त तीसरा आदमी नोमिनेशन के लिए आगे आया। इस समय लोग उग्रवाद के खिलाफ खड़े होने की मानसिकता लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यह स्थिति सारे क्षेत्रों की है। एक गांव लोहाटा है जिसमें गांव के दो छोटे-छोटे बच्चों ने जिनके वालदायन मारे गये थे उग्रवादियों को मार भगाया। एक गोली चलाता गया और दूसरा गोली भरता रहा। इस तरह से 10-12 साल के छोटे-छोटे बच्चों ने उग्रवादियों को गांव में नहीं घुसने दिया। इससे पता चलता है कि आज वहां उग्रवाद के खिलाफ लड़ने की मानसिकता लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से लोग आगे बढ़ेंगे तो उग्रवाद का खात्मा ही हो जायेगा। साथ ही हमारी फोर्स भी उग्रवाद का खात्मा करने के लिए तैयार है।

एक बात साफ तौर पर दिखाई देती है कि पहले उग्रवादी स्थानीय लोग होते थे जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर उग्रवाद फैलाने का काम करते थे। लेकिन अब स्थानीय लोग इसमें बहुत कम दिखाई देते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान, सुडान और बाहर के लोगों को हथियार देकर हालात बिगाड़ने के लिए स्टेट में भेजने का प्रयास किया जा रहा है। अब जितने उग्रवादी पकड़े या मारे जाते हैं वे सूडानी, अफगानी या पाकिस्तानी होते हैं।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारे जो सैनिक वहां तैनात किये जाएं उन्हें गुरिल्ली वारफेयर में ट्रेंड और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जो उनका मुकाबला आसानी से कर सकें।

तीसरी बात यह है कि वहां जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी हमें सब लोग अच्छे दिखाई नहीं देते हैं। जैसा कि मेरे पूर्ववक्ताओं ने कहा है कि वहां बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका संबंध उग्रवादियों के साथ दिखाई देता है। उग्रवादियों के साथ उनका लेनदेन और आना-जाना भी है। ऐसे लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन से निकाल दिया जाना चाहिए। ऐसा होने से हालात पर काबू पाना आसान होगा। विलेज कमेटियों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिए। खास तौर से जो नेशनल बार्डर हैं वहां पर उग्रवादियों की संख्या बढ़ी है। वहां पर इन विलेज कमेटियों के लोगों को बड़ी संख्या में तैनात किया जाना चाहिए। इससे सरकार को भी सुरक्षा में मदद मिलेगी और जो ड्रग्स बाहर से अंदर लाई जाती हैं वह ड्रग्स ट्रैफिकिंग भी रुकेगी। इससे लोगों में उग्रवादियों का मुकाबला करने का मनोबल भी बढ़ेगा। चौथा, मौके पर जब लोहा गर्म होता है तब आघात किया जाए तो फल अच्छा मिलता है। आने वाले दिनों में सर्दियों के मौसम में वहां बर्फ पड़ेगी और सारे पहाड़ बर्फ से ढक जाएंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के प्रवेश के रास्ते भी बंद हो जाएंगे। बाहर से आने वाले लोगों के लिए रास्ते खुले नहीं रहेंगे। जो उग्रवादी घाटी के अन्दर हैं, उन्हें समय पर तुरन्त घेर कर काबू करना चाहिए। इन चार-पांच महीनों में हालात सुधारने में सरकार को सफलता मिल सकती है। इस मामले में योजना बना कर काम किया जाए। गृह मंत्री बहुत देर से अपनी इच्छा लेकर बैठे हैं कि उग्रवाद का खात्मा कर वहां कब्रिस्तान बना देंगे जहां से यह शुरू हुआ था। वहां अभी तक घटनाएं हो रही हैं। यह पक्की बात है कि वहां अभी उग्रवाद शान्त नहीं हुआ है। वहां अभी भी उग्रवादी मौजूद हैं। मौके का लाभ उठाया जाए और प्लान करके उनका पीछा किया जाए। जब तक उग्रवादियों का पीछा नहीं किया जाएगा तब तक वहां शांति कायम नहीं हो सकती। उनका पीछा किया जाना जरूरी है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का जो समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री समर चौधरी (त्रिपुरा पश्चिम) : सभापति महोदय, तेरहवीं लोक सभा के चुनावों के सम्पन्न होने के बाद मुझे जो नवीनतम सूचना प्राप्त हुई, उसके अनुसार, अवैध घोषित किए गए नेशनल लिबरेशन फ्रंट और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ए०टी०टी०एफ०) के हथियार-बन्द उग्रवादियों ने राज्य के बेगुनाह लोगों के खिलाफ हिंसक आतंकवादी गतिविधियों जैसे कि बड़े पैमाने पर मारकाट, लूटमार, घरों को जलाना, पैसा ऐंठने के लिए अपहरण करना, का नया चरण शुरू कर दिया है हालांकि राज्य में 13वीं लोक सभा के चुनावों में लोगों ने उग्रवाद के भय की परवाह किए बिना 68 प्रतिशत मतदान किया था और वामपंथी दल ऐतिहासिक विजय प्राप्त करके सत्तारूढ़ हुए थे। मैंने त्रिपुरा

[श्री समर चौधरी]

के संबंध में जो सूचना एकत्र की है, उसके अनुसार उग्रवादियों द्वारा 91 हमले करके लोगों को मारा गया जिससे यह पता चलता है कि तब से लेकर अब तक वहां स्थिति कितनी खराब हुई है। पिछले तीन माह के दौरान त्रिपुरा में हुए ग्यारह हमलों में 82 लोग मारे गए, 54 लोग जख्मी हुए और 88 लोगों का अपहरण किया गया। उग्रवादियों के समूह में 600 से 700 तक सशस्त्र लोग हैं और उन्हें त्रिपुरा के साथ जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार बांग्लादेश में प्रशिक्षित किया जाता है। उग्रवादियों के समूह लगभग तीस से चालीस उग्रवादी कैंप चला रहे हैं जिनका उपयोग न केवल त्रिपुरा के उग्रवादियों द्वारा अपितु पूर्वोत्तर क्षेत्र के एन०एस०सी०एन०, अल्फा और अन्य उग्रवादी समूहों द्वारा किया जा रहा है। केन्द्र सरकार के पास इस संबंध में पूर्ण सूचना उपलब्ध है कि इन शिविरों को विदेशी एजेन्सियों विशेषकर आई०एस०आई० एजेन्सियों द्वारा चलाया और मॉनीटर किया जाता है। ये कैम्प न केवल त्रिपुरा से लगी सीमा के उस पार हैं बल्कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य भागों में भी हैं। यह 600-700 लोग अत्याधुनिक हथियारों जैसे ए०के०-47 और ए०के०-56 से लैस होकर त्रिपुरा में प्रवेश करते हैं और अपराध करते हैं, राष्ट्रविरोधी आक्रमणों से लोगों को आतंकित करते हैं। इसका सामना करने के लिये केवल सी०आर०पी०एफ० को तैनात किया गया है और इनकी संख्या काफी अपर्याप्त है। इनकी तैनाती चुनावपूर्व और कारगिल प्रकरण के पूर्व की गयी थी। एक बार तीन बटालियन की सेना तैनात की गयी। सेना की तीन बटालियनों और असम राइफल की तैनाती के बाद आतंकवाद रोधी कार्रवाई प्रभावी हुई है और शांति बनाये रखने में मदद मिली।

इस कार्रवाई के दौरान ही केन्द्र सरकार ने वहां से सेना को हटाने का निर्णय लिया। असम राइफल्स की कुछ टुकड़ियां भी हटा ली गई। अभी स्थिति यह है कि केवल सी०आर०पी०एफ० ही आतंकवाद की समस्या से निपट रही है। 1010 किलोमीटर लंबी त्रिपुरा सीमा में 856 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश के साथ है। इस लंबी सीमा की रखवाली कि लिये अपर्याप्त सीमा सुरक्षा बल की तैनाती की गयी है। 90 किलोमीटर सीमा के लिये एक बटालियन तैनात की गई है बांग्लादेश कैंपों से आतंकवादी इस सीमा से होते हुए त्रिपुरा में प्रवेश करते हैं और यहां से अपना मुक्ति संघर्ष संचालित करते हैं। वे ऐसा दिखाते हैं कि वे न केवल, त्रिपुरा बल्कि सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र को मुक्त करा लेंगे। अलगाववाद ही उनका नारा है ... *(व्यवधान)* कृपया मुझे सिर्फ पांच मिनट और दीजिए।

सभापति महोदय : नहीं, यह संभव नहीं है।

श्री समर चौधरी : हम त्रिपुरा से हटा ली गयी सेना की तुरंत तैनाती की प्रार्थना करते हैं। सेना को पुनः तैनात करना चाहिये और हमें पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिये। गृह मंत्री यहां बैठे हैं। मैं उनसे मिला था। त्रिपुरा से हमारे तीन सम्मानित सदस्य उनसे मिले थे। श्री सोमनाथ चटर्जी के नेतृत्व में एक दल त्रिपुरा की यात्रा पर गया था। वापस लौटकर इस दल ने केन्द्र सरकार से तुरन्त कार्रवाई हेतु अनुरोध किया। मामले की जांच हेतु गृह मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करने वाले अनुरोध पत्र पर न केवल वाममोर्चा अपितु अन्य विपक्षी दल के सांसदों ने भी हस्ताक्षर किया थे। प्रधान मंत्री से भी कई बार अनुरोध किया गया। हम उनके पास भी यही अनुरोध लेकर गये। लेकिन आज तक कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाये गये हैं। हम जानना चाहते हैं कि पूर्वोत्तर में क्या हो रहा है ? पूर्वोत्तर में क्यों आदिवासी, आदिवासियों के खिलाफ लड़ रहे हैं ? मिजोरम में 50,000 से 60,000 रियांग लोगों ने त्रिपुरा में शरण लेने के लिये अपने घर और गांव छोड़ दिये हैं। अपने खिलाफ ज्यादतियों के कारण सड़कों पर आ गये। एक आदिवासी दूसरे आदिवासी पर विश्वास नहीं कर सकता एक दूसरे पर उनका विश्वास समाप्त हो गया है। सिर्फ यही नहीं लंबे समय से असम में रह रहे संथाल लोगों को बोडो लोग और बोडो लोगों को संथाल लोग एक दूसरे का शत्रु मानने लगे हैं। अरुणाचल प्रदेश में चकमा आदिवासियों के साथ भी यही मामला है। ऐसी स्थिति में आदिवासियों के विभिन्न समुदायों और गुटों का राज्य और केन्द्र पर विश्वास नहीं रह सकता है। मैं यह कहूंगा कि इसके पीछे मुख्य कारण पिछड़ापन है। हमने केन्द्र सरकार से विशेष विकास पैकेज, निचले स्तर तक लोकतंत्र की स्थापना और आदिवासियों की पहचान बरकरार रखने हेतु बात की थी। त्रिपुरा सरकार ने अपनी विकास योजनाओं के लिए विशेष पैकेज देने हेतु केन्द्र से बार-बार अनुरोध किया है। तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री देवे गौड़ा ने कुछ धनराशि की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री कार्यालय से की गई इस घोषणा का त्रिपुरा के लोगों ने स्वागत किया था और केन्द्र पर उनका विश्वास था लेकिन धनराशि केन्द्र द्वारा उचित रूप से जारी नहीं की गई है।

अपराह्न 5.00 बजे

हर बार इसमें कटौती की जा रही है। यह स्थिति है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण के कार्यक्रमों में कटौती की जा रही है। हम प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि देश की एकता और सम्प्रभुता की रक्षा के लिए सरकार की क्या नीति है। हम यह भी जानना चाहते हैं कि उग्रवादियों का मुकाबला करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है। हम जानना चाहते हैं कि क्या आम जनता और पिछड़े लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार प्रदान किए जाएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी से यह मांग करता हूं कि इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नीति के संबंध में एक वक्तव्य की मांग करता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : श्री रवि प्रकाश वर्मा।

आपको केवल सुझाव देने हैं। समय कम है और सूची लम्बी है, इसलिए केवल अपने अमूल्य सुझाव ही दीजिए।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : माननीय सभापति महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा हिंदुस्तान के विभिन्न हिस्सों में जो आतंकवाद की समस्या फैली हुई है, उस पर बोलने के लिए आपने मुझे अवसर दिया है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और साथ ही मैं श्री विलास मुत्तेमवार जी का भी आभारी हूं, जिन्होंने इस मुद्दे के महत्व समझते हुए इस पर प्रकाश डाला और इसे चर्चा में लाये।

सभापति महोदय, आज जब आतंकवाद की बात आती है, हम सभी लोग उसे समझते हैं, पूरा हिन्दुस्तान इस बात को समझता है कि इससे कौन लाभ उठा रहा है। वे विदेशी शक्तियां जो आज हिन्दुस्तान के चारों तरफ हैं, जिनके हित हिन्दुस्तान के अंदर कहीं न कहीं समाये

हुए हैं या उनके अंदर एक द्वेष की भावना है, उन लोगों को इससे लाभ मिल रहा है। उन लोगों ने ऐसे प्रयास किये हैं कि हिन्दुस्तान के अंदर अस्थिरता पैदा हो, हमारी व्यवस्था खंडित हो। हम लोगों में कमजोरी आये, भेदभाव पैदा हो, असुरक्षा की भावना पैदा हो, जिससे कि उनके लक्ष्यों की पूर्ति हो सके। लेकिन हमें इस बात पर भी गौर करना है कि आज जब विदेशी और बाहरी शक्तियां हिन्दुस्तान में आतंकवाद को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं, वे उपकरण खड़े कर रही हैं, उन्हें साधन दे रही हैं तो जो हमारी आंतरिक स्थिति है, जो हमारे अंदर के लोग हैं, जो हमारे अंदर की परिस्थितियां हैं वे उसमें कैसे सहायक सिद्ध हो रही हैं। यह बहुत ही सैंसिटिव इश्यू है। मुझे विश्वास है कि हमारे पूरे देश की जनता इसके महत्व को समझती है और इसीलिए खास तौर से जब यह चर्चा उठाई गई है तो उन विषयों पर गौर करना बहुत ही आवश्यक हो गया है जिनके कारण हमारे हिन्दुस्तान के अंदर से इन विदेशी शक्तियों को मदद मिल रही है। आज आतंकवाद के साथ-साथ एक बहुत ही बड़ा मुद्दा हिन्दुस्तान में भ्रष्टाचार का है। हम सभी लोग जानते हैं कि आतंकवादी बाहर से भी आये हैं। लेकिन उन्होंने लोकल रिक्रूटमैंट भी किये हैं। ऐसे हालात यहां पर बनाये हैं कि उन्हें यहां के लागों को उसमें भर्ती करने में मदद मिली है। उन्हें ट्रेनिंग देने में मदद मिली है। हमारे बहुत से नौजवान भटके हुए हैं। वे हमारे प्रशासन के ऊपर अपनी आस्था खो बैठे हैं। उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं पर उनके साथ अन्याय हुआ है। मुझे लगता है कि हमारे समाज के अंदर और उससे भी अधिक प्रशासन के अंदर फैला हुआ जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार ने उन्हें एक बहुत बड़ा आधार मुहैया कराया है। आज जब हमारे गृह मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी जीरो टोलरेन्स की पॉलिसी आतंकवाद के खिलाफ अपनाना चाहते हैं तो मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि हमारे समाज के अंदर या पूरी व्यवस्था के अंदर से जब तक आप भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत ही सकारात्मक और सक्रिय कदम नहीं उठायेंगे, मुझे अफसोस है कि आपको मदद नहीं मिल पायेगी। सिर्फ इस बात को कह देने से काम चलने वाला नहीं है कि विदेशी शक्तियां हमारे हिन्दुस्तान को कमजोर करना चाहती हैं, उन्हें साधन मुहैया करा रही हैं, उन्हें पैसा मुहैया करा रही हैं।

सभापति महोदय, मैंने पिछले सत्र में आपको अवगत कराया था कि उत्तर भारत में तस्करी हो रही है। तस्करी में कौन लोग लिप्त हैं, वह मैं आपको बताना चाहता हूं कि तस्करी का जो व्हीकल बनाया गया है उसमें राज कर्मचारी भी हैं।

सभापति महोदय, उनको कहीं-कहीं महीने का पैसा मिलता है। स्थानीय लोग भी हैं जो उससे लाभ कमाना चाहते हैं, ताकतवर बनना चाहते हैं। आज मुझे आपको अवगत कराना है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी कोई प्रयास नहीं किया गया है। अखबारों में खबर छपी है कि हिन्दुस्तान के अंदर जाली नोटों का अम्बार लगा दिया गया है। कौन लोग हैं जो जाली नोट ला रहे हैं, ये कैसे आ रहे हैं ? असलहे बाहर से आ रहे हैं। ये कैसे चले आए, इनको यहां कौन ले आया ? मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जिस तरह से पढ़े-लिखे नौजवानों के साथ, समझदार लोगों के साथ प्रशासन द्वारा पक्षपात का व्यवहार किया जाता है उससे ऐसा होना स्वाभाविक है। मैं ऐसे कई बेगुनाहों को जानता हूं जिनके ऊपर बड़े-बड़े मुकदमे लगा दिए गए हैं। आज अगर उनकी आस्था हिन्दुस्तान के संविधान और उसकी व्यवस्था में खत्म हो रही है, तो उसके लिए अकेले बाहर के लोग जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि उसके लिए समूचा समाज जिम्मेदार है।

सभापति महोदय ने कौशन दे दिया है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। कुछ बातें कह कर समाप्त कर दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी आन्तरिक व्यवस्था है, जो हमारे प्रशासन की प्रणाली है, जो उन्नति और सुरक्षा की भावना समाज में आनी चाहिए, वह नहीं है। इसलिए हमें पहले उसके ऊपर काम करना पड़ेगा और हमें अपने प्रशासन को संवदेनशील बनाना होगा जिससे हमारे जो सांवैधानिक मूल्य हैं उनके अंतर्गत देशवासियों की आस्था बनी रहे, हमारा एका बना रहे। आज समाज के अंदर जो इंटर-एक्शन है, जो उसके अन्तर-संबंध हैं, वे संघर्ष पर आधारित हैं।

सभापति महोदय : कन्क्लूड कीजिए।

श्री रवि प्रकाश वर्मा : सर मैं समाप्त कर रहा हूं। आज हालत यह लगती है कि राजनीतिक स्थितियां भी जातिगत भावनाओं से चलने लगी हैं, तो जब पक्षपात होगा, जब मनमानी होगी, तो बगावत भी होगी और जब बाकी चरित्र होंगे, तो आतंकवाद के लिए आधार खड़ा होगा। इन बातों पर हमें गौर करने की बहुत जबर्दस्त आवश्यकता है।

सभापति महोदय : ठीक है। अब समाप्त करिए।

श्री रवि प्रकाश वर्मा : यह सही है कि बाहर से शस्त्र आए हैं। बाहर से एक्सप्लोसिव्स आया है। यहां के नौजवानों को खराब करने का प्रयास किया गया है। उनको लालच भी दिया गया है, उनको धमकी भी दी गई है, लेकिन हमें सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना है कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है, उसमें हमारी जो सरकार है वह किस तरीके से उपलब्धियां प्राप्त कर पा रही है, यह निश्चित सी बात है कि आतंकवाद के खिलाफ हम एक अन्तर्राष्ट्रीय माहौल बना पाएंगे और हिन्दुस्तान के अंदर व्यवस्था का नवजागरण कर पाएंगे, तो हमको उससे समाधान मिलेगा।

सभापति महोदय : अब समाप्त कीजिए।

श्री रवि प्रकाश वर्मा : सर, एक मिनट। इसके साथ ही मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि आज सरकार के सामने एक दबाव है कि वह व्यापक उद्देश्यों के लिए काम करे, लेकिन जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हिन्दुस्तान में मंदिर और मस्जिद के मामले पर समाज को विभाजित कराया गया है, राजनीतिक तौर के ऊपर, उसको देखते हुए हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि अन्याय की भावना, जुल्म की भावना कहीं रुक पाएगी। अगर राजनीतिक स्तर पर हम बड़े उद्देश्यों को लेकर नहीं चल सकते, अगर हमको संकीर्ण उद्देश्यों पर कार्य करना है, तो हमें आपको यह भी अवगत करा देना है कि आतंकवाद के खिलाफ जो हमारे उद्देश्य हैं, उनमें हमें दिक्कत आएगी। हमें निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से भी और अधिक मानवतापूर्ण उद्देश्यों को लेकर चलना पड़ेगा और सबसे अधिक जनता में प्रशासन के प्रति, सरकार के प्रति विश्वास जगाने की बहुत आवश्यकता है। इससे भी बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : कृपा कर स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रवि प्रकाश वर्मा : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मैं गृह मंत्री महोदय को बता देना चाहता हूं कि ··· *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट (दौसा) : जो प्रत्येक सदस्य ने अपनी चिन्ता व्यक्त की हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल सुझाव दिये हैं। कृपया इसे गंभीरतापूर्वक लीजिए। उन्हें अपने विचार गंभीरतापूर्वक व्यक्त कर लेने दीजिए। आपने नियम 193 के अधीन चर्चा के लिए केवल पांच मिनट दिये हैं। जो उचित नहीं है। यदि समय कम है तो इसकी सूचना सभा को दी जानी चाहिए। यदि किसी सदस्य को चार या पांच मिनट ही बोलने के लिए दिये गये हैं तो कश्मीर की स्थिति के बारे में इतने कम समय में कोई क्या बोलेगा ? यदि आप त्रिपुरा राज्य जहां स्थिति ठीक नहीं है उस राज्य के सदस्य को पांच मिनट का समय भी नहीं देंगे तो वो अपना विचार कैसे व्यक्त कर सकते हैं ?

[हिन्दी]

कितना समय है ?

सभापति महोदय : नियम 193 के अधीन दो घंटे की बहस होती है। उसमें इनकी पार्टी का पांच मिनट का समय है।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : कृपया सभा से समय बढ़ा लेने को कहिए। कश्मीर में खराब स्थिति चल रही है। आप हर पांच मिनट बाद घंटी बजाकर सदस्यों को केवल सुझाव देने को कह रहे हैं। यह गंभीर मामला है। कृपया इसे गंभीरता से लें।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा : आज एक और बात पर गौर करना है कि प्रशासन और जनता के बीच की जो दूरी बढ़ रही है। प्रशासन के खिलाफ लोक कर्मचारियों के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ केवल जनभावनाओं का उभार देना ही काफी है। इससे जनता प्रसन्न हो रही है। उसको समाधान मिल रहा है। इतनी दूरी दिखाई पड़ने लगी है कि इस पर हमें विशेषतौर से गौर करना पड़ेगा।

हमारे प्रशासन और जनता के बीच जो दूरी है, जो लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं, उनको पूरा करके उस दूरी को भरा जाये।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करिये।

श्री रवि प्रकाश वर्मा : माननीय गृह मंत्री जी, जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि वहां जो विकास के कार्यक्रम हैं, उनको पूरी जागरूकता के साथ और जनता का सहयोग लेते हुए आप लागू कर पायें और हिन्दुस्तान के संविधान के अंदर जब आप लोगों की जन. भावना और आस्था पैदा कर पायेंगे तब आपको विशेष रूप से इन मदों में मदद मिलेगी। आंतकवाद के खिलाफ लड़ाई एक अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई है। यह खाली हमारे हिन्दुस्तान की समस्या नहीं है बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। मुझे आशा है कि हमारे प्रयास सफल सिद्ध होंगे और आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई में हम जीतेंगे।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : सभापति जी, आज का विषय बहुत गम्भीर भी है और राष्ट्रीय भी है। समय कम होने की वजह से मैं कश्मीर के बारे में ज्यादा बात करूंगा क्योंकि आतंकवाद और उग्रवाद पूर्वी क्षेत्रों में ही ज्यादा व्यापक नहीं है बल्कि ज्यादा जल्दी शुरू हुआ है। ओसामा बिन लादेन ने अभी कुछ दिन पूर्व जलालाबाद में कहा है, मैं उसे कोट कर रहा हूं :—

> 'हमारे सबसे बड़े दुश्मन अमरीका और भारत हैं और हमें अपने सब संसाधनों से उन्हें निशाना बनाना चाहिए।'

इसी के साथ उन्होंने हमारे देश के खिलाफ जेहाद छेड़ने का ऐलान कर दिया है। यह लड़ाई कश्मीर में पिछले 50 साल से चल रही है। कभी कुछ समय प्रत्यक्ष रूप से युद्ध होता है तो बाकी समय आतंकवाद चलता रहता है। इसलिए कश्मीर के विषय को हम केवल आतंकवाद के दायरे में नहीं रख सकते। पिछले 50 साल में हमारे 29,151 सिविलियन और 5,101 जवान मारे गये हैं और 2 हजार करोड़ रुपये की सम्पत्ति की क्षति हुई है। हमारे एक मित्र ने बताया कि 64 हजार करोड़ रुपये का खर्चा हुआ है। 7 हजार से ऊपर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने घुसपैठ की है और 20 हजार भारतीयों को पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि यह युद्ध 50 साल से चल रहा है इसलिए इसको आतंकवाद की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इस्लाम के बुद्धिजीवियों के अनुसार विश्व को दो कैम्प में बांटा गया है। एक, दारूल इस्लाम जहां पर इस्लाम के तरीके और उनके रूल चलते हैं और दूसरा, दारूल हर्ब है। भारत को दारूल हर्ब की श्रेणी में रखा गया है। यह कहा जाता है कि दारूल हर्ब में तब तक लड़ाई चलती रहेगी जब तक कि वह दारूल हर्ब इस्लाम में परिवर्तित न हो जाये। इसलिए इस मसले को एक आतंकवाद के मसले तक ही सीमित नहीं रख देना चाहिए। इसके बहुत से कारण हैं, जिसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन कश्मीर की अगर मिसाल ली जाये तो उसमें सन् 1949 में लड़ाई हुई। सन् 1965 में लड़ाई हुई। सन् 1971 में लड़ाई हुई और अभी हाल में कारगिल में एक युद्ध हुआ है। सन् 1971 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान के दिमाग में यह बैठ गया कि हम भारत से प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो हमको बहुत नुकसान होगा। सन् 1971 में 16 दिन की लड़ाई में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को दो हिस्से में विभाजित करके एक हिस्से को स्वतंत्र बना दिया गया। 92 हजार सैनिक बंधक बनाकर हम यहां पर ले आये। इससे पाकिस्तान को बहुत धक्का लगा। उसने तभी से योजना बनाई है कि इस देश को खोखला करने के लिए जरूरी है कि आतंकवाद बढ़ाया जाये।

अगर सचमुच देखा जाए तो कश्मीर में आतंकवाद का रूप सन् 1974 से शुरू हुआ है। हमारे माननीय सदस्य गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। उस समय आतंकवाद बहुत पराकाष्ठा पर था और उन्होंने भी इससे डील किया है। इसलिए हम यह समझ जाएं कि यह समस्या आम आतंकवाद और उग्रवाद की श्रेणी में नहीं है। यह एक युद्ध है। आप इसे चाहे प्रॉक्सी वॉर कहें, चाहे आम वॉर कहें, यह युद्ध चल रहा है। ये उसके साथ संसाधन जुटाने का काम करें। मैं गृह मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके कार्यकाल में जरूर कुछ कमी आई थी। यह बात भी खास सोचने की है कि जब आतंकवाद को अपने काबू में लाने की कोशिश कामयाब दिखती है तो लड़ाई छेड़ी जाती है। जब लड़ाई में हारा जाता है तो दुबारा आतंकवाद पर वापिस

आया जाता है क्योंकि यदि 1997 और 1998 के आंकड़े पूरे तौर से देखे जाएं तो पता लगता है कि 1997 और 1998 में वारदातें कम होनी शुरू हुई थी। कारगिल उसका नतीजा है। कारगिल में विफल हो जाने के बाद दुबारा आतंकवाद बढ़ाना कारगिल की विफलता का नतीजा है। इसलिए ये एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसमें सबसे बड़ी भूमिका आई०एस०आई० की है। जब हम आई०एस०आई० की बात करते हैं तो हमको पूरे देश में व्यापक रूप से देखना पड़ेगा। जब हम व्यापक रूप से देखते हैं तो यह दिखाई पड़ता है कि चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार का इलाका हो, अब तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में भी इनकी गतिविधियां बढ़ रही हैं। जो आंकड़े दिए हैं, वे अपने आप में बहुत भयावह हैं कि आई०एस०आई० का जाल किस तरह बिछ चुका है। केवल आतंकवाद को छोड़कर आगे यदि युद्ध की परिस्थिति आ गई और जिस तरह से बातें चलती हैं, इतनी विस्फोटक हो गई हैं कि किसी भी समय युद्ध की परिस्थिति आ सकती है। उस समय आई०एस०आई० का जाल, जो इस देश में बिछा हुआ है, बहुत खतरनाक साबित होगा, यह मैं अपने पुराने अनुभव से बता रहा हूं। मेरा यह समझना है कि यदि पिछली प्रदेश सरकारें इस बारे में गंभीर होती तो आई०एस०आई० का जाल आज तक इतनी तेजी से नहीं बिछ सकता था।

इतिहास के पन्ने उलटने के लिए समय नहीं है लेकिन हम एक-दो चीजें बताना चाहते हैं। जब सन् 65 का युद्ध हुआ था, कारगिल के जो दो पासेस हैं, जिन्होंने हमें बहुत परेशान किया, दो बार युद्ध हुआ था – मई में जब कच्छ में युद्ध हुआ था तब उन दो पासेस को हमने ले लिया था। वे वापिस कर दिए गए। उसके बाद दुबारा सन् 65 में युद्ध हुआ तो हाजी पीर और ये दो पास फिर हमने ले लिये। फिर वापिस कर दिए गए। यही तीन पासेस हैं जिनके जरिए ज्यादातर आतंकी या उसके पास-पास के इलाके वहां से आते हैं। यह जो समस्या पैदा हुई है, चल रही है, बढ़ रही है, इस समस्या पर बहुत दिनों से पुरानी सरकारों ने ढिलाई से काम किया है, इसलिए यह बढ़ी है। इस बात को समझना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसे एक युद्ध के स्तर पर देखा जाए, फर्क सिर्फ इतना है कि इसे राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा और राष्ट्रीय स्तर पर लड़ना पड़ेगा। इसे केवल सेनाएं नहीं लड़ सकतीं। आई०एस०आई० का खात्मा करना पड़ेगा। इस अभियान को हमें एक नैशनल मिशन के तहत लेना पड़ेगा। इसमें प्रदेश सरकारों की बहुत अहम भूमिका है, इससे हम दूर नहीं हट सकते।

आतंकवाद और उग्रवाद एक आर्थिक स्रोत नहीं बनना चाहिए। हमने यह देखा है कि जिन-जिन जगहों पर आतंकवाद होता है, वहां पर बहुत पैसा खर्च किया जाता है और वह पैसा कुछ तो काम में जाता है, कुछ उन आतंकवादियों की जेब में जाता है और जब यह एक स्रोत बन जाता है तो आतंकवाद एक व्यापार का रूप ले लेता है। इसलिए जबकि प्रगति के लिए पैसा देना जरूरी है, लेकिन इस तरह से उसका आवंटन न किया जाये कि वह हर तरह से आतंकवादियों को फायदा दे। मैं बहुत से उदाहरण दे सकता हूं, हमारा आतंकवाद से लड़ने का 15 साल का अनुभव है। भारत विरोधी प्रोपेगण्डा से पाकिस्तान के लोग बहुत प्रभावित होते हैं और उनका उन्माद बढ़ता है। हमारे यहां दुर्भाग्य से और यहां संसद में भी हमने कभी-कभी देखा है कि ऐसी बातें कही जाती हैं कि हमें कभी-कभी लगता है कि दूसरे लोग जो इसको सुनेंगे, वे सोचेंगे कि हमारी स्वयं की आलोचना भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वह मुसलमान विरोधी है। ये सब चीजें भी वहां पर पहुंचती हैं और बिल्कुल गलत संदेश इससे जाता है, न केवल पाकिस्तान में, उसके बारे में हमें फिक्र नहीं है, लेकिन संदेश जो कश्मीर की जनता में जाता है, वह एक बहुत गलत संदेश है और हर मौका यह ढूंढकर इस संदेश को दिया जाये कि हम मुसलमान विरोधी हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बार-बार ढूंढकर जो यह मौका दिया जाता है, हमारे ख्याल में यह हमारे इस विषय के लिए एक बहुत गलत चीज है।

एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो कि वैद्य जी ने भी कही है कि कश्मीर की जनता ने आतंकवाद से मुंह मोड़ लिया है। लेकिन कश्मीर का असली आतंकवाद और पंजाब का आतंकवाद करीब-करीब एक समय में शुरू हुए थे, हमें पंजाब में आतंकवाद से लड़ने का अवसर मिला था। हमने यह देखा कि आतंक तब पनपता है, जबकि वहां की जनता उसका साथ देती है और यह बात कि वहां की जनता आतंकवाद से मुंह मोड़ रही है, लेकिन अपने ऊपर इतनी शक्ति पैदा नहीं कर पा रही है कि यह आतंकवाद से लड़े। इस फर्क को समझना चाहिए। इसलिए यह जरूरी है कि जो लोग वहां से वापस बाहर भेज दिये गये हैं, उनको वापस फौरन ले जाया जाये, अपनी जगह पर बसाया जाये, क्योंकि सबसे जरूरी चीज आतंकवाद से लड़ने में सूचना है और सूचना के लिए हमको स्रोत चाहिए और इसलिए जो लोग निकाले गये हैं, सबसे पहले प्राथमिकता देनी पड़ेगी, उन लोगों को वापस जाकर वहां पर बसाने की, क्योंकि वे लोग स्थानीय लोगों को जानते हैं।

आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कारगिल में हमारे जवानों के शौर्य से, उनके त्याग से 1971 में हमने पाकिस्तान को एक सबक सिखाया था। वह सबक वह 20-25 साल तक नहीं भूला, केवल आतंकवाद पर लगा रहा, लेकिन नई पीढ़ी आ गई, 25 साल के बाद वह 1971 भूल गया। कारगिल का युद्ध किया, कारगिल में मुंहतोड़ जवाब मिला है, दोबारा उनको यह सबक मिलेगा कि प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई नहीं करनी है, आतंकवाद को बढ़ावा देना है, इसलिए हमको एक राष्ट्रीय मिशन बनाकर इससे लड़ाई करनी पड़ेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेश पायलट : सभापति महोदय, पहले तो मैं आपका आभारी हूं। *(व्यवधान)* ये मुझसे पहले बोलना चाहते हैं ? आप बोल लें, मुझे भी इनकी बात से ज्ञान मिलेगा। आप मुझसे पहले बोलना चाहें तो बोल लें।

सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस विषय पर चर्चा प्रारम्भ की। मैंने मन से बात कही थी कि कश्मीर में कुछ समस्याएं हैं, तभी हमने यह सवाल उठाया है। आज सदन में इसलिए चर्चा हो रही है कि वहां हालत गिरी है और आंकड़ों में गिरी है। गिरी है, यह दिख रहा है कि गिरी है। कल हम जिस पर बहस कर रहे थे, कल बहस होनी चाहिए। कल रात लाल चौक में जो श्रीनगर का बिल्कुल सैण्टर है, रीगल चौक पर ब्लास्ट हुए हैं और आठ आदमी मारे गये हैं। मेरे भाई कह रहे थे, ठीक है कि आतंकवाद से नहीं जोड़ना चाहिए। मैं इस बात को मानता हूं कि कश्मीर की समस्या आतंकवाद से नहीं जुड़नी चाहिए। कश्मीर की समस्या भिन्न है और यह बात भी ठीक है, हमें सब को बैठकर उस पर बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा। यह अकेले सरकार की तकलीफ नहीं है।

[श्री राजेश पायलट]

हम लोग भी सरकार में रहे हैं। यह देश की समस्या है, लेकिन दुख की बात है कि सरकार ने उतना चौकसी नहीं दिखाई इसलिए हम आपके बीच में बात करने आए हैं। हम यहां सच्चाई से चर्चा कर रहे हैं, यह नहीं कि हम विपक्ष में बैठे हैं इसलिए बोल रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग जितने पहले के साल में नहीं मरे, उससे ज्यादा पिछले साल में मरे हैं। इसी तरह पिछले साल पहले के साल से ज्यादा अटैक हुए हैं। बादामी बाग का नक्शा देखें, वहां मिलिटेंट दो गार्ड रूम पार करके मार कर चले गए। पहले सैबोटाज हुआ, एक ब्लास्ट भी हुआ था, जिसमें हमारे मेजर जनरल मारे गए। मैं यह नहीं कहता कि ऐसा हादसा पहले नहीं हुआ, सैबोटाज हुए हैं, लेकिन मिलिटेंट आर्म कैंटोनमेंट में चले जाएं और मारकर वापस चले जाएं, एक मर गया, दूसरा भाग गया, यह चिंता का विषय है। मैंने फौज में नौकरी की है। जो गार्ड रूम पार हुआ, जो हमारी सिक्योरिटि का सबसे पुख्ता दरवाजा है, उससे मिलिटेंट अंदर चले गए इसलिए यह चिंता का विषय है। आज सिक्योरिटी फोर्सेज पर अटैक बढ़े हैं, हमारे भाइ मरे हैं इस साल में 350 के करीब उनकी संख्या है, जो मैंने आपके एक उत्तर में पढ़ी है। उनके पास आधुनिक हथियार जा रहे हैं, एल०एम०जी०, यू०एम०जी० है, मिसाइल्स की बात चलने लगी है, उनका कम्युनिकेशन हमारी फौजों से बेहतर है। जहां तक मैंने कहीं पढ़ा है, उसके अनुसार पहले पांच मिलिटेंट को मारकर हमारा एक बहादुर जवान कुर्बानी दिया करता था, लेकिन अब उनके आधुनिक हथियार आ गए हैं इस वजह से तीन मिलिटेंट मारकर एक जवान कुर्बानी दे रहा है। इसमें भी बढ़ोत्तरी हो रही है। यह रेशो जो पहले एक-पांच का था, अब एक-तीन का रह गया है। सिविल कैजुअल्टी आपके हिसाब से 1998 में 2261 थी, अभी दिसम्बर का महीना चल रहा है, आज 2350 हो गई हैं। इस कारण सबमें बढ़ोत्तरी हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज पर अटैक ज्यादा हो रहे हैं, कम्युनिकेशन ज्यादा बढ़ रहा है, आर्म्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, घुसपैठ ज्यादा बढ़ रही है। हमारे एक भाई अभी कह रहे थे कि हम बधाई देते हैं कि इनफिलट्रेशन पर रोक लगी है। मैं बताना चाहता हूं कि वहां से 600 यूथ ने घुसपैठ की है। बक्रवाल हमेशा देश के लिए सहारा हुआ करते थे और खबर दिया करते थे। पुंछ और राजौरी में पहले घुसपैठ नहीं हुआ करती थी, आज उल्टा हो रहा है। कुपवाड़ा वगैरह से इनफिलट्रेशन हो रही है, राजौरी और पुंछ से भी लोग आने शुरू हो गए हैं। अगर आपको 1965 का युद्ध याद है तो पता होगा कि ये बक्रवाल सबसे पहले खबर देते थे कि घुसपैठिए आ गए हैं और फिर हमारी फौजें कार्रवाई शुरू किया करती थी। आज वे लोग भी क्यों नहीं संकेत दे रहे हैं, उन लोगों को क्या तकलीफ है, यह देखना होगा। आज पुंछ और राजौरी से क्यों इनफिलट्रेशन शुरू हो गई है। ये लोग राजौरी और पुंछ से आते हैं और फिर वैली में पहुंच जाते हैं। ये तीन महीने अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर, ऐसे हुआ करते थे कि इन दिनों पासेज बंद हो जाते थे और हम लोग तैयारी करके अटैक किया करते थे, इससे आगे के लिए बहुत सहूलियत हो जाती थी। यही पीरियड होता था जब हमारी फोर्सेज सुपीरियर हुआ करती थी। जब बर्फ पिघलने लगती थी तो उनके पासेज खुल जाते थे, इनफिलट्रेशन बढ़ जाता था, लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन तीन महीनों में भी घुसपैठ बढ़ रही है। इस बात को सरकार को ध्यान में रखकर सोचना चाहिए। इसका कारण क्या है, दुख के साथ कहना पड़ता है यह बयान देना बहुत आसान है कि हालात सुधरे हैं, कश्मीर अब पुराना कश्मीर नहीं रहा। मैं बहुत भारी मन से कह रहा हूं गृह मंत्री जी, मुझे दुख है कि यह कश्मीर दुबारा 1990 की हालत में न कहीं पहुंच जाए।

मुझे याद है 1999 में लेट राजीव गांधी जी और देवीलाल जी का एक डेलीगेशन वहां गया था, मुझे नहीं मालूम कि आप उसमें थे या नहीं। राजीव जी लौटकर हमें बता रहे थे कि मुझे डर है कि कश्मीर हमारे पास रह पाएगा या नहीं। एक होटल में जाकर ये रुके थे। बैरे ने चाय पिलाने से मना कर दिया था। वह डर रहा था कि चाय पिलाने पर कहीं शाम को मेरे परिवार को न खत्म कर दिया जाए। कोई आदमी बात करने के लिए नहीं आता था। 1991-92 में मैंने प्रत्यक्ष देखा था, अगर गैस्ट हाउस में चले जाया करते थे तो कार ड्राइवर लेकर जाता था, वह हमसे बात नहीं करता था। इन हालात में कश्मीर के हमारे भाई-बहन गुजरे हैं। जम्मू-कश्मीर के भाइयों ने बड़ी बहादुरी से काम किया है, उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई है। आज भी जो लड़ रहे हैं, उनको सहारा देने के लिए उम्मीद बंधी थी इस चुनाव से कि चुनाव के बाद सरकार आ गई है, अब केन्द्र सरकार और राज्य सरकार इस तकलीफ को दूर करेंगी, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि बात उतनी आगे नहीं बढ़ी, जितनी बढ़नी चाहिए थी।

आज जम्मू काश्मीर सरकार और केन्द्र सरकार में झगड़ा चल रहा है। वे कह रहे हैं कि हमारा पैकेज नहीं दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम सब कुछ दे रहे हैं। पैकेज से रास्ता नहीं निकलेगा। वहां के मुख्य मंत्री ने एक मांग की थी, जिस तरह के पंजाब के सिक्योरिटी एक्सपैंसेस को माफ कर दिया, वैसे ही काश्मीर के लिए क्यों नहीं किया जा रहा है। काश्मीर की हालत पंजाब से ज्यादा बुरी है, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठ रही है। अब तो आप एक हो, पहले तो फारूख अब्दुल्ला साहब हमारे साथ थे। उनके लड़के कैबिनेट में मंत्री हैं, फिर भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। एक भाई बिनलादेन के ब्यान के बारे कह रहे थे, यह सच्चाई है। अलबर्ट का विलास जी ने जिक्र किया, चाहे जे०के०एल०एफ० हो या दूसरे युनिट्स, उनसे बात करनी चाहिए। अब एक नई तंजिम बनती जा रही है और उसमें ज्यादातर फारन-मिश्नरीज अफगानिस्तान से आ रहे हैं। मेरे पास खबर यह है, 1995-96 में 8-10 परसेंट मिश्नरीज जाया करते थे और गृह मंत्री जी आज 40-45 प्रतिशत इन्फिलट्रेटर्स फारन-मिश्नरीज सुसाइड-स्कवैड बना रहे हैं। यह चिन्ता की बात है। इन सुसाइड-स्कवैड ने अटैक किए हैं, चाहे कहीं से भी किए हों। बार्डर सिक्योरिटी फोर्स के हैडक्वार्टर पर अटैक किया है और डी०आई०जी० को मार दिया गया। अगर इनके बारे में चिन्ता नहीं की गई, तो हालत और भी बिगड़ते जायेंगे। इसके बारे में एक तरीका निकाला गया था। मैं यह नहीं कह रहा हूं, जो हमने किया, वह बिल्कुल सफल हो गया। मैं यह नहीं कह रहा हूं, जो हमने किया, वही ठीक है। उसमें आप सुधार कर सकते हो। अगर आपको कहीं लगता है, हमने जो किया, वह ठीक नहीं था, तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। लेकिन हमने शुरूआत की थी, कोआर्डिनेशन की। अभी हमारे भाई जिक्र कर रहे थे कि हमारे पास सूचना नहीं आती है, सूचना समय पर नहीं आती है। यह बात सही है कि हम एक इनविजिबल दुश्मन से लड़ रहे हैं और विजिबल ढंग से लड़ रहे हैं। हमें खबर आती है और दो पलाटून भेज देते हैं। गांव में देखरेख होती है, सबकी तालाशी होती है और गांव में एक शोर मच जाता है। यह सब जानबूझ कर हो

रहा है। यह महीना इफतार का महीना है। लोकल रैजीडैंट्स में शोर मच जाता है कि हमें तंग किया जा रहा है। सूचना लेने में मुश्किल होती है। यह एक नई टैकटिक्स है, पाकिस्तान की चालाकी है कि ऐसे मौके पर झगड़ा करो, जिससे इनकी भावना देश के खिलाफ हो जाए। आज लिब्रेट जम्मू-काश्मीर सलोगन नहीं है, उनका स्लोगन ब्रेक इंडिया है। इस बारे में सोचिए। अब वे जम्मू-काश्मीर में ज्यादा इन्टरैस्टेड नहीं है, देश को कैसे तोड़ा जाए, यह एप्रोज उन्होंने शुरू कर दी है। हमारे साथी कह रहे थे, यह चीज उन्होंने सारे देश में शुरू कर दी है। सारे इन्सरजैंट्स, मिलिटेन्ट्स, चाहे पंजाब के हों, चाहे त्रिपुरा के हों, चाहे नार्थ-इस्ट के हों, चाहे काश्मीर के हों, इनका ग्रुप बन गया है और आर्म्स सप्लाई हो रहे हैं तथा एक यूनिट से हो रहे हैं। जिस तरह से हम अपने देश में फौजों के लिए आर्म्स खरीदने के लिए नैगोशिएट करते हैं, उसी तरह से आर्म्स खरीद रहे हैं। मैं किसी नैगोसिएशन में बात कर रहा था, तो एक नौजवान लड़का मुझसे बोला – पायलट साहब, आप नैगोसिएशन में बात शुरू कर रहे हो, हमारे फ्युचर के बारे में कभी सोचा है ? मैंने कहा – क्या होगा आपका ? उसने बताया – हमारे बच्चे चाइना में बढ़ रहे हैं, कहीं लंदन में पढ़ रहे हैं। हम सब इनके एजेंट्स हैं, आर्म्स खरीदते हैं। जब यहां बी०एस०एफ० नहीं रहेगी, तो हम अपने बच्चों को कहां ले जायेंगे, कैसे अच्छी शिक्षा दे पायेंगे। हाई-पेड जाब उनको मिल गई है, इस वजह से वे इन चीजों से स्टक हो गए हैं। काश्मीर के बारे में मेरी दो प्रार्थनायें हैं। गृह मंत्री जी, एक युनिफाइड कमांड बनी थी और बहुत सोच कर बनाई गई थी। जब बनाई गई थी, तब भी यह समस्या आई थी। पैरामिलिट्री फोर्स की समस्या थी। इस आर्मी की बात नहीं सुनेंगे। आर्मी युनिफाइड कमांड में जी०ओ०सी० को हैड बनाया था, इसलिए की आर्मी सबको कोआर्डिनेट करे। वह बहुत अच्छा प्रयास था और बहुत सफल रहा था। हर सुबह नौ बजे युनिफाइड कमांड की मीटिंग होती थी, जी०ओ०सी० बैठता था, सारे पैरामिलिट्री के डैलीगेट और स्टेट गवर्नमेंट के डैलीगेट जाया करते थे। मैंने अखबार में पढ़ा है, आपने चीफ मिनिस्टर को चेयरमैन बना दिया है। यह सही है कि चीफ मीनिस्टर डैमोक्रेटिकली इलैक्टेड सरकार है, अच्छी बात है, लेकिन मीटिंग तो रेग्युलर होनी चाहिए। उन मीटिंग्स की खबर तो आनी चाहिए। जैसा मैंने पिछली बार कहा था, दो-दो महीने मीटिंग नहीं होती है, जो हर मंडे को सुबह हुआ करती थी और दस बजे होम मिनिस्ट्री में खबर आ जाया करती थी कि ऐसे-ऐसे चल रहा है। यह कोआर्डिनेशन डिस्ट्रिक्ट लैवल पर शुरू की थी। मेरी प्रार्थना है कि कोआर्डिनेशन जब तक नहीं होगा, जब तक सिस्टम एकाउन्टेबल नहीं होगी, तब तक रिजल्ट्स सामने नहीं आयेंगे।

वहां जब तक विकास की बातें नहीं चलेंगी, बेरोजगार बच्चों के लिए दो रोटी का इंतजाम नहीं कर पाएंगे तब तक हम उनको कैसे मेनस्ट्रीम में लाएंगे। हम सब भाषण तो दे रहे हैं कि कश्मीर को मैनस्ट्रीम में आना चाहिए। हमने इसके विकास के लिए क्या कदम उठाए हैं। 30,000 सोफ्ट कम्प्यूटर ट्रेंड बच्चे वहां बैठे हैं। वहां सरकार एक सेटेलाइट का कनैक्शन नहीं दे पा रही है, इसे देने से 5000 लोगों को तो उसी दिन नौकरी मिल जाएगी। इस तरीके के कदम सरकार की तरफ से उठने चाहिए। हमने एक योजना शुरू की थी, कश्मीर से बच्चे ले जाकर बाहर के प्रदेशों में हमने उनके लिए रोजगार ढूंढे थे। हम उनको एजूकेशन के लिए मेडिकल और दूसरी चीजों में बाहर के प्रदेशों में भेजते थे तो उसका प्रभाव पड़ा था लेकिन वह एकदम बंद हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप इन चीजों पर ध्यान देंगे। आडवाणी जी, जो 1999 का इलैक्शन हुआ, उसमें मेरे साथी चुन कर आए हैं, मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। 1989 में भी चुनाव के बाद तकलीफ हुई थी। 1999 के चुनाव में कुछ ऐसे कदम उठाए गए, जिससे लोगों को चोट पहुंची। मैं लोगों से मिलता हूं, उनसे बात करता रहता हूं। इलैक्शन जरूरी नहीं हैं, लोगों की भावना देश से जोड़नी जरूरी है। अगर कहीं गलतियां हुई हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि उन्हें दूर करे। मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं 1989 वाली हालत फिर न आ जाए। अगर 1989 वाली हालत आ गई तो ठीक नहीं होगी। हमारी फौज पैरामिलिट्री बहुत दिनों से लड़ रही है, लोग कुर्बानियां दे रहे हैं। उनमें भी यह फीलिंग आ गई है कि हम कब तक इस बंदूक को उठाए रखेंगे। इसका समाधान क्यों नहीं निकालते ? सरकार एक तरफ सख्ती करे लेकिन दूसरी तरफ कोई रास्ता भी निकाले। इस तरह आप कश्मीर को ज्यादा दिनों तक नहीं चला सकते, इसलिए जल्दी कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें।

महोदय, सरकार की तरफ से कोई प्रयास चले, बातचीत हो। बातचीत करने में क्या हर्ज है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सख्ती करना छोड़ दो, लेकिन सोफ्ट एप्रोच और हार्ड एप्रोच ने पहले भी हल निकाले हैं। मुझे दो बातें नार्थ-ईस्ट के बारे में कहनी हैं। वहां के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। अभी मेरे साथी बोले हैं, मुझे उम्मीद है कि हमारे और भी साथी बोलेंगे। नागालैंड, मणिपुर में हालत बिगड़ी है। हमने कोशिश की थी और मुझे खुशी है कि सरकार की भी नेगोसिएशन सीज फायर, एन०एस०सी०(आई०)एन० के साथ हुई है। लेकिन मुझे दुख है कि इस सीज फायर के दायरे में वे कहीं अपनी ताकत न बढ़ाएं। मेरे पास ऐसी खबर है कि एक तरफ तो सीज फायर चल रही है और दूसरी तरफ उनका कैडर बढ़ रहा है, क्योंकि जब सिक्युरिटी फोर्स उन पर कोई अटैक नहीं कर सकती तो सीज फायर का बहाना चलता है। आर्मी ज्यादा कदम नहीं उठा सकती तो सीज़ फायर के कुछ रूल्स बना देते हैं। आप अगर आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि मणिपुर में कितनी किलिंग बढ़ी है और वह मेटीस और कुकीस की बढ़ी है, क्योंकि एन०एस०सी०एन० तो डायलॉग में है, जो दूसरे लोग हैं उन पर अटेक हो रहे हैं। करीब 100-150 मेटीस और कुकीस मारे गए हैं। मणिपुर में हालात खराब है। दूसरा मणिपुर में चिन्ता का विषय यह है कि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म मणिपुर में खड़ा हो रहा है। अब अगर वह वहां खड़ा हो गया तो मुझे दुख होगा कि फिर सब कनेक्टिड कश्मीर के मिलिटेंट्स की एक आउटपुट की जगह बन जाएगी और मणिपुर इनका सेंटर बन जाएगा। अगर इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट मणिपुर में खड़ा हो गया तो फिर वह हमारे नार्थ-ईस्ट और नार्दन पार्ट से जुड़ जाएगा। आज भी जो हमारा नेपाल बार्डर उत्तर प्रदेश में है वह हमारे लिए बहुत खराब है। हमारे काम बिगड़ रहे हैं। जो लोग सीधे कश्मीर नहीं आ सकते वे नेपाल पहुंचते हैं और नेपाल के बार्डर से यू०पी० में घुस कर सारे देश में घूमते हैं। हमने कोशिश की, लेकिन हम उसमें सफल नहीं हो पाए। नेपाल बार्डर बिल्कुल ओपन बार्डर है। वहां न कोई चैक है, न फेंसिंग है और न ही चैकपोस्ट है, जो कि बहुत जरूरी है। यू०पी० गवर्नमेंट से बात की थी तो उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय इसका खर्च उठाएं। वह ब्यूरोक्रेटिक एप्रोच में थोड़ा रह गया। मेरी गृह मंत्री जी से प्रार्थना

[श्री राजेश पायलट]

है कि नेपाल बार्डर भी टाइट होना चाहिए। अगर नेपाल बार्डर टाइट होगा तो तभी हमारा प्रभाव उन पर पड़ेगा और उन्हें रोक पाएंगे।

महोदय, मुझे आखिर में एक ही प्रार्थना करनी है कि डेवलपमेंट एक्टीविटी बढ़ा कर उनके दिल आप जीत सकते हैं। चाहे नार्थ-ईस्ट की बात हो या जम्मू-कश्मीर की हो। एक योजना गृह मंत्रालय में बनी थी, गृह मंत्री जी उसे देख लें। इसमें हमने बेरोजगारों को स्पेशल रिक्रूटमेंट कराई थी। जब एक बारामूला का लड़का फौज और पुलिस में भर्ती होकर तमिलनाडु में जाता है तो उसे पता चलता है कि मेरा देश क्या है, लेकिन बारामूला से बाहर नहीं निकलता तो उसकी लिमिटेशन बारामूला तक रहती है।' उस पर और शक्तियों का असर ज्यादा पड़ता है और वह नेशनल मैनस्ट्रीम में आने से रोकता है। हमने शुरूआत की थी, उसमें कुछ भर्तियां हुई थीं, अब पता नहीं उसकी क्या स्थिति है। हमने लड़कों को ट्रेंड करके आई०टी०आई० वगैरह में कुछ वेकेन्सियां निकाली थीं। उन बच्चों को हम बाहर भेजा करते थे। मैं अपोजिशन से बोल रहा हूं, इसलिए ऐसे नहीं बोल रहा हूं। मंत्री जी, मैं बहुत चिन्ता के साथ कह रहा हूं कि कश्मीर पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बयानों और बातों से गाड़ी नहीं चलेगी, प्लान बना कर, ढंग से हम सब को मिल कर उसके लिए समाधान निकालना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से वायदा करता हूं।

अपराह्न 5.40 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

हमसे जो भी मदद चाहे, पॉलिटिकल हो चाहे दूसरी, जो भी मदद चाहिए, हम देने को तैयार हैं, लेकिन काश्मीर को देश का मुद्दा समझकर, सारे देश की समस्या समझकर इसको हल करना चाहिए। यह केवल सरकार की समस्या नहीं है, यह सारे देश की समस्या है। इसी भावना को लेकर इस समस्या का समाधान करें। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस दिशा में उचित कदम उठाएंगे।

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : राजनीतिक समाधान के संबंध में क्या हुआ।

श्री राजेश पायलट : मैंने बातचीत करने की बात कही है। क्या आपने मेरी बात नहीं सुनी है ? मैंने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर के लोगों की समस्या को जानने हेतु बातचीत की जानी चाहिए। बातचीत किया जाना अत्यंत आवश्यक है और इसके बगैर आप अपने विचारों का आदान-प्रदान नहीं कर सकते हैं। मैं शुरू से ही बातचीत किए जाने की मांग करता रहा हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय गृह मंत्री जी से जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह तथा आतंकवाद को गंभीरता से लेने तथा आतंकवादियों की योजना के खिलाफ कठोर कार्यवाही किए जाने का अनुरोध करता हूं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : महोदय, मैं इस अत्यंत गंभीर मामले पर मुझे बोलने की अनुमति देने हेतु आपका अत्यधिक धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

सबसे पहले मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा। कुछ गलतियां हो जाएं तो क्षमा करना। नार्थ-ईस्ट रीजन में जो इन्सरजेंसी पैदा हुई, उसके बारे में मेरा अनुमान प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन्स पर आधारित है और उन्हीं के मुताबिक मैं बोलने जा रहा हूं।

[अनुवाद]

वहां जो भी आतंकवादी दल हैं उन्हें प्रारंभ में किसी अन्य देश से न तैयार किया जाता है न प्रश्रय और प्रोत्साहित किया जाता है और न ही इसमें अन्य देशों के भाड़े के सैनिक सहयोग करते हैं।

[हिन्दी]

असली कारण क्या हैं ? नार्थ-ईस्ट में स्थानीय लोग हैं, एथनिक ग्रुप हैं और उनके जो मुद्दे हैं उन पर जिस ढंग से भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए था, जिस ढंग से समस्याओं का समाधान करना चाहिए था, वह नहीं हो पाया। समस्याओं के समाधान का रास्ता एक और होता है और वह है अहिंसा का रास्ता।

[अनुवाद]

मैं महात्मा गांधी और श्री दलाई लामा का अनुयायी हूं। प्रत्येक समस्या का समाधान शांतिपूर्ण राजनीतिक बातचीत तथा विचार-विमर्श से किया जाना चाहिए। लेकिन जब किसी आंदोलन को राजकीय आतंकवाद के तहत सैन्य बलों तथा सुरक्षा कार्मिकों द्वारा क्रूरता से कुचल दिए जाने का प्रयास किया जाता है तब उस विशेष समुदाय के युवा वर्ग कतिपय हिंसक तरीकों को अपनाये जाने का विचार करते हैं और ऐसी स्थिति में उग्रवाद तथा विद्रोह की शुरूआत होती है।

बोडोलैंड आंदोलन के संबंध में मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। जब हमने इस आंदोलन की 1987 में शुरूआत की तो यह आंदोलन पूर्णतया शांतिपूर्ण तथा लोकतांत्रिक था। इस आंदोलन की शुरूआत भारतीय संघ में ही एक अलग बोडोलैंड राज्य की स्थापना किए जाने के लिए हुई थी और अलग से एक संप्रभु राज्य की स्थापना किए जाने का कोई उद्देश्य नहीं था।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : क्या आप बोडोलैंड के प्रवक्ता हैं ?

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : जी, हां।

श्री अधीर चौधरी : धन्यवाद।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : वर्तमान मुख्य मंत्री श्री प्रफुल्ल महंत के नेतृत्व वाली तत्कालीन असम सरकार ने शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक रूप से चलाए जा रहे बोडोलैंड आंदोलन को विभिन्न काले अधिनियमों, 'टाडा' तथा अन्य कठोर कानूनों को लागू करके कुचलने का प्रयास किया। बोडोलैंड आंदोलन में सुरक्षा कार्मिकों तथा कतिपय दुरुत्साहकों द्वारा फर्जी मुठभेड़ में 1135 बोडोवासी मारे गए हैं। कतिपय सुरक्षा कार्मिकों तथा दुरुत्साहकों द्वारा कई बोडो लड़कियों तथा महिलाओं का सामूहिक बलात्कार किया गया है।

सरकार से अलग से एक बोडोलैंड राज्य की उचित मांग पर महत्वपूर्ण और उचित ध्यान दिए जाने की उम्मीद थी। लेकिन इसे इसप्रकार का महत्व नहीं दिया गया। अभी भी स्वतंत्रता पश्चात् बोडोलैंड राज्य की मांग के हमारे 1967 से आज तक तैंतीस वर्षों से अधिक की अवधि के दौरान पृथक बोडोलैंड की मांग के लिए निरंतर संघर्ष करते हुए हमने देश के दस प्रधान मंत्री देखें हैं।

[हिन्दी]

इसी बीच एक भी प्रधान मंत्री ने आज तक बोडोलैंड के मसले के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

[अनुवाद]

हमने श्री राजेश पायलट की पहल पर 1993 में बोडो समझौते पर हस्ताक्षर किए। लेकिन इस समझौते को अभी क्रियान्वित किया गया है। भारत सरकार और असम सरकार बोडो समझौते के प्रति की गई अपनी प्रतिबद्धता तथा आश्वासन से मुकर गई। बोडो समझौते को अब तक अर्थात् 14 दिसम्बर तक 1993 के बाद 6 वर्ष बीत जाने पर भी क्रियान्वित नहीं किया गया है। इस पांच वर्ष की अवधि के दौरान बोडो उग्रवादियों द्वारा 500 से अधिक बोडो व्यक्तियों की हत्या की गई है। निसंदेह बोडो व्यक्तियों के अलावा और बोडो व्यक्तियों की भी हत्या की गई है। लेकिन कोई यह नहीं पूछ रहा है कि बोडो लोगों की हत्या बोडो के ही द्वारा क्यों की जा रही हैं। ऐसा अनावश्यक गतिरोध तथा दुर्भाग्यपूर्ण उग्रवाद के कारण है। मैं सरकार को गत कई वर्षों से इस दुखद स्थिति के बारे में अवगत कराता रहा हूं और बोडोलैंड की ज्वलंत समस्या को शांतिपूर्ण राजनीतिक बातचीत से सुलझाने का अनुरोध करता रहा हूं।

गत वर्ष मैंने पूछा था कि शांतिपूर्ण ढ़ंग से राजनीतिक वार्ता तथा समझौते के लिए इच्छुक उग्रवादियों के साथ वार्ता क्यों नहीं हो सकती है। यदि भारत सरकार एन०एस०सी०एन० (आई०एम० दल) के साथ बातचीत शुरू कर सकती है तो बोडो उग्रवादियों तथा 'उल्फा' के लोगों जो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, के साथ वार्ता क्यों नहीं की जा सकती है। ये मेरा एक गंभीर प्रश्न है।

गत वर्ष माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रक्षा मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीज को बोडोलैंड मुद्दे पर हमारे साथ राजनीतिक बातचीत करने का कार्य सौंपा था। लेकिन दुर्भाग्यवश उस सरकार का 17 अप्रैल को पतन हो गया जबकि बातचीत 21 अप्रैल, 1998 से शुरू होने वाली थी।

मैंने माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी से 9 दिसम्बर, 1999 से बातचीत की थी। मैंने उनसे हमारे साथ बातचीत शुरू करने के लिए बारंबार अनुरोध किया। लेकिन उनका उत्तर सकारात्मक नहीं रहा है। परसों उन्होंने शिमला में एक खतरनाक वक्तव्य दिया कि तीन नए राज्यों उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ तथा वनांचल की स्थापना के पश्चात् छोटे राज्यों की स्थापना समाप्त कर दी जायेगी। यह एक अत्यंत खतरनाक तथा उकसाने वाला वक्तव्य है। मैं प्रधान मंत्री से अपने नीति वक्तव्य में संशोधन तथा परिवर्तन करने का अनुरोध करता हूं। बोडोलैंड की अलग से एक बोडोलैंड राज्य की स्थापना किए जाने की मांग अत्यंत वास्तविक तथा औचित्यपूर्ण मांग है क्योंकि यह हमारे जन्मसिद्ध अधिकार तथा ऐतिहासिक अधिकार और औचित्यपूर्ण मांग पर आधारित है।

बोडोलैंड में दो बोडो उग्रवादी दल हैं। एक भारत का पक्षधर तथा दूसरा भारत विरोधी दल है। भारत-विरोधी उग्रवादी दल एक संप्रभुता प्राप्त बोडोलैंड की मांग कर रहा है। हम इस विचार का विरोध करते हैं। हम राष्ट्रवाही भारतीय हैं। हम भारतीय संघ के अधीन अलग से एक बोडोलैंड राज्य की स्थापना चाहते हैं तथा हम भारत में हमारी विशिष्ट जातीय पहचान, समृद्ध भाषा संस्कृति, रीति रिवाजों तथा परंपराओं को बहाल रखते हुए सम्मानित भारतीय नागरिक की तरह जीना चाहते हैं। जिस प्रकार असम की प्रत्येक सरकार ने बोडो लोगों का दमन किया है, तथा आजादी के बाद उनकी उपेक्षा की गई उस स्थिति की त्रासदी एवं गंभीरता का बयान करने के लिए मेरे पास उपयुक्त शब्द नहीं हैं। केवल इस कारण ही हमारे नगा भाइयों, मीजो भाइयों, अरुणाचल के भाइयों, तथा गाटो, खासी एवं जैओतिया भाइयों को साठ एवं सत्तर के दशकों में असम से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया गया।

भारत सरकार से मैं फिर अपील करूंगा कि वह इच्छुक, उग्रवादियों के साथ बात-चीत आरंभ करे। यदि कोई दल बात-चीत के लिए आगे आए, उससे बात-चीत की जानी चाहिए। इस ज्वलंत बोडोलैण्ड समस्या तथा समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र से उग्रवाद तथा अलगाववाद को सुलझाने के खतरे को दूर करने हेतु, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि संबंधित जनतांत्रिक दलों तथा संगठनों के साथ फिर से राजनीतिक वार्ता आरंभ करें।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें। आपके दस मिनट हो गए हैं।

श्री सानखुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : महोदय, मैं इस माननीय सदन तथा भारत सरकार से फिर अपील करता हूं कि ठोस तथा प्रभावकारी कार्य योजना एवं नीति निर्णय द्वारा तत्काल प्रभाव से पृथक बोडोलैंड राज्य की घोषणा कर ज्वलंत बोडोलैंड मुद्दे का समाधान करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं तथा बोलने का अवसर दिए जाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष जी, पूरे देश में, खासकर जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में जो आतंकवाद की स्थिति है, निश्चित तौर पर यह चिन्ता का विषय है।

आतंकवादी गतिविधियां जो बढ़ रही हैं, जम्मू-कश्मीर उसका एक केन्द्रबिन्दु बन चुका है। इस केन्द्रबिन्दु के माध्यम से पूरे देश में आतंकवाद की गतिविधियां फैल रही हैं। वैसी आतंकवाद एक दिन में कहीं नहीं होता है। इसकी शुरूआत 10-15 वर्षों पहले इस देश में हुई थीं। हो सकता है कि शुरूआत के दिनों में जो सरकारें इस देश में थी, वह महसूस नहीं करती थीं कि आगे आतंकवाद इतना बढ़ेगा। लेकिन अगर शुरू के दिनों में जिस समय देश का बंटवारा हुआ और जो छोटी सी भूल उस समय हमसे हो गई कि हमारी अपनी जमीन जो राजा हरि सिंह के रजवाड़े में पड़ती थी जिसकी लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन अगर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में न गयी

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

होती तो शायद आतंकवाद की गतिविधियां वहां से शुरू नहीं होती। जहां कश्मीर का वह हिस्सा है, वहां से सीमांकन हो चुका है और पाकिस्तानी सेना वहां रहने का काम करती है।

युद्ध तो कई बार हुए। आमने-सामने के युद्ध में पाकिस्तान को बराबर मात खानी पड़ी, लेकिन अपने नर्म रुख के कारण हम जीती हुई जमीन भी वापस करते रहे। हम बंदी बनाए हुए सैनिकों को भी छोड़ते रहे। हमारा नर्म रुख हमारे लिए बराबर घातक साबित हुआ। अभी कारगिल में जो युद्ध हुआ, हम यह कहने में गर्व महसूस करते हैं कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के निर्देशन में और जार्ज फर्नान्डीज के रक्षा मंत्रित्व काल में जिस ढंग से हमने सफलता पाई है, उससे हमने पाकिस्तान का मनोबल काफी तोड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है और उसी मनोबल टूटने का कारण हुआ है कि आज कश्मीर पुनः आतंकवाद का केन्द्रबिन्दु बनता जा रहा है और पाकिस्तान इस देश की अर्थव्यवस्था से लेकर हर व्यवस्था को तोड़ना-मरोड़ना चाहता है। पाकिस्तान सिर्फ कश्मीर को न तोड़कर देश को तोड़ने की स्थिति में नेपाल के माध्यम से आ चुका है। हम सरकार को सूचना देना चाहते हैं कि नेपाल में जो टेलीविजन है, वहां पाकिस्तान के कार्यक्रम दिखाये जाते हैं और उसके माध्यम से पाकिस्तान नेपाल की जनता का विश्वास हासिल करना चाहता है और हमारे देश के कार्यक्रम नेपाल में शून्य के बराबर हैं। यह भी कारण है कि अब नेपाल की जनता की सहानुभूति थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ बढ़ी हुई है। हमारा इलाका भी नेपाल का सीमावर्ती इलाका है। हम बताना चाहते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश आई०एस०आई० का केन्द्रबिन्दु बन चुके हैं और जो भी निकटवर्ती जिले हैं, उन जिलों में आई०एस०आई० के लोग अब काफी सक्रिय हो गए हैं और हिन्दुस्तान के लोगों को, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को पैसे से खरीद रहे हैं और उसकी एक-एक भूमिका में नागरिक भी रुचि लेने लगे हैं अर्थ लाभ के कारण। इसलिए गृह मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि जो सीमावर्ती जिले हैं, उन्हें चिह्नित करके सरकार को निगरानी वहां बढ़ानी चाहिए। अगर निगरानी नहीं बढ़ाई गई तो हमें लगता है कि विलास जी जैसे बोल रहे थे तो इन्होंने आंकड़े दिये थे कि 25,000 के करीब लोग मारे गए हैं, लेकिन दो राज्यों के आतंकवाद का आंकड़ा दिया।

मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पूरे देश के आतंकवाद का अगर लेखा-जोखा किया जाए तो डेढ़ लाख से ज्यादा लोग आतंकवाद से मरे हैं और जो आतंकवादी संगठन हैं वे विभिन्न रूपों में घर कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमने पंजाब की समस्या पर काबू पाया है और बहुत हिम्मत के साथ सरकार ने काम करके पंजाब पर जो काबू पाया है उस पर कहीं दो मत नहीं हैं। लेकिन पंजाब के अलावा अभी हम मणिपुर में काबू नहीं पा सके हैं। हमने वहां युद्ध विराम की स्थिति पैदा की हुई है। लेकिन उसे काबू किया हुआ नहीं कहा जा सकता है। राजेश जी, एक बात आपने कही है कि हमें थोड़ा नरम रुख अपनाना चाहिए। हिन्दुस्तान की यह नीयत रही है कि हमें नरम रुख अपनाना चाहिए। लेकिन शासन और प्रशासन चलाने में ज्यादा नरम रुख अपनाने पर बहुत बड़ा खतरा रहता है। एक शायरी ने कहा है — "ऐ राही दिल्ली जाना, तो कहना अपनी सरकार से, खर्चा चलता हाथ से शासन चलता तलवार से।" इसलिए शासन, प्रशासन चलाने में और आतंकवाद से निपटने में जहां भी थोड़ा नरम रुख अख्तियार किया जायेगा, मुझे लगता है कि उससे खतरा बढ़ता जायेगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जब आतंकवादियों के पास आधुनिक हथियार होते हैं और गांवों की जनता निहत्थी होती है। ये आधुनिक हथियार मुफ्त में पाकिस्तान से हिन्दुस्तान के विभिन्न प्रदेशों में भेजे जा रहे हैं और निहत्थी जनता पर हमले किये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, बिहार में खासकर पूर्णिया में हवाई जहाज से हथियार गिराये गये और वे हथियार राज्य के कोने-कोने में भेजे गये। चूंकि आपने बिहार को आतंकवादी राज्य घोषित नहीं किया है, इसलिए उसके आंकड़े नहीं जोड़े जा रहे हैं। आप बिहार के आतंकवाद का हिसाब जोड़ दीजिए। पूरे देश के राज्यों के आतंकवाद का हिसाब एक तरफ और बिहार का एक तरफ कर दीजिए तो दोनों बराबर आयेंगे। राजेश जी, यह हम किसी बुरी भावना से नहीं बोल रहे हैं कि हम सरकार के खिलाफ हैं। पक्ष और खिलाफ में होना अलग बात है। लेकिन आज बिहार की स्थिति अन्य राज्यों के मुकाबले में सबसे ज्यादा बदतर बन गई है। इसलिए हम कहेंगे कि बिहार को आतंकवादी राज्य घोषित करना चाहिए। वहां विभिन्न टुकड़ों में विभिन्न दलों के आतंकवादी काम कर रहे हैं, जैसे मध्य बिहार में और दक्षिण बिहार में एम०सी०सी० का काम चल रहा है और अपने को पोलिटीकल पार्टीज कहने वाले लोग भी जैसे आई०पी०एफ० है, वह भी आतंकवादियों का ही काम करता है। जिससे वहां के जन-जीवन पर खतरा बना हुआ है। वहीं उत्तर बिहार में टुकड़ों-टुकड़ों में एक-एक गिरोह कायम हैं, जो आतंकवादी संगठनों से मिले हुए हैं। बिहार में पुलिस के लोग मारे जा रहे हैं, पदाधिकारी मारे जा रहे हैं और जनता तथा प्रशासन में दूरी बढ़ती चली जा रही है। जनता का प्रशासन से विश्वास हटता जा रहा है। इसलिए हम बिहार की जनता को सुरक्षा देने के लिए गृह मंत्री जी से निवेदन करेंगे। बड़े लागों को सुरक्षा की व्यवस्था होती है, हम लोगों को भी सिक्युरिटी मिली हुई है। हम लोग बिहार में कहीं आते-जाते हैं तो सिक्युरिटी के साथ आते-जाते हैं। लेकिन वहां की आम जनता शाम को चार-पांच बजे के बाद घर से निकलना बंद कर देती है। लोग बाजार में सब्जी खरीदने भी नहीं जाते हैं। गांवों में जब कभी इस पर हमसे चर्चा होती है तो लोग हमसे पूछते हैं तो हम कहते हैं कि केन्द्र सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है, यह राज्य का मामला है। तब वहां के लोग कहते हैं कि हम केन्द्र को वोट किसलिए देते हैं, राज्य को क्यों नहीं देंगे। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बिहार के मामले को आप गंभीरता से लीजिए और बिहार के जन-जीवन में सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए। बिहार में आतंकवाद आई०एस०आई० के माध्यम से बहुत बढ़ा हुआ है, वहां उसकी गतिविधियां बहुत तेज हुई हैं। हम यह निवेदन करेंगे कि अपराधियों को हथियारों के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। वे आधुनिक हथियार लेकर खुले बाजार में घूम रहे हैं। हम आपसे कहेंगे कि आप वहां के नागरिकों को कह दीजिए कि अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखे और उनके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अन्यथा आप वहां लाइसेंस देने की व्यवस्था करें, चूंकि वहां के लोगों को लाइसेंस नहीं मिल पाते हैं जिसके कारण वहां का जन-जीवन अपने को काफी असुरक्षित महसूस कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ जी, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं। धन्यवाद। आपका जैसा आदेश हो, मैं बैठ जाता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस सब्जेक्ट के लिए दो घंटे अलॉट किये गये हैं। आप जल्दी कम्पलीट कीजिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष जी, पूर्वोत्तर राज्यों में खासकर आसाम, मणिपुर और नागालैंड की स्थिति काफी बदतर है। हमारे यहां के लोग आज भी आसाम में बहुत अधिक रहते हैं।

सायं 6.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, आसाम की स्थिति इतनी बदतर है कि वहां से लोग अपने घर, खेत सब कुछ छोड़कर बिहार की तरफ भाग रहे हैं और दूसरे प्रान्तों में रोजी-रोटी कमाने जा रहे हैं। केवल देश का एकमात्र हिस्सा जम्मू-कश्मीर ही नहीं बल्कि आतंकवाद से अन्य प्रान्त भी प्रभावित हैं। यह ठीक है कि जम्मू-कश्मीर ज्यादा प्रभावित है क्योंकि वह पाकिस्तान से सटा हुआ है।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : जरा रणवीर सेना के बारे में बताइए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : आप रणवीर सेना के बारे में जानना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी सेना हो, जो आतंकवाद में लिप्त है, उसे हम आतंकवादी कहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से रणवीर सेना को बिहार सरकार का संरक्षण प्राप्त है। इसलिए वहां ऐसा काम हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, समाप्त करें।

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, इसके पहले कि आप अगले वक्ता का नाम लें, मैं कहना चाहूंगा कि हमें यह बताया गया है कि माननीय प्रधान मंत्री कभी आकर वक्तव्य दे सकते हैं। चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा पर बोलने वालों की लंबी सूची है, इसलिए क्या आप एक सुझाव पर विचार करेंगे ? चूंकि प्रधानमंत्री कभी-भी आकर वक्तव्य दे सकते हैं, अतः, मेरे विचार से इसके बाद इस पर कुछ सदस्य बोल सकते हैं तथा इसके बाद गृह मंत्री बहस का उत्तर दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, इस पर बोलने वाले केवल चार या पांच वक्ता हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आप चाहें तो यह हो सकता है। इसमें कोई समस्या नहीं है।

श्री अली मोहम्मद नायक (अनंतनाग) : महोदय, मैं जम्मू-कश्मीर का हूं। इस विषय पर बोलने हेतु मैंने आपको लिखित अनुरोध किया है। मुझे इस पर बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : स्पीकर साहब, आज हाउस एक बहुत ही अहम मामले पर बहस कर रहा है। आतंकवाद ने पिछले 10-12 साल से पूरे देश को झिझोड़ कर रख दिया है। आतंकवाद की वजह से देश के अंदर होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक 29,151 सिविलियन्स मारे गए, 5,101 सिक्योरिटी पर्सनैल मारे गए और इसके साथ-साथ तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का नुकसान इस देश को आतंकवाद की वजह से हुआ है। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन पिछले 10 सालों में मिलीटेंट से रिकवरी हुई है, जो आर०डी०एक्स० और दूसरे एक्सप्लोसिव पदार्थ मिले हैं उनकी बड़ी तादाद है। अभी इंडो-बांग्लादेश बार्डर के ऊपर तकरीबन 30 के०जी०आर०डी०एक्स० पकड़ा गया। दिल्ली के अंदर 63 के०जी०आर०डी०एक्स० एक्स पकड़ा गया, लेकिन स्पीकर साहब मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं कि हमें टैररिज्म की वजूहात पर, रीजन्स पर जाना पड़ेगा। इस देश के अंदर टेररिज्म के जड़ें इतनी मजबूत कैसे हुई, इस पर गौर करना पड़ेगा। मेरे एक साथी ने कहा कि यह काम एक दिन में नहीं होता। यह काम एक लम्बे अरसे से इस देश में होता चला जा रहा है और आहिस्ता-आहिस्ता टैररिज्म ने इस देश के अंदर जड़ें जमा लीं। टैररिज्म पैदा होने के लिए देश की आजादी के बाद से लेकर आज तक जो नौजवानों के अंदर बेरोजगारी पैदा हुई उसके ऊपर कोई अवज्जुह नहीं दी गई। इस देश के अंदर जनता में डिससैटिस्फैक्शन रहा, खासकर मैं कहना चाहता हूं कि कश्मीर के अंदर पिछले कुछ सालों में दो रुपए किलो चावल देना का काम तो किया गया, वहां के लोगों के दिल जीतने का काम जिस ढंग से होना चाहिए उस तरीके से नहीं किया गया। उनको मोहताज बनाने की कोशिश की गई, लेकिन यह कोशिश कभी नहीं की गई कि उनको अपने पांव पर खड़ा किया जाए। उन्हें यह अहसास दिलाया जाए कि इस देश पर उनका उतना ही हक है जितना दूसरों का है।

मुझे पूरा यकीन है कि अगर 52 सालों के अंदर कश्मीर के लोगों को कश्मीर से बाहर निकालकर देश के दूसरे हिस्से में, इंडस्ट्रीज के अंदर, दूसरे कामों में लगाने का काम किया जाता तो आज सूरतेहाल दूसरी होती। जब तक अपने लोग शामिल नहीं होंगे तब तक टैररिज्म कभी मजबूत नहीं होगा। मैं बड़ी माफी के साथ कहूंगा कि पंजाब के अंदर टैररिज्म तब आया, कांग्रेस के लोग माफ करेंगे, जब पंजाब के अंदर आपरेशन ब्लू स्टार हुआ। पहले पंजाब के अंदर कोई टैररिज्म नहीं था।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : यह बिल्कुल गलत बात है। ...*(व्यवधान)* गलत वक्तव्य नहीं दिया जाना चाहिए। हम कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* दूसरे दलों को भी ख्याल रखना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी : सन् 1971 में पाकिस्तान के साथ जब हमारी जंग हुई तो बॉर्डर पर हमारे जो जवान लड़ाई लड़ रहे थे, पंजाब की बहनें और माएं अपने घरों से खाना पकाकर सरहद पर लड़ने वाले जवानों को खाना खिलाने के लिए जाती थी। वह यह तमीज नहीं करती थी कि सरहद पर लड़ने वाले जवान हिन्दू हैं, मुसलमान हैं या सिख हैं। 1971 की लड़ाई में हमारी बहनों और माओं ने सरहद पर लड़ने वाले जवानों का साथ दिया। लेकिन उसके बाद आपरेशन ब्लू स्टार में जो कुछ हुआ। ...*(व्यवधान)* उसके अंदर जो राजनीति की गई। ...*(व्यवधान)* जब इंसान के दिल पर चोट लगती है, वह उस चोट का बदला लेना चाहेगा। मैं आपसे कहूंगा कि इस पर गुस्सा

[श्री राशिद अलवी]

करने की जरूरत नहीं है बल्कि इसे समझने की जरूरत है। आज हम बी०जे०पी० के खिलाफ इसलिए हैं कि बी०जे०पी० इस देश के अंदर अक्लियतों के साथ नाइंसाफी करती है। यह मुमकिन नहीं है कि कल आपने कोई गलती की है तो हम अपनी जुबान बंद कर लेंगे। आज इस हाउस के अंदर मुझे कोई सिख नजर नहीं आ रहा। *(व्यवधान)* एक-दो बैठे हैं। मैं कोई सिखों को खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं। लेकिन जो कुछ उस वक्त हुआ था और दिल्ली की सड़कों पर हुआ, उस तारीख को हिन्दुस्तान में कभी कोई भूल नहीं सकता। इस दिल्ली के अंदर ... *(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : आपको कांग्रेस का विरोध करने में ज्यादा दिलचस्पी है। *(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी : मैं उनके ऊपर भी आऊंगा। अभी आप उन्हें ताली बजाने दीजिए, उसके बाद आप ताली बजायेंगे।

स्पीकर साहब, दिल्ली की सड़कों पर सिख लोगों को उन्हीं की पगड़ियों से बांधकर उनके साथ क्या किया गया। उस समय सर्दियों का वक्त था, यह बात हंसी और मजाक की नहीं है, वे भी इसी तरह हिन्दुस्तानी थे जैसे हम हैं। उनको उन्हीं की पगड़ियों से बांधकर और उन्हीं के स्कूटर से पेट्रोल निकालकर आग लगा दी। इस बारे में मुझे दिल्ली पुलिस के एक बड़े अफसर ने इत्तिला दी, जो कि वहां मौजूद थे, कि लोग उनकी जलती हुई हड्डियों का तमाशा देख रहे थे। *(व्यवधान)* जब दिल पर चोट लगती है।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : महोदय, इस तरह की बातों से देश के आम नागरिकों के मन में अत्यन्त गुस्सा पैदा होता है। यह उचित नहीं है। इस तरह की बातों में किसी स्तर पर रोक होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, यहां कश्मीर के ऊपर चर्चा हो रही है। *(व्यवधान)* हम भी कांग्रेस के खिलाफ हैं लेकिन हम उसमें राजनीति नहीं लाना चाहते। ... *(व्यवधान)*

श्री राशिद अल्वी : आज फिर पाकिस्तानी कमांडो फोर्स के मिलिटैंट दिल्ली के अंदर पकड़े गये हैं। विदेशी ताकतें उनका साथ दे रही हैं। आज एक बार फिर इस देश में टैरोरिज्म से खतरा लाहक हो गया है। मैं कहना चाहता हूं कि एक बड़ा खतरा यह भी है कि अभी होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक 19,800 इंडियन ऐसे हैं जिन्हें पाकिस्तान की आई०एस०आई० ने ट्रेंड किया है। मैं होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहूंगा कि 19,800 ऐसे इंडियन हैं जिन्हें आई०एस०आई० ने ट्रेंड किया है, यह खतरनाक ऐलान है।

अगर हमारे अपने लोग उसके अंदर मिल जाएंगे तो टैररिज्म को और ज्यादा मजबूत करेंगे। जब तक लोकल सपोर्ट मिलती रहेगी, टैररिज्म मजबूत होता रहेगा। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि होम मिनिस्ट्री का कहना है कि वैस्टर्न यूपी को आई०एस०आई० ने अपना अड्डा बना रखा है। अगर वैस्टर्न यूपी या हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में आई०एस०आई० के लोग मौजूद हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। लेकिन मैं सरकार से यह प्रोटैस्ट भी करना चाहता हूं कि आई०एस०आई० का नाम लेकर वैस्टर्न यूपी में खास तौर से मुसलमानों को परेशान किया जाता है, असम में परेशान किया जाता है। मैंने पीलीभीत और मुजफ्फरनगर के ऐसे बहुत से केस किये हैं कि मासूम आदमी जिसका टैररिज्म और आई०एस०आई० से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसका किसी पोलिटिकल नेता से या किसी पुलिस अफसर से कोई झगड़ा हो गया तो उसका आई०एस०आई० से इनवॉल्वमेंट बताकर जेल में डाल दिया गया। ऐसे मैं कितने ही वाकयात इस हाउस को बता सकता हूं। टैररिज्म के नाम पर इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए और देश के तमाम लोगों को कॉनफिडेन्स में लेकर इसके खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। अभी पाकिस्तान में जो मिलिट्री रिज़ीम आया है, मुझे पूरा यकीन है कि होम मिनिस्टर साहब को वह सारी बातें मालूम होंगी जो उन लोगों ने अभी हिन्दुस्तान के खिलाफ तय की हैं।

[अनुवाद]

पाकिस्तान के सैनिक शासन ने कश्मीर मुद्दे को राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए हर संभव प्रयास किया। पाकिस्तान, कश्मीरियों को — जो निर्णय स्वतंत्ररूप से लेंगे ही लेंगे — उनके आत्म-निर्णय के लिए राजनीतिक, कूटनीतिक तथा नैतिक समर्थन जुटाने का काम और तेज करेगा।

इस पर भी गौर करने की जरूरत है।

आखिर में सबसे अहम बात मैं कहना चाहता हूं कि मेरी इत्तला यह है कि आर्मी और बी०एस०एफ० में भी टैररिज्म को लेकर एक कॉनफ्लिक्ट पैदा हुआ है। अगर आर्मी और बी०एस०एफ० के अंदर इख़तलाफ होगा तो इससे देश को भी खतरा होगा और टैररिज्म को भी खतरा पैदा होगा, यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अली मोहम्मद नायक (अनन्तनाग) : स्पीकर साहब, जहां तक कश्मीर के अंदर टैररिज्म का ताल्लुक है, हमें कोई तारीखी हकाइक उनसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। इसमें एक बात यह है कि हमको यह ज़हन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर राज्य के भारत में विलय को स्वीकार नहीं कर पाया है। यह तो बेसिक बात है। आपको याद होगा, बायनिये पाकिस्तान ये कहा करते थे कि कश्मीर एक चैक मेरी जेब में है। लेकिन ये चैक जब कैश नहीं हुआ, तब से आज तक उनकी बराबर कोशिश है कि कश्मीर में डीस्टैबिलाइजेशन हो जाए और जैसे पायलट साहब ने कहा कि आज उनकी ख्वाहिश यह है कि हिन्दुस्तान टूट जाए। इसके साथ जहां पाकिस्तान के सर हम सब कुछ लादना चाहते हैं, हमें यह भी देखना चाहिए कि हमने कश्मीरियों के साथ क्या सुलूक किया। कश्मीर मुसलमान मेजॉरिटी रियासत है। तकसीमे मुल्क मज़हब के नाम पर हुआ, लेकिन कश्मीरी मुसलमान ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। कश्मीरी मुसलमान ने हिन्दुस्तान के साथ अपना नाता जोड़ा। क्यों नाता जोड़ा ? इसलिए, कि हिन्दुस्तान के कौमपरस्त लीडर जो थे, उन्होंने कश्मीरियों की तहरीक जो उनकी ऐटोक्रेसी के खिलाफ थी, उसमें साथ दिया। एक तारीखी

हकीकत है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कोहला में कश्मीरियों के लिए गिरफ्तार हुए जिसको कोई भूल नहीं सकता। महात्मा गांधी जी ने फरमाया कि जब सारे मुल्क में फिरकादाराना फसाद होते थे, रोशनी की किरण मुझे कश्मीर में ही दिखाई देती है। क्योंकि उस जमाने में कश्मीर में किसी भी गैरमुस्लिम का जरा भर भी नुकसान नहीं पहुंचा। यही वजह है कि जब मुसलमान अक्सीरियत रियासत ने हिन्दुस्तान के साथ एलाक किया तो हिन्दुस्तान के उस वक्त की लीडरशिप ने कश्मीर को यह यकीन दिलाया कि हम आपका एक स्पेशल स्टेटस इस मुल्क के अन्दर रखेंगे। यह 1947 की बात है। कश्मीरियों के सबसे बड़े कद्दावर लीडर शेख साहब ने इसका ऐलाक किया, लेकिन 1953 में उस वक्त की मरकजी सरकार ने इस शख्स को गिरफ्तार कराया, जो उस रियासत के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्हें मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त किये बिना ही गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार करके कश्मीर की पोपुलर लीडरशिप को 22 साल तक जेल में बंद रखा। यह कितना मजाक है कि एक प्रधानमंत्री जिसे सदन का बहुमत प्राप्त था उसे जेल में डाल दिया गया और उसके बाद विधानसभा से राज्य के प्रधान मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करने को कहा गया। उसका नतीजा यह हुआ कि शेख साहब की गैरहाजिरी में मरकजी सरकार और रियासत की, मैं कहूंगा कि कठपुतली सरकारों ने मिलकर ऐसे काम किये, जिससे आपने कश्मीरी मुसलमान को अपने से बहुत दूर कर दिया। कश्मीर का वह मुसलमान, जो 1947 में पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर आया, जो हर जंग में हिन्दुस्तान की फौज के शाना-बाशाना रहा, आज वह आपसे दूर क्यों जा रहा है। यह तवारीखी हकीकत है, आपको बेशक यह मालूम करना चाहिए। मुझे यह लग रहा था कि हिन्दुस्तान में एक सैकुलर मुल्क के अन्दर हूं और मेरा सब कुछ हिन्दुस्तान के अन्दर महफूज है, लेकिन आपने जो कुछ दर्जा कश्मीरियों को दिया था, आहिस्ता-आहिस्ता उसको काट दिया। अब कश्मीरी मुसलमान को यह लग रहा है कि जिस हिन्दुस्तान में गांधी जी थे, मौलाना आजाद थे, पंडित जवाहर लाल नेहरू थे, जिन्होंने मेरे तमाम आईनी तहफूजात दिये थे और उनके बाद जो लोग आये, उनका एक-एक करके इनको काट दिया और उसके दिल में यह शक शुबहा आपने पैदा कर दिया। उसके लिए जिम्मेदार आप हैं। कश्मीर में इस उग्रवाद को पैदा करने के लिए केन्द्र सरकार जिम्मेदार है। जो उस वक्त गवर्नमेंट थी को पाकिस्तान की सपोर्ट रही।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : क्या हमें इस मुद्दे पर अलग से चर्चा करनी चाहिए ? उसी वक्त की लीडरशिप ने शेख अब्दुल्ला को रिहा किया। आप जो इल्जाम लगा रहे हैं। ... *(व्यवधान)*

श्री अली मोहम्मद नायक : कांग्रेस वाले तो कांग्रेस के पक्ष की बात कहेंगे। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आपको इसको सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए कि शेख अब्दुल्ला साहब को किसने रिहा किया था। ... *(व्यवधान)* आप तैयार हैं तो आप चर्चा की मांग कीजिए। शेख अब्दुल्ला साहब को रिहा करने के बाद किसने गद्दी पर बिठाया था ? *(व्यवधान)*

श्री अली मोहम्मद नायक : मैं भी असेम्बली का मैम्बर 25 साल रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : इस प्रकार मत चिल्लाइये।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी, माननीय सदस्य ने अपनी बात पूरी नहीं की है। उन्हें बोलने दीजिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह राष्ट्रीय अखंडता का प्रश्न है। वे शेख अब्दुल्ला के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। इसकी चर्चा होने दीजिए। उसमें क्या है ?

श्री अली मोहम्मद नायक : मेरे कहने का यह मतलब है कि कश्मीर के जो आईनी तहफूजात थे, वे आपने खत्म कर दिये। उनको लगा कि हमारे साथ हिन्दुस्तान के अन्दर विश्वासघात हो रहा है। यहां फिरकावाराना फसाद होते हैं, इसका असर भी वहां पड़ता है, यह भी आपको हिन्दुस्तान के अन्दर देखना चाहिए। मैं मानता हूं कि पिछले दो साल से फसाद नहीं हुए, लेकिन इससे पहले जो हुए, मेरे पास तादाद है कि कितने फिरकावाराना फसाद हुए। इसका असर वहां के मुसलमानों के जेहन पर पड़ता है। आपको साइकोलोजी भी समझनी चाहिए। इतना ही नहीं, पिछले पांच कमीशन, फसादात के बारे में ताकि फसादात इन फसादात में इतना ही नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिये हैं कि जहां किसी को नुकसान पहुंचा है, उसका मुआवजा दिया जाये। मैं यह जानना चाहता हूं कि किसको मुआवजा मिला। आज तक किसी को मुआवजा नहीं मिला। मेरे कहने का मतलब यह है कि बाबरी मस्जिद की शहादत हुई। मुसलमानों के जेहन पर इसका भी एक असर पड़ता है। पाकिस्तान का रेडियो, पाकिस्तान का टेलीविजन, आप देश पर शासन कर रहे हैं, ... *(व्यवधान)* नहीं, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। आप शोर मचाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके किसी मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया कि हमारे मुल्क के अन्दर यह नहीं होना चाहिए। आज आप शोर डाल रहे हैं, क्योंकि यू०पी० और बिहार में चुनाव होने हैं इसलिए आप मुसलमानों के वोट हासिल करना चाहते हैं। आपने कभी इस्तीफा नहीं दिया और यह नहीं कहा कि हम सरकार छोड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मुल्क में सतही तौर पर आपको यह भी देखना है कि मुसलमानों की नौकरियों में क्या हालत है, क्योंकि इसका भी उन पर प्रभाव पड़ता है। मैं तो सच्ची बात यहां रखना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने इस मुल्क पर 40-42 साल हुकूमत की, लेकिन आपने कश्मीरी मुसलमानों को मरकजी नौकरियों में नहीं लिया। इससे भी वहां आतंकवाद प्रभावित हुआ। नेशनल कॉफ्रेंस एक दर्जन पूर्व विधायक और एक वर्तमान विधायक की उग्रवादियों ने हत्या कर दी, और हजारों कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई।

[हिन्दी]

पाकिस्तान समझता है कि नेशनल कांफ्रेंस कश्मीर में हमारे काम में रूकावट डाल रही है। इस कारण वैली में हमारे आदमियों को मारा जा रहा है। जब चुनाव की बात आई तो हम मैदान में निकले, चुनाव लड़ा। आज पायलट जी कहते हैं कि कश्मीर की हालत बड़ी खराब है। मैं यह नहीं कहता कि 100 फीसदी आतंकवाद खत्म हो गया है लेकिन कमजोर हुआ है। सवाल ...

[श्री अली मोहम्मद नायक]

[अनुवाद]

कुछ लोगों द्वारा यह दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि नैशनल कान्फ्रेंस बातचीत के खिलाफ है।

[हिन्दी]

नेशनल कांफ्रेंस बातचीत के खिलाफ नहीं है।

मेरे कुछ सुझाव हैं जो मैं यहां रखना चाहता हूं। नेशनल कांफ्रेंस ने इस बुनियाद पर चुनाव लड़ा और हमने लोगों से कहा कि हम इंटरनल आटोनोमी की बात करेंगे और उसे हासिल करेंगे। कश्मीर के विकास के लिए, इसमें जम्मू, लद्दाख और कारगिल भी है, एक स्पेशल पैकेज होना चाहिए। वहां जो बेकार लोग हैं, उनमें ज्यादा तादाद मुसलमानों की है, उनके लिए रोजगार का इंतजाम किया जाए, क्योंकि पिछले दस सालों से हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। इसलिए उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। इससे वहां के लोगों के दिल जीते जा सकते हैं और अंदरूनी खुदमुखतारी की बात सोची जाये। राजेश पायलट जी ने कहा कि ऐसा वातावरण पैदा किया जा रहा है कि दिल्ली मिलिटेंट्स से बात करना चाहती है, पाकिस्तान या हुर्रियत से बात करना चाहती है। नेशनल कांफ्रेंस हिन्दुस्तान की तरक्की चाहती है। इसलिए देश की तरक्की की जब भी बात होगी,

[अनुवाद]

नेशनल कांफ्रेंस सरकार छोड़ने को तैयार है। हम मार्ग प्रशस्त करेंगे। मेरे मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा है ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सेल्वागनपति के भाषण के अलावा अन्य कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

جناب علی محمد نائک (اننت ناگ) : جناب اسپیکر صاحب، جہاں تک کشمیر کے اندر دہشت گردی کا تعلق ہے، ہمیں کسی تاریخی حقائق سے منہ نہیں موڑنا چاہئیے۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ ہم کو یہ ذہن میں رکھنا چاہئیے کہ Pakistan has not reconciled to the accession of Jammu and Kashmir State with India. یہ تو بیسک بات ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، بانی پاکستان یہ کہا کرتے تھے کہ کشمیر ایک چیک کی طرح میری جیب میں ہے۔ لیکن یہ چیک جب کیش نہیں ہوا، تب سے آج تک انکی برابر کوشش ہے کہ کشمیر میں ڈیسٹیبلائیزیشن ہو جائے اور جیسے پائلٹ صاحب نے کہا کہ آج انکی خواہش یہ ہے کہ ہندوستان ٹوٹ جائے۔ اسکے ساتھ جہاں پاکستان کے سر ہم سب کچھ لادنا چاہتے ہیں، ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہئیے کہ ہم نے کشمیریوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ کشمیر مسلمان اکثریتی ریاست ہے۔ تقسیم ملک مذہب کے نام پر ہوا، لیکن کشمیری مسلمان نے پاکستان کا ساتھ نہیں دیا۔ کشمیری مسلمان نے ہندوستان کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑا۔ کیوں ناطہ جوڑا؟ اسلئے، کہ ہندوستان کے قوم پرست لیڈر جو تھے، انہوں نے کشمیریوں کی تحریک جو انکی ٹائرنی کے خلاف تھی، اپنی بہتری کے لئے اس میں ساتھ دیا۔ ایک تاریخی حقیقت ہے، پنڈت جواہر لال نہرو کو ہلا میں کشمیریوں کے لئے گرفتار ہوئے جسکو کوئی بھول نہیں سکتا۔ مہاتما گاندھی جی نے فرمایا کہ جب سارے ملک میں فرقہ وارانہ فساد ہوتے تھے، انہوں نے کہا کہ روشنی کی کرن مجھے کشمیر میں ہی دکھائی دیتی ہے۔ کیونکہ اس زمانے میں کشمیر میں کسی بھی غیر مسلم کا ذرا بھر بھی نقصان نہیں پہنچا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمان

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

اکثریتی ریاست نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کیا تو ہندوستان کے اس وقت کی لیڈر شپ نے کشمیر کو یہی یقین دلایا کہ ہم آپ کا ایک اسپیشل اسٹیٹس اس ملک کے اندر رکھیں گے۔ یہ ۱۹۴۷ء کی بات ہے۔ کشمیریوں کے سب سے بڑے قد آور لیڈر شیخ صاحب نے اس کا الحاق کیا، لیکن ۱۹۵۳ء میں اس وقت کی مرکزی سرکار نے اس شخص کو گرفتار کیا، جو اس ریاست کے چیف منسٹر تھے۔ Without being dismissed from the Office of Chief Minister, he was arrested اور گرفتار کر کے کشمیر کی پاپولر لیڈر شپ کو ۲۲ سال جیل میں بند رکھا۔ یہ کتنا مذاق ہے کہ a Chief Minister who was enjoying the confidecnce of the House was put in jail and then the Assembly was asked to pass a vote of no confidence against the Chief Minister, جو بھی گورنمنٹ تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیخ صاحب کی غیر حاضری میں مرکزی سرکار اور ریاست کی، میں کہوں گا کہ کٹھ پتلی سرکاروں نے مل کر ایسے کام کئے، جس سے آپ نے کشمیری مسلمان کو اپنے سے بہت دور کر دیا۔ کشمیر کا وہ مسلمان، جو ۱۹۴۷ء میں پاکستان کے خلاف سڑکوں پر آیا، جو ہر جنگ میں ہندوستان کی فوج کے شانہ بشانہ رہا، آج وہ آپ سے دور کیوں جا رہا ہے۔ یہ تاریخی حقیقت ہے، آپ کو اسکو بے شک معلوم کرنا چاہئیے۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ہندوستان میں ایک سیکولر ملک کے اندر ہوں اور میرا سب کچھ ہندوستان کے اندر محفوظ ہے، لیکن آپ نے جو کچھ درجہ کشمیریوں کو دیا تھا، آہستہ آہستہ اسکو کاٹ دیا۔ اب کشمیری مسلمان کو یہ لگ رہا ہے کہ جس ہندوستان میں گاندھی جی تھے، مولانا آزاد تھے، پنڈت جواہر لال نہرو تھے، جنھوں نے میرے تمام آئینی تحفظات دیے اور انکے بعد جو لوگ آئے، انہوں نے ایک ایک کر کے انکو کاٹ دیا اور اسکے دل میں یہ شک و شبہ آپ نے پیدا کر دیا۔ اس کے لئے ذمہ دار آپ ہے۔ The Central Government is responsible for the creation of this militancy in Kashmir. جو اس وقت گورنمنٹ تھی۔ پاکستان کی سپورٹ رہی۔

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Should we invite discussion separetely on this matter

اسی وقت کی لیڈر شپ نے شیخ عبداللہ کو رہا کیا۔ آپ جو الزام لگا رہے ہیں...(مداخلت)

جناب علی محمد نائک (اننت ناگ): کانگریس والے تو کانگریس کے حق کی بات کہیں گے...(مداخلت)

جناب پریہ رنجن داس منشی (رائے گنج): آپ کو اس کو سننے کے لئے تیار رہنا چاہئیے کہ شیخ عبداللہ صاحب کو کس نے رہا کیا تھا... (مداخلت) آپ تیار ہیں تو آپ چرچا کی مانگ کیجئے۔ شیخ عبداللہ صاحب کو رہا کرنے کے بعد کس نے گدی پر بٹھایا تھا؟... (مداخلت)

جناب علی محمد نائک (اننت ناگ) : میں بھی اسمبلی کا ممبر ۲۵ سال رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے... (مداخلت)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Don't shut like this.

MR. SPEAKER: Shri Priya Ranjan Dasmunsi, the hon. Member is not yielding. let him speak.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): It is a subject of national integration. He is trying to go back to Sheikh Abdulla.. We are prepared for a discussion. Let it be discussed. What is there?

جناب علی محمد نائک (اننت ناگ) : میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ کشمیر

تحفظات

کے جو آئینی تحفظات تھے، وہ آپ نے ختم کر دیئے۔ انکو لگا کہ ہمارے ساتھ ہندوستان کے اندر وشواس گھات ہو رہا ہے۔ یہاں فرقہ وارانہ فساد ہوتے ہے، اسکا اثر بھی وہاں پڑتا ہے، یہ بھی آپ کو ہندوستان کے اندر دیکھنا چاہئیے۔ میں مانتا ہوں کہ پچھلے دو سال سے فساد نہیں ہوئے۔ اسکا اثر وہاں کے مسلمانوں کے ذہن پر پڑتا ہے۔ آپ کو سائیکلوجی بھی سمجھنی چاہئیے۔ اتنا ہی نہیں، پچھلے پانچ کمیشن، چھ کمیشن بیٹھے کہ ان فسادات میں کتنا نقصان کس کا ہوا اور کس کو کیا ملنا چاہئیے۔ اتنا ہی نہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے فیصلے دئے ہیں کہ جہاں کسی کو نقصان پہنچا ہے، اسکا معاوضہ دیا جائے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کس کو معاوضہ ملا۔ آج تک کسی کو معاوضہ نہیں ملا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بابری مسجد کی شہادت ہوئی۔ مسلمانوں کے ذہن پر اسکا بھی ایک اثر پڑا ہے۔ پاکستان کا ریڈیو، پاکستان کا ٹیلی ویژن، you are governing the country... (مداخلت) نہیں، اس کے لئے آپ ذمہ دار ہیں۔ میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ آپ شور مچاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے کسی منسٹر نے استعفیٰ دیا کہ ہمارے ملک کے اندر یہ نہیں ہونا چاہئیے۔ آج آپ شور ڈال رہے ہیں، کیونکہ یو۔ پی۔ اور بہار میں چناؤ ہونے ہیں اسلئے آپ مسلمانوں کے ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کبھی استعفیٰ نہیں

دیا اور یہ نہیں کہا کہ ہم سرکار چھوڑ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملک میں سنٹرل گورنمنٹ آپکو یہ بھی دیکھنا ہے کہ مسلمانوں کی نوکریوں میں کیا حالت ہے، کیونکہ اسکا بھی ان پر اثر پڑتا ہے۔ میں تو یہی بات یہاں رکھنا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کانگریس نے اس ملک پر ۴۲-۴۰ سال حکومت کی، لیکن آپ نے کشمیری مسلمانوں کو مرکزی نوکریوں میں نہیں لیا۔ اس سے بھی وہاں دہشت گردی اثر دار ہوئی

One dozen ex-MLAs of the National Conference were killed by militants; one MLA was killed by militants; and thousands of workers were killed.

پاکستان سمجھتا ہے کہ نیشنل کانفرنس کشمیر میں ہمارے کام میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ اسی وجہ سے دیلی میں ہمارے آدمیوں کو مارا جا رہا ہے۔ جب چناؤ کی بات آئی تو ہم میدان میں نکلے، چناؤ لڑا۔ آج پائلٹ جی کہتے ہیں کہ کشمیر کی حالت بڑی خراب ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ۱۰۰ فیصدی دہشت گردی ختم ہو گیا، لیکن

سوال یہ ہے کہ the impression isbeing created by some quarters that یہ بھی لگتا ہے کہ آج یہاں دہشت the National Conference is against talks. گردی پر بحث ہوئی ہے اسلئے پتا نہیں کہ شام تک زندہ رہ پاتے ہیں یا نہیں۔

میرے کچھ سجھاؤ ہیں جو میں یہاں رکھنا چاہتا ہوں۔ نیشنل کانفرنس نے اس بنیاد پر چناؤ لڑا، ہم نے

لوگوں سے کہا کہ ہم انٹرنل آٹونومی کی بات کریں گے اور اسے حاصل کریں گے۔ کشمیر کے وکاس کے لئے اس میں جموں، لداخ اور کارگل بھی ہیں، ایک اسپیشل پیکیج ہونا چاہئے۔ وہاں جو بیکار لوگ ہیں، ان میں زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے، انکے لئے روزگار کا انتظام کیا جائے، کیونکہ پچھلے دس سالوں سے ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اسلئے انکو مین اسٹریم (Main Stream) میں لایا جائے۔ اس سے وہاں کے لوگوں کے دل جیتے جا سکتے ہیں۔ راجیش پائلٹ جی نے کہا کہ ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ دہلی ملیٹینٹس سے بات کرنا چاہتی ہے، پاکستان کی حریت سے بات کرنا چاہتی ہے۔ نیشنل کانفرنس ہندوستان کی ترقی چاہتی ہے۔ اسلئے ملک کی ترقی کی جب بھی بات ہوگی،

The National Conference is ready to leave the Govenment. We will pave the way. My Chief Minister is on record. ...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Nothing will go on record now except what Shri Selvaganapathy speak.

*...(Interruptions) ...

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री टी०एम० सेल्वागनपति (सेलम) : *माननीय अध्यक्ष महोदय, देश की सुरक्षा से संबंधित इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने की अनुमति प्रदान करने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं।*

यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मेरे पास अपना पूरा भाषण समाप्त करने के लिए केवल चार मिनट शेष बचे हैं जबकि और भी बहुत से वक्ता उसमें भाग लेना चाहते हैं। अतः मैं अध्यक्षपीठ से अनुरोध करता हूं कि इस वार्ता की प्रकृति के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी के अयोध्या मुद्दे पर बयान देने के बाद भी हमें इस चर्चा को जारी रखने की अनुमति प्रदान की जाये। मैं अध्यक्षपीठ से दोबारा अनुरोध करूंगा कि वो मेरी प्रार्थना पर ध्यान दें।

एक अनुमान के अनुसार जम्मू और कश्मीर में केवल आतंकवाद के कारण लगभग दो लाख एक हजार लोग मारे गये हैं।

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : नहीं, यह सत्य नहीं है।

श्री टी०एम० सेल्वागनपति : मैंने इसकी समयावधि नहीं बताई है। यह शुरू से अब तक का है। कृपया मुझे गलत न समझें। जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी और उग्रवादी गतिविधियों के कारण हजारों राजनैतिक कार्यकर्ताओं को भी परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। ये सभी चीजें टाली ना सकती थीं यदि तत्कालीन सरकार जो आज भी सत्ता में है, का सही आसूचना नेटवर्क होता अथवा अर्द्धसैनिक बलों के साथ इसकी सही निगरानी होती।

कारगिल सैक्टर में पाकिस्तानी आक्रमण से हमारे देश में आसूचना व्यवस्था की विफलता का पता चलता है।

सायं 6.27 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

मैं कारगिल मुद्दे के विस्तार में नहीं जा रहा हूं। लेकिन मैं इस सम्माननीय सदन का ध्यान अ०भा० अन्नाद्रमुक दल (ए०आई०ए० डी०एम०के०) की प्रगतिशील नेत्री मैडम डा० *पुराची थलैवी* द्वारा जारी किये गये बयान की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इस बयान में उन्होंने तत्कालीन सरकार, जो कि इस समय भी सत्ता में है, को चेताया था। इस बयान से ये मुद्दे प्रकाश में आये थे। इस बयान में उन्होंने बिन लादेन के उग्रवादी संगठन और आई०एस०आई० की मदद से कारगिल सैक्टर में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की कोशिश को उद्घाटित किया था।

सरकार को कारगिल में घुसपैठ होने से कई माह पूर्व सूचित कर दिया गया था परन्तु यह देखकर बड़ा दुख हुआ कि इस सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह बयान बहुत सुदृढ़ और प्रामाणिक था लेकिन उसकी अवहेलना कर दी गई। हमारी नेत्री के बयान पर उद्धृत किया गया था और इस सरकार द्वारा उसका तुरंत खंडन कर दिया गया। वह बयान माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी को भेजा गया था। लेकिन इससे कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। यदि इसपर पर्याप्त ध्यान दिया जाता तो सारी परिस्थिति टाली जा सकती थी और हमारे सुरक्षा बलों को पाकिस्तानी घुसपैठ का सामना करने में बहुत आसानी होती।

सत्ता पक्ष की घोर लापरवाही और आलसी रवैये के कारण इस देश में इस प्रकार की अति विनाशकारी घटना हुई। उस समय हमारी नेत्री की बात न मानने का यह परिणाम निकला कि वहां नियंत्रण रेखा पर कंक्रीट के बंकर और हथियार पहुंच गये; और हमें वहां पर पक्की सड़कें और हैलीपैड भी मिले। यह सब एक-दो दिन में नहीं किया जा सकता था।

इसमें कई महीने या एक साल तक लगा होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार ने उस समय दी गई चेतावनी को नहीं सुना। कई बार निगरानी में कमी और पर्याप्त आसूचना के अभाव में सुरक्षा व्यवस्था पर ऐसे विनाशकारी प्रभाव पड़ते हैं।

मुख्य मुद्दे पर आते हुए, राजेश पायलट जी ने सही कहा है कि हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियों का स्तर अकल्पनीय रूप से बढ़ गया है। अभी तक हम जम्मू और कश्मीर में देख रहे थे कि उग्रवादी नागरिकों पर हमला कर रहे थे। सेना पर केवल उसी स्थिति में घात लगाकर हमला किया जाता था जब सैनिक अपने वाहनों में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते थे। अभी तक सार्वजनिक संपत्ति को ही क्षतिग्रस्त किया है। लेकिन आजकल उनकी गतिविधियां इतनी बढ़ गई हैं कि उन्होंने सैनिक मुख्यालयों पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। 3 नवम्बर, 1999 को बदामी बाग में 15वीं कोर पर उस क्षेत्र के उग्रवादियों ने हमला किया था। यह हमारे लिए शर्म की बात है। उग्रवादियों ने मुख्यालय में घुसकर एक मेजर और बहुत से सैनिकों की हत्या कर दी। बारह घंटे तक लड़ाई चलती रही। वे इतने बड़े पैमाने पर कार्यवाहियां कर रहे हैं। यह एक बहुत आश्चर्यजनक और कल्पना से परे बात है कि वे मुख्यालय में घुसे कैसे। यहां तक की सैनिक प्रतिष्ठान भी सुरक्षित नहीं हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जब इस देश में सैनिक प्रतिष्ठान भी सुरक्षित नहीं हैं तो एक आम आदमी अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा ?

इन घटनाओं से बिना किसी एक के यह साबित हो गया है कि यह सरकार जम्मू-कश्मीर तथा देश के अन्य भागों में उग्रवाद की कमर तोड़ने और उनकी गतिविधियों पर अंकुश रखने में पूर्णतया असफल रही है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा निगरानी आयोग गठित करने का उचित समय है। यह चुनाव आयोग की तरह तीन सदस्यों वाला सांविधिक निकाय होना चाहिए। इसे कानूनी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इसमें सेना में कार्यरत रहे लोग शामिल होने चाहिएं। इन्हें देश की सुरक्षा से सम्बन्धित मामलों में सरकार को सलाह देनी चाहिए। यदि ऐसे किसी निकाय पर विचार किया जाता है तो वह देश के लिए बहुत लाभदायक रहेगा।

उग्रवाद की यह संस्कृति देश के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु राज्य में भी तेजी से फैलती जा रही है। राजीव गांधी की हत्या एक मानव बम द्वारा की गई थी। इस घटना ने सभी को हतप्रभ कर दिया था। तमिलनाडु की भूमि पर एक राष्ट्रीय नेता की हत्या कर दी गई। इसके पश्चात् तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में सांप्रदायिक झड़पों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इन संघर्षों में सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं और करोड़ों रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ है। रेल और बसों जैसी सार्वजनिक सम्पत्ति को नष्ट किया गया या जला दिया गया। वहां विशेषकर कोयम्बतूर जिले में एक अभूतपूर्व बम विस्फोट हुआ। यहां

तक कि गृह मंत्री, श्री लाल कृष्ण आडवाणी भी कोयम्बतूर में उग्रवादियों का निशाना थे। लेकिन सौभाग्यवश वे बच गये ... *(व्यवधान)* महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं तमिलनाडु के बारे में बोल रहा हूं। सैकड़ों लोगों ने अपने प्राण गंवाये। माननीय गृह मंत्री जी ने अस्तपाल का दौरा किया था। उन्होंने वहां मृत शरीर और घायल लोगों को देखा। हमारी नेता ने सी०बी०आई० जांच की मांग की थी। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार और उग्रवादियों के बीच निकटता और सांठगांठ होने के कारण इस जांच के आदेश नहीं दिये गये। उस समय आतंकवादियों के साथ उनके छिपे हुए संबंध होने के कारण उच्च स्तरीय जांच नहीं हो पाई। उसके पश्चात् हाल ही में चेन्नई के केन्द्रीय कारागर में गोली चली। उस जेल में तकरीबन 20 लोग मारे गये। वहां कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस मौजूद है। यह वह मामला है जिसमें पुलिसकर्मी शामिल हैं। तमिलनाडु में पुलिस कर्मियों को कौन बचायेगा ? जेल के अंदर एक जेलर को जिंदा जला दिया गया और 20 लोगों को गोली मार दी गई। जेल को बंधक बना लिया गया था। तमिलनाडु में आजकल इस प्रकार की स्थिति है।

ये सब घटनाएं द्रमुक (डी०एम०के०) सरकार के लिए विशिष्ट हैं। केवल वर्तमान मुख्यमंत्री श्री करूणानिधि के सत्ता संभालने के बाद से ही तमिलनाडु में साम्प्रदायिक संघर्ष और इस्लामी रूढ़ीवादिता ने सर उठाया है। श्री राजीव गांधी की हत्या से लेकर चेन्नई, केन्द्रीय कारागार गोलीकांड तक की सभी घटनाएं वर्तमान मुख्यमंत्री श्री करूणा-निधि के शासनकाल में ही घटित हुई हैं। तमिलनाडु राज्य और वहां के लोग वर्तमान सत्ता के हाथों में सुरक्षित नहीं हैं।

मुझे माननीय गृह मंत्री जी की विवशता मालूम है। दुर्भाग्यवश, उन्हें जन-विरोधी लोगों के समर्थन की आवश्यकता है लेकिन मैं उन्हें याद दिला दूं कि इतिहास कभी नहीं भूलेगा और न ही क्षमा करेगा। अभी हाल ही में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया है। पिछले महीने तमिलों का एक बड़ा त्यौहार '*तमिझार पैरुविझा*', था। मदुरै में एक बैठक का आयोजन किया गया था। वहां राष्ट्र विरोधी नारे लगाये गये थे। इस बैठक में लिट्टे समर्थकों को भी देखा जा सकता था। वहां राजीव गांधी के हत्यारों को महिमामंडित करके उन्हें शहीद घोषित किया गया। उन्होंने घोषणा की कि श्री राजीव गांधी न तो मारे गये और न ही उनकी हत्या की गई, लेकिन बहुत शर्म की बात है कि उन्होंने कहा कि — श्री राजीव गांधी को दंडित किया गया। ये सब उस बैठक में व्यक्त उद्‌गार थे।

माननीय गृह मंत्री से मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार ने ऐसे भाषणों को रिकॉर्ड किया था और क्या उसने इन रिकॉर्डों को भारत सरकार या गृह मंत्री के सामने पेश किया था। तमिलनाडु सरकार वहां क्या कर रही है ? इस तरह की बैठकों में गठबंधन सरकार के सहयोगी दल एम०डी०एम० के प्रमुख और इस सदन के विद्वान सदस्य ने भी भाग लिया था। वे बैठक के उद्‌घाटन समारोह में उपस्थित थे। उनके जाने के बाद पार्टी के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि श्री राजीव गांधी की हत्या नहीं की गई थी, बल्कि उन्हें दंडित किया गया था।

आपके एक अन्य सहयोगी दल के नेता ने ऐलान किया था कि जहां तक एल०टी०टी०ई० प्रमुख प्रभाकरण का सवाल है तो वे एक सम्माननीय नेता हैं। क्या माननीय मंत्री हमें यह बतायेंगे कि यह सरकार ऐसे विचारों से सहमत है, क्योंकि वे सभी इनके सहयोगी दल के सदस्य हैं ? कृपया सदन के समक्ष इसे स्पष्ट करें।

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर) : *उपाध्यक्ष महोदय, आज हम* लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है कि इधर-उधर की बातों में एक-दूसरे पर दोषारोपण के बजाय हम लोग उस विषय पर ध्यान केन्द्रित करें जो अभी हमारे सामने हैं। चर्चा का यह विषय दो भागों में है। एक तो उत्तर-पूर्व के बारे में है और दूसरा जम्मू और कश्मीर के बारे में। इतने कम समय में इन दोनों विषयों को समेट पाना संभव नहीं है।

मैं मानती हूं कि उत्तर-पूर्व के मेरे सांसद मित्रों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं को बड़े ढंग से सुलझाया है। इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगी। केवल चर्चा के दौरान मैं अपने राज्य पश्चिम बंगाल के बारे में माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहूंगी कि वहां आई० एस०आई० की गतिविधियों व उनके द्वारा करायी जा रही घुसपैठ में खतरनाक ढंग से वृद्धि हुई है। मुझे बताया गया है कि कुछ समय पहले हमारे राज्य के गृह मंत्री ने केन्द्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की थी। मैं आशा करती हूं कि इससे कुछ ठोस परिणाम निकलेंगे।

मैं जम्मू और कश्मीर की समस्या पर थोड़ा अधिक ध्यान केन्द्रित करना चाहूंगी। वह इसीलिए कि हम लोगों को हर रोज बताया जाता है कि वहां स्थिति में सुधार हो रहा है। पर वास्तविकता इसके विपरीत मालूम पड़ती है। कल ही सभा पटल पर एक वक्तव्य रखा गया था जिसमें कहा गया है कि स्थिति में सुधार हो रहा है। लेकिन, हम संसद से हट कर बात करें तो हम पाते हैं कि श्रीनगर के मध्य भाग में उग्रवादियों ने फिर से अपने कारनामें किए हैं। अत: अब हमें इस पर काबू पाना है। सभा पटल पर रखे गए उसी वक्तव्य में मंत्री महोदय ने उग्रवाद पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों का उल्लेख किया था। दुर्भाग्यवश, सभी कदम, यथा सीमा सुरक्षा बलों को चुस्त-दुरुस्त करना, पुलिस बलों को मजबूती प्रदान करना आदि, स्वाभाविक रूप से दमनकारी थे। पर हम एक चिरस्थायी शांति चाहते हैं। इसलिए यह काम केवल दमन या अत्याचार से नहीं होगा। इसके लिए हमें विकल्प ढूंढना होगा।

अब उग्रवाद-प्रभावित दो अलग-अलग देशों में दो परस्पर विरोधी परिस्थितियों में समानता की बात उचित नहीं हो सकती है। मैं उत्तरी आयरलैंड के घटनाक्रम की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगी। उत्तरी आयरलैंड में भी हमारी तरह ही कश्मीर जैसी गंभीर और ऐतिहासिक रूप से जड़े जमा चुकी समस्या है। उनकी समस्या भी देश विभाजन से ही शुरू हुई थी। लेकिन, आज हम क्या देखते हैं। उत्तरी आयरलैंड में शांति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वे अपने झगड़े सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां जो कुछ भी हो रहा है उससे हमें संबल मिल सकता है। मेरा विश्वास है कि कश्मीर के लोग अब तक हिंसा और संघर्ष से पूरी तरह ऊब-चुके हैं। अगर हम उन्हें शांति बहाल करने का एक राजनीतिक प्रस्ताव प्रदान करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि कश्मीर के लोग हमें सहयोग करेंगे। हमें उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। जैसा कि श्री राजेश पायलट कह रहे थे, आपसी सहयोग और बात-चीत ही हमारे मूल स्वर होने चाहिए न कि संघर्ष। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए।

[श्रीमती कृष्णा बोस]

शांति का माहौल बनाने के लिए अब मैं सबसे पहले अपने गृह मंत्री से निवेदन करना चाहूंगी कि वे सेना से कहें कि सेना नागारिक समस्याओं से और नरमी से निपटे। कभी-कभी सेना के ऊपर बड़ी कड़ाई से पेश आने का आरोप लगाया जाता है। नागरिक समस्याओं के मामले में नरमी बरती जानी चाहिए। हमें मालूम है कि हिजबुल मुजाहीदीन, लश्कर-ए-तोइबा नामक कुछ उग्रवादी संगठन कट्टरपंथी हैं और उन्हें पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त है।

लेकिन, कुछ अन्य संगठन भी हैं जो उनकी तरह कट्टरपंथी नहीं हैं। वे असंतुष्ट हैं। इस समय हमारे साथ उनका रिश्ता दोस्ताना नहीं है। लेकिन हम यदि कोशिश करें, तो हम उन्हें बातचीत के लिए पुन: राजी कर सकते हैं। उनको भड़काने की बजाय, हम उनसे बातचीत का प्रयास क्यों नहीं करते हैं? ठीक अभी-अभी कश्मीर के एक मेरे सांसद मित्र ने कहा कि वे लोग किसी से भी बातचीत करने के लिए सदैव तैयार हैं। ऐसी स्थिति में उदाहरण के लिए हुरियत के लोगों को जोधपुर जेल में बंद रखने की बजाय अगर हम उन्हें बातचीत के लिए राजी-खुशी से बातचीत के लिए तैयार कर सकते हैं, तो हम कुछ हासिल कर सकेंगे। यह एक सुझाव है जिसपर विचार किया जाना चाहिए।

किसी भी वार्ता में भारत सरकार को वहां मौजूद होना चाहिए, कश्मीर की सरकार को वहां मौजूद होना चाहिए और अन्य उग्रवादी संगठनों को भी बुलाया जाना चाहिए जो स्पष्ट रूप से पाकिस्तान समर्थक न हो। यह एक सुझाव है जिसपर विचार करने के लिए मैं गंभीरतापूर्वक आपसे कहती हूं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? मैं पहले ही आपको बता चुकी हूं कि मैं उत्तरी आयरलैंड में जो कुछ भी हो रहा है उससे प्रेरित हूं। हमें उत्तरी आयरलैण्ड का आदर्श अपनाना चाहिए। वहां बहुआयामी प्रक्रिया की बात की जा रही है। वे इसे तीन चरणों में करने जा रहे हैं। इसमें सोशल डेमोक्रैट जैसे माध्यममार्गियों को शामिल किए जा रहे हैं। सरकार ने इस प्रक्रिया में *सिनफिन* जैसे चरमपंथियों को भी शामिल किया है। जैसाकि आप सबको मालूम होगा कि सिनफिन आयरिश रिपब्लिकन आर्मी की राजनीतिक शाखा है और यह एक बहुत ही खतरनाक उग्रवादी संगठन है। लेकिन सरकार ने उन सबको बुलाया है और एक चिरस्थायी शांति बहाल करने की कोशिश कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं गृह मंत्री से अपील कर रही हूं, कि हमें वार्ता के परिदृश्य को वृहत्तर बनाने पर विचार करना चाहिए और यथासंभव अधिक से अधिक और हर तबके के लोगों को इसमें शामिल करना चाहिए। यह कश्मीर में चिरस्थायी शांति बहाल करने में सहायक सिद्ध होगा — ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री के०ए० संगतम (नागालैंड) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि हमारे बहुत से साथियों को, जिनका उनके अपने प्रदेशों में अलगाववाद से कोई वास्ता नहीं पड़ा, अवसर मिला और उन्होंने अपनी चिन्ता प्रकट की। मैं नागालैण्ड से हूं जहां अलगाववाद अपनी चरम सीमा पर है। यदि आप पूर्वोत्तर में अलगाववाद की समस्या पर दृष्टिपात करें तो आप पायेंगे कि इस अलगाववाद की समस्या का उद्भव नागालैण्ड से हुआ है। यदि आप इस अलगाववाद के इतिहास पर नजर डालें तो, सन् 1953 में ही नागालैण्ड में श्री ए०जेड० फिज़ो ने एक राजनैतिक आन्दोलन शुरू किया था। वर्ष 1951 में यह जानने के लिए एक जनमत-संग्रह किया गया कि क्या लोग भारत में रहना चाहते हैं या नहीं। उस जनमत-संग्रह से पता चला कि 99 प्रतिशत लोग भारत से बाहर होना चाहते थे। हालांकि फिर भारत सरकार ने कानून और स्थिति बहाल करने के लिए सेना को भेजा।

उस समय तक, यह असम का एक छोटा सा जिला था। लेकिन बाद में यह नागालैण्ड राज्य बना। लोगों के एक वर्ग ने सोचा कि भारत के संविधान के अधीन बने रहने से उसके अधिकार संरक्षित रहेंगे। इसीलिए, नागा लोगों और भारत सरकार के बीच एक सोलह-सूत्री समझौता हुआ। तथापि, लोगों के एक वर्ग ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखा और आज नागालैण्ड राज्य, संविधान के अनुच्छेद 371(क) में आता है। 1965-66 में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एन०एन०सी० फेडरल सरकार के नेतृत्व में कार्यरत एक विद्रोही दल को बुलाया और उनके बीच छह दौर की बातचीत हुई। पर, दुर्भाग्यवश, कुछ संवादहीनता तथा गलतफहमी की वजह से बातचीत बन्द हो गई और शांति-प्रक्रिया रुक गई। बहरहाल, इस बीच लगभग एक दशक के बाद दो गुट उभरे हैं।

ये दो गुट हैं — एन०एस०सी०एन० (आई०एम०) और एन०एस०सी०एन० (के०)। हाल ही में, भारत सरकार ने एन०एस०सी०एन० (आई०एम०) के साथ बातचीत शुरू की। यह श्री पी०वी० नरसिंहराव, श्री देवेगौड़ा और श्री आई०के० गुजराल तक के कार्यकाल तक होती रही। मैं समझता हूं कि हाल ही में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी पेरिस में इस अलगाववादी नेताओं से बातचीत की।

फिलहाल, इस अलगाववादी विद्रोह के इतिहास पर नजर डालें। यदि हमने इस संबंध में समुचित उपाय किए होते, तो यह विद्रोह वर्तमान स्तर तक न फैला होता। यह अब न केवल नागालैण्ड बल्कि असम, त्रिपुरा, मणिपुर, यहां तक कि अरुणाचल प्रदेश और अनेक अन्य राज्यों में भी फैल गया है। लेकिन, मैं सोचता हूं कि इसे हमें एक बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा क्योंकि वहां अपनी गतिविधियों में संलग्न अधिकांश अलगाववादी वस्तुत: शिक्षित वर्ग के हैं। वे भलीभांति शिक्षित हैं और उच्च पदस्थ हैं। वे डिग्रीधारी और स्नातकोत्तर उपाधिधारी हैं। उनमें से कुछ इंजीनियर हैं और चिकित्सक भी हैं, जिन्हें काम नहीं मिला। अब, वे इस स्थिति में आने को मजबूर हुए हैं।

मुझे पता चला है कि इन अलगाववादी दलों में से कुछ मणिपुर जैसे अन्य राज्यों को हथियार और असला भेज रहे हैं जिससे बैंकों को लूट सकें। जब इन हथियारों को भेजा जाता है तो घटना को अंजाम देने वाले दूसरे दल को लूट का 30 प्रतिशत मिलता है और उसका बाकी 70 प्रतिशत नागालैण्ड में अलगाववादी दलों के मुख्य कार्यदल को भेज दिया जाता है।

ऐसे, भर्तियां हो रही हैं। जो युवा बेरोजगार हैं, शिक्षित हैं और तनावग्रस्त हैं, उन्हें 30000 रु० तक दिया जाता है — उन्हें ए०के० 47 राइफलें और हथियार-असला दिया जाता है। मैं समझता हूं कि यदि इस परिदृश्य पर विचार करें तो भविष्य धुंधला दिखता है। यह अकेले नागालैण्ड की ही बात नहीं है बल्कि पूर्वोत्तर और पूरे देश की बात है।

हम इस समस्या को शुरूआत से ही बहुत हल्के ढंग से लेते रहे हैं। मैं सोचता हूं कि हमें इसे गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। जहां भी संभव हो, हमें देखना चाहिए कि इन युवाओं की आर्थिक रूप से उन्नति और पुनर्वास होता रहे। जहां भी राज्य सरकार को केन्द्र से कोई सहायता चाहिए, उसे पूरे तौर पर दिया जाना चाहिए। अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा कि समस्त पूर्वोत्तर ही अलग हो जाएगा। मेरा सोचना है कि वे इसलिए भी विद्रोह कर रहे हैं जिससे कि वे किसी अन्य देश का भाग बन जाएं। पर अभी भी समय है। यदि केन्द्र सरकार इस संबंध में गंभीर उपाय करे तो हम इस अलगाववाद की समस्या पर अभी भी लगाम लगा सकते हैं। मैं समझता हूं कि हम इस विषय में आर्थिक पहलू से भी विचार कर सकते हैं।

मैं बतलाना चाहूंगा कि हाल ही में एक प्रमुख समाचार पत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ। इसे 30 नवम्बर को यू०एन०आई० ने रिपोर्ट किया था। इसमें कहा गया है :

> ''प्रतिबंधित यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) ने शहरी क्षेत्रों में गतिविधियां संचालित करने के लिए गुरिल्ला सैनिकों को विशेष तौर पर प्रशिक्षित किया है और उन्हें राज्य तथा पड़ोसी पश्चिम बंगाल राज्य के विभिन्न शहरों में समूहों में भेजा है, ऐसा विश्वस्त सूत्रों ने बताया।
>
> सूत्रों ने कहा कि इन गुरिल्ला सैनिकों को भूटान के जंगलों में देवतांग में लगाए गए एक शिविर में एल०टी०टी०ई० के लोगों ने प्रशिक्षण दिया।
>
> वरिष्ठ दलनायकों के नेतृत्व में ये प्रशिक्षित गुरिल्ला सैनिक समूहों में असम के नलबाड़ी, बोंगाईगांव, कोकराझार और धुबरी में पहले ही प्रविष्ट हो चुके थे और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में चाय-बागानों के निकट एक बेस भी स्थापित किया। सूत्रों ने यह भी बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य धन की लूट-खसोट करना और भूटान स्थित शिविरों से बंगालदेश की तरफ अपने दलों की स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित करना है।
>
> सूत्रों ने यह संदेह भी व्यक्त किया कि वे प्रशिक्षित गुरिल्ला सैनिक अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तियों और राज्य सरकार के महत्वपूर्ण कार्मिकों को निशाना बना सकते हैं और सर्वजनिक स्थलों पर बम विस्फोट कर सकते हैं।''

यह बहुत गंभीर रिपोर्ट है। मैं समझता हूं कि अति-महत्वपूर्ण लोगों में वे लोग भी हो सकते हैं जो यहां बैठे हुए हैं। हमें उन लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। लेकिन आतंकवादी अब अति-महत्वपूर्ण व्यक्तियों को निशाना बना रहे हैं। इसलिए, यह बहुत ही गंभीर बात है। पूर्व में, हम देख चुके हैं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी आतंकवादियों का शिकार हुईं। उसके बाद, फिर श्री राजीव गांधी उनके द्वारा मारे गए। उसके बाद हमने क्या उपाय किए ?

क्या हमने इन बातों को गंभीरता से लिया ? अब, यह रिपोर्ट आई है और मैं नहीं जानता कि कैसे अलगाववाद और आतंकवाद को रोका जाएगा। मेरा विचार है कि हमारे गुप्तचर-नेटवर्क को मजबूत बनाया जाना चाहिए और आतंरिक सुरक्षा-पक्ष की समीक्षा होनी चाहिए। फिर, हमें अपने सशस्त्र बलों को भी मजबूत करना चाहिए।

महोदय, मैं नागालैण्ड से आता हूं और मैंने वहां से पिछले दो लोक सभा चुनाव लड़े हैं। 12वीं लोक सभा के चुनावों के समय, एन०एस०सी०एन० (आई०एम०) द्वारा बहिष्कार का आह्वान किया गया था। पर मैंने मुख्यधारा से जुड़े रहने का निर्णय लिया। इसलिए, मैंने पहले दिन ही अपना नामांकन दाखिल किया और चुनाव-अभियान पर निकल पड़ा। चुनाव-अभियान के दौरान, उन्होंने मुझे निशाना बनाया, वे मुझे अपहृत करके खत्म कर देना चाहते थे। 13वीं लोक सभा के चुनावों के दौरान भी, उन्होंने ऐसा ही करना चाहा। पर ईश्वर की कृपा से – 'मैं सेना या किसी अन्य की कृपा से' नहीं कहूंगा – मैं उनके सारे प्रयासों से बच पाया। इसीलिए, यह बहुत गंभीर बात है। आज, मैं इस शहर में बिना किसी रक्षा-व्यवस्था और एस०पी०जी० सुरक्षा के बगैर रह रहा हूं। यहां ऐसे कई छात्र हैं जो पूर्वोत्तर के हैं और उग्रवादियों से मिले हुए हैं। गुप्तचर-रिपोर्टों से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। परन्तु किसी ने मुझसे मेरी सुरक्षा के बारे में नहीं पूछा, न ही गृह मंत्रालय के एक भी अधिकारी ने कभी मुझे फोन करके मेरी सुरक्षा व्यवस्था के बाबत बात की। इस तरह की बात कभी हुई ही नहीं। चाहे हम बिहार से हों चाहे उत्तर प्रदेश से या चाहे जम्मू और कश्मीर से हों या नागालैण्ड से, हम सभी भातरीय नागरिक हैं और हमारा संरक्षण किया जाना चाहिए।

हाल ही में, नागालैण्ड के मुख्य मंत्री श्री एस०सी० जमीर पर उग्रवादियों ने हमला किया। वे काफी गुप्त ढंग से यात्रा करते हैं। पर भूमिगत लोगों ने उनके यात्रा-कार्यक्रम का भी पता लगा लिया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वे अच्छी तरह से लैस हैं। उनके पास आधुनिकतम हथियार और असले हैं। उनके पास ए०के०-47, ए०के०-56, एम०-16 और राकेट लांचर हैं। उन्हें हर तरह के हथियार मिले हुए हैं। आज, दोपहर में, मैंने माननीय गृह मंत्री से प्रश्न किया कि नागालैण्ड के मुख्य मंत्री पर हमला करने के पीछे किसका हाथ है और सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। पर गृह मंत्रालय के लोगों ने मेरे प्रश्न को टालने का प्रयास किया। यह स्तब्ध कर देने वाली बात है। वे हम जैसे निर्वाचित सदस्यों को भी वस्तुपरक जानकारी देने के लिए तैयार नहीं हैं, जो राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह काफी गंभीर मामला है।

अतः, मैं माननीय गृह मंत्री से नागालैण्ड में सभी संभव सख्त उपाय करने और युद्ध-विराम के दौरान के सभी नियम और शर्तों को कड़ाई से लागू कराने के लिए सभी संभव प्रयास करने का अनुरोध करूंगा। मुझे पता लगा है कि अगस्त, 1987 से नवम्बर, 1999 के युद्ध-विराम काल के दौरान 300 लोगों की जानें गईं। यदि युद्ध-विराम का अर्थ उग्रवादियों को लोगों को मारने के लिए लाइसेंस दे देना होता है, तो यह बहुत गंभीर मसला है। मैं यह नहीं कहता कि युद्ध-विराम नहीं होना चाहिए, युद्ध-विराम तो होना ही चाहिए। लेकिन इस स्थिति की मानीटरिंग कर रहे गृह मंत्रालय के अधिकारियों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। उन्हें नागालैण्ड की यात्रा को सैर सपाटे और मस्ती के लिए की जा रही यात्रा के रूप में नहीं देखना चाहिए। उन्हें नागालैण्ड जाना चाहिए और वहां की रोजाना की स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए। उन्हें लोगों को बताना चाहिए कि वह युद्ध-विराम का उल्लंघन ना करें और उनके साथ बातचीत शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने वार्ता के छह दौर किये थे। वर्तमान प्रधान मंत्री को उग्रवादियों के एक गुट के साथ ही बातचीत शुरू नहीं करनी बल्कि इन सभी अन्य गुटों को बुलाना चाहिए जो

[श्री के०ए० सांगतम]

विचार-विमर्श के लिए अब तक इंतजार कर रहे हैं। मैं समझता हूं सरकार को इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लेना चाहिए और नागालैण्ड की इस राजनीतिक समस्या को अत्यंत शांतिपूर्ण ढ़ंग से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, हमें बताया गया था कि प्रधान मंत्री जी 6.30 पूर्वाह्न पर अपना वक्तव्य देंगे। उसका क्या हुआ था ?

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे बताया गया कि इस चर्चा के बाद वह इस पर वक्तव्य देंगे।

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में बहुत संवेदनशील मामले पर बहस चल रही है। देश के विभिन्न हिस्सों में खासकर के जम्मू-कश्मीर और पूर्वान्चल के उत्तरी-पूर्व के हिस्सों में उग्रवाद और आतंकवाद या जो भी कहा जाए उसकी समस्या है वह एक राष्ट्रीय समस्या है। उस समस्या से निपटने के लिए हम और देश भर के लोग चिन्तित रहते हैं कि कैसे निपटा जाए क्योंकि बार-बार घटनाएं सुनने को मिलती हैं। अभी अकेले जम्मू-कश्मीर में हत्याओं की सूचना मिली, फिर डोडा जिला है वहां भी आतंकवाद से मारकाट होती रहती है, त्रिपुरा में भी मारकाट होती रहती है। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर पर आतंकवादियों ने हमला किया। संयोग से वे बच गए। मणिपुर में कूकी और नगाओं की समस्या है। वहां एथनिक समस्या भी है। कहीं-कहीं कोई विचारधारा की बात भी कहते रहते हैं। यह समस्या देश के विभिन्न हिस्सों में है। बिहार में भी कुछ जिले आतंकवाद से प्रभावित हैं। वहां भी एम०सी०सी०, के०एम०एस०एस० आदि कई तरह के संगठन हैं जिसको हिंसा में विश्वास है और वह मार-काट करता है। आंध्रा में भी पीपुल वार ग्रुप भी यह कांड करता रहता है। यहां पर आई०एस०आई० की बड़ी चर्चा होती रहती है और उस पक्ष के लोग बड़े जोर से आई०एस०आई०, आई०एस०आई० की चर्चा लोगों को धमकाने, डराने के लिए भी करते हैं। लेकिन आई०एस०आई० वाले काफी आ गये, यह किसकी विफलता है। क्या यह सरकार की, गृह विभाग की जिम्मेदारी नहीं है ? आई०एस०आई० का फैलाव क्यों बढ़ गया ? उसको क्यों नहीं रोका गया ? कड़ाई करने से क्यों नहीं रोका गया ? मैं कहना चाहता हूं कि इसको राजनीतिक दृष्टि से देखने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें राजनीति से ऊपर उठकर इस पर ध्यान होगा क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। इसमें हम कोई भी कोताही नहीं कर सकते। इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देकर हमें इसका हल निकालना करना चाहिए। *(व्यवधान)* अभी एक सांसद सदस्य श्री विनय कटियार के यहां से बम मिला है। वह राज्य सरकार की विफलता है कि बम रखने वाला व्यक्ति अभी तक नहीं पकड़ा गया। अगर वह बम फट जाता तो उसमें श्री विनय कटियार की मृत्यु हो जाती। यह गृह विभाग की विफलता है, इसे आई०एस०आई० ने किया या किसी अपराधी ने किया, किसने किया, इसका बयान सदन में नहीं आना चाहिए। यह राज्य सरकार का कसूर है या भारत सरकार का कसूर है ? इसलिए यह सब छेड़ने की कोशिश मत करिये। हमने कहा कि यह राष्ट्रीय समस्या है और हमें इससे निपटना चाहिए। जब भी हिंसा की या मार-काट की वारदातें होती हैं उसमें आम जनता, निर्दोष जनता, बेकसूर जनता मारी जाती है इससे कलेजा पिघल जाता है। यह एक संवेदनशील मामला है। इसको राजनीति से जोड़ देने से कहा-सुनी होगी। हम उसके लिए तैयार हैं। कहा-सुनी में देखा जाये कि किसकी कहां विफलता है और कहां गड़बड़ी है और क्यों गड़बड़ी है। इसलिए हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय समस्या का समाधान इस तरह से आरोप-प्रत्यारोप, कहा-सुनी से नहीं होगा। माननीय आडवाणी जी गृह विभाग के मंत्री हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि मिलिटैंसी को हर सूरत में खत्म करने का प्रयास होना चाहिए। यह कहते हैं कि संविधान के अंदर साम दाम और दंड विभेद। समझाने की नीति, डराने की नीति और फिर दंड देने की नीति और विभेद करने की नीति को अख्तियार करने से हम काबू पा सकते हैं नहीं तो देश टूट सकता है।

उपाध्यक्ष जी, अभी बिहार में भी कुछ जिले आतंकवाद से ग्रस्त हैं। बराबर राज्य सरकार मांग करती है कि बी०एस०एफ० दो, सी०आर०पी० और पैरा मिलिट्री फोर्स दो। यहां वहां से मांग होती है दस कंपनियों की और देते हैं दो कंपनी। इनकी विफलता नहीं है। सत्ता पक्ष के एक सदस्य कह रहे थे कि 'बिहार के आतंकवादी' घोषित कर दीजिए और उधर के लोग खुश हो रहे थे। हमें लगा कि शायद उधर के लोग संवेदनशील होंगे तो टोकेंगे। लेकिन क्या गलत बात सदन में कही जा सकती है ? बिहार आतंकवादी हो जाएगा तो क्या हिन्दुस्तान बचेगा ? नहीं बच सकता है। इसलिए इस तरह की ओछी हरकत से बचना चाहिए और इस सदन में इस तरह की गैर-जवाबदेही वाला सवाल नहीं उठाना चाहिए। हमें यह कहने की इजाजत होनी चाहिए कि अपराध और आतंकवाद बढ़ने का यह भी कारण है कि वह स्वयं आतंकवादी है जो ज्यादा आतंकवाद के बारे में बोल रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में विधि-व्यवस्था की जो समस्या है, उसको फेस करना चाहिए और अपराध पर काबू पाना चाहिए लेकिन राजनीतिक द्वेष के चलते, राजनीतिक मतभेद के चलते इस तरह से किसी राज्य की छवि को बरबाद किया जाए, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती और यह बर्दाश्त करने लायक भी नहीं है। लेकिन यहां पर बहस चलती रहती है। बात है राष्ट्रीय समस्या की कि देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकवाद की समस्या है इसका समाधान होना चाहिए। उसमें विदेश के लोग घुसपैठ करवा देते हैं। अनेक सीमाओं में मुस्तैदी की कमी के चलते अथवा भोगौलिक कारण, सीमा विस्तार है, हर जगह पहरा नहीं बिठा सकते, विभिन्न रूपों में घुसपैठिए आ जाते हैं। पाकिस्तान ने हमला नहीं किया तो घुसपैठियों ने जमीन दखल कर ली। कई महीनों तक लड़ाई लड़ी गई। कारगिल के बारे में अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। लड़ाई हमारी फोर्स ने की और पीठ ये थपथपा रहे हैं जैसे बहुत बहादुरी की है। मिलिटैंट्स कैसे आ गए ? क्या यह विफलता नहीं है ? मिलिटैंट्स को क्यों आने दिया गया ? कड़ा पहरा क्यों नहीं बिठाया गया ? *(व्यवधान)* हमारा सुझाव है कि मिलिटैंसी से सख्ती से निपटना चाहिए। नार्थ ईस्ट में आसाम में उग्रवाद, उल्फा आदि, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड में ये समस्याएं हैं। पहले गांव बूढ़ा की एक प्रथा थी। हर एरिया के एक बुजुर्ग व्यक्ति का सरकार, प्रशासन से ताल्लुक रहता था कि जनता की क्या समस्याएं हैं, उनकी जानकारी होती रहती थी। उस प्रथा को लोगों ने

खत्म कर दिया। गांव बूढ़ा वाली प्रथा लागू होनी चाहिए। यह सावधानी बरतनी चाहिए कि जनता की समस्या के समाधान को प्राथमिकता मिले नहीं तो मिलिटैंट्स के प्रभाव में भयवश अथवा भ्रमवश जब आम जनता आ जाती है तो किसी भी सरकार के लिए मिलिटैंसी से मुकाबला करना और उसे समाप्त करना कठिन हो जाता है। यह सही है कि उसके कारणों का पता लगाना चाहिए और जनमानस की समस्याओं का समाधान करने की प्राथमिकता होनी चाहिए। जब जनता मिलिटैंट्स से भयभीत नहीं होगी तब मिलिटैंसी को जड़ से समाप्त किया जा सकता है, यह हमारा दृढ़ मत है। लेकिन हम यह मानते हैं कि हिन्दुस्तान में हिंसा और मिलिटैंसी की कोई गुंजाइश नहीं है। यह देश एक रहा है, एक रहेगा। लेकिन इस समस्या का समाधान करने के लिए हम सबको राजनैतिक मतभेद से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए। गृह विभाग को ज्यादा चौकसी बरतनी चाहिए ताकि मिलिटैंसी को समाप्त किया जा सके। राज्य सरकारों को मिलिटैंसी से निपटने में मदद देनी चाहिए। पंजाब में 800 करोड़ रुपये की माफी हुई लेकिन जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हो रही है। इस तरह से यदि भेदभाव की नीति अपनाई जाती है तो वहां गुस्सा बढ़ जाता है और जब गुस्सा बढ़ जाता है तो वह मिलिटैंसी, अपराध का रूप ले लेता है। हमारे देश में जो हवाला कांड हुआ, लोग बता रहे हैं कि कोई उग्रवादी को खोजने गया था तो उसे डायरी या कागज मिल गई। जिस देश में मंत्री लोगों को मिलिटैंट्स से लाभ हो वहां समस्या का समाधान कैसे होगा। *(व्यवधान)* मिलिटैंसी को राष्ट्रीय समस्या समझकर, राजनैतिक मतभेद से ऊपर उठकर, यदि वार्ता की कोई गुंजाइश हो तो वार्ता भी करनी चाहिए नहीं तो सख्ती से मिलिटैंसी से निपटा जा सकता है। गृह विभाग को ज्यादा चौकस होने की जरूरत है और मिलिटैंसी को समाप्त करने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह

(व्यवधान)

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : उपाध्यक्ष महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि प्रधान मंत्री जी कब वक्तव्य देने जा रहे हैं ? यह अत्यंत महत्वपूर्ण है जैसीकि घोषणा की गई थी उन्हें एक वक्तव्य देना है। *(व्यवधान)* सदन के नेता का क्या हुआ ? *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर तीन-चार सदस्यों को बोलना है। मुझे बताया गया कि प्रधान मंत्री जी आ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अनिल बसु : क्या यह सदन की अवमानना नहीं है ? *(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत गंभीर समस्या है, इस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में जिस तरह उग्रवाद की वृद्धि हुई है, उसके बारे में अभी समर चौधरी साहब ने चर्चा की है और मैं उसमें ज्यादा कुछ बात नहीं कहना चाहता हूं। समर चौधरी साहब ने उसको बताया है। मैं सिर्फ होम मिनिस्टर साहब को एक बात बताना चाहूंगा कि त्रिपुरा में जैसे पैरा मिलिट्री फोर्स की जो भूमिका है, उसमें लोगों का उतना भरोसा नहीं है, इसलिए वहां असम राइफल्स के साथ ही उसकी हिफाजत से ही थोड़ा उसका मुकाबला करने की संभावना है। इसलिए यह जो मांग है, उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें तो त्रिपुरा का जो उग्रवाद है, उससे मुकाबला करने में थोड़ी सुविधा होगी।

मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर के सवाल पर 2-4 बातें कहना चाहूंगा। इस समस्या के बारे में तीन घंटे विस्तार से चर्चा हुई है। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन उसके पीछे जो पिछले दिनों में चुनाव के बाद भी वह उग्रवाद कम हुआ, ऐसी बात नहीं है, उग्रवाद का काम उन्होंने जारी रखा है और पाकिस्तान जैसे देश की उनको जो मदद मिलती है, हमारी हिन्दुस्तान में जो उग्रवादी हैं, उसके साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय ताकतों की साजिश भी उनके साथ है, एल०टी०टी०ई०, एन०एस०सी०एल० या खालिस्तानी, कश्मीरी मिलिटेंट्स या तालिबानी, इन सारी ताकतों को जोड़-तोड़ करने की अन्तर्राष्ट्रीय साजिश भी है, इसको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसा हमने सुना है कि अंडमान में जहाज से हथियार लाने की एक खबर आई थी, वैसे ही त्रिपुरा में आई थी, जैसी पुरुलिया में हथियारों का वर्षण हुआ था, वहां हथियार गिराये गये थे। तब तो यह बताया गया था कि यह आनन्दमार्गियों के लिए नहीं आये थे, दूसरे उद्देश्य से आये थे, मगर सी०बी०आई० की इन्क्वायरी रिपोर्ट में बताया गया कि आनन्दमार्गियों के लिए आये हैं। इसी तरह बहुत सारे संगठन जो सक्रिय हैं, बहुत सख्ती से इनके साथ मुकाबला करना जरूरी है। मगर कश्मीर की जो और समस्याएं हैं। आज कश्मीर में सबसे बड़ी समस्या मर्सीनरी की है, जो चार पांच छः हजार हैं या कितने हैं, कोई सही आंकड़ा तो मिलता नहीं है, मगर ये लोग इतनी मजबूती से लड़ते हैं कि एक-एक आदमी हमारे 100 फौजियों के साथ लड़ता है। यह बहुत खतरनाक तरीके से लड़ते हैं और अच्छी बात जो दिखाई दे रही है कि आम लोगों ने इससे मुंह मोड़ना शुरू किया है। इसके पीछे तेजी से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें आम लोगों को तेजी से सहयोग देना चाहिए और जिसको पीपुल्स रेजिस्टेंस कहा जाता है, जनता का प्रतिरोध को किस तरह संगठित किया जाये, इसके बारे में योजना तैयार करना बहुत जरूरी है और इसके लिए होम मिनिस्टर से राज्य सरकार मिलकर जनता को लामबन्द करके कि कैसे प्रतिरोध किया जाये, इसके बारे में कोई योजना तैयार करना बहुत जरूरी होगा। मगर साथ-साथ जनता के अन्दर जो भरोसा कम हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस से जो भरोसा उठ रहा है, सिक्योरिटी, सरकार या आर्मी का जो भरोसा है, वह भरोसा खत्म हो रहा है, इसको भी रैस्टोर करना चाहिए। इसको दोबारा स्थापित करने के लिए सरकार को समग्र बहुत ठोस कदम उठाने जरूरी हैं। मगर इसके साथ-साथ मैं 2-4 बातें कहना चाहूंगा, क्योंकि जो वहां प्राब्लम है, उसमें समस्या पर नजर देना बहुत जरूरी है। आज कश्मीर सबसे ज्यादा आर्थिक संकट से गुजर रहा है। वहां सरकार कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे सकती। कर्मचारी, शिक्षक हड़ताल पर चले जाते हैं, उनको पैसा नहीं मिलता है। यह एक बड़ी समस्या है, इस तरफ जैसे पहले मांग उठाई गई, आर्थिक समस्या किस तरह हल की जाये, इस पर पहले नजर देनी चाहिए।

दूसरी बात है कि जितना पैसा जाता है, उसकी बड़ा हिस्सा करप्शन में चला जाता है। बार-बार यह सवाल उठता है, मगर कश्मीर में जो करप्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उसको किस तरह दूर किया जा सकता है, उसके बारे में कदम उठाना चाहिए। जो फाइनेंशियल मिसमेनेजमेंट है, वह सरकारी है। उसको कैसे दूर किया

[श्री हन्नान मोल्लाह]

जा सकता है, इस पर प्रोपर ध्यान रखना चाहिए। यह भी देखना है कि वहां विकास के सारे काम जो ठप पड़े हैं, कैसे चालू किए जाएं। इसलिए उनको दुबारा मजबूती से शुरू करना होगा। यहां पब्लिक सेक्टर में कश्मीरियों को नौकरी देने की बात कही गई, राजेश पायलट जी ने भी कहा, यह ठीक है। इससे पूरे देश के अंदर एकता की भावना पैदा करने में मदद मिलेगी। इसलिए यह योजना को लागू करना चाहिए। कश्मीर के बहुत बड़े हिस्से में सुखाड़ है। इसकी वजह से आम जनता की जो परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। इससे जनता के अंदर जो निराशा पैदा होती है उससे भी उग्रवाद की जमीन तैयार होती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वहां जो आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा की समस्या है, उससे निपटने के लिए ठीक ढंग से योजनाएं बनाकर लागू करें। तभी हम वहां आतंकवाद से मुकाबला कर सकते हैं और वहां की समस्याएं दूर कर सकते हैं। इसके साथ-साथ सख्ती का सूझबूझ कर आपको वहां प्रयोग करना चाहिए, जिससे जनता के अंदर बुरा असर न जाए। वहां की समस्याएं दूर करने के लिए कई बार यहां चर्चा हुई है, लेकिन अभी तक हम कामयाब नहीं हुए हैं। सभी राजनैतिक दल आपके साथ हैं। आप कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे सभी लोग आपको समर्थन दें।

श्री राजेश पायलट : 15 सदस्य हैं। हम आज पूरा नहीं कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले श्री रामदास आठवले को पूरा करने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शांति कायम रखें।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है। जम्मू-कश्मीर में बढ़ते हुए आतंकवाद को खत्म करने के लिए देश को और सांसदों को क्या करना चाहिए, इसमें कोई राजनीति लाने की आवश्यकता नहीं है। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, तो हम भी देखने वाले हैं कि आप इस सम्बन्ध में क्या करते हैं। मैं यह पोलिटिकल प्रेस्टिज न मानते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर हमारे देश का अविभाज्य घटक है। वहां की जनता भारत के साथ रहना चाहती है। वहां की जो मुस्लिम आबादी है, वह चाहती है कि हम भारत के साथ रहें। लेकिन उसके बावजूद वहां के कुछ लोगों को पाकिस्तान अपने यहां ले जाकर ट्रेनिंग देकर यहां भेज देता है, इसके बारे में गृह मंत्रालय को गम्भीरता से सोचना चाहिए। रक्षा मंत्रालय को भी इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है कि वहां से लोग कैसे पाकिस्तान जाते हैं और फिर आतंकवाद की ट्रेनिंग लेकर कैसे यहां वापस आते हैं। कारगिल प्रकरण में पूरी दुनिया ने देखा कि हमारे देश की मिलिटरी ने कितने अच्छे ढंग से उसमें सफलता पाई। कारगिल इश्यू पर आप लोग सत्ता में आए, यह ठीक बात है। आपने चुनाव के समय लोगों में जाकर कहा कि कारगिल में जो काम आपने किया है, वह कोई नहीं कर सकता था। इस तरह की बात आपके मन में अब भी आ रही है। आप लोगों के बीच गए इसलिए हमसे ज्यादा वोट आपको मिल गए। कारगिल इश्यू को भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने एक राजनीतिक इश्यू बना दिया। वोटों को आप इश्यू बना रहे हैं। आप समझाने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन हम समझाने में थोड़ा कम पड़ गए, लेकिन इसके बाद ऐसा होने वाला नहीं है। जम्मू-कश्मीर के बारे में हमारे मित्र बोल रहे थे, आपकी सैक्युलर पार्टी थी, आपकी सैक्युलर पार्टी होने के बाद भी हम फारुख अब्दुल्ला के बारे में बचपन से सुनते थे कि सैक्युलर आदमी है। हम 1998 से देख रहे हैं, आप लोग वहां जा चुके हैं। ठीक बात है, मंत्री पद चाहिए और वहां जाना भी चाहिए। लेकिन वहां सैक्युलर नान-सैक्युलर कैसे बन गया। उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी आ गए हैं, क्या मैं अपना भाषण खत्म करूं ? मैंने उपाध्यक्ष महोदय को बोला था, जब तक आदरणीय प्रधान मंत्री जी सदन में नहीं आते हैं, तब तक मैं बोलता रहूंगा। आप मुझे बैठने का प्रयत्न करेंगे, तो भी मैं बैठने वाला नहीं हूं, प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद ही मैं बैठूंगा।

मैं आपको बता रहा था, जम्मू-कश्मीर के बारे में आपको ज्यादा गम्भीरता से सोचने की जरूरत है। हमारे मुम्बई में भी गैंगवार बढ़ रही है, इस गैंगवार को समाप्त करने की आवश्यकता है। ट्राइबल क्षेत्रों में नक्सलाइट मूवमेंट चल रहा है। इनको आर्थिक सपोर्ट देने की आवश्यकता है और उनकी समस्याओं को देखने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं, प्रधान मंत्री जी आपकी सरकार इन सब बातों को देखेगी। मैं ऐसा समझता हूं और अगर आपकी सरकार नहीं करेगी, तो हम लोगों को विचार करना होगा।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री विलास मुत्तेमवार और श्री राजेश पायलट जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के विभिन्न भागों विशेषकर पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर में, आतंकवाद बढ़ने के संबंध में चर्चा को सदन में उठाया है और चिन्ता जताई है। सारे सदन ने कहा है कि सबको एक दिलसे और मिलकर मुकाबला करना चाहिए। हम इस बात में राजनीति नहीं लाना चाहते हैं। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, हमें ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए, जिससे हमारे नौजवानों का मनोबल घट जाए। प्रधान मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं, उन्होंने साउथ-ब्लाक में तीनों सेनाओं के सामने भाषण दिया था।

सायं 7.23 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

उन्होंने कहा था कि काश्मीर घाटी में अघोषित युद्ध शुरू हुआ है। अनेक आतंकवादी संगठनों का सहारा लेकर बार-बार सिक्योरिटी के लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, 13 जुलाई को बाडीयार में डी०आई०जी० कार्यालय पर हमला हुआ; 6 अगस्त को कुपवाड़ा में फौजी कैम्प में पांच हत्यायें हुई; 7 अगस्त को कुपवाड़ा में ब्रिगेडियर बलबीर सिंह समेत चार फौजियों की हत्यायें हुई; 20 अक्टूबर को श्रीनगर में सचिवालय में हमला हुआ; 28 अक्टूबर को श्रीनगर सचिवालय में तीन कर्मचारियों की हत्या हुई; 3 नवम्बर को बादामी क्षेत्र में मेजर सहित सात कर्मचारी मारे गए। हिजबुल मुजाहिदीन, जमायते इस्लामी, हरकत-उल-अंसार, अलबर्क इन सबके लिंक जनरल मुशर्रफ परवेज से हैं। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या आपको ऐसे संकेत मिले हैं कि तीन हजार से ज्यादा आतंकवादी आधुनिक हथियारों के साथ अफगानिस्तान से लादेन ने भेजे हैं। इस बारे में आपके द्वारा सदन को जानकारी देने की आवश्यकता है कि ऐसे संकेत आपको कब मिले हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी देने के लिए विनती

कर रहा हूं। ईस्टर्न कंट्री के बारे में यहां चर्चा हुई। महोदय, हम राजनीति नहीं लाना चाहते हैं लेकिन आज बहुत खतरा पैदा हो गया है। आज हिन्दुस्तान में कितने बंग्लादेशी लोग हैं। 1971 में जवानों ने अपनी वीरता से हमें विजय हासिल कराई लेकिन उसी सरहद पर हमारी राजनीति की कुर्बानी हो गई। हिन्दुस्तान में करोड़ों बंग्लादेशी आए, उनको बाहर निकालना मुश्किल हो रहा है। मणिपुर, असम, मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा आदि जगहों पर बंग्लादेशी इतने बढ़ गए हैं, जिससे हिन्दुस्तान के लिए खतरा पैदा हो गया है। महोदय, वे 15 अगस्त से पहले वहां 15 दिनों तक बम फोड़ते रहे। हिन्दुस्तान को अलग करने के लिए साजिशें की गईं। आई०एस०आई० को बंग्लादेशी और चाइना, सब बढ़ावा दे रहे हैं। म्यांमार के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। कश्मीर घाटी में प्रशिक्षण दिया जाता है। वहां जो लोग आए, आतंकवादी आए, हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि कितने आतंकवादी आए। हिन्दुस्तान को कितना खतरा है, क्योंकि यह सीरियस बात है। इसमें सारा सदन एक हुआ है, यह खुशी की बात है। जब हमारे खिलाफ और आपके खिलाफ भी बोल रहे थे तो मैंने खुद कहा कि आप यहां राजनीति न लाइए। आज यहां लोग बहुत बोल रहे हैं। आप कश्मीर के बारे में बहुत बोल सकते हैं। कश्मीर कैसे चलेगा, हम सदन को बता सकते हैं लेकिन जब वक्त आएगा, अगली बार चर्चा होगी तो हम बताएंगे कि किस की वजह से कैसे राजनीति हुई, जिससे कश्मीर हमारे हाथ से चला गया। *(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : कहां चला गया ? ... *(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : चला नहीं गया, लेकिन चले जाने की संभावना आपने पैदा कर दी है। *(व्यवधान)* हमारे हाथ से कभी नहीं जा सकता। *(व्यवधान)* आजाद कश्मीर किस ने दिया, जो आजाद कश्मीर है वहां इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। हमने पढ़ा था, जानकारी देंगे तो अच्छा होगा। 40 ऐसे सेंटर्स हैं, जहां ट्रेनिंग दी जाती है। उनको प्रशिक्षित करके उन्हें यहां भेजा जाता है।

महोदय, असम के बारे में बहुत से लोगों को चिन्ता है, मैं आपसे विनती करता हूं कि असम के बारे में कुछ हल निकालें। हम असम में एक बार गए थे तो हमने असम में लोगों से पूछा, वे यहां रहना चाहते हैं। उल्फा के लोगों को आई०एस०आई० द्वारा वहां आतंकवाद बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं। लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। केन्द्र सरकार ने करोड़ों रुपया दिया, तब किस का राज था, सब को पता है। लेकिन वह पैसे लोगों तक नहीं पहुंचे। विलास जी ने बताया कि 64,000 करोड़ रुपए कश्मीर में सेना के लिए और सब के लिए खर्च करेंगे। कश्मीर के विकास के लिए करोड़ों रुपया केन्द्र सरकार की तरफ से गया, लेकिन वह लोगों तक नहीं पहुंचा, इसके बारे में चिन्ता होनी चाहिए। इन्होंने बताया कि अंडरवर्ल्ड के लोग इसका फायदा ले रहे हैं। मुम्बई शहर में बम विस्फोट हुए थे। हम प्रधानमंत्री जी का आदर करते हैं, उन्होंने लाहौर की बस यात्रा शुरू की। दाऊद इब्राहीम ने मुंबई में 12 बम बिस्फोट किए थे। आप चाहें तो मैं उनका मोबाइल नम्बर दे सकता हूं। मैं विदेश मंत्री जी का बहुत आदर करता हूं। जब कांग्रेस की सत्ता थी तो उसे लाने के लिए अपील की थी, तब उसे लेकर क्यों नहीं आए ? *(व्यवधान)* 284 लोग मारे गए।

महोदय, मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं, जो हमारे जवानों ने युद्ध करके वहां जीत हासिल की, लेकिन राजनीति की लड़ाई वाजपेयी जी की सरकार ने जीती है। हमने पाकिस्तान को अलग रखने के लिए, हथियार न देने के लिए जो राजनीति की, उसमें हम सफल रहे। ... *(व्यवधान)* पाकिस्तान आई०एस०आई० द्वारा गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। ... *(व्यवधान)* इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। पाकिस्तान को आप टैरेरिस्ट स्टेट घोषित क्यों नहीं करवाते हो। मैं जानना चाहता हूं कि आप ऐसा कौन-सा प्रयास कर रहे हो जिससे पाकिस्तान आतंकवादी स्टेट घोषित हो जाए। माननीय विलास जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अटल जी के प्रधान मंत्री बनने से पहले कुल 14649 घटनाएं हुईं। लोगों पर और सुरक्षा बलों पर 17000 हमले हुए और इसमें 17860 लोग मारे गये। हमारे प्रधान मंत्री जी के बनने के बाद 1998 में कुल 551 घटनाएं हुईं, 201 हमले सुरक्षा बलों पर हुए और 361 लोग मारे गये। पायलट जी, आपने विलास जी ने और सारे सदन ने इन पर चिंता व्यक्त की है। हमारे प्रधान मंत्री जी के पीछे और हमारी सरकार के पीछे सारा सदन है। मेरी विनती है कि प्रधान मंत्री जी इस बारे में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जिससे लोगों को लगे कि हम इस सरकार के साये में सुरक्षित हैं।

सायं 7.33 बजे

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के एजेंडा के बारे में

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष जी, कल सदन में अयोध्या प्रकरण के बारे में चर्चा हुई। उस समय मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री रामप्रकाश गुप्त जी के जिस वक्तव्य को लेकर विवाद हो रहा है, मैं उसके बारे में मुख्य मंत्री जी से जानने का प्रयास करूंगा, बातचीत करूंगा। मेरी बातचीत हुई। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने अपने वक्तव्य में यह कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का प्रश्न प्रदेश का प्रश्न है, इसका राष्ट्रीय एजेंडा के साथ कोई संबंध नहीं है। राष्ट्रीय एजेंडा अलग है, हमारे प्रदेश का एजेंडा अलग है। उन्होंने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि तो आपने क्या कहा। कहने लगे कि मैंने तो इससे उल्टा कहा था। मैंने तो यह कहा था कि हम राष्ट्रीय एजेंडे से बंधे हुए हैं और राष्ट्रीय एजेंडे के अंतर्गत जिस नीति का निर्धारण किया गया है हम उसका पालन करेंगे। इसी आशय का एक पत्र उनका आज मुझे मिला है। मैं सदन को विश्वास में लेना चाहता हूं, उसे उद्धृत करना चाहता हूं।

> "कतिपय समाचारपत्रों में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण के बारे में मेरा तथाकथित बयान छपा गया और कहा गया है कि राम मंदिर का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार के एजेंडे में है। इस संबंध में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मेरे द्वारा इस प्रकार का कोई बयान नहीं दिया गया है कि यह प्रदेश सरकार के एजेंडे में सम्मिलित है। मेरे द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि इस संबंध में जो एजेंडा नेशनल डैमोक्रेटिक एलाइंस द्वारा निर्धारित किया गया है तथा जिसे भारत सरकार ने स्वीकार किया है, ग्रहण किया है, वही प्रदेश सरकार का एजेंडा तथा नीति भी है।"

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इसके पश्चात् विवाद समाप्त हो जाना चाहिए।

सायं 7.35 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

[हिन्दी]

राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला और देश के विभिन्न भागों विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद में वृद्धि

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा) : अध्यक्ष महोदय, नॉर्थ ईस्ट और जम्मू-कश्मीर में बढ़ते हुए आतंकवाद पर बहुत देर से बहस हो रही है। आतंकवाद के बढ़ने का क्या कारण है? दूसरे लोगों ने चाहे इसे न देखा हो लेकिन पंजाब वालों ने आतंकवाद का मुकाबला किया। हमें वह दिन याद आता है जब आतंकवादी बहू-बेटियों को उठा कर ले जाते थे। उस समय हमारा दिल दहल जाता था। हम वह दिन अभी भी नहीं भूले जब बड़े-बड़े सरदार गांव छोड़ कर शहरों में चले गए। बहुत से लोग महीना देते थे। हम उस समय सोचते थे कि पंजाब में क्या हो गया है? इस समय बातें इधर-उधर करने की नहीं हैं। आतंकवादियों ने 25 हजार पंजाबियों को मौत के घाट उतार दिया था। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, गृह मंत्री जी को कल जवाब देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हां, वह कल जवाब देंगे। आज हम सभी भाषणों को पूरा करना चाहते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : धन्यवाद, महोदय।

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा) : पंजाब में जो कुछ हुआ, उसके बारे में सब जानते हैं। जरनैल सिंह भिंडरावाला का कांग्रेस पार्टी ने इस्तेमाल किया। जब अकालियों में दरार पड़ गई, उसके बाद अकालियों ने उसका इस्तेमाल किया। जब पता लगा कि वह न कांग्रेसियों का था और न ही अकालियों का था तो दोनों ने उसका साथ छोड़ दिया। आतंकवाद के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए, उन्होंने पंजाब को नुकसान पहुंचाया। इसे भुलाया नहीं जा सकता। पंजाब सरकार अपनी नीति तब्दील करे। ढिंडसा साहब बैठे हैं। प्रकाश सिंह बादल तीन साल अमेरिका नहीं गए। उन्होंने डरते हुए पंजाब के इलैक्शन में हिस्सा नहीं लिया। उनकी इलैक्शन लड़ने की हिम्मत नहीं पड़ी। हम देख रहे हैं कि आतंकवादियों के बड़े-बड़े सरगना जैसे दीदार सिंह संधू जो अमेरिका में रहते हैं, वह आतंकवादियों को बाहर से मदद देते हैं। पंजाब सरकार उसे स्टेट गैस्ट बनाती है। मैं जब यह देखता हूं कि मेरी आंखें खुलती हैं। उसे आनन्दपुर साहब में स्पैशल स्टेटस दिया जाता है। ऐसे आदमियों को प्रश्रय देंगे तो आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। केन्द्र सरकार इस बारे में नीति बनाने के लिए इधर-उधर न देखे। पंजाब का भला होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है।

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : इन्होंने पंजाब सरकार पर यह इल्जाम लगाया कि दीदार सिंह बैस जो अमेरिका में है, वह आतंकवादी है। कभी भी उसका कहीं ऐसे नाम नहीं आया और न ही उसने ऐसा कोई काम किया। वह अमेरिका की शिरोमणि अकाली दल का प्रेजिडेंट है। जो आदमी यहां नहीं है, उस पर ऐसा इल्जाम लगाना गलत बात है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ... *(व्यवधान)*

श्री भान सिंह भौरा : वह सहायता और रुपया देता है। आतंकवादियों से लड़ने के लिए कभी सियासत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर देश का भला चाहते हैं तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए एक नीति बनाएं और इससे सख्ती से निपटें। पंजाब में बहुत से आतंकवादियों को इसलिए छोड़ा गया कि पुलिस ने उनसे काम लिया था। एक आतंकवादी ने कत्ल किया, उसे पकड़ लिया गया। उसने दूसरे आतंकवादी को पकड़वा दिया। फिर उसे भी छोड़ दिया गया। ढिंडसा साहब, ऐसे पंजाब में सैकड़ों आतंकवादी हैं जिन को पुलिस ने इसलिए छोड़ा कि यह उनकी मदद कर रहे थे। वे फिर से आतंकवादी न बनें, ऐसा प्रयास करना चाहिए और नीति बनानी चाहिए। अभी भी गांवों में लोगों के पास हथियार हैं। आप एक स्पैशल मुहिम चलाएं। बहुत से आतंकवादियों के पास हथियार मिलेंगे। अगर किसी को खुश करने के लिए ऐसा करेंगे कि वह हमारे पास आ गया तो अपना हो गया। जब उसके खिलाफ है तो वह हमारा नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आतंकवादी है, उसको आतंकवादी ही समझा जाना चाहिए। तभी आप इसका मुकाबला कर सकेंगे नहीं तो इसका मुकाबला नहीं हो सकेगा। इसलिए मैं सरकार को अपील करूंगा कि आप बातें तो बहुत कर रहे हैं मगर कांग्रेस वालों से सीख लीजिए। 1980 से लेकर 1982 तक जो इन्होंने व्हाइट पेपर जारी किया है, 1984 के बाद उसमें कितनी मीटिंगें की गई? जो आतंकवादी थे, उनके साथ बातें की गईं। अकालियों के साथ सरकार में बातें की गईं, पर आखिर क्या करना पड़ा? उसका कोई लाभ नहीं हुआ। यह बातचीत करने का सिलसिला लंबा करते जाएंगे तो आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम आप करेंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आतंकवाद से लड़ने के लिए सभी पार्टियों का सहयोग लेकर एक ठोस नीति बनाइए, जिन स्टेटों में बेरोजगारी है, उनको पैसा दीजिए। बेरोजगारी एक मुख्य कारण है आतंकवाद का। दूसरी पोलिटिकल पार्टियों को इकट्ठा करके आप आतंकवाद विरोधी नीति बनाइए, तभी आप इसका मुकाबला कर सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वारस) : माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं हमारे देश में आतंकवाद की जो समस्या दिखाई दे रही है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आपने मुझे बोलने का जो अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

आतंकवाद किसी पार्टी की समस्या नहीं है, किसी संप्रदाय की समस्या नहीं है, लेकिन राजनीति से ऊपर उठकर हमें देखना चाहिए क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए यह बहुत बड़ा खतरा है। राजनीति से ऊपर उठकर अगर हम आतंकवाद को समाप्त करने की कोशिश नहीं करेंगे और सभी प्रदेशों के लोगों की सहायता लेकर आम जनता को अपने विश्वास में लेकर हर प्रदेश के लोगों से सहयोग की प्रार्थना अगर हम नहीं करेंगे तो आतंकवाद की समस्या का समाधान संभव नहीं होगा। चाहे वह जम्मू-कश्मीर की समस्या हो, चाहे वह पूर्वोत्तर

राज्यों की समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास क्यों न हो, लेकिन आम जनता की जो आर्थिक समस्याएं हैं, बुनियादी समस्याएं हैं, उनका हल ढूंढने का जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आतंकवाद का ठीक से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आर्थिक विकास के साथ-साथ हमें राजनैतिक समाधान करने के बारे में भी चिन्तन करना चाहिए। राजनैतिक समाधान के तरीके निकालने पड़ेंगे। हर पार्टी के नेताओं को, हर वर्ग को ऐक्रॉस द टेबल लाकर डायलॉग करने की आवश्यकता है। नॉर्थ ईस्ट में जो लोग हैं, जो आतंकवाद की चपेट में आ गए हैं, उनकी बुनियादी समस्याओं को जानने की आवश्यकता है। तभी हम इस समस्या का मुकाबला कर सकेंगे। इसलिए मैं सदन के सभी सदस्यों से एवं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें किसी दल के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए कि इस दल की जब सरकार थी, उस समय इस समस्या का समाधान नहीं हुआ और समस्या बढ़ती चली गई। लेकिन किसी दल के ऊपर दोषारोपण करने की बजाय हम सभी मिलकर इस समस्या का समाधान करने के लिए कोशिश करें। पूर्वोत्तर राज्यों से मेरे नजदीकी संबंध हैं। जब मैं सर्विस कर रहा था, तब मैंने नजदीक से वहां के लोगों को देखा है। वहां के लोग बहुत सीधे हैं और मातृ-प्रधान संस्कृति वहां के कुछ राज्यों में है, वहां महिलाओं का सम्मान बहुत ज्यादा है। इसलिए महिलाओं को भी विश्वास में लेने की आवश्यकता है। युवा पीढ़ी को भी विश्वास में लेने की आवश्यकता है ताकि हम उनको गलत रास्ते पर जाने से रोक सकें। आज जो हम एक दूसरे पर दोषारोपण करने की कोशिश करते हैं। हमें इस रास्ते को छोड़कर समस्या का सही समाधान करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यही निवेदन विशेष रूप से प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी से करना चाहता हूं। इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : अध्यक्ष महोदय, बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। आज हम ऐसे एक संवेदनशील मुद्दे पर, विचार कर रहे है जो हम सभी से संबंधित है। इस सदन में बहुत सारे राजनीतिक दिग्गजों ने पहले ही इस चर्चा में खुलकर अपने विचार रखे। मैं कुछ वाक्य जोड़ना चाहता हूं।

महोदय, मैं सिर्फ कश्मीर मुद्दा तक अपना भाषण सीमित रखना चाहता हूं। जहां तक कश्मीर का सवाल है हमारा हमेशा उससे एक भावात्मक लगाव रहा है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। हजारों वर्षों से यह हमारी सोच का हिस्सा रहा है। यह एक पवित्र भूमि है जहां हजरत बल, अमरनाथ और बहुत सारे धार्मिक स्थान स्थित हैं। इस भूमि पर सभी प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक चिंतन को स्थान मिला और उनका बिना किसी बाधा के विकास हुआ।

महोदय, सदियो से यह समग्र विश्व के लाखों लोगों को यह पवित्र और सुरम्य भूमि मोहित करती रही है। इस तरह हम जब भी कश्मीर की कल्पना करते हैं यह हमारे सामने शांति का प्रतीक, सौन्दर्य की प्रतिमूर्ति और पृथ्वी पर स्वर्ग एवं भारत माता के सरताज के रूप में सामने आती है। लेकिन जिस समय हम कश्मीर में वास्तविकताओं का सामना करते हैं तब हम हैरान परेशान हो जाते हैं। यह खेदजनक है कि वही भूमि उग्रवाद का रणक्षेत्र, मौत का झूला और कट्टरवाद के पनपने वाले क्षेत्र केरल में बदल गई है। हमें कश्मीर को नजरंदाज नहीं करना चाहिए।

महोदय, कश्मीर में उग्रवाद की शुरूआत 1971 के भारत-पाकिस्तान के युद्ध के बाद ही शुरू हो गई थी। उस युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई थी और इसी युद्ध के परिणामस्वरूप बांग्लादेश पाकिस्तान के जोर जबर्दस्ती के शासन से आजाद हुआ था। तब से भारतीय सेना के हाथों हुई अपमानजनक हार का बदला लेने के लिए पाकिस्तान भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रचता रहा है। ऑपरेशन जिब्राल्टर, ऑपरेशन के-2 ऑपरेशन टोपाक के अंतर्गत पाकिस्तान हमारे विरुद्ध अप्रत्यक्ष युद्ध चलाता रहा है।

इसलिए, इस संबंध में, हमारी दिवंगत नेता, भारत की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी का कथन मैं याद दिलाना चाहूंगा। जब उनसे भारत-पाक युद्ध पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया था, उन्होंने उत्तर दिया था :

> "युद्ध और बंगलादेश की विजय बंगलादेश की विजय ही नहीं है। वे सभी देश जो मानव आत्मा की गरिमा का सम्मान करते हैं, उन्हें इस विजय का स्वागत मनुष्य का स्वतन्त्रता की ओर प्रयाण में मील का पत्थर के रूप में करना चाहिए।"

इसी क्रम में उन्होंने हमें आत्मतुष्ट न होने एवं कश्मीर विषय पर सदैव सर्तक बने रहने के लिए प्रेरित किया था।

महोदय, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पोखरन-II परमाणु धमाकों के बावजूद हम भ्रांतिजनक विश्व में रहते रहे। इससे हम यह विश्वास करने लगे कि पाकिस्तान अब हमारे विरुद्ध युद्ध न छेड़ सकेगा।

महोदय, बस राजनीति, लाहौर घोषणा से जन-जन में और हमारी राजनीति में झूठा भरोसा पैदा हो गया था। इसी के परिणामस्वरूप, करगिल क्षेत्र में हमारी असावधानी का फायदा उठाया गया और हमें पहाड़ों में स्थित करगिल का युद्ध को झेलना पड़ा। इतिहास में यह लड़ाई दो परमाणु देशों के बीच पहली सीधी लड़ाई थी।

मैं फिर कहता हूं कि जहां तक जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद का प्रश्न है, आत्मतुष्टि के लिए कोई जगह ही नहीं है। यदि हम जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद की शुरूआत को ध्यान से देखें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि यह उग्रवाद उदारता की दशा से उग्रवाद, उग्रवाद से बगावत, बगावत से छद्म युद्ध, और छद्म युद्ध से करगिल युद्ध में बदल गया जिसे सरकारी भाषा में करगिल संघर्ष कहा जाता है।

हमें इस बात का दुःख है कि कदम उठाये जाने के बावजूद, आतंकवाद में कोई कमी नहीं आई है। आगजनी, लूट, सामूहिक नर हत्या, हत्या, बलात्कार, राकेट दागना, गोले फेंकना ये सभी घटनाएं कश्मीर में प्रतिदिन होती हैं। वहां घुसपैठ बड़ी जोरों पर है। हिंसा अनवरत जारी है। कश्मीर में सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने पर सरकारी धन का भारी अपव्यय हुआ है। फिर भी, शांति का नामोनिशान तक नजर नहीं आता। हम जानते हैं कि हजारों कश्मीरी पंडित या तो मार डाले गये, या बरबाद कर दिये गये, या फिर वे वहां से दूर भाग गये।

[श्री अधीर चौधरी]

मैं माननीय गृह मंत्री जी से एक खास प्रश्न पूछना चाहूंगा। निराशा में जीवन बीता रहे कश्मीरी पंडितों को पुन: बसाने के लिए उन्होंने कौन-कौन से कदम उठाये हैं ?

हमें यह मानना पड़ेगा कि कश्मीर दोनों देशों की पहचान का केन्द्र है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर हम कभी यह विश्वास करें कि पाकिस्तान पूरे ह्रदय से भारत के साथ शांति स्थापित करने का इच्छुक हो तो यह पूर्णत: ख्याली पुलाव पकाने वाली बात होगी। पाकिस्तान आतंकवादियों से अपने संबंध कभी नहीं तोड़ेगा क्योंकि यह उनकी चाल है कि जितना अधिक क्रूर शक्तियों का कब्जा घाटी पर रहेगा, उतना ही बंटवारे का उनका तर्क विश्वासोत्पादक बन जायेगा। पाकिस्तान में भारत-विरोध राजनीति का मुख्य आधार है। कोई भी शासक उस देश में भारत के प्रति शत्रुता बनाए रखे बिना टिक नहीं सकता।

अब पाकिस्तान में सैनिक शासन है। परमाणु हथियारों का बटन वहां के आर्मी जनरल के बिल्कुल करीब है। करगिल संघर्ष के बावजूद, आर्मी जनरल घाटी में आतंकवाद को दुबारा हवा दे रहा है और उसे फिर से सुलगा रहा है। लश्कर-ए-तौएबा के झंडे तले हजारों भयानक आतंकवादी भारत को कमजोर बनाने के उद्देश्य से भेजे जाते हैं ताकि भारत को टुकड़ों में बांट दिया जाये और भारत लहुलुहान होकर समाप्त हो जाये। यही पाकिस्तानी राजनीति का एकमात्र लक्ष्य है।

मैं यह कहूंगा कि कश्मीर में बिना स्थिरता के दोनों में किसी भी राष्ट्र की रक्षा न होगी। कश्मीर के लोगों की मदद के बिना वहां स्थिरता भी नहीं हो सकती है। हम स्थानीय लोगों के साथ गहन संपर्क बनाये बिना अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है। कश्मीर समस्या का समाधान स्थानीय लोगों के समर्थन के बिना नहीं किया जा सकता। उनसे जबर्दस्ती बात नहीं मनवाई जा सकती।

अंत में मेरा कहना यह है कि जहां तक कश्मीर का प्रश्न है यदि उसे हमे स्थानिक परिदृश्य के रूप में देखें तो हम राजनीतिक अंधता से पीड़ित बने रहेंगे। मैं तो यह कहूंगा कि यह वस्तुत: व्यापक समस्या है।

महोदय, कश्मीरी संघर्ष का इस्लामीकरण हो गया है और कश्मीरी संघर्ष के बढ़ते हुए इस्लामीकरण ने *भारत से अलग होकर अपनी अलग पहचान बनाने की कश्मीर की मांग* और इस विवाद पर अन्तर्राष्ट्रीय मध्यस्थता प्राप्त करने की पाकिस्तान की चेष्टा दोनों को महत्वहीन बना दिया है।

अत:, मैं माननीय गृह मंत्री जी को विश्व में इस समस्या से ग्रस्त सभी देशों के साथ रचनात्मक वार्ता करने का सुझाव दूंगा और उनसे इसके लिए आग्रह करूंगा। हम केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकते। वस्तुत:, अमेरिका ही इस उपमहाद्वीप में कट्टारवाद का 'मुख्य प्रणेता है। अमेरिका की नजर में, राजनीतिक परिदृश्य से साम्यवाद लुप्त होता जा रहा है और इस्लामिक कट्टरवाद उभरता जा रहा है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

सायं 7.56 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

तीसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सायं 7.56 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला और देश के विभिन्न भागों विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद में वृद्धि — जारी

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। चूंकि यह सुरक्षा से संबंधित मामला है, इसके बुनियाद या जड़ रूप की ओर ध्यान देना होगा। आज पूरे भारत में, पूर्ववर्ती भारत में, कश्मीर में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में आई०एस०आई० द्वारा आतंकवाद और उग्रवाद की गतिविधियां चलती हैं। मैं समझता हूं कि सरकार और सभी राजनीतिक पार्टियों को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि यह एक बुनियादी सवाल है, समस्या है इसकी जड़ कहां है और इसको कैसे हल होना चाहिए। सबसे पहले मैं कश्मीर की समस्या के बारे में कहना चाहता हूं। पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि जब तक कश्मीर की समस्या का निदान नहीं हो जाता है तब तक हम यह गतिविधियां जारी रखेंगे और उसके लिए जो आतंकवाद को समर्थन देना पड़ेगा, वह हम देंगे। तब कश्मीर समस्या का हल कैसे होगा ? मुझे याद है कि 1965 के युद्ध के बाद ताशकंद समझौता हुआ था। जब शास्त्री जी प्रधान मंत्री थे, उस समय ताशकंद समझौता हुआ था। उसमें कहा गया था कि उसी समझौते के आधार पर बातचीत होगी। 1971 की लड़ाई में जब हम जीते तो शिमला समझौता हुआ और यह कहा गया कि उसी समझौते के आधार पर बातचीत होगी। अभी वर्तमान प्रधान मंत्री जी ने लाहौर यात्रा की और एक समझौता हुआ। उसी समझौते के आधार पर बातचीत होगी लेकिन उस समझौते के आधार क्या हैं ? शिमला समझौते में क्या है ? ताशकंद समझौते में क्या है ? कश्मीर से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा है और दूसरी नियंत्रण रेखा है। मुझे याद है, इसी पार्लियामेंट में दो-तीन बार यह पास हो चुका है कि पूरा कश्मीर हमारा है और हम कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब कारगिल का युद्ध हो रहा था, उस समय कश्मीर के प्रधानमंत्री श्री फारूख अब्दुल्ला का बयान आया। मैंने उसे देखा था। उन्होंने कहा था कि समझौते में नियंत्रण रेखा को मान लेना चाहिए। इसका अर्थ यह होता है कि जो कश्मीर अभी पाकिस्तान के पास है, वह पाकिस्तान के पास रह जायेगा और जो हिस्सा हमारे पास है, वह हमारे पास ही रह जायेगा। क्या इस सवाल पर आप देश में बहस चला सकते हैं ? हिन्दुस्तान की जनता को इस बात के लिए तैयार

कर सकते हैं ? इस पर हमें सोचना चाहिए क्योंकि यह सभी राजनीतिक दलों का सवाल है और देश का हित इससे जुड़ा हुआ है। आप इस आधार पर हिन्दुस्तान की जनता को तैयार नहीं कर सकते हैं और अगर कर सकते हैं तो जनता को बताना चाहिए। तब कौन सी वार्ता है, क्या बातचीत होगी ? पाकिस्तान तो कह रहा है कि कश्मीर की समस्या का निदान नहीं होगा। आतंकवाद और कश्मीर को अलग करने वाली शक्तियों को नैतिक और भौतिक समर्थन जारी रखेंगे।

रात्रि 8.00 बजे

राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और उनकी अपनी जो स्थिति है, उनके यहां भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि वे सरकार में कैसे आते हैं और जाते हैं। इसलिए कश्मीर समस्या बनी रहनी चाहिए, यह उनके लिए भी जरूरी है। लेकिन हमारे देश के लिए बहुत घातक हो रहा है। यहां प्रधानमंत्री जी हैं और गृह मंत्री जी भी हैं। कांग्रेस के यहां जो बड़े नेता हैं, मैं खासकर उनसे निवेदन करूंगा कि यदि सही मायने में हम चाहते हैं कि इस देश में कश्मीर की समस्या का निदान हो तो उससे बहुत से मामले तय हो जाएंगे। सभी दलों को एक होकर, इसमें राजनीति नहीं करनी होगी, यह फैसला करना होगा। तब आप वार्ता में जाएंगे तो कुछ हासिल हो सकता है।

डा० लोहिया ने कहा था कि राजनीति अल्पकालीन धर्म है और धर्म दीर्घकालीन राजनीति है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि इसका क्या अर्थ होता है। मैं कभी-कभी जब यह सोचता हूं कि यदि धर्म का बहुत व्यापक अर्थ लगाया जाए तो मनुष्य के जो मानवोचित गुण होते हैं, वही धर्म है, पूजा-पाठ, मंदिर-मस्जिद यह सब नहीं है। लेकिन जब पूजा-पाठ, मंदिर-मस्जिद को ही धर्म मान लिया जाता है तो डा० लोहिया के अनुसार अगर किसी को दीर्घकालीन राजनीति करनी है और धर्म से ही राजनीति होनी है तो वे वही करेंगे जो सत्ता में पहुंचने के लिए अभी कर रहे हैं। अभी दुनिया की हालत क्या है। पूरी दुनिया के पैमाने पर दो धर्मों का युद्ध हो रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि उस युद्ध में हिन्दू धर्म भी शामिल है। ऐसी बात नहीं है। ईसाई धर्म और इस्लाम के बीच पूरी दुनिया पर फतह करने के लिए युद्ध जारी है। हम माने या न माने, यह दुनिया की वस्तुगत परिस्थिति है कि ये दो ताकतें हैं जिनका पूरी दुनिया में संग्राम चल रहा है और इसे कोई रोक नहीं पा रहा है। आप भी नहीं रोक सकते हैं। इस देश की जितनी भी राजनैतिक पार्टियां हैं, अगर हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बातें करते हैं, इस देश के हित के बारे में बात करते हैं तो आपको एक होना पड़ेगा, मजबूती के साथ एक विचार बनाना पड़ेगा कि इस संबंध में हमारी क्या राय है, हमको क्या करना चाहिए। हिन्दू धर्म हिन्दुस्तान में बचाव की स्थिति में है। ... *(व्यवधान)* मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैंने आपसे जान-बूझकर दो मिनट का समय लिया क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता था। मैं समझता हूं कि यह बुनियादी प्रश्न है और यदि इसे हल नहीं किया गया तो आप बार-बार राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात करते रहेंगे, यह कभी हल नहीं होगा। हमें मिल-जुलकर यह फैसला करना है कि यदि बिन लादेन कहते हैं कि अमरीका और हिन्दुस्तान समान रूप से एक नम्बर के दुश्मन हैं। वह तो कोई सरकार नहीं है, कि भारत भी हमारा दुश्मन है, अगर वे अमरीका के बारे में बोलते हैं तो बात समझ में आती है लेकिन भारत उनका दुश्मन कैसे है। अगर धार्मिक रास्ते से राजनीति होनी है तो बिन लादेन जो कहते हैं, वह सही है। इसलिए हमें मिलकर बात करनी होगी कि यदि इस देश की सुरक्षा पर धर्मों के युद्ध की वजह से खतरा आ रहा है तो हमको कौन सी नीति अपनानी चाहिए। ठोस बात होनी चाहिए।

हमारे देश की जो अंदर की समस्याएं हैं जिसकी चर्चा हमारे साथियों ने की है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। उन समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या गरीबी और भुखमरी की है। आज देश में इसके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। गरीबी और भुखमरी, की वजह से जो विदेशी पैसे आते हैं और आतंकवाद को हवा देते हैं, उसे भी आप नहीं रोक सकते। यदि आप इस पर कोई कार्यक्रम तैयार नहीं करते कि इस देश में समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। यह प्रोग्राम बनना चाहिए। यदि यह बन जाता है तो मैं समझता हूं कि हमारे देश जो अभी भी मजबूत है, वह इतना मजबूत होगा कि कोई भी इस देश को आंख दिखाने का काम नहीं कर सकते। और जो लोग कहते हैं कि इस देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और लोग देश को तोड़ देंगे तो अगर इन तीन बिन्दुओं पर विचार हो जाये, हम लोग एकमत हो जायें तो कोई भी इस देश को तोड़ नहीं सकता है, मैं यह कह सकता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। पुनः मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा की चर्चा पर आपने मुझे भाग लेने के लिए अनुमति दी।

आज आतंकवाद ने जम्मू-कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक और तमिलनाडु तक के एक बड़े-भू-भाग को अपने आगोश में चपेटने का काम किया है। इस आतंकवाद ने हमारे 2-2 प्रधानमंत्रियों की बलि लेने का काम किया। अभी इस सदन में आदरणीय गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं और गृह मंत्री जी की भी जान आतंकवाद के कारण खतरे में पड़ चुकी है। मुझे यह कहने में परहेज नहीं है कि आज आतंकवाद का जो सवाल पूरे देश के अन्दर उभरकर दिखाई दे रहा हो, इसे समय-समय पर सत्तारूढ़ राजनैतिक पार्टियों ने उस आतंकवाद को अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर प्रश्रय देने का कार्य किया। उसी का नतीजा है कि आज हम आतंकवाद का समूल नाश नहीं कर पा रहे हैं। अभी जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक और तमिलनाडु की चर्चा हुई है। मैं नेपाल और भूटान के अन्दर जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं, उसमें जो देश विरोधी गतिविधियां हैं और जो आतंकवादी गति-विधियां पनप रही हैं, उसकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी भूटान के अन्दर उल्फा अपनी जड़ें जमाये हुए है। भारत सरकार भूटान की सरकार से उल्फा को भूटान से समाप्त करने के लिए आग्रह कर चुकी है, परन्तु अब तक भूटान से उल्फा को समाप्त करने की दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठाया जा सका। नेपाल के अन्दर भी आई०एस०आई० द्वारा आतंकवादी गतिविधियों की बातें समाचार-पत्रों के माध्यम से और सरकारी एजेंसियों के माध्यम से समय-समय पर उभरकर आती रहती हैं। वर्ष 1994 तक नेपाल के सहयोग से जो हमारा जो मित्र राष्ट्र है, कई आतंकवादी भारत की सरकार ने उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर पकड़े हैं। 1995 में भारत और नेपाल की सीमा पर बढ़ते हुए आतंकवादी

[कुंवर अखिलेश सिंह]

गतिविधियों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के अन्दर सीमा पुलिस का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश के अन्दर सीमा पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस और कस्टम के लोग आतंकवाद की गतिविधियों और तस्करी की गतिविधियों को रोकने के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज इन तीनों एजेंसियों के अन्दर सामंजस्य स्थापित न होने के कारण अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। और मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है और सीमा पुलिस है, यह इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, इतनी ज्यादा स्वार्थ में लिप्त हो चुकी है कि उसकी नजर आतंकवादियों और आई०एस०आई० के एजेण्टों पर रह ही नहीं गई है, उनकी नजर मात्र दस रुपये बोरे पर रह गई है। वे आज तस्करी कराने के कार्यों में लिप्त हैं। आतंकवादी गतिविधियों को रोकने की दिशा में उनके द्वारा कोई कारगर कदम नहीं उठाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि जिस निर्वाचन क्षेत्र से मैं आता हूं, वह भारत नेपाल सीमा पर स्थित निर्वाचन क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश सरकार के एक राज्य मंत्री तीन बार राज्य मंत्री के पद पर रहते हुए नेपाल के दौरे कर चुके हैं और उसमें हमारी सरकार की जो खुफिया एजेंसियां हैं, उन खुफिया एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश की सरकार को रिपोर्ट दी, उस पर आपत्ति जाहिर की, परन्तु उत्तर प्रदेश की हुकूमत को बचाये रखने के लिए उस राज्य मंत्री के खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई। उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि आज दर्जनों ऐसे मंत्री हैं, जिनके ऊपर न्यायालय में आज दर्जनों आपराधिक मुकदमें चल रहे हैं, जिन्हें मंत्री की कुर्सी पर बिठाया गया है। एक मंत्री जिनके खिलाफ 1991-92 में उत्तर प्रदेश की सरकार टाडा का अभियोग चला चुकी है, उन्हें केबिनेट की कुर्सी पर बिठा दिया गया है और दूसरे जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आता हूं, वहां के राज्य मंत्री जी ने आतंकवादियों को पनाह दी और आज राजनैतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए एक वर्ग विशेष के लोगों के खिलाफ उन्होंने आई०एस०आई० के एजेण्टों की सूची के नाम पर आतंक का साम्राज्य मचा रखा है। आज आई०एस०आई० का जाल अगर नेपाल तलहटी में फैल रहा है तो इस पर सरकार को कारगर कदम उठाने चाहिए और जो लोग आई०एस०आई० के एजेण्टों को पनाह देने का काम कर रहे हैं, उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया जाना चाहिए, चाहे वे राजनैतिक व्यक्ति हों, चाहे नौकरशाह हों। किसी के साथ भी अगर भेदभाव किया जायेगा, उन्हें बचाने का काम किया जायेगा तो हम आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। भारत और नेपाल की भोगौलिक स्थिति पर अगर हम अध्ययन करें तो पूरे नेपाल के तराई का जो इलाका है, वह भारतीय मूल के लोगों का है। अंग्रेजों ने सुगौली की संधि में नेपाल की तराई के इलाके को भारत से नेपाल को दिया था और बदले में गढ़वाल, हिमाचल और कुमायूं नेपाल से लिए थे। आज पूरे नेपाल की 48 प्रतिशत आबादी भारतीय मूल के लोगों की है। आज जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, उन सुरक्षा एजेंसियों ने अपने निहित स्वार्थ के तहत भारतीय मूल और नेपाली मूल के लोगों के बीच में दरार पैदा करने का काम किया है। आज आवश्यकता इस बात की है, मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमें नेपाल के अंदर बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, उन्हें जड़ से समाप्त करने के लिए खुफिया एजेंसियों का जाल बिछाकर आई०एस०आई० के एजेंटों को बेनकाब करके उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। इसको जड़ से समाप्त करने के लिए जिन-जिन राजनीतिज्ञों के द्वारा इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और निर्दोष नागरिकों का उत्पीड़न करने के लिए प्रशासन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।

श्री हरिभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : अध्यक्ष महोदय, छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे घोड़ा होता है, रास्ते पर ले जाने के लिए उसके पैरों पर नाल लगाई जाती है। आने-जाने में कभी कभार नाल निकल जाती है, इससे सवार गिर जाता है और कभी-कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए छोटी-छोटी बातों पर नजर रखनी चाहिए। कश्मीर में कर्ण सिंह के पिता होते थे, यह करीब 70 वर्ष पहले की बात है। एक बार वहां के सब मुसलमान उनके पास गए और उनसे कहा कि हम लोग तो पहले हिन्दू थे, अब मुसलमान बन गए हैं, आप हमें अपने धर्म में शामिल कर लो। उन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों से पूछकर बताऊंगा। अपने लोगों से पूछकर उन्होंने उन लोगों से कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। उस वक्त अगर उन्हें अपने धर्म के अंदर ले लेते तो कश्मीर की समस्या इतनी गहन नहीं होती। उस वक्त जब चुनाव हुए थे तो मोराराजी भाई पंत प्रधान थे। शांति से चुनाव कराने के लिए वे शिकारे पर घूमते थे। उन्होंने अपने वक्त में काफी काम किया, लेकिन फिर भी उनका राज चला गया। उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। राजनारायण ने उनकी पार्टी को तोड़ा और खुद भी चले गए। नेहरू जी के समय में एन०वी० गाडगिल थे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की स्थिति कैसी है तो उन्हें जवाब दिया गया है कि यह तो देश के नक्शे में है, लेकिन अन्तर्मन से लोग आपके साथ नहीं हैं। उस वक्त मोरारजी भाई और ये दोनों पांच बक्त वहां गए थे। मैं भी दो बार गया था। 1979 में मोरारजी भाई ने उन लोगों के बेटे-बेटियों के साथ नृत्य भी किया था, जिससे उनका मन, अन्तर्मन बाकी देश के साथ जुड़ सके।

लगभग 4 वर्ष पहले की बात है, देश में यह देखने में आया कि गणपति की मूर्तियों ने दूध पिया। क्या ऐसा सम्भव है, मेरा मानना है कि ऐसा नहीं हो सकता। ...*(व्यवधान)* यह बात छोटी है, लेकिन ध्यान देने योग्य है। यहां हमारे मनोहर भाई मंत्री जी बैठे हैं, काफी होशियार आदमी हैं, इन्होंने भी गणपति को दूध पिलाया था। मैं कहना चाहता हूं कि हम सब लोग मंदिर-मस्जिद और प्रभू को छोड़ दें। इसी तरह हमें आर०एस०एस० के बारे में भी सोचना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे विवादास्पद मुद्दे त्याग कर शांति का बिगुल बजाएं। चुनाव के समय हम सब बुरी बात बोलते हैं, असत्य भी बोल जाते हैं, लेकिन यहां सभी लोग शपथ लेकर आते हैं। आपने धारा 370 को छोड़ दिया, अच्छी बात है। राम मंदिर बनाने का मामला बंद कर दिया, ठीक है। कैलाशवासी राजीव गांधी ने लिट्टे की आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए खुद का बलिदान दिया। यह गौरव की बात नहीं है, यह देश के लिए शर्म की बात है। मैं वाजपेयी जी से प्रार्थना करता हूं कि शिव सेना कुछ बोलती है, दूसरे दल कोई दूसरी बात करते हैं, यह बात ठीक नहीं है।

श्री विजय हान्दिक (जोरहाट) : महोदय, विकास की सर्वविख्यात कमी को इस सब गड़बड़ी के कारण के रूप में दर्शाया जा रहा है। इसका सामना पूर्वोत्तर क्षेत्र को करना पड़ रहा है। लेकिन यही सब कुछ है ? नहीं, यह इसका एक बड़ा कारण हो सकता है, पर एकमात्र कारण नहीं। मैं इस बात से सहमत हूं कि पूर्वोत्तर के लोगों

में भारी आक्रोश है क्योंकि इस क्षेत्र को इसके हक और न्याय नहीं मिला है और वास्तविकता यह है कि दो वर्ष की अवधि में एक के बाद एक तीन प्रधान मंत्रियों द्वारा घोषित विकास के तीन पैकेजों को ठोस रूप नहीं दिया गया है, इससे भी आक्रोश बढ़ा है। जिस चीज की चिन्ता मुझे खाए जाती है वह है अलगाव की भावना जो इस क्षेत्र के लोगों में पैदा हो गई है। मुझे भय है कि संचित अलगाव बहुधा विद्रोह और आतंकवाद को जन्म देता है। हमें अलगाव के कारणों को समाप्त करना होगा। यदि हम आतंकवाद और विद्रोह को और फैलने से रोकना चाहते हैं तो हमें अलगाव के वातावरण को समाप्त करना होगा। मैं समझता हूं कि यदि राज्य की कानून और व्यवस्था लागू करने वाली मशीनरी विफल हो जाती है तो फौज और अर्धसैनिक बलों को बुलाया जा सकता है। लेकिन उन्हें नियंत्रण में रखना आवश्यक है। यदि वे कोई ज्यादतियां और अत्याचार करते हैं तो इसके लिए सरकार को उत्तरदायी माना जाना चाहिए जिसे सरकार को यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि वह मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह कहना पर्याप्त नहीं है कि आतंकवादी भी मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। सरकार को मानव अधिकारों का आदर्श रक्षक होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, आम जनता के समर्थन के बिना आतंकवादियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही सफल नहीं हो सकती। पूर्वोत्तर में आलम यह है कि आतंकवाद को रोकने के क्रम में आम लोगों को यंत्रणा दी जाती है और उन पर अत्याचार किया जाता है। इससे अलगाव की भावना पैदा हो गई है।

महोदय, जब 1993 में मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था, राष्ट्र को यह समझाया गया था कि फौज, अर्धसैनिक बल और पुलिस को मानवाधिकारों के बारे में प्रेरित, प्रशिक्षित और शिक्षित किया जाएगा। चूंकि अर्धसैनिक बलों को बहुधा विद्रोह संबंधी स्थितियों पर काबू पाने के लिए नागरिक प्रशासन की सहायता हेतु बुलाया जाता है। अतः और भी तर्कपूर्ण है कि उन्हें मानवाधिकारों के बारे में प्रशिक्षित, प्रेरित और शिक्षित किया जाना चाहिए। अतः विद्रोह संबंधी स्थितियों के बारे में कानून और व्यवस्था के प्रशासन में बुनियादी परिवर्तन होना चाहिए। मेरा सुझाव है यदि आवश्यक हो तो सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 जैसाकि 1972 में संशोधन किया गया था, में मानवाधिकारों के अनुरूप उपयुक्त संशोधन पर विचार किया जाना चाहिए। इस स्थिति के लिए बातचीत ही एकमात्र समाधान है। इसका कोई सैनिक समाधान नहीं हो सकता। हमें आतंकवादियों से बातचीत करनी चाहिए। श्री लालडेंगा के साथ पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा मिजो समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता सर्वाधिक सफल और कारगर समझौता था। मिजोरम इस देश में एक सर्वाधिक शान्तिपूर्ण राज्य है।

तीन वर्ष पहले असम के आतंकवादियों ने किसी तीसरे देश में बातचीत करने का भी प्रस्ताव रखा था। आप सम्पूर्ण भुवन एक भवन में सिमट गया है। यह कोई पहली बार नहीं था कि इस जैसी कोई बातचीत यद्यपि अनौपचारिक ही सही, किसी तीसरे देश में की जानी थी। सन् 1980 में लालडेंगा भारत आए जब श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं। उन्हें सरकारी दूतों और सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा यहां आने के लिए राजी किया गया था। यद्यपि बातचीत विफल हो चुकी थी। उनकी वापसी पर सरकार के दूतों और सरकारी प्रतिनिधियों ने उन्हें फिर राजी किया और वह पांच वर्ष बाद भारत आए, काफी समझाए बुझाए जाने के बाद और अन्ततः स्वर्गीय राजीव गांधी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए।

चूंकि समय अधिक नहीं है, इसलिए मैं अपनी बात संक्षेप में कहूंगा। हम अधिक बातचीत के लिए हम अपना दिमाग और दरवाजा खुला रखें, चाहे यह बातचीत अपने देश में हो या अन्य किसी देश में, लेकिन इसकी कोई पूर्व-शर्त नहीं होनी चाहिए। मुझे याद है कि एक बार यह मांग की गई थी कि बातचीत किसी अंतर-राष्ट्रीय पर्यवेक्षक की उपस्थिति में हो। हम उस पूर्व-शर्त को स्वीकार नहीं करते। मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि जब हमारे माननीय प्रधान मंत्री अथवा मंत्री अनौपचारिक बैठकों अथवा निर्धारित बैठकों में भी विदेश जाते हैं तो वे इस समस्या पर विचार-विमर्श करते हैं, भले ही वह विचार-विमर्श जल्दी में ही हो। मैं समझता हूं कि एक औपचारिक बातचीत उस बातचीत से अधिक उद्देश्यपूर्ण, अधिक प्रभावी होगी जो हमारे प्रधानमंत्री अथवा मंत्रियों के वहां जाने पर होती है। माननीय गृह मंत्री यहां बैठे हैं और मुझे विश्वास है कि वह इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे।

बारहवीं लोक सभा में भी हमने इस समस्या पर विचार-विमर्श किया था। मुझे विश्वास है कि माननीय गृह मंत्री अपने विचारों में परिवर्तन करेंगे विशेषकर इस बात को ध्यान में रखकर कि विद्रोह और आतंकवाद, जिसका पूर्वोत्तर में सामना करना पड़ रहा है, का कोई अंत नहीं है। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री इस अवसर पर अपना उचित सहयोग प्रदान करेंगे।

धन्यवाद, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : वक्ताओं की सूची समाप्त हो गई है। कल माननीय गृह मंत्री बहस का जवाब देंगे।

अब सभा कल ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.24 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 15 दिसम्बर, 1999/24 अग्रहायण, 1921 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
बुधवार, 15 दिसम्बर, 1999/24 अग्रहायण, 1921 (शक)
का
शुद्धि - पत्र

...

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय-सूची (i)	6	245 और 260	245 से 260
विषय-सूची (ii)	1	विल्वन्नामलाई	तिल्वन्नामलाई
12	7	श्री नवम किशोर राय	श्री नवल किशोर राय
221	नीचे से 4	(ग)	(ग) और (घ)
228	नीचे से 6	(घ)	(च)
	और		
	नीचे से 10	(च)	(घ)
229	13	(ङ) से (छ)	(घ) से (छ)
237	15	समेकित काट प्रबंधन	समेकित कीट प्रबंधन